राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] ग्यारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 17

मंगलवार,

20 अप्रेल, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री मोहन लाल जी मोदी।

नीमकाथाना-शाहपुरा की क्षतिग्रस्त सड़कें

462. **श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नीमकाथाना–शाहपुरा मार्ग वाया चीपलाटा, रायपुर जागीर, पाटन–डाबला, नीमकाथाना, सीकर, शाहपुरा, खेतड़ी वाया नीभकाथाना की सड़कें काफी समय से क्षतिग्रस्त है ?

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु गत तीन वर्षो में कितनी राशि व्यय की गयी ? शेष सड़कें अब कब तक ठीक करा दी जाएंगी ?

(3) क्या यह सही है कि नीमकाथाना की सड़क को ठीक कराने का एक वाद सरकार के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया ? क्या न्यायालय ने एक निश्चित समयावधि में सड़क ठीक कराने का सरकार को आदेश दिया ? सरकार द्वारा उक्त आदेश की पालना समय पर नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ? अब कब तक पालना हो जाएगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री(श्री हरेन्द्र मिर्धा) : (1) जी हां। इन सड़कों की कुल लम्बाई 183 किलोमीटर है जिसमें से 121 किलोमीटर सड़क लम्बाई ठीक है। शेष 62 किलोमीटर सड़क लम्बाई ? समयबद्ध नवीनीकरण व साधारण मरम्मत के अभाव में एवं सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण पिछले कुछ समय से सही हालत में नहीं है।

(2) उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु पिछले तीन वर्षो में कुल 81.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें इन सड़कों पर 81.49

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

लाख रुपये की राशि खर्च की गयी है। वर्ष 1999–2000 के गैर योजना मद एवं योजना मद के तहत राशि 66.30 लाख रुपये की लागत से 38 किलोमीटर सड़क लम्बाई में नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त उक्त सड़कों की साधारण मरम्मत हेतु 30.00 लाख रुपये वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(3) जी हां। एम. जे. एम. कोर्ट, नीमकाथाना द्वारा 31 दिन (1.10.97 से 31.10.97) में सड़क को ठीक कराने का आदेश दिया गया था इस सड़क मरम्मत मद में सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण माननीय न्यायालय के आदेश की पालना निश्चित समयावधि में संभव नहीं हो सकी परन्तु अब नीमकाथाना सड़क को जनवरी, 1999 में ठीक कर दिया गया है एवं न्यायालय की पालना कर दी गयी है।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में मैंने तीन–चार टुकड़ों में सड़क दर्ज करायी है और इन्होंने उसको सारा एक मिलाकर इस तरह का जवाब दिया है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि नीमकाथाना–शाहपुरा मार्ग वाया चीपलाटा, रायपुर जागीर यह एक ब्लाक है, इसमें आपने एक किलोमीटर भी रोड ठीक करायी क्या ? एक किलोमीटर की मरम्मत हुई क्या इसके अन्दर ? पाटन डाबला, इसके अन्दर एक किलोमीटर रोड ठीक करायी क्या ? यहां लोगों ने रास्ता जाम किया, उनके खिलाफ केसेज बना दिये लेकिन आज तक सड़क ठीक नहीं हुई।

इधर सीकर का लीजिये। नीमकाथाना से सीकर रोड की हालत इतनी खराब है, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि कब तक आप कहां–कहां, कौन–कौनसा टुकड़ा कराएंगे ? क्या स्थिति रहेगी ?

जहां तक कोर्ट का सवाल है, लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया उसके बावजूद उसकी तामील नहीं करायी गयी। जो सड़क 1999 में आप कह रहे हैं कि ठीक करा दी, उसको आप देखिये कि जितना टुकड़ा ठीक हो गया है उससे ज्यादा खराब हो गया वही टुकड़ा। आप इसकी जांच कराएं।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं कबूल कर चुका हूं कि ए. डी. जे. कोर्ट के सड़क को मरम्मत कराने के निर्देश थे। कोर्ट के आदेश सड़क ठीक कराने के ही आदेश नहीं थे वरन् जो नालियां साइड में हैं उनके भी आदेश थे और वह काम मेरे डिपार्टमैंट के अधीन नहीं है।

जहां तक सड़क का सवाल है, यह 6 किलोमीटर का टुकड़ा है जो शहर के बीच में से, नीमकाथाना के बीच में से जाता है। उसके तो दो किलोमीटर डामरीकरण हो गया है और शहर से जो इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है वह चार किलोमीटर शेष है, उसका पैच वर्क हो गया है। आप जानते हैं कि कोई

(श्री हरेन्द्र मिर्धा)

भी काम कराने के लिए इसका एक सैट प्रोसीजर है। पहले एस्टीमेट होगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होगी, फिर टेंडर होगा, टेंडर की अवधि होगी और टेंडर देने के बाद में नोर्मल है कि 10 लाख रुपये का काम कराने में चार–पांच–छः किलोमीटर का काम कराने में समय लग ही जाता है। यही मुख्य कारण रहा है जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश की पालना एक महीने में कराना संभव नहीं था। जनवरी, 1999 में जैसा कि मेरे विभाग ने मुझे बताया है, इसकी मरम्मत करा दी गयी है।

श्री मोहन लाल मोदी : अब आज तो दो साल हो गये उस आदेश को। मैंने यह पूछा कि यह जो शाहपुरा वाया चीपलाटा है इसमें कहीं एक किलोमीटर भी रोड ठीक करायी क्या ? क्वेश्चन का , सही स्थिति का जवाब तो दीजिये कम से कम।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा–खेतड़ी–नीमकाथाना सड़क की ही बात कर रहे हैं आप ?

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता ने सप्लीमैंट्री पूछा है, आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : पूछ लिया उन्होंने तो, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूछ लिया तो उत्तर आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप हर वक्त खड़े हो जाते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अनुमति लेने के लिए पूछ रहा हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष : और अध्यक्षपीठ से अपेक्षित व्यवहार करें।

माननीय सदस्य, पहले उसका जवाब आ जाए फिर बाद में सप्लीमैंट्री पूछेंगे। आप पीछे देखते भी नहीं हैं। प्रश्नकर्ता को अधिकार है पहले और मैंने व्यवस्था भी दी है। उसमें है, प्रश्नकर्ता तो दो अनुपूरक प्रश्न पूछेगा... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्री महोदय, जवाब दे रहे हैं इसका ? यह जो पाटन डाबला और नीमकाथाना–शाहपुरा वाया चीपलाटा है, इस रोड में कहीं एक किलोमीटर की भी मरम्मत करायी ? अब कब तक इसकी मरम्मत करा देंगे आप ?

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बता चुका हूं कि इस साल के अन्दर करीब 96 लाख रुपये इस एरिया के अन्दर सड़कों की मरम्मत हेतु प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अन्दर ये जो भी सड़कें माननीय सदस्य ने लिखी हैं, सब हो जाएंगी।

अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सड़कों का विवरण इस प्रश्न में पूछा है— सीकर से नीमकाथाना, नीमकाथाना से पाटन और डाबला, इन सड़कों के लिए आपने बजट में प्रोविजन मात्र 30 लाख का किया है, ये सड़कें जिस स्थिति में है क्या इस 30 लाख रुपये से ये सड़कें चलने लायक हो जाएंगी, मंत्रीजी ?

श्री रामनारायण चौधरी : 96 लाख बतायी हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 96 तो पिछले तीन साल में हुए है, इस साल के बजट में आपने 30 लाख रुपये का प्रोविजन रखा है। जो स्थिति है उसमें वे चलने लायक नहीं होंगी।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : माननीय सदस्य, आप समझे नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया।

श्री अमराराम (धोद) : क्योंकि जो स्थिति है वह बहुत ही भयंकर है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : 96 लैक्स इस फाइनेंशल ईयर में हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया आपने।

श्री अमराराम (धोद) : क्या आप इससे संतुष्ट हैं कि ये जो सड़कें...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप इसमें।

श्री अमराराम (धोद) : एक ही प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या 30 लाख रुपये का जो प्रोविजन आपने निम्न सड़कों के लिए किया है...

श्री अध्यक्ष : दस बार पूछ लिया आपने, यह प्रश्न एक है।

श्री अमराराम (धोद) : तो क्या यह पूरी चलने लायक हो जाएगी, आप तो यह उत्तर दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

श्री हरेन्द्र मिर्धा : मैंने टोटल आपसे कहा था कि 30 लाख रुपये तो साधारण मरम्मत के लिए है। और प्लान के अन्दर हमने 66.30 लाख दिये है। 10—15 साल का जो मेन्टीनेन्स नहीं हो पाया है उसका सारा का सारा एक साल में तो हो नहीं सकता लेकिन मैं इतना वादा जरूर दिलाता हूं कि अगले साल जब बजट में अपन मिलेंगे, आप बिलकुल संतुष्ट हो जाएंगे, काम अच्छी तरह चलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ई.आई.स्कीम में कोटपूतली—सीकर के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, यही प्रश्न है। कोटपूतली—सीकर वाया नीमकाथाना पांच करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, यही प्रश्न है। प्रश्न में यही पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन की मर्यादा के अन्दर, लक्ष्मण रेखा के अन्दर आप पूरक प्रश्न पूछिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूं, नीमकाथाना–सीकर का ही पूछा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने का मतलब ही यही है कि आप इन्फोर्मेशन मांग रहे हैं। जो प्रश्न पूछा गया है उसी के दायरे के अन्दर आप सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं इसमें ही पूछ रहा हूं, इसके अलावा नहीं पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना–कोटपूतली–सीकर वाया नीमकाथाना सड़क के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे उसमें से कितना भारत सरकार द्वारा अब तक ये खर्च कर चुके हैं, कितना पैसा बचा हुआ है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है भारत सरकार का।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें कितनी सड़क आपके बनानी बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अलग से है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यही है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री भंवर लाल शर्मा।

उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतियों के पदों में वृद्धि

463. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या सरकार उच्च न्यायालय में वायदों के निस्तारण में होने वाली दरें के लिए न्यायाधिपतियों की संख्या में कमी अनुभव करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधिपतियों की संख्या वृद्धि करने हेतु कोई सुझाव भेजे हैं ? यदि हां, तो सुझावों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब न्यायाधिपतियों की संख्या बढ़ाने हेतु गम्भीरता से विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

विधि मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 27 स्थायी एवं 5 अतिरिक्त न्यायाधिपतियों के पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत (Strength) पदों के विरुद्ध अभी केवल 22 स्थायी न्यायाधीश ही कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार 5 स्थायी एवं 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं।

सरकार के स्तर पर न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि किये जाने के प्रश्न पर विचार वर्तमान में 10 पदों पर नियुक्तियां हो जाने के पश्चात् ही संभव हो सकेगा। रिक्त पदों की नियुक्तियों के पश्चात् लम्बित प्रकरणों की

(श्री खेतसिंह राठौड़)

संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् इस संबंध में राज्य सरकार यथोचित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिपतियों की संख्या में वृद्धि किये जाने का कोई सुझाव गत 2 वर्षों में नहीं भेजा गया है क्योंकि उच्च न्यायालय की स्वीकृत संख्या (Sanctioned Strength) जो 32 न्यायाधिपतियों की है, उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति भी अभी तक नहीं हो सकी है। अतः नये प्रस्ताव भेजने का उचित समय अभी नहीं है।

तथापि उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को 26.9.97 को एक पत्र लिखा है, जिसके अनुसार लम्बित प्रकरणों के 2 वर्ष में निपटाने हेतु 15 अतिरिक्त न्यायाधीश, 3 वर्ष में निपटाने हेतु 10 न्यायाधीश तथा 4 वर्ष में निपटारे हेतु 8 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पदों का सृजन करने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी थी।

अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संविधान के अनुच्छेद–224 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जा सकती है। अतः अतिरिक्त न्यायाधीशों की वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पहले से ही भेज रखा है।

(3) राज्य सरकार सर्वप्रथम न्यायाधिपतियों के 10 रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए अपने स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार कर कार्यवाही कर रही है। न्यायाधिपतियों की नियुक्तियों के सुझाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं वरिष्ठ न्यायाधिपतियों के पारस्परिक परामर्शानुसार राज्य सरकार को भिजवाया जाता है। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर मुख्य न्यायाधिपति को आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव भेजे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

रिक्त पदों पर नियुक्ति के पश्चात् ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हेतु राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर सकेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न हैं इसमें। एक तो यह कि जो जगह खाली हैं उनकी नियुक्ति हो और दूसरा, अधिक जजेज नियुक्ति किये जाएं। किसी भी राज्य सरकार की यह इच्छा रहती है कि न्याय त्वरित मिले, जल्दी मिले और सुलभ हो तथा लोगों को राहत मिलती रहे। आप जैसा बता रहे हैं कि 10 न्यायाधीशों की कमी है तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने केसेज पेंडिंग हैं ? इन 10 न्यायाधीशों की कमी के कारण जोधपुर हाई कोर्ट में और जयपुर हाई कोर्ट में कितने केसेज पेंडिंग हैं और कब से पेंडिंग हैं, एक तो उनकी संख्या दीजिये। आप जरा यह भी बताइये कि जोधपुर में कितने खाली हैं और जयपुर बैंच में कितने खाली हैं ? उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसका आपने जिक्र किया है तो हाई कोर्ट ने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कृपया उस पत्र की जानकारी दीजिए कि उसके क्या कंटैंट्स

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हैं ? उसके बाद कोई जवाब वहां से आया कि नहीं आया ? क्या आप यह नहीं मानते हैं कि इस प्रकार की जब कमी रहती है तो केवल हम उच्च न्यायालय पर ही बात छोड़ दें या राज्य सरकार का भी यह दायित्व बनता है कि वह उस कमी को पूरा करें ? इसके लिए आपने बजट में क्या प्रोविजन रखा है ? आपने जो बजट पेश किया है उसमें भर्ती के लिए क्या प्रावधान रखा है ? कृपया इनका उत्तर दीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आप उलझाने वास्ते पूछते हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में स्थिति गम्भीर है। जैसा कि मैंने स्वयं ने आपसे निवेदन किया है, 10 पद रिक्त पड़े हैं और दो पद अगले महीने और रिक्त हो जाएंगे, इस प्रकार से 12 पद रिक्त पड़े हैं। मैं करीब तीन दफा मुख्य न्यायाधिपतियों से यहां मिल लिया हूं। उनसे मैंने आग्रह किया है कि आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी ऐसा प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजिये । उन्होंने भी अपनी बात कही कि मैं खुद अभी आया हूं, मुझे भी तो यह देखना है कि कौन अच्छे काबिल वकील है कि जो उच्च न्यायाधिपति बनने योग्य हैं। वह मुझे देखने हैं। एक कमेटी बनी हुई है। इसमें तीन जजेज हैं, एक तो जस्टिस सेठना हैं और एक जस्टिस कोकजे हैं। ये तीनों मिलकर परामर्श करके सूची बना रहे हैं। यह सूची आने के पश्चात् जयपुर बैंच से और जोधपुर हाई कोर्ट से भी अच्छे अच्छे लायर्स के नाम के सुझाव दिये जाएंगे। फिर मुख्य मंत्रीजी के साथ परामर्श होने के पश्चात् वह लिस्ट भेजी जायेगी। देरी का कारण यह है कि यहां अस्थायी मुख्य न्यायाधीश लम्बे समय तक रहे और जो न्यायाधीश थे वे अपने यहां गवर्नर साहब हो गये थे। अस्थायी मुख्य न्यायाधीश नाम नहीं भेज सकता है, स्थायी न्यायाधीश ही भेज सकता है। अब पाठक साहब स्थायी न्यायाधीश आ गये, वे कह रहे हैं कि मैं मई के प्रथम सप्ताह तक यह नाम भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि नयी सरकार आने के पश्चात् दिल्ली में भी इस पर कार्यवाही शीघ्र हो सकेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपने पूछ लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, साहब। मैंने दो सवाल पूछे हैं। वह पत्र जो हाईकोर्ट ने केन्द्र को लिखा उसका वर्णन नहीं बताया आपने। कितने केसेज पेंडिंग हैं यह नम्बर भी नहीं बताया, यह तो बताइये और तीसरा आपने यह कहा कि अपाइन्टमैंट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि...

श्री अध्यक्ष : कितने केसेज पेंडिंग है, यह तो आपने पूछा ही नहीं है। प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने यह बात पूछी ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं साहब, मैंने पूछी है।

श्री अध्यक्ष : कहां पूछी है ? पेंडिंग है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अलग से पूछी है तो क्या हो गया ? सप्लीमैंटरी तो पूछ सकता हूं न मैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह प्रश्न ही अलग हो गया। अलग से प्रश्न हो गया। वह इसमें आएगा भी नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्यों नहीं आएगा ? यह जजेज के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, कोरिलेटेड है। उसमें नहीं होगा तो जजेज की जरूरत क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अच्छा, कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I would appreciate the situation. आपने एक बात और कही कि अच्छे योग्य वकील नहीं मिलने के कारण जजेज का अपाइन्टमैंट नहीं हो रहा है। यह बात आपने कहां से कह दी ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं मैंने यह नहीं कही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो वकीलों की तलाश कर रहे हैं, वकील नहीं मिल रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह श्रीमान् अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं कि मैंने यह कहा था। यह नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : सम्माननीय मंत्रीजी ने यह कहा था कि...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : योग्य वकील नहीं मिल रहे हैं जिससे चयन नहीं मिल रहे हैं चयन नहीं हो पाया। I correct myself. उनका चयन नहीं हो पाया तो कौनसी कमेटी बैठी थी ? उसने कब कार्यवाही की ? उसके चयन की प्रक्रिया क्या अपनायी गयी ? (व्यवधान) यह दोष हमारा है। एक सैकण्ड, जब भी कोई एक प्रश्न आता है...

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी, केवल एडवोकेट्स का ही हाई कोर्ट के जजेज के लिए चयन होता है या उसमें हायर जुडीशियल सर्विस के लोगों को भी उसमें कन्सिडर किया जाता है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वे भी जाते हैं। वह 50:50 है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे भी जाते हैं। कोई जाते–वाते नहीं हैं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट जजेज का पैनल बना हुआ है, जिनकी रिपोर्ट अच्छी है, जो काबिल हैं उनमें से भी सलैक्शन होगा और एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं हाई कोर्ट के और वकील हैं, उनमें से भी वे सलैक्शन करेंगे। वह सलैक्शन लिस्ट मुख्य मंत्री साहब से और गवर्नर साहब से डिस्कस होगी, उसके पश्चात् भारत सरकार को भेज दी जाएगी और उनका चयन हो जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये पद कितने समय से रिक्त हैं ? आप यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया था और नाम भेजे गये थे ? यदि नाम भेजे गये थे तो वापस निरस्त क्यों हुए ? एक मात्र यह कहना कि, साहब, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, वह भी आप सही नहीं कह रहे हैं। क्या यह सही है कि सलैक्शन के अन्दर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है ? क्या यह सही है कि गवर्नमेंट का सलैक्शन में रोल नहीं होने के बावजूद गवर्नमेंट सबसे बड़ा लिटीगेट है ? एक बात। दूसरी बात, गवर्नमेट वैसे भी एक वैलफेयर गवर्नमेंट है, लिटीगेशन पेंडिंग रहता है तो पब्लिक को तकलीफ होती है, वह भी आपका कंसर्न होना चाहिए। स्थायी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर यहां हुई, उसके लिए आपने क्या किया ? आपने कभी जाकर गवर्नमेंट आफ इण्डिया के लॉ मिनिस्टर से मुलाकात की, सी. जे. आई. से मिले ? अब जो सी. जे., राजस्थान कह रहे हैं कि मई के प्रथम सप्ताह में मैं नाम भेज दूंगा, अगर वे नाम नहीं भेजे तो क्या इस मैटर को परस्यू करने के लिए यूनियन लॉ मिनिस्टर से मिल कर सी. जे. आई. से मिलने का विचार रखती है राज्य सरकार ? मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : काफी हो गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक लास्ट। मंत्रीजी, यह बात सही है जैसा माननीय सदस्य का कहना है कि संख्या बढ़ाना, संख्या बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। पहले ये 10 पद भरेंगे, तब संख्या बढ़ाने की बात करें। आपकी एनर्जी पहले इन दस पद को भरने के लिए होनी चाहिए। वकील पूरे उपलब्ध हैं, पैनल आपका तैयार है सिर्फ वकीलों का पैनल बनना है। इसको एक्सपेडाइट करने के लिए राज्य सरकार इसको किस तरह से फालो करना चाहती है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया है, चीफ जस्टिस साहब से दो दफा मैं खुद मिल लिया हूं, चीफ मिनिस्टर साहब की मुलाकात हो गयी है, वे खुद बहुत बिजी हैं, वे खुद यह कह रहे हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही को करना चाहता हूं। उन्होंने मई का समय भी दे दिया है। पहले रिक्त होने के कारण भी मैंने आपको बता दिये हैं। अस्थाई चीफ जस्टिस रहे, 1996 से यह पोस्ट खाली पड़ी है और ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपसे पहले वाली सरकार को यह रुचि नहीं थी कि स्थाई चीफ जस्टिस राजस्थान के अन्दर नियुक्त हो। क्या आपके ध्यान में है ...(व्यवधान) स्थाई चीफ जस्टिस राजस्थान में नियुक्त हो, इसमें पूर्व सरकार की दिलचस्पी नहीं थी। वे चाहते थे कि अस्थाई मुख्य न्यायाधीश राजस्थान में चलता रहे। इसमें उनका वेस्टेड इन्ट्रैस्ट था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब इसमें मुझे

(श्री खेतसिंह राठौड़)

जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्वयं ही जानते हैं कि जजेज की जगह खाली पड़ी रहे और प्रयास प्रयत्न न हो, यही साबित करता है कि पहले की गवनमैंट ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, पहले प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : जहां स्थाई मुख्य न्यायाधीश होना चाहिये उन्होंने अस्थाई मुख्य न्यायाधीश को यहां चलवाया। उसके कई कारण हैं, पोलिटिकल रीजन्स हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जुडीशियरी को इसमें घसीटना नहीं चाहता लेकिन आप स्वयं जानते हैं कि पूर्व सरकार के वेस्टेड इन्ट्रैस्ट थे कि इस प्रदेश के अन्दर न्यायिक प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं चले।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह राजनैतिक भाषण इस प्रकार से प्रश्नकाल में किस प्रकार ? मूल प्रश्नकर्ता सप्लीमैन्ट्री पूछ रहे थे उन्हें तो दबाकर बैठा दिया गया। इस प्रकार से कोई भी खड़ा हो जाए और राजनैतिक भाषण देना शुरू कर दे...

श्री रामनारायण चौधरी : क्या मैं मैम्बर नहीं हूं ? आप ज्यादा मैम्बर हैं ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बिलकुल, बिलकुल।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको ज्यादा अधिकार है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आप अकेले मैम्बर हैं क्या ? ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : मूल प्रश्नकर्ता, सप्लीमैन्ट्री...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : आपने अलाउ कैसे किया ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ये क्या हुआ कि कोई भी खड़ा हो जाए...(व्यवधान) कोई भी है क्या...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने अलाउ कैसे किया ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यहां सब माननीय सदस्य हैं, कोई भी खड़ा हो जाए ...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कोई भी है... (व्यवधान) बिना अनुमति के कोई भी सदस्य ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हाथ ऊंचे कर दिये कि कोई भी खड़ा हो जाए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बिना अनुमति के क्यों खड़े हो गये ? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह राजस्थान का सचिवालय नहीं है, यह विधान सभा है ..(व्यवधान) कार्यालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : विधान सभा है इसीलिए...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह दारू का ठेका नहीं है, विधान सभा है...(व्यवधान) बिना अनुमति के कैसे खड़े हो गये ? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह राजस्थान विधान सभा है...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह विधान सभा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से संख्या बल से दबाया नहीं जा सकता। कोई संख्या बल से दबाना चाहे तो हम नहीं दबेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कहां संख्या बल...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम चेयर से प्रोटैक्शन चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय। हम आसन से प्रोटैक्शन चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय।(व्यवधान) कोई इस तरह से हमें दबाना चाहे...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री छोगाराम बाकोलिया(यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय जब–जब इनके +++ की पोल खुलने लगती है तब–तब एकजुट होकर +++ लग जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कोई योग्य कांग्रेसी वकील नहीं मिल रहा है ये जिसको थोप सकें तो राजनैतिक भाषण देना शुरू कर दिया। (व्यवधान) अब कोई कांग्रेस वकील नहीं मिल रहा योग्य।

श्री अध्यक्ष : श्री आहूजा, बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां पर कोई संन्यासियों की टोली तो है नहीं जो आपकी तरह से राम भजे।

श्री अध्यक्ष : बैठिये न, आप बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : यहां तो राजनैतिक भाषण देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल का कीमती समय इस तरह से मत जाने दीजिए, कई जो और प्रश्न पूछना चाहते हैं उनके प्रश्न रह जाएंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आप इनसे कहिये, हमसे क्या कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। पहले प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, एक दफा सलैक्शन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, नाम चले गये थे, वे नाम क्यों निरस्त हुए, यह बताइये आप ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये । आपने पूछा था यह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यूं तो इस प्रश्न से वह ताल्लुक नहीं रखता लेकिन मेरी नालेज में है कि नाम गये थे। वहां पर एप्रूव नहीं हुए, लिहाजा नाम वापस भेज दिये गये। आपने पूछा था कि लैटर किसने लिखा था। मुखर्जी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने लैटर लिखा था। उन दिनों में खलप थे गवर्नमैंट आफ इण्डिया में लॉ मिनिस्टर, उनको लैटर लिखा था।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका इस प्रश्न से ताल्लुक है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत सीक करने के लिए बिलकुल अनुशासित सदस्य के रूप में आपकी आई क्रैच करने की कोशिश...

श्री अध्यक्ष : आप अनुशासित कैसे रहते हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : जिन्होंने आपसे इजाजत सीक नहीं की, आपने उनके क्वेश्चन को अलाउ कर दिया। हम इस भरोसे रहते हैं कि आप नाम पुकारेंगे तब ही हम सवाल पूछेंगे। मैं एक बहुत छोटे–सा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप मुझे कृपया अलाउ करें।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछ लीजिए एक प्रश्न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट। प्लीज। मेरा जवाब नहीं आएगा।

श्री अध्यक्ष : आप उसके बाद में बोलना। श्री माहिर आजाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब नहीं दिया, मंत्री महोदय ने कहा कि मेरा इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दिया है इन्होंने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि उनका इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि....

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति–जनजाति के ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न संख्या दो पर जजों के पद पर नियुक्ति...

श्री खेमराज कटारा : नियुक्ति देने की मंशा रखती है। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अन्तिम लाइन आपने लिखी है। अध्यक्षजी, आपके पास भी होगा, मैं इसकी तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : लम्बा मत कीजिए, क्वेश्चन पूछिये सीधा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने लिखा है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन माना जा सकता है। "माना जा सकता है, का क्या मतलब है ? या तो विचाराधीन है या विचाराधीन नहीं है। माना जा सकता है" यह तो अजूम करने वाली बात हो गयी। आपने क्या भेजा ? वह वहां विचाराधीन है या रिजैक्ट हो गया ? इसमें आपने यह बड़ा अनक्लियर किया है यह। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 पद न्यायाधीशों के रिक्त हैं उनमें क्या आप एस. टी., एस. सी. या ओ. बी. सी. का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

न्यायाधीश भी नियुक्त करने का विचार रखते हैं कि नहीं ?

श्री खेमराज कटारा : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार क्या अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों को भी जजों के पद पर नियुक्ति देने की मंशा रखती है ?

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मेरे सवाल का जवाब दें। आपने कहा कि संबंध नहीं है, नाम ऊपर से एप्रूव नहीं हुए। यह सत्य वाचन नहीं कर रहे हैं आप।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत विधि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। क्या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ओ. बी. सी. के आरक्षण नीति की पालना की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लालजी, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसका स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। यह आपका कहना सत्य नहीं है कि ऊपर से एप्रूव नहीं हुआ। क्या कन्ट्रोवर्सी हुई थी, सदन को बताइये आप। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत नाराज हो गये, बाकी पोलिटिसाइज किया है उन दोनों गवर्नर्स ने।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। पोलिटिकलाइज मत कीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने खास तौर से यह पूछा है कि क्या इन जजेज के अपाइंटमैंट्स में अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनोरिटी और ओ. बी. सी. ओर सवर्ण आदि खयाल रखे जाएंगे। हमने जो विचार–विमर्श किया है उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद इस विचार के हैं कि महिलाओं का कोटा भी आना चाहिए, ओ. बी. सी. भी आना चाहिए और एस. टी. और एस. सी. में से भी आने चाहिए। लेकिन योग्यता रखने वाले ही इसमें सलैक्ट किये जा सकेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रक्रिया पूरी हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या यह माना जा सकता है, 'विचाराधीन है या नहीं ? 'माना' जा सकता है' का क्या सवाल है ? इसको जरा क्लैरिफाई तो कीजिए, इससे कहना क्या चाहते हो आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने जवाब में 'विचाराधीन है' ही कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं यह नहीं लिखा है, पढ़ लें। अध्यक्ष महोदय, आप भी पढ़ लें। इन्होंने लिखा है, अतिरिक्त न्यायाधीशों की वृद्धि का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन माना जा सकता है। यह लिखा है आपने।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, इसको तो बताइये आप।

श्री अध्यक्ष : अनुच्छेद 224 से संबंधित है वह मामला।

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की, मंत्रीजी, इसका बताएं आप, यह सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। प्रक्रिया पूरी हो गयी थी, बाकायदा यहां से रिकमण्डेशन चली गयी थी, फिर क्यों नहीं नियुक्तियां हुई उसमें, यह बताइये आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया पूरी हुई, इस सवाल में तो कहीं पूछा नहीं। यह बिलकुल नया सवाल है। पहले लिस्ट गयी थी उसमें प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, नाम चले गये थे। वापस क्यों आ गये, वह आप पूछेंगे तो उसकी डिटेल दे दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिक्तियों का सवाल है, वैकेन्सीज का सवाल है, अलग से प्रश्न नहीं है। वैकेन्सीज का सवाल है...

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

सांकरवाड़ा (टोडाभीम) के वन क्षेत्र में एनीकट

464. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)** : क्या वन पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो (बालासागर) भीमपुर वन क्षेत्र में कई तरह के वन्य प्राणी रहते हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में वन्य प्राणियों के लिये पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि कई वन्य जीव भूखे–प्यासे होने के कारण कई बार गांवों में घुस जाते हैं और वहां के निवासियों एवं पशुओं को हानि पहुंचाते हैं ? यदि हां, तो अब तक कितनी जन हानि हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के पहाड़ों के पास वन विभाग की काफी खाली भूमि है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? क्या सरकार उक्त भूमि पर उक्त वन्य प्राणियों के पीने के लिये पानी का एनीकट एवं क्लोजर बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री भगराज चौधरी) : (1) जी हां। ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो (बालासागर) भीमपुर के वन क्षेत्र में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों ही प्रकार के वन्य जीव पाये जाते हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो (बालासागर) भीमपुर के वन क्षेत्रों में एक एनीकट का निर्माण करवाया गया है। इसके अतिरिक्त वन क्षेत्रों में प्राकृतिक खड्डों एवं तलाइयों में भी वर्षा का पानी इकट्ठा होता है।

(3) वन्य जीवों के ग्राम असरो एवं भीमपुर में घुसकर मानव या पशुओं को मारे जाने की घटना की सूचना वन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है जिससे ऐसी किसी घटना के घटने

(श्री भगराज चौधरी)

की पुष्टि नहीं होती है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के आस–पास वन खंड नाहर खोहरा मेन तथा नाहर खोहरा II–ए स्थित हैं।

इन वन खंडों का कुल क्षेत्रफल 1571.019 हैक्टेयर है जिसमें से 590 हैक्टेयर भूमि पर गत वर्षों में वृक्षारोपण एवं वन विकास कार्य करवाये गये हैं तथा वन प्राणियों के पानी पीने हेतु एक एनीकट का निर्माण भी कराया गया है।

इन वन खंडों की 981.019 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण/वन विकास कार्य अभी तक नहीं कराये गये हैं जिसकी वन खण्डवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है तथा वन्य प्राणियों के पानी पीने हेतु एक एनीकट का निर्माण भी कराया गया है।

वर्ष 1999–2000 में वित्तीय संसाधनों की उपलबधता को दृष्टिगत रखते हुए 50 हैक्टेयर वन क्षेत्र में क्लोजर निर्माण। वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के असरो बालासागर के वन क्षेत्र में शाकाहारी और मांसाहारी जीव पाये जाते हैं। आपने संख्या भी बतायी है। बघेरा भी मिलता है, भेड़िया भी मिलता है, गीदड़ भी मिलता है, लोमड़ी भी मिलती है, जरक भी मिलता है, रोजड़ा मिलता है, खरगोश भी मिलता है, सेही मिलता है, नीलगाय, मोर, ये जानवरों के नाम बताये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि बघेरे तो कितने मिलते हैं, भेड़िये कितने हैं, गीदड़ कितने हैं, लोमड़ी कितनी हैं और जरक कितने हैं ? क्या माननीय मंत्री महोदय इनकी संख्या बता सकते हैं ? पहला क्वेश्चन मेरा यह है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया, आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : और सैकण्ड क्वेश्चन मेरा है, इन्होंने कहा है कि ग्राम असरो (बालासागर) में एनीकट का निर्माण कराया गया है, प्राकृतिक तलाइयां भी बनी हुई हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां पर कोई एनीकट नहीं हैं। बालासागर के अन्दर जानवर प्यासे मर रहे हैं और जानवरों की संख्या लगातार घट रही है। क्या माननीय मंत्रीजी वहां पर एनीकट बनाने का इरादा रखते हैं, दूसरा ? तीसरा मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, आपने कहा है...

श्री अध्यक्ष : दो सप्लीमैंटरी। दो सप्लीमैंटरी पूछिये आप।

श्री रामस्वरूप : एक तीसरा और कर दूं फिर सप्लीमैंटरी। तीसरा मेरा निवेदन है, आपने कहा है कि वहां पर जो वन विभाग के जानवर हैं वे ग्रामवासियों को नहीं खाते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आपको कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मैं आज आपको सूचना दे रहा हूं। माननीय मंत्रीजी, किशोर माली और मदन माली की दो बकरियों को

(श्री रामस्वरूप)

आपके जानवर खा गये और दूसरा घंटोली कुम्हार के गधे को खा गया आपका यह जरक। जरक खा गया आपका। क्या मंत्री बता सकते हैं जरक कैसा होता है ? जरक को आप जानते हो, बता सकते हैं, उसने इन जानवरों को खाया है। इसके मुआवजे की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा सप्लीमैंटरी में यह पूछा गया कि आपने वहां पर वन्य प्राणी जो पाये जाते हैं उनके नाम तो दे दिये पर संख्या नहीं दी है। संख्या इस प्रकार के वन्य प्राणियों की प्राप्त करना मुश्किल काम है। सेन्सस भी होता है...

मोहम्मद माहिर आजाद : सर्वे भी होता है।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्रीजी, उसमें शेर कितने हैं, चीते कितने हैं, बघेरे कितने हैं, क्या इनकी संख्या नहीं होती है ? जब संख्या का ही ध्यान नहीं है तो आप उनकी रक्षा क्या करोगे ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन आप तो अभी वन्य जन्तुओं का पूछ रहे हैं। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है।

श्री भगराज चौधरी : केवल मात्र जो राष्ट्रीय सैंक्चुरी हैं, नेशनल पार्क्स हैं वहीं पर वन्य जीवों की गणना होती है। खुले वन क्षेत्रों में जहां खुले तौर से विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाये जाते हैं और विचरण करते हैं, उनकी सही–सही गिनती किया जाना संभव नहीं है। मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी देने का मेरा स्वभाव नहीं है। इसीलिए मैंने जो वन्य प्राणी पाये जाते हैं उनके नाम तो दे दिये हैं पर संख्या दिया जाना संभव नहीं है।

दूसरा सप्लीमैंटरी आपने पूछा कि वहां पर एक एनीकट निर्माण किये जाने की और आवश्यकता है। मेरे खयाल से वहां पर वन्य प्राणियों के लिये पेयजल की सुविधा पहले से ही प्राप्त है। वहां पर खड्डे भी हैं, तलाइयां भी हैं और इसके अलावा एक एनीकट का निर्माण भी करवा दिया गया है। वहां पर चार तलाइयां हैं जिनके नाम हैं अब्दुलशाव, खोखरनाला, बालासरगढ़ की तलाई, खोरामेनबनखन की, पठारामुनि चोटी पर बनी हुई पांच तलाई। विभाग द्वारा आवश्यकता के अनुरूप एक एनीकट भी बना दिया गया है। ऐसी स्थिति में वन्य प्राणियों के लिये पेयजल की सुविधा प्राप्त करने के लिये वहां समुचित साधन उपलब्ध हैं इसलिये मेरे खयाल से और सरकारी धन राशि का फिजूल खर्च करना वहां पर उपयुक्त नहीं है।

तीसरा, वहां आपने जो दो बकरियों के बारे में किसी वन्य प्राणी द्वारा हत्या कर देने की जो जानकारी दी है, मैंने सूची मंगवायी है उसमें इस प्रकार की कोई जानकारी मुझे नहीं मिली है।

श्री रामस्वरूप : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सदन के बीच में, क्या आप उसकी इंक्वायरी कराएंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना दे रहा हूं सदन के सामने कि इस–इस प्रकार से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि सांकरवाड़ा रामस्वरूपजी मीणा का जन्म स्थान है ? यह आपको मालूम है ?

श्री अध्यक्ष : श्री जगमाल सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सांकरवाड़ा जो गांव है जहां ये वन्य जीव रहते हैं वह रामस्वरूपजी का जन्म स्थान है, यह आपको मालूम है ?

श्री रामस्वरूप : ये सही कह रहे हैं। मेरे अपने गांव की बात है, मुझे खुद को जानकारी है इसकी। क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी देंगे, जिनको जानवरों ने खाया है उनको आप मुआवजा वगैरह देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह कहा कि वहां मांसाहारी पशु भी हैं और...

श्री अध्यक्ष : बात नहीं करें। आप नहीं कह रहे हैं क्या ?

श्री जगमाल सिंह यादव : शाकाहारी भी हैं। मांसाहारी कौन–कौन से पशु हैं और शाकाहारी कौन–कौन से हैं, आप तो यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है, पूछ लिया आपने।

श्री जगमाल सिंह यादव : बस मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आपने आपके सामने कहा कि मांसाहारी पशु भी हैं...

श्री अध्यक्ष : पूछ लिया आपने। आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं तो इतनी बात पूछना चाहता हूं, मंत्रीजी यह सूची बता दें। अच्छा, मांसाहारी तो मैं मानता हूं, शाकाहारी कौनसे हैं, यह बता दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप बघेरे बहुत गांव के अन्दर आ रहे हैं। प्रे–बेस खतम हो रहा है। बहुत बार गांव के अन्दर आ जाते हैं क्योंकि प्रे–बेस खतम हो गया है। हिरण, चीतल ये खतम होते जा रहे हैं। आज ही अखबार में पढ़ा कि दो पैंथर बघेरे मारे गये क्योंकि गांव में आ गये थे। उन्होंने जहर डाल दिया, उनको मार दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कभी बकरी और कोई जानवर गांव में से ले लें और खा जाएं तो उसको कम्पनसेशन देने के लिये कोई व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब बैठिये आप। मंत्रीजी।

श्री विजेन्द्रपाल सिंह : मांसाहारी, शाकाहारी, यह बहुत सीरियस क्वेश्चन...

श्री अध्यक्ष : पहले तो आप शाकाहारी और मांसाहारी का विवेचन कर दीजिये।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय,

(श्री भगराज चौधरी)

दस श्रेणी के वन्य जीव प्राणी इस वन क्षेत्र में पाये जाते हैं जिनमें से बघेरा, भेड़िया और जरक तो मेरे खयाल में मांसाहारी हैं ... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : खयाल से नहीं।

श्री भगराज चौधरी : कह रहा हूं न मैं। मांसाहारी तो कह रहा हूं न। बघेरा, भेड़िया और जरक मांसाहारी हैं और शेष सात प्रजाति के जो वन्य प्राणी पाये जाते हैं वे शाकाहारी हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपकी लिस्ट में खरगोश को मांसाहारी बताया है। क्या मांसाहारी होता है ? यह लिस्ट में बताया है मांसाहारी। माननीय मंत्रीजी, इस लिस्ट के अन्दर खरगोश को भी मांसाहारी बताया गया है, मांसाहारी होता है क्या खरगोश ? यह आप जरूर देखें क्या खरगोश मांसाहारी होता हैं

श्री रतनाराम चौधरी : खरगोश मांस नहीं खाता है, घास खाता है।

श्री भगराज चौधरी : खरगोश मांसाहारी नहीं होता है, खरगोश शाकाहारी होता है और घास खाता है। खरगोश हरी घास खाता है और शायद आपको जानकारी नहीं है, वह शाकाहारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामस्वरूपजी शाकाहारी हैं या मांसाहारी, मंत्री महोदय, यह भी बताने का कष्ट करें।

श्री भगराज चौधरी : हां, यह हो सकता है, खरगोश को खाने वाले मांसाहारी हो सकते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी क्वेश्चन का जवाब दिला दें। मेरा प्रश्न बहुत वाइड पर्सपैक्टिव का है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि इनके सामने कोई लिस्ट नहीं है कि कौनसे जानवर मारे गये। सवाल यह था कि क्या कम्पनसेशन की व्यवस्था है। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगा कि यदि कोई जंगली जानवर शहर में या गांव में घुसकर किसी आदमी को मार देता है, किसी पशु को मार देता है तो उसको कोई भी रकम मुआवजे के रूप में या अनुदान के रूप में, कैसे भी देने की आपके विभाग में व्यवस्था है क्या ?

श्री भगराज चौधरी : हां, सब है। ऐसी स्थिति जब कभी उत्पन हो जाती है या होना पायी जाती है तो जिला कलेक्टर्स को मुख्य मंत्री राहत कोष से किसी व्यक्ति को इस प्रकार के वन्य प्राणियों द्वारा मारे जाने की स्थिति में सहायता उपलब्ध कराये जाने के अधिकार दिये हुए हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री जी, उन दो के नाम बताएं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धिचन्द जैन ।

जिला प्रमुखों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

465. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए जिला परिषद् को अधिकार प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो क्या–क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने जिला परिषद् के प्रमुख को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष बनाकर वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र पैटर्न पर पंचायती राज को और अधिकार देकर सुदृढ़ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी हां। जिला परिषदों के कृत्य ओर शक्तियां राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 52 तथा तृतीय अनुसूची में वर्णित हैं जो संलग्न है।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय परिषद् में सब अधिकार निहित हैं। कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का उपयोग शासकीय परिषद् द्वारा दिये गये निर्णयों एवं अनुमोदित मार्गदर्शी निर्देश/सिद्धान्तों के तहत किया जाता है।

(3) राजस्थान में पंचायती राज को अधिकार देकर सुदृढ़ करना एक सतत् प्रक्रिया है जो जारी है।

(अनुसूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान सरकार ने डी. आर. डी. ए. यानि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिला परिषद् प्रमुख को मुकर्रर तो कर दिया परन्तु उन्हें क्या वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये हैं ?

दूसरा, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों को बलशाली बनाने के लिए प्राइमरी शिक्षा के अलावा और कौनसे विभाग उनको वितरित किये जाने का आप विचार रखते हैं ?

क्या राज्य सरकार प्रमुख, जिला परिषद् को राज्य मंत्री, प्रधान को उप मंत्री का पद देकर पंचायती राज को सुदृढ़ करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रथम जो सप्लीमैंटरी माननीय सदस्य ने पूछी उसके संबंध में उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार कार्यपालिका निदेशक में निहित होंगे परन्तु कार्यपालिका निदेशक निहित अधिकारों का उपयोग शासकीय परिषद् द्वारा दिये गये निर्णयों एवं अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के

(श्री सी. पी. जोशी)

तहत करेगा।

नम्बर दो, विभिन्न प्रकार के कार्यो, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा। इस प्रकार की स्वीकृतियां शासकीय परिषद् द्वारा अनुमोदित सामान्य मार्गदर्शी नीतियों के तहत दी जाएगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके सारे अधिकार जो हमने चेयरमैन को दिये हैं, उसको इस गाइड लाइन के अंतर्गत काम करना है, इसलिए ये अधिकार दे दिये गये हैं। उसके बाद में मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, जहां तक भाग संख्या 2 का सवाल है इसमें शिड्यूल 29 के अंतर्गत हमें जो अधिकार विभिन्न विभागों को देने हैं उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है कि चीफ सैक्रेटरी लेवल पर कमेटी बना दी गयी है जो प्रोसेस कर रही है कि कौनसे विभाग के कितने अधिकार पंचायत समिति को देने हैं, उसकी रिकमंडेशन आने के बाद में राज्य सरकार इस बारे में विचार करेगी। प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ जो इस शिड्यूल 29 में लिखा हुआ है एडल्ट एजुकेशन और कंटीन्यु एजुकेशन, वे भी पंचायती राज को ट्रांसफर कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपलानी जी वे पहले खड़े हुए हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप पूछ रहे हैं क्या ?

श्री वृद्धिचन्द जैन : हां, मैं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, तो पहले वह बोलें। उसके बाद में...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं पूछ रहा हूं या...

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा है कि यह जवाब आया। प्रश्न का जवाब दिया गया।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता को पूछ लेने दें, फिर बाद में।

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक, गुजरात एवं महाराष्ट्र पैटर्न पर पंचायती राज को और अधिकार देकर सुदृढ़ करने का विचार रखते हैं ? आपने जो जवाब दिया है उसके हिसाब से इस प्रकार का कोई पैटर्न अपनाने के लिए आप तैयार नहीं हैं और न जिला परिषद् प्रमुख को राज्य मंत्री का दर्जा देने के लिए, जैसा कि महाराष्ट्र में दिया गया है, गुजरात में दिया गया है और कर्नाटक में दिया गया है। अगर सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उस पैटर्न को अपनाने के लिए आप विचार रखते हैं कि नहीं ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि 1994 में अमैंडमैंट हुआ है, उसके पहले कर्नाटक में पंचायती राज शुरू हो गया था, महाराष्ट्र में

(श्री सी. पी. जोशी)

शुरू हो गया था। कांस्टीट्यूशन में जो प्रोविजन किये गये हैं उनके अंतर्गत हमें व्यवस्था करनी है, इसलिए न हमारे लिए रैफरेंस महाराष्ट्र है, न हमारे लिए रेफरैंस कर्नाटक है। कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसमें राजस्थान अपना खुद का पैटर्न बनाएगा इसलिए हमें किसी के रेफरेंस से गाइड होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीचन्द कृपलानी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ कर्नाटक का अब तक का जो एक्सपीरिएंस रहा है...

श्री अध्यक्ष : कृपलानी जी। नहीं, वे पहले खड़े हुए हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कर्नाटक का जो एक्सपीरिएंस रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में हर वक्त ही क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। माननीय सदस्य खड़े हैं काफी देर से।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जिला प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बना दिया। पहले डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन कलेक्टर था, अब जिला प्रमुख को बनाया। नम्बर एक, उसके अधिकारों में कोई फर्क है कि नहीं है? नम्बर दो, जैसा कि आपने बताया, आपने ज़िला प्रमुख को प्रशासनिक अधिकार दे रखे हैं, जिला प्रमुख यदि ग्रेवल सड़क की या हैण्ड पम्प की स्वीकृति देगा तो उसकी वित्तीय स्वीकृति हाथों–हाथ निकलती है या नहीं निकलती है? क्या जिला प्रमुख को सात दिन ही गाड़ी चलाने का अधिकार है जबकि डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन जो पहले था वह एक महीने तक गाड़ी का उपयोग करता था? कर्मचारी जो जिला परिषद् से संबंधित पंचायत समितियों में काम करते हैं, उनके ट्रांसफर करने का अधिकार जिला प्रमुख को है कि नहीं है या डी. ई. सी. को है? इन चारों प्रश्नों का जवाब मुझे दें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, साथ ही में है। कर्नाटक का जो एक्सपीरिएंस रहा है, आप जाकर स्टडी करें तो वे वापस लेना चाह रहे हैं। सब एम. एल. एज. ने भी उसका विरोध किया है, एक्सपीरिएंस बहुत खराब रहा है। उसके बारे में भी आप कुछ जानकारी हाउस को दे दें।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके दो भाग है। एक तो डी. आर. डी. ए. के चेयरमैन के अन्तर्गत जो प्रमुख को अधिकार दिये हैं वह और दूसरा जिला परिषद् के संबंध में पूछा है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार जिला परिषद् का एम्पावरमैंट करना चाहती है, इसलिए डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन

(श्री सी. पी. जोशी)

जिला प्रमुख को बनाया है। उसके अन्तर्गत, माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायती राज लॉज का जो सैक्शन 35 है इसमें Powers, Functions and duties of Pramukh and Up-Pramukh. लिख रखा है। उसके अन्तर्गत हम पी. डी. कम सी. ई. ओ. की पोस्ट को क्रीएट कर रहे हैं व पोस्ट क्रीएट करने के बाद जिला प्रमुख को जितने अधिकार इस एक्ट में लिखे हुए हैं, मैं समझता हूं उतने अधिकार तो माननीय सदस्य जो निम्बाहेड़ा के प्रमुख रहे हैं, उनकी कल्पना के बाहर के अधिकार हैं वे अधिकार इसके बाद मिल जाएंगे। इसके लिए मुझे इस संबंध में कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं आया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दोनों सवालों का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आ गया है, जवाब आ गया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, एक ही जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उन्होंने दे दिया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : यह आयोजना समिति जो आपने बना रखी है, इस आयोजना समिति में भी कोई अधिकार है कि नहीं जिला प्रमुख को, चेयरमैन की।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यक्ष महोदय, जिला प्रमुख को सात दिन गाड़ी चलाने का अधिकार है। जिला प्रमुख पूरे जिले का जिला प्रमुख होता है।

श्री अध्यक्ष : एक सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति थी, आपने पूछ लिया फिर आप खड़े हो रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : उसका जवाब नहीं दिया।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिला परिषद् के प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है, अध्यक्ष बना दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं, बीच में बात नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सही है कि आपके सरकारी इंस्ट्रक्शन के आधार पर एक गवर्निंग कौसिंल में जो अधिकार पहले डी. आर. डी. ए. के चेयरमैन को थे, वे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कलेक्टर होता है, उसको ट्रांसफर करवा दिये और तदनुसार आपके जिला प्रमुख की पहले जो हैसियत थी वह की वह स्थिति उसकी डी. आर. डी. ए. में नहीं हो गयी ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस के मैनिफैस्टो को आधार मानकर हम कार्य कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डी. आर. डी. ए. को समाप्त किया जाएगा और जिला परिषद् को एम्पावर किया जाएगा। मैने यहां पंचायती राज की डिमाण्ड में भी कहा है कि इस प्रोसेस में हम बहुत सिस्टमैटिक, सोच–समझ करके क़दम उठा रहे हैं इसलिए हेस्ट में नहीं कर रहे हैं। उस डायरेक्शन में अभी पहला कदम है कि जिला प्रमुख को हमने डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बनाया है। हमने सारे स्टेट की स्कीम को ट्रांसफर किया है जिला परिषद् को आने वाले समय में, जब तक भारतीय जनता पार्टी के समय में चुने हुए जिला प्रमुख अपने आपकी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तब तक हम धीरे–धीरे अधिकार देकर जब नए चुनाव होंगे तब तक...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब 'नहीं आया जो कर्नाटक का एक्सपीरिएंस है उसका।

श्री अध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आपने जोर–शोर से कहा था कि डी. आर. डी. ए. का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनाया जा रहा है, आपने बनवा दिया। एक इन्सट्रक्शन जारी किया। हम कमेटी के मैम्बर थे, हमने सपोर्ट कर दिया इसलिए अध्यक्ष तो वे बन गये। लेकिन आपने सारे के सारे पावर कलेक्टर को वापस ट्रांसफर करा दिए कार्यकारी निदेशक के हिसाब से, तो यह फालतू का अध्यक्ष बनाकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं ? किस प्रकार के उद्देश्य की आपने पूर्ति की ? केवल यह कहकर कि हमने हमारे मैनिफैस्टो में था इसलिए यह कर दिया, वह कर दिया, आखिर आपने जनता के साथ धोखा किया। अब जिला प्रमुख को कोई अधिकार ग्रामीण विकास अभिकरण के किसी भी निर्णय के सम्बन्ध में नहीं है माननीय मंत्री महोदय, केवल इस प्रकार के निर्णय लेने से कोई मतलब नहीं, आप इसका औचित्य बताइए। आप औचित्य बताइए कि आपने जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाया तो जिला प्रमुख की हैसियत आज क्या है वहां पर ग्रामीण विकास अभिकरण में ?

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : थे तो बैठ जाओ।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माननीय सदस्य हैं वे कारपोरेट सैक्टर, कम्पनी के रूल रैगुलेशंन को ठीक ढंग से जानते होंगे। एक कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर अपनी नीतियां बनाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को होता है, ठीक उसी प्रकार डी. आर. डी. ए. के जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी गाइड लाइन के अन्दर, उनकी शासकीय परिषद् के अन्दर जो निर्णय होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने के पावर हमने कलेक्टर को दिए हैं। अभी तक मुझे समझ में

(श्री सी. पी. जोशी)

नहीं आता कि अपने पूरे राज में कलेक्टर को एम्पावर करके अनटाइड फण्ड का पैसा उपयोग किया, आपकी मानसिकता होगी तो भी हम यह मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर... (व्यवधान) हमारा फैसला है कि उसकी एग्जीक्यूटिव का काम करेगा और कोई काम करने का अधिकार नहीं है।

श्री सांवर लाल : अभी क्या ऐसे अधिकार दे दिए, बताइए न, मंत्री महोदय ? आपने कौनसा अधिकार जिला प्रमुख को दिया डी. आर. डी. ए. में, यह तो बताइए ?

श्री सी. पी. जोशी : कौनसा अधिकार नहीं दिया है ? ये सब अधिकार दिए हैं। उसमें लिखा हुआ है, कौनसा अधिकार नहीं दिया हमने। हमने कलेक्टर को मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी कम्पनी के बारे में नहीं जानते, कम्पनी का जो प्रेसीडेंट है...

एक माननीय सदस्य : बेईमानी करने का अधिकार नहीं दिया, वरना सभी अधिकार दे दिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कम्पनी एक्ट क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। आसन पैरों पर, आप बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हर बात की नुक्ताचीनी बी. जे. पी. के शासन में निकालने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण को समझाइए कि अपना आचरण ठीक करें, हर बात के लिए बी. जे. पी. को उलाहना देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, अपना भी व्यवहार ठीक रखिए। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सही नहीं कह रहे हैं। कारपोरेट सैक्टर की अगर बात करते हैं तो उस लिहाज से मैनेजिंग डाइरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर की पावर वेस्ट करते हैं कलेक्टर के अंदर। यह सिम्पली प्रिसाइड ओवर करने के लिए आपने कलेक्टर को बनाया है। आप यह बताने का कष्ट करें, एक सवाल है सिर्फ इतना, लम्बी–चौड़ी बहस की जरूरत नहीं है, कि आपने एग्जीक्यूटिव पावर क्या दिए हैं जिला परिषद् के प्रमुख को, प्रिसाइड ओवर करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं ?

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी, अब तक की आपकी जो परफोरमेंस रही है, बहुत बढ़िया रही है। आज आप सदन को गुमराह करने के लिए खुद कटघरे में खड़े हैं। क्या यह सही है कि आपने जो परिपत्र भेजा, उसमें लिखा है कि गवर्निंग कौंसिल के अध्यक्ष पद पर जिला प्रमुख होगा, लेकिन नीचे लिखा है कि कलेक्टर जो पहले गवर्निंग कौंसिल का चेयरमैन था, उनमें सब वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार कलेक्टर को एज एन एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर होंगे। आपने उस परिपत्र में लिखा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

है कि कलेक्टर जो पहले गवर्निंग कौंसिल का चेयरमैन था, वे सब अधिकार उसको एज एन एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर होंगे और जिला प्रमुख केवल गवर्निंग कौंसिल की चेयर पर सभापतित्व कर सकेंगे। आपने यह लिखा है खुद ने, फिर आप यह जिद क्यों पकड़ रहे हैं ? आप ज्यादा से ज्यादा यह कह सकते हैं कि भविष्य में हम इसमें और सुधार करेंगे। यह परिपत्र तो सब माननीय सदस्यों को गया है। (व्यवधान) नहीं, यह लिखा है उसमें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : ये बैठे हैं बी. जे. पी. के जिला प्रमुख, उनको कण्ट्रोल करने के लिए हमने यह किया है। आगे हम और संशोधन करेंगे जब हमारे होंगे तो।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैं और पूछ रहा हूं कि क्या आप जिला परिषद् के सदस्य को शक्ति दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इसमें दे रहे हैं, जो किताब दिखा रहे हैं उसमें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने पूछ लिया, बिलकुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है। अब आप बैठिए, मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमैण्ट्री पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बाद में। मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूंगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायती राज एक्ट में जो पावर लिख रहे हैं, मैं कोट कर देता हूं क्योंकि मैंने यह कहा है कि डी. आर. डी. ए. को वाइंड अप करके हम जिला परिषद् को एम्पावर करना चाहते हैं इसलिए स्टेट गवर्नमैंट ने न केवल इनको चेयरमैन बनाया बल्कि स्टेट की सारी जितनी भी स्कीम हैं, उन सारी स्कीमों को ट्रांसफर कर दिया जिला परिषद् को। अब जिला परिषद् के साथ में इतने पी. डी. कम सी. ई. ओ. की पोस्ट बनाई है। अब जिला परिषद् के पावर क्या हैं, उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह मैंने नहीं पूछा है।

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी बात तो सुनिए, आपको क्या मालूम है ? आप बात तो सुनिए। आप मेरी बात को सुनेंगे ?

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में क्या करेंगे, यह सदन नहीं जानना चाहता। प्रश्न यह है कि जिला प्रमुख को जो पावर दिए हैं, सक्षम वित्तीय और प्रशासनिक पावर क्या उनके पास हैं ?

श्री अध्यक्ष : वही बात कह रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं नहीं, नो, सर, नो नो।

श्री सी. पी. जोशी : यह बात अलग है।

श्री जगमाल सिंह यादव : ये भविष्य में क्या करेंगे ? आपने परिपत्र दिया है कि जिला प्रमुख को पावर दिया है। आपके परिपत्र जारी करने से क्या जिला प्रमुख को रत्तीभर पावर मिल गए हैं ?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, तीन स्कीमें, अपना गांव अपना काम, ए. जी. ए. में और आर. जी. एस. में पिछली सरकार ने कलेक्टर को खुली छूट देकर एलोकेशन आफ फण्ड चार करोड़ रुपये के अगेंस्ट में प्रत्येक स्कीम में 15–15 करोड़ सेंक्शन करवाये। आज हम ब्लैंकेट पावर यदि कलेक्टर को इस तरह की दे दें तो ? इस पावर को रोकने के लिए हमने यह फैसला किया है कि गवर्निंग कौंसिल के डाइरेक्शन के अन्दर कलेक्टर को काम करना होगा। हमने केवल मात्र यही काम नहीं किया, पिछली सरकार ने कलेक्टर से मनमर्जी करके जिस तरह से डी. आर. डी. ए. का दुरुपयोग किया है, उसको रोकने के लिए हमने पहला कदम उठाया है, आगे कदम उठाकर जिला परिषद् को और एम्पावर करना चाहते हैं।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कम्पनी के अन्दर बोर्ड आफ् डाइरेक्टर्स उसके नियम और कानून बनाते हैं। उस नियम और कानून के अन्दर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को उसको एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें भी गवर्निंग कौंसिल के अन्दर पावर बनाने की जो पावर है, जिसके चेयरमैन प्रमुख होंगे, वे जो नियम और कानून बनाएंगे उसके अन्तर्गत कलेक्टर को काम करना होगा। पहले वाली सरकार की तरह मनमानी नहीं करनी है इसलिए हमने यह नियम बनाकर काम किया है अगले छह महीने में उनको एम्पावर करके हम तो पूरा विदड्रा कर रहे थे, कहां आपको इसमें तकलीफ आ रही है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स पालिसी बनाते हैं और चेयरमैन प्रिसाइड ओवर करता है। चेयरमैन पालिसी नहीं बनाता है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर बनाता है। डी. आर. डी. ए. में तो हम भी बैठेंगे पर हम पालिसी बनाएंगे ?

श्री सी. पी. जोशी : इसमें भी कलेक्टर कुछ नहीं करेगा। इसमें भी कलेक्टर को केवल एग्जीक्यूट करना है, कुछ काम नहीं करना है कलेक्टर को। जिला परिषद् की गवर्निंग कौंसिल जो फैसला करेगी, उसको एग्जीक्यूट करना है, दूसरा काम नहीं करना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल ठीक है जो आप कर रहे है, सही कर रहे है। लेकिन आप यह मत कहिए...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी, आपने यह कहा है, कलेक्टर को कमजोर बनाने की बात कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है। बिना कलेक्टर के, बिना आई. ए. एस. के आपने पावर जिन एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर के दिए है, मैं नाराज नहीं हूं, लेकिन आपके जिला प्रमुख पैसा नहीं ला सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जिला प्रमुख को डी. आर. डी. ए. का चेयरमैन बनाया, उसका पंचायती राज एक्ट से कोई लेना–देना नहीं है। डी. आर. डी. ए. के रूल्स हैं, जो उनका संविधान है, आपने उसको चेंज करके बनाया है। उसमें आपने व्यवस्था की है, कलेक्टर को पहले से ही ज्यादा पावरफुल बनाया हैं। इसमें दो सवाल हैं। मेन सवाल यह है कि आपने उसमें यह व्यवस्था की है कि कलेक्टर डी. आर. डी. ए. के किसी भी डिसीजन को माने नहीं माने, उसकी मर्जी पर है, अगर वह नहीं माने तो वह डिसीजन गवर्नमैंट को भेजेगा। यह उसमें पहले नहीं था। दूसरा उसमें यह है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें प्रमुख को रखा ही नहीं है। वही चेयरमैन है और एग्जीक्यूटिव पावर सारे एग्जीक्यूटिव डाइरेक्टर को है इसलिए आपने उसको कुछ भी नहीं दिया, यह फालतू की आपने घोषणा की है।(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता है...

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, बार–बार खड़े हो रहे हैं। आप बैठिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, डी. आर. डी. ए. में इम्पोर्टेंट बाडी है, गवर्निंग कौंसिल और कार्यकारिणी। जैसा बुरड़क साहब ने कहा, दोनों में गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड करेगा प्रमुख लेकिन कार्यकारिणी जिसमें सब अधिकार निहित है, उसका चेयरमैन कलेक्टर को आपने वैसे का वैसा रखा है। इसलिए दोनों में से कौनसा सुपरसीड करता है, यह हमारे समझ में नही आया। कार्यकारिणी मुख्य है लेकिन कार्यकारिणी में आपने प्रमुख को कहीं रखा ही नहीं है। कार्यकारिणी का चेयरमैन भी प्रमुख को रखने में क्या दिक्कत है, यह जानना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तरफ कह रहे हैं कि कलेक्टर को एम्पावर कर रहे हैं जबकि हमने कलेक्टर के अन्तर्गत जितनी स्कीम थीं स्टेट स्पोंसर्ड स्कीमें, वे सारी स्कीमें उनके हाथ से निकाल कर जिला प्रमुख के अण्डर में दी हैं, यह आपको एम्पावरमैंट नहीं नजर आ रहा ? (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिए, मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, अभी तक कलेक्टर 32 जिला 32 काम...(व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव (मण्डावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि डी. आर. डी. ए. को आप देना नहीं चाहते, जिला प्रमुख को जो बेगार की स्कीम थी वे दी हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अधिकारों के नाम पर धोखा हो रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : अपना गांव अपना काम, ये जो पूरी की पूरी स्कीमें हैं, जिनमें लगभग 30-40 करोड़ रुपये होते थे, ये कलेक्टर अपनी मनमर्जी से खर्च कर रहे थे। यह पूरी स्कीम हमने विथड्रा करके जिला परिषद् को एम्पावर किया। इससे कलेक्टर पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ, यह समझ में नहीं आया, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(12.00 बजे)

नम्बर दो, आप कह रहे हैं कार्यकारिणी, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, पहले हमने इनके सब पावर विथड्रा किये। दूसरा, हमने एक्जीक्यूटिव के पावर उसको इसलिए दिए कि पिछली सरकार ने गलती कर दी जिसके कारण से इतना एक्सेस आफ पेमेन्ट लोगों का हो गया या पेमेन्ट नहीं हो पाया या काम नहीं हो सका। इसलिए हम डी. आर. डी. ए. को वाइंड अप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कल्याण सिंह ने डी. आर. डी. ए. को विथड्रा कर लिया और आप खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। (व्यवधान) लेकिन भारत सरकार ने इस तरह का...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इसका चेयरमैन आपने जिला प्रमुख को बना रखा है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इस तरह का फण्डिंग पैटर्न अपनाया है उसमें डी. आर. डी. ए. की कोई रेलेवेंस नहीं है। डी. आर. डी. ए. को वाइंड अप कर रहे हैं। वाइंड अप करने का तरीका है, उसी में स्टैप बाई स्टैप बढ़कर हम जिला परिषद् का एम्पावरमैंट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : डी. आर. डी. ए. को आप वाइंड अप कैसे कराएंगे वह एक सोसाइटी है, डी. आर. डी. ए. एक सोसाइटी है ? तो आप कोई अमैण्डमैंट करने जा रहे हैं क्या ?

श्री सी. पी. जोशी : डी. आर. डी. ए. सोसाइटी है और डी. आर. डी. ए. की सोसाइटी को वाइंड अप करने के लिए सबसे पहले डी. आर. डी. ए. की फंक्शनिंग को वीक करने के लिए हमने यह स्टैप उठाया है। इसलिए सारी स्टेट स्कीम्स को बाहर निकाला कलेक्टर के अंदर से। फिर डी. आर. डी. ए. की एक्जीक्यूटिव के जो पावर थे, कलेक्टर अपनी मनमानी कर कभी बिना पूछे गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग करता था, अब गवर्निंग कौंसिल के अन्दर काम करना पड़ेगा, यह राइडर हमने इम्पोज किया है। अगले चार महीनों में कलेक्टर से सारे पावर विथड्रा कर रहे हैं, वे सारे पावर इलैक्टेड रिप्रजैंटेटिव्ज को दे रहे हैं।

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय एक छोटा सा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अधिकारियों से वसूली

592. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में विभाग के विरुद्ध मामले चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसमें अधिकतर मामले कर्मचारियों की सेवाओं के सम्बन्ध में हैं ? यदि हां, तो कौन–कौन से कब–कब से ?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में उच्च न्यायालय में अधिकतर मामलों में सरकार के विरुद्ध निर्णय हुए हैं और उनमें सरकार को काफी बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा है ? यदि हां तो किन अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ ? क्या उक्त अधिकारियों से कोई वसूली की गई ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि कई मामलों में कोर्ट ने भी अधिकारियों से वसूली का निर्देश दिया है ?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों में माह फरवरी, 1999 तक कुल 935 प्रकरण चल रहे हैं। न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण श्रम विवाद, खनन, ठेका, वन सुरक्षा एवं लोक सेवकों की सेवा से सम्बन्धित है।

(2) उक्त विचाराधीन 935 प्रकरणों में से 256 प्रकरण सेवा से सम्बन्धित हैं। सेवा सम्बन्धी 256 प्रकरणों में से 33 प्रकरण एक वर्ष की अवधि के, 90 प्रकरण दो वर्ष की अवधि के तथा अवशेष 133 प्रकरण दो वर्ष से अधिक की अवधि के हैं।

(3) गत तीन वर्षों में सेवा संबंधी कुल 16 प्रकरण निर्णित हुए हैं। इन निर्णित 16 प्रकरणों में से 14 प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा केवल प्रशासनिक दृष्टि से पाई गई कमियों की पूर्ति कर पालना हेतु निर्देशित किया गया है। मात्र दो प्रकरणों में निर्णय की पालना में सम्बन्धित याचिकाकर्ताओं को राशि भुगतान किये जाने सम्बन्धी निर्णय हुए हैं।

1. रिट संख्या 745/96, छत्तोलाल बनाम सरकार में दिये गये निर्णय की पालना में 13,648/– रुपये का भुगतान किया गया है तथा शेष राशि 3,585/– रुपये का भुगतान करने की स्वीकृति राज्य सरकार से चाही गई है जो मिलने पर किया जायेगा। जिन अधिकारियों की प्रथम दृष्टया गलती पाई गई है उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही जारी है।

2. रिट संख्या 5935/93 में श्री बाबूलाल जैन बनाम सरकार में श्री जैन को 2,000/– रुपये कास्ट का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वसूली की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

वन क्षेत्र चूरू में पेड़ों की अवैध कटाई

593. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)** : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चूरू वन विभाग की जमीन पर 200 पेड़ों को काटकर क्रिकेट का खेल मैदान बना रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रकरण में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वन विभाग की भूमि में से लूम, पाला व झाड़ियों के ठेके के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) वन विभाग की भूमि में पशुओं की चराई के नाम पर कब–कब क्षेत्र चराई हेतु खोला जाता है तथा कितना शुल्क प्रति पशु लिया जाता है ? वर्ष 1998–99 में कितनी राशि इस पेटे वसूल की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) डाबला वन बीड़ 418 सी वर्ष 1998–99 में प्लान्टेशन (पौधे लगाने) के नाम पर कितनी राशि आवंटित की गई व कितने पौधे लगाये गये और उनमें से कितने पौधे जीवित हैं ? पौधों की गणना कब–कब की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि डाबला बीड़ मरदाना में दो सार्वजनिक कुण्ड बनी हुई हैं, यह कब बनी तथा वर्तमान में क्या इनका उपयोग पानी पीने हेतु किया जाता है तथा उक्त कुण्डों की वर्तमान में क्या हालत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। चूरू में वन भूमि से 200 पेड़ों को काटकर क्रिकेट खेल का मैदान नहीं बनाया गया है।

(2) जी नहीं। वन विभाग भूमि से लघु वन उपज एकत्रीकरण के ठेकों के अन्तर्गत लूम एवं पाला प्राप्ति हेतु छोटी टहनियों की छंगाई की गई है। वृक्षों का कटान नहीं किया गया है।

(3) वन भूमि को पशुओं की चराई हेतु प्रति वर्ष माह सितम्बर से माह मार्च के मध्य खोला जाता है। चूरू जिले में प्रति पशु निम्नानुसार चराई शुल्क लिया जाता है :–

किस्म पशु	प्रति पशु दर
गाय	4/– रुपये
भैस	6/– रुपये
भेड़, बकरी	2.50/– रुपये

वर्ष 1998–99 में चूरू वन मंडल में 22,880/– रुपये की आय हुई है। रेंजवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) डाबला वन बीड़ 418 सी के लिये वर्ष 1998–99 में वृक्षारोपण हेतु कोई राशि स्वीकृत न होने से वृक्षारोपण का कार्य नहीं कराया

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

गया है।

(5) डाबला बीड़ वन क्षेत्र में दो कुण्ड बने हुए हैं वे 25–30 वर्ष पुराने हैं। इनका पानी मनुष्यों के पीने हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। वर्तमान में कुण्डों का पायतन टूटा हुआ है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला सीकर के दोषमुक्त अधिकारियों की बहाली

594. श्री अमराराम (धोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992–93 व 1993–94 में जिला सीकर में कृषि विभाग द्वारा नकद राशि पर फव्वारा संयंत्र अनुदान में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच करवाई गई है ?

(2) उक्त संबंध में दोषी पाये गये कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को कब–कब निलम्बित किया गया ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संबंध में सरकार द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो चुकी है ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में किस–किस अधिकारी/कर्मचारी को दोषमुक्त करार दिया है ? दोषमुक्त अधिकारी/कर्मचारी को अब तक बहाल क्यों नहीं किया गया ? अब सरकार इनको कब तक बहाल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच करवाई गई है।

(2) प्रकरण में निम्न अधिकारी/कर्मचारी को निलिम्बत किया गया :–

क्र. सं.	नाम/पद	आदेश संख्या व क्रमांक	निलम्बन दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री डी.पी.कुलश्रेष्ठ सहायक निदेशक कृषि	प–2(13) ग्रुप 1/93दि. 21/9/94	21/9/94
2.	श्री के.बी.सक्सैना सहायक निदेशक	प–1/206 /का/क–3 /93	14/9/93
3.	श्री जगदीश सिंह कृषि अधिकारी	निदेशालय के आदेश सं.2237–49 दि. 4/8/94	4/8/94
4.	श्री दिलीप सिंह कृषि अधिकारी	" "	4/8/94
5.	श्री परमेश्वर स्वरूप सक्सैना कृषि अधिकारी	" "	4/8/94
6.	श्री विजेन्द्रकुमार स.कृ.अ.	" "	4/8/94

(कृषि मंत्री)

1	2	3	4
7.	श्री नानगराम सैनी स.कृ.अ.	निकृ/आ./ 1915–21 दि.4/8/93	4/8/93
8.	श्री शीशराम कृ.प.	" "	" "
9.	श्री गम्भीर सिंह कृ.प.	" "	" "
10.	श्री हरफूल मेहरा स.कृ.अ.	" "	" "
11.	श्री महावीर सिंह उप निदेशक कृषि	प–1/206 का/क/–3/93दि. 14/9/93	14/9/93

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की जा कर प्रकरण की जांच करवाई गई। जांच पूर्ण हो चुकी है, जांच रिपोर्ट कार्मिक विभाग में उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट में निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को दोषी माना गया है :–

1. श्री महावीर सिंह उप निदेशक कृषि,
2. श्री नानगराम सैनी, सहायक कृषि अधिकारी

जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में निम्न अधिकारी/कर्मचारियों को दोषमुक्त बतलाया है :–

1. श्री डी. पी. कुलश्रेष्ठ, सहायक निदेशक कृषि
2. श्री गजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक
3. श्री जगदीश सिंह, कृषि अधिकारी
4. श्री प्रतापनारायण सिंह, सहायक कृषि अधिकारी
5. श्री दिलीप सिंह, कृषि अधिकारी
6. श्री विजेन्द्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी
7. श्री हरिसिंह, सहायक कृषि अधिकारी
8. श्री के. वी. सक्सैना, सहायक निदेशक कृषि
9. श्री शीशराम, कृषि पर्यवेक्षक
10. श्री गंभीर सिंह, कृषि पर्यवेक्षक
11. श्री मोटूराम, सहायक कृषि अधिकारी
12. श्री हरफूल, सहायक कृषि अधिकारी
13. श्री शिवचन्द सिंह, सहायक कृषि अधिकारी
14. श्री श्यामलाल, सहायक कृषि अधिकारी

प्रकरण में लिप्त निम्न अधिकारियों/ कर्मचारियों को बहाल किया जा चुका है:–

1. श्री परमेश्वर स्वरूप सक्सैना, कृषि अधिकारी को न्यायालय के निर्णय की पालना में दोषमुक्त कर दिया गया है व प्रकरण को समाप्त किया जा चुका है। श्री सक्सैना सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

(कृषि मंत्री)

2. श्री शिवचन्द सिंह, सहायक कृषि अधिकारी को भी न्यायालय के निर्णय की पालना में दोषमुक्त कर जांच प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। श्री शिवचन्द सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

3. श्री महावीर सिंह, उप निदेशक कृषि की मृत्यु दिनांक 18/8/98 को हो जाने पर उनका भी प्रकरण समाप्त कर राज्य सरकार के स्तर से समाप्त कर दिया गया है।

4. श्री प्रताप नारायण, सहायक कृषि अधिकारी का भी देहान्त दिनांक 11/9/98 को हो जाने के कारण जांच प्रकरण समाप्त कर प्रकरण राज्य सरकार के स्तर से समाप्त कर दिया गया है।

जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट का अध्ययन कार्मिक/क–3/ विभाग द्वारा किया जाकर अधिकारी/कर्मचारी को दोषी मानते हुए उन्हें जांच रिपोर्ट एवं कार्मिक/क–3/ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट भिजवाते हुए अपना स्पष्टीकरण सीधे ही राज्य सरकार को प्रेषित किए जाने हेतु लिखा गया है।

बहाल किए गए/प्रकरण समाप्त किए गए अधिकारी/कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य किसी निलम्बित अधिकारी/कर्मचारी को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। प्रकरण सी.सी. ए. नियम 16/18 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्तर पर ही विचाराधीन है।

श्री गजेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक के लिए विभागीय स्तर पर कार्यवाही अलग से विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

595. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा कहां–कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कहां–कहां कितने समय से कितने–कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त रिक्त पद कब तक भर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में 19 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची संलग्न है।

(2) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला पाली के उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण

596. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

(1) वर्ष 1998–99 में सरकार द्वारा पाली जिले में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र किन–किन स्थानों पर खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो नियुक्त कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998–99 में पाली जिले में 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र नये स्वीकृत किये गये एवं 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र दोहरी चिकित्सा संस्थानों से स्थानान्तरित किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1998–99 में खोले गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्थानान्तरित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के पदों का विवरण प्रश्न के भाग एक की सूची में दर्शाया गया है।

(3) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षो में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने के साथ–साथ उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण करवाये जाने पर भी विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

सेटेलाइट चिकित्सालय, जयपुर के टैक्नीशियन का स्पष्टीकरण

597. **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि किसी भी चिकित्सालय के दंत अनुभाग में उपकरण उपलब्ध होते हुए भी कोई चिकित्सक वैसा ही उपकरण चिकित्सालय में अपने निवास से ला सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है सेटेलाइट अस्पताल, बनीपार्क, जयपुर में इस प्रकार की कोई घटना हुई है तथा वहां के टैक्नीशियन को स्पष्टीकरण देकर उसका वेतन काटने का नोटिस दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। सेटेलाइट चिकित्सालय, बनीपार्क में उपकरण के गुम हो जाने पर कमेटी का गठन कर जांच करवाई गई जिसके निर्णयानुसार दंत तकनीशियन के चार्ज में रहते हुए गुम होने के कारण उक्त उपकरण की लागत राशि वसूल की गई।

पोस्टमार्टम में काम आने वाले खाकी पेपर

598. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

क्या यह सही है कि पोस्टमार्टम में आने वाले खाकी पेपर घटिया किस्म के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटिया खाकी पेपर के बदले में सफेद बढ़िया पेपर का प्रयोग करायेगी ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

जी नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिये काम में आने वाले पेपर राजकीय मुद्रणालय द्वारा विभाग को उपलब्ध करवाये जाते हैं जो कि सामान्यतया सही किस्म का पेपर होता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

कोटा में ट्रोमा यूनिट की स्थापना

599. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार कोटा में पृथक से ट्रोमा यूनिट खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या इसी वित्तीय वर्ष से इसकी स्थापना कर दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। सामान्यता सभी चोटग्रस्त रोगियों को उपचार सेवाएं मेडिकल कालेज, कोटा के सम्बद्ध चिकित्सालय में उपलब्ध करवाई जाती हैं।

ग्लूकोज एवं फिनाइल क्रय में अनियमितताएं

600. **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लि. एवं बंगाल केमिकल्स एवं फार्मास्युटिकल्स लि. द्वारा ग्लूकोज की बोतलें एवं फिनाइल की बोतलें/ड्रम वर्ष 1996 से अब तक बाजार में प्रचलित मूल्य से अधिक दर पर क्रय की हैं ?

(2) गत चार वर्षों में उक्त कारण सरकार को कितना अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना पड़ा ?

(3) क्या उक्त संबंध में जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही अमल में लायी गई ?

(4) क्या यह सही है कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में कर्नाटक एंटीबायोटिक लि. से अधिक भुगतान की राशि राज कोष में वापस जमा करवाई गई ? क्या उक्त दोनों कंपनियों से भी अधिक भुगतान की राशि वसूली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की क्रय नीति के अनुसरण में ग्लूकोज की बोतलें एवं फिनाइल की बोतलें/ड्रम बाजार में प्रचलित मूल्य से कम दर पर ली गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्र लि. एवं मैसर्स बंगाल केमिकल्स द्वारा निविदा में

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

अनुमोदित दर से कम दर पर आई. वी. फ्लूड्स एवं फिनाइल की सप्लाई देने में फाल–क्लाज के उल्लंघन की कोई शिकायत वर्तमान में विभाग के पास नहीं है। अतः वसूली का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सभी श्रेणी के चिकित्सालयों में पागल कुत्ते के काटने के इन्जेक्शन

601. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार पागल कुत्ते के काटने पर चिकित्सालयों पर निःशुल्क इन्जेक्शन उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो उक्त निःशुल्क इन्जेक्शन किस–किस स्तर के चिकित्सालयों में उपलब्ध होते हैं ? क्या सरकार उक्त निःशुल्क इन्जेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालय/सामुदायिक चिकित्सालय/स्वास्थ्य एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रोगियों के कितने–कितने इन्जेक्शन कितने दिनों तक लगाये जाते हैं ? क्या सरकार इसके बदले शुल्क भी वसूलती है ? यदि हां, तो कितना–कितना ?

(3) क्या सरकार कुत्तों के लिए कोई ऐसा टीका तैयार करने का विचार कर रही है जिससे कुत्ता काटने पर किसी भी प्रकार की क्षति मनुष्यों/जानवरों में नहीं हो ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। मेडिकल कालेजों के संलग्न चिकित्सालयों में एवं जिलों के एन्टीरेबिक वैक्सीन ट्रीटमेन्ट सैंटरों में पागल कुत्ते के काटने पर निःशुल्क इन्जेक्शन लगाये जाते हैं जिनकी सूची संलग्न है।

एन्टीरेबिक वैक्सीन ट्रीटमेन्ट सैंटरों के अतिरिक्त भी जिन चिकित्सा संस्थानों में रेफ्रिजरेटर की सुविधा उपलब्ध होती है तो वहां के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की मांग पर वेक्सीन जिला चिकित्सालय से उपलब्ध कराई जाती है।

(2) पागल कुत्ते के काटने पर रोगियों को काटे गये शरीर के भाग एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सक की सलाह के अनुसार एन्टीरेबिक की मात्रा एवं अवधि का निर्धारण किया जाता हैं। ऐन्टीरेबिक वैक्सीन ट्रीटमेन्ट सैंटर पर टीके का शुल्क नहीं लिया जाता है।

(3) कुत्तों को लगने वाला एन्टीरेबिक टीका पूर्व में ही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में आरक्षण

602. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) क्या सरकार ने प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दे रखा है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर के आदेश पीवी/8/2/2197/975 दिनांक 29.4.97 में आप्लथलिगक सहायक प्रशिक्षण के चयन में क्या अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमानुसार संशोधित आदेश जारी करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार ने उक्त आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को वर्ष 1994 से आरक्षण दिया जा रहा है। राज्यादेश दिनांक 3.2.99 के द्वारा रेडियोग्राफर के प्रशिक्षण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आगामी प्रशिक्षण से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

(2) जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

(3) जी नहीं।

मेल नर्स प्रथम, राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय, पावटा (जोधपुर)द्वारा अनियमितताएं

603. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि एक मेल नर्स प्रथम, राजकीय सेटेलाइट अस्पताल पावटा, जोधपुर के सरकारी आवास में 20 वर्षों से रह रहा है ?

(2) यदि हां, तो क्या वह इस आवास में रहने की पात्रता रखता है ? क्या उक्त क्वार्टर्स मेल नर्स द्वितीय ईयर मार्क्ड (आरक्षित) हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की है ? उक्त सरकारी आवास अब तक क्यों नहीं खाली करवाया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मी ने आवास में रहने की आज तक किराया कटौती भी नहीं करवाई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त सेटेलाइट आस्पताल में चौबीसों घंटे आपातकालीन सेवाएं चल रही हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मी श्री नरपतसिंह कच्छवाहा ने दूरभाष निर्देशिका में पृष्ठ 21 में अपने नाम के आगे डाक्टर उपाधि का नियम विरुद्ध उपयोग किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त आवास नर्स श्रेणी द्वितीय हेतु आरक्षित किया गया था क्योंकि उस समय सेटेलाइट चिकित्सालय, पावटा, जोधपुर में एक औषधालय कार्य कर रहा था और उसमें नर्स श्रेणी प्रथम का पद स्वीकृत नहीं था इसलिये नर्स श्रेणी द्वितीय हेतु आरक्षित किया गया था। लेकिन वर्तमान में यह मेल नर्स

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

प्रथम को आबंटित है।

(3) जी हां। नर्स श्रेणी द्वितीय के पद पर कार्य करते समय से ही आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के प्रयोजनार्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के आदेश दिनांक 26.12.83 के द्वारा आवास गृह निःशुल्क आबंटित किया गया था जिसकी प्रति संलग्न है। इसी कारणवश कर्मचारी से उक्त आवास के किराये की कटौती नहीं की गयी। यह सही है कि वर्तमान में उक्त सेटेलाइट चिकित्सालय में चौबीस घंटे आपातकालीन सेवाएं चल रही हैं।

(4) जांच के पश्चात् ही सही स्थिति अवगत हो सकेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ग्राम पंचायत मुख्यालय केसरा का सड़क निर्माण प्रकरण

604. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय केसरा (महुआ) को स्टेट हाईवे 22 (नीमली) से जोड़े जाने हेतु सड़क निर्माण कार्य करवाया गया है ? यदि हां तो कितनी दूरी एवं कितनी राशि का ?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में कराए गए कार्य का जीरो पाइंट बदलकर अन्य जगह से कार्य करवाये जाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृति जारी की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत, महुआ मण्डावर सड़क स्टेट हाईवे 22 से केसरा वाया केसरी ग्रेवल सड़क बनाने हेतु दिनांक 17.8.95 को राशि 3.36 लाख रुपये की स्वीकृति के अन्तर्गत 2 किमी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य कर उस पर 1.5 किमी. लम्बाई ग्रेवल सड़क का कार्य करवाया गया है तथा इस कार्य पर 2.35 लाख रुपये खर्च किये गये।

(2) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा द्वारा एक अन्य स्वीकृति दिनांक 31.8.96 को एन. एच.–11 से केसरा वाया केसरी किमी. 3/0 से 6/0 तक ग्रेवल सड़क का निर्माण हेतु राशि 3.93 लाख रुपये की जारी की गई थी जिसको दिनांक 23.2.99 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दौसा द्वारा निम्न प्रकार संशोधित की गई है। "ग्रेवल सड़क निर्माण महुआ मण्डावर रोड से सालमपुर जाने वाली सड़क पर धर्मशाला से शुरू होकर केसरा वाया केसरी" राशि 3.93 लाख रुपये।

जयपुर से नागौर का नया स्टेट हाईवे का निर्माण

605. **श्री हरिशचन्द्र** (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री हरिशचन्द्र)

करेंगे :–

(1) क्या जयपुर से नागौर के लिए नया स्टेट हाईवे स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या उक्त स्टेट हाईवे 2–ए के लिए विश्व बैंक से राशि स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? उक्त हाईवे का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि जिला नागौर के विकास के लिए इस सड़क का निर्माण महत्वपूर्ण योगदान रखता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर से नागौर स्टेट हाईवे संख्या 2 व 2 ए द्वारा पहले से ही जुड़ा हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर की प्रस्तावित सड़कें

606. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में गत 5 वर्षों में नई सड़कों के निर्माण, मरम्मत, डामरीकरण, मिट्टी एवं गिट्टी करने तथा पटाव करने के लिए कितनी–कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसमें से कितनी–कितनी राशि किस–किस सड़क पर व्यय की गई ? वर्तमान में उक्त सड़कों की क्या स्थिति है ?

(2) गत पांच वर्षों में राज्य में सड़कों की मरम्मत के लिए कितनी–कितनी राशि स्वीकृत की गई और उसमें से विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर का हिस्सा क्या रहा ?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन–कौन सी सड़कें प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में गत 5 वर्षों में नई सड़कों के निर्माण के लिये योजना मद में 31 कार्य 586.78 लाख रुपये के रख–रखाव के मद में नवीनीकरण व मरम्मत के लिये 25 कार्य 113.35 लाख रुपये के तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं में मिट्टी गिट्टी व पटाव (सीमेंट कंक्रीट सड़क) के 36 कार्य 141.84 लाख रुपये राशि के स्वीकृत किये गये। उक्त स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध सड़कवार किये गये व्यय का विवरण तथा कार्य की वर्तमान स्थिति क्रमशः परिशिष्ट अ.ब.स. में संलग्न है।

(2) गत पांच वर्षों में राज्य में सड़कों की मरम्मत के लिये स्वीकृत राशि एवं उसमें विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के हिस्से की स्वीकृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	राज्य में सड़क रख–रखाव मद में स्वीकृत राशि (लाखों में)	विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में सड़क रख–रखाव मद में स्वीकृत राशि (लाखों में)
1994–95	11500.00	43.63
1995–96	11459.16	40.41
1996–97	11725.00	65.88
1997–98	11385.20	39.77
1998–99	12648.25	68.86

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) सड़क विकास नीति अनुसार विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में शेष रहे वे सड़कविहीन गांव जिनकी आबादी 1991 की जनगणना पर 1000 से अधिक है एवं शेष सड़क विहीन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डामर सड़क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। सूची परिशिष्ट "द–1" में संलग्न है। इसके अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999– 2000 में योजना मद में 16.800 किमी. लम्बाई में 61.50 लाख लागत के कार्य एवं गैर योजना मद में 5.50 किमी. लम्बाई में 22.00 लाख की लागत के नवीनीकरण के कार्य प्रस्तावित है। विवरण परिशिष्ट "द–2" में संलग्न है।

(विवरण. विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगरपालिका क्षेत्र उनियारा की सड़क सीमा में अतिक्रमण

607. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि टोंक–सवाई माधोपुर सड़क पर उनियारा नगरपालिका की टोंक चुंगी चौकी से लेकर सवाईमाधोपुर चुंगी चौकी तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अतिक्रमणों से इस क्षेत्र में यातायात में कठिनाई व दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है ? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण को क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

(3) क्या उक्त संबंध में सरकार कोई अभियान चलाकर उक्त अतिकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो इस पर अमल कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य उच्च मार्ग हेतु शहरी क्षेत्रों में निर्धारित सड़क सीमा में कब्जेधारियों को जो मुख्यतः अस्थाई रूप के (जैसेकि लकड़ी के खोखे में दुकान, बाड़ा, पत्थर बजरी का व्यवसाय, पट्टी फर्शी इत्यादि) हैं, को नोटिस एक्ट धारा 91 में दिए जा चुके हैं। जिला प्रशासन की सहायता प्राप्त कर इनको निर्धारित सीमा से बाहर करने का प्रयास किया जायेगा।

(2) जी हां, अतिक्रमणकारियों को जिला प्रशासन की मदद प्राप्त कर हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। जिला प्रशासन से कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सहायता प्राप्त कर इनको हटाने का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र कर दिया जायेगा।

पंचायत समिति कार्यालय पीसांगन (अजमेर) में प्रधान द्वारा अग्नि काण्ड

608. **श्री रमजान खान** (पुष्कर) एवं **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि दिनांक 26.6.98 को प्रातः अजमेर जिले की पंचायत समिति पीसांगन के कार्यालय में कैशियर के कमरे में प्रधान द्वारा आग लगा दी गई जिससे प्रधान के यात्रा भत्ता बिल आदि को जला दिया

(श्री रमजान खान)

गया ? क्या उक्त कार्यवाही प्रधान की अनियमितता उजागर न हो, इस कारण की गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। पंचायत समिति, पीसांगन के कार्यालय में कैशियर के कमरे में दिनांक 25.6.98 को आग लगने की घटना हुई। जिसके क्रम में पुलिस थाना पीसांगन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आग लगने की घटना की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर के यहां विचाराधीन है।

सरपंच ग्राम पंचायत निकुम्भ (बड़ी सादड़ी) के विरुद्ध जांच

609. **श्री गुलाब चन्द कटारिया**(बड़ी सादड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या माह नवम्बर, 1998 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ ने सरपंच ग्राम पंचायत निकुम्भ पंचायत समिति बड़ी सादड़ी के विरुद्ध पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 22 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु अवर सचिव (जांच) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को पत्रावली भेजी थी ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(2) क्या जांच को लम्बित कर दोषी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

(3) क्या जिला स्तर पर विभिन्न जांचों में सरपंच को रिकार्ड में हेराफेरी का दोषी पाया गया ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रकरण में आरोपी सरपंच का स्पष्टीकरण लिया गया। स्पष्टीकरण संन्तोषप्रद पाये जाने पर प्रकरण दिनांक 9.4.99 को समाप्त कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। जांच के बाद प्रकरण समाप्त किया जा चुका है।

(3) सरपंच के विरुद्ध जिला स्तर पर एक ही शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के प्राथमिक विद्यालय

610. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1985 से फरवरी 1999 तक कहां–कहां कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में 183

(पंचायती राज मंत्री)

प्राथमिक विद्यालय हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से फरवरी 1999 तक कुल 75 प्राथमिक विद्यालय खोले गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पंचायत समिति कोटपूतली में ग्राम सेवकों के रिक्त पद

611. **श्री रघुवीर सिंह** (कोटपूतली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति कोटपूतली में कुल कितने पद ग्राम सेवकों के हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) अब सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटपूतली में ग्राम सेवकों को कुल 25 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 9 पद रिक्त हैं।

(2) रिक्त पदों पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 23–24 मई 1999 को आयोजित की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के ग्रामों में निजी बसों का संचालन

612. **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनायं के गांवों में कौन–कौनसी निजी बस कहां–कहां से होकर गुजरती है ? उसके परमिट में कौन–कौनसे गांव, मजरे, ढाणियां सम्मिलित हैं ?

(2) क्या परमिट में सम्मिलित सभी गांवों से बसें निर्धारित समय पर चलती है ? यदि हां, तो समय सूची सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों से होकर संचालित निजी बस मार्गो की सूची परिशिष्ट "क" पर है।

(2) उक्त मार्गो को बसों में से एक मार्ग किशनगढ़–सरवाड़ को छोड़ कर शेष सभी बसें परमिट में सम्मिलित गांवो में होकर समय पर संचालित होती है। मार्गो की समय सारणी परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। किशनगढ़–सरवाड़ मार्ग के परमिटधारियों को अपनी बसें निर्धारित मार्ग पर चलाने हेतु पाबन्द कर दिया गया है।

(सूची एवं समयसारणी के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखे)

धौलपुर-बाड़ी से जयपुर बस सेवा

613. **श्री जसवन्त सिंह** (बाड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कुल कितनी बसें किन–किन मार्गो पर किस–किस समय पर संचालित की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर के लिए धौलपुर एवं बाड़ी से कितनी बस सेवाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं ?

(श्री जसवन्त सिंह)

क्या सरकार उप खण्ड बाड़ी व धौलपुर से जयपुर बस सेवा की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

(3) उक्त जिले में वर्ष 1998--99 में वाहनों के अवैध संचालन पर कुल कितनी जुर्माना राशि वसूली गई ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में निगम की कुल 78 वाहनें प्रतिदिन संचालित की जाकर 145 परिचक्र करती हैं। मार्गो व समय की सूची परिशिष्ट--1 में उपलब्ध हैं।

(2) जयपुर के लिए धौलपुर से 22 बसें प्रतिदिन तथा बाड़ी से जयपुर के लिए दैनिक 4 बसें जाती व आती है। बाड़ी से जयपुर बस सेवा संख्या बढ़ाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि बाड़ी से सीधे जयपुर का यात्रीभार अत्यधिक नगण्य है। धौलपुर से जयपुर के लिए वर्तमान में 22 बसें 30 परिचक्र संचालित हैं, जो यात्रीभार की दृष्टि से पर्याप्त है। अतः धौलपुर से जयपुर के लिए भी बस सेवा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) धौलपुर जिले में वर्ष 1998--99 में वाहनों के अवैध संचालन रोकने हेतु चलाये गये अभियानों में कुल रुपये 22.56 लाख राशि वसूली गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

जनजाति उप योजना क्षेत्र में सड़क निर्माण

614. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्ष 1990 तक कितने किलोमीटर डामर, मेटल एवं ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1990--91 से 1998--99 तक प्रत्येक जिले में कितने--कितने किलोमीटर डामर, मेटल एवं ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्ष 1990 तक 3161 किमी. डामर, 302 किमी. क्षेत्र मेटल एवं 804 किमी. ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया। जिलेवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्ष 1990--91 से 1998--99 तक प्रत्यक जिले में डामर, मेटल एवं ग्रेवल सड़कों का निर्माण निम्न प्रकार से हुआ :--

क्र.स.	जिले का नाम	1990-91 से 1998-99 तक निर्मित सड़कें (किमी. में) डामर	मेटल	ग्रेवल
1	2	3	4	5
1.	उदयपुर	655	78	37
2.	चित्तौडगढ़	256	33	76
3.	बांसवाड़ा	432	95	78
4.	डूंगरपुर	408	9	--
5.	सिरोही	62	6	2
	योग	1813	221	193

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के स्वीकृत एनीकट/तालाब

615. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1995 से 1999 तक पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने एनीकट/तालाबों के कार्य स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक अकाल राहत/विभिन्न योजनान्तर्गत कितनी राशि के क्या–क्या कार्य स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष 1995 से 1999 तक स्वीकृत किए गए एनीकटों/तालाबों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खारची में 1 दिसम्बर, 1998 से फरवरी, 1999 तक की अवधि में अकाल राहत/विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं स्वीकृत राशि का विस्तृत विवरण सम्बन्धित कार्य के सम्मुख परिशिष्ट "ब" में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में प्रतिनियुक्त अभियन्ता

616. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग के मुख्यालय व जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं ? यदि हां, तो अभियन्ताओं का नाम कब से प्रतिनियुक्ति पर है तथा किस मूल विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जो अभियन्ता प्रतिनियुक्ति पर हैं उनमें सिविल अभियन्ता कौन–कौन हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवाएं (परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1975 के अंतर्गत विभाग द्वारा चयनित इंजीनियरों को छोड़कर विभाग/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी इंजीनियरों के नाम, विभाग में कार्यग्रहण करने की तिथि तथा पैतृक विभाग का विवरण परिशिष्ट "अ" में सम्बन्धित इंजीनियर के नाम के सम्मुख अंकित है।

(2) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत इंजीनियरों में 113 सिविल इंजीनियर हैं, जिनकी सूचना परिशिष्ट "अ" में अंकित सूची में सम्बन्धित इंजीनियर के नाम के सम्मुख कालम सं. 5 में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 अप्रेल, 1999)

डायवर्शन हेतु चिन्हित राजस्व भूमि

244. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश से राजस्थान में खनन पट्टे प्रभावित हुए ? यदि हां, तो कुल कितने हुए और कितने पट्टाधारियों ने वन भूमि का समर्पण किया और कितने पट्टे खारिज किये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रभावित खनन पट्टों की वन भूमि के डायवर्शन हेतु सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो कितनों को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सिद्धान्तः स्वीकार किया, कितने खारिज हुए और कितने–कितने केन्द्र व राज्य स्तर पर विचाराधीन हैं ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(3) जिन खनन पट्टों पर वन भूमि का डायवर्जन चाहा गया है, उनका कुल वन क्षेत्र कितना है और कितनी वन भूमि क़ा डायवर्शन चाहा गया है और चाहे गये डायवर्शन क्षेत्र में कितना ब्रोकन अप क्षेत्र है ?

(4) क्या यह सही है कि डायवर्शन शुल्क के साथ जुर्माना भी लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसे खनन पट्टा धारकों ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन किया ?

(5) क्या यह भी सही है कि वन भूमि में डायवर्शन हेतु राजस्व भूमि की आवश्यकता पड़ेगी ? यदि हां, तो सरकार ने इस हेतु कितनी राजस्व भूमि चिन्हित की है और कितनी भूमि के लिए वन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिया है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया है ? यदि हां, तो इससे कितने–कितने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष राजस्व की हानि हुई है ओर कितने लोग बेरोजगार हुए हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या राज्य सरकार डायवर्शन पर होने वाले खर्चों के लिए प्रभावित लोगों को अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कैसे और कब तक ?

(8) क्या राज्य सरकार डायवर्शन के उपरान्त खनन क्षेत्र एवं उससे सम्बद्ध औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने हेतु ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कैसे ?

उत्तर

(1) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.96 से 2169 खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंसों का खनन कार्य प्रभावित हुआ है। 99 खनन पट्टाधारियों द्वारा वन भूमि का समर्पण किया गया है एवं 89 खनन पट्टों

(राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण)

को खान विभाग द्वारा निरस्त किया गया है। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्तावों में से 615 प्रकरणों को सिद्धान्ततः स्वीकृत किया गया, 284 प्रकरण खारिज हुए। वर्तमान में इनमें से 370 प्रकरण केन्द्र सरकार के तथा 219 प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वन भूमि में पड़ने वाले खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंसों का अनारक्षण वांछनीय क्षेत्र 14391.498 हैक्टेयर है, जिसमें से 7729.458 हैक्टेयर भूमि ब्रोकन–अप क्षेत्र की श्रेणी में आती है।

(4) जी हां। जिन प्रकरणों वन (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत वन क्षेत्रों में खानें स्वीकृत की गई थी, उनमें केन्द्र सरकार द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई है।

(5) जी हां। अब तक राज्य सरकार द्वारा 7722.37 हैक्टेयर भूमि इस प्रयोजनार्थ चिन्हित की गई और 4564.62 हैक्टेयर क्षेत्र का वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र दे दिया गया है। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी हां। खान विभाग के अनुसार खनिज रायल्टी के रूप में लगभग रुपये 10.50 करोड़ के राजस्व की हानि अनुमानित है तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,62,000 लोग रोजगार से प्रभावित हुए हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य गैर वन भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। शेष धनराशि खान पट्टाधारियों द्वारा वहन की जानी प्रस्तावित है।

(8) जी नहीं।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन, 1997-98, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट एण्ड इन्वेस्टमैंट कारपोरेशन लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा विवरण वर्ष 1997-98

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 एवं कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट एण्ड इन्वेस्टमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, आठवीं का पेपर आउट हो गया है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, आठवीं के बोर्ड का पेपर आउट हो गया है, छात्रों के भविष्य का क्या होगा ?

डा. किरोड़ी लाल : उसके बारे में सरकार ने कोई मानस प्रकट नहीं किया। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इसके बारे में कुछ कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिए। डा. चन्द्रभान।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1997-98 एवं आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1999-2000

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 1997–98 एवं.

(2) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61(3) के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण (आय–व्ययक अनुमान) 1999–2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : बात नहीं। प्लीज टेक योर सीट्स। श्री तैयब हुसैन।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बी. डी. कल्ला।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 19 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1997-98

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) (श्रीमती बीना काक, पर्यटन राज्य मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(ए) की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे वर्ष 1997–98 सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? शिक्षा मंत्री...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चार स्कूलों में आज दुबारा पेपर करवाये गये हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, परीक्षा की सैंक्टिटी खतम हो गई है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इनको इतनी भी +++ नहीं आती, रोजाना पर्चे आउट हो रहे हैं। इतना तो शायद आप घर में अपने आपस में भी कोई बात आउट नहीं करते होंगे पति–पत्नी भी। रोजाना एक सिलसिला बना लिया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री देवीसिंह भाटी : आठवीं क्लास का पेपर आउट हो रहा है। हर बच्चे का भविष्य अंधकार में जाता जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, ये सब आर. एस. एस. वाले लगे हुए हैं इसके अंदर। इन्होंने पेपर आउट करा दिये। एक योजना है आर.एस.एस. वालों की बहुत बड़ी, उस योजना के तहत हो रहे हैं सारे आउट।

डा. किरोड़ी लाल : आपने कराये हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे पेपर आर. एस. एस. वाले योजनाबद्ध तरीके से करा रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ) : रोज पेपर आउट होते हैं, शिक्षा मंत्री जी कह कुछ रहे हैं। इनसे त्यागपत्र दिलवाइए।

श्री रामस्वरूप : सरकार को बदनाम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आर.एस. एस. वाले पेपर आउट करा रहे हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : सरकार तो बदनाम हो चुकी। सरकार तो बदनाम है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रान्त का दिवाला निकल चुका है।

श्री देवीसिंह भाटी : इसका अंत कब होगा, कहां होगा ? कोई तो सरकार की तरफ से आश्वस्त करें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार की ओर से खड़ा होकर यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि आइंदा कोई भी प्रश्न–पत्र आउट नहीं होगा। यहां बराबर यह बात शिक्षा मंत्री महोदय की तरफ से कही गई है, इस हाउस को आश्वस्त किया गया कि बच्चों के जीवन के साथ अब खिलवाड़ नहीं होगा, पुलिस की व्यवस्था होगी, अलग से हम स्टाफ की देखरेख की व्यवस्था वहां करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे इन बच्चों का भविष्य, जिनके माता–पिता अपना पेट काटकर उनको पढ़ाते हैं, उनका अगले प्रवेश के लिए क्या होगा, शिक्षा मंत्री महोदय ? कुछ तो तरस खाइए, कुछ तो +++ को रोकिए। अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। आखिर इसका अंत कहां है ? अध्यक्ष महोदय, कुछ आप व्यवस्था दीजिए, कुछ आप व्यवस्था कराइए।

श्री अध्यक्ष : मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए।

श्री सांवर लाल : रोज ये प्रधानाध्यापक पेपर आउट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस और दूसरे लोग करेंगे क्या, यह बताइएं। रोज स्कूल के मास्टर, प्रिंसिपल व हैडमास्टर्स पेपर आउट करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई +++

श्री अध्यक्ष : +++ असंसदीय शब्द है, इसको मैं एक्सपंज करता हूं।

श्री सांवर लाल : छात्रों का भविष्य चौपट हो रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अध्यापक छात्रों से 10 हजार रुपये लेकर पेपर बांटते हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(व्यवधान) अध्यापक बांटते हैं, इससे बड़ी +++ क्या हो सकती है ?

श्री मदन दिलावर : बारहवीं क्लास का उर्दू साहित्य का पेपर इस प्रकार से बिकता है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं सदन को जानकारी देने के लिए तैयार हूं। चार स्कूलों में...(व्यवधान)

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : आप सुनना चाहते नहीं हैं, कोई प्रोग्राम आपके पास है नहीं, कोई नीतियां आपके पास हैं नहीं, केवल हल्ला–गुल्ला मचाना है। यह काम आपका है। (व्यवधान) सुनना चाहते नहीं हैं आप। आप न राजस्थान प्रदेश के भले की बात सुनना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते नहीं हैं, कोई चीज चाहते नहीं हैं, केवल आप अशांति फैलना चाहते हो। आपकी मंशा बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज टेक योर सीट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कुछ तो +++ करो, बोलने वाले कांग्रेस के विधायकों।

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन के बाद मंत्रीजी अगर वक्तव्य देना चाहें तो मैं उन्हें अनुमति देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या वक्तव्य अध्यक्ष महोदय, रोज सुनते–सुनते कान पक गये हमारे। रोज वक्तव्य। आज पांचवां वक्तव्य देंगे ये।

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मै निम्नांकित दो याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं :–

जैतारण-मेड़ता मार्ग पर निम्बोल नदी पर एनीकट निर्माण

(1) तहसील जैतारण जिला पाली के जैतारण–मेड़ता मार्ग पर निम्बोल नदी पर एनीकट निर्माण करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

बलाड़, जैतारण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

(2) ग्राम पंचायत मुख्यालय बलाड़, तहसील जैतारण, जिला पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)।

लासल जिला सीकर में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, में सीकर जिले के लोसल कस्बे में मुसिफ न्यायालय की स्थापना बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सदन में उपस्थिापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

शासकीय संकल्प

विद्युत मण्डल द्वारा ऋण लेने की अधिकतम राशि का नियतन

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :–

"कि यह सदन विद्युत मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 65 की उप धारा (3) के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की अधिकतम राशि 7,000 करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि ऊर्जा मंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया। श्री बी.डी. कल्ला।

शासकीय वक्तव्य

कक्षा आठ का प्रश्न पत्र आउट होने की घटना

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19 अप्रेल, 1999 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित आठवीं की जिला स्तरीय परीक्षाओं का पांचवां दिन था। इस दिन दोपहर 2.30 से 5.00 बजे तृतीय भाषा का प्रश्न–पत्र, जिसमें मुख्य संस्कृत का था, लगभग 2 बजकर 45 मिनट पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) (प्रथम), जयपुर श्री अशोक माथुर को आमेर के वृत्त अधिकारी श्री संग्राम सिंह द्वारा फोन पर यह सूचना दी गई कि किशन नाम के एक व्यक्ति के पास संस्कृत के कुछ हस्तलिखित

(12.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न मिले हैं। सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल आमेर पहुंचे एवं हस्तलिखित प्रश्नों का मिलान प्रश्न पत्र से किया तो वे सही पाए गए। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही थी एवं प्रश्न पत्र आउट होने की चर्चा केन्द्र पर नहीं थी। दोपहर चार बजे थाना आमेर द्वारा एफ.आई.आर. नम्बर 111/99 दर्ज की गई एवं जांच प्रारम्भ की गई। जांच से जो तथ्य सामने आये वे इस प्रकार हैं :–

राजकीय सैकण्डरी स्कूल, दुर्गापुरा के प्रधानाध्यापक श्री प्रेम शंकर झा ने संस्कृत का प्रश्न पत्र नकल कर श्री किशन चौधरी को दिया जो आमेर में बच्चों की ट्यूशन करता है। श्री किशन चौधरी ने अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को ये प्रश्न बताए तथा इनकी तैयारी करवाई। यह प्रश्न पत्र अन्य बच्चों को आउट कराने की जानकारी प्रथम दृष्ट्या सामने नहीं आई है। अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य में ये प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए हैं। हर जिले में अलग–अलग प्रकार से अलग–अलग व्यवस्था है। केवल आमेर क्षेत्र के स्कूलों में ही यह प्रश्न पत्र आउट हुआ है। फिर भी अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए आमेर क्षेत्र के 6 परीक्षा

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

केन्द्रों सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जमवारामगढ़ (छात्र एवं छात्रा); सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, आमेर; सैकण्डरी स्कूल, पीली तालाई; सैकण्डरी विद्यालय, सायपुरा; सैकण्डरी स्कूल, खोरा मीना का संस्कृत का प्रश्न पत्र निरस्त कर इन केन्द्रों पर पहले से ही वैकल्पिक प्रश्न पत्र इस बार उपलब्ध करवाए गए हैं। उनके आधार पर संस्कृत की परीक्षा आज दिनांक 20.4.99 को दोपहर ढ़ाई बजे से पांच बजे के मध्य आयोजित कराई जा रही है ताकि इन परीक्षाओं को आगे नहीं बढ़ाना पड़े। विभाग द्वारा पहली बार पूर्व में ही वैकल्पिक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने से पेपर आउट होने की स्थिति में भी परीक्षा की सैंक्टिटी को बनाए रखते हुए परीक्षाएं समय पर सम्पन्न कराना संभव हो पाया है। 8वीं की इस बार परीक्षाएं 20.4.99 को साढ़े बारह बजे पूरी होनी थी आज ही, उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े बारह बजे जो परीक्षाएं समाप्त होने वाली थीं, वे अब 5 बजे पूर्ण हो जाएंगी।

विभाग को सूचना प्राप्त होते ही श्री प्रेम शंकर झा, प्रधानाध्यापक को तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा सैकण्डरी स्कूल, दुर्गापुरा के केन्द्र अधीक्षक का कार्य अन्य प्रधानाचार्य को सौंप दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि प्राथमिक जांच से ऐसे संकेत मिले हैं कि गत वर्षों में भी कुछ लोग पेपर आउट कराने में लगे हुए थे किन्तु इस बार पुलिस एवं शिक्षा विभाग द्वारा बरती गई अतिरिक्त सावधानी एवं सतर्कता के कारण ये मामले प्रकाश में आये हैं। विभाग इन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों से सख्ती से निपटेगा एवं अधिकतम सजा इन लोगों को दिलाने का प्रयास करेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, एक रहस्य बताऊंगा, मैं एक रहस्य बताऊंगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, दोनों में से एक तो बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहूंगा, मंत्री महोदय, आप जब से शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, सदन को कृपया इतना अवगत करा दें कि सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी, मिडल और अन्य विषयों में कितनी बार पर्चे आउट हुए, नम्बर एक ? नम्बर दो, आपने इस सर्वोच्च सदन को कितनी बार आश्वस्त किया कि अब आइन्दा सारी माकूल व्यवस्था कर दी गयी है, पुलिस की व्यवस्था कर दी गयी है, सारा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है कितने वक्तव्य दिए, उसके पश्चात् भी लगातार पेपर आउट होते रहे। (व्यवधान) नम्बर तीन, ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राठौड़ साहब, यह बता दें कि कल कौनसा आउट होगा ? आप तो यह बता दे कि कल कौनसा आउट होगा ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि आमेर थाना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में गुमनाम एक सूचना मिलती है कि फलां व्यक्ति प्रश्न–पत्र आउट करने का व्यापार कर रहा है। मतलब यह सूचना तो थाने में मिलती है तो आप यह अंदाजा लगाएं कि इस तरह के व्यापार में कितने लोग संलग्न होंगे। आप तो भगवान के लिए वस्तु–स्थिति बता दें। कल्ला जी आप बहुत विद्वान आदमी हैं लेकिन अब की बार यह विभाग आपसे संभला नहीं। आप राजस्थान के बच्चों के साथ न्याय करो, मेरा हाथ जोड़कर आपसे यह निवेदन है कि आप पधारो, दूसरे किसी को यह काम दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। एक पर्चा मैं टेबल कर रहा हूं, सदन के पटल पर रख रहा हूं। यह है सीनियर सैकण्डरी एग्जामिनेशन, 96, इसमें 96 को काट कर 99 कर दिया। उर्दू साहित्य (सैकण्ड) का पेपर था। यह पेपर ऊपर लिख रहा है प्रिण्टेड पेज तीन यह पेपर प्रिंटेड नहीं हैं, हाथ से लिखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल जो इसमें लिखा था उसको काट ही दिया गया, दूसरा करेक्ट कर दिया है। क्या इस तरीके के पेपर देकर जो अल्पसंख्यक छात्र हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ने आते हैं और उर्दू पढ़कर ही कहीं अपना काम चलाना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ? मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस चीज को गंभीरता से लीजिए और किस लेवल पर यह गलती की गयी है, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप दोनों में से एक बोलें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है। पहले जो प्रकरण थे, वे अलग तरह के प्रकरण थे। माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर घोषणा की थी कि मैं पुलिस की व्यवस्था करूंगा, फलांनी व्यवस्था करूंगा, 4–5 बात कर दीं। इस बार जो हुआ है, उसमें इनकी संस्था का प्रधान जो हैडमास्टर स्कूल का है, वह खुद पर्चा आउट करवा रहा है, यानि एक पेशेवर धंधा हो रहा है। अब माननीय मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि केवल वहां पर यह जानकारी हुई है ? चूंकि बाड़ ही खेत को खा रही है, पता नहीं कहां कहां यह घुन लगा हुआ है, तो राजस्थान के अंदर जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं की सैंक्टिटी क्या है और कहां कहां पर कितने कितने एजेन्ट हैं ? माननीय मंत्री महोदय, जरा गंभीरता से सुनें। अगर एक जगह आपको यह मालूम पड़ा कि हैडमास्टर पर्चे आउट कर रहा है तो और भी राजस्थान के अन्दर विभिन्न विद्यालयों में हो सकते हैं इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दें। इस प्रकार की अगर हालत रही तो राजस्थान के छात्रों का, शिक्षा का भविष्य क्या होगा ? जो खरीदने वाले होंगे वे तो परीक्षा

(श्री सांवर लाल)

में अव्वल नम्बर पर आएंगे, लेकिन जो गरीबों के बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते–लिखते हैं उनकी हालत क्या होगी ? हमारी जानकारी के हिसाब से यह प्रेम शंकर झा पूर्व में कहीं सेवा दल का भी सदस्य रहा हुआ बताते हैं यह भी जानकारी आप कर लें, इस प्रकार का यह धंधा हो रहा है, यह निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। आर्डर–आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : साहब, आप नम्बर ही नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे रहे हैं। आप ही आप बोलेंगे क्या ? दूसरे भी सदस्य हैं बोलने वाले। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आसन से यही प्रार्थना करेंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर से आने दीजिए। एक आपका बोले, एक उनका बोले। (व्यवधान) सब आप ही आप कैसे बोलेंगे, दूसरों को भी मौका दीजिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम तो केवल आसान से यही प्रार्थना करेंगे कि इस सदन में बारबार केवल आश्वासन न दें। राजस्थान की जनता की नजर, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपके आश्वासन पर टिकी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री सांवर लाल : आज जो कुछ हो रहा है, एक आश्वासन के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, जो राजस्थान में जनता के सामने इस सदन की सैंक्टिटी और आपकी विश्वसनीयता भी कम हो रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था कीजिए जिससे भविष्य में ऐसा नहीं हो, कहीं अगली बार हो गया और सारे के सारे लोग मिलकर इस्तीफा मांगे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्री जी आपने यह कहा कि यह पहले से चल रहा था और अब हमने ज्यादा धरपकड़ की। ज्यादातर यही होता है जब क्राइम का ग्राफ बढ़ता है तो यही कहते हैं कि, साहब, हमने ज्यादा केस रजिस्टर कर लिए इसलिए हो गया। यह उस तरह का सवाल है। अगर आप वाकई में यह समझते हैं कि यह पहले से चल रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ा रैकेट है, कोई इण्डिवीजुअल आइसोलेटेड इन्सीडेंट नहीं है यह। रैकेट है तो फिर वह आपकी बगल में बैठे हैं होम मिनिस्टर साहब, उनका सब्जैक्ट आ जाता है। रैकेट का आपके बस का नहीं है। शिक्षा मंत्री जी, आपकी इस एफिशिएंसी से तो पूरा सदन प्रभावित है चाहे आप मानें या न माने कि स्टेटमैंट के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि स्टेटमैंट देने के फिर दो रोज बाद पर्चा पकड़ा जाता है इसलिए थोड़ीसी आपको

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सख्ती बरतनी पड़ेगी। होम मिनिस्टर साहब, आप इनकी मदद करो, कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं आप (व्यवधान) बिना पुलिस के मास्टर कब्जे में नहीं आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ वही सवाल है कि अगर मंत्री इससे संतुष्ट हैं कि यह पहले से चला आ रहा है इन्होंने सख्ती की इसलिए पकड़ में आ रहा है तो यह बहुत बड़ी चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, साधारण चीज नहीं है यह कहना मंत्री जी का कि मैं इसको फेस वैल्यू में लेता हूं। जो इन्होंने कह दिया आन दी फेस ऑफ इट, सही कहा है तो उसका थोड़ा आप बताएं। फिर क्या आपने कार्यवाही की, क्या इन्क्वायरी की ? आप इनफोर्मल तरीके पुलिस में इसकी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी। आएगा, तसल्ली रखो।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हर मामले में शांति प्रिय रहा है चाहे लॉ–आर्डर हो, चाहे और हो, चाहे स्कूलों का मामला हो। आज उत्तर प्रदेश के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति बिगड़ी उसका असर दिल्ली और राजस्थान के ऊपर भी आया है। आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के अन्दर, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, सभी माननीय सदस्यों को पता है। उसका असर यहां भी पड़ रहा है। मान्यवर, राष्ट्रीय चरित्र मुल्क का गिर रहा है, उसका असर प्रदेश के अध्यापकों और लड़कों पर भी पड़ रहा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो गई है, इसकी आप कितनी भी सख्ती करें जितनी सख्ती करेंगे उतना ही आज एक मर्डर होता है और गिरफ्तार करते हैं सजा करवा देते हैं उसके बाद दूसरा मर्डर हाथों हाथ होता है। एक चोरी पकड़ते हैं और दूसरी चोरी हाथ की हाथ फिर हो जाती है। यही स्थिति आज इन प्रश्न पत्रों के मामले में स्कूलों की हुई है। शिक्षा मंत्री महोदय सतर्कता बरतने में कोई कमी नहीं रखेंगे, यह बात सही है और यहां हमारे सामने वक्तव्य देने में, जानकारी देने में भी कोई कोताही नहीं कर रहे है। इस विधान सभा में हम +++ मर जाते थे पिछले पांच साल में हमें कोई सूचना ही नहीं मिलती थी किसी भी काम की। अब तो हाथों–हाथ इत्तला मिल जाती है, इसमें इतना सुधार हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पहले एक हौव्वा चलता था हिन्दुस्तान में सी. आई.ए. का। सी.आई.ए. के नाम से जगह–जगह पर होता था कि इस काम में सी.आई.ए. इस काम में सी.आई.ए., है। लेकिन अंत में जाकर वह हौव्वा नहीं रहा, वास्तविकता निकली कि वह एक इंटरनेशनल एजेंसी है और वह सब जगह काम करती है। यहां हमारे माननीय सदस्य मैं, मेरी जानकारी के आधार पर नहीं कहता, लेकिन बार–बार

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

कहते हैं। एक झूठ को सौ बार दोहराया जाएगा तो वह सच्चाई में परिणत हो जाता है जन मानस में। यहां बार बार दोहराते हैं कि इसमें आर. एस. एस. का हाथ है, आर. एस. एस. का हाथ है लेकिन ये दूसरी बात कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय यह भी जानकारी कर लें कि यह जो बातें आ रही हैं कि आर.एस.एस. का हाथ है, तो पर्चे आउट करने में जो छात्र, अध्यापक या पेपर सैटर्स हैं क्या और कैसा उनका बैकग्राउंड है। इसकी भी आप थोड़ी जानकारी करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस के हैं वे सब लोग।

श्री रामस्वरूप : आर.एस.एस. के हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : किसी के भी हों। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कांग्रेस के बैठे हैं वे सारे लोग। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारे आर.एस.एस. वाले हैं वे लोग...(व्यवधान) और आज आप कांग्रेस का नाम लेते हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे लोग युवक कांग्रेस के हैं, सेवा–दल के हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर–आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चाहे वह किसी का भी हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्याय : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : सेवा दल के एक माननीय साथी आपके पीछे भी बैठे हैं। (व्यवधान) राजेन्द्रजी राठौड़, ध्यान से सुनना डा. राम प्रताप जी कटारिया। हमारे सदस्य रहे हैं। (व्यवधान) वे बैठे।

श्री रामस्वरूप : जिसने देश को आजाद करवाया है, जिसके लोगों ने कुर्बानी दी है, उस कांग्रेस की बुराई करते हो आप। आर. एस. एस. वालों का हाथ रहा हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप इनकी बात को समझने की ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : जब तक, मंत्री महोदय, जो पुरानी सरकार ने आर. एस. एस. के लोग विभाग में बिठा रखे हैं उनको आप जिम्मेदारी के कामों से नही हटाओगे तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नागर जी। आर्डर प्लीज। (व्यवधान) आप माननीय सदस्य की बात को समझने की कोशिश कीजिये, इन्होंने यह नहीं कहा कि आर. एस. एस. का हाथ है। (व्यवधान) ये तो कह रहे हैं कि बारबार

(श्री उपाध्यक्ष)

यह कहा जा रहा है तो किसका हाथ है, इसकी जानकारी करनी चाहिए। (व्यवधान) आप इसमें इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने यह नहीं कहा कि आर.एस.एस. का हाथ है। यह रोज–रोज कहा जा रहा है इसलिए इसकी वास्तविकता की जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे किसका हाथ है, यह कहा है। इसमें क्या बात है ?

श्री रामनारायण चौधरी : वह वास्तविकता आ जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता है ? नथिंग रोंग इन दिस। माननीय देवीसिंह जी भाटी।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हमारे देश में आदमी होते थे दाढ़ी–मूछें वाले, उनके कोई शर्म होती थी लेकिन आज जिनके ज्यादा मूछें हैं वे जरूरत से ज्यादा बेशर्म हो रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

डा. किरोड़ी लाल : हमारे मुख्य सचेतक जी पर लांछन है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : ये सही बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हमारे मुख्य सचेतक जी की मूंछो पर...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अपनी शर्म को छिपाने के लिए...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने मूछों पर... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इन्होंने अपनी सबसे पहले मूछें कटवायी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बोल दिया न। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। बीच में इटरप्शन नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मूंछ राजस्थान के गौरव का प्रतीक रही है, उस पर इतनी ओछी टिप्पणी कर दी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे देश और प्रदेश की मूछों का नाम है और... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) मूंछों के बारे में इस तरह की बात...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप शब्दों में मत जाइये, इसकी भावना को समझने की कोशिश कीजिए।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने मूछ के मामले में पक्ष में बात कही है कि हमारे दाढ़ी और मूछें गौरव की बात है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : खास तौर से क्षत्रियों का तो यह बाना रहा है दाढ़ी और मूंछ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं। शिक्षा मंत्री महोदय, इसकी बैकग्राउंड को भी देखें और जो पेपर सैटर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं और कापियों को देखने वाले लोग हैं, उनका भी आपको रिकार्ड रखना चाहिए कि उनका अतीत कैसा रहा है, छात्र जीवन कैसा रहा है, अध्यापक जीवन कैसा रहा है। अनुशासित लोगों को ही आप पेपर सैटर का काम करावें, अनुशासित लोगों को ही आप एग्जामिनर्स सैट करें ताकि इसमें आगे सुधार हो सके, नियंत्रण हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह जी भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आसन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस दफे सदन में थोड़ा उपस्थित कम रहा हूं कि आपका इस सदन में इन प्रश्न पत्रों के मामले में, प्रश्न पत्रों को पकड़ने के बारे में कितनी बार स्टेटमैंट आया है और यह कौनसी बार है ? क्योंकि मैं काफी दिनों से अनुपस्थित था।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो पूछ लिया पहले।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग के माध्यम से जो परीक्षाएं होती हैं, क्या ऐसा पूर्व में भी कभी हुआ है कि पूरे प्रदेश में एक ही सब्जैक्ट में दो तरह के प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को फेस करने पड़े हों ? उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में सरकार ने बच्चों के जो गार्जियंश हैं उनको आश्वस्त करने के लिए ऐसी कोई सूचना, ऐसा कोई आश्वस्त करने का माध्यम तैयार किया है जिससे कि वे भविष्य में इस प्रदेश की सरकारी जो शिक्षा कहलाती है उसके बोर्ड के माध्यम से परीक्षा दें या नहीं दें, जिसके लिए आज से उन्होंने चिन्ता करनी शुरू कर दी है ? इसके लिए आपने क्या विचार किया है ? उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस को शिक्षा मंत्री जी यह आश्वस्त करें, आपने पूर्व में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के माध्यम से आइंदा इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसके लिए आश्वस्त किया और उसका कोई असर नहीं हुआ तो उसमें क्या इन्होंने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करके या गृह मंत्रीजी से आपस में सलाह मशविरा करके ऐसे रैकेट्स को पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाया है जिससे इनकी दुबारा हिम्मत नहीं हो, हिमाकत नहीं हो ? उपाध्यक्ष महोदय, लोगों में बिलकुल विश्वास नहीं रह गया है। कितनी ही बार शिक्षा मंत्रीजी आश्वस्त करें लेकिन ऐसे गुंडातत्व जिस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करते हैं, पर्चे बेचकर अपने कारोबार चलाते हैं, उनको कोई डर नहीं रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हाउस के माध्यम से प्रदेश की जनता यह सुरक्षा चाहती है, आश्वासन चाहती है। शिक्षा मंत्री को बार–बार यह जलालत देखनी पड़ती है, इस हाउस में

(श्री देवीसिंह भाटी)

बार–बार सुनना पड़ता है। शिक्षा विभाग के चाहे वे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से बार–बार इस प्रकार की विकट समस्या का सामना नहीं करना पड़े और जनता को भी विकट समस्या का सामना नहीं करना पड़े इसलिए वे अपना इस शिक्षा विभाग से पिंड छुड़ाएं, इस्तीफा दें ताकि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रदेश की जनता एक विश्वास के साथ में अपना जीवन निर्वहन कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, समाप्त कीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निजी तौर से आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप शिक्षा मंत्री को निर्देश दें कि वे आज ही इस्तीफा दें और इस प्रदेश की जनता का इनसे पिंड छुडवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी पारीक। आर्डर–आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी हो, वह यह व्यवस्था करती है कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था बनी रहे, प्रदेश में किसी तरह का कोई अपराध नहीं हो। हर सम्भव प्रयत्न जो सरकार कर सकती है वह अपनी तरफ से करती है, इसके बावजूद भी अपराध घटित होते हैं। बार–बार प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से बार–बार इस बारे में आश्वासन चाहा जाता है और माननीय शिक्षा मंत्रीजी सरकार की विश्वसनीयता को रखते हुए हर तरह से आश्वासन इस सदन में देते हैं कि पेपर आउट नहीं होंगे। लेकिन हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय भाटी साहब ने कहा कि इसके पहले कभी भी प्रश्न–पत्र आउट नहीं हुए और यह सत्य है। इससे पहले, यह सत्य है कि प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए। इसका साफ कारण इतना सा है कि उस वक्त जो हमारा शैक्षिक वातावरण था उसका हमने राजनीतिकरण नहीं किया था। लेकिन इन पिछले आठ सालों में हमने शिक्षा जगत का जो राजनीतिकरण किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजनीतिकरण ही है जो आज इस राजस्थान के लिए एक नासूर की तरह से बन गया है बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि यह ब्लड कैंसर हो गया है। जब तक हम इसका निराकरण नहीं करेंगे, शिक्षा जगत में फैले हुए राजनीतिक वातावरण को दुरुस्त नहीं करेंगे, शिक्षा जगत में फैले हुए राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं करेंगे, इस शिक्षा जगत में जब तक, मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि आर. एस. एस. की पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको दंडित नहीं करेंगे तब तक यह वातावरण कतई नहीं सुधरने वाला है। (व्यवधान) हम जब इस सदन में प्रवेश करते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) ऐसे उत्तेजित मत हों।

श्री देवीसिंह भाटी : दण्डित करने की प्रक्रिया भी बता दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री दिलावर जी। श्री दिलावर जी। मैं नाम बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सदन में प्रवेश करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : केवल एक बात और कहकर मैं अपनी बात सामप्त करता हूं जब हम सदन में प्रवेश करते हैं तो हम सशपथ कहते हैं कि हम इस तरह का संवैधानिक आचरण करेंगे, किसी तरह का हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इसी सदन में अभी शुक्रवार के रोज उधर बैठे हुए बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, सदन के सैक्रेटरी के ऊपर कागजों का बंडल फेंककर जिस तरह का दुराचरण किया...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्न पूछ लें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, भाषण नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...आज वही लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्रीजी इस्ताफा दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...क्या वे कानून एवं नियमों से बंधे हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय दिलावर जी।

श्री राजेन्द्र पारीक :...क्या उन्होंने संविधान के नियमों के अनुसार आचरण करने की शपथ नहीं ली हैं ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप बोल चुके ना ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मैं बोल नहीं चुका। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत दूंगा तब आप पूछोगे ? आप विराजिये प्लीज। प्लीज विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...स्टेटमैंट आने के बाद प्रश्न पूछ सकते हैं या भाषण दे सकते हैं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था क्या हैं इसमें ?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने स्टेटमैंट दे दिया, उसके बाद प्रश्न पूछ सकते हैं या भाषण दे सकते हैं ? जिसकी मर्जी आए वही भाषण देते चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न के लिए ही कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछिये, सहयोग कीजिये आसन को।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्वेश्चन कौन पूछ रहा है ? आप अलाउ कर रहे हैं ना ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी यही कह रहा हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

उनको कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद साहब ने एक बात की है...

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। प्लीज सिट डाउन।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : अभी व्यवस्था नहीं होती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नो पाइंट आफ आर्डर। जीरो आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। नहीं, कोई व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्था का प्रश्न है मेरा।

श्री उपाध्यक्ष : I don't allow it. Please sit down.

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, माहिर आजाद साहब ने उर्दू–द्वितीय साहित्य के सैकण्डरी स्कूल के पर्चे थे, उसकी चर्चा की थी। मैं चर्चा कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डाइरेक्ट क्वेश्चन कीजिये।

श्री मदन दिलावर : ...कि पेपर–प्रथम यह वक्तव्य तो नहीं, दूसरा पेपर इस प्रकार का था, उसकी चर्चा कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेश्चन कीजिये डाइरेक्ट।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू साहित्य–द्वितीय के पेपर की फोटो स्टेट ऊपर से करके काट करके और चिपका कर, नीचे हाथ से लिखकर पेज जो (2) था, उसको हाथ से (3) करके जिस प्रकार का पेपर इन्होंने दिया है, कितनी कांट–छांट के साथ उर्दू पेपर बांटा है। वह भी रजिस्टर के एक पन्ने पर उसका फोटो स्टेट करवाया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का बोर्ड का पेपर होता है क्या ? यह सरासर अन्याय होगा बोर्ड के छात्रों के साथ। मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह पेपर बंटा है या नहीं बंटा है, इसका जवाब दें। क्या इतनी कांट–छांट का पेपर आपने छपवाया या फोटो स्टेट पेपर बंटवाया है, यह बता दें ? उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का सारा का सारा

(श्री मदन दिलावर)

हिसाब–किताब पूरा डांवाडोल हो गया है। शिक्षा मंत्रीजी बिलकुल नाकाम साबित हुए हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि ऐसे नाकाम मंत्री जी तुरन्त इस्तीफा दे दें या मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं, जोकि यहां नहीं हैं, कि इनको तुरन्त बर्खास्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान के सारे छात्रों, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। अब हो गया। आपकी बात हो गई।

श्री मदन दिलावर : ...उपाध्यक्ष महोदय, +++

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि 1999 में शिक्षा बोर्ड और स्कूलों की एग्जामिनेशन के पेपर आउट हुए हैं, जयपुर जिला जो राजस्थान की राजधानी है, एक से लेकर चार घटनाएं अकेले जयपुर जिले में हुई हैं...

श्री उपाध्यक्ष : क्वेश्चन, क्वेश्चन कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चारों घटनाएं जयपुर जिले में घटित हुई है। आपने भी उत्तर दिया और एक दिन वक्तव्य देते हुए मुख्य मंत्रीजी ने भी यहां सदन में सूचित किया कि ऐसे कुछ लोग हैं, संगठन हैं जिनकी शिकायतें बार–बार आ रही हैं तो मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई जांच बिठाई है जो इस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ ? उसकी जांच सरकार ने आज तक नहीं बिठाई है। अगर नहीं बिठाई है तो अब सरकार क्या बैठाने का इरादा रखती है या नहीं रखती है ?

दूसरा, मंत्रीजी ने यह कहा है कि आठवीं बोर्ड में डाइट या हर जिले में उसकी परीक्षा का अरेंज करते हैं, उसके पेपर होते हैं। मंत्रीजी ने कहा है कि आमेर क्षेत्र के कुछ स्कूलों में, जबकि पूरे जयपुर जिले में, डाइट में एक जैसा प्रश्न पत्र है। जब एक जगह आप आमेर क्षेत्र में दे रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि पेपर जो आउट हुआ है संस्कृत का तो पूरे जिले को आपको एक ही मानना चाहिए। जब वह सैंक्टिटी नहीं है और पेपर बिक गया तो केवल आप कुछ स्कूलों में ही करवा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया। पंचायत समिति वाइज या डाइट का पूरे जिले का एक है। इन दो चीजों का आप उत्तर दे दें। राजस्थान के विद्यार्थी जो 10वीं का पेपर 12 मई को देने वाले हैं, आपके चार दफा पेपर आउट हो गये, मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य बार–बार दिया...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये। आर्डर प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : विद्यार्थियों में जो संशय पैदा हुआ हैं, वह संशय मिटा नहीं है। राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जो भी संगठन हैं, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। केवल इंगित करने से काम नहीं चलेगा। जो भी संगठन है, जो लाखों विद्यार्थियों के साथ, राजस्थान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वह किसी भी संगठन से हो, उसका पर्दाफाश आपको करना चाहिए वरना नैतिक जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री को अपने ऊपर लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब से सदन आरम्भ हुआ है, उस समय से लेकर अब तक हर तीसरे–चौथे दिन परचे आउट होने के सम्बन्ध में चर्चा होती है। सरकार का उत्तर दो बातों पर केन्द्रित होता है। पहला तो यह है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। कई बार आर.एस.एस. का भी नाम लिया जाता है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सरकार तो नहीं लेती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप ठहरिये; सरकार तो बहुत अच्छी है ना। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आज तक इन 15–20–25 दिनों में आपके पुलिस विभाग ने या इंटैलीजैंस विभाग ने इस बात की जांच नहीं की कि इसके पीछे षड्यंत्र किसका है और इस षड्यंत्र में किसका हाथ है आप बार–बार लगातार यह कहते जाएं कि यह षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र है, यह षड्यंत्र है तो मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि षड्यंत्र की रोकथाम नहीं होगी और चर्चा आप षड्यंत्र की करेंगे तो षड्यंत्रकारी आपको कभी भी सफल नहीं होने देंगे। आज मुझे खेद है इस बात को कहते हुए कि लगातार आप कहते जा रहे हैं कि वह बहुत वर्षों से हो रहा है और यह रैकिट है। मेरी समझ में नहीं आता, इसमें कोई विदेशों की सहायता लेनी पड़ेगी या कोई इंटैलीजेंस के लोगों को बुलाना पड़ेगा ? आप यह मंजूर कर लीजिये कि यह रैकिट है, हम इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। पकड़ नहीं पाते तो एग्जामिनेशंस की सैंक्टिटी क्या रहती है, इसके ऊपर इस सदन को विचार करना पड़ेगा। या तो रैकिट खतम हो और पर्चे आउट नहीं हो, इस प्रकार की सम्पूर्ण व्यवस्था हो। व्यवस्था नहीं हो और केवल रैकिट के नाम से हम चलते गये तो एग्जामिनेशंस की किसी प्रकार कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगी।

आज आपने एक नई बात और कर दी जो मैं समझता हूं कि आज तक हमने सुनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है। हुआ होगा, मैं कह नहीं सकता कि एक ही क्लास में एक ही प्रकार के पर्चे, पांच स्कूलों में तो वैकल्पिक पर्चे होंगे और बाकी की स्कूलों में ओरिजिनल पर्चे होंगे। इस प्रकार का शिक्षा मंत्री जी आपको ज्यादा अनुभव होगा, मैंने आज तक हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं देखा कि एक ही क्लास के बच्चों को दो प्रकार के पर्चे दिये जाएं। यह बात सुनी ही नहीं...

श्री जगत सिंह दायमा : दिल्ली में होता है साहब।

डा. चन्द्रभान : सेन्ट्रल बोर्ड में होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली में होता होगा, दिल्ली की बीमारी यहां मत लाइये। कहीं पर भी है। यह आप परम्परा जो चला रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे खतरा है और वह खतरा इस बात का है मान लीजिये, आपने आमेर के आसपास के पांच स्कूलों में पर्चे पकड़ कर, वैकल्पिक पर्चे आपने ले लिये, क्या पता है कि इन पर्चों की जानकारी और जगह नहीं मिली होगी ? कोई गारंटी से आप कह सकते हैं क्या कि दूसरी जगह ये पर्चे नहीं पहुंचे होंगे या पर्चों की सूचना नहीं पहुंची होगी ? फिर लड़का अगर फेल हो गया, मैं खतरा आगे बताता हूं कि लड़का फेल हो गया और एक लड़का पास हो गया तो फेल वाला लड़का यह कह सकता है कि यह पर्चा आउट हो गया था, पर्चे हमको नहीं मिले, नहीं तो हम भी पास हो जाते। यह इस खतरे की बात से आज यूं बचकर नहीं निकलें।

गृह मंत्रीजी यहां हैं नहीं, सबसे सीनियर मंत्री खेतसिंह जी बैठे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा। आप यह तो बताइये, मुख्य मंत्रीजी ने यहां पहले ही दिन यह कहा और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इस बात की जांच के लिए मैं आपको नियुक्त करता हूं। मैंने कहा कि यह राज्य सरकार का काम है, आप इसमें मुझे नियुक्त मत करिये। आप अपनी जांच कराइये। आज मुख्य मंत्री यह कहें कि हम जांच करवाएंगे और आज तक इस बात का पता नहीं लगे, आप आर. एस. एस. का नाम लेते जाएं, इससे आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी और आपकी इस आलोचना से आर.एस.एस. की गतिविधियों में कोई रोकथाम नहीं होगी। लेकिन मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आर. एस. एस. के लोग, जो जानते हैं आर. एस. एस. को वे इस प्रकार की कार्यवाही में कभी भागीदार बन ही नहीं सकते। यह अपनी तरफ से मैं आपको विश्वास कराना चाहता हूं। बार–बार षड्यंत्र की बात करना छोड़ो। अब के दिन आपने षड्यंत्र की बात कह दी तो मैं, खेतसिंह जी आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि यह षड्यंत्र आप लोगों का है और किसी का षड्यंत्र नहीं है। किसी का कोई षड्यंत्र नहीं है। जो षड्यंत्र नहीं है, आप खुद बता दीजिये ...(व्यवधान) नहीं नहीं, खेतसिंह जी को कौन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

धमका सकता है। आप पीछे बैठे हैं, मूछें वाले ही नहीं धमका सकते तो मैं तो बहुत दूर बैठा हूं।

लेकिन बहुत चिंताजनक स्थिति है। आप यह बार–बार मत कहिये। गलती हो गई, किसी ने पर्चे आउट कर दिये, पर्चे आउट करने वाले को हमने पकड़ लिया, उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया। उसके पीछे यह पुछल्ला लगा दें कि यह कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र है तो सरकार का काम है। मैं पूछना चाहता हूं, एक महीने से यह षड्यंत्र की चर्चा होते हुए भी राज्य सरकार इस षड्यंत्र का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाई ? आप जाने दीजिये पर्चे के मामले को, लेकिन यह षड्यंत्र, षड्यंत्र की बात कहते हैं और आपकी तो माफ करें आप आदमी तो अच्छे दिखते हैं शक्ल–सूरत से लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहते रहते हैं कि ये तो वर्षों से होते आ रहे हैं। वर्षों से होता आ रहा है तो कोई प्रेरणा मिलती है क्या कि यही काम हम दोबारा करें क्योंकि वर्षों से होता आ रहा है ? इसलिए यह काम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यह भाषा ही भूल जाएं कि वर्षों से हो रहे हैं। मान लीजिये, वर्षों से गलती हो रही है, वर्षों से पर्चे आउट हो रहे हैं, वर्षों से शिक्षा में किसी प्रकार की कमी आई है तो क्या उस चीज को आगे चालू रखेंगे ? चालू नहीं रखेंगे तो बार–बार इसका बहाना क्यों लेते हैं कि वर्षों से हो रहे हैं ? कोई लाइसेंस थोड़े ही है इस बात का ? यह लाइसेंस नहीं है। इसलिए, कल्लाजी आपके प्रति सहानुभूति होते हुए, मेरा कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है बल्कि मैं आपको अपना अच्छा मित्र मानता हूं लेकिन मैं मित्र को भी यह सलाह देता हूं कि अगर सरकार हमारी होती और कोई शिक्षा मंत्री होते तो आप यहां धरना देकर बैठ जाते कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। हमने धरना नहीं दिया है, हमने केवल आपके विवेक पर छोड़ा है। मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, आप अपने विवेक से काम करेंगे तो यह पद कोई बड़ा नहीं है। राजस्थान में इस प्रकार की परम्परा डाल दीजिये कि पर्चे आउट हुए, शिक्षा मंत्री ने त्याग–पत्र दे दिया। सारा शासन अलर्ट हो जाएगा, हर आदमी अलर्ट हो जाएगा, लोगों को एक...

एक माननीय सदस्य : नैतिकता के आधार पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नैतिकता के आधार पर। मैं ऐसा समझता हूं, आप खेत सिंहजी की शक्ल मत देखिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यह सलाह मित्र के नाते दे रहे हैं क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मित्र के नाते। मैं मित्र के नाते दे रहा हूं। बदनामी बहुत हो चुकी है, मामूली बदनामी नहीं है। यह कोई ट्रांसफर का मामला नहीं है, कोई नियुक्ति का मामला नहीं है, कोई और व्यवस्था का मामला

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं है, यह लाखों छात्रों के भाग्य से जुड़ा हुआ मामला है। आप यदि उनके साथ सहानुभूति दिखाना चाहते हैं और प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं, प्रशासन को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस चीज को सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो मैं समझता हूं, आप त्याग–पत्र दे दें नैतिकता के नाते, जिम्मेदारी के नाते। मैं नैतिकता का ही प्रश्न नहीं उठाता, यह आपकी रेस्पोंसिबिलिटी है, उस रेस्पोंसिबिलिटी को सही प्रकार से आप डिस्चार्ज नहीं कर पाये, इस नाते आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप मुख्य मंत्री होते तो मैं सीधा सवाल उनसे करता कि आपने उस दिन षड्यंत्र की बात कही थी, आज तक वह षड्यंत्र का पर्दाफाश क्यों नहीं हुआ। कौन–से एलिमैंट हैं जिनके कारण से आपके पर्चे बार–बार आउट हो रहे हैं ? आप इस षड्यंत्र का पता नहीं लगाएंगे और अगले वर्ष फिर कह देंगे, ये पर्चे आउट हुए इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की गम्भीरता को देख कर इसको बाईपास करने की कोशिश नहीं की जाए। भविष्य में कोई इस प्रकार का डैटेरेंट इस सारी व्यवस्था में आना चाहिए कि कोई आदमी पर्चे आउट कराने की हिम्मत नहीं कर सके और विद्यार्थियों में किसी प्रकार की अनिश्चितता का जो निर्माण हुआ है वह अनिश्चितता खतम हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : चाहे वह आर. एस. एस. के हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आर. एस. एस. के हो तो आप पकड़ कर सजा देओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री महेश जोशी : मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने लेकिन आर. एस. एस. का नाम लेने पर आपत्ति नहीं की हैं कि आप आर. एस. एस. वालों का नाम मत लो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ? यह कहां कहा है ?

श्री महेश जोशी : आपने छूट दे दी क्या कि आप आर. एस. एस. ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बताऊं, आर. एस. एस. हो, चाहे भैरोंसिंह हो, चाहे भंवर लाल शर्मा हो, इस प्रकार का अपराध जो व्यक्ति करता है उसको किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बार–बार यह कहेंगे कि आर. एस. एस. के लोग हैं, अभी इन्होंने कहा, सेवा दल है, कांग्रेस या बी.जे.पी. या सेवा दल या आर.एस.एस. इसमें इस चीज को मत बांटो, यह मामला बहुत गम्भीर है। इसको डाइवर्ट करके हम बच जाएं, आर.एस. एस. का नाम ले लें तो बच गये, ये कहें कि हम सेवा दल का नाम ले लें तो बच जाएं, यह सेवा दल या आर. एस. एस. का विषय नहीं है, यह राजस्थान की व्यवस्था का और राजस्थान के छात्रों के भाग्य का विषय है। इसलिए मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह कहना चाहता हूं कि छोटे दायरे से निकल कर आप इस व्यवस्था को करें, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप बहुत ऊंचे हो जाओगे अगर त्यागपत्र दोगे। (व्यवधान) आप तो हंसते हो, मैं आपको कहता हूं इमेज बन जाएगी आपकी। मुझे मालूम है...

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो सलाह दी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसा एक ही उदाहरण है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और लाल बहादुरजी शास्त्री ने इस्तीफा दिया। बाकी किसी ने...

मोहम्मद माहिर आजाद : माधवराव सिंधिया ने कर दिया था। टेलीफोन टेपिंग कांड में रामकृष्ण हेगड़े ने दिया था।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : कांग्रेस के तो एक नहीं अनेक उदाहरण हैं, इनका एक भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामस्वरूप : वाजपेयीजी से क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया ? हमको हटाना पड़ा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूपजी। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : और दूसरा भी उदाहरण है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, हुआ। हुआ।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान में भी, उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण हैं यहां का भी इतिहास है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह भी कांग्रेस के ही मिनिस्टर श्री माधवराव ने प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त दिया। कांग्रेस की तरफ से ही ये दो उदाहरण है। आपके राज के तो कोई उदाहरण है नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : टेलीफोन कांड के अंदर कर्नाटक के मुख्य मंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने भी त्यागपत्र दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : और तीन बार दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो एक बात, खेत सिंहजी पूछना चाहता हूं, एक बात। ठहर जाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने दो उदाहरण दिये, माधव राव सिंधिया का, एक दिया आपने लाल बहादुरजी शास्त्री का। (व्यवधान) मेरी सुनो। बहुत लोगों ने दिये हैं, लेकिन ये दो ने इस्तीफे दिये वह अच्छा काम किया न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, वह अच्छा काम किया। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो वही अच्छा काम करने के लिए ही इनको कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : इस अच्छे काम के लिए इसी सदन में मैंने व्यक्तिशः ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब वक्त बहुत बदल गया, वे बातें भी नहीं रहीं, वे लोग भी नहीं रहें। आप खामख्वाह एक जवान को जिबहा करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखवत : मैं आपको इतना कहता हूं ईमानदारी से, मैं कत्ल नहीं करता, मेरी पूरी सहानुभूति है इनके साथ। मैं आज कहता हूं ...

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप शायद बूढ़े को कहते तो विचार कर लेते, आप जवान के कत्ल करने की बात कर रहे हैं। बूढ़े को कहो आप तो राय मान लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं , आप सुन लें। पूरी सहानुभूति हैं। कोई जवान के कत्ल की बात नहीं हैं। मैं आपको कहता हूं, ये इस्तीफा दें तो अगली बार ये और मैं तो चुनाव लड़ने नहीं इसलिए इनकी तो कोई तारीफ् होने वाली नहीं हैं। लेकिन ये अगर इस्तीफा देंगे तो निश्चित रूप से, मुख्य मंत्री के क्लेमेंट तो होगें ही, लेकिन यही कांग्रेस के लोग कहेंगे कि देखो, हमारे कल्लाजी ने लाल बहादुर शास्त्री का अनुकरण किया और त्याग पत्र दे दिया। आपका नाम भी इन दो के साथ जुड़ जाएगा। यह जोड़ लो, यह मौका बारबार नहीं आएगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुष्करण ब्राह्मण भोला जीव है, आप ऐसी बातें मत कहो।

श्री जगतसिंह दायमा : अब घोषणा मत कर देना आप, कहीं भाव में ही आ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जितनी चिंता है उससे कहीं ज्यादा चिंता मेरी इस विषय में है और मैं समझता हूं कि मैंने सदैव इन स्थितियों को बड़ी गम्भीरता से लिया है। जितना प्रिकाशन लेना चाहिए, शिक्षा विभाग ने उतना प्रिकाशन बराबर लिया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छह लाख सोलह हजार विद्यार्थी उच्च प्राथमिक शाला की परीक्षा में पूरे राजस्थान में एपीयर हुए और आज इसका लास्ट पेपर साढ़े बारह बजे था, साढ़े बारह बजे परीक्षा समाप्त हो जाती लेकिन कल शाम को जो आमेर में घटना हुई उसके कारण अब साढ़े बारह बजे की जगह आज पांच बजे, साढ़े पांच बजे पेपर

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

समाप्त हो जाएंगे, इससे ज्यादा तत्परता विभाग क्या दिखा सकता था ? नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उर्दू का प्रश्नपत्र वगैरह बताया, जो प्रश्न पत्र दस यहां पर आउट किये गये, पहली बार बोर्ड ने उसी शिड्यूल के अनुसार सारी परीक्षाएं कराई। अब उसमें प्रश्नपत्र में कही ऊपर कटिंग है, यह है तो आप यह समझो कि छपने में, करने में टाइम लगता है। पर उसके प्रश्न–पत्र आउट तो नहीं हुए।

मोहम्मद माहिर आजाद : छपा नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि हस्तलिखित प्रश्न पत्र दिया जा सकता है क्या ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : तो क्या हो गया ? क्यों नहीं दिया जा सकता ? दिया जा सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने प्रिंटेड लिख रखा है ऊपर, प्रिंटेड। यह काट–छांट देखिये, यह पेपर की स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह हो सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पेपर की स्थिति देखिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह विद्यार्थी द्वारा नीचे कटिंग की गई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब में है। ओरिजिनल भी है। मैंने यही तो कहा, आप इसकी जांच करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय माहिर आजाद जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षा के प्रश्न पत्र की पूरी पवित्रता का ध्यान रखा गया है और इसके अलावा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कौन–सी बार स्टेटमैंट दे रहे हैं, इतना बता दें ? कौन–सी बार ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीसरी बार।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांचवीं बार।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीसरी बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांचवीं बार।

श्री बुलाकीदास कल्ला : तीसरी बार।

श्री उपाध्यक्ष : पांचवीं बार सही।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जितनी बार आप चाहो, उतनी बार।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी रविवार के दिन पूरे राज्य के जिला शिक्षा अधिकारियों, उपनिदेशकों को मैंने बुलाकर मीटिंग ली। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं जो स्थगित की गई थीं, वे दोबारा लेनें के बारे में उनको पूरी हिदायतें दी गई हैं। उनके श्री वैकल्पिक प्रश्न पत्र छपवाने के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

निर्देश दिये हैं ताकि कहीं कोई सबोटाज करने की कोशिश करे तो एज पर शिड्यूल एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी को बनाये रखते हुए हम समय पर परीक्षा करवा दें, समय पर रिजल्ट्स वगैरह निकलवा दें।

इसके अतिरिक्त अभी विपक्ष के नेता महोदय ने कई सवाल यहां पर उठाये। मैं आपके माध्यम से उनको यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाजोरिया स्कूल में जो बुद्धि प्रकाश गिरफ्तार हुआ था उसने अपने बयान में यह कहा है कि वह पेपर पहले आउट करता रहा है। हम इस सम्पूर्ण मसले की जांच करवा रहे हैं और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी मैं उसको कहीं छिपाने वाला नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद यदि सदन यह समझता है कि मेरी कहीं कोई गलती है तो मैं उस जिम्मेदारी को सहन करने के लिये तैयार हूं। लेकिन सवाल इस बात का है कि बोर्ड आटोनोमस बाडी है और आटोनोमस बाडी यदि कहीं कोई गलती करती है तो सरकार उनको सहयोग हमेशा बराबर देती रही है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं और इस सदन में 1992, 94, 96 और 1998 का जिक्र इसलिए करता हूं कि उस समय भी सरादपुरा सैकण्ड्री स्कूल और सीनियर सैकण्डरी स्कूल, दोनों के प्रश्न पत्र आउट हुए थे, यदि उस समय आप कोई ऐसी बात दिखाते तो मैं तो आगे बढ़कर दिखाने वाला हूं। जो एम. एल. ए. को तनख्वाह मिलती है वही मिनिस्टर को मिलती है, मैं इसके लिए तैयार हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैंने व्यवस्थाओं को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया है और आगे भी, इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूगा ताकि विद्यार्थियों को ... (व्यवधान) मैं पहले पूरा तो कर लूं।

उपाध्यक्ष महोदय, रैकेट्स के बारे में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये, यह निश्चित रूप से प्राइमोफसी लग रहा है, मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग में जो पकड़े गये लोग हैं उनका नोटिवप्लेस राजस्थान नहीं है। हम पूरी जांच करवा रहे हैं कि उन लोगों का ओरिजिन कहां से है, किस तरीके की विचारधारा से वे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से वे इस काम में संलग्न हैं। इसकी पूरी जांच मैं गृह विभाग के माध्यम से करवाऊंगा और करवा कर जो स्थिति होगी, जो भी जानना चाहेगा उसको बताने का प्रयत्न करूंगा।

जहां तक षड्यंत्र के बारे में आप लोगों ने बात कही, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से सजा का प्रावधान वगैरह पहले सके किया हुआ है। मैंने पहले भी सदन को आश्वस्त किया था, मैं इस संबंध में बराबर लगा हुआ हूं कि इस सत्र में अथवा सत्र में नहीं हुआ तो ओर्डिनेंस के माध्यम से हम कठोर सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं और फाइन का भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा करने जा रहे हैं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मैं चाहूंगा कि पूरा सदन उसमें सहयोग करे ताकि असामाजिक तत्व अथवा जो भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से प्रश्न पत्रों को छेड़ने की हिमाकत करता है या सबोटाज करता है उसको पुख्ता दण्ड मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। समाप्त कीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उर्दू के प्रश्न पत्र के बारे में कुछ कह रहे है मंत्री जी वे बोल रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी विराजिए। प्लीज विराजिए, बहुत हो गया।

श्री जगमाल सिंह यादव : उर्दू के बारे में अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, वे जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज। प्लीज, जगमाल सिंह जी विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उर्दू का सवाल है, बोलना चाह रहे हैं वे, उनको बोलने तो दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं, उर्दू का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठिए, तब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू के मंत्री जी बोलें। यह हज करके आये है, ये बात सही कहेंगे, उनको बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अब्दुल अजीज (राज्य मंत्री, शिक्षा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक ही बात है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि ये पर्चे आइंदा कम्प्यूटराइज्ड उर्दू के अंदर आएगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी जो गलती हुई है उसका क्या करेंगे ?

श्री अब्दुल अजीज : इसमें गलती कुछ भी नहीं है। यह हाथ से लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। आपको मालूम नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मंत्री महोदय ने बडे उदार मन से कह दिया कि आइंदा कम्प्यूटराइज्ड पर्चे होंगे पर इसमें तो स्वीकार कर लो कि गलती हुई है, हज करके आये हैं। यह बड़ी बात थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : एक भी गलती नहीं है इसमें। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, विराजिए प्लीज। माननीय जगमाल सिंह जी विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह रहे हैं गलती नहीं है, गलती नहीं है। हज करके आये है और गलत बयानी कर रहे हैं। इनको सही बात स्वीकार करनी चाहिये, गलती क्यों

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नहीं है इसमें ? उर्दू पढ़ना मैं भी जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, माननीय सदस्य। आज बहुत गंभीर समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, माननीय मोहम्मद माहिर आजाद जी (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सही जानकारी देनी चाहिये, यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : कोई गलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, आप विराजिए। अंकित नहीं हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री जगमाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : राज्य की विद्युत काल व पेयजल की स्थिति पर विचार। डा. चन्द्रभान, ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे। आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया तो कह दिया, मैं क्या करूं उसका ?

श्री जगमाल सिंह यादव : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी विराजिए। आप लिबर्टी मत लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप फालतू बोले जा रहे है। माननीय भाटीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : xxx

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। हो गई बात, अब खतम हो गई।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, आप बोले जा रहे हैं। माननीय जगमाल सिंह जी प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, यह उनका विषय नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया जो कहना था। माननीय मंत्री जी।

श्री जगमाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, डोंट टेक लिबर्टी। डा. चन्द्रभान जी। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राज्य में विद्युत, अकाल व पेयजल की स्थिति पर विचार

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह जी शक्तावत।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह जी विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य में पेयजल की स्थिति पर विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल जी विश्नोई। आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं, खेतसिंह जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि आप ढाई सौ करोड़ रुपये का राजस्थान के कर्मचारियों को डी. ए. देने जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, यह क्या विषय है ? नो, आई डोंट, अलाउ इट। आप बैठिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप किससे सवाल कर रहे हैं ? किसी को पता नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : संसदीय कार्य मंत्री जी से।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, यह कोई विषय नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक ही मिनट में सवाल कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : यह हाउस का इश्यू ही नहीं है अभी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह वित्त मंत्री जी से ताल्लुक का प्रश्न है, श्रीमान्। वित्त मंत्री जी आएं तब आप पूछ लेवें।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, आप बताएं, मैं कोई जिम्मेवार हूं क्या वित्त मंत्री जी दो दिन नहीं आएगे तो ? हाउस में संसदीय कार्य मंत्री जी...

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने अखबार में पढ़ा ही है फिर मुझसे कहलवाने की क्या जरूरत है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : आप देने जा रहे हो ना ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, दे रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : यह महंगाई की वजह से दे रहे हो ना ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री जगमाल सिंह यादव : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था कर रही है सरकार। सरकार

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यवस्था कर रही है, थोड़ा इंतजार करो आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप इंतजार करो, आपकी बात को समझ गये, आप इंतजार करो थोड़ा।

श्री जगमाल सिंह यादव : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी आपकी बात को समझ गये। आप दो दिन इंतजार करो, आपकी व्यवस्था हो रही है। प्लीज विराजिए, आपकी भावनाओं को समझ गये हम। माननीय हीरालाल जी विश्नोई।

श्री जगत सिंह दायमा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : चालू करते हैं, आप शुरू ही नहीं होने देते। फिर आप बोलेंगे, ये बोलेंगे।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : नहीं, और किसी विषय पर नहीं, मेरा अनुरोध तो इतना है कि आज अधिकांश माननीय सदस्य समस्या पर विचार–विमर्श में भाग लेना चाह रहे हैं इसलिए 7 से 10 मिनट तक की समय सीमा बांध दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यही चेष्टा कर रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : xxx

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल जी विश्नोई। शुरू कीजिये। माननीय श्री जगत सिंह जी विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : विधायक को महंगाई नहीं मारती है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : विधायक को महंगाई नहीं मारती है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इत्मीनान रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, विराजिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह न अकाल है, न पेयजल की समस्या है। यों ही बेकार के भाषण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र-सदन में अकाल, बिजली व पानी की समस्या के बारे में चर्चा चल रही है। मानव जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पानी, अकाल व बिजली के ऊपर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद चिन्ता जाहिर की गयी है, वाकई ये तीनों चीजे मनुष्य के जीवन के

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

लिए ऐसी चीजें हैं कि आम गरीब आदमी इनसे प्रभावित होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है अकाल राहत मंत्रीजी से कि जालोर

(13.02 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति पदासीन)

व बाड़मेर के अन्दर अकाल की छाया हर आने वाले वर्ष में पड़ती आयी है। तूफान आया राजस्थान में, उसमें भी हमारा जालौर जिला और बाड़मेर जिला प्रभावित हुआ था। अकाल की स्थिति को देखते हुए हमारे इलाके में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का राज आते ही काफी अकाल राहत कार्य शुरू किये गये, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। फिर भी किन्हीं कारणवश कुछ कमियां रहीं। पूरे राजस्थान में जो सीलिंग लगी हुई थी, जो पाबंदियां लगी थीं उन पर तत्परता से मंत्री महोदय ने कार्यवाही की और वे हटायी हैं। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि वहां पर अकाल बहुत भयंकर है, आप मजदूरों की सीलिंग बढ़ाएं ताकि वहां के लोगों को गुजरात और अन्य प्रदेशों के अन्दर पलायन नहीं करना पड़े और उनको अपनी रोजी–रोटी वहीं से मिल सके। खास कर पशुओं के लिए चारे की कमी है। हमारे इलाके के अन्दर चारे की हमेशा से ही कमी रही है, उस चारे के लिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे जिले के अन्दर व पूरे राजस्थान में चारे की व्यवस्था की जाए। एक गौशाला के अन्दर कम से कम दो हजार गायें इकट्ठी की हुई हैं, उनके लिए भी मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया था। साधु–संत गायें इकट्ठी करके बैठे हैं, वे जैसलमेर तक गायों को लेकर गये थे, मगर वहां भी पानी की कमी के कारण उनको वहां से वापस लाना पड़ा। ऐसी जो गौशालाएं हैं, जहां उनको अनुदान मिलता है वह अनुदान देकर चारे के लिए काफी राहत दिलानी चाहिए।

इसी तरीके से मैं बिजली मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काफी आपके प्रयासों से अब की बार किसानों को 8 घंटे बिजली दी गयी, उससे हमारा किसान वाकई खुश है। हमारे जिले में जो टेल एण्ड पर आया इलाका है सांचोर, जो हमारी कांस्टीट्यूएंसी भी है, वहां पर 132 के.वी.ए. का सब–स्टेशन बना हुआ है उसके ऊपर 33 के.वी.ए. के 2–3 सब–स्टेशन बने हुए हैं, उनके ऊपर ओ.सी.बी. जो इनका इंस्ट्रूमेंट होता है, वह नहीं होने के कारण वहां पर कई बार बिजली के अन्दर काफी कठिनाइयां आती हैं। सांचोर एकदम टेल–एण्ड पर आयी हुई तहसील है, वहां पर पूरे राजस्थान के दूसरे इलाकों के मुकाबलें बिजली के अन्दर हम पिछड़े हुए हैं। इसलिए पिछड़े हुए हैं कि दूसरे जिले या दूसरे गांवों के तहसील हैडक्वार्टर पर कम से कम 1992 की प्रायोरिटी में कनेक्शन दिये जा रहे हैं और हमारे सांचोर में अभी भी

(श्री हीरालाल विश्नोई)

1984–85 की प्रायोरिटी में हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि वहां पिछले 7–8 सालों के अन्दर राजनीतिक भेदभाव से कार्य किये गये। सांचोर तहसील में जो विद्युतीकरण होना चाहिए था, गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ और जो कनेक्शन देने चाहिए थे, वे कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी तहसील में आज भी ऐसे कम से कम 8–10 पंचायत हैडक्वार्टर हैं जो विद्युतीकृत नहीं हुए। मैं उनके नाम गिनाना चाहता हूं– भीमपुरा, सूरतचंद, खेजड़ी वाली, सेंतड़ी, जोराधर और ऐसे कई 20-30 गांव हैं वे अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए। कई विद्युतीकृत हो गये हैं मगर वहां लाइन नहीं खींची गयी है और आज भी वहां पर पूरी समस्या बनी हुई है। बरणवा, बेड़िया, आरवा, कूकड़िया, भीमपुरा, भवांदरा, ये सभी जो गांव हैं वे अभी तक विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। आजादी के 50 साल बाद स्वर्ण जयंती मानने हम जा रहे है, कई जगह पूरे के पूरे गांव विद्युतीकृत हो गये, पंचायत हैडक्वार्टर का सब जगह विद्युतीकरण हो गया, मगर जालौर जिले में खासकर सांचोर के अंदर पिछले 7–8 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने जिस तरह का भेदभाव बरता उसके कारण हमारी विद्युतीकरण में कठिनाइयां आ रही हैं। पिछले 5–7 साल से 2–3 सब–स्टेशन 33 के.वी.ए. के स्वीकृत थे मगर आज दिन तक इस विद्युतीकरण के अंदर जोड़े नहीं गये हैं जैसे फ्लादर, झाब और पांचला। 33 के.वी.ए. के 3–4 सब– स्टेशन प्रस्तावित थे, आलीवा, करावड़ी, सांकड़, ऐसे गांवों के प्रस्ताव लेकर 33 के.वी.ए. से जोड़ा जाए ताकि हमारे बिजली के अन्दर बार–बार जो फलक्चुएशन आता हे वह न आए। इसके कारण किसान की मोटरें जलती हैं, खासकर पी.एच.ई.डी. के अंदर। पी. एच. ई. डी. के सोर्सेज इससे जुड़े हुए हैं, रोज दर रोज ऐसे हालात होते हैं कि पी. एच. ई. डी. के सोर्सेज से पूछते हैं तो कहते है कि वह वोल्टेज नहीं आने के कारण हमारी मोटर जल गयी। ये सब– स्टेशन आपके बनेंगे तो इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। एक 132 के.वी.ए. का सब–स्टेशन प्रस्तावित है मालवाड़ा के अंदर, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मंत्री महोदय, इस तरीके से किसानों की समस्याएं देखते हुए और 8 घंटे बिजली देकर आप लोगों के जिस तरीके से वाहवाही लूटी है...

श्री सभापति : संक्षिप्त करें।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के अंदर जिस तरह से हमारे किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ता है उस समस्या के समाधान के लिये जो भी हमारे प्रस्तावित 33 के. वी.ए. के सब स्टेशन हैं, जो स्वीकृत भी हैं, 4–5 सालों से, उनको पूरा कराया जाए। जो स्वीकृत नहीं हैं उनको स्वीकृत कराकर बिजली के अंदर

(श्री हीरालाल विश्नोई)

राहत दिलाए।

दूसरी समस्या जो बिजली की है वह यह है कि गांवों के अंदर लम्बी–लम्बी लाइनें खींची हुई हैं, लेकिन लम्बी लाइनें खींचने की वजह से और आपके कर्मचारी लाइनमैन कम मात्रा में होने के कारण गांवों के अंदर कोई मेंटिनेंस नहीं होती है। पिछले 10–20 सालों के इस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, बड़े–बड़े अधिकारियों के जब चाहो तब प्रमोशन हो जाते हैं, जितनी भी सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा हो जाती है, लेकिन जो लाइनमैन हैं, खास हमारी धरोहर हैं, 20–20 किलोमीटर लाइन पर अगर अकेला आदमी होगा तो वह कैसे मेंटिनेंस सम्भालेगा और कैसे कार्य करेगा ? इसलिए मेरा आपे माध्यम से निवेदन है कि आप लाइनमेन के लिये कोई न कोई प्रावधान बनाएं। आफिसों के अंदर भी बाबुओं के कई पद खाली पड़े हैं, वे पद भी भरवाए जाएं ताकि हमारे छोटे–मोटे कार्यों में जो तकलीफ होती है, वह दूर हो सके।

इसी तरह पानी के बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें। आज बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं और टाइम का अभाव है।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमारी खास जो समस्या है इन समस्याओं के ऊपर ही बात हो रही है।

श्री सभापति : ऐसा है, आप संक्षिप्त में कहें।

श्री हीरालाल विश्नोई : हां, मैं मेरी समस्या के बारे में कह रहा हूं, दूसरे की समस्या के बारे में नहीं कह रहा हूं।

मैं मंत्री महोदय को पानी के बारे में धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले 8 साल से हमारे नहरी इलाके के जिन गांवों में पानी नहीं जाता था वहां पानी काफी गांवों के अंदर पहुंचाने की चेष्टा की। इसके लिए तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, मगर पिछले 7–8 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दोहरा व्यवहार करके जिस तरीके से हमारे यहां कार्य किये, मैं उन कार्यों के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

हमारे यहां कम से कम 200 गांव और 900 ढाणियां आइडेंटीफ़ाइड हैं। सभापति महोदय, इतना बडा इलाका है और ढाणियों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए पानी के सीमित सोर्सेज हैं। 1990 में राजीव गांधी मिशन योजना के तहत ढाणियां जोड़ने का प्रावधान हुआ था, मगर मैं आपके मार्फत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजीव गांधी मिशन के तहत जो भी ढाणियों के सोर्स की योजनाएं थीं, जालौर जिले की सांचोर तहसील के अंदर पिछले आठ साल में एक भी स्कीम की स्वीकृति नहीं हुई। मैंने पहले प्रश्न लगाया था, मैं इस बारे में यहां पर धरने पर भी बैठा था। इसलिये बैठा था कि गलत

(श्री हीरालाल विश्नोई)

बयानी करते थे। हमेशा गलत बयानी करते रहते कि इतने गांव जोड़ दिये, इतना आपका काम कर दिया। जबकि पिछले लम्बे टाइम से हमारी जो स्वीकृतियां राजीव गांधी मिशन के तहत होनी चाहिए थीं, वे आज दिन तक नहीं हुई। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सुरावा–सांचोर जल प्रदाय योजना दो साल पूर्व स्वीकृत हो चुकी थी; दसवें वित्त आयोग से राशि की स्वीकृति हो चुकी थी, मगर 2 साल से आज दिन तक पाइपों की स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इसमें तुरन्त प्रभाव से आप सुरावा–सांचोर जल प्रदाय योजना की पाइप लाइन स्वीकृत कराकर हमें राहत दिलाएं। इसी तरह से हमारी सुरावा–आडेता योजना जिसके सुरावा में सोर्सेज बन चुके हैं, वह योजना भी स्वीकृत की जाए, जिसमें 15 गांव व 17 ढाणियों को पेयजल मिलेगा। यह लगभग 2 करोड़ की राशि की है।

इसी तरह से मादेरड़ी–हेमाकुड़ा योजना जिसके सोर्सेज मादेरड़ी में बन चुके हैं, इस योजना की भी स्वीकृति की जाए, जिससे 3 गांव व 6–7 ढाणियां लाभान्वित हो सकती है। इसी तरीके से गुड़ली विश्नोइयों की ढाणी के लिये एक नलकूप योजना है इससे 3 ढाणी व 10 गांव लाभान्वित हो सकते हैं। इसकी भी स्वीकृति तुरन्त प्रदान कराएं। सीलू–देसला योजना में 18 गांव व 36 ढाणियों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराने के लिये गरडाली में स्रोत तैयार हो चुके हैं, वह तुरन्त स्वीकृत करायी जाए। इसी तरह से परावा, चीतलवाना, परावा केरिया की भी योजना आपके पास आयी हुई पड़ी है। उस योजना को भी आप तुरन्त स्वीकृत कराएं। कम से कम 53 ढाणी व 20 गांवों खासकर चीतलवाना जो पंचायत समिति हैडक्वार्टर बनने जा रहा है, इतने बड़े इलाके में पानी की बड़ी भयंकर स्थिति है। हम आज भी 8 डी.टी.एस. का पानी पी रहे हैं, वह पानी भी हमको नहीं मिलता है। फ्लोराइड 8 घण्टे–9 घण्टे का पानी हम पी रहे हैं, फिर भी वह पानी हमें नहीं मिल रहा है। इसलिये जो भी योजना आपके वहां पड़ी है वह आप तुरन्त स्वीकृत कराकर हमें इससे लाभान्वित करें।

सभापति महोदय, नहरी क्षेत्र हमारा खास पिछड़ा हुआ है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय से भी नहरी इलाके के लिये चिन्ता जताई थी कि नहरी एरिया बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है, उस एरिये को विभिन्न योजना बनाकर विकसित किया जाएगा ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। इसके सुधार हेतु पूर्व में कोई प्रयास नहीं किया गया। मंत्री महोदय से निवेदन है कि नहरी एरिये की 52 ढाणियों व 20 गांवों के लिए जो योजना स्वीकृति में पड़ी है उसको तुरन्त स्वीकृत कराएं ताकि लोगों को पानी की जो वाकई किल्लत है, उस पानी की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सभी

(श्री हीरालाल विश्नोई)

माननीय मंत्रीगण से निवेदन है कि जो भी लम्बे टाइम से आपके पास स्कीम्स पड़ी हैं, वे स्कीम्स स्वीकृत कराएं ताकि हमारे लोगों को राहत मिल सके। मंत्री महोदय, पानी एक ऐसी चीज है कि पानी के लिये 20–30 किलोमीटर लम्बे जाने के बाद भी पानी नहीं मिलता है। वहां अण्डर ग्राउण्ड पानी नहीं होने के कारण पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री हीरालाल विश्नोई : सभापति महोदय, मैं पूरा कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने मिशन योजना के तहत हमारी ढाणियों के बारे में जिस तरह से चिन्ता जताई थी, वह चिन्ता आप जताकर हमें ढाणियों के अंदर पानी से लाभान्वित करें। अकाल की जो स्थिति बनी हुई है, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से भी निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी राहत जुटाएं ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आदरणीय सभापतिजी आज माननीय मंत्रीगण– विद्युत, अकाल राहत और पी.एच.ई.डी. ने अपनी मांगों के बारे में प्रस्ताव किये है कि उन पर विचार किया जाए। मान्यवर, मैं झुंझुनू जिले के एक हिस्से मण्डावा से निर्वाचित होकर आता हूं। जिले से मेरे इलाके की स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं, मान्यवर, वह खारे पानी का इलाका है और इस वर्ष के अकाल के कारण वहां पीने के पानी की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मान्यवर, वैसे भी आज दो तिहाई राजस्थान अकाल से ग्रस्त है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र पूरा का पूरा अकाल में है। झुंझुनूं पूरी तहसील अकाल में है, जिसमें मेजर हिस्सा मेरा निर्वाचन क्षेत्र आता है। मैं अकाल सहायता मंत्रीजी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने काम प्रारम्भ किये हैं, इंस्ट्रक्शंस दिये हैं। मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय का ध्यान एक तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे काम गांवों में चालू किये जाने चाहिए जिनसे मजदूरी लागों को मिल सके। आज स्थिति यह हो गयी, मान्यवर कि दूसरी जगह का नहीं कहता, हमारे यहां तो यह है कि ऐसे काम टेक–अप कर रहे हैं डी. आर. डी. ए. के अधिकारी जिनमें उनको लाभ है। जिनमें सरपंच लोग इण्ट्रैस्टेड हैं, उनमें वे काम निकलवा लेते हैं और जिनमें लेबर कम होती है, लेबर कम्पोनैंट बहुत कम होता है, वहां काम बहुत कम हो रहे हैं। मैंने एक सुझाव दिया था, मंत्री महोदय, कि सड़कों का काम अधिक से अधिक लिया जाना चाहिए अथवा वे काम लिये जाने चाहिए जिनके अन्दर मैटीरियल कम्पोनैंट कम आता हो और जहां लेबर पोर्शन ज्यादा आता हो। उस पर मंत्री महोदय ने ध्यान भी दिया है लेकिन मैं पुनः महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता

(श्री रामनारायण चौधरी)

हूं। कृपाकर ऐसे काम करवाएं ताकि उन लोगों को मजदूरी मिल सके और लोग जीवित रह सकें।

मान्यवर, इसके साथ पानी की बड़ी समस्या है। मेरे यहां सौ गांवों में खारा पानी है, भयंकर फ्लोराइड है। मान्यवर, आपको मालूम है, मेरा उपचुनाव हुआ था, 1983 में। सभापति महोदय, आप भी पधारे थे। उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्री को हमने वहां की स्थिति बतायी थी। मैं एक पाइंट पर ले गया था, जावासर एक गांव है वहां। एक पाइंट पर ले जाकर मैंने उनको बताया था कि देखिये, यहां से आप उत्तर की ओर झांकिये। वह तारानगर तहसील है, चूरू जिला है। वहां पर साहवा का पानी आएगा इंदिरा गांधी नहर का। उस समय इंदिरा गांधी नहर नहीं बनी थी, राजस्थान कैनाल थी। यहां राजस्थान कैनाल का पानी आएगा तो उस सीमा के उधर वाले राजस्थान कैनाल का पानी पीएंगे और हम खारा पानी पीएंगे। लोग हमें क्या कहेंगे ? लोग हमें गांव में कैसे घुसने देंगे ? उन्होंने कहा कि रामनारायणजी इसमें क्या हो सकता है ? मैंने कहा कि वहां पर 120 फीट लिफ्ट लगती है, हमारे यहां पर 170 की लगेगी। 50 फीट लिफ्ट का खर्चा आपको और देना पड़ेगा। बोले, मैं आज वादा नहीं करता, मैं आपको फिर बताऊंगा। वे जयपुर आये और जयपुर आने के बाद नैक्स्ट टर्म में जब वे गये, मलसीसर उनकी मीटिंग थी, तब उन्होंने कहा कि रामनारायणजी आप जो बात कह रहे थे वह सम्भव हो सकती है ? तो मैंने कहा, सम्भव हो सकती है। तो आप इसका ऐलान कीजिए तो मलसीसर की सभा में... (व्यवधान) माननीय राठौड़ साहब...

श्री सभापति : राठौड़ साहब, प्लीज ऐसे बात नहीं कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मलसीसर की सभा में, सभापति महोदय, तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर ने यह घोषणा की कि इन खारे पानी के गांवो को जो अलसीसर पंचायत समिति के हैं, उन सबको राजस्थान कैनाल लिफ्ट इर्रिगेशन का पानी पहुंचाया जाएगा। यह उन्होंने घोषणा की थी और मुझे खुशी हैं कि यहां उन्होंने आकर अधिकारियों को आदेश भी दे दिये थे, निर्देश दे दिये थे। वह स्कीम बनी, 1985 में चुनाव लड़ने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हरिदेवजी जोशी ने उस स्कीम मोडिफाई कर झुन्झुनूं तक उसको जोड़ दिया। उधर फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ और सीकर तक को भी उसी स्कीम से लिफ्ट के जरिए पानी देने के लिए जोड़ दिया था, उसकी भी घोषर्णा हुई।

मान्यवर, 1990 आ गया। 1990 के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक जर्मन योजना के साथ हमारे इस इलाके को जोड़ दिया। जर्मन योजना में जोड़कर जो हमारी अलग इंडिपेंडेंट स्कीम थी, उसको उसके साथ कर दिया और उसको सैकण्ड फेज में ले जाकर डाल दिया। सभापति महोदय,

(श्री रामनारायण चौधरी)

गौर कीजिएगा। सैकण्ड फेज में डालने का मतलब है कि हमारे झुंझुनूं जिले को तो पानी बीस साल में भी नहीं मिलने वाला। मैं तो क्या मेरी औलाद भी उसको नहीं देख सके, मैं कह नहीं सकता, तो वह सैकण्ड फेज, जब देवगौड़ाजी प्रधान मंत्री थे, वे झुंझुनूं आये थे तब हमने इस मामले को उठाया। देवगौड़ाजी ने इसकी घोषणा की, मण्डावा तो उनको याद नहीं रहा, मांडवा उन्होंने नाम रख लिया कि मांडवा के पूरे गांवों को, क्षेत्र के लोगों को हम मीठा पानी देंगे इंदिरा गांधी कैनाल का। उन्होंने घोषणा की। दिल्ली जाकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मेरा यह कमिटमैंट है। सभापति महोदय, आप गौर कीजिएगा। तो अधिकारियों ने यह कहा कि यहां यह कैसे सम्भव हो सकता है, यह तो जर्मनी की योजना के साथ जुड़ा हुआ है। कि नहीं–नहीं, दिस इज माई कमिटमैंट, यह एक्चुअल आर्डर है। मैं भी उस वक्त था कि नो, नो, आई हैव कमिटेड, इसको करना पड़ेगा। तो, मान्यवर, उसके लिए स्पेशल स्कीम बनी एक अरब 34 करोड़ रुपये की। उसमें 80 गांव चूरू जिले के और 100 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के। यह जन वादा, मंत्री महोदय, आपकी कृपा दृष्टि के लिए ध्यान में ला रहा हूं। 80 गांव चूरू के और 100 गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र के, एक अरब 34 करोड़ रुपये की स्कीम बनी। वह आएगा चूरू और चूरू से फिर बिसाऊ और मेरे बिरमी का गांव, वहां आकर फिर मेरे गांव के अन्दर आएगा। उसको सैकण्ड फेज से निकालकर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देवेगोड़ा ने फर्स्ट फेज के अन्दर डाला और यह अलग स्कीम बनायी। फिर मान्यवर, उनके बाद श्री आई. के गुजराल आये। श्री आई. के. गुजराल 31 मार्च को बिसाऊ आये थे। वे इस स्कीम की फाउण्डेशन करने आये थे लेकिन इन द मीन व्हाइल इलैक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी। आचार–संहिता लागू हो गयी। वहां फाउण्डेशन की सब तैयारी कर ली गयी थी। आपकी राजस्थान सरकार के सब अधिकारी वहां थे। आपकी सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां थे, चीफ इंजीनियर वहां थे। सबने उसकी व्यवस्था की थी लेकिन आचार–संहिता होने के कारण उसका विधिवत फाउण्डेशन नहीं हो सका। लेकिन प्रधान मंत्री श्री आई. के. गुजराल ने यह घोषणा की कि जर्मन योजना के फर्स्ट फेज में एक अरब 34 करोड़ रुपये की हमारी स्कीम है जिसके अंदर 80 गांव चूरू के हैं और 100 गांव मण्डावा विधान सभा क्षेत्र के हैं। इनको हम इन्दिरा गांधी नहर से जोड़ेंगे और फर्स्ट फेज में जोड़ेंगे, यह उन्होंने घोषणा की थी। इसके उत्तर में, मान्यवर, राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि इसका काम करने के लिए दो करोड़ की स्वीकृति राजस्थान सरकार के पास भारत सरकार से आ गयी है। इसको सुनने वाला मैं भी था और गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री शिवनाथ सिंहजी उस समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। (व्यवधान) और सांसद तो करवा ही रहा

(श्री रामनारायण चौधरी)

था। नहीं, सुमित्राजी नहीं थीं।

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में ला रहा हूं। अब मान्यवर, पलटा खाया, दिल्ली की हुकूमत बदल गयी। जयपुर और दिल्ली की एक हुकूमत हो गयी। तब कोई सुनने वाला नहीं था। अब एक साल से उस स्कीम का कुछ भी अता–पता नहीं है कि क्या स्थिति है–जो दो करोड़ रुपये की एडवांस स्वीकृति डिप्टी सी.एम. ने स्वीकार की और 134 करोड़ रुपये की घोषणा हुई, श्री आई. के. गुजराल ने फाउण्डेशन किया...(व्यवधान) यह मेरे को पढ़ना नहीं है। मान्यवर, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप भागीरथ के पोते हैं। भागीरथ तो नहीं रहे पर आप भागीरथ के पोते हैं। भागीरथ तो गंगा लाये थे और भागीरथ के पोते के हाथ से वह गंगा का पानी चूरू जिले के 80 गांवों को और 100 गांव मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में आप पहुंचाने की मेहरबानी करें। देखें कि कहां पर यह अटका पड़ा है। इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं। छोटी–मोटी बातें हैं इलाके की, उनको तो मैं आपसे व्यक्तिशः मिलकर तय कर लूंगा।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : छोटी–मोटी बातें मंत्रीजी से कर लेना।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, मंत्रीजी से कर लूंगा। यह तो मैं मेरी मोटी बात उनके ध्यान में लाया हूं।

मान्यवर, बिजली की बात। बिजली की व्यवस्था झुंझुनूं जिले की और जिलों से भिन्न है। और जिलों से भिन्न स्थिति इसलिए है, मान्यवर, कि झुंझुनूं जिला सबसे पहले सौ फीसदी इलैक्ट्रिफाई होने वाले जिलों में से है। पूरे गांव में बिजली है लेकिन बहुत पुरानी लाइनें हैं। यहां 132 के.वी. के स्टेशन थे, वे अब छोटे पड़ने लग गये। 33 के. वी. के थे, वे ओवरलोड हो गये। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं जिले की विद्युत व्यवस्था में किस प्रकार से वापस उन लाइनों को आप रिकंस्ट्रक्ट करें, कैसे स्ट्रैंथन करें, यह टैक्निकल मामला है। उस टैक्निकल मामले के अंदर आप देखेंगे कि जहां 132 के. वी. सब–स्टेशन की जरूरत है, जी.एस.एस. वहां बनाइये और जहां 33 की हो, वहां 33 का बनवायें।

झुंझुनूं प्रोपर में मैं समझता हूं कि 1976 के अंदर 132 के.वी. का सब स्टेशन बना था। उसकी वजह से हमारे उस क्षेत्र के अंदर झुंझुनूं, अलसीसर समिति और नवलगढ़ का कुछ हिस्सा उससे इलैक्ट्रिफाई हुआ था। आज, सभापति महोदय, वे नाकाफी इनएडीक्वेट हो गये, क्योंकि काफी विस्तार हो गया। 1976 की बात आज 23–24 साल की बात हो गयी, कितना फैलाव हो गया बिजली का। सभापति महोदय, वह 132 का जी. एस. एस. बहुत छोटा हो गया अब। इसको कृपा करके उससे बड़े वाले 220 का बनाइये। उसका प्रमोशन करें, उसका एक्सपांशन करें। जहां 33 के.वी.

(श्री रामनारायण चौधरी)

के हैं, मण्डावा के अंदर 33 के.वी. का है, उसको आप 132 का कर दो। 132 का नहीं करेंगे तो मंडावा क्षेत्र में 33 के.वी. का ओवरलोड पर चल रहा है, हेतमसर गांव का ओवरलोड चल रहा है, मुकुन्दगढ़ का ओवर लोड चल रहा है, लूटू का ओवरलोड चल रहा है, बिसाऊ का ओवरलोड चल रहा है। ये तमाम 33 के.वी. के सब–स्टेशन हैं जिनकी फीडिंग मंडावा से है, वे सब के सब ओवरलोड चल रहे हैं। पूरा वोल्टेज नहीं मिलता। काश्तकारों की मोटरें जल जाती हैं और किसान दुःखी हो जाते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, दूसरा मैं ज्यादा सिद्धान्त की बात नहीं करता कि हम पाकिस्तान से बिजली ले रहे हैं और गल्फ कंट्रीज से ले रहे हैं। कहीं से भी लें आप। राजस्थान के लिये और देश के लिये कहीं से भी लें लेकिन 1990 के बाद इन 10 सालों में बिजली का उत्पादन राजस्थान के अपने हिस्से का नगण्य बराबर रहा, कुछ नहीं हुआ और इन 10 सालों के दरम्यान के अंदर बड़ा भारी कंजम्पशन बढ़ा है, बड़ी डिमाण्ड बढ़ी है। अब, मंत्री महोदय, जैसा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उसके हिसाब से आपने इम्प्लीमैंटेशन किया है। हमें यह खुशी है कि उसको इम्प्लीमैंट किया। किसी के नाम से ही कोई नहीं होता, आपने 30 हजार बिजली के कनेक्शन रखे, बड़ी संख्या है। पिछली बार 20 हजार रखे थे, दिये कितने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बजट में रखे थे 20 हजार।

सभापति महोदय, इसके साथ अपने पैसों से बिजली लेने की भी एक अल्टरनेट व्यवस्था उस जमाने में थी। उस योजना का क्या नाम था, वह मुझे याद नहीं उसको आपने स्क्रेप कर दिया, हटा दिया। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज कोई कुआ बनाए और हाथों–हाथ बिजली लेना चाहे, जिसके पास साधन हो, तो उसको बिजली नहीं दे सकते। आज आपने 30 हजार रखे हैं। अभी तक झुंझुनूं जिले के 1985 तक की एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं। कुछ जगह 1988 की हैं। अब आप देख लीजिये, 85 और 99, 88 और 99, दस साल के पहले वालों को ही अभी नहीं दे पा रहे हैं, आज वाले को आप क्या देंगे और उसके बाद वाले को क्या देंगे ? आज मुझे यह एग्जैक्ट नहीं मालूम कि राजस्थान में कितनी एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं, लेकिन मेरा ऐसा अंदाज है कि हजारों नहीं, लाखों में होगी।

श्री परसादी लाल : दो लाख।

श्री रामनारायण चौधरी : वे लाखों में होंगी। वह तो मंत्री महोदय जाने, लाखों में होंगी। आज आप 30 हजार ले रहे हैं। यह जो आपका पैंडिंग गैप है उसको आप कितने सालों में पूरा करेंगे ? इस हिसाब से यह आपके 30 हजार की रहेगी तो कितने सालों में पूरा करेंगे ? फिर जो नई डिमांड खड़ी होगी उसको किस तरह सीमित करेंगे। मैं, सभापति महोदय, कोई नहीं कहता कि आप एक लाख एक साल में दे सकते हैं, लेकिन

(श्री रामनारायण चौधरी)

वे काश्तकार लोग जिनके कुएं बने हुए हैं, जो अपने स्वयं के साधनों से बिजली ले सकते हैं, उनके लिए आपके पास बिजली सरप्लस नहीं है तो आप खरीदिये दूसरी जगह से। आपके ज्यादा पैसे लगें तो उन काश्तकारों को समझाइये कि जो हमारी सूची में हैं उनको तो हम इस रेट पर देंगे और तुम यदि चाहो तो हम इस रेट पर लाकर बिजली दे सकते हैं। आप उनकी व्यवस्था करिये इस स्कीम के तहत। सभापति महोदय, अगर यह स्कीम "अपना पैसा खर्च करो और बिजली लो", नहीं होती तो मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में तो खारे पानी के गांवों में जहां, मान्यवर, पीने का पानी भी नहीं था, आज उस फसल को देखो आप। हरे–हरे खेत सरसों के। आज काश्तकार के एक–एक हजार मन, पांच सौ–पांच सौ क्विंटल एक–एक काश्तकार के सरसों–चना हुआ है। वह इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने साधन लगाये। डेढ़–डेढ़ लाख, दो–दो लाख रुपये उन्होंने अपने पास के दिये बिजली बोर्ड को और अपने कनेक्शन लिये। वह एक साल की फसल लग गयी, लेकिन अब आइन्दा के लिये दो–तीन पीढ़ी का आराम हो गया। जब तक पाताल में पानी है उनके आराम हो गया। जिन लोगों के पास साधन हैं, उन लोगों को भी आप कोई स्कीम बनाकर दें। आप यह तो दीजिये, 30 हजार नहीं उनको 50 हजार दो, लेकिन दूसरे लोगों को भी, जिनके पास साधन हैं, उनका भी आप इंतजाम करो। आप के पास बिजली है और नहीं है तो आप खरीदिये दूसरी जगह से। डबल पैसे देकर खरीदिये। वे लोग आपको पैसे ज्यादा दे देंगे। वह जो स्कीम बनी थी, झुंझुनूं जिले में, मान्यवर, हजारों कनेक्शन लोगों ने अपने पैसों से लिये हैं। उनकी वजह से जी. एस. एस. बने हैं, उनकी वजह से 132 के जी.एस. एस. बने हैं। मेरे यहां चुड़ेला के अंदर 33 के. वी. का जी. एस. एस. बना है मेरे इलाके के पैसे ले जाकर सूरतगढ़ में, पीपली में खर्च कर दिये। उसका मैंने एतराज किया तब जाकर मेरे चुड़ेला के अन्दर वह खर्च हुआ। जिस तरह की वह स्कीम इंट्रोड्यूज हुई थी, वैसे अगर होती तो किसी को एतराज ही नहीं होता। उसमें यह जुड़ा हुआ था कि यह पैसा जो अधिक दिया जा रहा है, इन्हीं लाइनों को स्ट्रेन्थन करने के लिये, बिजली के फैलाव के लिये इसी इलाके में खर्च किया जाएगा। इसको ले जाकर तनख्वाह में बांट दिया। बिजली बोर्ड की तनख्वाह में हमारा पैसा बांट दिया इसलिए उससे असन्तोष पैदा हो गया लोगों को। मैं यह बिजली मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं।

दूसरा, मान्यवर, बिसाऊ मेरे लूटू–कोलीन्डे की एक स्कीम है। मंत्री महोदय, इसमें 40 गांव हैं। जब यह लागू हुई थी तो इन 40 गांवों के अंदर डबल मंजिल के जो मकान बने हुए थे, इस पानी के प्रैशर से डबल मंजिल के मकान में पानी पहुंचता था और 40 गांवों के अंदर एक गांव और ढाणी ऐसी नहीं थी जिसके अंदर वह पानी नहीं पहुंचता था।

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेकिन आज, सभापति महोदय, उन 40 गांवों में से सिर्फ पांच गांवों के अंदर पानी पहुंचता है, 35 गांवों में एक बूंद भी नहीं पहुंचती। अब आप कहेंगे कि क्यों, मैंने यह जानकारी की तो मुझे यह बताया गया कि यह स्कीम 1961 की जनसंख्या के आधार पर हमने बनायी थी। उसी जनसंख्या के हिसाब से जो आवश्यकता थी उसी के हिसाब से हमने स्कीम बनायी। उसी के साइज की हमने पाइप लाइन डाली और उसी के हिसाब से हमने पम्प हाउस बनाये। अब पापुलेशन बढ़ गयी। वह पाइप लाइन संकड़ी हो गयी, कमजोर पड़ गयी। जब तक इस स्कीम का रिआर्गेनाइजेशन नहीं हो, तब तक हम इसको मीट नहीं कर सकते। मान्यवर, यह दोष गांव वालों का नहीं है। पापुलेशन तो बढ़ी है। आप उसको देखें कि उन 40 गांवों को आज से तीस साल पहले कैसे सबको पानी मिलता था और आज क्यों नहीं मिलता। यह मान्यवर मंत्री महोदय आप देखें। न वहां आपका जे.ईएन. रहता है न वहां मोटर पम्प हाउस का कोई हैल्पर रहता है। कोई रहता है भी तो वह एक अमुक टाइम के बाद दारू पीकर सो जाएगा और भगवान भरोसे सब काम चलता है।

मैं इन्हीं तथ्यों के आधार पर अकाल सहायता मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृपा करके आप ऐसे काम खोलें जिससे लोगों को रोजगार मिले और जलदाय मंत्री से निवेदन करूंगा कि, मान्यवर, आप हमारे इन सब गांवों को पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें और बिजली मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पूरे झुंझुनूं जिले को आप दुबारा देखें और इन लाइनों को ठीक करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, विद्युत के संबंध में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा। मान्यवर, विद्युत मंत्रीजी ने यह जो चर्चा प्रस्तावित की है, यह कौनसे कायदे और नियम में की है, यह समझ में नहीं आता। आपको भली–भांति जानकारी है कि इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट की धारा–61 में बजट प्रस्तुत होना चाहिये, उस पर चर्चा होनी चाहिये। यह पुरानी परम्परा चली आ रही है। पिछली सरकार ने दो– तीन साल से यह व्यवस्था चेंज करके ऐसी निरर्थक चर्चा, मैं कहूंगा, शुरू की है। निरर्थक क्यों है ? सभापति महोदय, धारा 61 में प्रावधान है कि विद्युत मंडल का बजट फरवरी में राज्य सरकार के पास आएगा और राज्य सरकार जल्दी से जल्दी विधान सभा में पेश करेगी। विधान सभा में पेश करने के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह चर्चा के लिए पेश करे और हाउस में जो चर्चा होगी, उस पर विद्युत मण्डल विचार करने के लिये बाध्य है। यह तो जरूरी नहीं कि इन सारे सुझावों को मान ले, लेकिन उस पर विचार करने के लिए बाध्य है। लेकिन चार–पांच वर्षों से इस परम्परा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

को हॉचपॉच करके इस चर्चा को निरर्थक बना दिया। मैं समझता हूं कि अब की बार विद्युत मंत्रीजी इस परम्परा को तोड़ कर सही स्थिति में इस चर्चा को लाएंगे ताकि यहां कोई भी माननीय सदस्य अपने सुझाव दे, वह विद्युत मंडल में विचार करने तक पहुंचे। इस प्रकार की जो चर्चा है, हमने कह दिया और मंत्रीजी ने जो चाहे उत्तर दे दिया, इसकी न कोई लीगल सैंक्टिटी है न कोई उपयोग है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि क्या विद्युत मंत्रीजी उस बजट पर कोई अलग से चर्चा कराएंगे ? अगर नहीं कराएंगे तो क्यों नहीं कराएंगे ? इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की धारा 61 में यह बाध्यता है कि राज्य सरकार इस पर विधान सभा में चर्चा कराएंगी और फरवरी में बजट राज्य सरकार को मिले उसके बाद तुरन्त कराऐगी। तो इसके बाद कौनसा तुरन्त होगा जब यह सैशन समाप्ति की ओर जा रहा है ? आप इसमें चर्चा करा नहीं रहे हैं। जब समय आप इसमें ले रहे हो तो इसमें आपको चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी ? इसका आप उत्तर देते समय उत्तर दें।

दूसरा मेरा यह निवेदन था कि विद्युत मंडल घाटे में चल रहा है, उस घाटे से उबारने के लिए बार–बार यह माहौल बनाया जा रहा है कि इलैक्ट्रिसिटी की रेट बढ़ाओ। यह सारा माहौल एक ही तरफ चल रहा है कि इस घाटे को उबारने का एकमात्र तरीका विद्युत की रेट बढ़ाना है। इसके अलावा जो बचत का तरीका है उसकी ओर न विद्युत मण्डल का ध्यान है न सरकार का ध्यान है, न मंत्रीजी का ध्यान है। विद्युत मण्डल द्वारा जो परचेजिंग की जाती है उसमें भयंकर घोटाला किया जा रहा है। आपने देखा होगा, सी. ए. जी. की जो रिपोर्ट है 1996–97 की, उसमें ऐसे–ऐसे आरोप हैं, उदाहरण के तौर पर मैं एक–दो आपको बताना चाहूंगा। सी. ए. जी. की रिपोर्ट के पेज 121 पर इलैक्ट्रोनिक स्टेटिक मीटरों की खरीद का मामला है उसमें आपके चीफ इंजीनियर ने यह राय दी कि ये मीटर नहीं खरीदने चाहिए और दूसरे टेक्निकल अधिकारियों ने भी यह राय दी कि ये मीटर नहीं खरीदने चाहिए, इनका कोई उपयोग नहीं है लेकिन बोर्ड ने टैक्निकल राय को दरकिनार कर वे मीटर खरीदे और उसमें 18 करोड़ रुपये खर्च किये। बाद में यह हुआ कि उनमें एक भी मीटर कहीं नहीं लगा, लगने लायक नहीं है। इसकी परचेजिंग में न तो कोई टेण्डर मांगा गया, न कोई फोर्मेलिटी की गयी और एक अनजान फर्म से ये खरीद लिये गये। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। सभापति महोदय, इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में एक प्रोविजन है कि परचेजिंग के लिए इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड रूल्स बनाएगा। धारा 79–जी में न तो इन्होंने कोई रूल्स बनाये। जहां तक मेरी जानकारी है कोई निगम या कारपोरेशन या बोर्ड अगर खुद के कोई भी नियम नहीं बनाए तो राज्य सरकार के वित्तीय नियम है जी.एफ.एण्ड ए. आर. लागू होती है।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

सी. ए. जी. ने बारबार इस बात का उल्लेख किया है कि न तो इन्होंने खुद के नियम बनाये और न जी. एफ. एण्ड ए. आर. को लागू किया और मनमाने तरीके से परचेजिंग कर करोड़ों रुपये का नुकसान बोर्ड को दिया है।

सभापति महोदय, दूसरे इस आडिट रिपोर्ट में बोर्ड ने जो 1992–93 में ईंधन अधिभार लगाया था, उसकी अधिसूचना जारी करने के कारण 42 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी प्रकार के और कई उदाहरण हैं। ट्रांसफार्मर की खरीद में जो ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड में खराब हो गये, उनकी मरम्मत कराने या नहीं कराने के कारण चार–चार साल तक वे पड़े रहे, न उनकी मरम्मत करायी। कोई काम में आने लायक वे थे नहीं। उनकी जगह दूसरी परचेजिंग कर करोड़ों रुपये का नुकसान बोर्ड को पहुंचाया।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा डवलप नहीं है। मंत्रीजी यहां बारबार घोषणा कर रहे हैं कि हम गांवों में शाम को 7 बजे से 11 बजे तक बिजली देंगे और सवेरे और देंगे, लेकिन पूरा सिस्टम ही डवलप नहीं है। अब कल ही मंत्री महोदय ने कहा कि बिजली कम है इसलिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आज की तारीख में बोर्ड के पास ऐसा कोई सिस्टम डवलप नहीं है जो पूरे राज्य में एक साथ बिजली दे दे। अधिकतर जगह लाइनें ओवरलोड हैं और आपके जो छोटे सब–स्टेशन हैं वे भी ओवरलोड हो जाते हैं इसके कारण से। इसी कारण से आपका यह लाइन लोस भी बढ़ता जा रहा है।

आपने एक मेरे प्रश्न के उत्तर में अभी थोड़े दिन पहले लाइन लोस 23–24 प्रतिशत के आसपास बताया था, लेकिन इसी सी.ए.जी. की रिपोर्ट में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 35 प्रतिशत से ज्यादा आपका लाइन लोस आ रहा है। अब आपका फार्मूला क्या है और आपने ए. जी. को क्या समझाया है, यह भी मेरी समझ में नहीं आता। ए.जी. ने कोई अपनी तरफ से लिखा नहीं, उसमें साफ लिखा है कि बोर्ड के आंकड़ों से यह हमने निकाला है।

लाइन लोसेज में चोरी भी शामिल है। अब चोरी रोकने के बजाय आपका ऐसा सिस्टम है जिससे चोरी को बढ़ावा मिल रहा है। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक–दो जगह बताऊं, दो साल पहले जिस गांव को आपने इलैक्ट्रिफाई किया उसमें आपने ट्रांसफर्मर लगा दिया। लोगों की फाइलें जमा पड़ी हैं, कहीं आपके डिमाण्ड नोटिस भी निकल गये, पैसे भी जमा हो गये लेकिन लोगों को बिजली नहीं दी है। जहां पर ऐसी आपकी अव्यवस्था है वहां लोग अपने आप ही बिजली ले लेते हैं। कभी–कभार कोई पकड़ा जाए तो आप चोरी का केस जरूर बना देते हैं लेकिन अपनी तरफ से आपने सारा खर्चा कर दिया, उसकी लाइनें आपने दूसरी जगह लगा दीं, ट्रांसफार्मर लग गया, सारा खर्चा हो गया और इनकम

(श्री हरजीराम बुरड़क)

का जहां सवाल आता है वहां आपने उसको बंद कर दिया। घरों में लाइट के कनेक्शन आपने नहीं दिये, यह भी एक घाटे का कारण है।

कर्मचारियों की बात कही। जब आपने 1977–78 में छोटे कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी, उसके बाद वे रिटायर हो गये तो और संख्या कम हो गयी। उस समय जो गांव विद्युतीकृत थे उनकी और आज की संख्या में कितना अंतर आ गया ? आपके ही आंकड़ों से देख लो, आपके उपभोक्ता उससे तो अब तीन गुना–चार गुना हो गये। उनकी संख्या घट रही है और आपके अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे सैकड़ों पद हैं अधिकारियों के, जिनका कोई उपयोग नहीं है। केवल प्रमोशन के हिसाब से पद बढ़ाते जाएं और बोर्ड का खर्चा बढ़ाते जाएं, इस पर आप अगर ध्यान दें तो इसमें भी आपको बचत हो सकती है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि जो आप कृषि कनेक्शन दे रहे हैं वे आपको नवम्बर तक देने चाहिए जब आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब आप कहोगे, सामान नहीं, उसमें कुछ देरी लगती है तो वह मार्च में करोगे तो भी वही बात होगी। आपको जो करने हैं कृषि कनेक्शंस, अगर आप नवम्बर तक कर देंगे तो वे सारे काश्तकारों के काम आएंगे, उस साल की फसल होगी। इस कार्य को आप हिसाब से सैट करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि नवम्बर तक जब आपके कनेक्शंस हो जाएंगे तो दिसम्बर के बाद आप अगले साल की तैयारी करेंगे। इसमें कौनसा फर्क पड़ने वाला है ? आप जून, जुलाई, अगस्त में जाकर तैयारी करनी शुरू करो। अगले मार्च तक भी कनेक्शन नहीं होते। आपके टारगेट जो इस साल के थे उसमें काफी कनेक्शंस ऐसे बच गये जिन पर लोगों के डिमाण्ड नोटिस जमा हो गये लेकिन फिर भी आपके कनेक्शन नहीं हुए। अब उन्हीं कनेक्शंस को अप्रेल और मई में करेंगे और उनको उस साल में जोड़ देंगे। यह एक जंजाल ऐसा फैला दिया कि पता ही नहीं आपका टारगेट क्या है और आप करते क्या हैं ? हर साल यही होता आया है। आप कम से कम एक बार इसको कहीं सैट करो कि यहां तक के कनेक्शंस हो गये। पता तो लगे कि इस साल में क्या किया और अगले साल में क्या किया। उन्हीं कनेक्शंस को आप दो–दो बार गिन लेते हो।

शहरों और गांवों में जो सप्लाई की पोजिशन है उसके लिए आपने खुद ने हां भी भरी है कि शहरों में सप्लाई पूरी रहती है और गांवों में कम दे रहे हैं। इसके लिए भी आपको कुछ प्रयत्न करने चाहिए। अब शहरों और गांवों में सप्लाई में तो अंतर है। शहरों में 24 घंटे बिजली देओ और गांवों में दो–चार घंटे देओ। फिर भी आपका मिनिमम चार्ज वह की वह। मिनिमम चार्ज का मतलब है कि बिजली आपकी पूरी है और वह ले नहीं रहा है, तब तो आप मिनिमम चार्ज लगाओ। बिजली आप

(श्री हरजीराम बुरड़क)

देते नहीं। बिजली नहीं देंगे तो मीटर चलेगा कैसे ? फिर भी आप मिनिमम चार्ज ले रहे हैं। जैसे आप बिजली देने में शहर और गांव में भेदभाव कर रहे हो इसी हिसाब से आपको मिनिमम चार्ज में भी गांव वालों को राहत देनी चाहिए।

इसके अलावा पुराने टाइम में यह प्रथा थी कि विभिन्न पंचायत समितियों में कम गांव जहां बचे हों उनको शत–प्रतिशत इलेक्ट्रिफाई करने के लिए उन गांवों को प्रायोरिटी से आप इलेक्ट्रिफाई करे। कुछ वर्षो से यह परम्परा आपने हटा दी। लेकिन कहीं एक, दो, चार पांच गांव ही अगर सम्पूर्ण विद्युतीकरण में बाकी रहे हैं तो उनको आपको प्रायोरिटी से करना चाहिए।

अब ढाणियों का इलैक्ट्रिफिकेशन का मामला है। कई दिन पहले बोर्ड ने कोई सर्कुलर निकाला था कि हम ढाणियों को भी बिजली देंगे। इस मामले में प्रगति बहुत धीमी नजर आ रही है। रहा सवाल काश्तकारों को बिजली देने का, चारों तरफ से वातावरण यह बनाया जा रहा है कि बोर्ड में घाटे के कारण ? काश्तकारों को सस्ती बिजली दे रहे हैं। काश्तकारों को सस्ती बिजली देने का जहां तक सवाल है, वह बिजली अगर काश्तकारों को देंगे तो केवल काश्तकार तक ही सीमित नहीं है, कृषि–उपज, उद्योग–धन्धे आदि सभी इसका लाभ उठाएंगे। इसलिए इस प्रचार को भी आप इस रूप में नहीं लें कि हम कृषि कनेक्शंस की रेट बढ़ाएंगे।

मान्यवर, अकाल राहत के सम्बन्ध में मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा क्योंकि थोड़ा समय रहा है। एक–दो महीने का अकाल राहत का काम है, अगर इसमें भी आप मजदूरी की सीमा रखेंगे तो यह अकाल राहत नाम मात्र का ही रह जाएगा। और कम से कम दो महीना जैसी मजदूरी की जरूरत है उनको आप खुली छूट दीजिए और जितने भी मजदूर लगने चाहिए उनको आप लगने दें। कहां कितने मजदूर लगेंगे, इस झंझट को छोड़कर आपको खुली छूट देनी चाहिए दो महीने–मई और जून के लिए। मजदूरों की समय सीमा आप हटाएं।

माननीय जलदाय मंत्रीजी से एक ही निवेदन करूंगा कि नागौर जिले के लिए इन्दिरा गांधी नहर विभाग ने पानी रिजर्व कर रखा है। आप ही के विभाग ने वह पानी रिजर्व करवाया था। अब उस पानी को लाकर उपयोग करने का काम आपके विभाग का है मान्यवर, इस जिले में अधिकतर स्थानों पर खारा पानी है और कहीं–कहीं पर पानी है भी नहीं, बहुत दूर से पाइप लाइनों के जरिए आपका विभाग पानी पहुंचा रहा है। वह पानी भी खारा है। कुओं का जल स्तर है वह भी बहुत नीचे चला गया है। लाडनूं के आसपास में 15 साल में करीब 100 फीट पानी नीचे चला गया। जहां हमारे खुद के ट्यूबवैल्स हैं उन ट्यूबवैल्स के हिसाब से मैं देख रहा हूं कि पानी बहुत नीचे चला गया है इसलिए आप कृपा करके इन्दिरा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

गांधी नहर का पानी नागौर जिले में पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रोफेसर सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में या हिन्दुस्तान में किसानों की हालत बड़ी गम्भीर है। किसान अपनी मेहनत की खाते हैं। भगवान अगर राजी रहता है तो किसान को किसी की परवाह नहीं रहती है पर इस बार प्रकृति ने, भगवान ने उनकी सुनी नहीं। प्राकृतिक आपदा इस वर्ष अगस्त–सितम्बर से ही महसूस होने लग गयी थी। राज्य सरकार ने अक्टूबर से खराबा रिपोर्ट प्राप्त करके जहां–जहां पर खराबा रिपोर्ट में 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा था, अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किये। माननीय सभापति महोदय, कुछ समय पूर्व आज के मुख्य मंत्री जी और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष अशोकजी गहलोत बार–बार राज्य सरकार पर आरोप लगाते थे कि सरकार राहत कार्य प्रारम्भ नहीं कर रही है, चारे पानी की व्यवस्था नहीं कर रही है। पर चूंकि चुनाव आ गया था, चुनाव के कारण उस समय जो हम कर सके थे उसके बाद कोई भी आदेश–निर्देश जारी करने की स्थिति में नहीं थे। चारे की सब्सिडी का आदेश हमने उसी टाइम में जारी कर दिया। लोगों को रोजगार देने के लिए काम–काज चालू कर दिये और एक–डेढ़ किलोमीटर की परिधि में अगर पेयजल का स्रोत नहीं है तो वहां टैंकर्स के माध्यम से पानी उपलब्ध करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी कर दिये। माननीय सभापति महोदय, राजा–महाराजाओं के राज में भी अगर प्राकृतिक आपदा आती थी तो राजा महाराजाओं के सीमित संसाधन होते हुए भी वे प्रजा को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए चारा–पानी की व्यवस्था करते थे। पर मुझे बड़ा दुःख है कि दिसम्बर में यह सरकार बनी और सरकार बनते ही यह घोषणा की गयी माननीय मुख्य मंत्रीजी की तरफ से कि अब कोई श्रमिक सीलिंग नहीं है। माननीय सभापति महोदय, उसके तीन–चार दिन बाद ही जिला कलेक्टर्स को आदेश भेज दिया कि जो सीलिंग हमने दी लेबर की उसको बढ़ाना चाहिए। हर जिले में काटकर आधी कर दी। इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय किया। लोगों के ऊपर डबल मार पड़ी। सभापति महोदय, एक तो अभावग्रस्त गांव घोषित हो गये और आप कह रहे हैं कि हमने प्रारम्भ कर दिये। प्रकृति प्रसन्न हुई फिर बरसात हो गयी। लोगों ने अपनी फसलें थोड़ी बहुत थीं वह काट–काट कर और बीज उधार लाकर डाल दिये। अपनी औरतों के गहने गिरवी रख दिये। सभापति महोदय, रबी की फसल नष्ट हो गयी। आज रोजगार के अभाव में लोग जगह–जगह पलायन कर रहे हैं। कोई गुजरात जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है और कोई कहीं जा रहा है। बार–बार जिला स्तर पर हमारी बैठकें हुई, उनमें हमने मांग की कि कम से कम लोगों को रोजगार देने की

(श्री सांवर लाल)

व्यवस्था तो करो। आज चारा तीन रुपये किलो है। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान का किसान तीन रुपये किलो का चारा नहीं खरीद सकता। आज भी राजस्थान में कहीं पर चारा डिपो नहीं खुला हुआ है। आज पशुओं के बिना राजस्थान में है क्या ? पशु किसान की रीढ़ की हड्डी है, राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका मुख्य

(14.00 बजे)

आधार है। इसी कारण राजस्थान में जगह–जगह पर श्वेत क्रान्ति की डेयरियां चल रही हैं चाहे अजमेर की डेयरी ले लो, बीकानेर की ले लो, जोधपुर की ले लो। अगर पशु नहीं रहेंगे तो कबूतर गाएंगे। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार आज तक पशुओं को बचाने के लिए चारे की व्यवस्था नहीं कर रही है, कांटे की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, बड़े दुःख की बात है। आज गांव–गांव में झगड़े हो रहे हैं। आप कहने को कुछ भी कह दें कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही। भारत सरकार के पास से निश्चित सी.आर.एफ. का जो हिस्सा है वह आ रहा है। बहुत चिन्ता की बात है, गांव–गांव में झगड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो, माननीय मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में नहीं होगा, छोटे–छोटे स्तर के ऊपर आपकी छवि राजस्थान में बिगाड़ी जा रही है। लोग मस्टर रोल लेकर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया, इसको हम मांडेंगे। मंत्री महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। अकाल में कांग्रेस और बी. जे. पी. नहीं होती है। यह मानवीय संवेदना का विषय है और इसमें जो भी रोजगार की आवश्यकता महसूस करता है जिसकी खाने–पीने की व्यवस्था नहीं है, बिना किसी भेदभाव के उन लोगों को राहत कार्यों पर लगवाइये। आज एक गांव का सरपंच कांग्रेस का हैं वहां पर 160 आदमियों की स्वीकृति जारी कर दी और दूसरी जगह 20–20, 30–30 आदमी लगे हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अजमेर जिले में, भीलवाड़ा जिले में और उदयपुर सम्भाग में, जोधपुर सम्भाग में, बीकानेर सम्भाग में बहुत ही गम्भीर हालत है इसलिए आप चारे–पानी की व्यवस्था करवाइये, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था करवाइये। जिला कलेक्टर्स जगह–जगह पर काम स्वीकृत करते हैं, एक काम सैंक्शन कर दिया, उसकी सैंक्शन अमाउण्ट खतम हो गयी, काम बंद हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय, उन लोगों को कहां लगाया जाएगा। इसलिए कम से कम यह आदेश तो आप जारी करवा दें कि जहां पर यह राहत कार्य चालू है, वैकल्पिक राहत कार्य अगर शुरू नहीं होगा उससे पहले वह काम अगर अनकम्प्लीट भी है, चाहे उसकी स्वीकृत राशि खतम हो जाए पर वह काम जारी रहना चाहिए। हमारे टाइम में हमने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जो परिसम्पत्तियां थीं राजस्थान में–चाहे पंचायत समिति की थी, चाहे नगरपालिकाओं की थीं, चाहे पी. डब्ल्यू. डी. की थीं, चाहे इर्रिगेशन की थीं, काफी राशि

(श्री सांवर लाल)

आबंटित की। मंत्री महोदय, आप भी जानते हो कि नगरपालिकाओं के पास में संसाधन कम हैं। इसी प्रकार इर्रिगेशन के पास भी संसाधन कम, पी.डब्ल्यू.डी. के पास भी कम। हमने काफी पैसा उनको आबंटित किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6–6 महीने हो गये उनका भुगतान नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय, अगर कोई जांच भी करवानी है तो उसकी समय सीमा निश्चित करें। 6–6 महीने तक अगर लोगों को...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या यह भुगतान फेमिन रिलीफ का नहीं हो रहा है या ई.ए.एस. का नहीं हो रहा है ? इतना बतला दीजिए। प्रधानमंत्री आश्वासित रोजगार योजना के तहत जो काम स्वीकृत किये गये हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है या फेमिन रिलीफ का भुगतान नहीं हो रहा है, इतना क्लैरीफाई कीजिए।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, फ्लड और हैवी रेन से डैमेज्ड जो असैट्स थीं उनके रैस्टोरेशन के लिए जो पैसा हमने दिया उसका पेमेन्ट रुका हुआ है। अगर उनमें कोई शिकायतें हैं तो आप जांच करवाइये, मंत्री महोदय, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है, किन्तु उसकी समय सीमा निश्चित कर दीजिए। महीने, दो–महीने, छह महीने हो गये, लोग पैसे के लिए भटक रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे आप गम्भीरता से लें।

आज आपके विभाग में कई टैंकर्स हैं और टैंकर्स इसलिए हैं कि राजस्थान के गांवों में, ढाणियों में जहां पर पीने का पानी नहीं है उन टैंकर्स के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाए। मंत्री महोदय, आज तक अजमेर जिले में किसी भी ढाणी या गांव के अन्दर, कस्बे के अन्दर टैंकर्स से पानी नहीं जा रहा है जबकि पिछले वर्षों में कई गांवों में पानी जाता था। फ्लोराइड इफैक्टेड गांव हैं, पीने का पानी नहीं है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में आप थोड़ी सहानुभूति रखते हुए जहां पर जरूरत है, पानी की व्यवस्था करवाइये।

इसी प्रकार माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से निवेदन है कि बीसलपुर का पानी गांवों में देने के लिए योजना बनी। लगभग 100 गांव जो अजमेर जिले के फ्लोराइड इफैक्टेड हैं, उन गांवों को जोड़ा गया। उनमें पानी जा रहा है। कभी जाता है, कभी नहीं जाता। लापरवाही की वजह से लोग काफी परेशान हैं। जिन गांवों में पानी शुरू हो गया कम से कम वहां तो सुचारू रूप से व्यवस्था रहे। बाकी अजमेर जिले की स्थिति आपसे छिपी हुई नहीं है। आप अजमेर पधारें थे तब भी आपने कहा था कि चम्बल से पानी लाने की व्यवस्था हो सकती है तो मैं सर्वे करवाऊंगा। हमारे अजमेर जिले के गांवों में कई जगह तो पांच–पांच दिन में पानी जा रहा है। विजयनगर कस्बा ले लें आप, भिलाई कस्बा ले लो, पानी की कोई

(श्री सांवर लाल)

माकूल व्यवस्था नहीं है, 5–5 दिन में पानी जाता है।

"रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून।।"

तो पानी तो पहली आवश्यकता है। पुराने जमाने में तो सेठ–साहूकार प्याऊ लगाते थे, फिर अपनी तो लोक कल्याणकारी सरकार है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे गांव जहां पांच–पांच दिन में पानी जा रहा है, वहां पर भी आप इस फेमिन रिलीफ से पानी पहुंचाने की व्यवस्था करवा सकते हैं।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि इस अकाल राहत को आप गम्भीरता से ले। मंत्री महोदय, 30–40 हजार आदमियों की श्रमिक सीलिंग से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम आज हर पंचायत में 5–5 सौ आदमियों को तो रोजगार दें, जब अकाल का नाम है। लोग काम पर जाते हैं, वहां पर लट्ठ बजते हैं और मुकदमे दर्ज। आजकल एक अच्छा फार्मूला लोगों ने निकाल रखा है, किसी को लड़ा दो, आगे कर दो और एट्रोसिटी का मुकदमा कर दो। अगर यही अपने को करना है मुकदमा दर्ज कराना है, रोजगार पर आये हैं उनको मार पीट करके थाने में बंद करवाना है, अगर यही अपनी मंशा है तो अलग बात है। बाकी मेरा निवेदन है कि बहुत गम्भीर हालत है और इस गम्भीर हालत को गम्भीरता से अपने को लेना है। रोजगार चाहे ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं से दें, चाहे सहायता विभाग से दें पर रोजगार की जो आवश्यकता है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज अजमेर जिले में आप कहीं पर घूम जाओ, भीलवाड़ा में घूम जाओ, जोधपुर बीकानेर में घूम जाओ, बहुत गम्भीर हालत है। आज बांसवाड़ा के लोग गुजरात भाग रहे हैं। यह जो आपने चर्चा रखी है यह तो बहुत अच्छी बात है किन्तु इस चर्चा का मकसद तभी...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इसमें एट्रोसिटी एक्ट कहां से आ गया ?

श्री सांवर लाल : एट्रोसिटी एक्ट कहां से आ गया ? ...(व्यवधान)

श्री सभापति : इन्ट्रप्ट मत कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : हमारे यहा गूजर लोग काम पर लगने के लिए गये, वहां पर किसी दूसरी पार्टी ने उकसा करके 2–3 भीलों के आदमियों को भेज दिया। उनके आपस में लट्ठ चल गये तो उन गूजरों के खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज हो गया।

श्री सभापति : बैठिये। टाइम खराब हो रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं खड़ा हो गया तो गूजर का नाम ले दिया।

श्री सांवर लाल : गांव का नाम बता दिया ना–हमारा सिंघावल ले लो, कराटी ले लो। आप जानकारी करवा लो ना।

श्री जगत सिंह दायमा : यह सब गलत बात है।

श्री सांवर लाल : यह करते हैं आप जैसे और हमारे जैसे लोग।

श्री जगत सिंह दायमा : गूजर लोग भी करते होंगे, वे तो कोई दूध के धोये नहीं हैं। गूजर हो गये तो यह बात नहीं है कि...

श्री सांवर लाल : रोजगार लेने के लिए गये है।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री सांवर लाल : मेरा तो आपसे निवेदन है कि एट्रोसिटी एक्ट ही लगता है। आप भी बोलोगे तो आपके भी लगेगा। आपने इस कानून को पढ़ा नहीं है, आप बातें ही कर रहे हो।

आज मंत्री महोदय, छोटी-छोटी बातों पर लोग उलझते हैं। मेरा निवेदन है कि साम्प्रदायिक सौहाद्र रहे, समाज में लोग प्रेम से रहें। गांवों में लोग इसलिए नहीं लड़ें कि फेमिन में फलांने आदमी को लगाया जाएगा या फलांने को नहीं लगाया जाएगा। जिसको रोजगार की आवश्यकता है किसी भी जाति का हो। अकाल के अंदर सबसे बुरी मार उन पर पड़ती है जो पशुपालक हैं। जो बड़ा किसान है, जानवर रखता है आज आपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर वह चारे की व्यवस्था कर रहा है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने और राम ने नहीं सुनी इसलिए लोग अपनी-अपनी तरफ देख रहे हैं। जब भगवान राजी होता है तो आप और हम झण्डियां फड़फड़ाते फिरते हैं, अपनी तरफ देखता भी नहीं किसान। अपनी मेहनत करता हैं, अपनी खाता है। मंत्री महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जिस प्रकार का आज वहां पर वातावरण बना हुआ हैं, आप कम से कम यह जिला कलेक्टर्स को सुनिश्चित कर दें, जहां लोगों को रोजगार की आवश्यकता है तद्नुसार सीलिंग आप दें इसमें तो हमको एतराज नहीं, पर सफिशिएंट सीलिंग दें ताकि पर्याप्त लोगों को रोजगार दिया जा सके। एक बार जो लग रहे हैं वे लग ही रहे हैं और जो बार-बार अपना फावड़ा-तगारी लेकर जाते हैं उनको साइट से वापस घर लौटना पड़ता हैं। एक-दो जगह मुकदमे हो गये इसलिए डर कर ही वापस आ जाते हैं कि अपने को लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है। जो भगवान ने कर दिया वह राज सुने तो ठीक है और नहीं सुने तो ठीक है। इसलिए हमारी तो प्रार्थना है कि आप यह व्यवस्था करवाएं। पुख्ता व्यवस्था आज के बाद हो जाए, इससे थोड़ा बहुत बुरा समय निकल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान का क्षेत्रफल 3.46 लाख वर्ग किलोमीटर हैं जो भारतवर्ष का 10 प्रतिशत है, पर जो जल स्रोत्र है वह एक प्रतिशत है। प्रश्न यह उठता है कि जब इस प्रकार की स्थिति सारे राजस्थान की है तो हमारे रेगिस्तान की स्थिति तो उससे बदतर है। सबसे पहले मैं पीने के पानी की समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाड़मेर जिले में,

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

और जैसलमेर जिले में और जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में, मैं जब एम. पी. था तब हमने बहुत ज्यादा योजनाएं मंजूर करवाई और काफी गांव पीने के पानी से लाभान्वित हुए। परन्तु इन गांवों की योजनाएं चल रही हैं वे सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं। कभी तो बिजली का संकट पैदा हो जाता है, कभी यह स्थिति पैदा हो जाती है कि नलकूप खराब हो जाते हैं और कभी आंधिया आ जाती हैं। आंधियों के कारण विद्युत का भयंकर संकट पैदा हो जाता है और उससे पीने के पानी की योजनाएं हड़बड़ा जाती हैं। इस प्रकार की स्थिति से हम गुजर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी गांवो को ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं से जोड़ा गया हैं उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य हाथ में लेना चाहिये, उसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिये। अभी नये गांव जब जोड़े जाते हैं, तो नये गांव जोड़े जाने के लिये क्या है कि उन योजनाओं पर वे ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि उनमें विशेष तौर से उनको ज्यादा लाभ मिलता है। जी.एल.आर. बनाने में तो उनको बहुत ही विशेष लाभ मिलता है। मैंने देखा है मेरे बाड़मेर जिले में ऐसे जी. एल. आर बनाये गये हैं जहां पानी नहीं पहुंचा है। बाड़मेर जिले में कम से कम इस प्रकार के 50 जी.एल.आर. बना दिये और पानी कभी भी नहीं पहुंचा है। जब पानी नहीं पहुंचता है तो जी.एल.आर. बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। पानी पहुंचने पर ही जी.एल.आर. बनाने चाहिये। मैं चाहता हूं कि इन अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कदम उठाये जाने चाहिये कि जी.एल.आर. बनायी और पानी अभी तक नहीं पहुंचा। मैं कहना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जहां जी. एल.आर. बनाये गये हैं और पानी नहीं पहुंचा है, उनमें पानी पहुंचाने के लिए आप विशेष तौर से प्राथमिकता दें।

दूसरी बात, पीने के पानी की योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चलने का एक कारण यह भी है कि हमने सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टैंट इंजीनियर, ये पद बहुत जयादा सृजित कर दिये। हमारे बाड़मेर जिले में पांच एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, असिस्टैंट इंजीनियर्स की संख्या भी बढ़ गयी, जूनियर इंजीनियर्स की भी संख्या बढ़ गयी। इन दस वर्षो में योजनाएं भी बहुत बढ़ गयी और उनका बहुत ही विस्तार हो गया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पीने के पानी की योजनाओं का विस्तार हुआ है। योजनाओं का विस्तार होने पर इन दस वर्षो में एक भी हैल्पर नहीं लगाया गया। जो हैल्पर रिटायर हो गये उनके स्थान पर भी कोई लगाया नहीं गया। हैल्पर नहीं लगाते हैं, पम्प ड्राइवर नहीं लगाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज योजनाएं किस प्रकार चलें ? क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। आप बड़े–बड़े अधिकारियों की तो भर्ती कर देते हैं और प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

किसी भी प्रकार फोर्थ क्लास गवर्नमैंट सरवेंट नहीं लगाया जाएगा तो आपकी योजनाएं सुचारू रूप से चल नहीं सकती। मेरा आपसे यह कहना है, योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं इसलिये आप सबसे पहले प्राथमिकता से इनकी नियुक्ति कराएं। नॉर्म्स के अकोर्डिंग नियुक्ति करा करके योजनाएं सुचारू रूप से चलें, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके साथ–साथ मैं विशेष तौर से इस बात पर भी आना चाहता हूं कि हमारा बाड़मेर नगर, जो बाड़मेर जिले का मुख्यालय है, उसकी आबादी इस समय करीब 75,000 है जो 2001 में एक लाख के रूप में परिणत हो जाएगी। उसके बारे में दो योजनाएं बनी हैं– एक योजना तो 15 करोड़ रुपये की पुनर्गठित योजना है। वह योजना हमारे अधिकारियों ने राज्य सरकार के पास में भेज दी है। उसको जल्दी से जल्दी सैंक्शन करके क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अगर वह सैंक्शन करके क्रियान्वित नहीं की गयी तो बाड़मेर शहर में पीने के पानी का भयंकर संकट पैदा होगा। एक स्त्रोत हैं बाड़दां और दूसरा स्त्रोत है पोखिया। दोनों स्रोतों की पोजीशन यह है कि पानी की क्वालिटी डैटीरियोरेट हो रही है। उसमें बाढ़ का टी.डी.स. 1425 से लेकर 2800, फ्लोराइड है 620 से 990 और नाइट्रेट 4 से 10 कहने का अर्थ यह है कि पानी की क्वालिटी बिलकुल डैटीरियोरेट हो रही है और पीने के लायक पानी नहीं हैं, 73 नलकूप खोदे गये बाड़दा में, उनमें से 21 नलकूप चालू हैं और दूसरे अबन्डन कर दिये गये है, नाकारा मान लिये गये है। एक ओर पानी की क्वालिटी में डैटीरियोरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ नलकूप दो–तीन वर्ष तक चलते हैं, वे भी समाप्त होते जा रहे हैं, अबन्डन होते जा रहे हैं। पीने के पानी का भयंकर संकट है क्योंकि बाड़मेर शहर का मुख्य स्रोत यही बाढ़ है। मेरा आपसे कहना है कि अप्रेल, 1994 में योजना बनायी गयी थी। उक्त योजना 590 करोड़ रुपये की योजना है और वह भी 1994 के हिसाब से उसमें बाड़मेर जिले के 411 गांव भी आते हैं बाड़मेर तहसील के 211, शिव तहसील के 88, रायसर तहसील के 105, चौहटन तहसील के 7, इस प्रकार 411 ग्राम एवं जैसलमेर जिले के 117 ग्राम आते हैं। यानि 558 ग्राम और बाड़मेर शहर इससे लाभान्वित होता है। उक्त योजना अगर नहीं बनायी गयी तो भयंकर संकट पैदा हो जाएगा, त्राहि–त्राहि मच जाएगी। इस सम्बन्ध में अभी से ही ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। अभी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है और बाढ़ का सोर्स अविश्वसनीय सोर्स है, इस पर विश्वास किया नहीं जा सकता।

मैं खुशी की बात यह कहना चाहता हूं कि मैंने कार्य संचालन नियम–131 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें राजस्थान सरकार ने वास्तव में संतोषप्रद और बिलकुल सही जवाब दिया। यह स्वागत योग्य है। नहीं तो ऐसी स्थिति पैदा होती है कि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो जवाब सही नहीं दिया जाता। यद्यपि मैंने प्रश्न पूछा तो प्रश्न के बारे में तो जवाब बिलकुल ही नकारात्मक दिया है, किन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बहुत ही संतोषप्रद जवाब दिया है। उसमें जो जवाब दिया गया है, मंत्री महोदय पढ़ लेंगे, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि स्थिति बहुत ही भयंकर है। उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि इंदिरा गांधी कैनाल के सिवाय कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। मोहनगढ़ से बाड़मेर की ग्रामीण योजना इसमें शामिल है। उन योजनाओं का जल्दी से जल्दी आप डिटेल सर्वे कराएं और सैंक्शन करा करके उस योजना को अगर राज्य सरकार की कैपिसिटी नहीं है तो केन्द्र सरकार के सामने लाएं विश्व बैंक से मदद लें। परन्तु यदि नहीं किया गया तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में भयंकर संकट की एक स्थिति पैदा हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालत और भी खराब है। बाड़मेर जिले के 411 ग्राम और दूसरे 117 ग्राम जैसलमेर जिले के, वहां भी स्थिति भयंकर खराब है। वह स्थिति खराब है उस पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट लिख दिया गया है। बहुत–सी जगह तो योजनाएं बनी नहीं है और जो बनी हुई है वे विश्वसनीय नहीं हैं। अनियमितताएं होती रहती हैं, पानी पहुंचता नहीं है। इसलिए सबसे पहला मेरा अनुरोध है कि बाड़मेर शहर में पीने के पानी की योजना स्वीकृत की जाए।

दूसरा, जगरूप सागर की योजना जब मैं एम. पी. था तब बनाई गयी थी। उस योजना को भी बने हुए 12–13 वर्ष हो गये हैं। जगरूप सागर जैसलमेर से तीन किलोमीटर की दूरी पर है। अगर जगरूप सागर पानी पहुंच जाता है तो जैसलमेर को पीने के पानी की सुविधा प्राप्त हो जाती है। साथ में एक योजना है पोखरण लिफ्ट कैनाल योजना, वह उत्तरणी तक की योजना थी परन्तु उसमें हेरफेर कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के राज में और हेरफेर करके अपने मतलब के हिसाब से बना लिया गया। वह उत्तरणी जो बायतू क्षेत्र आता है उसके लिए है उसके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए।

पीने के पानी के बारे में यही कहना है कि इस संकट को हल करने के लिए मंत्री महोदय विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में आये हैं, उन्होंने जानकारी प्राप्त की है इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने जो योजनाएं रखी हैं उन योजनाओं को वे स्वीकृत करवाएं और ग्रामीण योजनाएं भी सुचारू रूप से चलें, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए।

दूसरी बात, मैं आता हूं अकाल के बारे में। वास्तव में अकाल के बारे में राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया, यह मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है। उससे हमारी स्थिति हमारे क्षेत्र में अच्छी नहीं हुई। हमारी उससे इमेज

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बिगड़ती है, हमारी गवर्नमैंट की इमेज बिगड़ती हैं। अभी आपने जो व्यवस्थाएं की हैं, आपको इस प्रकार की घोषणाएं करने की जरूरत क्या थी कि कोई भी मजदूर कार्य पर आए उन सबको हम मजदूरी पर लगा देंगे ? देखना चाहिए था कि हमारी फाइनेंशल पोजिशन साउंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार की पोजिशन इस राजस्थान की की, उस हिसाब से हमारी यह स्थिति नहीं है तो आपको इस प्रकार की घोषणा नही करनी चाहिए थी। घोषणा करके हमारी इमेज को धक्का पहुंचाया है। और फिर बाद में काम रोक दिये, सैंक्शंड काम भी रोक दिये गये। काम शुरू ही नहीं किये गये। अभी बाड़मेर जिले में इस प्रकार की स्थिति है कि 1850 गांव हैं सबके सब अकालग्रस्त हैं। अकालग्रस्त में भी 75 से लेकर 100 परसेंट की ग्रेविटी है अकाल की। हमारे तो, जैसा वे कह रहे थे, क्षेत्र में पक्षपात हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि पचपदरा क्षेत्र में जिसके अंदर अमराराम जी चौधरी एम. एल. ए. हैं, वहीं सबसे ज्यादा नलकूप लगे हुए हैं। हम तो इतना बड़ा दिल रख रहे हैं, दिमाग रख रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि बीसलगंज में क्यों नहीं आए। हम अभी भी चाहते हैं कि काम एक भावना से चले, मानवीय दृष्टिकोण से चले। इनको यह नहीं दिखाई दें कि हम पक्षपात कर रहे हैं किसी पार्टी के प्रति। यह दृष्टिकोण होना चाहिए मानवीय समस्याओं में। आखिर हम प्रजातांत्रिक युग में रह रहे हैं और प्रजातांत्रिक युग को हमें सफलीभूत बनाना है तो हमें मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए।

पशुओं की स्थिति इतनी खराब है कि तीन रुपये किलो चारा मिलता है। आज गेहूं का भाव है सात रुपये, साढ़े सात रुपये। सप्लाई डिपार्टमैंट से ही इस प्रकार का भाव है और पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का भाव है। पोजिशन यह है कि बाजरा भी यही भाव है, वह कैसे खरीदे ? मैंने प्रश्न पूछा था विधान सभा के अंदर, उस प्रश्न का जवाब नहीं आया, डिस्कशन नहीं हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर मदद उनको देना चाहते हो, गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को लाभ मिल रहा है तो जो अकाल से पीड़ित हैं उनकी हालत भी गरीबी रेखा से नीचे वालों से कोई कम नहीं हैं। इसलिए उनको अनाज भी सस्ता देना चाहिए। अगर केन्द्र सरकार नहीं दे सके तो राजस्थान सरकार को उदार नीति अपनाकर अनाज देना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि अकाल के अंदर पशुओं की स्थिति बदतर है। पशुओं की स्थिति को देखते हुए हम जब पावर में थे, हमारी गवर्नमैंट थी तब हमने 1986–87 के अंदर करोड़ों रुपयों की मदद दिलवायी। कोई भी पशु मरने नहीं दिया। अभी भी हमारा कर्तव्य है कि कोई भी पशु नहीं मरे और पशु चारे के बारे में अधिक व्यवस्था की जाए। कैटल फीड की व्यवस्था

(14.25 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

की जाए। जो कैटल कैम्प्स आपको करने चाहिए वे कैटल कैम्प्स किये जाएं। पूरी मदद दी जानी चाहिए ताकि पशु किसी भी सूरत में नहीं मरें।

अब आपको कहना चाहता हूं पीने के पानी की समस्या के लिए कि बहुत–सी ढाणियों में पानी नहीं पहुंचता हैं। वहां टैंकरों के द्वारा पानी पहुंचाने की जरूरत है। टैंकरों की व्यवस्था के अंदर जो टैंकर्स रिपेयर मांगते हैं उन टैंकर्स को रिपेयर करने की बहुत आवश्यकता है और टैंकर्स रिपेयर्स करके उनको पानी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

आज बहुत से बड़े–बड़े सांड हैं। पहले सांड के लिए सब्सिडी देते थे, अब सांड के लिए कोई सब्सिडी नहीं हैं। उनकी भी बड़ी भारी दुर्गति हो रही है। अब अच्छे–अच्छे सांड अगर मर जाएंगे तो कैटल की स्थिति भी खराब हो जाएगी। इसलिए सांड को बचाने के लिए सब्सिडी का जो प्रोविजन था वह प्रोविजन करके व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री शिवनाथ सिंह : सांड के बारे में... (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब मैं विद्युत समस्या पर आना चाहता हूं। विद्युत के बारे में मेरा यह कहना है कि 1850 गांव बाड़मेर जिले में हैं। अभी 1634 बताये हैं इन्होंने सन् 1991 में और अब 1850 गांव हैं। उनमें से 500 गांवों का विद्युतीकरण ही नहीं हुआ है। विद्युतीकरण में बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला सबसे पीछे हैं। विद्युतीकरण की दृष्टि से हम सबसे पिछड़े जिले हैं। इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हम भी अब पीछे नहीं रहना चाहते।

अब कृषि कनेक्शन अगर देते हैं तो जैसे हमारे बुरड़क साहब ने बात कही, वास्तव में कृषि कनेक्शन नवम्बर तक दे दिये जाने चाहिए। कृषि कनेक्शन में अब हमारे भी क्षेत्र में ऐसे एरिया हो गये हैं जो कुओं की सिंचाई से सिंचित हो रहे हैं। उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। इनको टैम्परेरी कनेक्शन दीजिये, परमानेन्ट कनेक्शन दीजिये पर कोई व्यवस्था अवश्य करिये जिससे वहां कृषि उत्पादन करें। आज चौहटन क्षेत्र को अगर विद्युतीकरण में प्राथमिकता दें तो हरा चारा उगा सकते हैं, उस एरिये में हरा चारा पैदा हो सकता है इसलिए आवश्यक है कि आप इस संबंध में विशेष ध्यान दें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले आपने संकल्प किया था, आप जब हमारे पधारे थे। ट्रांसफार्मर जब जल जाते हैं तो 10–10, 12–12 दिन के बाद में ट्रांसफार्मर्स को लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर्स रिजर्व में रहने चाहिए ताकि ट्रांसफार्मर्स की पूर्ति हो।

इसी तरह से बहुत महत्वपूर्ण हमारी योजनाएं हैं जालीया और कपूरड़ी की, ये लिग्नाइट बेस योजनाएं हैं। 330 मेगावाट

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

की योजनाएं हैं। दोनों योजनाएं अभी अधरझूल में चल रही हैं। कई अंतरराष्ट्रीय निविदाएं हमने आमंत्रित की हैं। इस स्थिति से हमें अब संतोष नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इसके कुछ परिणाम हों ताकि हमारे इस इलाके के अंदर लिग्नाइट बेस की जालीपा और कपूरड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन हो और हमें इसका लाभ मिले।

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्री भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बड़ी जोरदार आवाज उठायी थी सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा के अंदर बाड़मेर जिले में आबोहरी में शिलान्यास भी कर दिया था। जैसलमेर जिले में भी शिलान्यास कर दिया था। अगर उन योजनाओं में कुछ दम हो, इतना खर्चा कर दिया गया है, तो सौर ऊर्जा से हमारे क्षेत्र का विद्युतीकरण हो सकता है। आप इस संबंध में प्रयास करें ताकि सौर ऊर्जा से हमारे क्षेत्र में विद्युतीकरण हो। वे तो कह रहे थे कि इतनी सौर ऊर्जा उससे पैदा हो सकती है जो कि राजस्थान की विद्युत की कमी पूरी कर सकती हैं। उन्होंने जो बात कही वह समझदारी से की होगी। इस बात पर मैं तो कभी अविश्वास नहीं करता हूं। आप इस बारे में कंसल्ट करें, श्री भैरोंसिंह जी से कंसल्ट कर लें। मैं भी कंसल्ट कर लूंगा कि वाकई में इनकी कौनसी बड़ी भारी योजनाएं बाड़मेर जिले, जैसलमेर जिले में सौर ऊर्जा की हैं और उसके लिए कौन तैयार हो रहा है ? तो सौर ऊर्जा से हमारे क्षेत्र को आगे विकसित करें, हम दूसरों का इस प्रकार से विद्युतीकरण कर सकेंगे।

रामगढ़ का विद्युतघर बहुत लाभदायक हुआ है बाड़मेर जिले के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है। उसकी कैपेसिटी जितनी भी बढ़ाई जा सकती है उतनी बढ़ाने की कोशिश करें ताकि विद्युतीकरण के हिसाब से हमें लाभ मिले। आपकी जो योजनाएं हैं, जब आंधियां आती हैं तो कोई भी लाइनमैन हमारे यहां पर नहीं हैं नॉर्म्स के अनुसार। आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लुएं चलेंगी और भयंकर स्थिति पैदा होगी। इसलिए जितने मजदूरों की आवश्यकता है, आप अपने विभाग से या बोर्ड से लगाएं। करीब–करीब सब चीजों के बारे में मैंने कहा–पीने का पानी, मजदूर और बिजली की योजनाएं, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर आप अभी अपाइन्टमैंट नहीं करें तो अकाल राहत क्षेत्रों से लाकर मजदूर लगाएं ताकि योजनाएं सुचारू रूप से चलें। इन्ही शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : सभापति महोदय, जब–जब बरसात अच्छी होती है, किसान को पानी मिलता है, खेतों में फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है तो अकाल कम होता है या नहीं के बराबर होता है। इस वर्ष प्रकृति की नाराजगी से प्रदेश में बरसात कम हुई। विशेषकर उदयपुर संभाग जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां अभी भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई हैं। मैं आपको

(श्री रघुवीर सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो जनजाति बहुल पहाड़ी क्षेत्र है, वहां जमीने बहुत कम है, दो–दो बीघा, पांच–पांच बीघा, तीन–तीन बीघा, एक–एक बीघा जमीन होती है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहां उत्पादन भी कम होता है। अच्छी बरसात होने पर भी वहां के लोग छह महीने से ज्यादा अपना गुजारा कर सकें, इतना अनाज नहीं होता है। कितनी भी अच्छी बरसात हो चाहे कितनी भी फसल अच्छी हुई हो, छह महीने बाद अनाज बाजार से लाकर खाना पड़ता है। इस वर्ष इससे बिलकुल विपरीत परिस्थिति है। वहां एक महीने–दो महीने खाएं, इतना भी अनाज पैदा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वहां भयंकर समस्या अनाज की, पीने के पानी की और घास की है। पूरा क्षेत्र बिलकुल मजदूरी पर ही निर्भर है। वहां से पचास–पचास, साठ–साठ किलोमीटर दूर जाएं तब कहीं जाकर शहर और उसके आसपास मजदूरी मिलती है। पिछली सरकार ने जिस तरह से अकाल राहत कार्य शुरू किए थे, वे नहीं के बराबर थे। उसका नतीजा यह हुआ कि पिछले चुनावों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं जीता। इसका मुख्य कारण यह था कि पिछली सरकार वहां के साधारण, गरीब लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं थी। हमारी सरकार बनने के बाद मैं यह कहूंगा कि उसने सीलिंग को बढ़ाकर 3 लाख से ज्यादा इस प्रदेश में किया। उसमें हमारे उदयपुर जिले में 30–32 हजार की सीलिंग के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं। परन्तु आज की स्थिति में वहां पर मजदूरों की संख्या बढ़ाना अति आवश्यक है। मैं अकाल राहत मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रत्येक पंचायत समिति में ज्यादा नहीं तो कम से कम 15–15, 20–20 हजार मजदूर लगाएं ताकि जिनको काम चाहिए, उनको काम मिले। जब काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा और पैसा मिलने पर ही वे अनाज खरीद सकते है, घास खरीद सकते हैं। ऐसी स्थिति में मजदूरों की सीलिंग बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

अभी पिछले समय में ई.ए.एस. में कई काम हुए हैं परन्तु उसकी लेबर का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, 4–4 महीने, 5–5 महीने हो गए हैं गरीब लोगों को मजदूरी का चुकारा जल्दी से जल्दी चाहिए। वह ई. ए. एस. का पैसा पता नहीं क्यों बंद है। मेरा निवेदन है कि वहां पर ई.ए.एस. के काम बंद हो गए थे। उन्हीं कार्यो को अकाल राहत कार्यो के रूप में स्वीकृत कर वहां के लोगों को मजदूरी दिलाने की आवश्यकता है।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा का उदाहरण देता हूं, वहां बड़े–बडे गांव हैं, जनजाति क्षेत्र है, पाले हैं। नठारा, खरबार, भौराई, सड़कड़ी, ऐसी बड़ी–बड़ी पाले हैं जहां पांच–पांच, छह–छह हजार आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन वहां 60 मजदूर, 100 मजदूर, 150 मजदूर लगाना लड़ाई–झगड़े का काम बन जाता है, वहां पर लड़ाई–झगड़े के अलावा और कुछ

(श्री रघुवीर सिंह)

नहीं होता है। जहां–जहां ऐसी जगहें हैं वहां मजदूरों की संख्या बढ़ाना भी आवश्यक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रोडों के साथ–साथ अकाल राहत कार्यों में एनीकट भी स्वीकृत कराएं। एनीकट होंगे तो बरसात का पानी रुकेगा और जब पानी रुकेगा तो मवेशियों के पीने के काम आएगा, छोटी–मोटी सिंचाई के लिए भी काम आएगा, इसके साथ ही हमारा जो वाटर लेवल नीचे जा रहा है वह भी ऊपर आएगा और कुओं का जलस्तर भी बढ़ेगा। आज कई क्षेत्रों में हैण्डपम्प सूख गए हैं। जो नए हैण्डपम्प खुद रहे हैं उनमें भी काफी गहराई तक पानी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हैण्डपम्प और कुओं का जलस्तर भी बढ़ेगा। इसलिए हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां अधिक से अधिक छोटे–छोटे एनीकट बनाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पी. एच.ई.डी. मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र जनजाति बहुल पहाड़ी क्षेत्र है। यहां रोडों का अभाव होने से आज की तारीख में कई ऐसे गांव और पाले हैं जहां दूर–दूर लोग रहते हैं, वहां हैण्डपम्प के लिए और कुएं गहरे करने के लिए ट्रैक्टर, कम्प्रैशर के अलावा बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकतीं। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे समय में वहां पीने के पानी की क्या स्थिति होगी। मेरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां सुबह चार बजे उठकर महिलाएं मटका लेकर एक कुएं से दूसरे कुएं और तीसरे कुएं तक घूमती रहती हैं और दिन खुलते ही पानी खतम हो जाता है तो वहां मवेशी क्या पिएंगे ? मेरा आग्रह है कि ऐसी जगहों पर जहां हैण्डपम्प खोदने वाली गाड़ियां नहीं जा सकतीं, वहां कुएं गहरे करवाने के लिए ट्रैक्टर कम्प्रेशर की व्यवस्था की जाए ताकि कुएं गहरे हो और पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। अगर अभी से व्यवस्था नहीं करेंगे तो आने वाले मई–जून में बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी और इसकी वजह से आपको और हमको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जयसमंद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है फिर भी जयसमंद के नीचे और आसपास का एरिया आज की स्थिति में प्यासा मर रहा है। जबकि उस डैम में पानी है, सब कुछ है, वहां से पाइप लाइन डालकर उदयपुर को पानी दे रहे हैं। उदयपुर जैसा बहुत बड़ा शहर उससे पानी पी रहा है परन्तु जयसमंद झील के आसपास का क्षेत्र पानी के अभाव में बहुत मुसीबतों का सामना कर रहा है। मेरा सुझाव है कि उदयपुर को पानी दे रहे हैं, वह तो बहुत बड़ी स्कीम है, इतनी बड़ी स्कीम तो नहीं, छोटी स्कीम बन सकती है। या तो इसी पाइप लाइन से जोड़कर नीचे जैसे पुरा दंतोड़ा, गांतोड़, धाकेड़ा चावां सरेड़ा, सेकारी, इन सारे गांवों को पानी पिलाया जा सकता है। जयसमंद के अंदर तीन पंचायतें हैं। जिस समय जयसमंद

(श्री रघुवीर सिंह)

भर जाता है तो उनकी जमीनें डूब जाती है और जब जयसमंद सूख जाता है, सूखने का मतलब पानी जब नीचे उतरता है तो इनको पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। वहां हैण्ड पम्प लगाने पर हैण्ड पम्प सक्सेस नहीं रहते हैं। वहां इन गांवों को पानी की टंकियां...

श्री सभापति : थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री रघुवीर सिंह : दो मिनट। जयसमंद के अंदर बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाकर हम कई लोगों को, दूसरे लोगों को जो घूमने आते हैं उनको तो सुविधाएं दे रहे हैं पर वहां रहने वाले लोगों को हम सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जयसमंद के अंदर एक मोटर लगे तो सेमाल, जावर और अरदाल, इन तीनों पंचायतों को पाइप लाइन से जोड़कर पानी पिलाया जा सकता है।

आर. एस. ई. बी. के मामले में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आर.एस.ई.बी. के स्टाफ का जनजातीय क्षेत्र में जो व्यवहार हैं, जे.ईएन., ए.ईएन. का जो व्यवहार है वह व्यवहार कुल मिलाकर अच्छा नहीं होता है। मैं स्टाफ की कमी कहूंगा, जे.ईएन. दो चाहिए, तीन चाहिए, लेकिन वहां एक जे. ईएन. है। स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता है, उसकी वजह से वहां की जनजातियों को किसी प्रकार का रेस्पोंस नहीं मिलता है। कनेक्शन की जहां बात करते हैं तो हम कह देते हैं इतने गांव इलेक्ट्रिफाई कर दिये हैं, पर स्थिति यह है कि बिजली की लाइन खींच दी जाती है, गांव के किनारे पर एक डी. पी. खड़ी कर दी जाती है पर उस गांव में रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होता। पिछली सरकार के समय में जो व्यवस्था थी वह बिलकुल गलत व्यवस्था थी, जिसकी वजह से गरीब व्यक्ति, वहां के रहने वाले साधारण व्यक्ति कनेक्शन ले नहीं पाते थे। नर्सरी योजना में एक पोल पर 9 हजार रुपये का जो सिस्टम था उसकी वजह से वहां के लोग बिजली ले नहीं पाते थे। मेरा आग्रह है कि पूर्व में कांग्रेस के शासन में जो व्यवस्था थी, तीन कनेक्शन पर एक पोल फ्री, पांच हार्स पावर की मोटर पर पांच पोल फ्री, तीन हार्स पावर की मोटर पर तीन पोल फ्री, इस तरह से अगर व्यवस्था करेंगे तो वहां के लोगों को फायदा मिल पाएगा।

श्री सभापति : मीणा साहब, बैठिए, अब पूरा कीजिए। प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह : मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में स्टाफ की कमी है इसलिए स्टाफ बढ़ाया जाए। जो भी कनेक्शन होते हैं कुटीर ज्योति के या स्पेशल कनेक्सन हम देते हैं, उन कनेक्शनों को भी समय पर नहीं दिया जाता। इसलिए वहां ध्यान दिया जाए। वहां जो मुख्य बात है वह यह है कि वहां तार या एंगल्स वगैरह जो भी सामान होता है वह सामान समय पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से भी कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं। बिलों की जहां बात है, मैं आपको उदाहरण दूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई गांव

(श्री रघुवीर सिंह)

ऐसे हैं, जिस समय उस एरिया में लाइन नहीं खींची गई उस समय के बिल आ रहे हैं। काश्तकार लेकर गये, वहां सील लगाते हैं, नवम्बर, 1996 का बिल बकाया बताया है जबकि उस समय में उस एरिया में लाइन तक नहीं बिछी थी। ऐसी–ऐसी असुविधाएं हैं, वह थोड़ा सा आप दिखाएं।

श्री सभापति : कह दिया, मीणा साहब, सब कह दिया। माननीय हादी साहब। अब्दुल हादी साहब।

श्री रघुवीर सिंह : आपने समय दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : सभापति महोदय, अकाल के मुतल्लिक मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। जहां तक हमारे बाड़मेर जिले का अकाल से ताल्लुक है, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि 10 साल में कभी एकाध बार जमाना आ जाता है, बाकी हमेशा अकाल ही पड़ता है। मैं आपको याद दिलाऊं, संवत् 2025 में राजस्थान में खासकर मारवाड़, बाड़मेर में जबर्दस्त कहर था। उस वक्त मोहन लाल जी सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे। मेरे खयाल से हमारे बाड़मेर में करीब तीन लाख मजदूर लगे हुए थे। फिर संवत् 2026 में अकाल पड़ गया तो मैं इसी हाउस में बोला था। मैं तो कभी–कभी बोलता हूं, हमेशा मेरी बोलने की आदत नहीं है। मैंने इस हाउस में यह बात कही कि अकाल में आप रास्ते बनाओ। रात को आंधी आती है तो सब रास्ते साफ हो जाते है। इस तरह से जब अकाल पड़ जाए तो आप खामख्वाह पैसों को जाया मत कीजिए, लोगों को आप बैठे–बैठे सहायता दीजिए उससे लोग भी बच जाएंगे और जो फिजूलखर्ची हो रही है, लोग पैसा खा रहे हैं वह बचत हो जाएगी। उन्होंने मुझे एक बार बुलाया और कहा कि आपने क्या नयी बात कही ? मैंने कहा कि यह नयी बात ऐसी है कि आपका नाम तवारीख में लिखा जाएगा कि सुखाड़िया ने सहायता दी थी। बाड़मेर गए, उन्होंने सारी चीज देखी और उन्होंने बात मान ली। उन्होंने यह सहायता सिर्फ बाड़मेर जिले के लिए मुकर्रर की थी 12.50 रुपये। तो उससे लोग बच गये। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि भ्रष्टाचार कतई नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं हुकूमत वो ही बढ़िया है जिसमें ईमानदारी हो। मैं तो उस हुकूमत की तारीफ करूंगा। 12.50 रुपया जो दिया उससे लोगों का आराम से टाइम निकल गया, लोग बच गये और हमारी वाहवाही हो गई।

सभापति महोदय, अभी हमारे यहां इस साल भी अकाल है। अकाल है, पर वैसा अकाल नहीं है। अब अकाल रोकने के लिए, अकाल को बर्दाश्त करने के लिए काफी साधन हो गए। हमारे पड़ौस में गुजरात है। गुजरात 16 घंटे बिजली देता है, वहां पर काफी खेती हो रही है। हमारे यहां के काफी लोग गुजरात में चले गये। उनका अच्छा गुजारा चल जाता है; मजदूरी ठीक मिल जाती है। हमारे यहां हम लोग पोलिटिकल बात करते हैं, सड़कें खोलो, फलानां काम

(श्री अब्दुल हादी)

खोलो। यह सब पोलिटिकल है जब सड़कें बन गयी। अब वो जमाना नहीं है कि आदमी भूखे मर जाएं। यह बिलकुल गलत है, यह कहना बिलकुल नाजायज है। मैं यह कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है, हमें लाखों लोग वोट देते हैं, वो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, हमारा फर्ज है कि हम ईमानदारी से बात करें। कोई भी बात हम खोटी कहें, हमें पोलिटिकल फायदा हो, मैं इसे गुनाह समझता हूं मेरे हिसाब से। हरेक की अपनी मर्जी है।

सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है। मेरा जो इलाका है उसमें पानी मीठा है। हमारे चौहटन के इलाके में पानी मीठा है। वहां पर बिजली है तो बिजली से हमें लोगों ने बेरे किए हैं। उससे हम अपने मवेशी भी बचाते हैं और हमारे लिए खाने का अन्न भी पैदा होता है। सरकार को चाहिए कि बिजली ज्यादा दे।

जहां तक चारे का सवाल है, हमको कहते हैं चारा मंगाओ। आपको पता है चारा कितना महंगा है ? सरकार की टांट नहीं टूट जाए ? यहां बिजली के कनेक्शन दे दो। इसी तरह से हरिदेव जोशी को जब वे चीफ मिनिस्टर थे, संवत् 2037 के अंदर मैंने यह बात कही थी तो उन्होंने 200 कनेक्शन बिजली के चारे के नाम पर दे दिए। मैं बिजली मंत्री जी से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि आप चारे के नाम पर कनेक्शन दीजिए, लोग चारा उगाएंगे। इससे खुद के मवेशी बचाएंगे और जरूरत होगी उनको देंगे। मैं यह उम्मीद रखता हूं विद्युत मंत्रीजी से कि आप चारे के नाम पर सरकार की ओर से यह ऐलान कर दो। पहले ऐसा हुआ था और मेरे खयाल से गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब थे, इन्होंने बाड़मेर में 200 कनेक्शन दिये थे। तो आप ऐसा काम करो जिससे आपका फायदा हो, लोगों की शिकायत मिटे और भ्रष्टाचार भी नहीं हो। मेरी यह गुजारिश है कि हमारे बाड़मेर में जो भी आप अकाल का पैसा खर्च करते हो, खासकर जो मेरा इलाका है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप फेमिन का जो पैसा है, उसको बिजली में लगा दो हम दिल खुश हैं। उससे क्या होगा ? हमारी माली हालत सुधर जाएगी और लोगों को आराम होगा। काम ऐसा करो जिससे अपना पैसा भी खर्च हो और अपना काम भी हो। मैं इसको ज्यादा लम्बा नहीं करके जल्दी खतम करना चाहता हूं। जो फेमिन का पैसा है वो आप बजाय फेमिन में खर्च करने के बिजली में खर्च कर दो, हम बिलकुल खुश हैं, हमारी माली हालत सुधर जाएगी।

जहां तक पानी का सवाल है, मैं जलदाय मंत्री महोदय का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वे दो दफे आए, उन्होंने काफी इलाके का दौरा किया। उससे जरूर फर्क पड़ा है। मैं अब खास तौर से चाहता हूं कि जो भी हमारी स्कीमें बनी हुई हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी का इंतजाम सही नहीं हैं, वे बिजली से जुड़े हुए नहीं हैं। आपके महकमे वाले उनको बिजली से जोड़ रहे हैं इसलिए वहां पानी की

(श्री अब्दुल हादी)

तकलीफ है। मेहरबानी करके जो स्कीमें बनी हुई हैं उनके लिए आप अफसरों को हिदायत करें। उनको देखकर अगर वे मुकम्मल कर देंगे तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी खारा हैं करीब 50–60 गांव हैं। अगर आप 1000 फीट नीचे ट्यूबवैल खोदें तो पानी मीठा आ सकता हैं, ऐसा लोगों का अनुमान है। मैं तो यह भी उम्मीद रखता हूं। इसको बाड़मेर आने के बाद वायदा भी किया था, अपने अफसरों को हिदायत भी दी थी। मैं चाहता हूं कि अगर इस तरीके से 1000 फीट नीचे ट्यूबवैल हो जाएगा तो पानी की समस्या हल हो जाएगी। मैं ज्यादा टाइम न लेकर यही गुजारिश करना चाहता हूं कि जितना आपसे हो सके, हमारे जो भी फेमिन का पैसा है खासकर धोरीमन्ना और चौहटन का आप उसको फिजूलखर्च न करके अगर बिजली पर खर्च करेंगे तो हमारे जो इलाके हैं, बिलकुल हमेशा मोहताजी से और आपका यह अकाल वाली शिकायत हैं, हम भी निजात पाएंगे और लोगों को भी तकलीफ नहीं देंगे। मैं ज्यादा टाइम आपका न लेकर सभापति महोदय, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे टाइम दिया।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जगत सिंह जी दायमा। मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं वक्ताओं की संख्या आज ज्यादा है इसलिए आसन से यह व्यवस्था पहले ही है कि 10–10 मिनट से ज्यादा नहीं लें, जो भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वे पहले कह दें। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि ऊर्जा मंत्री जी यहां पर सदन में पधार गए हैं। मेरी कुछ शंकाएं हैं। मैं पहले भी कुछ कहना चाहता था पर आज इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं साहब, देखिए, यह कोई बात हुई क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कहिए, वे सुन रहे हैं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, अब आप बताइये, किससे कहूं मैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : पेयजल और अकाल पर आ जाइये, वे आ रहे हैं। बाहर नहीं जा रहे हैं यही बैठे हैं। आप शुरू करें।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, हाल ही में प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन होने जा रहा है और बजट भाषण में भी नियामक आयोग के गठन की चर्चा हुई है। मुझे इस बारे में कुछ सवाल ऊर्जा मंत्री जी से पूछने है। अब ऊर्जा मंत्री जी सुन नहीं रहे तो सवाल के जवाब कैसे देंगे ?

श्री सभापति : बोलो, बोलो, सुन रहे हैं वे, नोट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : इस बारे में,

(श्री जगत सिंह दायमा)

माननीय मंत्री महोदय, कोई बात ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय जगतसिंह जी दायमा साहब आप अपने समय का उपयोग कीजिए।

श्री जगत सिंह दायमा : चलो, मैं दूसरी बात बोलता हूं।

श्री सभापति : हां, शुरू कर दीजिए दूसरी बात।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, नियामक आयोग का गठन हो रहा है। बिजली के बारे में तीन चीजें प्रमुख हैं नम्बर एक उत्पादन, नम्बर दो वितरण और तीसरा है दरें तय करना। यह विद्युत मंडल नियामक आयोग आगे चलकर दरें तय करने का कार्य कर रहा है और उत्पादन और वितरण का जो कार्य है, सभापति महोदय, वह आप निजी क्षेत्र को सौंप रहे हैं। मुझे सवाल यह करना था कि जो यह विद्युत बोर्ड बना हुआ है, आखिर इसकी भूमिका क्या रहेगी ? जब तीनों चीजें नियामक आयोग और निजी क्षेत्र तय करने जा रहा है तो जो 40 हजार वर्कर्स और दूसरे अधिकारी बिजली बोर्ड में काम कर रहे हैं। आखिर उनका क्या कार्य होगा ? मुझे तो यह वहम हो रहा है कि जब नियामक आयोग आगे चलकर पैर फैलाएगा तो बिजली बोर्ड में 40 हजार जो कर्मचारी है इनका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए मेरा एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 40 हजार परिवारों से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से और कम्पनियों को, बोर्ड को आपने बंद कर दिया इसी तरीके से क्या आप नियामक आयोग लगाकर दो–चार–पांच साल बाद 40 हजार घरों को बरबाद करने जा रहे हैं ? अगर 40 हजार का खतरा नहीं है तो फिर मुझे यह बताएं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी नियामक आयोग लगाने की ?

मुझे आपसे यह निवेदन करना है, सभापति महोदय, कि उत्पादन और वितरण प्राइवेट क्षेत्र में आप दे रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में उत्पादन करेंगे और प्राइवेट क्षेत्र में जो बिजली पैदा होगी उसको सरकार खरीदेगी। मुझे यह बताएं कि यह किस रेट से खरीदेगी ? क्या इसमें कोई नीति बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं ? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है एनराज कम्पनी आई थी और एनराज कम्पनी आई तो बिजली खरीदने का घोटाला महाराष्ट्र में हुआ। शरद पवार जी भी इस घोटाले में आ गए। उसमें हाल यह हुआ कि अधिकारी बिजली खरीद रहे हैं कभी किस रेट से और कभी किस रेट से इसलिए इसमें काफी घोटाला होने का अनुमान है। इसीलिए मैंने मंत्री महोदय का इस तरफ ध्यान दिलाया है कि इसमें सौदेबाजी होने की ज्यादा आशंका है। सभापति महोदय, इस बजट में विद्युत में जो डबल शुल्क कर दिया गया है किसानों के ऊपर

(श्री जगत सिंह दायमा)

और दूसरे तरीके से, में आज यह पूछना चाहता हूं कि उस शुल्क को आप घटा रहे हैं या नहीं घटा रहे हैं ? मुझें ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर आप विद्युत की दर भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप दर बढ़ा रहे हो तो, सभापति महोदय... अब देख लो किसी एक पर भी ध्यान नहीं दिया मंत्री महोदय ने, क्या जवाब देंगे ? फिर मैं लड़ाई–झगड़ा करूंगा खड़ा होकर। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। प्लीज आर्डर।

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने क्या बोला, आप एक सवाल तो बताइये। मैंने क्या रखा इसमें, बताइये आप। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या पूछना चाहते हैं आप, मैं नोट कर रहा हूं। मंत्री जी पास में बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे ऊर्जा मंत्री जी से बात करनी है आप मुझे बताइये, मैंने क्या शब्द बोला एक भी ? क्या इतनी हल्की तौर पर लिये जाते हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति : दायमा साहब, प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या बताएंगे आप, बताइये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या सुनना चाहते हो आप ? (व्यवधान)

श्री सभापति : Please continue your speech. (व्यवधान) प्लीज, दायमा साहब। विराजिए, धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : काम की बात तो बोली नहीं।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : मुझे दूसरा यह पूछना है कि जो विद्युत की दरे बढ़ा रहे हैं, उसमें घरेलू में बढ़ा रहे हैं या कृषि में बढ़ा रहे हैं ? नहीं बढ़ा रहे हैं तो आज खड़े होकर आप इस बात की घोषणा करेंगे कि हम कोई दर किसी में नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या आप इसकी घोषणा करेंगे। सभापति महोदय, मेरा दूसरा सवाल है अकाल राहत के ऊपर, यह बढ़ाएंगे देखना आप।

डा. चन्द्र भान : आज आज तो नहीं बढ़ाएंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : आज आज नहीं बढ़ाएंगे, पर बढ़ाएंगे आप। मैं यह घोषणा सुनना चाहता हूं। क्या घोषणा है आपकी इस बारे में, यह सुनमा चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : वे अपना उत्तर देंगे, उस समय बता देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : दूसरा मुझे, सभापति महोदय, अकाल राहत के ऊपर बात करनी है। इसमें आज तक का जो कार्य किया है उसमें निगरानी का अभाव है। जो भी अकाल का कार्य किया उसमें निगरानी नहीं हुई। अभी तक जो भी कार्य किए गए सभापति महोदय, वे कच्चे कार्य किये हैं, पक्का कार्य,

(श्री जगत सिंह दायमा)

स्थाई कार्य कोई नहीं किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर स्थाई कार्य किया जाए तो कहीं न कहीं कुछ उसके बारे में देखा जा सकता है कि यह काम हुआ है। अब कहीं सड़क का काम हो रहा है तो सड़क के काम में आपने मिट्टी डलवा दी। उधर पी. डब्ल्यू. डी. कहती है कि हम काम करवा रहे

(15.00 बजे)

हैं। कृषि विपणन बोर्ड कहता है कि हम काम करवा रहे हैं। अकाल राहत विभाग कहता है कि हम काम करवा रहे हैं, इसमें मुझे यह निवेदन करना है कि जो भी काम करवाएं अकाल राहत में, पर वह पक्का काम करवाएं, ठोस काम करवाएं मान लीजिये, आप एक स्कूल बनवा रहे हैं, स्कूल चलते चलते चौखट तक या जंगले तक आ गया और उतने में ही आपका अकाल राहत का कार्य खतम हो गया। उसके बाद में जब कभी अकाल पड़ेगा तो ही वह स्कूल की बिल्डिंग आगे चालू होगी। उतनी देर में आपके गर्डर उठ जाएंगे, आपके जंगले उठ जाएंगे, आपकी चौखटें उठ जाएंगी। तो मेरा निवेदन है कि काम आप अकाल राहत में करवाएं परन्तु ठोस काम करवाएं और स्थायी काम करवाएं जिससे कि कुछ राहत मिल सके और तब तक करवाएं जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो। आप ठोस कार्य करवाना चाहते हो तो मेरा निवेदन है कि आप सड़क के बजाय बांध बनवाएं, नहर बनवाएं, स्कूल में कमरा बनवाएं। इस तरह के जो स्थायी कार्य हैं वे आप कराएं तो घोटाला होने की जो उम्मीद है वह नहीं होती है।

सभापति महोदय, मुझे जलदाय पर दो मिनट और बात कहनी है। सभापति महोदय, राजस्थान में जल भण्डार का पता करने के लिए दो संस्थाएं काम कर रही हैं, एक तो राज्य की संस्था है भू–जल मण्डल, जो जल तलाश करती है और दूसरी केन्द्र की संस्था है भू–जल मण्डल, जो जमीन में पता लगाती है कि पानी कहां है। मुझे इस बारे में यह पूछना है कि ये दोनों संस्थाएं एक ही कार्य कर रही हैं। होता यह है कि केन्द्र का जो भू–जल मण्डल है वह पहले जाकर काम कर आता है और पांच दिन बाद में प्रदेश का जाएगा वह भी उसी जगह पर निशान लगा आएगा। मुझे यह पूछना है कि जब केन्द्र का भू–जल मण्डल कार्य कर रहा है तो फिजूलखर्ची में प्रदेश में इसको आपने क्यों खोल रखा है ? अगर दोनों की रिपोर्ट में कोई समानता है, 15 साल में, 10 साल में उनके विवरण में समानता है तो वह आप बताएं और समानता नहीं है तो वह बात बताएं कि समानताएं इस बारे में नहीं है। मुझे जो देखने में मिला है, सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज छपी थी कि 2005 तक जयपुर में पीने का पानी खतम हो जाएगा। जब केन्द्र से पूछा गया तो उसका भू–जल मण्डल कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है और

(श्री जगत सिंह दायमा)

प्रदेश से पूछा गया तो वह कहता है कि हां, यह खतम हो जाएगा। तो सभापति महोदय, आपकी उसमें फिजूलखर्ची हो रही है। इन दोनों का कार्य अगर कोई एक संस्था कर ले तो एक तरीके से यह कार्य हो सकता है। पैसा लग रहा है, मशीनें खरीद रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन खरीद रहे हैं, पहले एक काम करता है और दूसरा उस पर पत्थर रख आता है। दोनों कहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। तो इस तरह से जो फिजूलखर्ची हो रही है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : स्टेट में इस तरह की कोई संस्था नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please conclude your speech. माननीय श्री गोविन्द सिंह जी गुर्जर।

श्री जगत सिंह दायमा : ठीक है, साहब। माननीय, मुझे पानी के बारे में अपनी बात कहनी है। अलवर जिले में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है।

(15.03 बजे)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

अलवर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना में आ गया है, अलवर जिले में पीने के पानी की इतनी समस्या है कि गर्मियों में ही नहीं बल्कि सर्दियों में भी आपस में रोज लड़ाई–झगड़े होते रहते हैं। मैं जिस कालोनी में रहता हूं उसका नाम शिवाजी पार्क है, राजधानी परियोजना में यह आ गया तो विकास इसमें हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्रीज लग रही हैं, कितने बाहर के लोग आकर बस रहे हैं पर पानी की 15 साल में कोई नयी परियोजना नहीं है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 15 वर्ष में अलवर बहुत बढ़ गया है, औद्योगीकरण बहुत बढ़ गया है, लेकिन कोई नयी परियोजना नहीं बनायी गयी है। आज यह हाल हो रहा है कि जिस कालोनी में मैं रह रहा हूं उसमें एक घंटा मात्र पानी आता है। मैंने आपके एक्स. ईएन, एस. ई. साहब को कितनी ही बार इसमें निवेदन किया, आज के समय में एक घंटे पानी मिल रहा है, इससे ज्यादा और खराब बात क्या होगी।

सभापति महोदय, दूसरी बात यह है कि जो हैण्डपम्प आप लगवा रहे हैं उसमें सबसे भारी घोटाला होता है। उसमें यह होता है कि आप ठेकेदारी में दे देते हैं, थोड़े दिन तो चलता है और एक महीने के बाद उसमें हवा आने लग जाती है। पूछा जाता है कि क्या बात है ? तो कहते हैं कि हैण्डपम्प खराब हो गया। फिर उस हैण्डपम्प को 10 बार आप ठीक करवाते हो परन्तु वह ठीक नहीं होता। इससे कितना पैसा लगता है, आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। एक हैण्डपम्प ठेकेदार लगाता है तो आपको बता दिया कि 90 मीटर पाइप लगेगा और जब आप खोदकर

(श्री जगत सिंह दायमा)

देखें तो उसमें 90 मीटर की जगह आपको 60 मीटर पाइप ही मिलेगा। आखिर में आप इस तरह के घोटाले को कैसे बंद करेंगे, यह बहुत बड़ी बात है। सभापति महोदय, हैण्डपम्प में सबसे ज्यादा घोटाले हो रहे हैं।

मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि बिजली और पानी की जो समस्या है वह दलित वर्ग के लिए भी आप आरक्षित कर रहे हैं क्या ? यू.पी. में जब मायावती जी का राज था तो उन्होंने जिन गांवों में दलित वर्ग की संख्या ज्यादा है, इस तरह के कुछ गांव आइडेन्टिफाई किये थे और उनको डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विलेज गांव घोषित करके उनमें एक योजना बना दी। जिस गांव में इतने व्यक्ति दलित वर्ग के है, पिछड़े वर्ग के हैं या एस.सी., एस.टी. के हैं तो उनको अम्बेडकर विलेज योजना का नाम दे दिया गया और उन गांवों में फिर एक ही खिड़की से आपने सड़क का काम किया, बिजली का काम किया और पानी का काम किया। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार अम्बेडकर विलेज योजना यहां भी लागू करना चाहती है ? क्योंकि आज तक जो पैसा लगा है वह बड़े शहरों में लगा है जहां करोड़पति रहते हैं, अच्छी–अच्छी कालोनियां है, वहां जो रहते हैं उसमें तो पैसा लग जाता है पर ढाणियों में जहां हमारे छोटे वर्ग के लोग रहते हैं उनमें कहीं भी पैसा नहीं लगता। निचला वर्ग 50 साल से आज तक पानी को तरस रहा है, सड़क को तरस रहा है, विद्युत को तरस रहा है। जो भी नीति बनायी जाती है उसके खिलाफ जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप अम्बेडकर विलेज योजना यहां पर चालू कर दें, अम्बेडकर विलेज योजना के तहत जिस गांव में ज्यादा दलित वर्ग के लोग रहते हैं, उस गांव में दूसरे लोग भी रहते हैं, उसमें अकेला दलित वर्ग नहीं रहता है तो दूसरे लोगों को भी उसका फायदा मिलेगा। माननीय जलदाय मंत्री और विद्युत मंत्री, क्या ऐसी योजना राजस्थान में चालू करने की सोचते हैं ? आपने मुझे टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरासिंह जी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, अकाल के बारे में, पानी और बिजली के बारे में सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपनी बात को प्रारम्भ करूं उससे पहले थोड़ा मुझे सरकार पर गम्भीर आक्षेप है मेरा कि संवेदनशील सरकार में पहले वर्षों में अकाल को जितना गम्भीर लिया गया, इस बार उस गम्भीरता से इस अकाल के विषय को नहीं लिया गया। मुझे आज हाउस में यह कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि 1986–87 में जिस समय गुलाब सिंहजी शक्तावत साहब अकाल राहत मंत्री थे, अभी भी हैं पर उन वर्षों का मैं कह रहा हूं, उन वर्षों में तत्परता के साथ राजस्थान में अकाल के

(श्री हीरासिंह चौहान)

काम हुए। अब हो सकता है कि एज का भी फर्क पड़ गया हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एज का फर्क नहीं पड़ा है, भारत सरकार का फर्क पड़ा है।

श्री हीरासिंह चौहान : किसी का भी फर्क पड़ा हो, भारत सरकार का फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं, अकाल राहत मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं जब आपको मालूम है कि दुर्भिक्ष एक गम्भीर समस्या होती है तो अन्य काम सारे बन्द हो जाने चाहिए। क्या स्कूल खोलना, क्या शफाखाना खोलना, कम्प्लीट काम, कम्प्लीट ध्यान इस अकाल की तरफ जाना चाहिए इसलिए मैं आप पर आक्षेप लगाता हूं कि आपने इस साल इसको हल्का लिया। अकाल का समय तो बड़ा गम्भीर हुआ करता है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। पिछले वर्षों में आप सारे जिलों का दौरा करके, मीटिंगें करके इस समस्या का निवारण करते थे, पर आज दिन तक आपकी सरकार आने के बाद में जिला कलेक्टर्स की बैठक सचिवालय में या राजस्थान स्तर पर आपने नहीं बुलायी है। मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस सारी समस्या को बहुत लाइटली लिया गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने असैम्बली में एक प्रश्न पूछा था। पाली जिले में माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1998 और फरवरी तक का प्रश्न पूछा था। उसका कम्प्लीट उत्तर मुझे पांच दिन पहले मिला है। उस समय पाली जिले में 30,000 मजदूर काम कर रहे थे विभिन्न एजेंसियों के अनुसार। लेकिन आज अभी हमारे यहां 17 तारीख को बैठक हुई, माननीय बाकोलिया साहब हर बैठक में आते हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, वे दो बैठकें बीच में ले चुके लेकिन एक भी मजदूर की स्वीकृति उन्होंने पाली जिले में नहीं की। पहली बार अभी जो 17 तारीख को बैठक हुई उसमें क्या स्ट्रैंथ रखी है ? यहां 30–40 हजार वाले थे, उदयपुर वाले बोल रहे थे, भीलवाड़ा वाले बोल रहे थे, What is the strength in Pali district ? 7505 की स्ट्रैंथ दी है। अब 7505 की स्ट्रैंथ में कहां–कहां काम होगा ? घास का एक डिपो खुला हुआ नहीं है Not a single depot in Pali district. अब कम्पेरिजन कीजिए आप अक्टूबर, नवम्बर, जनवरी फरवरी में जो पूर्व की सरकार ने काम खोल रखे थे वे काम कम्प्लीट हो गये और फरवरी में तो स्पेशल आपके जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार के माध्यम से किये। वहां स्पेशल आर्डर कर दिये। Not a single labour will be employed, इस प्रकार के आदेश जारी कर दिये। इस प्रकार की स्थिति पाली जिले की हो रखी है। मैं, माननीय अकाल राहत मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, जो स्ट्रैंथ जिस गांव में या जिले ढाणी में या जिस पंचायत में आपने दे दी और जिस काम को आपने शुरू कराना प्रारम्भ कर दिया, उसको तो कम्प्लीट किये बिना अधूरा नहीं

(श्री हीरासिंह चौहान)

छोड़े, लेबर को बीच में छोड़ दिया इसलिए आप पर मेरा यह आक्षेप है बहुत समय निकल गया, दो महीने रहे हैं मई और जून। जून के आखिरी सप्ताह में बरसात आ जाती है और कुदरत करे, बरसात आए लेकिन इन दो महीनों में कम से कम हरेक ग्राम पंचायत में 200–300–400 लेबर लगानी चाहिए। आपसे भी मेरा स्पेशल निवेदन है कि आप शीघ्र पाली जिले में बैठक रखें। बैठक करके पाली की स्थिति का आप जायजा लीजिये कि वहां पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। कृपया मेहरबानी करके जायजा लीजिये।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1987–88 में, उसके बाद में फेमिन का काम चालू भी नहीं हुआ, हमारे वहां पर अकाल में बहुत सारे छोटे–छोटे एनीकट्स बनाये गये थे। बहुत छोटे–छोटे और बहुत उपयोगी थे, उनके मैं नाम आपको लिखा रहा हूं। कलाली फीडर चांग, तिकली नाका एनीकट कानूजा, झडू का नाका, कालकखूंट, कलौली फीडर, कालका माता एनीकट, केलवा लाडपुरा एनीकट, विजापुरा पंचायत, सिंहपुरा एनीकट रायड़ा पंचायत, मौरिया झागर बगड़ी पंचायत, नीचला तालाब कोटकिराना, गुढ़ावाला एनीकट लवाचा, कवलासिया एनीकट रामावास। इनमें क्या हुआ, सभापति जी ? इनमें आधे तो अधूरे रहे गये उस समय क्योंकि बरसात हो गई थी, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, और कुछ अतिवृष्टि के कारण से क्षतिग्रस्त हो गये। अब इसमें हजारों रुपये लगे हुए हैं। एनीकट्स उपयोगी हैं, गांव के अंदर पानी रुकता था, आसपास के कुओं में भी पानी जाता था। इनके अलावा सबसे बड़ा साधन मवेशियों को होता है, उनको भी पानी मिलता है इसलिए ये जो एनीकट्स पिछले वर्षों में इनकम्प्लीट रह गये हैं, उनको आप जल्दी पूरा कराइये।

इसी प्रकार सड़क कार्य हैं, सन् 1990–91 में सरकार ने कुछ सड़क कार्य प्रारम्भ किये थे, लगातार यहां सैक्रेटेरिएट से डाइरेक्शन जा रहे हैं, आपके यहां से जा रहे हैं लेकिन सारे डाइरेक्शन के बावजूद वे सड़क कार्य अभी भी प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सड़क कार्य भी आप प्रारम्भ करें। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, ये सड़क कार्य आप कम्प्लीट करें। सिंचाई, सड़क और कुछ और भी इस प्रकार की नेचर के कार्य हैं, बराये मेहरबानी इन कार्यों को पूरा करेंगे तो सरकार के लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, उनका लाभ होगा। अकाल के वर्ष के अलावा तो विभाग इनको लेता नहीं है इसलिए अब अकाल का वर्ष है, इनको वापस लेकर आप पूरा कीजिये।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली जिले में आज की तारीख में घास का एक भी डिपो नहीं है। नाम गिनाये जा रहे हैं लेकिन घास का कोई डिपो नहीं है। घास को लाने–ले जाने को जो व्यवस्था के लिए कोई भी एजेंसी तैयार नहीं होती है हालांकि आपने सारे नॉर्म्स दे रखें हैं कि प्रदेश के बाहर से आएंगे तो

(श्री हीरासिंह चौहान)

इतना किराया दिया जाएगा और प्रदेश में या जिले के अंदर से आएंगे तो इतना किराया दिया जाएगा लेकिन में सोचता हूं यह राशि बहुत कम है तो इसके लिए विशेष रूप से बैठक बुलाकर व्यवस्था करें क्योंकि पीक सीजन है और मवेशी बहुत तकलीफ में हैं। हमारे गांव का गरीब किसान अपने मवेशियों को पालने के लिए महंगी घास नहीं ले सकता। गांव में घास महंगी मिलती है, अनाज के बराबर घास की कीमत होती है इसलिए घास के डिपो की भी व्यवस्था कीजिये और रोजगार की जो परेशानी हो रही है उसको भी दूर करने की कोशिश कीजिये।

अब में पेयजल मंत्री सम्माननीय रामसिंह जी विश्नोई साहब से निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारे बहुत पड़ौसी हैं। एक बार आप जिले का दौरा भी कर चुके हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, 10 साल पुरानी स्कीम है रामगढ़ सेडोतान, 10 साल में उस स्कीम को कम्प्लीट नहीं किया आपके विभाग ने। पता नहीं किस प्रकार की एक मशीन लगा रखी है, मैं तो उसे ब्लाइंड मशीन कहता हूं। हमारे बैल्ट में 2–2, 3–3 किलोमीटर की दूरी में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां नाले में पानी नहीं है। पानी सब जगह है लेकिन पानी होते हुए भी उस स्थान पर ले जाकर मशीन को लगाते हैं, वहां पर ड्राई निकलता है। मैं लगातार इस बात की शिकायत करता आ रहा हूं कि जहां पर पानी का भण्डार है वहां पर तो मशीन लगाते नहीं और दूसरी जगह, जहां पर पानी नहीं निकलता है वहां पर आप मशीन ले जाते हैं। मैं समझता हूं इस मशीन को कोई फायदा नहीं है। गांव के लोग इतने जागरूक हैं, वे सब सलाह देते हैं कि आप इस मशीन को यहां लगाइये या इतनी दूरी पर पानी नहीं आ सकता है। आप एक बार किसी स्कीम को चालू करते हैं तो दूसरे या तीसरे साल में वह स्कीम बंद हो जाती है मतलब पी. एच. ई. डी. ने लाखों–करोड़ों रुपये खर्च कर दिये, आप बहुत जागरूक है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक बार बैठकर मोनिटरिंग कीजिये। हर साल यह समस्या पैदा होती है, एक बार कर देते हैं, दूसरे साल में ही वापस वह की वह समस्या पैदा हो जाती है। राजस्थान में 38–39–40 हजार गांव हैं और सरकार चाहे आपकी हो चाहे हमारी हो, पैसा जनता का है। वेस्टेज आफ मनी होता है इसलिए आप कंट्रोल कीजिये कि कारण क्या है। क्यों नहीं एक बार स्कीम को बनाते है ? मैं बताऊं; विराटिया कलां गांव है, आपकी सरकार में 1984 में उस विराटिया कलां गांव में पेयजल स्कीम मंजूर हुई। 1984 से लेकर आज तक, 1999 चल रहा है, 15 वर्ष हो गये, 15 साल में उस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। एक बार झिलमिल बांध से पानी लाना स्वीकृत कर दिया, वहां अपार पानी भरा पड़ा है, उस स्कीम में वहां ट्यूबवैल भी खोद दिये, लेकिन बच्चों ने कोई कंकड़ वगैरह डालकर बंद कर दिया क्योंकि वर्षों तक ओपन पड़ा रहा, पानी लिया

(श्री हीरासिंह चौहान)

ही नहीं। इसी प्रकार कई जगह ऐसी हैं, रामगढ़ सेहोतान का नाम लिया, यह भी 10 साल पुरानी स्कीम है। एक बार तो पेयजल विभाग के अधिकारियों ने यहां तक कह दिया कि यह तो गांव ही नहीं है रामगढ़ सेहोतान। जिसमें कम से कम 2500 की आबादी है, वह गांव ही उनको नहीं मिला। मैंने साथ जाकर उनको बताया और पानी का भंडार भी बताया। भण्डार बताने के बाद में भी गलत जगह उन्होंने ट्यूबवैल खोदा, ओपन वेल खोदा। आज भी पानी नही है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह गांव कौनसे वर्ष में बताया हैं उन अधिकारियों को ?

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने बताया था 1994–95 में लेकिन वह स्कीम बहुत पुरानी है।

श्री रामसिंह विश्नोई : तब आपकी सरकार थी।

श्री हीरासिंह चौहान : कारण ऐसा है, माननीय मंत्रीजी विभाग का अधिकारी आता है और चला जाता है, कोई कोग्नीजेंस नहीं लेता बाद में। सबसे बड़ी बीमारी यही है कि एक अधिकारी एक्स. ईएन. लगता है, वह स्थिति समझने लगता है कि उसका ट्रांसफर हो जाता है उसको टाइम पीरियड बराबर नहीं देते हैं तब तक वह स्थिति लगातार बनती जा रही हैं। हमारे राज में भी बनी है, अभी भी बन रही है इसलिए काम को कम्प्लीट करने की अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तब तक अपनी रेस्पोंसिबिलिटी आफिसर फील नहीं करता है तब तक इनके कार्य पूरे नहीं होते हैं और पूरे नहीं होने के कारण से बड़ी किल्लत रहती है। आपके बिलाड़ा के पड़ोस में अटपड़ा गांव है जिसका कि मैं निवेदन कर रहा हूं। देश के आजाद होने के बाद उस गांव में मीठा पानी नहीं मिला। हमारी सरकार ने भी उसकी एक स्कीम बनाई थी, उस स्कीम को चालू कर दिया गया, चालू करने के बाद ओपन पाइप लाइन डाल दी हालांकि 7–8 कर्मचारी विभाग के लगे हुए हैं लेकिन उसकी परवाह नहीं। उसका पानी ज्यादा मीठा तो नहीं लेकिन पीने योग्य था। गजनाई बाली स्कीम बनाई है, बहुत बड़ी स्कीम है गजनाई की स्कीम के लिए मैंने सिंचाई मंत्रीजी से भी निवेदन कर दिया था। जिस गांव में गजनाई बांध बना हुआ है बीजागुड़ा गांव है गजनाई गांव तो हट ही गया बांध बनने के कारण से क्योंकि उनको तो कुछ दिया नहीं लेकिन बीजागुड़ा जिस पंचायत में यह आया हुआ है, उसको भी एक नहर निकालकर नहीं दी। माननीय देवीसिंह जी भाटी साहब को मैं ले गया था और उन्होंने मंजूर कर दिया था कि 30 लाख रुपये इस बांध की सेविंग की है, यह पानी 500 बीघा जमीन है, उसको दे दें। जब तक बीजागुडा गांववासियों को पानी नहीं लेने देंगे नहर का तब तक वहां पर पानी लाने नहीं देंगे। आजकल क्षेत्रवाद हो गया, गांववाद हो गया, जहां प्रोडक्शन इन प्लेस है, उन लोगों को पानी देना तो बहुत जरूरी है। माननीय कमलाजी से भी निवेदन किया और

(श्री हीरासिंह चौहान)

आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि अगर अटपड़ा में पानी लाना है तो सबसे पहले बीजागुड़ा वालों को नहर मंजूर है, स्कीम में पैसा है आलरेडी, सरकार को कुछ ही नहीं देना है, तीस लाख रुपये देने है। लिफ्ट योजना से वह बन जाती है, उसको भी आप मंजूर करा दें तो ये दस–पन्द्रह गांव हैं। गजनेई बांध बने हुए दो–तीन साल हुए। पहले यह बना नहीं इसलिए अटपड़ा को दे नहीं सके थे। अब वह बन गया है तो उस पाइप लाइन से वह ले जाया जा सकता है।

इसी प्रकार बूटीवास गांव है, बूटीवास गांव की भी दस साल की स्कीम है। लेकिन वही मशीनें आती हैं, कभी विवाद हो जाते हैं। इसलिए आठ–दस गांव जहां पेयजल की समस्या से परेशान है, वहां पर आप पेयजल की एक बार बैठ कर मोनिटरिंग करें। मैं भी हाजिर होऊंगा आप पधारेंगे तो, जिला प्रशासन के पास टैंकर है,till today, not a single tanker has been allotted to the villages. ड्रिंकिंग वाटर की इतनी प्राब्लम होने के बाद में एक भी टैंकर को अलाउ नहीं किया। अभी 17.9 की बैठक में हमने इस बात को कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पेयजल ऐसी विकट समस्या है और पहले हर साल लगते रहे हैं उन गावों में। उन्हीं गांवों को हम चिन्हित कर रहे हैं अटपड़ा में आज भी लोग मोल पानी पी रहे हैं। जिस कुएं से पानी आता था, गोयल के कुए का, बिजली वालों ने उसका कनेक्शन काट दिया, वह पानी नहीं ले सकते। आज भी एक–एक आदमी पचास–पचास रुपये पेयजल के खर्च करके पानी ले रहा है। जो समस्या है इस समय, कुछ तो विभाग की लापरवाही के कारण से है। मैं इस बात की प्रशंसा जाहिर करता हूं कि हमारे वहां स्कीम बहुत सारी ग्राम पंचायतों में बन गई हैं। कुछ अधूरी हैं, वे भी लापरवाही के कारण से हैं।

कालपकला की यही स्थिति है। कालपकला की स्कीम को बने हुए भी दस साल हो गये। अब वहां अपार पानी है, एक कुआ या दूसरा कुआ किराये लेकर पानी पहुंचाया जा सकता है। वहां पहुंच नहीं रहा है। इस समस्या का इस अकाली वर्ष में समाधान हो जाएगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं।

माननीय विद्युत मंत्रीजी समस्या है हमारे वहां। समस्या यह है कि रायपुर तहसील में एक उच्च स्तरीय समिति है जिला लेवल की। एक साल पहले हमने एक निर्णय लिया था। कोट किराणा, बगड़ी, कलालिया, ये तीन पंचायतें हैं और इनमें दस गांव हैं छोटे–बड़े। पीपलिया हमारा फीडर है 132 के. वी. का जो वहां से कम से कम 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। गांव वालों की रिक्वैस्ट थी, सब तरह से उसकी जांच कर ली गई। जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्यावर बहुत

(श्री हीरासिंह चौहान)

नजदीक पड़ता है, ब्यावर के पास जवाजा आया हुआ है और जवाजा से यह गांव मुश्किल से दो–चार किलोमीटर दूर पड़ता है अगर जवाजा फीडर से इसको जोड़ दिया जाता है जहां ए. ईएन. का आफिस भी है, तो कोट किराणा, बगड़ी और कलालिया, इन गांवों की समस्या सरल हो जाती है। नहीं तो उनके पास बिजली पहुंचती ही नहीं है। चालीस किलोमीटर लाइन है जो जंगल से होकर निकलती है। कभी तो कोई फाल्ट हो जाता है, कभी लाइन खराब हो जाती है। लाइनमैनों की आपके पास बहुत भारी कमी है इसलिए लाइनमैनों को बढ़ावें। गांवों को तो बहुतों को इलैक्ट्रिफाइड कर दिया लेकिन लाइनमैनों की स्ट्रैंथ वह की वह है, उनकी संख्या आज अभी बढ़ा नहीं पाये हैं। उनकी संख्या बढावें। संख्या बढ़ाने का एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन पीपलिया से हटाकर कोट किराणा, बगड़ी और कलालिया, तीन पंचायतों को जवाजा फीडर से जोड़ दें। हर प्रकार से एग्जामिन कर ली गई है स्कीम और स्कीम को परीक्षण करने के बाद पाया गया कि यह नजदीक पड़ेगा। लोगों के ब्यावर आने–जाने का रास्ता है, अपने बिल वगैरह की राशि भी आराम से जमा करा सकेंगे।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्रीजी एक बगड़ी सब स्टेशन है। रायरा, सींगपुरा, खोड़िया की जनता की भी मांग है कि 132 को बगड़ी से हटाकर के इस तरफ जोड़ दिया जाए तो अच्छा होगा। एक ग्राम पंचायत है रातड़िया, आज भी चैलेंज दे रही है कि अभी तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बिजली नहीं पहुंची। पीपलिया वाले कहते हैं कि हमारे में नहीं आया और कुछ हिस्सा हमारे ब्यावर एरिया में आया हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन है कि रातड़िया गांव को इलैक्ट्रिफाई करवाएं।

अंत में मैं माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके पम्प ड्राइवर लगे हुए हैं, गांव वालों की दुनिया भर की उनके खिलाफ शिकायत होती है। यह क्या कारण है ? एस.ई. को हटा देते हैं, एक्स.ईएन. को हटा देते हैं, ए.ईएन. को हटा देते हैं लेकिन एक पम्प ड्राइवर वर्षों से वहां पर बैठा है, दुकानदारी करता है। समय पर पम्प चलाता नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। ऐसी कौन–सी मजबूरी है जिसके कारण से पम्प ड्राइवर को वहां से हटाया नहीं जा सकता ? अफसरों के हाथ–पैर बंधे हुए हैं कि हम नहीं हटा सकते। इनकी यूनियन बनी हुई है। जबकि गांव वालों की इतनी जबरदस्त कम्प्लेंट है कि यह काम नहीं करता है, कई प्रकार के गलत काम भी करता है जो कई मारपीट के कारण भी बन जाते हैं। इसलिए कृपया मेहरबानी करके इस फोर्थ क्लास पम्प ड्राइवर के विषय में बैठकर आप विचार करें और लम्बे समय से आठ–आठ, दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह साल से जो बैठे हैं उनको हटाकर थोड़ा व्यवस्था को सुधारें ताकि आपके पेयजल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह ठीक ढंग से जनता को मिल सके और यह

(श्री हीरासिंह चौहान)

विभाग भी तत्परता से काम करता लोगों को नजर आए। अंत में मैं, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापति : श्री गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : सभापति महोदय, आज सदन अकाल, पेयजल और बिजली के संबंध में यहां विचार कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तीनों विभागों के जो मंत्री हैं वे अपने–अपने विभाग में दक्ष हैं और उनकी क्षमता के ऊपर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। सभापति महोदय, तीनों ही विभाग किसी भी सरकार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण भी हैं और सरकार की छवि, यशोगान के ऊपर इन तीनों महकमों का बहुत असर पड़ता हैं।

सभापति महोदय, मैं अकाल के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे सामने एक उदाहरण है, 1987–88 में जब अकाल पड़ा था। उस समय जो व्यवस्थाएं कांग्रेस की सरकार ने की थी वह व्यवस्था आज नहीं हो पा रही है, उसको हमें करना चाहिए। सभापति महोदय, आपको भी ध्यान होगा, आदरणीय राजीव गांधी उस समय राजस्थान के आधे जिलों में स्वयं आये थे और तीन दिन तक लगातार उन्होंने उन इलाकों का दौरा किया था जहां अकाल था। लोगों से व्यक्तिगत मिले थे और उनकी समस्याओं को तत्काल उन्होंने हल किया चाहे चारे की बात हो, चाहे बांटे की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। मैं नही समझ पा रहा हूं कि यह व्यवस्था हम आज क्यों नहीं कर रहे हैं? ले–देकर बात यह आती है सामने कि पहले की सरकार ने इस प्रकार की कुव्यवस्था की, अव्यवस्था की कि सारा जो पैसे का मामला है वह अव्यवस्थित हो गया और दिल्ली से जो सहायता उस समय राजीव गांधी ने की थी हमारे प्रदेश को, उस तरह की सहायता वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन जो कुछ भी इसके कारण हों, समय आ गया है जब और इंतजार इन बातों का नहीं किया जा सकता। मैं तो, सभापति महोदय, आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सरकार कोई कोताही बरत रही है इस अकाल के मामले में हमारी मदद करने में, तो हमें आज प्रस्ताव पास करना चाहिए कि केन्द्र सरकार इस मुसीबत के समय जितनी भी इमदाद, आर्थिक मदद हो सकती है, उसको देनी चाहिए। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि उस समय की बेहतरीन व्यवस्था की वजह से हीं हमने केवल मनुष्यों को, बल्कि पशुओं को बचा सके। आप जानते हैं कि पशुधन हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा धन है और पशुपालन हमारा सबसे बड़ा व्यवसाय है। हम उद्योग और दूसरी बातें करते हैं लेकिन आज भी राजस्थान के अधिकांश लोगों का पशुपालन ही मूल व्यवसाय है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं खास तौर से अकाल राहत मंत्रीजी से कि हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि वर्ष प्रतिवर्ष जो अकाल हमारे प्रदेश में

(श्री गोविन्द सिंह)

पड़ता है इससे कैसे निजात या मुक्ति हमारा प्रदेश पा सकता है।

सभापति महोदय, आपने सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक पैकेज ब्रना पश्चिमी बंगाल के लिये, एक पैकेज बना बिहार के लिये, एक पैकेज बना उत्तर पूर्वी हमारे जो राज्य हैं उनके लिये। इस तरह के पैकेज योजना आयोग के द्वारा उन राज्यों को विशेष तौर से आर्थिक मदद देने के लिये बने हैं और बनते रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में गये 8 साल से लगातार कोशिश की कि राजस्थान के लिये भी कोई एक पैकेज योजना आयोग द्वारा बनाया जाए जिससे हमारी यह जो अकाल की समस्या है इस अकाल की समस्या से हमेशा–हमेशा के लिये हमें निजात मिल सके।

सभापति महोदय, आज हमारे पास विकल्प हैं। आज हमारा बहुत–सा पानी पाकिस्तान में चला जाता है। आज हमारा इन्दिरा गांधी नहर का जो पानी है उस पानी को हम और आगे लाकर इस प्रदेश को हरा–भरा कर सकते हैं और जो अकाल की आशंका बनी रहती है इस आशंका से प्रदेश को मुक्ति दिला सकते हैं। हमारी चम्बल की नदी है उससे और इधर गंगा और यमुना के पानी की बहुत दिनों से योजनाएं हमारे यहां चल रही हैं, लेकिन वह पानी हम नहीं ला पा रहे हैं। कोई न कोई इस प्रकार की योजना बनानी चाहिये और योजना आयोग में उसे पेश करके उसको मंजूर करानी चाहिये ताकि एक विशेष आर्थिक सहायता पैकेज के तहत राजस्थान को मिल सके और हम जो यह बार–बार अरबों रुपये इस अकाल के नाम से खर्च करते हैं–जो बह जाता है हर साल, उससे मुक्ति पा सकें।

मैं इस संबंध में ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। मैं तो मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस साल अक्टूबर में काम चालू हुआ, नवम्बर में चुनाव आ गये। चुनाव आयोग ने यह पाबंदी लगा दी कि सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार का जो विभाग है या जो नुमाइंदे है, जनप्रतिनिधि हैं उनकी इसमें कोई राय नहीं ली जाए। दो महीने, तीन महीने चुनाव में व्यतीत हो गये। उसके बाद राजस्थान की सरकार ने, जैसा कि यहां भी कहा गया कि हम अकाल से निपटने के लिए कोई मजदूरों की सीमा तय नहीं करेंगे, मजदूरों की कोई सीमा तय नहीं की। लेकिन इसके साथ ही जो लोगों को रोजगार देने का वायदा था कि जो भी आदमी अकाल की वजह से काम करने के लिए आएगा, हम उसको काम देंगे, उसमें हम सफल नहीं हुए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज हर जिले में इस प्रकार की समस्याएं हैं कि कहीं काम ज्यादा है, कहीं काम नहीं है। कोई इस बात को सुनिश्चित करने के लिये तैयार नहीं है योजनाबद्ध तरीके से। कोई चार्ट हो सरकार के पास कि हर पंचायत में, हर रेवेन्यू गांव में हमने यह काम

(श्री गोविन्द सिंह)

खोला है और इस काम में इतने आदमी लगेंगे। यह काम जब खतम हो जाएगा उसके बाद वहां यह काम चलेगा और वह काम जब खतम हो जाएगा उसके बाद यह काम चलेगा। इस तरह सुनियोजित तरीके से अकाल से निपटने की जो व्यवस्था जिलों में होनी चाहिये, वह व्यवस्था नहीं है। मुझे खुशी है कि अकाल राहत मंत्री जी हमारे जिले में आये और उन्होंने उस समय जो अकाल में काम करने वाले लोग थे, अफसरान थे, अधिकारी थे उनको बहुत कुछ कहा। यहां तक कहा कि मैं इस बाबत् कोई भी शिकायत सुनना नहीं चाहूंगा और जन प्रतिनिधियों की बात को मान कर, उनकी बात को सुनकर, उनकी सलाह लेकर काम चालू किये जाएं। लेकिन मुझे अफसोस है कि प्रभारी मंत्री जी ने जो मीटिंग ली उसके बाद कोई मीटिंग विधिवत रूप से वहां नहीं हुई। उसका नतीजा यह है कि लोग वहां यह कह रहे हैं कि मंत्री जी आते हैं, अपनी बात कह जाते हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति, उनके निर्देशों को पालन करने की बात नहीं हो रही है। उसकी वजह से हमारी सरकार की छवि के ऊपर भी आघात लग रहा है।

मैं बहुत ही विनम्र तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज न केवल अजमेर जिला बल्कि राजस्थान के 17–18 जिले अकाल से ग्रस्त हैं और उनमें जो व्यवस्था होनी चाहिये, वह व्यवस्था नहीं है। हमने व्यवस्था देखी है। माननीय सुखाड़िया जी के टाइम में हमने व्यवस्था देखी है। माननीय माथुर साहब के टाइम में, हरिदेव जोशीजी के टाइम में, माननीय बरकतुल्ला जी के टाइम में मैंने देखा है कि रेवेन्यू बोर्ड तक के जो सदस्य थे उनको भी यह दायित्व दिया गया था कि वे इस जिले को संभालेंगे। जिले में अकाल से संबंधित सारी बातों के लिये उनको अधिकार भी दिये गये थे कि वे तत्काल मौके के ऊपर निर्णय लेंगे। इसी तरह चारे की व्यवस्था की गई, पानी की व्यवस्था की गई। लेकिन आज वे सब बातें नहीं हो रही हैं। इससे निश्चित तौर से सभी जिलों में रहने वाले अकालग्रस्त जो मजदूर हैं, छोटे तबके के लोग हैं जिन्हें आज रोजगार की आवश्यकता है, उन सबको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से मंत्री महोदय आज जब अपना उत्तर दें तो इस बात को बताएं कि हमारी यह योजना है, हम इसको इस तरह से क्रियान्वित करना चाहते हैं और जिन जिलों में इसकी क्रियान्विति नहीं होगी उसके लिये हम यह करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, अकाल के साथ–साथ पानी की भी समस्या जुड़ी हुई है। पानी की समस्या इतनी गंभीर होती जा रही है कि अकाल हो या नहीं हो, गर्मियों में पानी की दिक्कत गांवों में तो आती ही है शहरों में भी आती है। इसके लिये हम जब तक कोई विशेष योजना नहीं बनाएंगे, इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं हो सकता। जैसा मैंने पूर्व

(श्री गोविन्द सिंह)

में कहा, सभापति महोदय, आज हमारे पास कुछ नदियां हैं जिनके पानी के हम हकदार हैं। पश्चिमी राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर है। अभी तक आपने जोधपुर तक इसका पानी दिया है, इसको और बढ़ाकर जहां तक पानी दिया जा सकता है, पहली प्राथमिकता पानी देने के लिये करनी चाहिये ताकि पश्चिमी राजस्थान में पानी मिल सके और पानी की समस्या से जो लोग त्रस्त हैं उन प्यासों को पानी मिल सके। इसी तरह चम्बल हमारे पास एक बड़ी नदी है। चम्बल का पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। इस पानी को रोक कर उससे जितना लाभ हम ले सकते हैं उसका हमें लाभ लेना चाहिये लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं। इसी तरह गंगा और यमुना का पानी भरतपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर और जो दूसरे जिले हैं, इन जिलों को पीने के लिये हम दे सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी योजना होगी और बड़ी योजना के लिये बहुत पैसे की भी आवयकता होगी, लेकिन स्थाई समाधान इस समस्या का तभी होगा जब हम इन नदियों के पानी को यहां तक पहुंचा सकेंगे।

सभापति महोदय, हमारे यहां 17–18 जिले है जिनमें फ्लोराइड के पानी की समस्या है या खारा पानी है। उनको तत्काल स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी देने की आवश्यकता है। हमारा जो रेगिस्तानी इलाका है उन जिलों में पानी उपलब्ध ही नहीं है। उनको पानी देने की आवश्यकता है। इन दोनों इलाकों को जो करीब 3/4 राजस्थान बनता है, पानी देने की विशेष योजना हमें बनानी चाहिये और बना कर इसकी मंजूरी के लिये कोशिश करनी चाहिये। उसमें जो भी सहयोग इस सदन का हम ले सकते हैं वह सहयोग हमें लेना चाहिये। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा, मैंने उनसे बात भी की थी जब वे अजमेर पधारे थे। अकेले अजमेर जिल में करीब एक हजार गांव हैं, उसमें 644 गांव फ्लोराइड के पानी से युक्त हैं। पीने योग्य पानी नहीं है लेकिन लोग वहां वह पानी पी रहे हैं। उनकी योजना 1990 से बनी हुई हैं, वह दिल्ली, जयपुर और अजमेर के बीच में शटल बनी हुई है, इधर से आती है उधर चली जाती है, उधर से आती है इधर चली जाती है। सभापति महोदय, उसका नतीजा यह है कि जो स्कीम है, जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत बढ़ती जा रही है। जितने पैसे में उस समय पूरे जिले में काम हो सकता था अब एक छोटी–सी योजना के लिये उतना पैसा देना पड़ रहा है। इसमें जितना हम विलम्ब करेंगे, पीने के पानी की व्यवस्थाओं के लिये हम जितनी देरी करेंगे उतनी ही पानी देने की जो योजनाएं हैं उनकी लागत बढ़ती जाएगी और वह एक असंभव सी बात होती जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर जरूरत हो तो पानी के लिये और अकाल के लिये हमें यहां एक अलग से सैशन बुलाना चाहिये। विधान सभा का अलग सैशन बुलाएं और इसके ऊपर बैठकर वार्ता करें। ये जो तीनों विषय हैं आज हम जिनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, थ्रेडवेयर एक–एक बिंदु के ऊपर

(श्री गोविन्द सिंह)

बात करके कोई निश्चित निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे और फिर दिल्ली से जो एक लड़ाई लड़नी है इसको पूरा करने के लिए, वह लड़ाई हम लड़ें। तो हम कुछ कर पाएंगे वरना हम यहां बोलते रहेंगे और समस्या वहां की वहां रहेगी। हर साल पीने के पानी का जो स्तर है–कुओं का दूसरे साधनों का रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, वह नीचे चला जाता है। हैण्डपम्प और जो तात्कालिक योजनाएं हैं वे सारी योजनाएं हर साल बेकार हो जाती हैं। हजारों हैण्ड पम्प हर साल नये लगते हैं और जो पुराने लगे हुए हैं वे खराब होते जाते हैं।

मुझे एक बात और मंत्री महोदय को कहनी है कि हर साल गर्मियों में पानी की दिक्कत आती है चाहे अकाल हो या नहीं हो उसके लिए योजना बननी चाहिए। जिसे हम कंटिंजेंसी प्लान कहते हैं या कोई भी योजना कह लीजिये। अगर सितम्बर–अक्टूबर तक क्योंकि इस समय तक पता लग जाता है कि बरसात की क्या हालत है, कितना पानी हमें उपलब्ध होगा, उस समय तक अगर योजनाएं बनें और समय के ऊपर यहां आ जाए और उसकी स्वीकृति हो जाए तो टाइम के ऊपर पानी मिल सकता है। आज हालत यह है, सभापति महोदय, हम योजना बनाने का काम चालू कब करते हैं ? अप्रैल के महीने में और मई के महीने में जाकर या जून के महीने में जाकर उनकी स्वीकृति होती है। जून के महीने में जब स्वीकृति होती है तब तक बरसात आ जाती है तो यह जो व्यवस्था है, यह जो टाइम शिड्यूल है पानी की समस्या को हल करने के लिए, योजनाएं बनाने के इस टाइम शिड्यूल को बहुत ही स्ट्रिक्ली एडहियर किया जाना चाहिए ताकि हम इस समस्या के समाधान के लिए समय के ऊपर काम कर सकें। वरना पैसा बिलकुल बेकार जाता है। आज बहुत सारे गांवों में, अभी मेरे साथी कह रहे थे, पीने के पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। न तो हैण्डपम्प ठीक से काम कर रहे हैं, न कोई और पेयजल का स्रोत है, और कही टैंकरों से दूसरी जगह से पानी लेकर व्यवस्था करनी होती है लेकिन उस व्यवस्था के लिए आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। हमने लिस्टें दे दी, गांवों के नाम दे दिये लेकिन टैंकर लगाने को आपस में जो तालमेल होना चाहिए वह तालमेल आज तक नहीं हुआ। पानी के महकमे के अधिकारियों को आज तक यह पता नहीं है कि हमारे इलाके में कौन–से गांव ऐसे हैं जिन्हें टैंकर से पानी देना है। जहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है उन गांवों के नाम भी उनको याद नहीं है, पता नहीं है और कोई उन्होंने कोशिश भी नहीं की। जब मौका आता है तो एम.एल.ए. साहिबान से या जन प्रतिनिधियों से पूछते हैं कि आपके यहां कौन से इलाके हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जलदाय मंत्री महोदय से कि इस सम्बन्ध में समय रहते हमें काम करना चाहिए ताकि हम इस समस्या को समय से पहले हल कर सकें। जो पैसा आप...

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, आपने जो बात कही वह वास्तव में सही है लेकिन जलदाय विभाग ने 16 दिसम्बर से हैण्ड पम्प खोदने का कार्य, ट्यूबवैल खोदने का कार्य, स्कीमों का कार्य चालू कर दिया था और करीब–करीब दो सौ करोड़, 180 करोड़ रुपये की योजनाएं हम दो महीने पहले बना चुके हैं, इसलिए यह कहना कि आप अप्रैल में करते हैं, सही नहीं है। सारे कार्य हमने समयबद्ध तरीके से दिसम्बर में ही शुरू कर दिये थे। यह बात हो सकती है कि आपके एरिया में कुछ काम कम हुए हों, लेकिन पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर पानी की किल्लत को देखते हुए दिसम्बर में ही काम प्रारम्भ कर दिये गये।

श्री जगत सिंह दायमा : नही, फ्लोराइड पानी का है न, साहब, इसका तो अलग से ?

श्री सभापति : प्लीज, यह अलग चीज है।

श्री जगत सिंह दायमा : बहुत बड़ी बात है, साहब।

श्री गोविन्द सिंह : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं।

श्री सभापति : आप बोल चुके न, अब उनके समय में क्या दखल दे रहे हो ?

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, अजमेर में 6 सौ गावों में फ्लोराइड पानी पीया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, आप बैठ जाइये। This is not a good way. यह अच्छा तरीका नहीं है, बैठें आप। आप बोल चुके फिर क्या बात हैं ?

श्री गोविन्द सिंह : सभापति महोदय, मैं आभारी हूं मंत्री महोदय का लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्री महोदय ने 50 हैण्डपम्प अजमेर जिले में एक विधायक के क्षेत्र में मंजूर किये हैं। उन 50 हैण्डपम्पों में से 10 और 15 के बीच में हैण्डपम्प अभी तक लगे हैं और आगे जब लगेंगे तब तक बरसात आ जाएगी। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मेरा निवेदन है कि काम करने की जो वर्क शैली है, कल्चर है, वह कल्चर हमको बदलना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि लोगों को उससे सुविधा मिले।

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे, सभापति महोदय, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए लेकिन क्या एक साथ पूरे प्रदेश में हैण्डपम्प लग सकते हैं ? हमारे पास मशीनों की सीमाएं हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं, मंत्री महोदय, ऐसा है, आप रिप्लाई देंगे न तब दे दीजिये ये सब चीजें।

श्री गोविन्द सिंह : तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह था कि कंटिंजेंसी प्लान या जो भी प्रोग्राम बनाने हैं कि आगे आने वाले समय में हमें इस तरह से मुकाबला करना है पानी की कमी का वह समय से पहले बनाना चाहिए। समय से पहले बनाकर उसकी क्रियान्विति के लिए जो भी धनराशि की

(श्री गोविन्द सिंह)

आवश्यकता है वह देनी चाहिए और जो भी उसके लिए मशीनरी वगैरह की जरूरत है वह मशीनरी भी टाइम से काम करनी चाहिए, मेरा इतना ही कहना है। मैं अब कुछ थोड़े से शब्दों में बिजली के बारे में माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें, टाइम बहुत लम्बा हो जाएगा। आज बोलने वाले बहुत हैं।

श्री गोविन्द सिंह : दो मिनट लूंगा, कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंत्री महोदय, आपने किसानों को, जो कांग्रेस का घोषण–पत्र था उसके मुताबिक 8 घंटे बिजली देकर निश्चित तौर पर सराहनीय काम किया हैं इसके लिए तो हम सब आपके बहुत–बहुत आभारी हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक बात और खास तौर से कहना चाहता हूं। जो पूर्ववर्ती सरकार थी उन्होंने भी काफी कोशिश की थी, प्राइवेट सैक्टर जो लोग आ सकते थे उनको लाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद प्राइवेट सैक्टर में बिजली के सम्बन्ध में एक भी एंटरप्रिन्योर हमारे यहां नहीं आया और उसका नतीजा है कि आज हम बिजली के मामले में वहीं हैं जहां पहले थे। आने वाले समय में भी मुझे उम्मीद नहीं है कि हम बिजली के क्षेत्र में अपने निजी संसाधनों का विकास कर सकेंगे या बिजली की जो कमी है उसे पूरा कर सकेंगे। सभापति महोदय, नवीं पंचवर्षीय योजना का मैंने यह पढ़ा है 40 प्रतिशत की कमी नवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की हमारे यहां होगी। उस 40 प्रतिशत की कमी को हम कहां से पूरा करेंगे, यह बहुत ही सोचने और विचारने का विषय है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहले बिजली की ज्यादा खपत उद्योगों में होती थी और कृषि में उसकी खपत कम थी। आज इसका उलटा हो गया हैं। आज कृषि में करीब 40 प्रतिशत की खपत हो रही है और 34 या 30 प्रतिशत की खपत उद्योगों में हो रही है और वह कम होती जा रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो बिजली कृषि क्षेत्र में जा रही है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आप जो सब्सिडी दे रहे हैं उसको बंद नहीं कर सकते। कोई राज नहीं कर सकता क्योंकि किसानों को अगर हम उद्योग की तरह बिजली देने लगें, लागत में कुछ मार्जिन जोड़कर उस हिसाब से दें तो कोई किसान उस दर के ऊपर बिजली नहीं ले सकता। उसमें यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसान जो पैदावार करता है उस पैदावार से सरकार को पैसा मिलता है, चाहे वह किसी भी टैक्स से हो। सेल्स टैक्स हो या मण्डी का टैक्स हो या कोई दूसरे टैक्सेज हों, उनको भी हमें गिनती में लेना चाहिए कि किसान के ऊपर जब हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं तो वह कितना दूसरे तरीके से हमें उसका रिटर्न दे रहा है। मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि आज जितने भी काश्तकार हैं, करीब–करीब सबके पास

(श्री गोविन्द सिंह)

डीजल के पम्प हैं। वे इसलिए हैं कि बिजली की नियमितता सुनिश्चित नहीं है, कभी बिजली चली जाती है, कभी आ जाती है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने डीजल के पम्प सैट लगा रखे हैं। आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, एक तो करोड़ रुपये की बिजली लेकर काश्तकारों को दे रहे हैं, मेरा सुझाव यह है कि आप डीजल के जो पम्प सेट हैं उनके ऊपर सब्सिडी देना चालू कीजिए। अगर आप उन पर सब्सिडी देते हैं तो आपकी जो एग्रीकल्चर सैक्टर की बिजली की डिमाण्ड है वह कम होगी और किसान को जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई आपकी सब्सिडी से हो सकेगी। बिजली जो उद्योगों को जानी चाहिए वह उद्योगों को जा सकेगी। इसलिए आज इस पहलू के ऊपर भी विचार करें ताकि किसान को नुकसान नहीं हो या उसको जो नुकसान हो उसकी भरपाई हम कर सकें। बिजली हमारे पास सीमित है, इसकी आगे कोई गुंजाइश नहीं है वह सीमित बिजली राजस्थान के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये आप काम में ला सकें।

इसके साथ–साथ एक नयी रोशनी नजर आती है सभापति महोदय, आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान के पास बिजली सरप्लस है। हमारा बहुत सारा इलाका पाकिस्तान से लगता है क्यों नहीं जब सस्ती बिजली हमें पाकिस्तान से मिल सकती है उसको लेने की हम कोशिश करें ताकि बिजली की जो हमारी कमी है उस कमी को हम दूर कर सकें।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व एक बात और बिजली मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था आपकी चल रही है कि वितरण अलग, प्रोडक्शन अलग, इन सब व्यवस्थाओं को करने के लिये जो मैनेजरियल कैपेसिटी आपको चाहिए, जो प्रबन्धक के गुण होने चाहिए, वे हमारे अधिकारियों में और कर्मचारियों में नहीं हैं। इसमें निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है कि बिजली बोर्ड में जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक है, एक बड़ा कारण बिजली बोर्ड के घाटे का यह भी है। इन सब कारणों से जो एक अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए वह व्यवस्था नहीं बन पा रही है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन करना चाहते हैं, वे परिवर्तन भी हमें बताने की कृपा करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री मोहनजी मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्लीज, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। आप हरिसिंह जी से मिलिये। (व्यवधान)

श्री जीतमल : हम अपने क्षेत्र के ... (व्यवधान) हम अपने क्षेत्र के बारे में बोलेंगे,

(श्री जीतमल)

हमें भी मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : बिजली पानी का सवाल है, नाम से कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) नाम हो, न हो...(व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : हम भी बोलने वाले हैं। (व्यवधान) निर्दलीय है उनको भी आप पांच मिनट का समय दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी जो लिस्ट है उसके हिसाब से बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय... (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये, राधेश्याम जी प्लीज बैठिये। आप उनके नाम लिखबा दीजिए। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर :...(व्यवधान) नाम लिखवा दूं ? नाम तो उन्होंने दिया हुआ है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह भी कोई व्यवस्था है ? जिनका नाम हो, उनको बुलवा दीजिए ना। (व्यवधान)

श्री सभापति : जिनका नाम है उन्हीं को बुलवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जीतमल : हाउस में हमारे साथ अन्याय होगा तो और कहां जाएं ? (व्यवधान) पंचायती राज विभाग की... (व्यवधान) जबरन...

श्री सभापति : आपका यह मामला, देखिये ऐसा है 3:1 का रेशो है। मुझे 3 सदस्य सत्तापक्ष के बुलाने के बाद में एक आप में से बुलाना पड़ता है। Please sit down (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : सभापति महोदय, 5–5 मिनट में हम अपनी बात कहेंगे, आपसे समय चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठिये आप। भाटीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसिया) : सभापति महोदय, रिछपालजी को आप फरमा दें, कांग्रेस में आ जाएं, हम बुलवा देंगे।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं, उसके लिये धन्यवाद।

बिजली मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। यूं तो आपको बधाई देना चाहता हूं आठ घण्टे बिजली के लिये। मुख्य मंत्रीजी ने, आपकी सरकार ने और आपके मंत्री मण्डल ने जो वचन दिया उसको आपने निभाया। ये श्रीमान्जी जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, आठ साल से इस सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव तो पास करा लेते, मंत्रीजी कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी, आठ घण्टे बिजली देंगे लेकिन ऐसा असत्य और +++ नहीं मिला जो कि...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मुझे एतराज है। यह असंसदीय शब्द +++ यह क्या है ? बहस कर रहे हैं बिजली पर, पानी पर...

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : +++ कैसे असंसदीय है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई बात है क्या ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप नाराज क्यों हो रहे हैं ? रोजाना ही इधर से उधर बिजली...(व्यवधान) रोजाना अब बिजली आ रही है। (व्यवधान) 500 मेगावाट या हजार मेगावाट...(व्यवधान) दो किलोमीटर ऊपर चिमनी लगाई जाएगी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, ये ओछे शब्दों का...(व्यवधान) यह रोज की बात है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अच्छा, सभापति महोदय, मैं +++ (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य को किसी के खिलाफ कुछ भी कहने का अधिकार है। लेकिन वे भविष्य की बात करें, वर्तमान की बात करें। क्या भूतकाल करते रहत हैं। मेरा उनसे यह निवेदन है कि भूतकाल को छोड़िये और वर्तमान की बात करिये।

श्री सभापति : भाटीजी शुरू करें आप। (व्यवधान)

(15.56 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : भाटीजी हम आपको सम्मान देते हैं, पूरा सम्मान देते हैं ऐसे +++ शब्द, कभी किसी ने नहीं इस्तेमाल किये आपके लिये। पूरे हाउस ने नहीं किया। आप क्या करते हैं ऐसे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं ?

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप ही बता दीजिए...(व्यवधान) नहीं, नहीं, आप लोग बता दीजिए, असत्य क्या है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भाटीजी आप विद्वान व्यक्ति हो, आपके लिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राधेश्याम गंगानगर : असत्य नहीं कहा। उन्होंने कभी...(व्यवधान) कम से कम 20 योजनाएं कहते थे और आठ घण्टे बिजली देंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, प्लीज, आर्डर, आर्डर, माननीय राधेश्यामजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़ी गम्भीरता से ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुनना चाहते हैं। विद्वान व्यक्ति हैं, कोई लाभान्वित करें हमें। रोज–रोज एक ही बात, एक ही बात। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यानि, इस सब्जैक्ट में देखिये, यह राजवी का सब्जैक्ट नहीं है मैंने राजवी का तो नाम ही नही लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो, माननीय सदस्य, आपको भ्रम क्या है कि नाम लेने से कुछ हो

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाता है क्या ? (व्यवधान) किस भ्रम में हो आप ? (व्यवधान) यह बात है क्या ? कुछ तो बड़ा मन रखो। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप बैठो तो सही। (व्यवधान) आप देखों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कुछ तो किसी को सम्मान दो। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ए.सी.आर. ठीक नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ए.सी.आर. या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आई कण्ट्रोल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर आपको मंच बनाना है...(व्यवधान) यह नहीं चलेगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, मंच बनाना हैं (व्यवधान) तो आप पधारो, बाहर पधारो। (व्यवधान) आप बाहर पधारो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर वही बात, मेरा अधिकार है। (व्यवधान) आपकी कृपा से आया हूं क्या ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप कह रहे हो, हां, मेरी कृपा से आये हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मै आपकी कृपा से आया हूं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, मेरी कृपा से आये हो। पोल खोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, प्लीज। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : खोलूं पोल ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कांहे की पोल खोलोगे आप ? क्या राजस्थान को आप चला रहे हैं ? आपकी कृपा से हम आये है ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां, हां। (व्यवधान) बिलकुल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके कहने से नहीं होगा। (व्यवधान) यह कोई बात है, उपाध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्षजी यह कोई बात है क्या ? (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हां। उपाध्यक्ष महोदय, आठ घण्टे बिजली का अगर आठ साल से एलान होता है और आप उसको इम्प्लीमैंट नहीं करो तो मैं और क्या शब्द यूज करूं ? इनकैपेबल, इनकाम्पीटैंट मुख्य मंत्री ने 200 सदस्यों से, हमारे से बिलकुल एक सर्वसम्मत प्रपोजल बारबार हर साल पास करवाया कि आठ घण्टे बिजली मिलेगी। इसके कारण होता क्या है, मंत्री महोदय ? आपने

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जो फायदा पहुंचाया, मुख्य मंत्रीजी ने और आपकी सरकार ने आठ घण्टे बिजली के लिये कहा, हमने आठ घण्टे के हिसाब से फसलें बोयीं और वे फसलें पकीं। उससे अरबों रुपये का फायदा किसानों को हुआ है, आपने अरबों रुपये का घाटा किसानों को पहुंचाया है। कल यहां पर हितैषी बन गये किसानों के लेकिन, मैं मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस आठ साल के कारण, इनकी कुनीतियों के कारण हम भुगते हैं। कुशासन के कारण अब आठ साल के बाद में आप पधारे। आपने एक नयी पालिसी होम डिस्ट्रिक्ट वाली लागू की। मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले तो आपके एम. एल. एज. को कांफिडेंस में लेना चाहिए था कि हम यह पालिसी लागू करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

(16.00 बजे)

ये और अपने मुख्य मंत्रीजी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हेमाराम जी। ठीक है, डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन 4–6 महीने तो आप इनको दीजिए। (व्यवधान) वह मैं ला रहा हूं, आप क्यों चिन्ता करते हो ? हो सकता है उनकी जानकारी में नहीं हो तो अपन अवगत कराएं। मंत्री महोदय, मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि आपने जन–प्रतिनिधियों को कांफिडेंस में नहीं लिया। आपने एम. एल. एज. को नहीं लिया। इतना बड़ा जबरदस्त, इतना लार्ज 7000 करोड़ या 8000 करोड़ का जो पर्चा पेश किया है, आज विद्युत मण्डल कितना बड़ा है ? आपके जो चलाने वाले कर्मचारी ओर इंजीनियर्स हैं, उनको आपने कांफिडेंस में नहीं लिया कि हम एक ऐसी महत्वपूर्ण पालिसी लागू करना चाह रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ होगी ? अब ओ. एण्ड एम. और जी. एस. एस. की आपके पास कितनी शिकायतें आयी है ? मेरे से भी आपको आयी हैं इसलिए यह एक आपका उचित कदम नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि आपने जल्दबाजी में कर दिया हो लेकिन इस सैशन के बाद आप 153 एम.एल.एज., इन 33 को तो मत बुलाना, उन्होंने जो भट्टा बैठाना था बैठा दिया...(व्यवधान) देवीसिंहजी साहब... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : This is objectionable. यह प्रश्न है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : 33 का कहा है, आपका नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के अंदर एक माननीय सदस्य द्वारा मंत्री महोदय को यह सुझाव देना कि आप अमुक को बुलाना और अमुक को नहीं बुलाना, यह सम्भव नहीं है। आपके पार्टी फोरम पर अलग चीज होती है। यहां ना,ना...

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(व्यवधान) यह नहीं है। This can not be per mitted. यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर बुलाएंगे तो एम.एल.एज. को तो सबको बुलाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी। Please, don't pass any personal remarks.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हम 33 को नहीं बुलाएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप किसी का नहीं कहें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा कि मेरे दल के 153 सदस्यों को बुलाना, इन 33 को मत बुलाना, मेरे दल में इनको कैसे बुलाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बिजली और पानी पर जो...(व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आप तो बिजली और पानी की गम्भीर...

श्री देवीसिंह भाटी : आप बुलाएंगे तो भी हम नहीं आएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो इनको थोड़ा कहो कि वे जो पहले पक्षपात करते थे, वह थोड़ी कम किया करें। I am taking it very seriously.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बहुत गम्भीर मसला है। बिजली–पानी और अकाल पर मेहरबानी करके बोलिये। We have very little time.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मंत्री महोदय, आप मेहरबानी करके दल की मीटिंग बुलाएं। एम.एल.एज. को कांफिडेंस में लेवें। अब यह नीति आपने अनाउंस तो कर दी। इसको अगर आपको रिव्यू करने की आवश्यकता हो तो इसको आप रिव्यू करें क्योंकि बहुत ही असन्तोष है, मंत्री महोदय। इस असन्तोष को मिटाने के लिए और ठीक है अपन जीतकर आ गये, मालिक की और सोनियाजी की मेहरबानी से अपन जीत हैं तो अपन नहीं चाहें कि इनको वापस पनपने दें अगले 15–20 साल तक आप इस पर पूरा ध्यान दिलावें। बिजली का तो मैं आपको मोटे रूप से यह सुझाव देना चाहता हूं। मथानिया में आप सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने पधार रहे हो। मेरा आपको निवेदन है कि अगर इसमें आपको ग्लोबल टेण्डर्स इंवाइट करने पड़े तो सबसे बैस्ट जो टेक्नोलोजी वर्ल्ड में अवेलेबल है उसकी आप महीने–दो महीने में जांच करवा लें, भले ही वह इजरायली हो, अमरीकन हो, आस्ट्रेलियन हो, कोई भी हो। अपन यह गलती नहीं करें कि इण्डियन कम्पनी को दे दें जिसको कोई एक्सपर्टीज नहीं है। हम भले ही उसको समय लगाएं एक साल की जगह दो साल लगाए, लेकिन वैस्ट टेक्नोलाजी आनी चाहिए। अपने को अगले पचास साल, सौ साल के लिए सोचना चाहिए।

बाकी, मंत्री महोदय, ट्रांसफर पालिसीज

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

में तो पोलिटिकल फीचर है तो आटोमैटिकली आपको एम.एल.एज. की रिक्वैस्ट आएगी। उनकी जो अपने एरिया की समस्या है उसके तहत आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि, साहब बिलकुल ही हम नीतियां लागू करने के लिए एम.एल.एज. को दरकिनार रख दें, उनकी विशेज को दरकिनार रख दें। कांग्रेस के 153 एम.एल.एज. की आप पूरी सुनवाई करें, यह मेरा आपको रिक्वैस्ट है।

इतना कहते हुए, बाकी तो मैंने आपको काफी सुझाव पूर्व में भी दिये हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जैसलमेर पधार कर विन्ड पावर का इनोगरेशन किया। ओसियां में भी आप मथानिया में पधारे। अनफोर्चुनेटली मैं हाजिर नहीं था भारतवर्ष में। लेकिन आपने सुओमोटो इण्ट्रैस्ट लेकर वहां काश्तकारों से मीटिंग करके उनके सुझाव लिये, उसके लिए मैं आपका तहेदिल से आभारी हूं।

अब, रामसिंहजी साहब, आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं। आप तो बिलकुल ही जमीन से जुड़े हुए आदमी हो। पेयजल की समस्या पर आपका मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मैं जब मंत्री था, सहयोग भी रहा। इन्दिरा गांधी कैनाल का रिवाइज प्लान हम लागू करना चाह रहे थे। लेकिन मैं तो आपका इस समय यह समय लूंगा कि 1962 से, रामसिंह जी साहब, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि जब जोधपुर शहर में पेयजल का जबरदस्त संकट आया था तो मथुरादासजी ने एक इमरजेंसी योजना के तहत दो साल के लिए मथानिया, टिबरी और उस नहर एरिये से पानी पम्प करने की योजना बनायी थी और कॉफिडेंस के साथ उन्होंने प्रोमिस की थी कि दो साल के बाद हम यह पानी बंद कर देंगे। 1962 से लेकर, मंत्री महोदय, आज 1999 हो गया। 1962 में आपने पम्पिंग शुरू के सात पम्पों से, सात ट्यूबवैल से उस समय वहां पर वाटर लेवल 30 फीट और 40 फीट के बीच में था। आज वहां पर करीब 45 ट्यूबवैल्स चल रहे हैं और जलस्तर है 400 से 700 फीट के बीच में। अगर आप दस साल इनको और चलाएंगे। तो वहां के जितने भी काश्तकार हैं और जो मथानिया मिर्ची की वहां की वैरायटी है वे बिलकुल बरबाद हो जाएंगे। मैंने सुना है I am open to correction कि जो नहर का पानी आ रहा है जोधपुर में, वह आप रणसी भेज रहे हैं। अगर आप रणसी भेज रहे हैं तो मेरी आपको रिक्वैस्ट है कि वही पालिसी आप मथानिया और टिबरी के लिए करें जो वहां नहर का पानी आ रहा है। करीब–करीब आज आपके जोधपुर में सब तालाब भरे हुए पड़े हैं तो वहां की पम्पिंग तो आप बन्द करवाएं और हमें वापस पानी दिलवाएं। दूनी और उस एरिया में उधर तो वास्तव में आपको ले जाना चाहिए क्योंकि वह खारे पानी का एरिया है लेकिन रणसी में तो मीठा पानी है, जैसे मथानिया और टिबरी है तो मेरा आपको सुझाव है, रिक्वैस्ट है। आपको ज्यादा अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

समस्या के आप जुड़े हुए हैं। आप और सी.एम. साहब इस पर तुरन्त प्रभाव से एक निर्णय लें और वहां के जो काश्तकार हैं उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वापस नहर का पानी उस तरफ पहुंचाएं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन मोदी।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पेयजल, अकाल और विद्युत पर चर्चा हो रही है। पेयजल के सम्बन्ध में मैं पहले तो पी.एच.ई.डी. मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सीकर में मीटिंग बुलाकर, सारे अधिकारियों को पूरी तरह से व्यवस्था रखने के लिए हिदायत दी। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरा क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पीने के पानी की सिवाय हैण्डपम्प्स के और कोई व्यवस्था नहीं है। हैण्डपम्प एक ऐसी व्यवस्था है कि उसी से वहां पीने का पानी मिलता है। मेरे यहां 300 हैण्डपम्प एकदम खराब हो गये, कण्डम घोषित हो गये। बहुत सारे हैण्डपम्प खराब हो रहे हैं जिनके सुधार के लिए व्यवस्था हो रही है लेकिन उनके सुधारने की जो गति है वह बहुत धीमी है। दो–तीन गाड़ी आपने लगा रखी हैं लेकिन एक गाड़ी एक दिन में एक हैण्डपम्प या ज्यादा से ज्यादा दो हैण्डपम्प ठीक करके आती है। 700 हैण्डपम्प खराब हैं, अब वे किस तरह से ठीक हो पाएंगे ? अकाल के कारण पानी बहुत ज्यादा नीचे चला गया, हैण्डपम्प के पाइप खराब हो गये। आपके यहां पाइप की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों से जानकारी करें कि पाइप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। पाइप खरीदे नहीं गये, पाइप के टेंडर देर से हुए, यह क्या कारण है ? जब तक पाइप नहीं आएंगे, न तो नये हैण्डपम्प लग पाएंगे न पुराने हैण्डपम्प ठीक हो पाएंगे क्योंकि हैण्डपम्प बहुत पुराने लगे हुए हैं, वे सारे झड़ गये, उनमें छेद हो गये। इसलिए उनको बदलने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाइप की व्यवस्था तुरन्त करायी जाए। मेरे यहां बहुत–सी ढाणियां ऐसी हैं जिनमें पीने के पानी का कोई साधन नहीं हैं। उनमें हैण्डपम्प लगाने के लिये प्रस्ताव भी आए हुए हैं। मैं समझता हूं आप ज्यादा से ज्यादा हैण्डपम्पों की व्यवस्था करेंगे। यह गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में पीने का पानी एक जरूरी चीज है, उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये। अकाल पड़ गया और अकाल के कारण भी पानी का जल स्तर नीचे चला गया। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस बात की कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करें।

मेरे यहां एक झिराना पंचायत समिति है, उस झिराना पंचायत में जी. एल. आर. बने हुए मैं समझता हूं कि 10 साल हो गये। ट्यूबवैल भी है, लाइन भी लगी हुई थी। वह

(श्री मोहन लाल मोदी)

टंकी एक दफा भरी भी गयी थी। दो जी.एल. आर. हैं वहां पर, उस एक ट्यूबवैल से लेकिन उस लाइन का पता नहीं है कि वह लाइन कहां चली गयी। मैंने पी.एच.ई.डी. वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कोई चार साल पहले बाढ़ आयी थी उसमें वह लाइन बह गयी। तो दूसरी लाइन डालकर उन जी. एल. आर्स. को भरना चाहिये। मेरे यहां तो जी. एल. आर. बहुत कम हैं और जो हैं वे भी पूरी तरह से भरी नहीं जाती इसलिए उनकी विशेष व्यवस्था करने की आप कृपा करें।

मेरे यहां पुराना वास, सिरोही, ये दो ऐसे विलेज हैं जिनमें बीस–बीस, तीस–तीस ढाणियां हैं और उन ढाणियों में खारा पानी है। विलेज में तो मीठा पानी मिलता है। ट्यूबवैल लगा दिया, जी.एल.आर. बना दी। लेकिन वहां सारी की सारी ढाणियां पानी के बिना महरूम हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ढाणियों का प्रोग्राम बनाकर उनके लिये अलग से ट्यूबवैल और जी. एल. आर. की व्यवस्था करके ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे यहां कई पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं कि वहां कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। उसके यहां नॉर्म्स बना रखे हैं कि 1500 से अधिक की आबादी जहां हो वहां जी. एल. आर. की व्यवस्था हो। मेरे यहां एक गांव बेगा का नांगल ओर रामपुरा, नाम दो हैं, लेकिन गांव एक ही है, उसकी आबादी 1500 से ऊपर हो जाती है लेकिन वहां आज तक जी. एल. आर. का कोई प्रोग्राम नहीं बनाकर भेजा गया। इसी तरह बोपया, राजपुरा, दरीबा और काचरड़ा, ये कई ऐसे विलेज हैं जो पानी के बिना बहुत दुःखी हैं। काचरड़ा में एक ऐसी जगह है कि जहां रायपुर पाटन को जिस सोर्स से पानी जाता है उस सोर्स से वह आधा किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। वहां उस सोर्स में पानी भी बहुत है और बांध के सहारे है वहां पाइप लाइन डालकर उस काचरड़ा विलेज को पानी दिलाया जाए। पिछली दफा जब मैंने यह जिक्र किया तो यह जवाब मिला कि हैण्डपम्प से स्वीकृत है यह विलेज। लेकिन यह तो आपने भी जब सीकर गये तब यह फरमा दिया था कि हैण्डपम्प की तो एक्स्ट्रा सुविधा है। इसलिए मैं समझता हूं कि वहां भी यह व्यवस्था की जाए।

मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं कि आप काफी ध्यान रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों बोल रहे हो ? आप प्रभावित हैं तो फिर क्यों बोल रहे हो ? कोई समस्या ही नहीं है आपके यहां।

श्री मोहन लाल मोदी : ऐसा है, साहब, जो काम करे उनको बात बतानी तो चाहिये ही। आप सीकर पधारे थे इसलिए इनसे प्रभावित तो होना आवश्यक है ही। मैं आपसे विशेष तौर से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे 300 हैण्डपम्प जो एकदम ड्राई हो गये, बेकार हो गये, वे दिये जाएं और मेरे जिन गांवों और

(श्री मोहन लाल मोदी)

ढाणियों में हैण्डपम्प नहीं हैं वहां भी दिये जाएं।

अब मैं कुछ अकाल के बारे में निवेदन करना चाहूंगा अकाल राहत मंत्रीजी से कि मेरे यहां पूरे 150 गांव अकालग्रस्त हैं। काम बहुत कम चल रहा है। क्योंकि पहले आपने स्कूलों की चार दीवारी ऐसी स्वीकृत की जिसमें चार पांच आदमी लगे हैं। ज्यादा से ज्यादा लेबर लगे, ऐसे काम आपको करने चाहिये। सड़कों के काम में ज्यादा लेबर लग सकती हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनायी जाएं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पक्के काम कराये जाएं। अकाल का काम इसलिए किया जाता है कि लोगों को पैसे मिलें, मजदूरी मिले और उनका रोजगार चले। वह इसलिए नहीं कि आप कोई पक्की बिल्डिंग बनाकर काम करें। लोगों को रोजगार देने के लिये अकाल राहत के काम चलाये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सड़कों के काम कराये जाएं।

अभी बी. जे. पी. के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों के ज्यादा काम मंजूर करते हैं। मैं उनको इतना कहना चाहता हूं कि मेरे यहां आपके बी. जे. पी. के जो सरपंच हैं उनके यहां ज्यादा काम होते हैं कहीं भेदभाव नहीं है, आप इस बात की जानकारी कर लें।

मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने आठ घंटे बिजली देकर किसानों में बड़ा सन्तोष पैदा किया है। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिन पर आपको अभी ध्यान देना पड़ेगा कि गांवों में बिजली है और ढाणियों में बिजली नहीं है। आखिर उन ढाणियों में बिजली कैसे पहुंचाएंगे ? अब वह रेवेन्यू विलेज तो घोषित हैं नहीं। उन विलेजों में छह–छह किलोमीटर तक ढाणियों बसी हुई हैं, उनमें आप किस तरह से व्यवस्था कर पाएंगे ?

दूसरा बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि चार कुए आसपास हैं, चार में कनेक्शन हैं, दो बिना कनेक्शन के चल रहे हैं। आपके विद्युत की बड़ी चोरी उसमें होती है। अब वह मजबूरन होती है। आप बिजली का कनेक्शन तो देते नहीं और वे बिजली चलाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिये। उनको ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की व्यवस्था करेंगे तो आपके चोरी भी नहीं होगी और जैसे अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि बिजली की रेट बढ़ाएंगे तो आपको बिजली की रेट भी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। बिजली की रेट बढ़ाएंगे तो किसानों में असन्तोष पैदा होगा। चुनाव में लोगों से यह वायदा किया है कि बी. जे. पी. की सरकार ने जो बिजली की रेट बढ़ायी है हम उसको कम करेंगे। जो इन्होने रोडवेज की बसों पर किराया बढ़ाया है उसको कम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिजली के मामले में निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था करें आप इस चोरी को रोक दें, उन लोगों को कनेक्शन दें तो पैदावार बढ़ेगी और बिजली

(श्री मोहन लाल मोदी)

की चोरी रुकेगी। आपको बिजली के लिये पैसे नहीं बढ़ाने पड़ेगें।

मैं एक बात विश्नोई जी से और कहना चाहता हूं कि हैण्डपम्प ठीक करने वाले हमारे पंचायत समिति के जो मिस्त्री हैं उनको ले रखा हैं। पंचायत समिति के मिस्त्रियों को आप उनकी जगह काम करने दीजिये। वे पंचायत हैडक्वार्टर पर रहें और वहां हैण्डपम्प ठीक कराएं। आप उनको लेबर दीजिये। लेबर नहीं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

देने की वजह से उन पंचायत के मिस्त्रियों को ले रखा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो पंचायत के मिस्त्री आपके हैण्डपम्प ठीक कराने में लगा रखे हैं उनको उनकी जगह पर, पंचायतों पर भेजिये ताकि वे पंचायतों पर भी हैण्डपम्पों को ठीक करने का काम करें। जो विभाग करता है उसके लिये आप उनको लेबर दें और लेबर देकर उन हैण्ड पम्पों को ठीक कराएं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विद्युत मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने घोषणा के अनुसार आठ घंटे बिजली दी। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बिजली के कितने खम्भे खरीदे, कितने लगे और कितने बकाया हैं ? हमने देखा है, जयपुर से भरतपुर जाते हैं, आप भी जाना ध्यान रखकर, एक जगह पर बिजली के चार खम्भे स्पीड ब्रेकर बनाकर लगाये हुए हैं। एक ही जगह नहीं, कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं। कृपया इस पर आप ध्यान दें। आपसे तो बस इतना ही मेरा निवेदन है।

मैं माननीय पी.एच.ई.डी. से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पूरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। अक्टूबर, 1998 में मेरे क्षेत्र में 74 हैण्डपम्प इश्यू हुए। आज उस बात को 6 महीने हो चुके हैं लेकिन एक ही हैण्डपम्प नहीं लगा है अभी तक। आप गये, आपके सामने भी यह समस्या हमने उठायी। एक्स. ईएन., एस. ई. से बात करते हैं तो वे कह देते हैं कि पाइप नहीं आये हैं हमारे पास पास जिस कम्पनी से हमने कांट्रैक्ट कर रखा है वह कम्पनी बेईमानी कर गयी। अगर वह बेईमानी कर गयी तो आप दूसरी से बात करिये। बात करते हैं कि मई के एंड में लगा देंगे। मई के एंड में नहीं, हम तो कहेंगे फिर अगले साल ही लगा देना, जब तक किसान प्यासा मर जाएगा, और हैण्डपम्प लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा मैं आपसे कि मेरे क्षेत्र में बयाना की 12 पंचायतें लगती हैं जिसमें 40 गांव आते हैं। चालीस के चालीस गांवों में खारा पानी है। उसके लिए पी.एच.ई.डी. ने चम्बल से पानी लाने के लिए

(श्री यशवन्त सिंह (रामू)

117 करोड़ की योजना बना कर भेजी हुई है जो कि वहां आपके पास प्रस्तावित है। मैं आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आप इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करवाएंगे और भरतपुर की जनता को पानी दिलवाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्रीजी का ध्यान एक बार और आकर्षित करना चाहूंगा। आप धन्यवाद के पात्र तो हैं ही लेकिन आज जो बिजली की स्थिति है, 24 घंटे में एक घंटे बिजली आ रही है। मैं तीन दिन गांव में रहा, पिछले शनिवार, इतवार और सोमवार, तीन दिन में मात्र एक घंटे बिजली आयी। (व्यवधान) इससे ज्यादा +++ बात और हो ही नहीं सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आज़ाद : ऊर्जा मंत्रीजी बिज़ली चाहिए इनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी।

श्री यशवन्त सिंह(रामू) : आप हमारे चाचा हैं, आदरणीय हैं, नहीं करना चाहिए। आठ घंटे बिजली देने की बात कही जब दी इन्होंने समय पर लेकिन वह आठ घंटे बिजली जब ही दी थी, अब भी देने का प्रस्ताव रखते हो हो आप ? (व्यवधान) चाचा हैं, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं मैं, बाकी धन्यवाद वाला काम कर नहीं रहे आप।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां से प्रस्ताव आ गया है, दो ओ. सी. बी. का, आप दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद आपको वापस दे दूंगा, जो कहां है वह करना।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दिया, धन्यवाद। आप कैसे ही समय दे रहे हैं, आपकी कृपा है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी.पी. सिंहजी। (व्यवधान) क्या हुआ ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा था। मैं पहले भी सभापति महोदय से निवेदन कर चुका और आपसे भी बड़ा विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : कि मैं ज्यादा लम्बी–चौड़ी बात नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : पांच मिनट में ही मेरी बात कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम ही नहीं है, कहां से बुलाऊं मैं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, नाम है, कैसे नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका, इनका और सुमित्रा सिंहजी का दो नाम हैं मेरे पास।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अवलोपित किया गया।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : नाम दिया हुआ है, आप देखें। नाम दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास तो नहीं है, आप विराजें। विराजिये आप (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस ओगस्ट हाउस के अंदर दोनों, पक्ष और विपक्ष, बिजली, पेयजल और अकाल की स्थिति पर विचार कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं शुरूआत करूंगा बिजली की समस्या से। सब ने, पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने यही बात कही है कि आठ घंटे बिजली चाहिए, कमी है। जब बिजली नहीं होगी तो आठ घंटे कैसे होगा या 24 घंटे जो देने का विचार रखना चाहिए हमें यह कैसे होगा ? मंत्री महोदय, आपने भी मीटिंग्स की हैं हर जिले के अंदर जाकर, साधुवाद देना चाहता हूं मैं परन्तु जनरेशन के अंदर आपने कितना समय बिताया है, क्या इसके लिए करने जा रहे हैं, यह विचार भी आप करें। पहले हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने एक हाउस की कमेटी बना रखी थी और उसके अंदर जो आज हमारे अध्यक्ष महोदय हैं मदेरणा साहब, रामनारायणजी चौधरी साहब, तीन–चार मैम्बर्स यहां से और तीन–चार मैम्बर्स उधर से भी लिये थे, एक कमेटी बना कर हम लोग सुझाव देते थे। आप उसमें कोई नये मैम्बर्स को लें। मेरा यह कहना है कि जितना कार्य हमने पांच वर्ष में किया, अब अपन कह दें, उसमें चले जाएं कि पांच वर्ष में इतना हमने किया, सैवन्थ प्लान, सिक्स प्लान में इतना हमने किया, उस पर नहीं जाएं। आज जनरेशन के लिए यह भी सोच रखना पड़ेगा कि यहां पर हाइडल तो है नहीं। थोड़ा–बहुत हाइडल है आपका कोटा माही के अंदर भी थोड़ा–सा एक्सटैंशन करके और एक चैनल बनाकर मैंने शुरूआत की थी, उसको आप अगर आगे बढ़ाएं तो 40 मैगावाट माही से ले सकते हैं। चैनल का कार्य है 200 करोड़ रुपये का वह हाइडल का एक्सटेंशन आप कोटा के अंदर भी कर सकते हैं। करीब 28 मैगावाट का या कुछ एक्सटेंशन का है। लेकिन आपको तो विचार करना पड़ेगा थर्मल पर। थर्मल के अन्दर भी आज सोच है कि इलैक्ट्रिसिटी को बिलिंग करना ज्यादा अच्छा है बनिस्वत आप कोल लेकर आएं बिहार से ट्रेन का पता नहीं कब पहुंचे। वह तो महंगा पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की कोस्ट इतनी बढ़ जाती है। इसीलिए उड़ीसा के अंदर भी पिटहैड पर है। आजकल सोच ही दुनिया के अंदर यही है पिट हैड पर आप जनरेशन करें। वहां पर जो 9000 मैगावाट की स्कीम बन रही है, मुझे पता नहीं अब लेटेस्ट क्या है उसमें, उसमें अपना शेयर था 1600 मैगावाट राजस्थान का फर्स्ट फेज में था और सैकण्ड फेज में करीब तीन हजार और है। 9000 मैगावाट का जो बना है, क्या प्रगति है मुझे पता नहीं। पर सबसे बड़ी बात आज अपने यहां पर कोल तो नहीं है पर ब्राउन कोल है, लिग्नाइट है और लिग्नाइट

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

की भी बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। उसमें हमने बहुत काम किया। हमने देखा कि कितना भण्डार है, कितने वर्ष तक हम उसको चला सकते हैं। जहां हम फेल हुए, मैं कहने के लिए तैयार हूं क्योंकि हमने प्राइवेट सैक्टर पर निर्भर किया। हमने शुरूआत की एम.ओ.यू. से पी.पी.ए. से और फाइनेंशल क्लोजर तक नहीं पहुंच पाये। हमारा दोष नहीं सेण्ट्रल गवर्नमैंट का था। सेण्ट्रल गवर्नमैंट किस की थी, उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। नरसिंह रावजी की सरकार थी और क्या हुआ ? बैंक गारंटी और डालर के अंदर जो फलक्चुएशन चल रहा था उसके कारण भी प्राइवेट सैक्टर नहीं आया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, क्लियरेंसेज का आज आप जानते हैं कि 400 करोड़ तक तो सी.ई.ए. ने भी आपको परमिशन दे दी है कि आप ही कर सकते हो। यह एग्जम्पशन दे रखा है पर 400 करोड़ के अंदर आपको 100–125 मैगावाट से ज्यादा नहीं मिल सकता। जो आपको करना चाहिए वह मैं आपको निवेदन करूं सुझाव के तौर से तब जाकर आठ घंटे और 24 घंटे अपने को बिजली मिल सकती है। छीजत बचा कर, लोसेज बचा कर पूर्ति नहीं होगी, इंडस्ट्री के लिए जो डिमाण्ड बढ़ रही है। आज पीक आवर्स के अंदर जो कमी है वह करीब 50 परसेंट है राजस्थान में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो आपको करना चाहिए कि आप पहले क्लियरेंसेज ले लें। जहां पर भी बिजली का संयंत्र बनाना चाहते हैं, पहले आप क्लियरेंसेज ले लें फिर इन्टरनेशनल बिडिंग करें, फिर जाकर आपको सफलता मिलेगी।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब आ जाते हैं आर.ए.पी.पी. पर एटोमिक पावर प्लांट। अब सैकण्ड फेज के अंदर 210 के दो और आ रहे हैं मैंने वहां जाकर स्टडी की, जो आप लोग अभी थोड़ी देर पहले अग्नि के बारे में कह रहे थे कि हमारे साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया, अपने साइंटिस्ट ने वहां पर भी बहुत अच्छा काम किया है। मिस्टर चतुर्वेदी से अगर आप मिलें, जो कार्य फ्रांस की टेक्नोलाजी नहीं कर पायी वह लोकल अपन ने उसको रिपेयर कर दिया 210 मेगावाट का। जो कार्य आज पूरी दुनिया के अंदर माना गया है उन्होंने वह काम किया है। आज सैकण्ड फेज के अंदर 210 के दो आ रहे हैं। अब आपको जो करना है वह यह कि राजस्थान का उसमें जो शेयर है वह बढ़ाना नहीं, पूरा ही लेने की बात कर रहे हैं क्योंकि अपने यहां पर है। अगर अपन ने यह कर लिया तो आगे थर्मल लिग्नाइट और एटोमिक पावर प्लान्ट है। मैं एक चीज और आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

अब आपके राजस्थान पावर सैक्टर रिफोर्म्स की बात, हम भी यह लाये थे और आप भी यह ला रहे हैं। एक आप निगम भी बनाना चाह रहे हैं। स्टेट इलैक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की भी बात आयी है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आप जाकर जानकारी ले लें। क्या जरूरत

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

है कि रैगुलेटरी कमीशन अपन यहां पर बनाएं ? क्यों यह व्हाइट एलीफैंट अपन पालना चाह रहे हैं ? आपके यहां पर बोर्ड है, आपके यहां पर चेयरमैन हैं तीन मैम्बर का जो आप कमीश्न बनाएंगे क्या बड़ी बात कर लेंगे ? आपके इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर 49 सैक्शन देख लें, 57 (ए) और 59 देख लें, इसमें रेटिंग कमेटी है, क्यों नहीं उसको चालू करें ? जो चीजें रैगुलेटरी कमीशन के अंदर कहीं हैं वह की वह चीजें उसमें रेटिंग कमेटी के अंदर भी हैं। एक तो आप व्हाइट एलीफैंट पालेंगे और एक चीज और होगी। पहले ही बिजली काफी महंगी होती जा रही है अगर सरकार सब्सिडी और सबवेंशन देना ही चाहे तो कौन रोकता है ? आज इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत खराब है क्योंकि सब्सिडी के नाम पर जो पैसा देना चाहिए इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को, वह हम देते नहीं हैं। सबवेंशन जो देने चाहिए वह देते नहीं हैं तो रेगुलेटरी कमीशन क्या कर देगा ? वह तो और बढ़ा देगा। वह तो आपके ऊपर वर्ल्ड बैंक का एक दबाव है कि अगर आप रैगुलेटरी कमीशन लेकर आ जाएंगे तो इस आपको इतना लोन देंगे। उस पर क्या आप निर्भर कर सकते हैं ? मेरे पास फिगर्स हैं। वर्ल्ड बैंक के चार इंस्टालमैंट, फर्स्ट इंस्टालमेंट में 225 करोड़ रुपये, सैकण्ड में 830 करोड़ रुपये, तीसरी में 525 करोड़ रुपये और चौथे में 2002 के अंदर 525 करोड़ रुपये का एक उन्होंने प्रपोजल रखा है। वे कह रहे हैं कि रेट तो बढ़ानी पड़ेगी। वह आप अपने सिर पर लेना नहीं चाहते हैं इसलिए रेगुलेटरी कमीशन लाकर बैक डोर एन्ट्री करके बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह करते हैं तो भी सब्सिडी तो आपको देनी पड़ेगी। रेट अगर आपने बढ़ा दी और सबवेंशन जो देना चाहिए वह आप नहीं दे पाएंगे तो क्या तीर मार लेंगे ? मैं यह भी आपसे...

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : विदेशों में बिजली फ्री है क्या ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बिजली वहां बहुत महंगी है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह रेगुलेटरी कमीशन तीन मैम्बर का जो आप बनाएंगे उनको बिल्डिंग भी चाहिए, उनके लिए गाड़ी–घोड़े भी चाहिए। जो व्हाइट एलीफैंट की बात थी, वह आपके बोर्ड का पैसा लगेगा तो कितना महंगा हो जाएगा ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर फिर से आप विचार करें और रेगुलेटरी कमीशन की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने विद्यार्थी जीवन में जब मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का कार्यकर्ता था और कांग्रेस के कार्यक्रम के सिलसिले में जब कभी किसी गांव में जाना होता था तो हमारे इलाके के आदिवासी नौजवान एक गीत गाया करते थे कि "राजीव गांधी फेमिन खुलाया" और इस तरह की आगे

(श्री संयम लोढ़ा)

शब्दावली थी। आज जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में जाता हैं, चाहे कांग्रेस का किसी तरह का आयोजन हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई गीत सुनने का अवसर मुझे हासिल नहीं होता है। इसमें कारण यह नहीं है कि राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और अकाल सहायता मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 4.96 करोड़ रुपये सिरोही जिले के लिए मंजूर किये और सिरोही जिले के 98 फीसदी गांव अकाल से प्रभावित घोषित किये गये, लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान की सरकार ने जिन आदिवासियों को इस विपदा के समय सहारा देने की सोची वह सहारा उन लोगों तक पहुंच सका कि नहीं पहुंच सका। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में तीन विधान सभा क्षेत्र हैं सिरोही, रेवदर और पिण्डवाड़ा। इन तीनों विधान सभा क्षेत्रों में जो पैसा मंजूर किया गया है उसका 70 प्रतिशत एक विधान सभा क्षेत्र को आवंटित कर दिया गया। सिरोही विधान सभा क्षेत्र और हमारे पिण्डवाड़ा, आबू के लालारामजी गरासिया जो ट्राइबल से आते हैं, इन दोनों विधान सभा क्षेत्रों में आदिवासियों की तादाद ज्यादा है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, यह सरकार बराबर कहती है, सब बराबर कहते हैं कि हम संवेदनशील शासन देना चाहते हैं लेकिन जिन अधिकारियों के हाथ में हमने यह काम सौंपा हुआ है वे किस संवेदनहीनता के साथ, किस बदनीयती के साथ और किस द्वेष भावना के साथ काम कर रहे हैं। ये आंकड़े इसके प्रमाण हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात की जांच कराएं और ऐसे अक्षम अधिकारी जिन्हें सिरोही जिले में लगा रखा हैं, उन्हें दण्डित करने का कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं जलदाय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। सिरोही जिला एक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है। वहां के पेयजल में फ्लोराइड का प्रतिशत अधिक है। 1991 में राजस्थान सरकार के सर्वेक्षण के मुताबिक 103 गांव फ्लोराइड से प्रभावित थे। उपाध्यक्ष महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल के लिए 1.5 पी.पी.एम. का मानदण्ड निर्धारित कर रखा है लेकिन राज्य सरकार ने उसका मानदण्ड 3 पी.पी.एम. बना रखा है जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। 1991 में जब यह जानकारी मिली तो हमने हमारे संगठन के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, जलदाय विभाग का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो 1992 में सिरोही जिले की समस्या के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी। जब राजस्थान सरकार के मुख्य अभियन्ता को माननीय उच्च न्यायालय में तलब किया गया तो उन्होंने यह सूचित किया कि हमारे पास तो पैसा नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए 688 करोड़ रुपये की एक योजना बनाकर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी है जिसमें सिरोही जिले के लिए

(श्री संयम लोढ़ा)

8.54 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, इस दरमियान फ्लोराइड मुक्ति के 18 प्लान्ट जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, उच्च न्यायालय के निर्देश पर उन्हें लगाया गया लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनता की गाढ़े पसीने के कमाई से लगाये गये वे प्लान्ट आज किसी काम में नहीं आ रहे हैं खराब पड़े हैं। छह साल मुकदमे को लड़ने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि 8.54 करोड़ रुपये सिरोही जिले की पेयजल समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार को प्रदान किये जाए। मुझे खेद के साथ बताना पड़ता है कि पिछले साल राज्य सरकार के दो अधिकारियों ने अलग–अलग अपने शपथ–पत्र में राजस्थान उच्च न्यायालय में असत्य हलफनामा दिया कि यह राशि प्राप्त हो चुकी है। मैंने जब इस साल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विधान सभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से पूछा था तो माननीय मंत्री महोदय ने लिखित में यह उत्तर दिया कि इस तरह की कोई राशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन दो अधिशासी अभियंताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय में असत्य शपथ पत्र दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें, वे साढ़े आठ करोड़ रुपये प्राप्त कराने में हमारी मदद करें और सही जवाब राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करवाएं।

तीसरा, मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपनी पुस्तिका में, विद्युत मण्डल की पुस्तिका में जो तथ्य दिये हैं कि सिरोही जिला शत प्रतिशत विद्युतीकृत हो चुका है, ऐसा नहीं है। अभी भी सिरोही जिले के 13 गांव विद्युतीकृत होने बाकी हैं। पिछले दिनों नियम 295 के अन्तर्गत मैंने उनकी जानकारी भी आपको दी थी और आप कभी सिरोही पधारें तो मैं उन गांवों में आपको दिखा भी दूंगा जहां आज भी अंधकार छाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही में अभी 220 के.वी. क्षमता का जी.एस.एस. है। पिछले साल सिरोही में 400 के. वी., जी. एस. एस. लगाने के प्रस्ताव पर विचार हुआ था और विद्युत मण्डल के स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रोजेक्ट भी बनाया गया था। मैं माननीय विद्युत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सिरोही में 400 के.वी. जी.एस.एस. स्थापित करने का कष्ट करें। इसी तरह सिरोही से जांवाल–कालंधरी होकर रामसेन जो लाइन जाती है 33 के.बी. की कालंधरी में वह 33 के. वी. की लाइन है, उसके स्थान पर कालंधरी में 132 के. वी. का जी.एस.एस. स्थापित करने का कष्ट करें। क्योंकि उसके ठीक पड़ौस में सिरोही से भीनमाल जो लाइन जा रही है मुख्य है, वह बिलकुल पड़ौस से गुजरती है, अगर कालंधरी में उसकी स्थापना की जाएगी तो उस इलाके के किसानों को बहुत सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा जालौर और सिरोही दोनों

(श्री संयम लोढ़ा)

जिले मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जालौर जिले का एस.ई. आफिस जोधपुर पड़ता है और सिरोही जिले का एस.ई. आफिस पाली पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अधीक्षण अभियंता का कार्यालय सिरोही में स्थापित करने का कष्ट करें जिससे दोनों जिलों के लोगों को जो एक संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हैं, लाभ मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर लाल अहारी।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अकाल बिजली और पानी पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे हमारे ये तीनों मंत्री अपनी कार्यकुशलता और विभाग में सक्षम हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के दक्षिणी भाग से हम चुन कर आते हैं जिसमें है जिला डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा और उदयपुर का खैरवाड़ा भाग अधिकांश भाग आज पूरा पूरा अकाल की चपेट में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको वर्ष 1986–87 में जो अकाल पड़ा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। उस वर्ष में ऐसा भयंकर अकाल था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। पशु मर रहे थे, मनुष्य को अनाज नहीं मिल रहा था। ऐसी अवस्था में माननीय राजीव गांधी ने व्यवस्था की थी और मजदूरी के पेटे हमको डेढ़ रुपये किलो गेहूं खिलाया था। हमने मजदूरी की, मजदूरी करने के बाद हम लोग अपना भरण–पोषण करते रहे और जैसे–तैसे करके अकाल से हम निकल आये। इसी ढंग का यह अकाल अभी वाला भी है। आज डूंगरपुर जिले में 10 लाख लोग रहते हैं और 10 लाख लोगों में से 21 हजार मजदूरों को काम पर लगाया है। अब 10 लाख लोगों में 21 हजार जो मनुष्य काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि नहीं के बराबर है। इसलिए अधिकांश लोग गुजरात जा रहे हैं। गुजरात में भी 2–3 महीने मजदूरी मिलती है, उसके बाद में वे वापस पलायन कर लेते हैं, डूंगरपुर में आ जाते हैं। आज मजदूरों की बहुत भीड़ हो रही है। इस सम्बन्ध में माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने वहां दौरा किया था और दौरे में सभी से आवश्यक चर्चा की थी। हमने आपसे निवेदन किया था कि इस समय हम अकाल से जूझ रहे हैं, आपको इस समस्या का समाधान करना होगा। आपने हमको विश्वास दिलाया था कि आने वाले कुछ महीनों में आपके मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे। मई और जून का जो यह महीना आएगा, मई में तो कम से कम आप एक लाख लोगों को डूंगरपुर में मजदूरी पर लगा ही दीजिए। आज भी स्थिति ऐसी है कि हम वहां फिर नहीं सकते हैं। किसी को हम मजदूरी देने के लिए जाएं तो वहां उस बीच में हम जा भी नहीं सकते हैं इतनी भीड़ हो जाती है। एक लाख की बात की मैंने तो मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से

(श्री शंकर लाल अहारी)

कि वहां कम से कम एक लाख लोगों को मजदूरी पर लगाया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राज्य में विद्युत, अकाल व पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री शंकर लाल अहारी : अकाल राहत कार्यों में गांवों में जो सम्पर्क सड़कें हैं उनको करना अत्यन्त आवश्यक है। उनमें ज्यादा से ज्यादा लोग लग सकते हैं। इसी ढंग से सागवाड़ा से जो माही कैनाल निकल रही है वह माही कैनाल अभी कच्ची है, उस पर काम कराने की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा लेबर वहां लग सकती है। मई और जून में हमारे घास की व्यवस्था की समस्या सामने आएगी इसके सम्बन्ध में मेरा आपसे एक अनुरोध है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले व्यक्तिगत कुएं, जीवनधारा के कुएं और सार्वजनिक कुएं तीन–साढ़े तीन हजार कुएं अकाल राहत में लिये थे, अकाल राहत में खुदवाये थे। अगर वे ही कुएं वापस अकाल राहत में ले लिये जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे काम की जो कमी है उसकी भी पूर्ति हो सकेगी और किसान का कुआं भी पूरा हो जाएगा। मैं आशा रखता हूं कि मेरे इस प्रश्न पर आप गौर फरमाएंगे।

दूसरा, वहां कुछ नाले हैं उन नालों पर अगर एनीकट बनाएं तो उससे भी काफी राहत मिलेगी। किसान छोटे–छोटे वाटर पम्प सैट लगा करके घास पैदा कर सकते हैं।

मैं माननीय पेयजल मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि डूंगरपुर पहाड़ी क्षेत्र है। दूर दराज हम पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। आज यह कह दो कि एक हजार हैण्डपम्प दे दिये और वास्तव में वहां का अगर आप भौतिक सत्यापन करो तो निश्चित ही वे हैण्डपम्प नहीं के बराबर ही दिखेंगे। मैं आपसे आशा रखता हूं और मांग करता हूं कि दूरदराज एरिये पर आप यह मापदंड नहीं मानें और वहां ज्यादा से ज्यादा हैण्डपम्प खुदवाएं। पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाला आदमी एक एक किलोमीटर की दूरी पर रहता है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हैण्डपम्प अधिक से अधिक दें। दूसरा, जो पुराने हैण्डपम्प लगे हुए हैं उनके पाइप गल गये हैं। पाइप जो गल गये हैं उन पाइपों को बदलने की आवश्यकता है। विशेष तौर से एक अभियान हमारे डूंगरपुर में यह करना चाहिए। बांसवाड़ा का जो सम्भाग है काफी क्षेत्र अकाल में आना चाहिए था, अकाल में

(श्री शंकर लाल अहारी)

उन गांवों को नहीं लिया, अकाल से वंचित किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन गांवों को भी आप अकाल में लीजिए। खैरवाड़ा भी जो हमारे पड़ौसी हैं और माननीय मंत्रीजी का गांव है, इसमें भी काम नहीं चल रहे हैं या नहीं के बराबर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां, खैरवाड़ा से जायला होती हुई एक सम्पर्क सड़क हमारी फीतापुर आती है और उधर गेट से बालीसोड़ा जाती है ये जो सड़कें हैं उनको लेना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरा माननीय पेयजल मंत्रीजी से मेरा यह भी निवेदन है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां आपने पाइप लाइन तो बिछायी है पर वह पाइप लाइन सड़ गयी है जैसे सीमावड़ा और बीट। कुछ टंकियों का निर्माण कराना भी अत्यन्त आवश्यक है। अगर यह छोटी–मोटी जो गांवों में समस्या है उनका समाधान हो जाता है तो कभी भी हम पानी से वंचित नहीं रहेंगे।

माननीय बिजली-मंत्रीजी से भी अनुरोध करूंगा। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं हमारे चीफ मिनिस्टर और बिजली मंत्रीजी को कि आपने 8 घंटे बराबर कंटीन्युअस बिजली देने का जो निर्णय लिया है यह वास्तव में बहुत सराहनीय कदम है, प्रशंसा से भी अधिक है। थोड़ा–सा आपको और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कटौती होती है और बिजली से हम, वंचित हैं। विशेष तौर से डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र के चौरासी, बिछीवाड़ा और सीमंगला में ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती ज्यादा की जाती है इस समय बच्चों की परीक्षाएं भी हो रही हैं, उसमें 7 बजे से करीब 11–12 बजे तक बिजली बंद रहती है तो वे परीक्षा कैसे देंगे ? तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें कुछ परिवर्तन करके हमको राहत दिलाएं। अधिक समय न लेता हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान जी।

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अकाल राहत मंत्री का ध्यान पश्चिमी सीमावर्ती जिले बाड़मेर की तरफ दिलाना चाहूंगा। बाड़मेर जिले में कुल 1616 गांव हैं जिसमें से 1600 गांव अकालग्रस्त हैं, यानि अभावग्रस्त हैं और अभी अकाल राहत मंत्री ने बड़ी मुशिकल से 35,000 मजदूर लगाने की व्यवस्था की है इस महीने में 35,000 मजदूर। इतने बड़े जिले की ग्रामीण आबादी जहां 15 लाख से भी ऊपर है, उनके बीच में 35,000 मजदूर अपर्याप्त हैं, लोगों को रोजगार के लिये इधर–उधर भटकना पड़ता है। जब–जब अकाल पड़े हैं, यह पहला मौका हमने देखा है कि अप्रेल, मई के महीनें तक जिस जिले में पूरे गांव अकाल में आये हो और 35,000 मजदूर ही लगें। यह पहला साल

(श्री अमीन खान)

हमने देखा है। कुछ समय पहले आपके राज्य मंत्रीजी ने यहां हमें विधान सभा में जिद करके कहा कि हमने तो सीलिंग, सीमाएं तोड़ दीं। आओ, उतने लिखो, सब मामला खुला कर दिया पर मैं धन्यवाद अकाल राहत मंत्री को देता हूं कि इनको बार–बार पूछने से कम से कम इन्होंने सच्चाई बतायी है। एक परसेंट भी उसमें असत्य बात नहीं बतायी है, इसके लिये मैं उनकी ईमानदारी मानता हूं।

अब मैं अकाल, राहत मंत्रीजी आपका ध्यान इस ओर करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में भी कुछ हिस्से अलग–अलग हो सकते हैं और उनकी नजर अलग थोड़े–से टुकड़े में ही जा सकती है। जैसे अब्दुल हादीजी ने कहा कि हमारे यहां तो पैसे केवल अकेले बिजली वालों को ही दे दो और अकाल राहत की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके क्षेत्र के अन्दर जितने भी गांव आते हैं उनमें जमीन के अंदर पानी अच्छा है, उनके कुए 50--100 चालू हो जाते हैं तो उनको तो वास्तव में कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन बाड़मेर जिला 1616 गांव और 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हादी साहब के ही क्षेत्र रमजान की गफन से लेकर जैसलमेर जिले के सम और खुजियाला तक चले जाओ, यह कम से कम 300 किलोमीटर लम्बा एरिया है और पूरा रेगिस्तानी एरिया है जिसमें यह लगातार तीसरा अकाल है। यहां रहने वाले लोगों के लिए इस पूरे 300 किलोमीटर के बीच में कृषि का कुआं तो दूर रहा, पीने के पानी के लिये भी जलदाय विभाग को कई–कई गांवों में 25–30 किलोमीटर दूरी तक पानी लाना पड़ता है इनको इतने करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद में भी पानी के सोर्स नहीं मिल रहे है। और इस कारण से सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर अकाल राहत बिना इंसानों का बचना और इंसान का अपने जानवरों को समय पर बचा कर पार करना यह बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी हो रही है।

अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं अकाल राहत मंत्रीजी कि आप इस एक मई से बाड़मेर जिले में कम से कम एक लाख मजदूर लगाने की व्यवस्था करें और अकाल राहत कार्य के तहत सड़कों के काम सबसे ज्यादा लिये जाएं। पंचायत के सरपंच और प्रधान लोग क्या करते हैं ? वे चाहते हैं कि हमारा ठेकेदारी का धंधा बरकरार रहे। आप एक चार दीवारी अकाल राहत के तहत स्वीकृत करते हैं। एक पंचायत में चार दीवारी स्वीकृत हुई और उसमें आठ लाख रुपये अकाल राहत के तहत स्वीकृत हुए। उस आठ लाख में से चार लाख तो चले जाते हैं सामग्री पर चार लाख रुपये लेबर पर जाते हैं। जिसमें भी उन्नत लेबर आती है और कई कारीगर आते हैं। तो आम आदमी को उसमें रोजी नहीं मिल सकती हैं और हजारों आदमी की सुविधाओं के लिये वे पैसे भी काम नहीं आते। सड़क एक ऐसी चीज है, जहां रेगिस्तानी इलाकों बाड़मेर,

(श्री अमीन खान)

जैसलमेर के अगर अकाल राहत कार्यों के तहत सड़कें नहीं बनी होती तो आज वहां लोगों का घूमना मुश्किल हो जाता। लेकिन अकाल राहत कार्य हमारे लिये वरदान साबित हुआ और उन अकाल राहत कार्यों के तहत अच्छी ग्रेवल की सड़कें बनी। कई सड़कें मैटल भी बनीं, कई सड़कें डामर भी कभी करायी गयीं। इसलिए आप वहां देखोगे तो सड़कें बहुत अच्छी नजर आएंगी तो अकाल राहत कार्य की प्राथमिकता ग्रेवल सड़क को दी जानी चाहिये। सड़क कोई अपूर्ण रह जाएगी तो किसी न किसी प्लान में आकर वह सड़क पूर्ण होगी। वह जनहित में अच्छा काम होगा, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है।

जलदाय मंत्री ने तो सबसे अच्छा काम यह किया कि हमारे जिले में दो बार आये, उनके आने से कम से कम विभाग जो निष्क्रिय था, सक्रिय हुआ। कुछ समस्याएं भी पेश हुई तो मौके पर इन्होंने उनकी समस्याएं हल कीं। कुछ काम शुरू हुआ और समस्याएं खतम होने में एक मुकाबला शुरू हुआ पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जिस तरह से पहले वृद्धिचन्दजी ने भी कहा कि आपकी योजनाएं 1990 के बाद में चौगुनी जिले में स्वीकृत हुई और दस गुना से ज्यादा भारत सरकार के पैसे खर्च हुए। लेबर वह की वह है और योजनाएं दिनों दिन आप ज्यादा स्वीकृत किये जा रहे हो। हमने विधान सभा में एक सवाल भी आपसे पूछा था जवाब आपका आया है कि बाड़मेर जिले में एक भी मजदूर रखने की जरूरत नहीं है। यह सही नहीं है। मजदूर हम यह नहीं करते हैं फालतू भर्ती करो। फालतू आदमी को रखकर राजकोष पर खामख्वाह एक वजन डालो, इस पक्ष के हम भी नहीं हैं। लेकिन जहां दस आदमियों का काम है वह दस आदमियों से ही काम चलेगा। दो आदमियों से आप दस आदमियों का काम नहीं ले सकते। इसको आप गंभीरता से लें। लेबर की जितनी जरूरत है, जितनी किलोमीटर आपके पास वाटर वर्क्स की लाइनें हैं उन लाइनों के ऊपर औसत कम से कम कितनी लेबर चाहिये, उसमें आप कम से कम उतनी लेबर की इजाजत दें। अब जैसे पाली जिला है, पाली जिले में तो वाटर वर्क्स के अंदर लेबर हैं 70 परसेंट और बाड़मेर जिले की वाटर वर्क्स की जलदाय योजनाएं चलाने के लिये है 35 परसेंट लेबर। ऐसा क्यों किया गया ? जहां जितनी लेबर की जरूरत है उतनी लेबर रखनी चाहिये। उससे कोई राज को बड़ा नुकसान होगा, इस बात को हम नहीं मानते। क्योंकि गरीब आदमी फावड़ा गैंती से मजदूरी करता है, दो रोटी का आटा खाने के लिये ही मेहनत करता है। उसकी दो रोटी के आटे का इंतजाम करना सरकार के लिये कोई बुरा नहीं है, भला है। एक इंसान को रोजी मिलती है और हजारों आदमी इन योजनाओं के लिये सहायक सिद्ध होते हैं तो इस पर एक लकीर के फकीर अपने को नहीं होना चाहिये। इस पर पाबंदी सख्ती से नहीं लागू की जाए। फालतू आदमियों पर पाबंदी होनी चाहिये, हम यह आपसे मांग करते हैं।

(श्री अमीन खान)

(17.00 बजे)

मेरा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है जिसमें रामसर तहसील के 80 गांव आते हैं और इससे लगती हुई सब तहसील गडरा रोड के गांव आते हैं। इसकी रिवाइज स्कीम टैक्निकल बोर्ड के सामने विचाराधीन है, आज तक स्वीकृत नहीं हुई है उसको जल्दी स्वीकृत करें ताकि कुछ काम शुरू करें और जलदाय की योजनाएं अच्छी तरह से चलें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि मोहनगढ़ से बाड़मेर सिटी तक योजना लाने के लिए राज्य सरकार को भारत सरकार से सलाह–मशविरा करके उन पर ज्यादा असर डालकर इसकी स्वीकृति करानी चाहिए और गडरा रोड ब्रांच से भी पानी जल्दी लाने के लिए उस पर एडवांस योजना बनाने के लिए विभाग को सक्रिय करना चाहिए। यह मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है।

अब मैं बिजली मंत्री को कहना चाहूंगा कि बिजली के हिसाब से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर जोन में सबसे कम बिजली से जुड़े हुए गांव मेरे क्षेत्र में है। बोर्डर के एरिये में भारत सरकार की भी प्लानिंग है और नीति–निर्देश के आदेश भी ये हैं कि सीमावर्ती एरिये को हर सुविधा की ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देनी चाहिए। उस सहूलियत के तहत हमारा अभी भी नम्बर करीब–करीब जीरो है। मेहरबानी करके इस चालू वित्त वर्ष में आप जो गांव आर.एस.ई.बी. की स्कीम में स्वीकृत करें, दूसरी पंचायत समितियों में जो ज्यादा गांव जुड़े हैं हमें उनकी बराबरी पर लाने का प्रयास करें।

एक सबसे ज्यादा ताज़ा जो मांग है वह मंत्रीजी आपको मालूम है कि शिव तहसील में उण्डू एक ऐसा गांव है जहां पर 300 गांव और ढाणियों को वाटर वर्क्स पानी देता है। अगर उण्डू गांव में बिजली का 33 के.वी. सब स्टेशन कायम नहीं किया गया तो कृषि कुएं वहां 80 हैं वे तो भले बंद हो जाएं उनका काम तो जैसे पीढ़ियों से चला है वैसे चल जाएगा। लेकिन आप भले ही वाटर वर्क्स के चीफ इंजीनियर को पूछ लें, बायतू और शिव तहसील की 300 ढाणियों में और गांवों में आपकी पानी की योजनाएं सारी फेल होंगी। पानी कभी भी तहलटी के गांवों में पहुंचता ही नहीं है। इसके लिए आप अति कृपा करके और गंभीरता से विचार करके उण्डू में 33 के.वी. का जी. एस. एस. शीघ्र निर्माण करें। इससे 300 गांवों को लाभ मिलेगा, अन्यथा एक परेशानी खड़ी हो जायेगी। जयहिन्द, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल।

श्री जीतमल (बागीदोरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अकाल मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले में पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार सबके दिमाग में यही एक भावना जमी हुई है कि माही बजाज सागर परियोजना से पूरा इलाका सिंचित है।

(श्री जीतमल)

बांसवाड़ा जिला राजस्थान के दक्षिणी छोर पर गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ इलाका हैं। वहां पर माही बजाज सागर परियोजना से मात्र दो पंचायत समितियां ही सिंचित होती है। बाकी का सारा इलाका चाहे पीपलखूंट हो, दानपुर हो, सज्जनगढ़ हो कुशलगढ़ हो, गांगड़तलाई हो या आनंदपुरी, इस पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल की काली छाया मंडरा रही है। राजस्थान के उदयपुर संभाग के डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर जिलों में अकाल की योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जा रही हैं, बड़े पैमाने पर कार्य चल रहे हैं तो बांसवाड़ा के साथ में आखिर सरकार की क्या नीयत है ? हम लोगों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? मैं आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के नान कमांड क्षेत्र से काफी तादाद में लोग राजस्थान से गुजरात में और महाराष्ट्र में पलायन कर रहे हैं। भूख और प्यास से उनको काफी तकलीफ हो रही है। गुजरात और महाराष्ट्र में जाने के बावजूद भी रोजगार के अभाव में उन लोगों को दर-दर भटकना पड़ता है। वहां पर भी समय पर उनको रोजगार नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर उन्हें रोजगार नहीं मिलता है, वे अपने क्षेत्र में वापस आ जाते हैं और यहां पर भी खाने-पीने और रोजगार के अभाव में हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहते हैं। स्थिति यहां तक आ गयी है कि अगर समय रहते हुए वहां के लोगों के लिए रोजगार नहीं खोले गये तो उनके पेट में आग लगेगी और वही आग उनके मस्तिष्क तक पहुंचेगी। उनका मस्तिष्क फटने लगेगा और धीरे-धीरे कई प्रकार की ऐसी बीमारियों पैदा होंगी जिससे व्यक्ति को स्वतः ही मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। मैं माननीय अकाल मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आज उदयपुर संभाग के लोकप्रिय नेता हैं। पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में गरीबों के साथ क्या तकलीफ हो रही है, क्या उनका दर्द है, क्या उनकी पीड़ा है। आज क्षेत्र में जाकर हम खड़े रहते हैं तो देखते है, वहां पर मवेशियों के लिए घास नहीं है, लोगों के लिए रोजगार नहीं है, वे दर-दर भटक रहे हैं। हालात बड़े बेकाबू हो गये हैं। समय रहते हुए बांसवाड़ा के नान कमांड क्षेत्र में अगर अकाल के कार्य नहीं खोले गये तो वहां भूख से मौतें होंगी और हमारे सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं माननीय अकाल मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले इन सारे लोगों के लिए अकाल के कामों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया तो विकट समस्या खड़ी हो सकती है।

दूसरी बात हमारे राजस्थान के लोकप्रिय एवं युवा विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपका अच्छा व्यवहार है, हमें आप

(श्री जीतमल)

बड़े लोकप्रिय लगते हैं। लेकिन विद्युत मण्डल के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में जितनी आपके कर्मचारियों द्वारा चोरी होती है, चोरी करवायी जाती है, जितनी घूसखोरी ली जाती है, कमीशनखोरी की जाती है उतनी उस इलाके में कोई दूसरा डिपार्टमैंट नहीं करता है। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि लंबे समय से इलाके में बैठे हुए जो डकैत हैं उनको हटाकर दूसरे इलाकों में भेजें ताकि वहां के गरीब लोगों को राहत मिल सके। सरकार किसी की भी आती है, जाती है लेकिन वहां पर लंबे समय से जो लोग बैठे हुए हैं वे किसी भी सरकार के आने पर उनके आगे–पीछे मंडरा करके अपना स्थान बनाये रखते हैं और गरीबों के साथ लूटपाट की जाती है। ऐसे लोगों को वहां से हटाएं ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पूरे बांसवाड़ा जिले के अंदर 60 परसेंट गांव आज भी ऐसे हैं जहां घरों में एक भी लट्टू तक नहीं जला है। आज राजस्थान उस जगह पर खड़ा है जहां आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनायी जा रही है हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के घरों में आजादी की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर भी प्रजातंत्र की रोशनी का लट्टू नहीं जलता है तो हम कौनसी स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं ? मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा और आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप संकल्प लें और नीति निर्धारित करें कि बांगड़ के इलाके में जहां आज दिन तक बिजली का लट्टू नहीं जला है वहां कम से कम बिजली का लट्टू जले ताकि हमें यह महसूस हो कि स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर गरीबों को इस तरह की राहत दी जाती है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए वहां फाइल भरते हैं, फाइल भरकर आफिस में पहुंचाई जाती है तो घरेलू कनेक्शन के लिए वहां डेढ़–डेढ़ लाख रुपये का डिमाण्ड नोटिस निकाला जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं घरेलू कनेक्शन के लिए डेढ़ लाख रुपये का डिमाण्ड नोटिस हमारी छाती पर आकर खड़ा रहता है तो जिसके मकान पर 150, 200, 250 केलू हों वह व्यक्ति, गरीब किसान कैसे बिजली प्राप्त कर सकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से भ्रष्ट और अधिकारियों को आप काबू करें और ऐसा नीतिगत फैसला लेने के लिए आप उनको आगाह करें। मैं ज्यादा बात न कहते हुए पुनः अकाल राहत मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा की हालत बड़ी बेकाबू है और समय रहते नहीं सम्भाली तो आपके सामने भी विकट समस्या खड़ी हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, राजस्थान के किसान और उद्योग दोनों की भाग्य रेखा बिजली के साथ जुड़ी हुई है। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी की भी भाग्य रेखा बिजली के साथ जुड़ी हुई है। ऊर्जा मंत्रीजी आप जिस स्थान पर विराजमान हैं, उस स्थान पर आज इसलिए भी विराजमान हैं कि आपकी अगुवाई में शहीद बालूराम ने सीने पर गोली झेली थी। उस सरकार ने जिसके आप आज अंग हैं, दो नए पैसे बढ़ाएं थे और आपने आंदोलन किया था। आज प्रतिपक्ष में विराजते थे और शहीद बालूराम के स्टेच्यू पर माल्यार्पण करके लोगों को कहते थे कि इनका बलिदान बिलकुल सार्थक था, उस समय दो पैसे बिजली में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन आज आपने उस शहीद की शहादत को धूल–धूसरित कर दिया। आतें ही आपने बिजली शुल्क को दो गुना कर दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : आज जो बात कह रहे हैं कि शहीद बालूराम की प्रतिष्ठा धूल–धूसरित कर दी, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, पूरे आठ वर्षों तक लगातार संघर्ष किया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय यहां विराजे हुए हैं, ये स्वयं वहां गए थे, उस प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बावजूद जिस तरह से ऊर्जा विभाग में बराबर पैसा बढ़ाया, इन्होंने धूल–धूलरित नहीं किया है ? माननीय ऊर्जा मंत्रीजी आज भी कृत संकल्पित हैं कि स्वर्गीय बालूरामजी जो शहीद हुए हैं, उनको पूरी श्रद्धा से याद किया जाए, उनको पूरी श्रद्धांजलि दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, बार–बार निवेदन करने के बाद भी आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। मैं वाक आउट करके जा रहा हूं। यह क्या तरीका हुआ ? उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्दलीयों को मौका नहीं दे रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री रिछपाल सिंह मिर्धा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई काम होगा इसलिए जा रहे हैं, बाकी वाक आउट करने की तो आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे नौजवान ऊर्जा मंत्रीजी ने आते ही विद्युत शुल्क दुगुना किया, मीटर किराया भी पचास फीसदी बढ़ा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, रोज बयान जारी करते हैं कि नवम्बर 1998 से फरवरी 1999, प्रतिदिन एक करोड़ रुपये विद्युत बोर्ड घाटा उठा रहा है, किसानों को सब्सिडाइज रेट पर बिजली देता है। ऊर्जा मंत्रीजी ऐसा काम आप आज ही कर रहे हैं ? क्या इससे पहले किसानों को रियायती दर पर बिजली नहीं दी गई ? मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि नवम्बर, 1997 से फरवरी, 1998 तक प्रतिदिन किसानों को रियायती दर पर बिजली खरीद कर तत्कालीन सरकार ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुहैया करवाई थी। जिस राजस्थान विद्युत मण्डल को आप चला रहे हैं वह 71 लाख रुपये से लेकर 88 लाख रुपये तक घाटा खाता था। पीक आवर्स में निश्चित तौर पर प्रति वर्ष यह हालत रहती है परंतु न जाने आपने कौनसा मीर मार लिया कि मुख्य मंत्रीजी से लेकर ऊर्जा मंत्रीजी तक एक ही बयान जारी करते हैं कि एक करोड़ रुपये प्रतिदिन का घाटा। मैं निवेदन करूं, ऊर्जा मंत्रीजी कि यह घाटा तो बोर्ड के साथ चिपक गया क्योंकि हम जितनी बिजली उत्पादित करते हैं उससे ज्यादा बिजली की खपत है। राजस्थान में 4200 मेगावाट बिजली चाहिए, 2250 मेगावाट को आज उत्पादित करते है और 750 मेगावाट हमारा केन्द्रीय परियोजनाओं में हिस्सा है, इसका अर्थ यह होता है कि तीस–पैतीस फीसदी बिजली आपको निश्चित तौर पर खरीदनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो मजबूरी है, चाहे आप उधर बैठे हो या हम इधर बैठे हैं, इस मजबूरी की तरफ व्यावहारिक रूप से हम यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई फल नहीं निकलेगा। यह मजबूरी पूरी होगी निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से, जो हमारे सामने हैं। ऊर्जा मंत्रीजी आपको मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में एम. ओ. यू. साइन हुए, कुछ पी. पी. ए. भी हुए परंतु फाइनेंसर क्लोजर के आसपास आते–आते ये सारी की सारी चीजें धराशायी हो गई। कोई भी प्राइवेट पार्टी अगर कोई प्रोजेक्ट लगाती है तो यह कोई छोटा–मोटा इन्वेस्टमैंट तो है नहीं, या तो वह लोन लेती है विश्व बैंक से या वितीय संस्थाओं से या बैंक से। बैंक उसकी वायबिलिटी देखता है। बैंक यह देखता है कि जितना पैसा यह कम्पनी ले रही है वह वायबल है या नहीं, यह पैसा वापस चुका देगी ? मैं निवेदन करना चाहता हूं ऊर्जा मंत्रीजी बरसिंहसर, कपूरड़ी, जालीपा, सूरतगढ़, जाखम, धौलपुर, सौर ऊर्जा और तरल ईन्धन पर आधारित जितनी भी परियोजनाएं थी, 5003 मैगावाट की ये परियोजनाएं किसी न किसी स्तर पर विचाराधीन हैं। कुछ में एम.ओ.यू. हो गए। मैं समझता हूं कि सारी परियोजनाएं जिन पर 19,915 करोड़ रुपये व्यय करने की बात है, इन पर आप तत्काल कार्यवाही करें।

इसके अतिरिक्त मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ और योजनाएं हैं, छोटे मिनी प्लांट्स आ रहे हैं। पिराज इन्टरनेशनल, हनुमानगढ़ चम्बर पावर लिमिटेड, बूंदी अंता इम्पेक्स, जोधपुर; बलाना परियोजना ये सारी परियोजनाएं जो हैं इन पर आपको तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछला सत्र बहुत हंगामेदार हुआ और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हमारे अकाल राहत मंत्रीजी से लेकर सारे एक कागज को बार–बार उछाल रहे थे। हमारे सहकारिता मंत्रीजी तो इस वैल के अंदर उस दिन ऐसा दृश्य उत्पन्न कर रहे थे कि पता नहीं क्या प्रलय हुई है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, वह दिन था जिस दिन बिजली के रिफोर्म्स के लिए रैगुलेटरी कमीशन पर सदन में चर्चा चल रही थी। बड़ा दबाव था सदन में, आपकी भावना और जन भावना को देखते हुए हम इस कमीशन को लेकर नहीं आये। परन्तु, ऊर्जा मंत्रीजी आप इस कमीशन के बारे में न तो बिल लाये और न ऑर्डिनेंस लाए और आपने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सेण्ट्रल एक्ट के तहत बना है, बना सकते हैं आपकी सरकार जो केन्द्र में थी वह बार–बार कहती थी कि इसको बनाओ।

श्री जगत सिंह दायमा : इन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि चुनाव इसके सिर पर थे। ये तो टाल गए परन्तु आपने लगा दिया। ये ही चीजें आपके आड़े आएंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेण्ट्रल एक्ट के मातहत इस चीज को आपने स्वीकार कर लिया है कि हम रैगुलेटरी अथोरिटी को लागू करेंगे। यह कर लिया कि नहीं, यह बताएं।

डा. चन्द्रभान : रैगुलटरी कमीशन राजस्थान में बनेगा, इसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है और मंत्रिमण्डल से इसकी स्वीकृति भी हो गई है। सेण्ट्रल एक्ट के तहत बना रहे हैं, इसके लिए सेन्ट्रल कमेटी भी बन गई है। कौन इसके सदस्य होंगे, उनके नाम लिए प्रस्ताव आने बाकी हैं। आगामी एक–डेढ़ महीने में यह कमीशन बन जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : इसके बाद आपकी क्या स्थिति होगी ? जीरो, शून्य कोई पूछने वाले नहीं रहेगा। इसलिए आप अपना विभाग छोड़ दो, यह बता देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद्युत मंत्रीजी आपने ज्ञानवर्द्धन कर दिया कि आप सेण्ट्रल एक्ट के तहत इस कमीशन को लेकर आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रैगुलेटरी कमीशन बनाने में आपने सेण्ट्रल एक्ट का सहारा लिया। यह एक ऐसा विषय है कि एक्ट बनने के बाद में लैजिस्लेचर या गवर्नमैंट का उसमें कोई शेयर नहीं होगा और आपने लागू भी कर दिया। इसलिए मैं चाहता था कि इस विषय पर हम हाउस में एक बार चर्चा करते कि सरकार किस तरह से इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, सरकार को क्या अधिकार होंगे। आज उन्होंने बिजली की रेट कुछ भी बढ़ा दी, हम दे नहीं सकते, हमारा कंज्यूमर दे नहीं सकता लेकिन रेगुलेटरी अथोरिटी ने टैरिफ तय कर दिया। उसमें किस सीमा तक हम चेंज कर सकते हैं ? वे लोग यह कहेंगे कि आप चेंज करें, किसी रेट पर दें, सब्सिडाइज रेट पर दें। सब्सिडी की आपको रेवेन्यू अकाउण्ट से पूर्ति करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्व घाटा अब भी बढ़ रहा है और बढ़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सारे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अधिकार रैगुलटरी अथोरिटी को देने से पहले आपको सदन के माननीय सदस्यों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। आप ऐसे शटल तरीके से लाएं हैं कि सेण्ट्रल गवर्नमैंट ने एक्ट बना दिया और उस एक्ट में प्रोविजन लगा दिया कि स्टेट गवर्नमैंट चाहे तो बना सकती है। उन्हीं प्रोवजन को लेकर आप चले हैं, वे प्रोविजन्स आपको बताता हूं। अगर उनमें सुधार नहीं किया गया तो राजस्थान में आप उसको लागू नहीं कर सकेंगे। लागू करेंगे तो आपके सामने आर्थिक संकट आएगा और लागू नहीं करेंगे तो भी आपके सामने संकट आएगा। इन दोनों के बीच में समाधान हो सकता है कि हमारा लैजिस्लेटिव पावर इन अथोरिटी के सामने सरेण्डर नहीं करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रास्ता नहीं है, रास्ते निकल सकते हैं। लेकिन सारी गवर्नमैंट और सारी असेम्बली बिलकुल मूकदर्शक बनी रहे और अथोरिटी का ही हुक्म चले। अभी आपने देखा होगा कम्युनिकेशन के मामले में जब टेलीफोन की रेट्स बढ़ा दी और वहां पार्लियामैंट में झगड़ा हुआ कि रेट कैसे बढ़ा दी। उनका बहाना था कि अथोरिटी ने बढ़ा दी। फिर उसमें बीच में कोई रास्ता निकला तो वह रास्ता हम पहले ही निकाल लें, यह ज्यादा उचित रहेगा। इसलिए आप इसके ऊपर पुनः चर्चा करें, सदन के माननीय सदस्यों की राय लें। आपने लागू कर दिया उसमें कोई संशोधन हो सकता है तो संशोधन करें। ऐसी बात नहीं कि हम संशोधन नहीं करें।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब दें तब।

डा. चन्द्रभान : मैं जवाब दूंगा तभी इन सब बातों को क्लियर करूंगा। एक एप्रिहैंशन है कि इसके लागू होते ही किसानों की बिजली महंगी जो जाएगी...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने जवाब में बोल लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोल देना कोई एप्रिहैंशन नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : परन्तु दर ये तय करेंगे, आप दर तय नहीं करेंगे।

डा. चन्द्रभान : हम सब्सिडी दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई एप्रिहैंशन नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : फिर आपके पास रह क्या जाएगा, यह आप बताओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन इसका प्रोसिजर क्या होगा ?

श्री जगत सिंह दायमा : उसके बाद पता नहीं क्या रह जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका प्रोसिजर क्या है, वह हमने भी पढ़ा है। वह प्रोसिजर यह है कि सबसे ओपीनियन लें। आपके बोर्ड

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का कितना खर्चा आता है, कास्ट आफ जनरेशन कितनी आती है, कास्ट आफ डिस्ट्रीब्यूटरी क्या आती है, ये सारे खर्च देने के बावजूद भी क्या आप आज कह सकते हैं कि किसान को जो 50 पैसे बिजली दे रहे हैं वह 50 आप 100 पैसे कर देंगे ? आप 100 यदि नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी अथोरिटी का वायोलेशन करेंगे और 100 पैसे करते हैं तो 50 पैसे आपको सब्सिडी के रूप में मंजूर करने पड़ेंगे। सब्सिडी राजस्थान गवर्नमैंट अपने खजाने से देगी तो उसका भार और बढ़ेगा, टैक्सेशन की स्थिति होगी। रैगुलेटरी अथोरिटी तो केवल एक, इनका परपज मैं आपको बता दूं। माफ करना उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट ले रहा हूं आज वित्त मंत्री जी ने फाइनेंशल डैफिसिट बहुत ज्यादा बता दिया। कितना फाइनेंशल डैफिसिट है ? आज वर्ल्ड बैंक जो हिन्दुस्तान में सहायता दे रहा है, वह स्टेट्स की कंपीटेंस पर नहीं दे रहा। उसने इस साल के सारे फिगर्स लिए हैं कि किस–किस सरकार का फाइनेंशल डैफिसिट कितना है। जिनका ज्यादा है उनको छोड़ दिया और जिनका कम है उनके बारे में वह सहायता देने को तैयार बैठा है। इस मजबूरी में आप मत लें, यह एक प्रकार का स्ट्रैंगुलेशन है आई.एम.एफ का और वर्ल्ड बैंक का। इस गलाघोंट नीति के अंदर आप मत चले वरना ऐसे फंस जाएंगे कि निकल नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहता। इसके ऊपर सब अपनी ओपीनियन यहां दें, लेकिन अगर आप डिसकस करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप भी कन्विंस हो जाएंगे। इस रैगुलेटरी अथोरिटी का कोई अल्टरनेट हम उस एक्ट में लाकर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते।

आज आप हिन्दुस्तान का पूरा नक्शा देख लीजिए, जहां जहां भी रैगुलेटरी अथोरिटी 4–5 स्टेट्स में आई हैं, क्या इन्वेस्टमैंट हुआ है ? प्राइवेट सैक्टर तो आता नहीं, आ ही नहीं सकता। प्राइवेट सैक्टर तब ही आएगा जब फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस उसका क्लोज अप करेंगे ओर क्लोज–अप तभी होगा जब उसके रिटर्न्स आने होंगे। रिटर्न्स को कैलकुलेट करते हैं तो कास्ट आफ जनरेशन कौन वसूल करेगा ? कास्ट आफ जनरेशन वसूल होनी चाहिए, लेकिन आज वह स्टेज नहीं है। हम स्लोली कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। यहां आपके सामने संकट आएगा और यह संकट इतना बड़ा संकट होगा कि भविष्य में जाकर हम कहां टिकेंगे और कहां नहीं टिकेंगे, इसका कोई पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, रैगुलेटरी कमीशन पर प्रतिपक्ष के नेता ने काफी कुछ कह दिया, परन्तु मंत्री महोदय, वर्ल्ड बैंक से हमें 2500 करोड़ रुपये का लोन लेना है और 900 करोड़ रुपये हमें अन्य अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लेना है। इस लोन के नाम पर हम किस तरह का काला अध्याय प्रारम्भ कर देंगे ? आप क्या समझते हो, जब यह रैगुलेटरी कमीशन आ जाएगा, इस कमीशन के नीचे जब जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग–अलग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कमीशन बन जाएंगे, एक इंडिपैंडेंट बाडी की तरह काम चालू हो जाएगा और जब हम इसके प्रीएम्बल में यह कह रहे हैं कि लागत दर पर बिजली की दरों को तय करेंगे, जितना खर्चा है उतना तय करेंगे तो आपके हाथ में रहेगा क्या ? प्रतिपक्ष के नेता ने आपको चेताया है और मैं समझता हूं जिस दिन यह आर.एस.ई.बी. कम्पनी बनकर कम्पनी एक्ट के तहत गवर्न करने लग जाएगी तब, मंत्री महोदय, आपके द्वारा जो रोज–रोज डिजायर्स जाती हैं कि यह कर देना, यह मत करना, वो भी आपकी चलेगी नहीं।

डा. चन्द्रभान : आप इन डिजायर्स से पीछा छुड़वाओ, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह दर्द आपका समझता हूं, आपका यह दर्द वाजिब है।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम सारे अधिकार उस कमीशन को देना चाहते हैं, परन्तु हमारे सिस्टम में कमियां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ये कमियां कोई यह नहीं कि आज यह नयी सरकार आई है इसलिए ही है, हमारे समय में भी थीं। आज विद्युत मंडल के सामने सबसे ज्यादा संकट है ट्रांसमिशन लोसेज का। मंत्री महोदय, आपका बयान मैंने अखबार में पढ़ा था, उसमें दस परसेंट आपने चोरी बतायी थी और 35 परसैंट ट्रांसमिशन लोस बताया था। आपको मालूम है 1980 में एक राज्याध्यक्ष समिति बनी थी, उस समिति ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसमें ट्रांसमिशन लोसेज नहीं हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा है। लेकिन इसी कमीशन ने यह कहा था 1980 में कि 20 परसेंट हो सकता है पूरे राष्ट्र का, उसको कम करके 15 परसेंट करेंगे। हम अगर अपने आप ही उस दिशा की तरफ चले और 35 परसेंट का जो लोस है उसको 25 परसेंट भी कर दें तो आपको 800 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आपको सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। कुछ छोटे परिवर्तन की जरूरत है, कुछ आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आज कहीं यह मालूम नहीं कि किस ग्रिड पर कितनी बिजली आई, कितनी बिजली हमने दूसरे सिस्टम में डाल दी, कितनी बिजली का उपयोग हुआ, कहां लोस है आज जब तक इन कमियों को नहीं पकड़ेंगे, मैं समझता हूं ऊर्जा मंत्रीजी, चाहे कितनी बात हम कर लें वास्तविक सुधार नहीं ला पाएंगे। आपके पास कंपीटैंट लोग हैं, इसलिए आप इस तरह का एनर्जिक आडिट सिस्टम चालू करें ताकि निश्चित तौर पर मालूम पड़ जाए कि पूरे राज्य में कौनसा सेक्टर ऐसा है जहां ट्रांसमिशन लोसेज के कारण नुकसान हो रहा है।

ऊर्जा मंत्री, दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपने दिसम्बर में चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। अच्छा, स्वागत योग्य है, चोरी पकड़ी जानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बीच में बोलने का नहीं था, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं, पेज 65 पर सदन में वित्त मंत्रीजी ने कहा है जो सिंचाई की दरें बढ़ाई, उस संबंध में। इससे आप ध्यान दे लें आगे जाकर क्या होने वाला है। इसमें लिखा है :

"इससे प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राजस्व राशि का सिंचाई व्यवस्था तंत्र के बेहतर संधारण हेतु आय की प्रत्याशा में अतिरिक्त रूप से प्रावधान करने का प्रस्ताव भी करता हूं।" यह बात तो ठीक हैं "सिंचाई दरों में इस संशोधन के साथ ही विश्व बैंक की एक हजार 800 करोड़ रुपये की लागत का राजस्थान वाटर रिसोर्सेज कन्सोलिडेशन प्रोजैक्ट तथा जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू. द्वारा राजस्थान माइनर इर्रिगेशन प्रोजैक्ट, द्वितीय चरण के लिए 63 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त हो सकेगा।"

हमने किसानों का 15 करोड़ का टैक्स लगाया तो उनकी शर्त हैं। इस शर्त के पीछे बहुत बड़ी चाल है, षड्यंत्र हैं और इसमें यदि हम फंसते गये तो आगे हम कई चीजों में फंसेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप कल बोलेंगे ना, माननीय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कल मैं बोल नहीं पाऊंगा, नहीं तो बोल ही देता। मैं इनको बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनका सब्जैक्ट ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका सब्जैक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सिंचाई का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका सब्जैक्ट है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो भी ये संशोधन ला रहे हैं वे संशोधन आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक के दबाव से करेंगे तो सारी स्थिति इस तरह की बनेगी। वित्त मंत्री जी अभी आपको 63 करोड़ रुपये लेने हैं, 63 करोड़ रुपये के लिए 15 करोड़ रुपये का सिंचाई शुल्क किसानों पर आपने बढ़ाया है, यह है मेरा कहना। दबाव में सारी चीजें आ रही हैं यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) खैर, बता देना आप।

डा. चन्द्रभान : सरकार जो भी कोई निर्णय करेगी, राज्य की जनता के हित में करेगी। विद्युत उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर करेगी। किसी के दबाव में नहीं करेगी। चाहे वह वर्ल्ड बैंक हो, चाहे और कोई हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय घोषणाएं बहुत अच्छी करते हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, परन्तु व्यावहारिक धरातल पर जाते ही ये घोषणाएं और व्यावहारिक बातों में कहीं तालमेल हो या नहीं, ये इस पर चिन्ता नहीं करते। ऊर्जा मंत्री जी इस रैगुलेटरी कमीशन की बुनियाद रखने के साथ–साथ आपने राजस्थान के किसानों, राजस्थान की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जनता के सम्मुख एक इस तरह का काला अध्याय प्रारम्भ कर दिया है, आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा।

मैं निवेदन कर रहा था, ऊर्जा मंत्री जी आपने दिसम्बर में बड़े जोर–शोर से विद्युत चोरी रोकी जाए, इसका एक अभियान चलाया। बिलकुल योग्य हैं, चलाना चाहिए, परन्तु आपने किया क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभियान नहीं, इसी रेगुलेटरी कमीशन का इन्होंने विधान सभा में, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, सबने मिलकर विरोध किया था और उसी ग्राउण्ड पर विरोध किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस कमीशन की बात यहां प्रतिपक्ष के नेता ने कही, उस दिन हमारे वित्त मंत्री जी आज बड़े शांत बैठे हैं, पर उस दिन इतने क्रोधित थे कि राजस्थान के अंदर यह रेगुलेटरी कमीशन लाकर आप राजस्थान में बिजली की दरों को तीन गुना करना चाहते हो, दुगुने पर भी नहीं रुके थे, तीन गुना करना चाहते हो, ये किसी भी हालत में नहीं आएंगे। आज ये नगरीय विकास मंत्रीजी बड़ी शांति से बैठे हैं, यहां से इन्होंने कागज फैंके थे और दूर उस छोर पर चले गये थे। आज क्यों लेकर आ रहे हैं इस काले कानून को ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सत्ता के मद में, मंत्रीजी इतने चूर मत हो। आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आज किसान की बात कहते थे, बालूराम की शहादत को याद करते हो तो आप खड़े होकर कह दो कि कैसी भी परिस्थिति रहे हम अपने सिस्टम को ठीक करेंगे, हम इस रैगुलेटरी कमीशन को नहीं लाएंगे। यह आप खड़े होकर कह दें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर किसान आपको इतने हितैषी समझेंगे कि हमेशा याद रखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय रतनाराम जी बाकी हैं अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं चोरी की बात कर रहा था कि आपने चोरी का अभियान चलाया। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं बालूराम जी की शहादत।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी। इसका एण्ड ही नहीं आएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनमें जो समय गया है वह मेरा समय नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वन मिनट। ऐसा है कोई भी किसान का आंदोलन होता है वह कोई दल के खिलाफ नहीं होता है वह अपनी मांगों को लेकर होता है। कोई भी दल हो। बालूराम जी मान लीजिए एक काज के लिए उनकी मौत हो गई वह बिजली का काज था, वह आज भी किसान का काज रहेगा। तो मैं इससे सहमत नहीं हूं क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो आप निकल कर आ जाना, मैं कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं आपको कह रहा हूं कि बालूराम जी के शहीद होने के बाद कोई भी उनकी बरसी ऐसी नहीं गई जिस पर मैं नहीं गया। अभी भी मैं ऊर्जा मंत्री के रूप में गया, आप कभी नहीं गए वहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम कब कह रहे हैं ? हमने बालूराम जी के नाम पर कभी राजनीति नहीं की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान : माननीय भैरोंसिंह जी थे उस समय नेता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप शहादत की पैदाइश हो, आप राजनीति में सिद्ध हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बालूरामजी के नाम पर राजनीति इन्होंने की थी।

डा. चन्द्रभान : वह सर्वदलीय किसान उपभोक्ता संघर्ष समिति थी जिसके संयोजक माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत थे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बालूरामजी की मूर्ति स्थापित कहां पर हैं ? उत्तर की तरफ है कि पूर्व की तरफ है ? आपको तो यह भी पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हक की कोई लड़ाई लड़ते नहीं हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आपके दल ने तो हमेशा लाशों पर राजनीति की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय राजेन्द्र सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अभियान चलाया, 3600 मामले पकड़े। इसके साथ ही. ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान : आप राजेन्द्र जी गलत बात कर रहे हो। आप किसानों की लडाई नहीं लड़ते हो, आप सती को महिमा मंड़ित करने वाले लोगों में से हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम कुछ भी करने वाले हों, इतना आपको पेट में दर्द होने लग गया, डा. साहब ? माननीय मंत्री महोदय, सत्ता में आये हो तो हम भी इस सदन के अंदर अधिकार लेकर आए हैं, हमारी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप गुस्सा क्यों होते हो ? आपके चेहरे पर हमने गुस्सा देखा नहीं, गुस्सा क्यों होते हो ? मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी कि आपने क्या किया। आपने चोरी का अभियान चलाकर 3600 मामले पकड़े। उसके साथ ही, ऊर्जा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्रीजी आपने बयान दिया था कि साढ़े चार और पांच लाख मीटर बंद पड़े हैं राजस्थान में। वस्तुस्थिति यह है कि साढ़े आठ लाख से ज्यादा मीटर बंद पड़े हैं राजस्थान के अंदर। आपने यह चोरी का अभियान चलाकर 3600 मामले पकड़े एवं 1750 मामले ऐसे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनके मीटर बंद पड़े थे। मीटर को बदलने के लिए उपभोक्ता बार बार आवेदन—पत्र दे रहे हैं, बिजली बोर्ड मीटर बदल नहीं रहा है और ये अभियान चलाकर गरीब लोगों को, किसान को पकड़ा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही नहीं, इसमें साढ़े चार सौ मामले ऐसे है, उपाध्यक्ष महोदय, जिन्हें विजिलेंस को भेज दिया। किसान के खेत में जाकर कहा कि तेरे साढ़े सात सौ होर्स पावर की मोटर होनी चाहिए, यह बहुत ज्यादा लोड ले रही है। मैं समझता हूं कि यह एक तरह से किसानों के हितों की बात कहते हुए किसानों का कुठाराघात है निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज उद्योगों की क्या हालत है। हम किसानों को बिजली दे रहे हैं, सब्सिडाइज्ड रेट पर दे रहे हैं और पिछले 5 वर्षों में किसान को बिजली आज दे रहे हैं उसका प्रतिशत 27 से बढ़कर 37 हो गया परन्तु उद्योगों की जो बिजली दे रहे हैं उसमें 11 प्रतिशत की गिरावट आ गई, चाहे सरकार यह रही हो या वह सरकार रही हो। इस पर ऊर्जा मंत्रीजी गंभीरता से विचार करो। राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हो तो राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्रीजी 4 लाख किलोमीटर लंबी आपकी विद्युत लाइन है और आपके पास हैल्पर हैं 1250। निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए। अभी पृथ्वी के 4 चक्कर के बराबर मंडल की एल. टी. लाइन है, पृथ्वी के तीन चक्कर के बराबर मंडल की 11 के.वी. की लाइन है। लंबी—चौड़ी लाइन आपके हैं परन्तु लाइन के रख—रखाव के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं वे कितने हैं आपके पास ? वे हैं साढ़े बारह हजार। आप किस तरीके से राजस्थान के गरीबों को बिजली देना चाहते हैं ? मैं समझता हूं निश्चित तौर पर इस पर आपको विचार करना चाहिए।

श्वेत—पत्र में आपने कह दिया कि भाजपा के राज में एक यूनिट बिजली पैदा नहीं हुई। मैं समझता हूं कि अच्छा काम यह सरकार करे चाहे अच्छा काम वह सरकार करे, इतिहास के पन्ने में लिखा जाता है। आप भूल जाते हो सूरतगढ़ की फर्स्ट यूनिट को, आप भूल जाते

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो कोटा की पांचवीं यूनिट को रामगढ़ की यूनिट को भूल जाते हो। मंत्री महोदय, आप रिकॉर्ड से चैक करवा लेना, 540 यूनिट बिजली पैदा हुई थी। मैं इतना ही कहते हुए माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : 540 यूनिट नहीं 540 मेगावाट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेगावाट की बात है।

अकाल राहत मंत्रीजी राजस्थान में अकाल कोई नया नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल पहली बार पड़ा हो, यह बात नहीं है, परन्तु यह किंवदंती भी राजस्थान के अंदर है कि अकाल और कांग्रेस का संबंध है। उसके बारे में गांव का व्यक्ति चर्चा करता है अकाल राहत मंत्रीजी आप तो बड़े पुराने इस राजस्थान के नेता रहे हो, पूववर्ती सरकार ने ज्ञापन केन्द्रीय सरकार की अध्ययन टोली को पेश किया था और आपने फरवरी में टीम बुलाई। आप खुद जानते हो यह टीम फरवरी में आई। उस टीम को आप जून में बुलाते, मई में बुलाते, अप्रेल में बुलाते। फरवरी में तो देख ले, राजस्थान काफी हरा–भरा दिखता है। अगर आप उसको अप्रेल में बुलाते, मई में बुलाते तो वह टीम देखती कि राजस्थान के अंदर वास्तव में अकाल की स्थिति विकट है। अब आपने टीम तो बुला ली लेकिन ऐसा क्या कारण आ गया था ? सितम्बर में जो सरकार यह कहती है कि हम कुल मिलाकर 1859 करोड़... उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी नाराज हो रहे हैं। मेरे से तो नहीं हो रहे हो ना साहब ?

श्री चन्दन मल बैद : आप कहो तो मैं बात नहीं करूं ? आपको तो मैंने रोका नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं करो, साहब।

श्री चन्दन मल बैद : क्या जुल्म हो गया ? आपको तो मैंने रोका नहीं, कितनी गलत बातें आपने मेरे बारे में कह दी। कागज फेंक दिया, यह कर दिया, वो कर दिया। कहे जाओ, पोते हो मेरे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब, वो तो हूं ही।

श्री चन्दन मल बैद : कपड़ों में +++ तो भी सुगन्ध मानते हैं उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप ले लो उनको।

मैं निवेदन कर रहा था कि सितम्बर में सरकार जो ज्ञापन देती है उसमें यह कहा जाता है कि 1859 करोड़ रुपये की हमें सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। 1500 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से मांगते है। आपने पहली गलती तो यह की कि फरवरी में वापस ली, इतनी फुर्ती क्या थी ? आप एक–दो महीने इंतजार करते उसके बाद में भी आपने बुला लिया तो ऐसा कौनसा कारण था कि जो

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमने 1800 करोड़ के करीब राशि की बात की थी उसको आपने अचानक ही घटाकर 948 करोड़ कर दिया ? शायद 1500 करोड़ का आपने टोटल दिया और केन्द्रीय सहायता मांगी 900 करोड़, आज हालत क्या हैं ? आपने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, उसमें था कि नवम्बर, जनवरी के अंदर कितने लेबर रहेंगे, फरवरी में कितने रहेंगे, मार्च में कितने रहेंगे। तो मार्च में आपको एंगेज करनी थी लेबर 9 लाख 60 हजार और अप्रेल में करनी थी 11 लाख 25 हजार। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के गरीब लोग रोजी–रोटी के मोहताज हैं, ज्ञापन में कहते हैं, केन्द्रीय सरकार पर आरोप भी लगाते हैं, सहायता की भी आवश्यकता है, पूरा विस्तृत विवरण देते हैं कि मैटीरियल कम्पोनैंट में कितना पैसा चाहिए, लेबर कम्पोनैंट में कितना पैसा चाहिए। यह कहते हैं कि हम अप्रेल में 11 लाख 25 हजार लेबर को लगाएंगे ओर लगाते हैं 3 लाख 70 हजार और उसमें भी 35 हजार लेबर के आदेश तो एक–दो दिन में किये हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, होता क्या है ? आज अकाल से पीड़ित व्यक्ति को रोजगार पर लगाया जाता है, उसके सामने रोजी–रोटी का संकट है कि शाम को क्या खाएगा। परन्तु आपने पेमेन्ट कहां तक किया। कुछ जिलों में फरवरी का, कुछ जिलों में मार्च का अकाल राहत मंत्रीजी संवेदनशीलता का परिचय दें। संवेदनशीलता, पारदर्शी ये बातें अपन लोगों के उतरती नहीं हैं इसलिए कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि आपने जिस सप्ताह काम लिया उसी सप्ताह उस गरीब का पेमेन्ट करेंगे। आज अकाल की मार इतनी पैनी है फिर भी राजस्थान के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, आज एक जगह भी चारा डिपो नहीं खुला। चारा सब्सिडी के नाम पर एक पैसा भी इन्होंने दिया नहीं, एक चारा डिपो कहीं खुला नहीं, गांवों में पेयजल का संकट है। पानी के ट्रांसपोर्टेशन की कहीं व्यवस्था की नहीं। आज राजस्थान में आदमी ही नहीं, बड़ी संख्या में पशु पलायन कर रहे हैं। आज कोई भी समाचार–पत्र उठाकर देख लो, उपाध्यक्ष महोदय, आप समाचार पत्रों में पढ़ोगे। वहां इतनी बड़ी संख्या में किसान ने अपने बैशकीमती पशुओं को छोड़ दिया। अकाल में आपका कसूर नहीं है, हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां ही ऐसी है। हमारा पूरा ईको सिस्टम बिगड़ते पर्यावरण के कारण से बदल गया है, परन्तु इसके साथ किसान की वस्तु स्थिति भी है। अब आप आरोप लगा रहे हैं कि पैसा नहीं है। पैसा नहीं है और कोई भी कल्याणकारी सरकार है तो इसका बन्दोवस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है ? सी.आर.एफ. का पहला इंस्टालमैंट आपको मिलना चाहिए, अब तो 31 मार्च समाप्त हो गया, उसका पैसा लेकर आप क्यों नहीं खर्च करते ? बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। अकाल जैसे विषय पर अभी पश्चिमी राजस्थान से आये हुए लोग बोल रहे थे, यह वास्तव में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनके मन की पीड़ा बोल रही थी और अब हालत बदतर होती जा रही है। आज आप अकाल पड़े हुए मनुष्यों की किसी तरह से सहायता नहीं कर रहे हैं तो पशुधन की तो हालत क्या बनेगी ? इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप सारी माकूल व्यवस्था करें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ा संकट राजस्थान के अंदर यह है कि तेजी से वाटर टेबल गिरता जा रहा है। रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां भूजल का दोहन जरूरत से ज्यादा हो गया है, वाटर टेबल गिरता जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पानी की दूसरी सरफेस नहीं है, वाटर टेबल नीचे चला गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जलदाय मंत्रीजी कि आप इसके बारे में भी सोचें और हमारे ट्रेडिशनल सोर्स जितने भी हैं, चाहे वह कुआं है, बावड़ी है जोहड़ा है, उन ट्रेडिशनल सोर्स को रेस्टोर करने के लिए सबसे पहले प्रबन्ध करें। आज हो क्या रहा है ? किसी गांव में आज मोटर जल जाए तो उस गांव का व्यक्ति शहर में जाकर 5–10 बार अपनी बात को किसी अधिकारी को कहे, फिर वह मोटर निकल कर आए और मोटर दुकान पर जाए, दुकान से बाइंडिंग हो और बाइंडिंग होकर वापस जाए। आप तो विश्नोई साहब, प्रैक्टिकल आदमी हैं, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक महीना लग जाता है। गांव में एक ही कुआं है वह भी बन्द हो गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टैंड–बाई मोटर का प्रबन्ध भी आप इन जिलों में करें।

आज बड़ी संख्या में जी.एल.आर. मंजूर हो जाते हैं, जी.एल.आर. बन जाते हैं परन्तु कहीं भी जी.एल.आर नहीं जुड़ते। आज अभियान चलाकर इन जी.एल.आर. को जोड़ें। ट्रेडिशनल सोर्स जितने भी हैं उनको रेस्टोर करें, स्टैंड–बाई मोटर की व्यवस्था करें।

इसके अलावा, अब आंधियां चलेंगी और आंधियों के कारण बिजली की लाइनों और दूसरी लाइनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, पावर फ्लकचुएट करेंगी। आप इसके बारे में क्या व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, कोई समन्वय ऊर्जा मंत्रीजी से करके इस सारी चीज के लिए व्यवस्था करें।

मैं अकाल राहत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह की अकाल की पीड़ा आज लोगों के सामने है, जो इस तरह का संकट है, कम से कम इनका पेमेंट समय पर हो। दूसरा, जो आपने ज्ञापन दिया है वह एक तरह से कमिटमैंट है हमारा। केन्द्रीय सरकार और उसके द्वारा भेजे गये अध्ययन दल के सम्मुख राजस्थान की सरकार का कमिटमैंट है कि हम इतना मैटीरियल कम्पोनेंट पर खर्च करेंगे, इतने लोगों को हम लेबर देंगे। इतने लोगों को हम रोजगार देंगे, हम कैटल के लिए इतने पैसे खर्च करेंगे। उस पर आप एक परसेंट भी खरे नहीं उतर रहे हो और आपके सामने अब समय कितना रह गया है ? आपके सामने संकट के महीने सिर्फ दो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बचे हैं। इसलिए मजबूती से खड़े होकर वित्त मंत्रीजी को कहिये या राजस्थान के अपने आपको सबसे ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति के नाम से परिचित कराने वाले मुख्य मंत्रीजी को कहिये कि राजस्थान के अंदर अकाल पीड़ितों के लिए हमें इतनी राशि की आवश्यकता है, इनका पेमेंट कराइये। पर आज हो क्या रहा है ? आज एक ग्राम पंचायत में एक काम भी नहीं हैं। एक ग्राम पंचायत में 3–3, 4–4 गांव हैं इसलिए प्रबन्ध यह करो कि हर गांव में कम से कम दो रोजगार तो खुल जाएं। आपने ज्ञापन दिया, उसके अंदर एक तालिका है, उस तालिका में मैं जाना नहीं चाहता, उस तालिका में आपने खुद ने माना है कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग प्रभावित हैं। मैं अभी देख रहा था, लगभग 40 लाख परिवार प्रभावित हैं, 281 लाख से ज्यादा पशुधन प्रभावित है, 199 लाख से ज्यादा व्यक्ति प्रभावित हैं और रोजगार दे रहे हो आप 2–3 लाख लोगों को। इसलिए इन सारी चीजों को आप देखें, इसका प्रबन्ध करें, इतना मुझे आपसे निवेदन करना था। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हफीज मोहम्मद। माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रतनाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा नम्बर था। आपने नाम पुकारा था और मैं बाहर चला गया था। मुझे बोलने का अवसर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री हफीज मोहम्मद (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय आप सदन में राजस्थान के अकाल प्रभावित व्यक्तियों के बारे में हम अपने महत्वपूर्ण विचार रख रहे हैं। आज अच्छा होता कि हमारे बीच में मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्रीजी भी यहां बैठते और अकाल के बारे में आम सदस्यों की राय से अवगत होते। किन्हीं कारणों से नहीं आये हैं, लेकिन आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब 20 जिले अकाल से प्रभावित हैं। उनमें भीलवाड़ा जिला अकाल से 100 प्रतिशत प्रभावित है। चुनावों के तुरन्त बाद राज्य सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि राज्य में अकाल प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए कोई भी बंदिश नहीं है ओर जितने भी श्रमिक लगना चाहेंगे उनको काम दिया जाएगा। दिसम्बर महीने में हमारे अकाल राहत मंत्रीजी जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, वे हमारे बीच में पधारे थे और एक मीटिंग लेकर उन्होंने इस सारी बात की घोषणा करके वहां पर मजदूर बढ़ाने की बात की थी। दिसम्बर में 75 हजार मजदूर भीलवाड़ा जिले में काम कर रहे थे। जिले के, जन–प्रतिनिधियों ने सोचा था, आम जनता ने सोचा था कि दिसम्बर में आते ही कांग्रेस ने 75 हजार व्यक्तियों को काम दिया है तो आगे ज्यों–ज्यों अकाल की तकलीफें बढ़ती जाएंगी,

(श्री हफीज मोहम्मद)

श्रमिक संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि दिसम्बर में जितने अकाल से प्रभावित लोग नहीं थे आज उससे ज्यादा प्रभावित हैं। न उनके पास खाने के लिए अनाज है, न उसके पास घास है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। सारे जिले में जनसंख्या आंकड़ों के मुताबिक 95 प्रतिशत तहसीलें अकाल से प्रभावित हैं। राजस्थान में पहले भी 1986–87 और 1987–88 में जब अकाल पड़ा था तो राज्य सरकार ने दिल खोलकर गरीब, पीड़ित, किसान और मजदूरों की मदद के लिए जगह जगह अकाल के काम चलाये थे और उस जमाने में करीब 25 लाख आदमी अकाल में काम कर रहे थे। वे लोग जो अकाल में मजदूरी नहीं कर सकते थे ऐसे लोगों को राज्य सरकार ने भत्ता देकर उनकी एक प्रकार से सहायता की थी। जगह–जगह पशुओं के लिए गौशालाओं का प्रबन्ध करके, घास के डिपो खोलकर पशुओं को बचाने की बात की थी। उस समय माननीय माथुर साहब मुख्य मंत्री थे, राजस्थान में अकाल पीड़ित क्षेत्रों में इतने हैण्डपम्प लगाये गये कि उस प्रभावित जनता को पीने के पानी की पूरी सुविधा मुहैया करवायी गयी। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले आठ सालों में राजस्थान में हैण्डपम्प नहीं खोदे गये और पिछले 8 सालों में पानी का स्तर भी नीचे चला गया। जो पुराने हैण्डपम्प हैं उनमें इसलिए पानी नहीं आ रहा है कि पानी का स्तर नीचे चला गया और कुछ जगह पाइप खराब हो गये। आज जगह–जगह पानी के लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1986–87 में राजस्थान में अकाल था उससे कई गुना भयंकर अकाल की स्थिति आज है। जो कुएं कभी नहीं सूखा करते थे वे इस बार सूख गये हैं और गांवों में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जिले में अधिक से अधिक मजदूरों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिलवाएं और एक बार नहीं, अनेक बार हमारे जिले के सभी जन प्रतिनिधियों, ने एम.एल.एज. ने मिलकर आप को और मुख्य मंत्रीजी को हमारी सारी स्थिति से अवगत कराया है। आप भी हमारे क्षेत्र में आये हैं, मैं यहां से समाज कल्याण मंत्रीजी को भी अपने क्षेत्र में ले गया हूं, पशुपालन और डेयरी मंत्रीजी को भी अपने क्षेत्र में ले गया हूं और इन मंत्री साहिबान ने मेरे क्षेत्र को देखकर यह कहा है वहां की पब्लिक को कि हम राज्य सरकार के सामने जाकर मुख्य मंत्रीजी को कहेंगे और आपकी जो स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है, जल्दी से जल्दी यहां अधिक काम खोलने की हम इजाजत दिलाएंगे। मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज दिसम्बर से अप्रेल का महीना आ गया हम सोचते थे कि अप्रेल में हमारे मजदूरों की संख्या बढ़कर एक–डेढ़ लाख हो जाएगी लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं आपके बीच

(श्री हफीज मोहम्मद)

में बोल रहा हूं कि 40–45 हजार मजदूर वहां सारे जिले में काम कर रहे हैं और लोग परेशान होकर पलायन करने लग गये हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज गुजरात में भी काम नहीं है, मध्य प्रदेश में भी काम नहीं हैं। हमारे गरीब मजदूर और किसान पेट भरने के लिए जाएं तो जाएं भी कहां ? ऐसी स्थिति में हमारी सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी योजना को आपको कट करना पड़े, आपको कहीं से भी साधन लाने पड़े, आज की इस परिस्थिति में जहां लोग भूख से मर रहे हैं, मवेशी मर रहे हैं, पानी से प्यासे हैं, आर्थिक बहाना लेकर हम लोगों को कुछ कह नहीं सकते। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी खुद उस इलाके को जानते है, गांव–गांव को जानते हैं। माननीय जलदाय मंत्रीजी भी भीलवाड़ा जिले में आये, इन्होंने भी गांवों का दौरा किया और सारी स्थिति को भी इन्होंने देखा है। मैं इस मौके पर हमारे जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, कि जहां पानी की बहुत तकलीफ थी वहां पर आप आये और जन प्रतिनिधियों की सारी बातें सुनने के बाद हैण्डपम्प देकर जिले की जनता को राहत देने का आपने निर्णय किया, यह एक बहुत साहसिक निर्णय था। लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, वे हैण्डपम्प बहुत कम हैं मेरे इलाके में। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वह ऐसा इलाका है कि जहां एक तिहाई इलाके में सिर्फ पशुपालक रहते हैं, जहां पर खाने–पीने का कोई और साधन नहीं है। उनके रोजगार के लिए साधन नहीं खोले गये, काम नहीं खोले गये, पानी की व्यवस्था नहीं की गई और घास की व्यवस्था नहीं की गई तो लोग वहां से दु:खी होकर इधर–उधर जाएंगे अभी मेरे साथी बता रहे थे, यह बात सही हैं कि बहुत सारे किसान, पशुपालक अपने पशुओं को छोड़ने लग गये थे क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। जो परिवार का व्यक्ति अपने बाल–बच्चों का पेट नहीं पाल सकता वह अपने पशुओं को किस तरह से पाले ? आज तो सरकार का दायित्व है। राम रूठ गया है तो राज की जिम्मेदारी है कि वह अपने खजाने को खाली करके, उधार लाकर, कहीं से भी व्यवस्था करके उस गरीब की रोजी–रोटी का इंतजाम करे और पशुओं को जिंदा रखने के लिए उनके चारे का इंतजाम करे। यह बात सही है कि राजस्थान में अगर पशुधन को नुकसान हो गया तो किसान की कमर टूट जाएगी, किसान आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप मुख्य मंत्रीजी से कहें। उपाध्यक्ष महोदय, आज की संकट की घड़ी में मंत्री लोगों को बंगलों में बैठकर ए. सी. की हवा लेने की जरूरत नहीं है वे गांव–गांव में अकाल पीड़ित इलाकों में जाएं और लोगों को देखें कि वे कितनी तकलीफ में जी रहे हैं, उनके खाने–पीने का साधन है या नहीं, उनके पीने के पानी का साधन है या नहीं। जिले का प्रोग्राम बनाकर अकाल पीड़ित

(श्री हफीज मोहम्मद)

गांवों में जा–जाकर लोगों से सहानुभूति प्राप्त करें और कहें कि आपके वोट से हमारी सरकार बनी है और यह सरकार का दायित्व है कि हम आपकी रोटी–रोजी का इंतजाम करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा नहीं किया और अकाल राहत मंत्रीजी आपने और आपके मंत्रिमण्डल के लोगों ने राजस्थान में इस वक्त पीड़ित लोगों की मदद नहीं की तो आपको क्या कहकर याद किया जाएगा ? आपका क्या कहकर शुक्रिया अदा करेंगे कि दुःख के समय में सरकार ने हमारी मदद की है ? आज हम जाते हैं तो वे कहते हैं कि कांग्रेस का जमाना हमने देखा है, जहां पर इतने मजदूर लगते थे कि गांवों में मस्टररोल खाली रहते थे और लोगों को बराबर रोजी मिला करती थी। देश के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी राजस्थान के अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए तीन दिन तक राजस्थान में घूमे थे। घूमे ही नहीं, गरीब की झोंपड़ी में झांककर देखा था कि इसके पास खाने का अनाज है या नहीं जिस घर में वे गये, वहां अनाज कहीं नहीं था तो उन्होंने आदेश दिये थे कि इसको अनाज की व्यवस्था की जाए। हर पंचायत में, उस समय में, मैं जिला प्रमुख था, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उस वक्त भी यह इंतजाम था कि ऐसे परिवार जो अपने किन्हीं कारणों से मजदूरी नहीं करना चाहते थे, अपनी इज्जत से या परिवार के कारण से हम उनकी मदद किया करते थे अनाज भेजकर। हर पंचायत में हमने 5–5, 10–10 बोरियां अनाज की इसीलिए रखी थीं कि कोई भूख से मर नहीं जाए। हर जगह घास के डिपो खोलकर मवेशियों को जिंदा रखने की बात की थी। आज वही सरकार है, उसी पार्टी की सरकार है। आपने और हमने घोषणा पत्र में कहा है कि हम आपके दुःख–सुख में पूरी मदद करेंगे, यह कल्याणकारी सरकार राजस्थान की जनता को परेशान नहीं होने देगी। लेकिन आज हमारे मन में तकलीफ है। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमारे पैर पकड़कर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, हमारी गाड़ी के सामने सो जाते हैं, हमारे कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, अगर आप चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान चाहते हैं, आप क्षेत्र में उनकी इज्जत चाहते हैं, उनके क्षेत्र में आप उनका आदर चाहते हैं तो आपको कहीं से भी व्यवस्था करके अकाल पीड़ित इलाके के लोगों के लिए खाने–पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, पीने के पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, पशुओं के लिए घास का इंतजाम करना पड़ेगा। दो महीने शेष रहे हैं, अगर आज आप इंतजाम नहीं करेंगे तो कल क्या इंतजाम उनके काम आएगा ? आज अगर हम जाकर कहें कि राजस्थान सरकार घाटे में है, पिछली सरकार दिवाला छोड़ गई है तो वे इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। दिवाला छोड़ गई होगी सरकार, सरकार में रोज रुपया आता है, राज के खजाने में रोज रुपया आता है। आप मत करिये दूसरे काम लेकिन जो गरीब किसान मर रहा है उसको जिंदा रखने की बात

(श्री हफ़ीज मोहम्मद)

करिये। स्कूल कम खोलेंगे हम मान लेंगे, अस्पताल कम खोलेंगे हम मान लेंगे। हमारा किसान मर जाएगा, हमारा पशु मर जाएगा तो आपके स्कूलों में कौन पढ़ने आएगा, आपके अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कौन आएगा ? उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी पीड़ा है, हमारे मन की पीड़ा बोल रही है। अनुशासन हमको बाध्य कर रहा है मत बोलने के लिए, लेकिन आज क्षेत्र के लोगों का रोना देखा नहीं जाता। हमारे पशुओं की हालत देखकर हमें रोना आता है कि किसान ने कितनी मुसीबतों से इन पशुओं को तैयार किया था, आज वह मरने में डगडग हो रहा है। आज उसके बच्चे रोटी–रोजी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे जमाने में भारत सरकार मदद दे या नहीं दे, आपको अपने पैरों पर, दूसरी योजनाओं का रुपया काटकर भी राजस्थान के उन इलाकों में मदद करनी है जहां पर लोग आज पीड़ित और दु:खी हैं। मैं श्रमिक संख्या बढ़ाने की बात कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं 20 लाख हमारे जिले की जनसंख्या है, अगर 20 लाख का आप 10 प्रतिशत यदि बढ़ाते हैं तो दो लाख श्रमिक संख्या आने वाली एक तारीख तक बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे मजदूर जिला हैडक्वार्टर पर आकर अपनी रोजी–रोटी की मांग करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया ? लेकिन उस समय में हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ में उनको रोकना नहीं होगा, हम उनको रोक नहीं पाएंगे इसलिए मैं पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता के नाते आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह समय नहीं आने दें और एक तारीख तक यह घोषणा करें कि राजस्थान सरकार इतने मजूदर लगाकर गरीब, पीड़ित और दु:खी के लिए काम करेगी। आज मेरे जिले में चार हजार लोग एस. सी. एस. टी. के हैं, उन गरीबों के पास न जमीन हैं, न और कोई साधन है।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, आपके यहां का मामला है। इसमें तो घंटी मत बजाओ।

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी बजाएं लेकिन आप खुद अपने जिले के हैं, आपको खुद को मालूम है कि आज पानी के लिए क्या समस्या है। अकाल राहत मंत्रीजी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी नहीं सुनेंगे, आज हमारी बात नहीं मानेंगे, उस गरीब की पीड़ा दूर करने की अगर आज कोशिश नहीं करेंगे तो हम लोग किस मुंह से क्षेत्र में जाएंगे और किस हैसियत से आपसे हम बात कर पाएंगे, आपको और हमको यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आज वक्त आ गया है। घास के डिपो नहीं खुले हैं, जगह–जगह पर मवेशी छोड़ता जा रहा है। किसान, मवेशी भूख से मारे–मारे इधर–उधर पेट भरते फिर रहे हैं और किसी तरह जिंदा रह रहे हैं। कई मवेशी इसलिए मर गये कि खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो

(श्री हफीज मोहम्मद)

प्लास्टिक की थैलियां खा गये, और कुछ खा गई। हमारे पशुधन का रात और दिन नुकसान हो रहा है इसलिए हमारी यह पीड़ा है। चन्दन मलजी हमारे वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप सही मायने में जैन हैं तो पशुधन को बचाने के लिए आपको रुपये देने की बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो आप फिर इनके लिए क्या करने की बात सोचते हैं ? माननीय अकाल राहत मंत्रीजी, मैं आपसे यह विश्वास चाहूंगा कि आप जब अपने भाषण में रिप्लाई दें तो राजस्थान के अकाल प्रभावित जिलों में मजदूर बढ़ाएं। भीलवाड़ा जिले में अधिक से अधिक श्रमिक देने की बात करके उन गरीब लोगों को बचाने की बात आप कहेंगे तब जाकर हमें संतोष होगा कि हमारी अपनी सरकार ने, हमारे अपने मंत्रीजी ने हमारी पीड़ा को समझा है और उसको दूर करने के लिए आज उन्होंने घोषणा की है।

माननीय जलदाय मंत्री जी हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आये हमारे जिले में। आपने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन आज वह नाकाफी है। आज हैण्डपम्प सूख गये हैं और गांव–गांव में पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। हमारी जो स्कीम बनकर आई हैं, अपने विभाग को कहिये कि जल्दी से जल्दी उन स्कीम्स को निकालें और अधिक से अधिक हैण्डपम्प और ट्यूबवैल लगाने के आप आदेश दें। आज भी आज हमको अगर कोई नई स्कीम देंगे तो महीने–दो महीने में तो वह हमको पानी नहीं पिला सकती। आज एकमात्र साधन है उस प्यासे आदमी को पानी पिलाने का, वह साधन है हैण्डपम्प और ट्यूबवैल, इसलिए मेहरबानी करके अपना बजट बढ़ाकर अकाल प्रभावित क्षेत्र में अधिक से अधिक हैण्डपम्प और ट्यूबवैल देकर आप प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम करिये ताकि आदमी और मवेशी वहां पर पानी पी सके और घास के डिपो का इंतजाम करिये।

जहां तक बिजली मंत्री का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मांडल क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, उस इलाके में हमारे रावत भाई रहते हैं, जो मिलिट्री में अपनी जान की बाजी लगाते हैं, सूना इलाका है, आज वहां पर बिजली नहीं है, माननीय मंत्री महोदय।

श्री देवीलाल : आका ई जिला मैं एक जणो बोल रह्यो है, बोलवा द्यो और बोलनो है तो।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : और बोलेंगे, और बोलेंगे। आप चिंता मत करो। और बोलेंगे अभी।

श्री हफीज मोहम्मद : मेरे माननीय सदस्य भी इस बात की ताईद कर रहे हैं। यह मेरी बात नहीं है, सारे सदन की बात है। बिजली मंत्री महोदय, आज कहीं अगर पानी है भी और बिजली बंद हो जाती है तो वे लोग भी प्यासे रहते हैं। इसलिए आप माकूल इंतजाम

(श्री हफीज मोहम्मद)

करिये कि आपकी बिजली समय पर बराबर चले। जिन गांवों में बिजली नहीं है, जहां के लोग मिलिट्री में है, अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा में सीमाओं पर काम करते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान की स्वर्ण जयन्ती के साल में उन इलाकों में जहां पर आज भी सड़क नहीं है, आज भी पीने के पानी के साधन नहीं है, आज भी बिजली नहीं है, ऐसे इलाकों में बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था करिये ताकि उन लोगों को लगे कि हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए जान दे रहे हैं और हमारी सरकार हमारे गांव में विकास की तरफ देख रही है। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे मन की जो तकलीफ थी, मेरी ही नहीं हमारे जिले की और मेरे क्षेत्र के लोगों की जो भूख, प्यास और आवश्यकता की तकलीफ थी, वह मैंने अपने विचारों से व्यक्त की है। मैं समझता हूं आप आने वाली एक तारीख से पूरे राजस्थान में विशेषकर भीलवाड़ा जिले में मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए आदेश करेंगे और सम्पूर्ण तौर से पीने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। आज भीलवाड़ा जिला जो राजस्थान का औद्योगिक जिला है, जिसने हिन्दुस्तान में कपड़े के नाम पर अपने नाम को आगे बढ़ाया है, वहां आज तीन–तीन, चार–चार दिन तक पानी नहीं आता है। आज शाहपुरा में, गुलाबपुरा में, मांडल में पानी नहीं आता है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप हमारे साथ बैठ कर एक अलग मीटिंग लीजिये अपने डिपार्टमैंट के लोगों को बुलाकर, हमारी जो अपने–अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको सुनिये और अपने विभाग के अधिकारियों को हिदायत दीजिये कि शाहपुरा में अमुक टाइम तक हो जाना चाहिए। टाइम लिमिट दीजिए कि दस दिन में यह काम होना चाहिए, पन्द्रह दिन में यह काम होना चाहिए। तब तो हम सोचेंगे कि हमारे क्षेत्र में आपके विभाग ने कुछ काम किया है। हो सकता है मैंने कुछ कड़वी बात कही हो, लेकिन वह बात मेरे मन की थी, क्षेत्र की थी, मैंने आपके सामने कही।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज गांवों में जहां–जहां जी. एल. आर. पहले के बने हुए हैं, माननीय मंत्री महोदय, वे ऐसे जी. एल. आर. बने हैं जो मिट्टी में हैं, अगर उनमें पानी जाता है तो बह जाता है बजाय लोगों के पीने के सड़क पर कीचड़ हो जाता है। कमीशन के आधार पर ऐसे खराब पाइप पी.एच.ई.डी. ने पहले लगाये कि पानी का प्रैशर जाता है और पाइप फट जाता है। आपको इन्क्वायरी करनी चाहिए पहले के भ्रष्टाचार के बारे में जे.आर.वाई. में और जितनी भी ग्रामीण योजनाओं में पानी के पाइप बिछे हैं वे सारे कमीशन के तौर पर लिये गये थे और सारी स्कीम आज फेल पड़ी है। जितनी हैण्डपम्पों के लिए मशीनें आयी थीं, डिपार्टमैंट के इंजीनियर्स ने कह दिया है कि ये मशीनें खराब हैं, इनमें से पानी नहीं आ सकता। इसलिए करोड़ों रुपया राज्य का जो पी.एच.

(श्री हफीज मोहम्मद)

ई.डी. के भ्रष्टाचार में लगा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप मेहरबानी करके इन्क्वायरी करिये और राजस्थान की जनता के सामने इन भ्रष्टाचारियों को नंगा करिये ताकि लोगों को असलियत मालूम पड़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : जगमाल सिंह बोला है या शिवनाथ सिंह ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। शिवनाथ सिंहजी।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सैकण्ड नम्बर में आपने नाम पुकारा था।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, आपका नाम ही नहीं है इसमें। विराजें आप।

श्री रतनाराम चौधरी : है, साहब, बिलकुल है। पुकारा था, साहब। सैकण्ड नम्बर मेरा था, आपने नाम भी पुकारा था। आसन की ओर से मुझे कहा गया था बोलने के लिए परन्तु मैं यहां हाजिर नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : इनके बाद में तो फिर बुला लेना।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : धन्यवाद।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी आज तीन महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने चर्चा के लिए हैं। अकाल के संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है, मैं उस संबंध में कोई विशेष समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बात पीने के पानी की समस्या से शुरू करता हूं। उपाध्यक्षजी पीने के पानी की समस्या राजस्थान का एक परमानेंट फीचर है। आज अकाल के साथ यह समस्या और भी भयंकर हो गई है। वैसे माननीय मंत्री महोदय ने अपना काम संभाला, पीने के पानी की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, जिलों में वे गये, अपने अधिकारियों को इन्होंने जिलों में भेजा, खुद भी गये और डिवीजनल लेवल की मीटिंग्स भी यहां हुई। उपाध्यक्ष जी इसके लिए तो मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार भी व्यक्त करता हूं, बधाई भी देता हूं लेकिन इस सब से समस्या का निराकरण नहीं हो पाया। आज मन्डे मीटिंग चलती है, हर जिले में सोमवार को पानी के संबंधित सब अधिकारी कलेक्टर के यहां इकट्ठे होते हैं और वहां पानी की समस्या के बारे में विचार–विमर्श होता है। डेढ़–दो महीने हो गये, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, इसका एक असैसमैंट ले, कि जो मन्डे मीटिंग आपने तय कर रखी है उनमें कितना निराकरण उन समस्याओं का हुआ। मन्डे को वहां सब अफिसर्स बैठते हैं, लेकिन बैठने के बावजूद पहले मन्डे को जो समस्याएं थीं, वही की वही समस्याएं आज भी हैं। कोई कारगर उपाय इसमें हो तब तो हम मानें वरना ये मीटिंग तो

(श्री शिवनाथ सिंह)

बराबर होती रहती हैं। हमारे जिले में भी माननीय मंत्रीजी गये थे, सैक्रेटरी गये थे, चीफ इंजीनियर गये थे, उनके सामने मैंने एक ही बात रखी थी कि रुपया खर्च करके भी हम पीने के पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं कर पाते। मेरा उनसे निवेदन है, आज भी निवेदन है कि जो स्कीमें मौजूद हैं, राज के कागजों में चालू हैं, उनको सुव्यवस्थित करें। आज कहीं स्कीम टी.एस. एस. की हैं, कहीं उच्च जलाशय की है, खर्चा हो रहा है, बिजली के बिल भरे जा रहे हैं। वहां कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं लेकिन सुचारू रूप से उनके काम नहीं हो रहे हैं और अव्यवस्था के कारण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी योजनाएं आपकी चालू हैं, उन योजनाओं को सुव्यवस्थित करें।

माननीय उपाध्यक्षजी मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो आपके हैण्डपम्प सुधारने की व्यवस्था है, राजस्थान में एक तरह से सब का काम नहीं हो सकता। चाहे आपका डिपार्टमैंट कुछ भी कहे लेकिन हैण्ड पम्पों की बड़ी अव्यवस्था है और बहुत–से हैण्डपम्प, आधे से अधिक खराब पड़े हैं। उनके रिप्लेसमैंट की आप व्यवस्था कीजिये। अपने एक नियम बना रखा है कि गांवों में इतने परसेंट हैण्डपम्प खराब हो गये तो हम रिप्लेसमैंट करेंगे, इस बात को छोड़िये और जो भी हैण्डपम्प खराब हो जाए उनको रिप्लेसमैंट आप कीजिये।

माननीय उपाध्यक्षजी सबसे महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो मेरे जिले से संबंधित है। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही थी, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं का उत्तरी भाग खारे पानी की समस्या से ग्रस्त है और यह समस्या बहुत लम्बे समय से है। किसी समय यह फर्स्ट फेज में था जर्मन स्कीम में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : यह फर्स्ट फेज में लिया गया था। किन्हीं कारणों से...

श्री उपाध्यक्ष : जगत सिंहजी को कहा है मैंने, व्यवस्था रखें। आप विराजे।

श्री शिवनाथ सिंह : उन कारणों का मैं यहां विश्लेषण नहीं करना चाहता, सैकण्ड फेज में कर दिया गया। मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं श्री देवेगौड़ा साहब को, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वे हमारे जिले में आये और उन्होंने हमारी मांग को, हमारी पीड़ा को समझा और यह घोषणा की कि मण्डावा का क्षेत्र जिसमें 90 के आसपास गांव हैं और बिसाऊ कस्बा, इसके लिए अलग से स्कीम बनाई जाएगी। 134 करोड़ की स्कीम उसमें बनाई गई। उसके बाद आई. के. गुजराल साहब

(श्री शिवनाथ सिंह)

आये, उन्होंने बिसाऊ में बहुत स्पष्ट घोषणा की और यह कहा कि इसके लिए हम धन आंबटित करते हैं। दो करोड़ रुपये उस वक्त के हमारे वित्त मंत्री थे राजस्थान के उप मुख्य मंत्री, उनको उन्होंने धन दिया। यह आशा हमको बंधी थी कि जो हमारी समस्या है उसका निराकरण होगा। लेकिन, उपाध्यक्षजी पीड़ा है हमें कि वह समस्या वैसी की वैसी खड़ी है। जिस योजना की दो प्रधानमंत्रियों ने घोषणा की उसका आज कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना को आप देखें, सक्रियता से इसमें भाग लें। केन्द्र सरकार इसका रुपया दे रही है इसलिए आपके विभाग के अधिकारियों से जानकारी करके इस योजना को जल्दी पूरा कीजिये ताकि झुंझुनूं और चूरू का बहुत बड़ा हिस्सा जो पीने के खारे पानी से ग्रसित है उसको राहत मिले। माननीय उपाध्यक्ष जी मैं पी. एच. ई.डी. मंत्री महोदय से...

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद सीकर गया था, उस समय किसी माननीय सदस्य ने कोई बात खड़ी नहीं की। आप प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, रामनारायण जी ने भी की। प्रधानमंत्री पार्लियामैंट में तो पास करा सकते हैं लेकिन असैम्बली का मामला जब होता है उसमें आपको यहां कोई मामला रखना चाहिये। कोई आप प्रस्ताव रखते, कोई आप मांग करते, तब जो बात समझ में आती है। आप प्रधानमंत्री भी लाये, केन्द्र के मंत्री भी लाये, सारी बातें कीं उससे क्या मतलब है राजस्थान की विधान सभा को ?

श्री जगमाल सिंह यादव : झुंझुनूं में जो भी आया सबका बंटाधार 6 महीने में हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आप बोलोगे अभी।

श्री जगमाल सिंह यादव : झुंझुनूं जो भी प्रधान मंत्री आया, चाहे वे अटल बिहारी वाजपेयी जी आये हो, चाहे गुजराल साहब आये, चाहे देवेगौड़ा साहब, जो आया झुंझुनूं ने सबका बंटाधार कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंह जी आप बोलोगे अभी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने बात कही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं बैकग्राउंड दे रहा था। देवेगौड़ा जी के प्रयत्न से, आई. के. गुजराल साहब के प्रयत्न से हमारी स्कीम जो राजस्थान में गुमा दी गई थी, खतम कर दी गई थी, वह दोबारा रिन्यू हुई और रिन्यू होने के बाद में केन्द्र सरकार ने रुपया दिया। मैं इस बात को समझता हूं और मैं इस बात को मानता भी हूं कि यह मामला सदन में उठाना चाहिये, मांग होनी चाहिये। मैं यह जो कह रहा हूं वह, माननीय मंत्री महोदय, मांग ही कर रहा हूं, उठा रहा हूं मामले को और इसमें आप ध्यान दीजिए। देवेगौड़ा जी और गुजराल साहब के नाम से पीड़ा हुई, मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पीड़ा नहीं हुई है। जब मैं सीकर आया था किसी भी माननीय सदस्य ने इस योजना के बारे में जिक्र नहीं किया। मैं करीब चार महीने से मंत्री हूं, आपने कोई मांग नहीं की और आप अकस्मात् ही इस तरह की बात पैदा कर रहे हैं, वह बात अच्छी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप बोलोगे जब बोल देना। आप बोलोगे अभी।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सीकर आये जब आपने सीकर में किसको इत्तला दी ? हमें तो पता ही नहीं कि आप सीकर पधारे हैं। हमने तो दूसरे दिन अखबारों में पढ़ा कि माननीय मंत्री महोदय सीकर गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : प्रधानमंत्री के स्तर के आदमी को मैं कैसे इत्तला कर सकता हूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप हमें इत्तला देते हम वहां पहुंच जाते। बगैर इत्तला दिये आप वहां पहुंच गये। कल आप झुंझुनूं पहुंच जाएंगे। बिना इत्तला दिये, दोष हमारा होगा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि यह आपणी योजना का हिस्सा है, स्वीकृत है। 9 अरब की योजना जर्मन सरकार के सौजन्य से बनाई गई थी। उसके बाद बिसाऊ और झुंझुनूं की योजना को फर्स्ट फेज में लाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने पत्र भी लिख दिया और उसके लिये जो पैसा था सैकण्ड स्टेज का वह फर्स्ट स्टेज में ले आये। स्वीकृत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र जी विराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी मैं न तो आलोचना कर रहा हूं, न उलाहना दे रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा था कि इस मामले को हम सदन में उठा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, इसमें पैसे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उनको बोलने दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय ने कहा, मैं तो उधर बैठा था हमसे क्या चाहा ? हम आपसे किस तरह से मांग करें ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खड़े होकर मांग करो आप ढंग से।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने यहीं से मांग की थी और वे भी मांग ही कर रहे हैं। यह तो वे रेफरेंस दे रहे हैं। हम किस तरह से मांग करें ? हम आपसे घुटनों के बल होकर मांग कर रहे है।

श्री रामसिंह विश्नोई : मामला यह नही था। मामला यह था कि आपने भी बात पैदा की और माननीय शिवनाथ सिंहजी भी कह रहे हैं। मेरा मतलब यह था, बिना लिखकर दिये हुए मान लो, कल कोई स्कीम मंजूर हो जाती है तो आप उसका विरोध करेंगे कि यह कैसे मंजूर हो गई, इस पर क्यों पैसा खर्च कर रहे हो।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदय, हो सकता है मैं अपनें आपको आपके

(श्री शिवनाथ सिंह)

सामने क्लियर नहीं कर पाया होऊ। मैं साफ कहना चाहता हूं कि न तो आपका पैसे भर दोष है, न फर्स्ट फेज से सैकण्ड में ले जाने में आपका कहीं हाथ है। जिनके हाथ में था उन्होंने कर दिया। इसके लिये मैं आपको दोष नहीं देता हूं। किसी ने किया उस वक्त कर दिया। उस वक्त न मेरा बस था और न आपका बस था। जिनके हाथ में था उन्होंने कर दिया। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मांग करता हूं। कटमोशन के माध्यम से हमने यह बात कही है। बजट में बात हुई उस वक्त बात हुई है। इन्दिरा गांधी नहर पर चर्चा हो रही थी उस वक्त बात हुई है और आज भी हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। आपका पैसे भर दोष नहीं है, अब आप सहृदयपूर्वक जो हमारी पीड़ा है और जिसके लिये धन आया हुआ है, उस पर विचार करके आगे काम बढ़ाए। आपका बहुत–बहुत आभार मानता हूं क्योंकि आपने जैसे ही इस विभाग को संभाला है, पूरे राजस्थान में आपने दौरे किये हैं, इस व्यवस्था को सुधारने के लिये आपने प्रयत्न किया। वह मैंने शुरू में ही कह दिया। इसमें पैसे भर आपकी आलोचना नहीं है, पैसे भर आपका उलाहना नहीं है। उलाहना जिनको है उनको है। माननीय उपाध्यक्षजी इस बात को यहीं समाप्त करते हुए और करबद्ध प्रार्थना करते हुए इस मामले को मैं उठा रहा हूं, और भी उठा रहे हैं कि इस पर आप कार्यवाही कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष जी इस विषय को यही समाप्त करते हुए बिजली की बात कहना चाहता हूं। एक बात बार–बार यह कही जा रही है कि किसान को बिजली देने से विद्युत मण्डल को इतना घाटा हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसान स्वाभिमानी है, किसान भीख का पैसा नहीं लेना चाहता। हम नहीं चाहते कि बार–बार किसान का नाम लेकर विद्युत मंडल अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को छुपाए और भ्रष्टाचार का नाम लेकर किसान पर दोषारोपण करे। उपाध्यक्ष जी विद्युत मंडल में घाटा इसलिए है कि आपके ट्रांसमिशन लोसेज हैं, आपकी परचेज में घोटाले हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ इतना भयंकर है कि सब रुपया उसकी तनख्वाह में खर्च हो जाता है। दूसरे इस प्रकार के, चोरी के जितने लांछन नाम लिखे होते हैं सब लांछन बिजली बोर्ड पर लग सकते हैं, बिजली बोर्ड का बहुत बड़ा जाल है। माननीय मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जाल में जो भी आ गया बचता नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है। इस सदन में पिछले पांच साल में दोनों मंत्री श्री रघुवीर सिंह जी कौशल और श्री घनश्यामजी तिवाड़ी, बहुत जोर–जोर से बात कहते थे। मैंने निवेदन किया था कि इस विद्युत मंडल के चक्कर में मत आओ, जो इसके चक्कर में आया वह साफ हो गया। मैं निवेदन यह कहना चाहता हूं आज विद्युत मंडल में तीन विरोधाभास हैं। विद्युत मंडल

(श्री शिवनाथ सिंह)

इस सदन की क्रियेशन है किन्तु यहां के लिये उत्तरदायी नहीं है। मंत्रीजी हैं वे विद्युत मंडल को कुछ कह नहीं सकते। विद्युत मंडल की खामियों के लिये जवाबदेह मंत्रीजी हैं लेकिन वे कुछ कर नही सकते और विद्युत मंडल अपने आप में असहाय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सुधारिए और इस विद्युत मंडल से कम से कम किसान का तो पिंड छुड़वाइए। जो कुछ हो रहा है वह हो रहा है, किसान के नाम पर सब कुछ लूट हो रही है। किसान के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हाई विल पावर है, माननीय मंत्री जी बताएं वह हाई विल पावर किस कीमत पर आपको मिलती है ? 10–12–20 पैसे यूनिट तो नहीं लगते हैं, आप किसान से 50 पैसे लेते हैं और यह कहते हैं कि किसान को बिजली देने से हमको घाटा हो रहा है। आप किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा दिलवा दीजिए, यह राज का कर्तव्य है, राज का दायित्व है। उसके बाद किसान आपसे कोई सब्सिडी नहीं मांगेगा। लेकिन वह तो नहीं कर सकते। उपाध्यक्षजी बजट पेश होने के वक्त एक बात कही गई, मुझे पीड़ा है उसकी कि राजस्थान में व्हीकल्स के व्यापारियों की बिक्री नहीं हो रही है। इसलिए टैक्स 6 परसेंट से 4 परसेंट किया गया क्योंकि उनकी गाड़ियां, उनकी मोटरें, उनके व्हीकल्स हमको बिकाने हैं। किसानों के लिये आपने क्या किया ? किसान को आज उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उसके लिये हमने क्या किया ? वह कभी सोचा नहीं हमने। इसलिए, उपाध्यक्षजी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के नाम को बदनाम नहीं किया जाए, विद्युत मंडल अपनी कमजोरियों को सुधारे।

आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बात कही, रैगुलेटरी अथोरिटी आएगी, नियामक बनेंगे। ये इस प्रकार के मामले हैं जिनको हमें गंभीरता से लेना चाहिये। पिछली सरकार ने भी एक बार सोचा था, लेकिन वह सरकार जिस पार्टी की थी उस पार्टी के एम. एल. एज. में भयंकर विद्रोह हुआ, उसके करण से तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को वह विचार छोड़ना पड़ा। वे चाहते थे कि हम इसको छोड़ने से बच जाएंगे। नहीं बच पाये, वह उनकी तकदीर की बात है। लेकिन उस वक्त की सरकार को इस विचार को छोड़ना पड़ा। मैं आज भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कुछ भी कीजिए लेकिन इस मामले मे पूरी बहस हो, पूरी जानकारी हो और पूरी जानकारी के बाद व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहें, कीजिए लेकिन इस प्रकार से गलत तरीके से हमें उसको नहीं करना चाहिये। इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा एक–दो मिनट में। विद्युत मंडल का घाटा किसलिए है ? आज अरबों रुपया बिजली बोर्ड का लोगों में बकाया है। किसान का 500 रुपये का बिल जमा नहीं होता है, कनेक्शन

(श्री शिवनाथ सिंह)

कट जाता है। बड़े–बड़े उद्योगपति, इण्डस्ट्रीज उनमें आज अरबों रुपया विद्युत मंडल का बकाया पड़ा हुआ है, यदि उसकी वसूली समय पर होती, आज भी यदि उसकी वसूली कर सकते हो तो उसका विद्युत मंडल घाटे में नहीं रहेगा, फायदे में आ जाएगा। लेकिन उधर से वसूली नहीं होती है। लगातार उनको बिजली दी जाती रही है और किसान का एक पैसा बकाया होने पर आप उसका कनेक्शन काट देते हैं। दूसरा, आप जो सब्सिडी देते हैं, एक करोड़ रुपये रोज की आप कहते हैं कि किसान को बिजली देने का घाटा है। उस एक करोड़ में किस–किस को बिजली देते हो आप ? किसान को देते हो, डोमेस्टिक कनेक्शन उसमें हैं, पी.एच.ई.डी. का कनेक्शन उसमें है, शहरों की लाइट उसमें आती है। इसलिए यह एक किसान को बदनाम करना है कि किसान के नाम पर हम एक करोड़ का घाटा उठा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में बहुत पीड़ा होती है इसलिए इस बात को सुधारें। किसान को दान मत दीजिये लेकिन उसकी आप बदनामी भी मत कीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आज तीन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले मैं पेयजल की समस्या को लेकर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में 222 नगरों और 37540 ग्रामों में वर्तमान में पेयजल की व्यवस्था के नाम पर विभाग यह मानता है कि आंशिक रूप से इन सबमें पेयजल व्यवस्था मौजूद है। इसके अतिरिक्त लगभग 44 हजार ढाणियों में भी वह हैण्डपम्प के आधार पर पेयजल की व्यवस्था मानता है। मेरा यह मानना है कि कागजों में यह व्यवस्था हो सकती है किन्तु मौके पर जो हालात है वे बहुत गम्भीर हैं। हालात इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि लगाये गये हैण्डपम्पों की जितनी संख्या आप बताते हैं उसके अनुसार हैण्ड पम्प आज के दिन गांवों मे काम नहीं कर रहे हैं जितने अबण्डैण्ड हैण्डपम्प है उनके स्थान पर उतरने ही हैण्डपम्प लग नहीं पा रहे है, जो हैण्डपम्प लगे हैं उनका पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है इसलिए हालात पानी के काफी परेशानी के हो रहे है। जलप्रदाय योजनाओं की हालत भी बड़ी गम्भीर है। कई जगह स्रोत मोजूद हैं किन्तु पानी होते हुए व्यवस्था के नाम पर पानी की समस्या गम्भीर बनती जा रही है। पाइप बहुत वर्षो पहले लगे उन पाइपों में जगह–जगह छिद्र हो गये, उनका गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। बहुत सारी गंदे पानी की स्थिति भी लोगों को आज परेशान किए हुए हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में लगभग 1600 गांव हैं। उन 1600 गांवों में से लगभग 600 गांव तो ऐसे हैं जो फ्लोराइड इफैक्टेड है, जिनमें खारा पानी है।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

उनके लिए योजनाओं के नाम पर कई बार सर्वेक्षण भी हुआ पर आज भी उन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है फ्लोराइड़ का पानी पीने के लिए। पिछली सरकार कहा करती थी कि भारत सरकार को हमने बहुत बड़ा राजस्थान का फ्लोराइड का प्रोजैक्ट बनाकर भेजा है, यह प्रोजक्ट कहां गया ? क्या हुआ ? यह हमें मालूम नहीं पर गांवों की हालत बहुत गम्भीर हो रही हैं। लोगों को फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है जिससे लोग कूबड़े हो जाते हैं, 40–45 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे 70 साल के हों। यह हालत कई गांवों में मौजूद है इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान की पानी की समस्या को बहुत गम्भीरता से लिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार यह निवेदन किया है कि राजस्थान में कुछ ऐसे स्रोत हैं जिससे राजस्थान की बड़ी आबादी को लाभ मिल सकता है। इंदिरा गांधी नहर एक बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों को लाभ मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान में जैसे चम्बल नदी है, बनास नदी है और कई छोटी–मोटी उनकी सहायक नदियां हैं उनके माध्यम से राजस्थान में भविष्य की दृष्टि से दूरगामी योजनाएं अभी से तैयार करनी चाहिएं। राजस्थान का क्षेत्रफल जहां देश का 10 प्रतिशत हिस्सा है, वहां पर मात्र एक प्रतिशत पानी राजस्थान में उपलब्ध होता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के लोग कैसे जीएंगे, यह एक चुनौती भरा हमारे सामने प्रश्न खड़ा है माननीय मंत्री महोदय, मैं तो दाद देना चाहता हूं कि मंत्री बनते ही आपने राजस्थान के कई जिलों का दौरा किया। दौरा करने के बाद कई जगह व्यवस्था में सुधार हुआ, वहां स्रोत मौजूद थे वहीं अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे पर आपके दृष्टिकोण को देखकर, आपके उद्‌बोधन को देखकर कई जगह व्यवस्था में सुधार हुआ है। जाने के बाद, आपने समस्या को गम्भीरता से देखने के बाद आपने हाथों हाथ निर्देश दिये उसके भी कुछ परिणाम आने लगे हैं। पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप इस मामले में समीक्षा करें कि आपने जहां–जहां घोषणाएं की हैं, निर्देश दिये हैं उनका पूरा पालन होता है या नहीं होता है, क्योंकि इस विभाग में जितनी सक्रियता, जितनी गतिशीलता की आज आवश्यकता है इस गम्भीर समय में, वह नहीं है। उसको देखने की बहुत बड़ी आज भी आवश्यकता है, मैं मांग करना चाहता हूं।

इस मौके पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सहायता से 11वें वित्त आयोग की हुड़को की, हाउसिंग की और जीवन बीमा निगम की, इस प्रकार की योजनाओं के लिए नगरीय योजनाओं का पुनर्गठन बहुत आवश्यक है। ये योजनाएं बहुत वर्षों पहले बनीं कोई 40 साल पहले बनी, कोई 38 साल पहले बनी, उन पाइप लाइनों की हालत बहुत खराब है, कहीं टंकियों

(श्री रतन लाल ताम्बी)

की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ राजस्थान की पूरी योजनाओं का एक मास्टर प्लान तैयार करें जिसके आधार पर समस्या का समाधान हो सके।

मंत्री महोदय, मैं एक ध्यान आपका यह आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे सांसद, विधायक आपके विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा देने को तैयार होते हैं और देते हैं उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप भीलवाड़ा पधारे थे तब भी हमने यह सवाल आपके सामने रखा था कि सांसद, विधायक फण्ड देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी ये गम्भीर बात कह रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : विभाग के लोग उन फण्ड्स का उपयोग नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि हर योजना को पी.पी.सी. में भेजा जाएगा जयपुर। वहां से योजना में थोड़ा–सा भी परिवर्तन स्थानीय स्तर पर नहीं नहीं हो सकता। कहीं एक मजरा बीच में आ गया या पाइप लाइन डालनी है या टंकी बनानी है, थोड़ा–सा 2–4 लाख का काम विधायक करना चाहता है, सांसद करना चाहते हैं लेकिन आपके विभाग के लोग तैयार नहीं हैं इसलिए मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं, आप इस बात की घोषणा करें कि वर्तमान योजनाओं में स्थानीय स्तर पर विधायक या सांसद या स्थानीय जनता कोई भी पैसा उपलब्ध कराते हैं तो छोटा–मोटा काम वहीं का वहीं मंजूर कर दें बजाय आपके विभाग के। मंत्री महोदय, आप थोड़ा नाराज होंगे लेकिन कोई भी योजना आपके यहां आती है तो साल दो–साल में निकलती ही नहीं है, 10 बार उसमें लौटाफेरी होती है। इसलिए बहुत परेशानी होती है और योजनाओं की लागत बढ़ जाती है। मैं चाहूंगा कि जो योजनाएं बनती हैं उनका समय निश्चित किया जाना चाहिए। इस आधार पर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो करोड़ों रुपये जो लागत बढ़ती है और उससे राजस्थान की सरकार पर जो बड़ा भार आता है वह मिट जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले में आज निश्चित रूप से घोषणा करें कि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद या स्थानीय जनता या कोई भी दानदाता किसी योजना के विस्तार के लिए, उसमें परिवर्तन/परिवर्द्धन के लिए कोई पैसा देते हैं तो उस योजना को उसी का हिस्सा मानते हुए उसके अधिकारी नीचे जिला स्तर पर या आपके एस.ई. स्तर पर दे दें। समस्या का निश्चित रूप से वहीं समाधन हो जाएगा।

अब मैं आपसे निवेदन यह करना चाह रहा था कि राजस्थान भर की समस्या को देखते हुए छोटे–छोटे हमारे स्रोत नदी–नाले जहां उपलब्ध हैं उनके आधार पर एक मास्टर प्लान तैयार करवाएं ताकि परेशानी मिटे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में गम्भीर पेयजल समस्या की ओर आपने तत्परता से ध्यान दिया। वहां इस समय बहुत

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हालात खराब हो जाते हैं, वहां लॉ एण्ड आर्डर की प्राबल्म खड़ी हो जाती है। उस समस्या का समाधान हुआ। सारे जन प्रतिनिधियों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी बहुत उसमें प्रयत्न किया और उसके परिणाम सामने आये। ऐसे ही राजस्थान में सब जगह करें जहां–जहां भी सम्भव है। स्रोत मौजूद होते हुए यदि जनता प्यासी रहती है तो यह कल्याणकारी सरकार के लिए कलंक है। मैं समझता हूं इस दिशा में आपका निश्चित रूप से ध्यान जाएगा। धाकड़ मंत्री के रूप में लोग आपको मानते हैं, आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं कि राजस्थान की जनता को पेयजल की समस्या से मुक्त करके राहत दे देंगे। आपकी मशीनरी को आप सावचेत कीजिये, आने वाला समय बहुत गम्भीर होगा। अभी पेयजल के स्रोत् जहां कहीं हैं उनको खुदाने के लिए पैसे की व्यवस्था आप करवाएं उनको जल्दी से जल्दी खुदवाएं। जो हैण्डपम्प लगाने हैं वे तत्परतापूर्वक और समयबद्ध लगने चाहिए। फरवरी में आप पधारे, मार्च में कुछ नाम दे दिये, सूची मांगी, आपको वह उपलब्ध कराने के बाद भी यह अप्रेल का महीना जा रहा है, कई जगह अभी तक भी हैण्डपम्प नहीं खुदे। इसलिए सारे हैण्डपम्प समय पर खुद जाएं, इस बात का आपसे आग्रह है।

अब मैं अकाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सौभाग्य से अकाल मंत्री हमारे जिले के प्रभारी हैं, 2–3 मीटिंग्स भी उन्होंने की हैं। (व्यवधान) हां, अकाल राहत मंत्रीजी 2–3 मीटिंग्स भी उन्होंने की, सारे जन प्रतिनिधियों को भी सुना।

श्री उपाध्यक्ष : अभी राहत नहीं मिली, इसलिये अकाल कह रहे हैं आप।

श्री रतन लाल ताम्बी : हां, यही समझ लीजिए। चर्चाएं की, चर्चा करने के बाद मंत्री महोदय ने कई स्थानों को देखा। हालात भी बड़े गम्भीर हैं। माण्डल से आने वाले विधायक महोदय पूर्व में काफी विस्तार से बोल चुके हैं। मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के करीब 160 गांव प्रभावित हैं और 16–17–18 लाख के आसपास जनता आज के हालात में प्रभावित हैं। हमने जीवन में अकाल को देखा लेकिन इतनी गम्भीरता जो इस बार देख रहे हैं, हालात बहुत गम्भीर हो चुके हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार का एक रिकार्ड था कि बाड़मेर जिले में साढ़े तीन लाख मजदूर लगते थे पूरे राजस्थान में भी आज साढ़े तीन लाख मजदूर नहीं है। यह सही है कि पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया, दिवालिया राजस्थान सम्भलाकर गयी, लेकिन लोगों को जिंदा रखना या पशुधन को जिंदा रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम यह कहकर नहीं चल सकते कि पिछली सरकार दिवाला निकालकर चली गयी इसलिए आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यह नयी सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे कोई भी काम करना

(श्री रतन लाल ताम्बी)

पड़े, कैसी भी व्यवस्था करनी पड़े, घास, पानी और रोजगार का हमको इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे माण्डल से आने वाले हमारे विधायक महोदय बता रहे थे कि गांव में हम जा नहीं सकते हैं। जाते हैं और लोगों की दशा हम देखते हैं, मवेशियों के हालात देखते हैं तो रोना आता है। यही स्थिति हमारे पूरे जिले की है। मेरे क्षेत्र की यह हालत है, जहां 50 प्रतिशत के आसपास एस.सी. और एस.टी. रहते हैं जहां पर बैकवर्ड क्लासेज के लोग रहते हैं, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां लोग काम के अभाव में पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जगह–जगह मारे–मारे फिरते हैं। हम उनसे लुके–छुपे फिरते हैं। कब, कैसे उनकी जाकर व्यवस्था करें। हम उनको यह कह रहे हैं कि विधान सभा बजट पास होने वाला है, विधान सभा समाप्त होने के बाद हम आपके रोजगार बढ़ाने का इंतजाम करेंगे, वह करेंगे, यह करेंगे। पर ज्योंही हम वहां गांव में गये पता नहीं क्या हालात होने वाले हैं, अकाल राहत मंत्री महोदय, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, हालात को समझते हैं। उन इलाकों के हालात कितने गरीबी के हैं। न वहां उद्योग–धन्धे हैं, न रोजगार है। केवल पशुधन और फसल पर जिंदा रहते हैं। जब हमारा पशुधन ही समाप्त होता जा रहा है और फसल ही समाप्त हो गयी तो जिंदा कैसे रहें ? आपने तीन महीने तो निकाल दिये मुसीबत के बीच में लोग जिंदा रह गये, लेकिन मई और जून का महीना निकलना बहुत भयंकर होगा। इसलिये मेरा आपसे यह आग्रह है कि कल ही आप इस बात का निर्देश दें कि भीलवाड़ा जिले में कम से कम एक लाख श्रमिक आपको लगाने हैं, एक मई से पहले–पहले व्यवस्था जरूर हो। ये मजदूर नहीं लगेंगे तो स्थिति और गम्भीर हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को आप गम्भीरता से लें। जिन इलाकों के हालात आपके सामने मौजूद होते हुए भी अगर सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो आने वाले समय में जनता आपको क्या याद करेगी, यह आपको और हमको समझना है। जिस राजस्थान की सरकार ने पहले राजस्थान में 13–13, 15–15 लाख मजदूर लगाये, उस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अकाल के नाम पर आज तक लोग याद करते हैं। उस कांग्रेस की सरकार पर कलंक का टीका नहीं लगे इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपका दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च निकल गया, 8 अप्रेल से विधान सभा में हम सब यहां बैठे हैं। जनता के साथ क्या गुजर रही है ? हालात बहुत खराब हैं। इसलिये ज्योंहि सत्र समाप्त हो, इस मामले को आप गम्भीरता से लेकर श्रमिक बढ़ाएं और श्रमिक बढ़ाकर लोगों को रोजी–रोटी उपलब्ध कराएं। यह बहुत गम्भीर मामला है और संवेदनशील सरकार के लिये चुनौती भरा समय है। यदि हमने इस समय लोगों की मदद नहीं की तो हमारे लिये जनता का क्या

(श्री रतन लाल ताम्बी)
सोचना होगा, इस बात को भी आप विचार करके चलें।

इस मौके पर अकाल की बात समाप्त करने के बाद मैंने अब मैं थोड़ा सा, 2–3 मिनट बिजली की बात कहना चाहता हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में राजस्व ग्रामों के अलावा पिछले 3–4–5 वर्षों में जो ढाणियां गांव बन चुकीं उनकी डेढ सौ और दो सौ के बीच में संख्या है, वे गांव आज की तारीख में विद्युतीकृत नहीं हैं, उन गावों के लिये भी आप आवश्यक निर्देश दें। कहने को तो यह कहा जाता हैकि यह उसी गांव का हिस्सा माना जाएगा। पर मौके पर अब फार्म लेकर लोग जाते हैं तो उनके बड़े–बड़े एस्टीमेट आते हैं, इतने खम्भे लगेंगे, वह लगेंगे। यों करके उनकी डिमाण्ड ही इतनी होती है कि वे दे नहीं पाते हैं। इसलिये आज भी अंधेरे में हैं। मेरा यह निवेदन है कि जो गांव राजस्व गांव बन गये, उन गांवों को विद्युतीकृत नहीं मानते हुए उनके लिये भी आप समस्त जिलों में योजना बनाएं। भीलवाड़ा जिले का मैंने आपसे खास तौर से निवेदन किया है।

मैं इस मौके पर बिजली की वर्तमान व्यवस्था के लिये बिजली मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह पहली सरकार है जिसने 8 घण्टे बिजली की बात कही, और 8 घण्टे बिजली की बात कही ही नहीं उसको पूरा करके दिखाया। बिजली देने से कृषि उत्पादन, जहां भी पानी था अच्छा हुआ। इससे सरकार की विश्वसनीयता बढ़ी है और कल्याणकारी सरकार के रूप में, किसानों की हितैषी सरकार के रूप में लोग इसे मान रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस काम के लिये तो आपने अच्छा काम किया। अब मेरा निवेदन यह है कि भविष्य में बिजली की और भी स्थिति खराब न हो, इस बात को भी आप देखिये। बच्चों की परीक्षाओं का सवाल भी आएगा। मेरे इलाके में बिजली का मामला बड़ा गम्भीर है इसलिये कि देवली के पास 132 जी.एस.एस. से हमको बिजली सप्लाई होती है। वह हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ गांवों में हिण्डौली, बूंदी से बिजली आती है, कुछ में देवली से आती है और कुछ में कोटड़ी साइड की ग्रिड से बिजली आती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बोलेंगे ना अभी।

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं, एक व्यवस्था चाह रहा हूं। व्यवस्था यह है कि पार्टी के अनुपात से तो आप मौका दे ही रहे हैं बोलने का, लेकिन आप यह भी देखते हैं कि एक जिले से कितने बोल लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरा काम नहीं है। लिस्ट है, इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान) यह काम सचेतकजी का है, मेरा नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : आपके जिले के मंत्री ज्यादा बन गये, इसलिये बोलने का

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सवाल नहीं है। आप रोज बोलते ही होंगे, श्रीमान्।

श्री देवीलाल बैरवा : आठ विधायक बोल गये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, देवीलालजी विराजिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जगह–जगह नियन्त्रण दूसरे क्षेत्र में होने से बिजली की व्यवस्था बड़ी गड़बड़ रहती है। 132 जी.एस.एस. का जहाजपुर में ग्रिड बनाने का जो प्रस्ताव है, मंत्री महोदय, मैं आपसे आशा करता हूं कि आज ही इसकी घोषणा करें ताकि दो–ढाई लाख जनता को जो बिजली की परेशानी होती है वह मिट सके। लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स में भी हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लिफ्ट इर्रिगेशन बनास नदी से होती है। उसको कुल मिलाकर लाभ मिल सके।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि बिजली की कमी के बारे में लाइन–लोसेज की बात बराबर सामने आती है और यह निरन्तर बढ़ रही है। जब मैं पहली बार विधायक बना तो 20–22 प्रतिशत लाइन लोस माना जाता था, आज लगभग 35–36 प्रतिशत लास की बात है। मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इतना नहीं है, इसमें चोरी है, लीकेज है। आपके अधिकारी और कर्मचारी नीचे के स्तर पर मिलकर, जहां तक मेरा अंदाज है, करीब–करीब 20 प्रतिशत निश्चित रूप से चोरी है। इसको रोकने के लिये सतर्कता की बड़ी आवश्यकता है। मैं यह समझता हूं कि आप यह कर लें तो राजस्थान की बिजली की समस्या में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।

अन्त में, अकाल राहत मंत्री महोदय, पिछली सरकार ने भारत सरकार को मैमोरण्डम दिया था; शायद साढ़े चार सौ करोड़ रुपये के आसपास का। वह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ज्यों ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने धराशायी कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदले की भावना से राजस्थान की जनता को अकाल राहत में परेशानी दी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसी जन कल्याणकारी सरकार वह थी नहीं, ऐसी संवेदनशील सरकार थी नहीं, इसलिये देश के सांसदों ने उस सरकार को तो रवाना कर दिया। हमें उम्मीद है कि अब ऐसी सरकार बनेगी तो गरीबों का वापस किसी तरह राहत दे सके। राजस्थान का जो मैमोरण्डम आपने दिया, शायद उसके बाद वह नौ सौ–साढ़े नौ सौ रुपये का हो गया था। अब इतना टाइम निकल गया, वह शायद छह सौ–सात सौ करोड़ का मामला है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतने गम्भीर हालात को देखते हुए आप फिर से इस बात का प्रयास करें कि यह सात सौ करोड़ के आसपास

(श्री रतन लाल ताम्बी)

रुपया भारत सरकार किसी तरह उपलब्ध कराए। यह पहली सरकार थी, जिसने अकाल जैसे मामलों में कभी राजनीतिक आधार पर नहीं सोचा। यह राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर इतिहास में एक कलंक होगा कि राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति के बावजूद भी उस सरकार ने पैसा नहीं दिया। राजस्थान की विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता महोदय अभी विराजमान नहीं हैं। वे राज में होते तो दुनिया भर की बात कर पैसा लगाने की बात करते। उनकी सरकार थी तब तो वे मौन साधकर बैठ गये और दिल्ली में राज बचाने में सारी शक्ति लगा दी मगर राजस्थान को अकाल से बचाने में उन्होंने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। इसलिए राजस्थान विधान सभा के सभी पक्षों से मेरा आग्रह है कि इस गम्भीर समस्या के लिए चिन्तन के साथ में राजस्थान विधान सभा की ओर से मांग की जाए। राजस्थान की पांच करोड़ के आस–पास जो जनता है उसमें से तीन–साढ़े तीन करोड़ जनता अकाल से पीड़ित है। पानी, घास, बांटा ये सारी समस्याएं गम्भीर हैं, मुझे विश्वास है कि सब लोग इसको गम्भीरता के साथ लेंगे और इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार को पुरजोर शब्दों में मांग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास यह भी है कि जो नयी सरकार बनने वाली है वह राजस्थान की इस बदहाली पर जरूर ध्यान देगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैंने कुछ समस्याओं के बारे में सुझाव रखे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो राजस्थान और अकाल पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि राजस्थान के निर्माण के बाद केवल 6 सालों को छोड़कर राजस्थान के किसी न किसी भू–भाग पर अकाल की छाया पड़ती ही रही है। दो साल तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हैं 1990–91, 1994–95 और बाकी चार साल कांग्रेस के शासन में 1959–60, 1973–74, 1975–76 और 1976–77 इन छह सालों के अलावा हमेशा ही अकाल पड़ता रहा है इस बार जिस प्रकार का अकाल है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर बड़ा धक्का पहुंचेगा और हमें तो अफसोस होता है कि झुंझुनूं में जहां 3 लाख 88 हजार व्यक्ति अकाल से प्रभावित हैं, 274 गांव अकालग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं, 3 लाख 17 हजार पशु प्रभावित हैं, वहां श्रमिक संख्या क्या नियत की है ? अकाल राहत मंत्रीजी केवल पांच हजार, 3 लाख 88 हजार मनुष्य, 3 लाख 17 हजार पशु और श्रमिक संख्या पांच हजार, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। केवल नाम अकाल राहत का है, क्या अकाल सहायता पहुंचायी जा सकती है पांच हजार श्रमिकों के जरिए ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी कि श्रमिक संख्या को भी बढ़ाया जाए और अकाल राहत के अंदर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जितने कामों की आपने सूची दी है उस हिसाब से अकाल राहत के काम भी प्रारम्भ करवाये जाएं। इसमें लास्ट के अंदर, अकाल राहत के अंदर काम कराने के लिए आपने अपनी जो एक पुस्तिका दी है, इसमें लिखा है आपने कि अकाल राहत के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा, इनके निजी कुओं को भी गहरा करवा सकते हैं। लेकिन क्या राजस्थान के अंदर एक भी अब तक आपने इस दिशा में कहीं कोई स्वीकृति जारी की है ? इसमें लिख देने मात्र से काम नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ताज्जुब की बात लीजिएगा। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि एक ही पेज के ऊपर एक जगह तो आप लिख देते हैं कि 196 लाख रुपये अब तक जिला कलेक्टरों को दिये जा चुके हैं राहत कार्यों हेतु और उसी पृष्ठ के ऊपर आप लास्ट में लिखते हैं कि अब तक जिला कलेक्टर्स को 202.83 करोड़ रुपया दिया जा चुका है। एक ही पेज पर विरोधाभास है। समझ में नहीं आता कि कौनसी फिगर इनमें करेक्ट है और कौनसी फिगर गलत है। यह बात मेरी समझ में अकाल सहायता मंत्रीजी कुछ आयी नहीं। तो मैं अधिक नहीं कहते हुए आपसे यही निवेदन करती हूं कि आपने झुंझुनूं जिले में जहां 274 गांव अकालग्रस्त हैं और सात लाख से अधिक की आबादी पशु और मनुष्यों की मिलाकर प्रभावित है, आप अपनी श्रमिक संख्या को भी बढ़ाइये और बजट प्रावधान भी बढ़ाइये तब जाकर वहां आप अकाल सहायता पहुंचा पाएंगे।

अकाल के साथ ही जुड़े हुए प्रश्न और भी हैं क्योंकि जब अकाल होता है तब ही पानी की समस्या आती है। यूं ही जल दोहन इतना हो रहा है कि लगातार हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इसलिए पीने के पानी की समस्या साल दर साल जब कभी अकाल पड़ते हैं तो भयंकर से भयंकरतर हो जाती है। माननीय जलदाय मंत्रीजी आपको बुरा तो लगेगा लेकिन मैं खास तौर से केन्द्रीय सरकार की आभारी हूं क्योंकि न तो आपने देखा और न मुझसे पहले बोलने वाले झुंझुनूं से आने वाले दोनों ही माननीय सदस्यों ने देखा। 1993 के अन्दर जो शुरू हुई थी, जर्मन सरकार के सहयोग से झुंझुनूं और चूरू के लिए योजना, राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पी.एच.ई. 93/24.7.93 के द्वारा जर्मन सरकार

(18.46 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

की सहायता से गंगानगर, चूरू एवं झुंझुनूं जिले में पेयजल परियोजना हेतु मुख्य अभियंता, पी.एम.सी. कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू में स्थापित हुआ है, जिसमें विभिन्न पद सृजित किये गये हैं। मैं इस बात के लिए तो, सभापति महोदय, भारत सरकार की बहुत आभारी हूं कि इस वर्ष चूरू–झुंझुनूं जिले के खारे पानी से ग्रसित गांवों तथा चूरू–बिसाऊ व रतनगढ़ शहर को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार द्वारा चूरू—बिसाऊ परियोजना स्वीकृत की गई है। आप जिस एक करोड़ 34 लाख की बता रहे थे, वह एक करोड़ 32 लाख की योजना है जिसमें आपका बिसाऊ शहर भी आ गया और 96 गांव जो झुंझुनूं तहसील के आपके निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, वे सारे गांव भी इसमें शामिल हो गये। यह भारत सरकार ने स्वीकृत कर दी है इस बात के लिए तो मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहती हूं और आपका काम आसान हो गया इसलिए आपको भी बधाई देना चाहती हूं क्योंकि यह शत—प्रतिशत भारत सरकार का पैसा है जर्मन सरकार की सहायता से।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह शत—प्रतिशत नहीं है, इसमें 45 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को देने हैं। शत—प्रतिशत नहीं है। और जो भी योजना होती है, भारत सरकार के पास जाती है, वहां से मंजूर होती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है, वह ठीक है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अब आप किसी को धन्यवाद दो। आप मुझे पहले कहते तो आप धन्यवाद मेरे खयाल से हमारे को ही देतीं लेकिन अब वह मजबूरी है। आप किसी को भी धन्यवाद दें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। न मेरी मजबूरी आपको धन्यवाद देने की है, न मेरी मजबूरी बी.जे.पी. को धन्यवाद देने की है और न भारत सरकार को देने की है। मैं तो जो सही बात है उसको ही...

श्री सभापति : भारत सरकार को तो इसलिए कि उन्होंने सैकण्ड फेस से फर्स्ट फेज में ला दिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये तो सही।

श्री सभापति : भारत सरकार ने तो सैकण्ड फेज से फर्स्ट में कर दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मेरा काम आप क्यों करने लग गये ? मुझे ही बोलने दीजिए। आपको याद नहीं रहा कि अब आप आसन पर विराजमान हैं।

श्री सभापति : हां, हां, बोलिये। फरमाओ आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी, माननीय मंत्रीजी उनको धन्यवाद तो मैं इसलिए दे रही हूं कि आपने इस पर यह कृपा दृष्टि की है...

श्री जगत सिंह दायमा : आपको नहीं देना चाहती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और आपने इसके फ्रंट पेज के ऊपर शुरू ही शुरू में लिखा है कि विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1999—2000 में जोधपुर शहर, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, उदयपुर झामर—कोटड़ा स्कीम, जयपुर पुनर्गठन योजना, चित्तौड़ पेयजल योजनाओं पर तथा जोधपुर, जसौल व बिठुजा में ई.टी.पी. निर्माण हेतु रुपये 97.60 करोड़ व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इसलिए यह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विशेष केन्द्रीय सहायता योजना है और झुंझुनूं शहर की है इसलिए मैं धन्यवाद पुनः दूंगी भारत सरकार को क्योंकि यह उन्हीं का पैसा है तो माननीय...

श्री रामस्वरूप : वह भारत सरकार तो गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : और आपको नहीं देतीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह जाने दो, इससे क्या मतलब है ? हमको जो फायदा पहुंचा कर गया, हम तो उसको धन्यवाद देंगे तो मैं यह निवेदन कर रही थी...

श्री रामस्वरूप : जो गये उनको धन्यवाद दो और जो मौजूद हैं उनको नहीं दो।

श्री जगत सिंह दायमा : वह जनता दल की सरकार थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गयी तो कोई बात नहीं, हमारी आ गयी। वह और सहायता करेगी, और अच्छा काम है, क्या दिक्कत है ? इसमें क्या दिक्कत है ? वह हमारी ही थी, वह हमारी है, आने वाली भी हमारी है। जाने वाला भी जो पैसा देगा वह हमारा ही है। इसलिए मैं यह कह रही थी...

श्री जगत सिंह दायमा : वह हमारी थी। आपके तो सब हैं, सारे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं यह निवेदन कर रही थी, जल प्रदाय मंत्रीजी कि यह तो बहुत अच्छी बात है अब मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगी कि एक संकट तो हमारा दूर हुआ, लेकिन अभी भी इस गर्मी के मौसम के अंदर जब जल स्तर नीचे जा रहा है, आपको फिर कठिन उपाय करने पड़ेंगे, बहुत कारगर उपाय करने पड़ेंगे जिनके जरिये इस गर्मी के मौसम के अंदर आप लोगों को पीने के पानी दे सकें। माननीय सभापति महोदय, 1990–91 के अंदर पानी की ऊंची टंकियां हमारे जिले में ही...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि दो घंटे समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से आज की सदन की कार्यवाही का समय दो घण्टे के लिये और बढ़ाया गया।

श्री रामस्वरूप : हमारा नाम भी बढ़ा देना।

राज्य में विद्युत, अकाल एवं पेयजल की स्थिति पर विचार

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि गर्मी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के इस मौसम के अंदर जो ऊंची टंकियां बनी हुई पड़ी हैं, आज भी मेरे अकेले निर्वाचन क्षेत्र में 15 ऐसी ऊंची टंकियां हैं जिनको बने हुए नौ–नौ, दस–दस साल हो गये हैं लेकिन उनको पानी आज तक नहीं गिरा। जो पानी की टंकियां बनी हुई हैं, आपको केवल वहां पर पाइप लाइन लगाकर उसे गांव तक पहुंचाना है और उन टंकियों को जो पाताल तोड़ कुए हैं उनसे कनैक्ट करना है। यदि इतना काम आप कर देंगे तो मैं समझती हूं बहुत कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी मंत्री महोदय को कि आपके यहां पर विशेष कम्पोनेंट प्लान है और वह विशेष कम्पोनेंट प्लान अनुसूचित जाति की बस्तियों के अंदर पानी पहुंचाने के लिये है। मुझे थोड़ा धक्का तो लगा इस बात से कि पिछली बार इसके लिये प्रावधान था दो करोड़ पचास लाख रुपये का और आपने इस बार पचास लाख रुपये कम करके दो करोड़ का प्रावधान किया, जबकि आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये था। जैसा अभी मैंने निवेदन किया पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है, जल का दोहन इस गति से हो रहा है कि सबको इस बात की चिन्ता है कि हो सकता है आने वाले दस साल बाद पीने के पानी की किल्लत हो जाए। उस हालत के अंदर अनुसूचित जाति की जो बस्तियां हैं उनके बजट प्रावधान को आपको कम नहीं करना चाहिए था। यह जिसे कहना चाहिए दयनीय स्थिति है कि गांव के अंदर बाकी और सवर्ण जाति के लोगों को तो पानी मिले और इन बस्तियों के अंदर आप पानी की व्यवस्था नहीं कर सकें या तो वहां पर हैण्डपम्प हो या कुछ और व्यवस्था हो। यह ठीक नहीं है। वहां भी आपके पाइप जाएं ताकि वहां भी लोगों को आप यह सुविधा दे सकें। इसलिए इस विशेष कम्पोनैंट प्लान के अंदर आपने जो बजट प्रावधान कम किया है इस प्रावधान को आप थोड़ा ठीक करें और उन अनुसूचित जाति की बस्तियों में भी पानी पहुंचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन भी करना चाहती हूं कि अभी से आपको 4000 गांवों के अंदर पानी की व्यवस्था करनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज हमारे जिले में मुख्य समस्या इस बात की है कि कुओं के अंदर पानी नहीं रह गया है, जलस्तर नीचे चला गया। कुओं में पानी नहीं रहा इसलिए कुओं को गहरा कराने के काम प्राथमिकता के आधार पर आप करें तो मैं समझती हूं कि गर्मी के मौसम में अंदर लोगों को पानी दे पाएंगे। वरना पानी नहीं पहुंच पाएंगे और लोग बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ बिजली के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। विद्युत के बारे में जैसा कि सभी ने आशंका व्यक्त की है, विद्युत नियामक आयोग बनाने जा रहे हैं। इस बात के लिये तो मैं बधाई दूंगी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

विद्युत मंत्रीजी को कि विद्युत मंत्रीजी ने एक करोड़ रुपये रोज का खर्च करके किसानों को पूरे आठ घण्टे बिजली दी। उससे न केवल अन्न का उत्पादन ही बढ़ा बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। लोगों को परेशानी भी नहीं हुई। इस बात के लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक नर्सरी कनेक्शंस यदि किसी जिले में हुए हैं तो साढ़े तीन हजार नर्सरी कनेक्शंस झुंझुनूं जिले में हुए हैं। केवल चार जिले हैं जहां पर नर्सरी के कनेक्शंस ज्यादा संख्या में हुए हैं, इनमें एक तो है नागौर, एक है सीकर, एक है झुंझुनूं और एक है जयपुर। इन चार जिलों के अंदर...(व्यवधान)

श्री सभापति : सबसे ज्यादा कहां हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सबसे ज्यादा झुंझुनूं में साढ़े तीन हजार। जयपुर में 2,662 नागौर में 3,292 और 2,648। अलवर में तो हजारों से भी कम है इसलिए उसकी अभी चर्चा नहीं, जहां अच्छी संख्या में हैं उन जिलों की बात मैं कर रही हूं। मैं यह निवेदन कर रही थी कि सबसे अधिक नर्सरी कनेक्शंस हुए हैं तो सबसे अधिक वहां के किसानों को लूटा है इस सरकार ने, उसके बाद आपका जो विद्युत तंत्र है उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लाइन लासेज की बात करें तो कि आज भी इण्डियन एवरेज से कहीं ज्यादा राजस्थान में लाइन लोस होता है। आपका विद्युत बोर्ड एक ही तर्क देता है कि हमारी विद्युत लाइनें बहुत बड़ी–बड़ी लम्बी–लम्बी हैं क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से हिन्दुस्तान का दूसरा बड़ा राज्य है इसलिए जितनी लम्बी लाइनें होंगी उसका लाइन लोस भी ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी इण्डियन एवरेज के मुकाबले आज भी हमारे लाइन लोसेज ज्यादा हैं जैसा कि मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे झुंझुनूं जिले के अंदर साढ़े तीन हजार नर्सरी के कनेक्शंस हो गये। आपने लाखों–करोड़ों बल्कि कहिये अरबों रुपये वहां से ले लिये लेकिन उसके बाद आपका जो विद्युत तंत्र है उसको आपने ठीक किया नहीं इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या है जी.एस.एस. बनाने की जो आपकी लाइने हैं उन्हें ठीक करने की, जब तक उनको आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आये दिन इसी तरह की वहां पर परेशानी होती रहेगी। जैसा कि मण्डावा से आने वाले सदस्य कह रहे थे, झुंझुनूं में 1974 में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन बना था, आज वहां 220 के.वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। यदि आपको विद्युत में वहां पर सुधार करना है तो मेहरबानी करके यदि आप वहां पर 220 के.वी. का ग्रिड स्टेशन बनाएं। वहां पर अपनी ट्रिपिंग है, वहां पर लाइन लोसेज हैं, वहां पर लोगों को समय पर बिजली नहीं मिलती है। यह सब जो परेशानियां हैं वे इसी वजह से है कि पर्याप्त संख्या में जी.एस.एस. नहीं है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जहां 33 के.वी. का आवश्यक है वहां 33 के.वी. का ग्रिड स्टेशन बनाइये। जहां पर 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन आवश्यक है वहां 132 के.वी. का बनाइये। झुंझुनूं के अंदर आप 220 के.वी. का ग्रिड स्टेशन बनाइये तभी जाकर किसानों के साथ आप न्याय कर सकेंगे। साढ़े तीन हजार नर्सरी के कनेक्शन देकर आपने एक काम तो ठीक किया। इसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने नर्सरी कनेक्शंस बन्द कर दिये। लेकिन अभी तक आपने उस रेट को ठीक नहीं किया। एक ही प्रान्त के अंदर विद्युत के तीन तरह के सिस्टम हैं आपके। किसी से आप फ्लैट रैट ले रहे हो, किसी से आप मिनिमम चार्ज ले रहे हो, कोई आपको मीटर चार्ज दे रहा है और कहीं आप नर्सरी की योजना के तहत एक रुपये 17 पैसा चार्ज कर रहे हैं। जबकि बाकी चाहे मीटर हो, चाहे फ्लैट रेट हो, उससे ढाई गुना नर्सरी कनेक्शन वाले को पैसा देना पड़ रहा है। यह जुल्म है आपका किसानों के साथ जिससे आपने करोड़ों रुपया ऐंठ लिया। लाखों–लाखों रुपये अपने घर का जेवर बेचकर, अपना सब कुछ बेचकर, अपना जानवर और माल बेचकर जिसने नर्सरी का कनेक्शन लिया, वह धरती का पेट चीरकर इस समाज को जिंदा रखता है, समाज का पेट भरता है, खुद परेशान होता है और देश के उत्पादन को बढ़ाता है, देश की इनकम को बढ़ाता है। उसके लिये आप आज कम से कम यह घोषणा तो कर दीजिये, उस नर्सरी कनेक्शन वाले को चाहे फ्लैट रेट के बराबर कर दीजिये, चाहे आप मीटर से कर दीजिये, लेकिन उसकी जो नर्सरी कनेक्शन की रेट है, इसे आप कम से कम खतम कर

(19.00 बजे)

दें माननीय मंत्री महोदय। वैसे भी आप विद्युत नियामक आयोग बनाने जा रहे हैं, आपका उसमें कुछ रहना भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात के लिए आपको जरूर चेतावनी देना चाहती हूं, चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठनें वाले हों। जो निजीकरण की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में भी बात कही है निजीकरण की कि हमें उनको देना पड़ेगा और हमें निजीकरण बिजली के क्षेत्र में भी लाना पड़ेगा, मैं चेतावनी देना चाहती हूं इस बात की, जिस बात के लिए कंडैम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को निजीकरण ही वह कारण था जिसकी वजह से वे कुछ भी बिजली का उत्पादन नहीं कर पाये। 1984 में जब माननीय शिव चरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर एक कारखाना लगाने के लिए एम.ओ.यू. किया था एक प्राइवेट पार्टी के साथ और जब मैं विद्युत मंत्री बनी 1990 में तब तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। बातचीत चली, यह करो, वह करो। अल्टीमेटली हमने कहा, नहीं भाई। मैंने तो मना कर दिया, मैं तो नहीं मानती इस बात को, जो आदमी एग्रीमैंट के मुताबिक काम नहीं करता है यह जितना पैसा है यह तो सारा का सारा सरकार ले ले, जब्त

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कर ले, बाकी ठीक है, अब आइन्दा के लिए देना नहीं। मैं आपसे बताती हूं, आपका सूरतगढ़ इसलिए हो गया कम्प्लीट, आज 250 मेगावाट आप इसलिए पैदा कर पा रहे हो कि वह बोर्ड ने बनाया, विद्युत मण्डल ने बनाया। अदरवाइज इन पिछले 10 सालों के अंदर एक भी विद्युत संयंत्र इस निजीकरण के भरोसे एक मेगावाट भी पैदा नहीं कर पाया हैं। इसलिए मैं फिर आपको आगाह करती हूं, फिर चेतावनी देती हूं कि इस निजीकरण में आप मत जाइयेगा। लेकिन आपकी तो मजबूरी है क्योंकि जब आप विद्युत नियामक आयोग बनाने जा रहे हो तो आप और करेंगे भी क्या ? आपकी तो मजबूरी हो जाएंगी। विद्युत मंत्रीजी आपका भविष्य वैसे तो आपकी दक्षता, आपकी प्रतिभा को देखते हुए काफी उज्ज्वल दिखाई देता है लेकिन यह विद्युत नियामक आयोग आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए नहीं देगा... (व्यवधान) मैं श्राप क्यों दूंगी ? मैं तो चाहती हूं वे आगे बढ़ें। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि यह विद्युत नियामक आयोग जब आएगा और निजी पार्टी को जब सौंपेंगे तो निजी पार्टियों की चार रुपये प्रति यूनिट से कम जनरेशन की कीमत नहीं आएगी। जब नहीं आएगी तो आप किसानों को कितनी सब्सिडी देंगे ? क्या आप तीन रुपया दे देंगे ? तो भी आपको एक रुपया करना पड़ेगा। और जिस दिन आप एक रुपया करेंगे, त्राहि–त्राहि मचेगी। आज जो 153 सीटें हैं, तीन सीट भी नहीं आने वाली। इसलिए मैं आपसे कहती हूं, तकनीकी ज्ञान के ऐसे इंजीनियर्स हैं विद्युत मण्डल के अंदर कि उन्हीं के जरिये आप कम से कम अपनी सूरतगढ़ की दूसरी इकाई को तो पूरा कर लीजिये ताकि कम से कम 250 मेगावाट तो आप और पैदा कर सकें। आज आपकी स्थिति तो यह है कि 50 परसेंट तो आप खुद यहां जनरेट करते हो, 50 परसेंट बिजली आपको लानी पड़ती है बाहर से। बाहर से जो लाते हो आप, वह अपनी–अपनी कंडीशंस पर, अपनी–अपनी शर्तों पर आती है। कभी उनका संयंत्र ओरैया का बंद हो जाता है, कभी कोई और बंद हो जाता है। इसका नतीजा यह निकलता है कि यहां पर एकदम बिजली गुल हो जाती है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करती हूं कि इसके बारे में आप पुनः विचार करें और इस विद्युत नियामक आयोग की बात को छोड़ दें। आपके घाटा है तो है लेकिन यह आपका घाटा और बढ़ जाएगा। क्या करेंगे ? आप क्या किसान से दो रुपये प्रति यूनिट बिजली का चार्ज करेंगे ? जब नहीं चार्ज करेंगे तो आपको सब्सिडी के रूप में देना पड़ेगा और घाटा तो आपका आज जितना है उससे तीन गुना और अधिक होगा। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ इस बात का निवेदन करती हूं कि झुंझुनूं जिले की जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को आप दूर करिये। वहां पर आवश्यकता है, आपके तार बहुत पुराने जमाने के और बहुत कमजोर हैं, जी.एस.एस. भी पर्याप्त संख्या में नहीं है।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

इन बातों के साथ अकाल सहायता मंत्रीजी आप से यह निवेदन है कि आप झुंझुनूं की श्रमिक संख्या को बढ़ाएं, जो आपने श्रमिक संख्या दी है उस हिसाब से एक गांव के अंदर 16 आदमी लग सकते हैं। 274 गांव हैं, पांच हजार आपकी श्रमिक संख्या है तो एक गांव के अंदर 15–16 आदमी काम पर लगेंगे। क्या आप समझते हैं कि एक गांव के अंदर 15–16 आदमियों को काम देकर आप...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : लगाओ तो सही पहले। पांच हजार तो लगा लो पहले। सो लगे हुए है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तो आपको नहीं मिल रहे हैं पांच हजार ? (व्यवधान) सुनिये, अकाल सहायता समिति की जब मीटिंग हुई और हमने जब यह बात कही तो हम को बाकायदा कलेक्टर ने कहा कि मेरे पास सीलिंग है पांच हजार की इसलिए मैं तो पांच हजार को ही काम दूंगा। आप यह बात कैसे कह रहे हैं ? हमको यह बात मीटिंग के अंदर कही है। (व्यवधान) तो आप क्या समझ रहे हो, पांच हजार काम नहीं कर रहे वहां पर ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नहीं कर रहे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं कैसे कर रहे ? आप अपने आंकड़े दीजियेगा, बताइयेगा। कौन कहता है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आपको जवाब दूंगा तब बताऊंगा, कितने काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप इनको धन्यवाद दीजिये, इन्होंने अकाल कार्य खोले तो सही, उन्होंने तो खोले ही नहीं थे झुंझुनूं में।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उन्होंने नहीं खोले थे तो यहां बैठ गये, ये खोल रहे हैं तो ये चलेंगे आगे। ये चलते रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरी बातों पर ध्यान दीजिये और हमारी समस्या को मिटाने की कोशिश कीजिये।

श्री सभापति : बहुत–बहुत धन्यवाद। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : सभापति महोदय, घड़ी की सुइयां सात पार कर चुकी है और मेरा यही समय है हमेशा बोलने का। मान्यवर, अकाल विद्युत और पेयजल की गम्भीर चर्चा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके चीफ व्हिप महोदय का यह कहना है कि हमारे माननीय सदस्यों को पांच–पांच, सात–सात मिनट देकर सबको बुलवा दो इसलिए कृपा करें।

श्री हरिसिंह(महुवा) (सरकारी मुख्य सचेतक) : ये तो जैसलमेर जिले से अकेले हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलिये।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, हमारा नाम भी है इसमें ? नहीं, सब का मतलब क्या है, जो हाजिर हैं यहां पर ?

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, गैर हाजिर कैसे बोलते हैं ?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : सभापति महोदय, अकाल की चर्चा करें तो यह गम्भीर समस्या है, विशेषकर मेरे जिले की जहां स्थायी अकाल रहता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में दोहा है कि "ठाओ जैसलमेर"। अकाल को कहीं ढूंढ़ना हो तो जैसलमेर जाइये। अकाल की चर्चा करें। (व्यवधान) है अभी। जैसलमेर जिला 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहां कुछ क्षेत्र में ही नहर आयी है। 38 हजार स्क्वायर किलोमीटर का जिला है जिसमें थोड़े–से क्षेत्र में नहर आयी है, बाकी क्षेत्र सूखा है।

मान्यवर, अकाल की जब चर्चा करें तो मुझे याद आता है 56 का अकाल, 96 का अकाल और 26 का अकाल। यह इतिहास है कि 96 के अकाल में देश में क्या समस्या थी, 56 के अकाल में कितने लोग भूख से मरे थे, राजस्थान में किन लोगों ने छाल की रोटियां खाकर जीवन बसर किया था। वह परिस्थिति थी। बदलती परिस्थिति में आज देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आया है, अनाज के भण्डार हैं और कम्युनिकेशन इतना बढ़ चुका है कि वह समस्या इतनी गम्भीर नहीं है जो पहले हुआ करती थी।

मान्यवर, 56 का अकाल, मुझे याद है कि एक बूंद पानी के लिए हम तरसते थे। मीलों चलकर दो लीटर पानी कंधों पर लेकर आते थे। वह दिन मुझे याद है। मान्यवर, जैसलमेर जिले में तीन वर्ष से लगातार अकाल है। अकाल नहीं कहूंगा क्योंकि यदि अकाल शब्द गूज करें तो फेमिन कोड लागू होता है और माननीय मंत्री महोदय बंधन में बंध जाएंगे। यह अभावग्रस्त क्षेत्र है। राजस्थान को अभी अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। अकाल तो फेमिन साइकल चलती है देश में, हर 30–40 वर्ष में फेमिन आता है। यह एक स्टडी की हुई है जो किताबों में लिखी हुई है। मान्यवर, गत वर्ष अकाल था, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रथम सप्ताह जून में कार्य प्रारम्भ किये और 30 जून को बन्द कर दिये। 15 जुलाई तक काम खीचें। मैं उनको तो नहीं कहूंगा परन्तु इस साल के फरवरी माह में जब अकाल राहत स्टडी टीम आयी थी सेन्टर से हमारे जिले में उस समय 12 हजार के काम प्रारम्भ हुए थे और वर्तमान में केवल सात हजार श्रमिक लगे हुए हैं। हम चाहते थे कि 12 हजार से बढ़ाकर अप्रेल में 25 हजार होते और जून में जाकर 40 हजार श्रमिक काम करते। यह हमारा लक्ष्य था। यह हमेशा रहा है। इस ओर विशेष ध्यान दें। मान्यवर, अकाल के बारे में जब चर्चा करें। दो दिन पूर्व समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि बरसात प्रारम्भ में नहीं हुई। अन्तिम दिनों में सितम्बर माह में

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बरसात हुई जिससे घास पैदा हो गयी। पशु के लिए हमें घास आवश्यक है। हमारा पशु इतना कमजोर है कि यदि दाना न दें तो वह पशु जीवित नहीं रह सकता है। अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि दुधारू पशुओं के लिए पशु आहार की व्यवस्था करें जो सरकार आभावग्रस्त वर्षों में किया करती थी।

मान्यवर, दो दिन पूर्व समाचार पत्र में पढ़ा होगा आपने, विषय अकाल का तो नहीं है कि हमारे यहां पर अभी जो मलेरिया हो रहा है उससे दो–तीन मौतें हो गयी हैं। आज की रिपोर्ट है कि जैसलमेर जिले में मलेरिया का प्रकोप है। स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। लोग अभाव से ग्रस्त हैं, रोजी–रोटी के लिए भटक रहे हैं। अगर वे मलेरिया से त्रस्त हो जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे।

मान्यवर, अभावग्रस्त हालत में अपन इन्फ्यूज करते हैं कुछ पैसा इकोनोमी में, यह आर्थिक तंत्र है, सारा अर्थतंत्र जब थक जाता है तो सरकार का फर्ज है कि कुछ पैसा इकोनोमी में इन्फ्यूज करे। इसीलिए अकाल राहत कार्य चलाये जाते हैं। अकाल राहत कार्यों में विशेषकर वे कार्य चलाएं जिनसे आम जनता एवं गरीब के हाथ में पैसा आए। ये पक्के काम जो अकाल राहत में चलते है। इनसे गरीब के हाथों में पैसा नहीं आता, महज ठेकेदार, सरपंच वगैरह के काम चलते हैं, इस ओर मैं विशेषकर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बदलते परिवेश में सरकार की जो मशा है इस आधार पर कच्चे काम सड़कों के चालू करें। मेरे क्षेत्र में जो अतिवृष्टि हुई उसमें खड़ीन टूट गये इर्रिगेशन के खड़ीन टूटे हैं सैकड़ों, जिसमें हम उत्पादन करते है रबी की फसल का। उन खड़ीनों की मरम्मत और सड़कों के काम लेकर प्रारम्भ किये जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं पेयजल मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने पधारकर हमारे क्षेत्र की समस्याएं सुलझायीं पर मैं एक उलाहना दूंगा पूर्ववर्ती सरकार के जो साथी बैठे हैं उनको। 1989–90 की जो हमारी योजनाएं थीं विशेषकर उस क्षेत्र में जहां पेयजल की विकट समस्या थी, राजमथाई योजना और कड़ाऊ भियाना योजना–उस समय के हमारे सांसद वृद्धि चन्दजी यहां विराजे हुए हैं, एक करोड़ चौहत्तर लाख की स्कीम 1989–90 में सैंक्शन करवायी थी, आज भी पूरी नहीं हुई है। चार माह से हम भाग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि जो भी छोटे–मोटे काम रह गये हैं उनको पूरा कराएं। ताकि आठ वर्षों से जो लोग बूंद–बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं वे अपनी प्यास बुझा सकें।

जैसलमेर नगर की समस्या श्री वृद्धिचन्द जी जैन साहब ने अभी मैंशन की कि सैकण्ड फेज गजुल साइड योजना जो नगर को पानी देने के लिए स्वीकृत हुई थी आज भी पूरी नहीं हुई। जैसलमेर नगर में आज तीसरे–चौथे दिन पानी मिलता है तीन चार दिन तक

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

इन्तजार करके लोग बैठे रहते हैं कि पानी पहुंचे। पांच सात वर्ष पूर्व प्रतिदिन पानी मिलता था, अब तीन–चार दिन बाद पानी मिलता है। मेरा निवेदन है कि प्रति दिन जल हमें प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करें। मान्यवर, पेयजल के बारे में मेरा कहना है कि हमारे जिले में 40–40 और 50–50 किलोमीटर की लाइनें डली हुई हैं। इन्दिरा गांधी नहर का स्त्रोत हमें मिल चुका है। अभी बन्दी का समय है। मुझे भय है, मुझे कल ही सूचना मिली कि राजस्थान नहर की बन्दी 22 तारीख तक रहेगी। यदि दो दिन भी बढ़ा दी गयी तो हमारे हजारों पशु प्यासे मर जाएंगे। मेरे यहां मनुष्य संख्या से पांच गुना पशु हैं, हमारे पशु नहीं बचेंगे पशु बचाना हमारा पहला कर्त्तव्य है। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा, उन्होंने जो अपनी बुकलैट निकाली उसमें लिखा है कि गांव लाभान्वित हो गया। हमने पूछा कैसे लाभान्वित हुआ कि हैण्डपम्प खुदवा दिया। महज एक हैण्डपम्प से हमारे गांव की पूरी जनता और पशु पानी नहीं पी सकते और गांव को छोड़ दिया। ऐसे फिगर जाते हैं तो यह उचित नहीं है। हैण्डपम्प से विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जहां पशुधन का बाहुल्य है, पूरे गांवों को पेयजल नहीं उपलब्ध कराया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि वहां अण्डर ग्राउण्ड पानी पड़ा हुआ है। हम सिद्ध कर चुके हैं कि जैसलमेर जिले में भूगर्भ में बहुत बड़ा पेयजल है। एक हाइड्रोलोजिकल सर्वे हुआ था। मेरी मांग है कि जैसलमेर जिले में पुनः एक हाइड्रोलोजिकल सर्वे करवाया जाए कि कितने बड़े जल स्रोत भूगर्भ में है ताकि हम उसके आधार पर या इन्दिरा गांधी नहर के आधार पर पेयजल योजनाएं बनाकर इतने बड़े भू–भाग को लाभान्वित कर सकें।

विद्युत के बारे में मैं ऊर्जावान ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वहां पहुंचकर... (व्यवधान) ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री कहूंगा। उन्होंने वहां पहुंचकर पवन बिजली संयंत्र का शिलान्यास किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जुलाई में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। पर एक उलाहना है मेरा जिसे मैं इन शब्दों के साथ कहूंगा। 135 मेगावाट का जो पावर प्लान्ट है रामगढ़ का, कांग्रेस के मैनीफेस्टो में लिखा है कि 70 मेगावाट बनाया जाएगा। राज्यपाल महोदय के भाषण में भी 70 मेगावाट का बढ़ाया जाएगा। आप मुझे यह आवश्वासन दे रहे हैं कि कुछ पैसा रखा है, बढ़ाया जाएगा। तो मेरी मांग है कि 135 मेगावाट का पूरा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर चुके हैं, ट्रांसमीटर लाइन हम बाड़मेर तक भेज चुके हैं। आज बाड़मेर में बिजली जैसलमेर से जाती है। 135 मेगावाट का जो गैस आधारित पावर प्लान्ट है, उनका कहना है कि गैस नहीं मिल रही है। बाड़मेर के परली पार सुई गैस के नाम से वहां पावर प्लान्ट चल रहे है। जब पाकिस्तान में पावर प्लान्ट चल रहे हैं तो भारतवर्ष में भी वही बैल्ट है, क्यों नहीं पावर प्लान्ट चलता है ? यह क्वेश्चन मार्क हमें बहुत परेशान कर रहा है। केन्द्रीय सरकार से, गैस अथोरिटी आफ इण्डिया से, ओ.एन.जी.सी. से, जिनसे भी

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

आपको सम्पर्क करना हो, कृपया सम्पर्क करिये। बिना सम्पर्क किये बिना योजना के आप और हमने 135 मेगावाट के प्रोजैक्ट के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये हैं तो हम उसके दोषी हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि वहां गैस है। इसमें मुझे बहुत बड़ा षड़यंत्र दिखता है कि उस गैस को देने के लिए हमें मनाही की जा रही है। उस गैस पर आधारित 135 मेगावाट का पावर प्लान्ट चले तो पश्चिमी राजस्थान की जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर पाएंगे। विशेषकर इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि 35 मेगावाट की टरबाइन अभी लगी हुई है, 70 मेगावाट की दो टरबाइन चलने से 30 मेगावाट बाई एग्जोस्ट पैदा होगा जिसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। जब 30 मेगावाट बाई प्रोडक्ट होता है तभी जाकर हमारी यूनिट वायबल बनेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। मान्यवर, इसके साथ मैं और कहूंगा कि यदि पावर प्लान्ट कम्प्लीट होता है तो वह पावर प्लान्ट ऐसा पावर प्लान्ट है जिसे हम गैस के आधार पर चला सकते हैं। यदि गैस उपलब्ध न हो तो नेफ्था के आधार पर भी उस पावर प्लान्ट को चलाया जा सकता है। नेफ्था की उपलब्धि राजस्थान सरकार के पास है इसलिए मेरा ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि कृपया हमारी इस मांग को, मेरी इस आवाज को आप केन्द्र सरकार तक, गैस अथोरिटी तक, ओ.एन.जी.सी. तक तथा आल इण्डिया तक पहुंचा कर उस गैस के प्लान्ट से 135 मेगावाट का प्रोडक्शन करें।

सौर ऊर्जा की चर्चा की गयी। मुझे याद है कि हमारें वहां शिलान्यास किया गया था सौर ऊर्जा का और माननीय भैरोंसिंहजी साहब ने घोषणा की थी कि एक किलोमीटर लम्बी चिमनी लगायी जाएगी और फिर सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी। बहुत बड़ा आश्वासन था। यदि उपलब्ध है सौर ऊर्जा और मथानिया और जैसलमेर का प्लान्ट सौर ऊर्जा के आधार पर इकोनोमिकली वायबल है तो निश्चित प्रारम्भ करें। इसके साथ, हमारे पास में बाड़मेर–जैसलमेर के बोर्डर पर लिग्नाइट के बहुत बड़े भण्डार हैं। बीकानेर में भी भण्डार हैं। उन्हें लिग्नाइट पर आधारित पावर प्लान्ट में लेकर हम प्रोडक्शन करें, तभी हम राजस्थान को स्वावलम्बी बना पाएंगे बिजली के बारे में।

विद्युत की कमी के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि मेरे जिले में तीन क्षेत्रों से बिजली आती है। चम्बल के लाइन आती है, बाड़मेर जिले से होकर नौ जिले के कुछ हिस्से को फीड करती है। दूसरी भाखड़ा से आती है तो नहरी इलाके को फीड करती है। यदि कहीं बिजली चली जाए तो हमारे एक्स.ईएन. को पता नहीं कि उस गांव में बिजली नहीं। हम जाकर कहे तो तीन दिन बाद, चार दिन बाद प्रयास किया जाता है बिजली ठीक करने का। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे जिले पर जोर दें तो एक कन्ट्रोलर आफिसर बैठा है वहां पर बिजली का, उसके कन्ट्रोल में हम बिजली की व्यवस्था कर पाएं।

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

कृषि कनेक्शंस के बारे में मेरा निवेदन है कि 1995 की आफडेट हमारी चल रही है। हमारे पूरे जिले का आफ–लोड पांच और छह मेगावाट से ज्यादा नहीं है। हम 25 मेगावाट पैदा करते हैं, 30 मेगावाट 35 मेगावाट पैदा करते हैं, हमारी छोटी–सी मांग है कि जैसलमेर जिले का जो कृषि क्षेत्र है, विशेष बैल्ट है चांदन लाठी सीरीज का, विशेष कृषि परियोजना बनाकर उस बैल्ट को कनेक्शन देकर जो नये सीखने वाले कृषि के लोग हैं उनको प्रोत्साहित करें। मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी बात सुनी। जयहिन्द।

श्री सभापति : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री भीमसेन(लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा सम्बन्धी मेरे क्षेत्र की जो मांग है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सम्भाग क्षेत्र में उपभोक्ताओं की बैठक बुलाकर क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में अध्ययन किया, उनका आकलन किया और समस्याओं के समाधान की भी उन्होंने कोशिश की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुओं से उत्पादन बहुत हो रहा है और बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने से अभी इलाके में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्रीजी ने क्षेत्र का दौरा किया था। जो कुओं का क्षेत्र है जहां मूंगफली उत्पादन होता है, उस इलाके की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उनसे मांग की गयी थी कि नापासर का 132 का ग्रिड सब स्टेशन है उस ग्रिड सब स्टेशन को 31 मई तक चालू कर दिया जाए। ऐसा माननीय मंत्रीजी ने हमें आश्वासन भी दिया था। लेकिन मैं समझता हूं इसके सम्बन्ध में अभी भी आवश्यकतानुसार काम नहीं किया जा रहा है। मुझे आशा है, इस बारे में मंत्रीजी ध्यान देंगे।

इसके अलावा बिजली का विस्तार बहुत है उस इलाके में। लम्बी लम्बी लाइनें हैं लेकिन आपके पास मेन्टिनेंस के लिए स्टाफ नहीं है। छत्तरगढ़ से लेकर तखतपुरा की लम्बी 60 किलोमीटर की लाइन है उसमें आपने हैल्पर्स और स्टाफ नहीं दे रखा है उससे बिजली का जब व्यवधान पैदा होता है, उसका तत्काल सुधार करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आर.डी. 465 की नई मंडी विकसित की जा रही है, वहां पर 33 के.वी. के सब स्टेशन की आवश्यकता है, मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में ध्यान देंगे। इसी तरह से हमारे गांवों में जो बड़ी–बड़ी लाइनें हैं उन लाइनों में तार बहुत लूज हैं जिनसे बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। जब आंधियां चलती हैं तब आंधियों से तार आपस में टकराते हैं और बहुत परेशानी होती है जनता को। कालू के अंदर विद्युत लाइन गिरने से एक्सीडेंट हो गया था और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। लेकिन उस व्यक्ति को कोई

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

राहत नहीं पहुंचाई। इसी तरह से खाजूवाला के अंदर बड़ी लाइन, 11 के.वी. की लाइन में तार टूट जाने से आबादी एरिया में करंट पैदा हो गया था, उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। उसको भी किसी तरह की राहत नहीं पहुंचाई गयी। मैं समझता हूं, माननीय मंत्री महोदय इन समस्याओं के बारे में ध्यान देंगे।

मैं पेयजल के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कहीं तो ट्यूबवैल से पानी की व्यवस्था की जाती है, कहीं नहरी पानी के आधार पर डिग्गियों से पानी की व्यवस्था की जा रही है। सिंचित क्षेत्र का इलाका है वहां पर डिग्गियों से पानी भरा जाता है। उन डिग्गियों की सफाई की कोई भी व्यवस्था सरकार ने नहीं कर रखी है और किसानों को नहर का जो गन्दा पानी आता है उस पानी को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विभाग द्वारा कम से कम क्लोरीन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि साफ पानी मिल सके। इसके बारे में भी मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ध्यान करेंगे।

मेरे क्षेत्र में 1978 में कुछ योजनाएं मंजूर हुई थीं। उस वक्त 40 लीटर के हिसाब से योजना बनी हुई थी। उसके बाद 70 लीटर के हिसाब से जो योजनाएं की जानी चाहिए थीं, उनका आग्मैंटेशन किया जाना चाहिए था, उसके बारे में सरकार ने ध्यान नहीं किया। मैं समझता हूं हमारे फलसेरा से [illegible] की स्कीम है, इस योजना का आग्मैंटेशन करने की आवश्यकता है। इसी तरह से दूसरी अर्जुनसर से जैतपुर की योजना है, उसका भी 70 लीटर के हिसाब से आग्मैंटेशन करने की आवश्यकता है। इसके बारे में भी आप ध्यान करेंगे।

इसी तरह से हमारे यहां जहां पर बड़े बड़े गांव हैं उनमें एक-एक ट्यूबवैल का सोर्स होता है। ट्यूबवैल खराब हो जाता है तो गांवों के लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए जहां एक ट्यूबवैल है वहां कम से कम 2 ट्यूबवैल किये जाने चाहिए। तेरासर है, सैंदरासर है, हेमासर है, इन गांवों के अंदर एक-एक ट्यूबवैल है, वहां पर आप दो-दो ट्यूबवैल करेंगे तो मैं समझता हूं समस्या का समाधान होगा।

इसी तरह से मेरे इलाके में 3 जगह टी.एस.एस. की योजना है। गांव के लोग उस योजना को मेंटेन नहीं कर पा सकते हैं। बार बार उनको समस्याएं होती हैं। कलेक्टर के पास अप्रोच करते हैं तो कलेक्टर के पास फण्ड अवेलेबल होता नहीं है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि तीन योजनाएं मेरी हैं पेमासर, तेजरासर और सैंदरासर, उन तीन गांवों की योजना को सरकार मेंटेन करें और जनता को राहत पहुंचाए।

मैं माननीय मंत्री का अकाल के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अकाल के बारे में एक कहावत है। "पग पूगल, धड़ मेड़ता बाहू बाडमेर और ठावो जैसलमेर।"

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

अकाल को अगर ढूंढ़ना हो तो पूगल के अंदर पग मिलेंगे उसके। मेरे इलाके में दो साल से बराबर अकाल है। गांवों के अंदर पशुओं के लिए तृण की भी बहुत बड़ी समस्या है, भाव तेज हो रहे हैं। पशुओं के लिए क्रय शक्ति जनता की है नहीं तो लोग अपनी अपनी गायों को छोड़ रहे हैं। सरकार को कम से कम तहसील मुख्यालय पर ऐसा कोई पशु आहार खोलना चाहिए जिससे पशुओं को खिलाने–पिलाने के लिए कोई व्यवस्था हो। इसके बारे में मैं समझता हूं कि माननीय राहत मंत्रीजी ध्यान करेंगे।

गांवों में जहां अकाल प्रभावित लोग हैं रोजगार की बड़ी आवश्यकता है। 10 हजार की आपने सीलिंग कर रखी है बीकानेर जिले के लिए, मैं समझता हूं यह लिमिट बहुत कम है। मेरे इलाके के गांवों के अंदर जोहड़ है जहां बरसात का पानी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ठहर सकता है। ऐसे जोहड़ जो इतने उपयोगी हैं उनको अकाल राहत के अंदर खुदवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। कुछ सड़कें स्वीकृत करनी चाहिए। मैंने माननीय मंत्रीजी को इसके बारे में लिखा भी था कि सेखसर से खोड़ाला 10 किलोमीटर की सड़क है। इसी तरह से सुबलाई से लेकर अजीतवाना दो पंचायत मुख्यालय की सड़कें हैं, ये सड़कें मंजूर की जाए तो एक ओर जहां लोगों को राहत मिलेगी उसके साथ आने–जाने के साधन भी मिल पाएंगे। हमारे यहां पर अकाल राहत के टाइम पर हमेशा कैटल फीड के लिए सब्सिडी देते हैं, डेयरी के माध्यम से सब्सिडी देते हैं लेकिन अभी तक आपने कैटल फीड के लिए सब्सिडी की घोषणा नहीं की है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय ध्यान करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जयहिन्द।

श्री सभापति : तिजारा से आने वाले माननीय सदस्य। आपके भी बुला लेंगे। ये अपनी पार्टी के अकेले माननीय सदस्य हैं, शुरू से आखिर तक यह बैठे हैं। आप तो राज करा रहे हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप बुलवा लो, मैं बैठ जाऊं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, आप समय कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 21 स्पीकर और प्रतिपक्ष के पांच स्पीकर का समय बराबर निकलेगा।

श्री सभापति : आप राज चला रहे हैं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : हम न्याय की उम्मीद करते हैं, आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि आप समान अवसर दीजिए हमें।

श्री सभापति : वे तो कन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी डिबेट को। आप शासन कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : तो क्या हम डिबेट में से कुछ ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यहीं नहीं, दिल्ली में आपकी मदद कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : हम आपकी पार्टी के नहीं है क्या ? हमारी तरफ मेहरबानी क्यों नहीं हो रही आपकी ?

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : रामस्वरूप जी आपको मेरी मेहरबानी की जरूरत है ?

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मैं चीफ व्हिप की चिन्ताओं से वाकिफ हूं और मैं पांच मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। फिर चाहे जो अनुपस्थित हैं उनसे भी भाषण करा लेना आप। आपकी अकाल राहत पर, बिजली पर कितनी चिन्ता है वह तो आपकी उपस्थिति ही बता रही है। फिर भी जो अनुपस्थित हैं उनसे भी भाषण कराने के लिये आप स्वतंत्र हैं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उधर भी देख लो।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं उनको अच्छा नहीं बता रहा हूं लेकिन मेरी उपस्थिति सौ फीसदी है।

श्री सभापति : बोलिये बोलिये प्लीज।

श्री रामस्वरूप : जो मौजूद हैं उनका नाम तो आना चाहिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : जो हाजिर नहीं हैं भाषण तो वे ही देंगे। वे कैसे दे सकते हैं जो हाजिर हैं ?

श्री सभापति : कहिये, कहिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं। जब से बजट सत्र आया है, यह सही है और आप भी वाकिफ हैं कि एनर्जी मिनिस्टर को सब धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं भी। इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि इनकी पैदाइश चौधरी चरण सिंहजी ने राजनीति में की थी और वे किसान संस्कार इनमें हैं। दो मंत्री और हैं जनता दल के, लोक दल के, उनकी परफारमैंस आप देख रहे हैं। वे बेगुरपीर के थे, ना तो वे चरण सिंहजी से पढ़े, ना इंदिरा गांधीजी से पढ़े। जैसे अब्दुल अजीज साहब हैं और भगराजजी हैं। पहले तो ट्यूशन लिया इंदिरा गांधीजी से, फिर चरण सिंह जी से लिया। तो चौधरी चरण सिंहजी के संस्कार भी याद नहीं रहे उनको और इंदिरा गांधीजी के भी। अकेले अब इन्होंने जमात की अदला बदली की है, लेकिन इनके विचार परिपक्व चरण सिंहजी ने कर दिये थे कि जब आपको अवसर मिले किसानों के हितों को मत भूलना। इसलिये मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि किसी ने तो चौधरी चरण सिंह का नाम रोशन किया।

सभापति महोदय, मैं एनर्जी मिनिस्टर का ध्यान मेरे क्षेत्र और जिले की तरफ दिलवाना चाहता हूं। सभी ने किसानों की बात की। बात वाजिब भी है। किसानों की चिन्ताओं से मैं भी वाकिफ हूं लेकिन इस बार एनर्जी मिनिस्टर ने हमको पिटने से बचा दिया और हम आजाद

(श्री जगमाल सिंह यादव)

तरीके से क्षेत्र में घूमे। जे.ईएन. ए.ईएन. और जो फील्ड का स्टाफ है आर.एस.ई.बी. का पूरे राजस्थान में, एक साल में हजारों–हजारों पिटते थे। हाथ और पैर टूटते थे। वे भी आपको दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि बिजली जाती नहीं थी और गांव के लोग ए.ईएन. और जे.ईएन. दफ्तर पर हमला बोलते थे। जो जयपुर में आर.एस.ई.बी. में एयर कण्डीशन में बैठे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लोग सवाल यह करते थे कि जब आपके पास एक घंटा भी बिजली नहीं है तो इस दफ्तर में क्यों बैठे हो ? ताला लगाओ और जाओ। पूरा सदन जानता है कि प्रत्येक साल में, इस साल को छोड़कर हजारों–हजारों तादाद में इंजीनियर, फील्ड के जो वर्कर हैं वे पिटते थे। इसलिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि कम से कम किसानों की फसल को सही सलामत रखा। किसान भी आपको दुआ देगा।

सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो प्रैक्टिकल बात है उसकी तरफ, एनर्जी मिनिस्टर साहब, अलवर जिला औद्योगिक डिस्ट्रिक्ट है और सभापति महोदय, आप भी वाकिफ हैं। अलवर जिले में जो भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है वह राजस्थान में ही नही बल्कि हिन्दुस्तान के औद्योगिक क्षेत्रों में अपना तीसरा स्थान रखता है। दो साल से, ढाई साल से आर्थिक मंदी के दौर से कह लो या बिजली बोर्ड के गलत रवैये से कह लो, मुख्य जो फैक्ट्रियां थी भिवाड़ी इंडस्ट्रियल में वे थी फरनैस की, वे फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो गयी। आज उन फैक्ट्रियों को मंत्रीजी, बंद हुए हो गये तीन–तीन साल और आपका एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है ? किसी भी फरनैस कम्पनी की ज्यादा से ज्यादा जो परिसम्पत्तियां हैं वे हैं 2 करोड़ की, ढाई करोड़ की या 3 करोड़ की और आपके बोर्ड की गलत नीतियों से उन पर ओवर ड्यू हो गया बिजली का शुल्क किसी पर 8 करोड़, किसी पर 5 करोड़, किसी पर 2 करोड़। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, मंत्रीजी कि ढाई साल से भिवाड़ी फरनैस वालों से आपका एक नया पैसा वसूल नहीं हुआ है। आप और आपका बोर्ड ताकत लगा ले, यह वसूल हो भी नहीं सकता। आपने पैकेज डील किया है कि 50 परसेंट अब विद्युत का शुल्क जमा करा दें, 50 परसेंट हम इनस्टालमैंट कर देंगे। आप भी जानते हैं कि लोहे पर और सीमेंट पर मंदी की जो मार पड़ी है, शायद दूसरे उद्योगों पर नहीं पड़ी है। बिजली बोर्ड वाले तो अपनी लगाएंगे और आप भी मजबूर हैं कि उनको अवोइड करके नहीं चल सकते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे कि ढाई साल में वे उद्योग धंधे भी बंद और आपका एक नया पैसा भिवाड़ी फरनैस वालों से वसूल भी नहीं हुआ। सभापति महोदय, एक निवेदन और आपके मार्फत करना चाहता हूं कि फरनैस की इंडस्ट्री का जो रा–मैटीरियल है वह एनर्जी है। उनका बिजली का बिल आता है एक–एक महीने में 50–50 लाख,

(श्री जगमाल सिंह यादव)

60–60 लाख रुपये। आज हालत यह हो गयी कि आपकी रिकवरी ढाई साल से हुई नहीं। अब एग्रीकल्चर सैक्टर आपका फ्री हो गया और आने वाली बरसात के दिनों में बिजली की मांग और घट जाएगी। इंडस्ट्री वालों से मुनाफा लेकर किसानों को जो सब्सिडाइज करते थे, आपके सामने यह प्रोब्लम भी आएगी कि आने वाले समय में चूंकि उद्योग तो आपकी बिजली ले नहीं रहे हैं, उनसे मुनाफा कमाओगे नहीं तो किसानों को सब्सिडाइज कहां से करोगे आप ? भिवाड़ी में या पूरे राजस्थान में जितने फरनैस उद्योग हैं उनसे एक नया पैसा आपका रिकवर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। मैं आपके रेट के इंट्रेस्ट के मामले में कहीं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। यह जो मैं सुझाव दे रहा हूं तब भी सारे नहीं आएंगे। वे बगड़े आएंगे जो खाना चाहते हैं, जो बिजली विभाग को खाकर भाग गये। ढाई साल से तो आपकी रिकवरी सस्पैण्डेड हैं, एक नया पैसा फरनैस वालों से वसूल हुआ नहीं और उन्हीं में बिजली की सबसे ज्यादा खपत थी। मेरी एक सलाह है कि आप उनको बुलाएं और वह पैकेज डील जो आपने दिया उसको बदलें। उनसे इतनी बात कहें कि मंदी का दौर न केवल हिन्दुस्तान में है बल्कि आल वर्ल्ड मंदी के दौर से प्रभावित है, सारे मुल्क प्रभावित हैं, इसलिये हम आपको यह छूट देते हैं कि जो अपनी फरनैस को, इंडस्ट्री को चलाना चाहे, एक महीने का, 15 दिन का पहले एडवांस जमा करा दें और अपने उद्योग धंधों को चलाएं। जैसे 30 दिन का पैसा जमा कराया लेकिन अगर आपने 28 दिन बाद बिजली का अगले महीने का पैसा जमा नहीं कराया तो आपके कनेक्शन काट दिये जाएंगे। उससे स्थिति यह बनेगी कि जो अपने उद्योग को इस उम्मीद में चलाना चाहेंगे कि कभी तेजी का दौर भी आएगा, वे अपने उद्योग धंधों को चालू कर लेंगे। आपकी बिजली के खरीददार तो खड़े हो जाएंगे। आज हालत यह है कि ढाई साल से एक नया पैसा किसी उद्योगपति ने नहीं दिया। सारे खाकर डकार जाएंगे, आपने अगर यह पैकेज डील नहीं किया, मंत्री महोदय जब तक आर्थिक मंदी के दौर से देश नहीं उबरता तब तक आपकी एक नये पैसे की बिजली की खरीददारी ये फरनैस वाले नहीं करेंगे। तो फिर आप इसको खपाओगे कहां जो पास सरप्लस बिजली रहेगी ? मैं यह नहीं कहता कि आप उनको खैरात दें, मैं यह यहीं कहता कि आप उनकी रेट कम करें, उनका ब्याज कम करें। जो भी लिटिगेशन है, मेरी सलाह यह है कि साल भर के लिये, दो साल के लिये जब तक देश आर्थिक मंदी के दौर से नही उबरता, तब तक आप उस लिटिगेशन को एक तरफ रख दें। उनसे एडवांस एक महीने का, 15 दिन का बिजली का जो उनका बनता है एस्टीमेटेड, वह आप जमा कर लें और उनसे कह दें कि 15 दिन का जमा कराया तो चौदहवें दिन अगर आपने

(श्री जगमाल सिंह यादव)

अगले 15 दिन का जमा नहीं कराया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। इससे एक आशा की उम्मीद जगेगी। उनके उद्योग धंधे अगर खड़े हो जाएंगे, मंदी के दौर से उबर जाएंगे तो आपकी बिजली की खपत होगी, आपकी रिकवरी आ जाएगी और अगर वे मुनाफे में चले तो आपका पिछला भी वसूल हो सकता है। एक तो मेरी यह सलाह है आपसे।

दूसरा, जैसा जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान दिया था, हकीकत क्या हो गयी है ? आप गांव की पृष्ठभूमि के हैं। जो ओरिजिनल गांव थे, जो बड़े–बड़े गांव थे, उनमें लोग अपने खेतों में जाकर बस गये और जो बड़े गांव थे वे खाली पड़े हैं। आज राजस्थान में अलवर जिले के 50 और 70 फीसदी गांवों की स्थिति यह है कि जिन गांवों को ये इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं उन गांवों में तो कौओं बोल रहे हैं। बने बनाये मकान छोड़ दिये। लोग बाग अपनी खेती–बाड़ी के हिसाब से अपने खेतों में बोरिंग करके बस गये हैं और वहां ढाणियां बन गयी। गांवों को आप इलेक्ट्रिफाई कर रहे हैं लेकिन जब इलेक्ट्रिफिकेशन की ढाणियों की बात आती है तो आपके अफसर कहते हैं कि हमने रेवेन्यू विलेज को इलेक्ट्रिफाई किया है। इस पर कोई न कोई विचार करके अपने अधिकारियों को भेजकर सर्वे करा लें कि उसका क्या अल्टरनेट हो सकता है और गांव की ढाणियों को कैसे जोड़ा जा सकता है। इस पर आप विचार करेंगें, मुझे उम्मीद है।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मेरा अलवर क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। आपके जहां–जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसा भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया हिन्दुस्तान में तीसरी स्थिति रखता है, अलवर एम.आई. है, बहरोड है, नीमराना है, शाहजहांपुर है, बानसूर के पास खैरथल विधान सभा क्षेत्र में खैरथल मंडी है यहां हालत क्या हो रही है ? इन्होंने फीडर बदल रखे हैं। जहां इंडस्ट्री है वहां 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया तो बहुत बड़ा हो गया, 10–20 गांव उनके बीच में आ गये, या उसके पड़ौस में पड़ने वाल गांव हैं इनके अफसर उनकी फीडर अलग बना देते हैं, उनकी लाइन अलग निकाल देते हैं। अब हालात ये होते हैं कि उन इंडस्ट्रीज में 24 घंटे बिजली चले और किसान के खेत में 2 घंटे बिजली आए तो स्वतः ही आंदोलन खड़ा होगा। वे देख रहे हैं कि बिजली की शार्टेज नहीं है। गवर्नमेंट उद्योग को तो बिजली 24 घंटे दे रही है और किसानों को 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे दे रही है। मेरी राय यह है कि इंडस्ट्रियल एरिये के आसपास या उनके बीच में पड़ने वाले जो गांव हैं, आप बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दें कि उनके फीडर अलग नहीं करें। नहीं तो झगड़े, तनाव और प्रतिशोध की भावना पैदा होगी। 5–7 गांवों को अगर इंडस्ट्रीज के साथ ज्यादा बिजली मिलती है तो किसानों का कोई बुरा नहीं होगा और बोर्ड का भी कोई नुकसान नहीं होगा। फ्री बिजली नहीं ले रहे

(श्री जगमाल सिंह यादव)

हैं। (व्यवधान) गलत है तो गलत सलाह दे दें।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। नहीं, आप अपनी बात कहिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं एक ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय, एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि हमने इतनी किलोमीटर लाइन खींच दी कि पृथ्वी के 3 चक्कर लग जाएं। चाहे पृथ्वी के आप 4 चक्कर लगा लें। लेकिन सभापति महोदय 1976 से बिजली बोर्ड में भर्ती बंद है। कल्पना कीजिये, 1976 में जितने गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और जितनी हमारी बड़ी लाइनें खिंची थी, उसके बाद राजस्थान में इलेक्ट्रिफिकेशन कितना बढ़ता चला गया। 1976 से आज 24 साल हो गये, बिजली का तो विस्तार हो गया, लाइनों का विस्तार हुआ लेकिन कर्मचारी घटते गये। जो रिटायर हुए उनके स्थान पर भी बिजली बोर्ड ने कोई कर्मचारी 1976 से भर्ती नहीं किये हैं। कैसी कल्पना बनी कि 1976 से इलेक्ट्रिफिकेशन तो 10 गुना हो गया और कर्मचारी जो 1976 में आपने भर्ती किये थे वे धीरे–धीरे रिटायर होते चले गये। जो रिटायर नहीं हैं उनकी हालत क्या हैं ? वे आज खम्भे पर नहीं चढ़ सकते क्योंकि उनकी उम्र हो गयी किसी की 55 साल, किसी की 58 साल, तो क्या स्थिति बनेगी ? मैं आपसे यह चाहता हूं कि मितव्ययता बरतिये लेकिन ऐसे मामलों में मितव्ययता मत बरतिये जो सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला है, किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। आज हालत यह है कि इनके पास एक ग्रिड सब स्टेशन पर केवल 3–3 आदमी हैं और आपके फीडर निकल रहे हैं 10, अगर एक फीडर पर गड़बड़ हो जाती है और आपका कर्मचारी उसको ठीक करने जाता है तो उसकी जो पारी दिन की है वह सारी मारी जाती है। वह ठीक करके आता है उससे पहले दूसरे फीडर पर वह शिकायत है कि हमारे यहां फाल्ट हो गया। यह स्थिति है। मितव्ययता का मतलब यह नहीं है कि आवश्यक जो काम है उन पर आप मितव्ययता करें इसलिए मैं चाहूंगा कि बोर्ड में भर्ती खोलें। चाहे अफसरों की भर्ती खोलें या न खोलें लेकिन जो लाइनमैन हैं, फील्ड के आदमी हैं जिनकी आपको जरूरत है उनकी भर्ती आप जरूर खोलें।

मैं पानी के मंत्री जी से क्या कहूं ? इनके मामले में यह है कि मर्द आदमी हैं। मैं चापलूसी भी नहीं कर रहा हूं, मेरे यहां पानी की समस्या भी नहीं है। लेकिन, मंत्री जी मैं आपका एक ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। जैसे मैंने इंडस्ट्रियल एरिये का जिक्र किया, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिये में, बहरोड में, नीमराना में ऐसे पचासों गांव ऐसे आ गये इंडस्ट्रियल एरिये में जिनको रीको तो मेंटेन नहीं करता और आपके पानी के विभाग से कहते है तो वे कहते हैं कि यह क्षेत्र तो रीको के अधीन आ गया, रीको वाले सड़क नहीं काटने देंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जहां–जहां इंडस्ट्रियल

(श्री जगमाल सिंह यादव)

एरिया है राजस्थान में वे गांव जो इंडस्ट्रियल एरिये में आ गये, उनकी सड़क का काम हो, चाहे पानी का काम हो, पानी का काम रीको कर रही है, सड़क को मेंटेन करने का काम रीको कर रही है। उन गांवों के हालात बद से बदतर हो गये। दूसरी स्थिति यह बनेगी, विश्नोई साहब, कि आप जिस इंडस्ट्रियल एरिये से बोरिंग कर उनको पानी देना चाहेंगे वहां इंडस्ट्रीज हैं और प्रदूषित वाटर वहां से निकल रहा है। जैसा ऊपर प्रदूषित वाटर है वैसा ही अंडरग्राउंड जो जल है उसमें मिल रहा है। आप अगर गहरे बोरिंग नहीं करेंगे तो वहीं पानी जो फैक्ट्री से निकल रहा है, वही उनको मिलेगा। इनको में पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं जहां–जहां इंडस्ट्रियल एरिया आ गया और उन गांवों को रीको भी नहीं संभाल रही है, यू.आई.टी. भी नहीं संभाल रही है और उनका हाउसिंग बोर्ड भी नहीं संभाल रही है। वे गांव जो बीच में आ गये, उनका कोई गुनाह नहीं। उनकी आप अपने अफसरों से कहकर रिपोर्ट बनवाएं कि ऐसे राजस्थान में कितने गांव है जो इंडस्ट्रियल एरिये में आ गये और जिनकी दूसरे विभाग या रीको या कोई एजेन्सी सुध नहीं ले रही है। आपका दायित्व बनता है कि आप उन गांवों को पानी की सप्लाई दें।

मैं आपको एक सलाह और देना चाह रहा हूं। ऐसे आपके बहुत से ट्यूबवैल हैं जो बीसों साल से अंडरग्राउंड वाटर विभाग ने तैयार करा दिये। मेरे जिले में ऐसे सैकड़ों की संख्या में हैं। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास संसाधन नहीं हैं तो अंडर–ग्राउंड डिपार्टमैंट से बात करके, उनको आप चालू करा दें। 400–400, 500–500 फीट गहरे ट्यूबवैल हैं, इस आपात स्थिति में जो जल स्तर अलवर का गिर रहा है उसमें उनसे आप पानी दें सकते हैं।

हमारे यहां सौभाग्य है कि अकाल नहीं हैं। अकाल के मामले में मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कहकर समाप्त करूंगा। अकाल मंत्री जी अकाल सहायता मंत्री या राहत मंत्री जी पिछली सरकार को मैं भी खूब गाली देता हूं, पानी पी–पीकर कोस रहा हूं। लेकिन पिछले 1998–99 के बजट में जो काम बढ़िया किया हो, उसको एप्रिशिएट भी करना चाहिए। कपास की जो फसल खराब हुई थी, आपको ध्यान होगा आप तो सदन में थे, मैं तो बाहर था कि तत्कालीन सरकार ने 15 करोड़ रुपये किसानों की राहत के लिये दिये थे। किसान आत्महत्याएं करने लग गये थे बीकानेर में, गंगानगर में, जहां–जहां कपास की खेती होती है। यह आपका मैटर नहीं है, प्राकृतिक आपदा के जो नियम बने हुए हैं, सभापति महोदय, उसमें भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत साफ निर्देश है कि लघु कृषक और सीमान्त कृषक की ही अगर फसल खराब होती है, तो उनको ही प्राकृतिक आपदा के तहत मदद दी जाए। अब वे हैं नहीं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपने पिछले 1998–99 के बजट में एक प्रावधान किया और गवनमैंट आफ इंडिया को

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लिखा कि सीमान्त और लघु कृषक ही नहीं, फसल अगर खराब होती है तो बड़े किसान की भी होती है। प्राकृतिक आपदा आती है तो वह न केवल लघु कृषक और सीमान्त कृषक को ग्रसित करती है, वह समस्त किसानों को बरबाद कर जाती है। इसलिए उन्होंने यह घोषणा की थी। 15 करोड़ रुपये दिया नहीं, घोषणा तो कर गये। यह भी हो सकता है कि घोषणा उन्होंने इसलिए की हो कि जान बच जाए किसान का नाम लेकर वे जान बचाना चाहते थे। मन उनका था या नहीं लेकिन बजट में उन्होंने प्रावधान किया था। आपने क्या किया ? हालांकि फिर आप कहेंगे कि मैं पोलिटिकल बोल रहा हूं। आपने 15 करोड़ रुपये जो तत्कालीन सरकार ने भारत सरकार से मांगे थे और घोषणा की थी देने की, वे तो दिये नहीं बल्कि 15 करोड़ के उन पर कर और लगा दिये। मैं चाहूंगा कि जो प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल नष्ट हो जाती है उसका पैमाना बदलिये। हरियाणा सरकार ने 600 रुपये प्रति एकड़ किया हुआ है जिनको वे कीला कहते हैं। और आपने क्या किया हुआ हैं ? एक बीघा तक। यह आपने 600 किया है तो उन्होंने तो और बढ़ा दिया है। आप किसान हैं और मैं तो यह दुआ दूंगा कि अशोक जी जाएं नहीं क्योंकि ओ.बी.सी. के है, लेकिन अगर वे गये तो किसानों में आपको अपनी इमेज बनानी पड़ेगी क्योंकि भावी मुख्य मंत्री के रूप में लोग आपको देख रहे हैं। जैसे चन्द्रभान जी लीड ले गये, जो जाट बने, तो वे बने बूढ़े–बूढ़े जाट पीछे रह गये। इनको तकलीफ भी हैं, नया राजपूत तो आगे बढ़ नहीं रहा तथा राठौड़ साहब की क्षमता चुक चुकी है, इसलिए लोग चर्चा करते हैं। मैं नहीं बना रहा हूं, लोग चर्चा करते हैं कि अगर किसी दिन दुर्भाग्य से अशोक जी विदा हों तो शक्तावत साहब की ताजपोशी की जाए। इसलिए इमेज बनाएं। जैसे झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और जालौर से आने वाले माननीय सदस्य को पीड़ा थी, कर जाओ, शक्तावत साहब, पता नहीं क्या होगा। आपकी ताजपोशी हो जाएगी, इमेज बनेगी आपकी। जैसी डा. साहब ने बना ली है। पैसा तो चाहे आपने ही दिया हो, सरकार ने दिया हो लेकिन हीरो बन गये। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी हीरो बनेंगे, जय हिन्द।

श्री सभापति : चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : चौमूं का ही नम्बर है, हमारा नहीं है ?

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बिजली, पानी और अकाल राहत के ऊपर चर्चा हो रही है। इसी संदर्भ में आपके माध्यम से मैं पहले तो विद्युत मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि किसानों को पूरी फसल में 8 घंटे बिजली देकर इन्होंने राहत प्रदान की। लेकिन, सभापति महोदय, केवल किसानों को बिजली देने से ही विकास नहीं होगा। गांवों में रहने वाले जो

(श्री भगवान सहाय सैनी)

लाखों की संख्या में छात्र हैं उनका जीवन आपने अंधकार में डाल दिया है। पिछले चार महीने से हम बार–बार ऊर्जा मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को यह कहते आ रहे हैं कि गांवों में शाम के टाइम पर बिजली नहीं आ रही है। 24 घंटे में से 8 घंटे को छोड़कर 16 घंटे में से 1 घंटे, 2 घंटे बिजली आ रही है। अनेक बार मंत्री महोदय आपको अवगत करवाया है लेकिन आपने समस्या का समाधान नहीं किया। यह बहुत बड़ी बात है, शिक्षा की नींव मजबूत करना चाहते हैं लेकिन छात्रों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाना चाहते हैं। क्या आप यह चाहते हैं कि सभी छात्र शहर में आकर पढ़ें ? शहरों में दबाव बढ़े ? एक तरफ आप गांवों का विकास करने की बात करते हैं दूसरी तरफ जो आधारभूत सुविधाएं हैं वे भी आप मुहैया नहीं करवा पाते। गांव से डाक्टर और इंजीनियर क्या बनेंगे जब देश की आजादी के 50 साल बाद भी वहां पढ़ने के लिए रोशनी नहीं मिले ? कितनी बड़ी बात है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब फसल को पानी की जरूरत नहीं है इसलिए आपने जो तीन पारी कर रखी है, उसको दो पारी करके गांवों में 24 घंटे सिंगल फेस बिजली देने की व्यवस्था करें। छात्रों के अलावा गांवों में कृषि यंत्र सुधारने, ट्रैक्टर, थ्रैशर आदि को सुधारने के छोटे–छोटे कारखाने हैं, दिन में सिंगल फेज बिजली नहीं मिलने से वहां भी काम नहीं होता है और इससे किसानों को भी हानी होती है।

पैंडिंग डी.सी. कनेक्शन जो किसानों के हैं आपने सात साल की सीमा कर रखी है, इस सीमा को आप 15 साल बढ़ाएं। आपका बार–बार कहना है कि यदि इस सीमा को बढ़ाएंगे तो नए कनेक्शन कहां से देंगे ? लेकिन कनेक्शनों की संख्या बहुत कम है और नए कनेक्शन मिलना बड़ा मुश्किल है इसलिए पुराने डी.सी. कनेक्शन की सीमा 15 साल बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

वन पोल, टू पोल की स्कीम में पिछले पांच साल में जिन काश्तकारों ने पैसा जमा कराया था उनको आपने डी.सी. कनेक्शन करके कुएं चलाने की परमिशन तो दे दी उनके कनैक्शन अभी भी पैंडिंग पड़े हैं। आप इसी सदन में पहले भी कई बार यह कह चुके हैं कि उनको 31 मार्च तक कनेक्शन दे देंगे, लेकिन दो–तीन साल पहले नोटिस दिए गए थे कि आप नर्सरी स्कीम में लेना चाहते हैं तो ले लें अन्यथा पैसा वापस ले लें। एक तरफ बिल दे रहे हैं, कुएं चला रहे हैं और विद्युत विभाग उनको पैसा लौटा रहा हैं। यह कहां तक उचित है ? इसलिए जिनका पैसा जमा है और जिनको बिल दे रहे हैं उनके कनेक्शन तुरंत करवाने का श्रम करें।

मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जयपुर जिले के चौमूं कस्बे का जलस्तर नीचे जा रहा है। चौमूं कस्बे में 8–10 ट्यूबवैल का या तो जल स्तर कम हो गया है या वे सूख गए हैं, गर्मी आने से पहले ही आपूर्ति

(श्री भगवान सहाय सैनी)

बहुत कम हो गई है इसलिए नए ट्यूबवैल बनाने जाएं। गांव मोरीजा, जाटववाली, अमरपुरा आदि 4—5 जगहें हैं जहां जी.एल.आर. में बड़ी—बड़ी टंकियां खड़ी है पिछले दो—ढाई साल से लेकिन बिजली कनेक्शन नहीं होने से या पाइप लाइन नहीं डालने से वे चालू नहीं हो रहे हैं। यदि समय रहते यह व्यवस्था नहीं की गयी तो टंकियां फट जाएंगी और सरकार के लाखों रुपये बरबाद हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां बिजली कनेक्शन करवाकर, पाइप लाइन डलवाकर योजना को चालू करवाया जाए।

इसी तरह चौमूं की सैकण्ड फैज योजना पिछले दो साल से यहां जयपुर में मुख्य कार्यालय में पैंडिंग है, इससे नगरपालिका क्षेत्र में भी पानी मुहैया नहीं हो रहा है। वह स्कीम सैक्शन करके जल्दी भेजें जिससे पानी मुहैया हो सके।

चौमूं क्षेत्र में काफी हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। दो महीने पहले जिला कलेक्टर के यहां पर मीटिंग हुई थी, उसमें तय हुआ था कि प्राइमरी और मिडल स्कूलों में हैण्डपम्प लगा दिए जाएंगे। लेकिन चौमूं विधान सभा क्षेत्र में 30—35 जगहें अभी भी ऐसी बाकी हैं जहां हैण्डपम्प नहीं हैं। वहां पर हैण्डपम्प मुहैया करवाएं जाएं और जो हैण्डपम्प खराब हो जाते हैं उनको जल्दी ठीक करवाने की व्यवस्था करवाई जाए।

हमारे यहां अकाल नहीं है लेकिन अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि पिछले पांच साल से हमारे क्षेत्र में 10—12 सरपंचों के खिलाफ झूठे आरोप लगा रखे हैं। उन आरोपों को दूर करके उनको क्लियर किया जाए। जब सरपंच अकाल राहत का काम करवाते हैं तो उसका पैसा सरकार के कर्मचारियों द्वारा दिया जाता है, उसमें सरपंच का कोई रोल नहीं होता है। जबरदस्ती राजनीतिक कारणों से उन्हें फंसाया गया है। चुनाव भी सामने आने वाले हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आरोप मुक्त करवाया जाए। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : यह निवेदन सी. पी. जोशी साहब से करें। श्री मोहन लाल चौहान।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, आज ऊर्जा, अकाल और पेयजल पर इस सदन में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दिसम्बर में नर्सरी योजना को बंद करके किसानों को जीवनदान दिया है। यह नर्सरी योजना नहीं थी, वरन तत्कालीन सरकार ने किसानों की नसबंदी की थी, किसानों को खूब लूटा था। किसानों की नसबंदी करके उनको बहुत परेशान किया गया। उसी कारण से आप लोगों की सरकार गई है। मैं ऊर्जा मंत्री को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार किसानों को आठ घंटे बिजली दी है। इससे रबी की फसल का उत्पादन बढ़ा है, राजस्थान के किसानों ने अनाज का

(श्री मोहन लाल चौहान)

अधिक उत्पादन किया है, ऊर्जा मंत्रीजी आपका यह कदम सराहनीय है।

सभापति महोदय, कल ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे थे आग्मैटेंशन सिस्टम के बारे में, वर्षों पुरानी लाइनें हैं, उन लाइनों के खराब होने के बहुत ज्यादा दुर्घटना होती हैं, करंट आ जाता है। ऊर्जा मंत्रीजी एक मई से जो आग्मैटेंशन सिस्टम अपना रहे हैं और अभियान चला रहे हैं उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। इस सिस्टम को आप बदलेंगे तो जो बिजली की लम्बी लाइनें हैं गांवों में, उनमें सुधार होगा। यह सुधार जरूरी है। मैं इस समय आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि 11 हजार की कई पुरानी लाइनें घरों पर से, आबादी बस्तियों पर से गई हुई है। आपके बिजली बोर्ड वाले उन लाइनों को हटा नहीं सकते, गांवों में करंट आ जाता है। जन हानि होती है, पशुधन हानि होती है। ऊर्जा मंत्रीजी 11 हजार की लाइन हटाने की बात करते हैं तो कहते है कि पैसा जमा करवाओ, उसकी लेबर कास्ट बहुत ज्यादा है। गरीब आदमी जमा करवा नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और साथ ही सुझाव भी है कि 11 हजार की लाइनें जो आबादी बस्तियों पर, घरों पर और बाड़ों पर खींची हुई हैं उनको विदाउट शुल्क हटा दिया जाए ताकि जन हानि नहीं हो, पशु धन की हानि नहीं हो।

कृषि नीति कनेक्शन के बारे में अभी आपने कोई नीति नहीं बनाई है। कृषि कनेक्शन में टू पोल स्कीम लागू कर दें तो बहुत बढ़िया रहे। ऊर्जा मंत्रीजी आपके ऊपर किसानों की बहुत नजर है, गांवों के लोग सोच रहे है कि कृषि कनेक्शन नीति कैसी बनेगी। यह नीति बनानी जरूरी है, वन पोल, टू पोल स्कीम को लागू करना है। इसमें फौजियों की, शिड्यूल्ड कास्ट की अलग–अलग प्रायोरिटी तय की जाए। पहले कांग्रेस के शासन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग विद्युत कनेक्शन लेते थे तो बोर्ड की तरफ से उनकी सिक्योरिटी राशि जमा होती थी। आज गरीब आदमी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का आदमी कृषि विद्युत कनेक्शन लेने में असमर्थ रहता है, उसके पास पैसा नहीं होता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नीति को भी आप लागू करें।

मेरा निवेदन है कि मीटर रीडर गांवों में बैठे–बैठे, घर में बैठे–बैठे, बोर्ड में बैठे–बैठे मीटर यूनिट लिखते हैं इसलिए किसानों के बिल गलत आते हैं। बिल गलत आने से किसान चक्कर लगाते रहते हैं। कम्प्यूटर सिस्टम में भी कई बार बिल गलत आते हैं क्योंकि मीटर रीडर घर पर, गांव में या ऑफिस में बैठा–बैठा गलत यूनिट लिख कर भेज देता है। यह गलत है। मीटर रीडर भी बहुत कम है, आपको गांवों में मीटर रीडरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मीटर रीडर अगर सही ढंग से रीडिंग करता है तो किसानों के बिल गलत नहीं आएंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि मीटर रीडर गलत रीडिंग लेते हैं और

(श्री मोहन लाल चौहान)

बिल गलत आते हैं, इसलिए किसानों को परेशानी होती है। किसानों के मीटर जल जाते हैं। गई साल में बिजली बोर्ड के न जाने कितने ही आदेश गए। लेकिन मीटर जल जाने पर किसानों को दुबारा मीटर नहीं देते हैं। अब आप सोचिए, किसी किसान के दो घंटे पानी है, उसके आप फ्लैट रेट लगाते हैं उनको मीटर नहीं मिलता है। उनके मीटर रीडिंग के अनुसार बिल आना चाहिए। यही फ्लैट रेट अगर पानी ज्यादा है, वहां लगाएं तो कोई बात नहीं लेकिन दो घंटे किसान कुआ चलाता है और दो घंटे में आप फ्लैट रेट लागू कर देते हैं। यह गलत है, आप इस

(20.00 बजे)

नीति में परिवर्तन करें। अभी स्टाफ की बात चल रही थी। इस अवसर पर मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि वास्तव में 30–35 साल से स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है, पद सृजित नहीं हुए हैं, आपकी अनाप–शनाप योजनाएं शुरू हुई हैं, कृषि कनेक्शन हुए हैं लेकिन वहां का लाइन स्टाफ उनको सम्भाल नहीं सकता। इसलिए लाइन स्टाफ की भर्ती की जानी चाहिए, पद सृजित किए जाने चाहिए ताकि गांवों में किसानों को परेशानी नहीं आए, गांवों के लोगों को परेशानी नहीं आए, शहरों के लोगों को परेशानी नहीं आए।

मैं मेरे क्षेत्र की खास बात आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र परबतसर, जो औद्योगिक क्षेत्र है, वह मकराना से 132 के.वी. से जुड़ा हुआ है। वहां से हमारे गांवों में बिजली की सप्लाई होती है। 10 साल से हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है कि ग्राम बागोद में 132 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होना चाहिए, इसी बजट में होना चाहिए। यह हमारे यहां के 100 गांवों को बहुत भारी पीड़ा है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा औद्योगिक क्षेत्र 132 के.वी. मकराना से जुड़ा हुआ है, उससे हमारा पिण्ड छुड़ा दीजिए। आप यह 132 के.वी. बागोद में स्थापित कर दो तो हम आपके बहुत–बहुत अभारी रहेंगे। हमारे किसानों की वोल्टेज की प्रोब्लम है वह भी हल हो जाएगी।

मेरे क्षेत्र 132 के.वी. का एक सब स्टेशन ग्राम बरूण्ड में प्रस्तावित है उसके आसपास के गांवों में 33 के.वी. का सब स्टेशन नहीं है, बरूण्ड गांव में 33 के.वी. का सब स्टेशन मंजूर कर दें तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। एक हमारे पुराड़ा गांव में भी लोड ज्यादा है इसलिए वहां 33 के.वी. के सब स्टेशन का निर्माण कर दिया जाए तो मैं आपका बहुत–बहुत अभारी रहूंगा।

इसके अलावा मैं अकाल राहत के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं। अकाल राहत मंत्री जी आप बहुत पुराने हैं, आप पहले भी फेमिन मिनिस्टर रहे हैं, आपका अनुभव भी अच्छा है, आप दक्षता रखते हैं, आप योग्य हैं। मैं आपके

(श्री मोहन लाल चौहान)

यह निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिला बहुत बड़ा जिला है, 1400 गांव अभावग्रस्त हैं या अकालग्रस्त घोषित हैं, लेकिन आज जो आपकी लेबर सीलिंग है उसमें आपने प्रतिबंध लगा रखा है। कहीं दो किलोमीटर सड़क सैंक्शन की है या चारदीवारी की है आप दो किलोमीटर सड़क पर 20 मजदूर लगाते हैं तो यह काम पूरा नहीं होगा। यानी आपको कोई भी काम कराना है तो लेवर सीलिंग को हटा दीजिए। सड़क पर जितने आदमी लगे, लगने चाहिए और काम पूरा होना चाहिए। जो भी पक्का काम है वह पूरा होना चाहिए।

नागौर जिले में 10 साल से आज तक नाड़ी तालाब की खुदाई नहीं हुई है। अकाल राहत मंत्रीजी गौर करने की बात है नाड़ी तालाब की 8–10 साल से खुदाई नहीं हुई है, मिट्टी भरी हुई है। अगर इस नाड़ी तालाब को मई–जून में हाथ में लेते हैं तो इससे मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। हमारे बड़े–बड़े तालाब हैं उनकी खुदाई होगी तो पानी का स्टाक होगा और पानी का स्टाक होने से कुओं का जलस्तर बढ़ेगा। इसलिए नाड़ी तालाब को हाथ में लीजिए। फेमिन में ग्रेवल सड़कें जो वास्तव में उपयोगी सड़कें हैं, उनको आप बनवाइए ताकि मजदूरों को मजदूरी मिले, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा।

मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी योग्य और दक्षता रखने वाले हैं। आपके दौरे हुए हैं, डिवीजन स्तर पर आपने मीटिंग्स ली हैं और आपने काफी तत्परता से काम संभाला है। आपके काम से आपकी मशीनरी और आपका विभाग सतर्क हुआ है और काम करना शुरू किया है। लेकिन यह थोड़ा गर्मी का टाइम है, आप विभाग को और सतर्क करेंगे तो गर्मी में जो पानी की समस्या है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की बात होगी। पानी लोगों को मिलना चाहिए, हैण्डपम्प खुदने चाहिए, हैण्डपम्पों की मरम्मत होनी चाहिए।

आपकी टी.एस.एस. योजनाएं हमारे जिले में काफी हैं, परबतसर और मेड़ता में टी.एस. एस. योजना लागू है। टी.एस.एस. की मोटरें जल जाती हैं। गर्मी में ज्यादा जलती हैं। टी.एस.एस. मोटर जल जाती है तो सरपंच के पास पैसे नहीं होते हैं, बनाते नहीं हैं। आपका विभाग भी नहीं बनाता है। इसलिए कई तो जनता जल योजना में सम्मिलित कर ली गयी हैं, कन्वर्ट हो गई हैं लेकिन कई टी.एस. एस. ऐसी हैं जो कन्वर्ट नहीं हुई हैं। जो टी. एस.एस. कन्वर्ट नहीं हुई हैं और उनकी मोटरें जल जाती हैं, उनको ठीक करने के लिए आपके विभाग को संभालना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान नागौर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा जिला बहुत बड़ा है, वास्तव में जगमाल सिंहजी सही कह रहे थे कि ढाणियों में लोग बहुत बस गये हैं। राजीव

(श्री मोहन लाल चौहान)

गांधी मिशन योजना के अंतर्गत जो ढाणियां चयनित नहीं हुई हैं उन ढाणियों का चयनित कराना बहुत आवश्यक है। ढाणियां चयनित नहीं होने की वजह से आपका विभाग कहता है कि यह ढाणी चयनित नहीं है इसलिए उसको पानी नहीं देंगे, किसी योजना से नहीं जोड़ेंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि राजीव गांधी मिशन योजना के अंतर्गत आपके विभाग से तत्काल सर्वे कराकर ढाणियों को चयनित कराएं ताकि ढाणियों को पानी मिल सके बड़ी–बड़ी ढाणियां है, 250 से ऊपर की जनसंख्या है, कहीं 100 से ऊपर जनसंख्या है, कहीं 500 की जनसंख्या है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरे यहां बांकापट्टी योजना है जो राजस्थान की सबसे पुरानी योजना है। गच्छीपुरा साइड की है, वह बहुत पुरानी योजना है। उसके लिए आपने पांच करोड़ का बजट पास किया है, उसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन पांच करोड़ का बजट कम है क्योंकि यह कम से कम 80 गांवों की योजना है और इस योजना में पहले काफी बजट दिया था। यह कटौती कहां की गई है, वह कटौती नहीं होनी चाहिए। बांकापट्टी योजना में पानी सप्लाई करने की जो योजना बनाई है उसमें और धन खर्च करके इन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाए तो मैं आपका बहुत–बहुत आभारी रहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, नागौर जिले में फ्लोराइड वाले गांव बहुत हैं। आपने अजमेर जिला हैडक्वार्टर पर जब मीटिंग ली थी तब नागौर जिले के माननीय सदस्यों को आश्वासन दिया था कि हम नागौर जिले में लिफ्ट योजना से पानी उपलब्ध कराएंगे। फ्लोराइड गांव की काफी संख्या हैं, हजारों की संख्या में हैं। आपका ध्यान बहुत अच्छा है और आपके प्रयास व प्रयत्न बहुत बढ़िया हैं। मैं, मंत्रीजी आपसे यह मांग करता हूं कि नागौर जिले में लिफ्ट योजना बनाकर शीघ्रातिशीघ्र मंजूर कराएं ताकि हमारे नागौर जिले की जनता को लिफ्ट योजना का पानी मिल सके। कुओं में जलस्तर नीचे जा रहा है, पानी की समस्या खड़ी हो रही है। आप तीनों मंत्रियों के पास जन–जीवन से जुड़े हुए विभाग हैं, आप तीनों मंत्री दक्षता रखने वाले हैं, इन पर विशेष ध्यान देने का प्रयत्न करें। सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनाराम।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : सभापति महोदय, आज बिजली, पानी और फेमिन पर विचार हो रहा है। पहले मैं हमारे बिजली मंत्रीजी को हमारी ओर से और किसानों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी रबी की फसल हर साल बिजली के कारण से प्रभावित होती थी, परन्तु इस साल आपने घोषणा–पत्र के अनुसार बराबर आठ घंटे बिजली दी। आठ घंटे न देकर सवा आठ घंटे हीं दी होगी, नौ दी होगी, लेकिन पौने आठ नहीं दी। 9–10 घंटे बिजली दी और

(श्री रतनाराम चौधरी)

बिजली पूरी देकर किसानों की समस्या दूर हुई है और...

श्री सभापति : आप अपनी समस्या पर आओ।

श्री रतनाराम चौधरी : इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, इसलिए बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां 33 के.वी. के ग्रिड स्टेशन सात साल से स्वीकृत थे। वे वैसे ही पड़े थे। कई 33 के.वी. के ग्रिड स्टेशन आपने तत्काल ही आदेश देकर चालू करवा दिए, परन्तु थोड़े–बहुत 33 के.वी. के ग्रिड स्टेशन अभी तक चालू नहीं हुए हैं, जैसे–पावली है, थोपाऊ में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 33 के.वी. चार–पांच ग्रिड स्टेशन बने हुए हैं उनको तत्काल ही चालू कराने की कृपा करें।

गुजरात में जो कुओं पर कनेक्शन करते हैं, एच.टी. की लाइन वे एक–दूसरी लाइन के नीचे से खींचते हैं। इससे फाल्ट नहीं होता है। हमारे यहां बिलकुल एक–दूसरे की साइड में खींचते हैं इसलिए हवा में झोंका आता है तो और फाल्ट हो जाते हैं। यह भी हो जाए तो बहुत बढ़िया व्यवस्था हो सकती है। बिलकुल अपनी साइड में खींचते हैं और तार लूज होने से जो हवा का झोंका आता है उससे लाइनें फाल्ट हो जाती हैं कई दिनों तक फाल्ट निकलते नहीं हैं। इसलिए कृपया एच.टी. लाइन को साइड में न खींचकर एक–दूसरे के नीचे से खिंचवाइए, जैसे गुजरात में सिस्टम है। इससे कभी आपका फाल्ट होगा भी नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात नहीं करें आप।

श्री रतनाराम चौधरी : क्योंकि गर्मी का समय है और जो एरिया है जालौर जिला, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय एरिया है इसलिए पानी की बहुत जरूरत है। हमारे मंत्री महोदय ने दो–तीन बार मीटिंग ली है, सारे अधिकारियों को सतर्क भी किया है। वे लोग सक्रिय हुए हैं और थोड़ी बहुत व्यवस्था सुधरी है, परन्तु मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर जिले में जितने भी विधायक हैं उनको भी बराबर हिस्सा बांटे। हमारे जो भाई हैं वे ज्यादा हिस्सा नहीं लें क्योंकि यह जनता के हित का सवाल है। बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए, उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : रानीवाड़ा में पानी की दिक्कत है।

श्री रतनाराम चौधरी : जहां पानी की दिक्कत है, वहां आप पैसा ज्यादा दो। लेकिन हमारी एक भी स्कीम मंजूर नहीं हुई है। गुढ़ा से रातवाड़ा जो 65 लाख की स्कीम थी, अभी तक मंजूर नहीं हुई है, राजिकाबांस की जसवन्तपुरा स्कीम मंजूर नहीं हुई है। दो–तीन स्कीम पहले भी मैं रिक्वैस्ट कर चुका हूं और लिखित में भी आपसे निवेदन कर चुका हूं, कृपया आप मेहरबानी करें क्योंकि जसवंतपुरा

(श्री रतनाराम चौधरी)

रामसिंह में खारा पानी पीना पड़ता है। दांतोल स्कीम है, दांतोल से रामसिंह की स्कीम बंधवाकर रामसिंह को आप पानी दीजिए। रामसिंह बहुत बड़ी सिटी है। हम वहां जाते हैं तो लोग हमारे कपड़े फाड़ते हैं। मेरी आपसे उम्मीद है। आदमी आकर मांगता है तो उनसे मांगता है जिनसे उम्मीद होती है। घर में बालक की मां से ममता है, घर में हल्ला करने के बाद मां भी घी डालती है। रिक्वैस्ट करने से कौन नहीं सुनता है ? 8 साल में जो काम नहीं हुआ वह थोड़े दिनों के अंदर आपने किया, इसलिए आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी स्कीम को जल्दी स्वीकृत कराने की कृपा करेंगे।

अभी अकाल की भयंकर स्थिति है शक्तावत साहब बहुत अनुभवी, बहुत ही पुराने लीडर हैं। उन्होंने हमारे कहने से, समर्थ सिंहजी हीरालालजी ने कहा था उनके अनुसार थोड़ी बहुत लेबर बढ़ाई है। परन्तु इस लेबर से पार पड़ने वाला मामला नहीं है। 1971–72 में भयंकर अकाल पड़ा था, फेमिन अच्छी तरह से चलाई थी, खारे पानी की व्यवस्था हुई थी और 20 साल तक कांग्रेस का राज बराबर चला, चलता रहा। अब आपको दो महीने चलाना है, दो महीने फेमिन का काम है ज्यादा समय नहीं रहा, दो महीने में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी दे दें।

श्री सभापति : कितना चाहते हैं आप, सुझाव दीजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : मेरी आपसे यह रिक्वैस्ट है कि जालौर में कम से कम एक लाख चाहिए। अभी तो 20–25 के बीच में है। (व्यवधान) हीरालालजी ने तय कर दिया कि एक लाख की संख्या होनी चाहिए जिससे आपका अवसरवाद चलता रहे व लोग आपको आशीर्वाद देते रहें। हमारे पशुपालक भाइयों को चारे का, भूसे का इंतजाम होता था, अभी तक एक भी जगह चारा डिपो नहीं खुला। पशु आहार में भी सब्सिडी मिलनी चाहिए थी पशुपालकों को डेयरी के मार्फत। जैन, बन्धु हैं कोई संन्यासी है जिन्होंने गाय पाल रखी है, उनको भी सब्सिडी दें गायों के लिए, चाहे गाय का रुपया–दो रुपया। पहले प्रति पशु तीन रुपया पशु आहार देने का प्रावधान था अकाल में अगर वह दे दिया जाए तो पशुपालक भाइयों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। कई गायें सूनी घूम रही हैं बिना चारे के।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिए आप जल्दी से जल्दी चारा डिपो खुलवाने और पशु आहार के लिए सब्सिडी दिलवाने की कृपा करें।

श्री सभापति : विराजो।

श्री रतनाराम चौधरी : परसादी लालजी और मुख्य सचेतक जी ने बोलने का मुझे सहयोग दिया इसलिए उनको भी धन्यवाद दिए बगैर कैसे रह सकता हूं, धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रीचंद कृपलानी।

श्री रतनाराम चौधरी : हरीसिंहजी ने तो मेरा नाम नहीं लिया था, आपने मेरा नाम जोड़कर बोलने दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री श्रीचंद कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, आज सदन में अकाल, बिजली और पानी के बारे में चर्चा हो रही है, मुझे बड़ी खुशी है लेकिन इस बात का थोड़ा दुःख भी हो रहा है कि कांग्रेस का राज आने के बाद भी मेरे पूर्व वक्ताओं, विशेष तौर से कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने अपने +++ यहां पर कि सरकार ने वह नहीं किया, यह नहीं किया। हफीज मोहम्मद बोले, बहुत अच्छा बोले थे। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : बहुत बढ़िया काम हो रहा हैं, 8 साल का +++

श्री श्रीचंद कृपलानी : वास्तव में यह साबित हो गया कि चार महीनों का आक्रोश इन सदस्यों ने व्यक्त किया है सरकार के प्रति। वास्तव में सभापति महोदय, बड़ी दुःख की बात है। मुझे इस बात का भी बड़ा दुःख है कि मैं उस समय सदन में नहीं रहा जब माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता शेखावत साहब के बारे में कुछ कह रहे थे। सभापति महोदय, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की 40 साल के शासन की और भारतीय जनता पार्टी के 8 साल की अगर हम तुलना करें तो निश्चित रूप से आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि भैरोंसिंह जी शेखावत के आने के बाद राजस्थान में विकास हुआ है, विकास की गंगा बही है।

(20.17 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आंकड़े सदन के सामने हैं कि उतना विकास 40 साल में भी नहीं हुआ। (व्यवधान) थोड़ी सच्चाई सुनना भी सीखो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के 4 महीने पहले राजस्थान की जनता ने 153 सीटों का कांग्रेस को बहुमत दिया और इन 4 महीनों में ही सरकार ने जनता की दुर्दशा कर दी वह चाहे बजट के माध्यम से हुई हो, चाहे विकास कार्यों को रोक कर हुई हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब अक्टूबर में अकाल के कार्य प्रारम्भ हुए थे उस समय तत्कालीन सरकार ने 4 लाख मजदूरों की स्वीकृति दी थी और आज राजस्थान में 2 लाख 97 हजार 415 मजदूरों को आपने स्वीकृति दे रखी है। विकास के आंकड़े बताते हैं कि आपने कितना विकास करवाया, कितना विकास कराने का प्रयास किया। जो गरीबों का, अकाल पीड़ितों का नहीं सोच सकते हैं, उस सरकार से ऐसी उम्मीद भी वे नहीं करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिले में तत्कालीन सरकार ने 45 हजार मजदूरों की स्वीकृति दी थी और उसके अगेंस्ट 60 हजार लेबर की स्वीकृति वहां के जिला कलेक्टर ने डी.आर.डी.ए. के माध्यम से

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री श्रीचंद कृपलानी)

कराई। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद सबसे पहले इन्होंने एक काम किया। पहले तो कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रयास किया कि किस तरह से अकाल राहत के कार्य जो चल रहे हैं उनको रोक कर नये कार्य प्रारम्भ कराए जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह के कार्य उस समय तत्कालीन सरकार ने प्रारम्भ किए थे, उनके बारे में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीचंद कृपलानी : गाइड लाइन तय की थी। सबसे पहले 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच में खराब हालत के जो गांव थे, वहां पर अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किए गए। जहां पर लोग पलायन कर रहे थे उन गांवों में अकाल राहत के कार्य प्रारम्भ किये गये। वास्तव में जहां किसी पंचायत में कोई कार्य नहीं था वहां इसी अकाल राहत में कार्य प्रारम्भ किए गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जिले में 80 या 90 पंचायतें आज भी ऐसी हैं जहां एक भी अकाल राहत का कार्य नहीं चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले में 2415 हैं जिनमें से 2346 गांव आज भयंकर अकाल से पीड़ित हैं। लेकिन पिछले दिनों 25.1.99 को सरकार ने यहां से वायरलैस के माध्यम से जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि आपके यहां आज की तारीख में अकाल में जितनी लेबर काम कर रही है वह सीलिंग तय कर दें। उस समय चित्तौड़ जिले में 27.9.53 मजदूर अकाल राहत की मजदूरी पर लगे हुए थे आपने 25 हजार की सीलिंग लेबर की कर दी। 40 हजार हमारी सरकार में थे और आज की तारीख में 25 हजार लेबर की स्वीकृति है। उपाध्यक्ष महोदय अकाल राहत के 40 परसेंट काम पूर्ण हो चुके, उन पंचायतों में आज नया काम नहीं है पर अकाल की स्थिति यथावत है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां वास्तव में जरूरत है, जिन पंचायतों में एक भी काम नहीं चल रहा है, जिन गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं क्योंकि हमारा जिला मध्य प्रदेश के निकटवर्ती है, वहां से काफी लोग मध्य प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, ऐसी जगह पर आप अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो संवेदनशील सरकार कहलाने का आपको कोई हक नहीं बनता है। मैं उम्मीद करता हूं आदरणीय शक्तावत साहब से कि आप इसको थोड़ा गम्भीरता से लेंगे और बिना राजनीतिक भेदभाव के यह करेंगे। मैं यह बात आपको कह सकता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार यहां बनी तो सबसे पहले आपके नेताओं ने इस बात का प्रयास किया कि जितने भी उस समय अकाल राहत कार्य में मेट लगे हुए थे उनको हटाया जाए। अगर आप जांच कराएंगे तो आपको लग जाएगा कि जो मेट उस समय काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। उन मेटों को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया गया क्योंकि यह कहा गया कि वे भारतीय जनता पार्टी के मेट थे, जबकि उन मेटों को किसी पार्टी से कोई लेना-देना नहीं था।

(श्री श्रीचंद कृपलानी)

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेट के रूप में वहां पर लगाया गया, यहां तक कि 500–500 रुपये तक के मेट वहां पर लगाये गये। मैं इस बात को साबित भी कर सकता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चारा डिपो की बात हुई...

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : और कहां से लाएंगे ? 75 प्रतिशत ने मत दिया है तो सभी 75 प्रतिशत कांग्रेस के हो गये, शेष लाएंगे कहां से ?

श्री श्रीचंद कृपलानी : सही बात है, आपका कहना सत्य वचन है।

घास के डिपो की बात हुई। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे चित्तौड़ जिले में एक भी चारे का डिपो नहीं खोला गया। हमारे जिले में 17 लाख 33 हजार 660 पशु हैं। वहां पर औसत 5 किलोग्राम घास प्रति दिन के हिसाब से चाहिए और 2 लाख 60 हजार टन प्रति माह चाहिए। हमारे जिले में स्थिति यह है कि अप्रेल तक 10 लाख टन घास उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जो घास चाहिए उसके लिए अगर डिपो की व्यवस्था नहीं की गयी तो मैं कह सकता हूं कि पशुओं के मरने की स्थिति हो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के समय जो कार्य स्वीकृत किये गये थे, अगर आप जांच कराएंगे तो उनमें से काफी बड़ी तादाद में कामों को निरस्त किया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि वे काम क्यों निरस्त किये गये ? क्या वजह थी निरस्त करने की ? चाहे वह एनीकट का काम था, चाहे तालाब का था, मेरे पास लिस्ट है। वह लिस्ट मैं बता सकता हूं आपको। काफी बड़ी तादाद में काम निरस्त किये गये और बहाना यह बनाया गया कि लेबर की सीलिंग है इसलिए निरस्त करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यही निवेदन करूंगा कि पूरे चित्तौड़ जिले में अकाल की वजह से बहुत ही विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी हैं, आप चूंकि चित्तौड़ जिले के पड़ौस के जिले से चुनकर आते हैं, चित्तौड़ जिले से आप सांसद का चुनाव भी लड़े हैं और चित्तौड़ जिले की भौगोलिक परिस्थितियों से भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं, मुझे उम्मीद है कि चित्तौड़ जिले पर विशेष कृपा करेंगे। आज जो वहां पर लेबर कार्य कर रही है, आपके रिकार्ड में यह जरूर होगा कि लेबर जितनी स्वीकृत करनी है उससे कम काम कर रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिन पंचायतों में काम पूर्ण हो गया उन पंचायतों में आपने और काम दिये नहीं। जिन पंचायतों में काम चल रहा है वहां पर लेबर है नहीं और जहां लेबर मिल सकती है वहां काम प्रारम्भ किये नहीं। जिन कामों को आपने निरस्त किया, लेबर होते हुए भी पड़ौस की पंचायत में जाकर वे

(श्री श्रीचंद कृपलानी)

काम नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि यह तो असमन्जस की स्थिति है इस स्थिति से निश्चित रूप से आप निकालने का प्रयास करेंगे।

मैं इस अवसर पर माननीय पेयजल मंत्रीजी से भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैंने आज से 4–5 दिन पहले शून्यकाल में पेयजल की समस्या रखी थी, माननीय मंत्रीजी उस समय नहीं विराज रहे थे। आपकी शायद जानकारी में आया होगा कि आज के 5–7 रोज पहले निम्बाहेड़ा में पानी की टंकी के ढह जाने की वजह से दो औरतों की मृत्यु हो गयी। वे दो औरतें पानी भरने गयी...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपने पहले उठा लिया न काल अटैंशन में। वापस रिपीट क्यों कर रहे हो ? यह समस्या तो पहले हो गयी।

श्री श्रीचंद कृपलानी : मैं पानी की समस्या को रख रहा हूं, आप थे नहीं। उसके एक दिन पहले भी टैंकर से टकराकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी पानी के कारण से। मेरा निवेदन यह है कि वहां पर पानी की विकट स्थिति हो गयी है। पूरे निम्बाहेड़ा शहर में खड्डे खुदे हुए है, चाहे निम्बाहेड़ा हो, चाहे छोटी सादड़ी हो, मेरे खयाल से राजस्थान में ऐसे कोई गांव नहीं होंगे वहां पर 25 पैसे प्रति डिब्बा पानी बिक रहा है। निम्बाहेड़ा में भी बिक रहा है, छोटी सादड़ी में भी बिक रहा है। यह तो आपके राज की हालत है। इस बात के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए 16 लाख रुपये कंटिंजेंसी प्लान में सैंक्शन किये हैं। ट्यूबवैल लग जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ राहत मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम ही कितना हुआ हैं पांच मिनट ही तो पूरे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निम्बाहेड़ा में आबादी जितनी है उस आबादी के हिसाब से पानी की व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में काफी लम्बी–चौड़ी योजना बनी थी। स्वीकृत भी हुई, काफी लागू भी हुई। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि 600 फीट तक पानी मिल नहीं रहा है। निम्बाहेड़ा को गम्भीरी डैम से जोड़ने की योजना उस समय सरकार में बनी थी, वह आपके पास प्रस्तावित है। चार–साढ़े चार करोड़ की योजना है, अगर आप उसको भविष्य में स्वीकृत करेंगे तो निम्बाहेड़ा शहर की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है। जिस तरह से बाड़ी मानसरोवर बांध से छोटी सादड़ी को जोड़ने का प्रयास किया गया, चार–साढ़े चार करोड़ रुपये उसमें खर्च हुए। लेकिन हालत यह है कि आज भी वहां पर पानी नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से छोटी सादड़ी में पिछले 4 वर्षों में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई होता है। योजना बनायी, योजना स्वीकृत हुई लेकिन आज पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

(श्री श्रीचंद कृपलानी)

इसी तरह से हमारे गांवों की हालत है। 90 प्रतिशत गांवों में आज हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। 90 प्रतिशत में आधे हैण्डपम्प तो सूख गये और आधे हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। मिस्त्री आपके यहां हैं नहीं। निम्बाहेड़ा में 33 पंचायतें हैं और मिस्त्री सिर्फ 9 हैं, छोटी सादड़ी में 25 पंचायतें है और मिस्त्री सिर्फ 7 हैं। पी.एच.ई.डी. को अगर शिकायत भी करें तो मिस्त्री समय पर पहुंच नहीं पाता और 7–7, 8–8 दिन तक हैण्डपम्प ठीक नहीं होते। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे से पूर्व एक माननीय सदस्य ने भी यह बात कही थी कि आपकी जो जनता जल योजना है जो हमारे क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. की योजना स्वीकृत हुई है वह आपके नॉर्म्स के हिसाब से ही स्वीकृत हुई है। 'अपना गांव अपना काम' योजना के माध्यम से चाहे विधायक कोटे का पैसा लगाओ चाहे सांसद कोटे का पैसा लगाओ या अनटाइड फंड का पैसा लगाओ, 70–80 गांव हमारे जिले में ऐसे हैं जहां पर इन योजनाओं के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था हो रही है। लेकिन उन गांवों में कहीं मोटर जल गयी, कहीं बिजली का बिल जमा कराने के लिए गांव के पास पैसा नहीं है और कहीं पाइप की कमी है, इस वजह से उन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। मैं, जन स्वास्थ्य मंत्रीजी आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे गांव जो आपके मापदण्ड में नहीं आते और 1500 की आबादी से कम के गांव हैं उन गांवों को आप जनता जल योजना से जोड़ें। माननीय मंत्रीजी 1500 की आबादी से कम के जिन गांवों में विधायक कोटे या 'अपना गांव अपना काम' के माध्यम से जल योजना चल रही है, पंचायतें चला रही हैं, उनको अगर आप जनता जल योजना का लाभ देंगे तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को राहत मिल सकेगी।

इस अवसर पर मैं माननीय बिजली मंत्रीजी से भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। बिजली मंत्रीजी हमारे यहां अफीम का क्षेत्र है और अफीम का क्षेत्र होने की वजह से पिछले वर्ष केन्द्र की सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में वहां पर अफीम के पट्टे दिये। अफीम के नये पट्टे देने की वजह से हजारों की तादाद में काश्तकारों ने वहां ट्यूबवैल खुदा लिये, लेकिन कनेक्शन नहीं होने के कारण से काफी नाजायज तौर पर चले रहे हैं। अगर आप इनको टैम्परेरी कनेक्शन दे दें जो वहां नाजायज भी चल रहे हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, विजिलैंस पार्टी जाती है, जांच करती है, उनको पकड़ती है, केस बनाती है। आपका ए.ईएन., एक्स.ईएन. भी वहां पर जाता है, जांच करता है, केस बनाता है। उसमें भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है। लाइनमैन से मिलीभगत करके गांव वाले अपने ट्यूबवैल चला रहे हैं। जिनको चलाना है वे चला ही रहे है। लेकिन आप अगर उनको टैम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था करा दें तो उनके लिए बड़ी राहत होगी। मैं

(श्री श्रीचंद कृपलानी)

उम्मीद करता हूं क्योंकि आप ऊर्जा मंत्रीजी भी हैं और ऊर्जावान भी हैं। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जो सोचते हैं वह करते हैं।

श्री रामस्वरूप : आठ घंटे के लिए धन्यवाद दे दो।

श्री श्रीचंद कृपलानी : 8 घंटे बिजली नहीं मिल रही है हमारे यहां, मैंने पहले भी आपको यह बात कही थी। आपके कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने भी यह बात कही कि आठ घंटे बिजली अभी भी नहीं मिल रही है। मैंने बिजली मंत्रीजी पहले भी आपको निवेदन किया था, आंदोलन भी किया है। हमारे क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां पर अगर 2–4 काश्तकारों ने पैसे जमा नहीं कराये तो गांव के गांव कट गये। उनमें से कुछ गांव तो जुड़ गये, उसके लिए तो आपको धन्यवाद, लेकिन कुछ गांव अभी भी बाकी हैं जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। आपका ए.ईएन. नहीं, हमारे गावं वाले सरपंच हैं। मनोहर सिंहजी उनको यह बात कही कि आपके एम.एल.ए. साहब ने विधान सभा में मामला उठाया था, अब वे मंत्रीजी जोड़ेंगे हमारा कनेक्शन, यदि उन्होंने आश्वासन दिया है तो आपके ए.ईएन. वहां पर यह बात कहते हैं। मंत्रीजी आप इस बात की जांच कराइये। वास्तव में यह बहुत गम्भीर बात है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री श्रीचंद कृपलानी : मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है। तत्कालीन ऊर्जा मंत्रीजी हमारे क्षेत्र में आये थे, दो 33 के.वी. जी.एस.एस. की वहां उन्होंने घोषणा की थी। एक तो विनोता–मल्ला माइन्स रोड पर निम्बाहेड़ा में है। विनोता और मल्ला के बीच में आसपास के 40 गांवों को फायदा मिलेगा, वहां बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, रामदेवजी सरूपगंज है। रामदेवजी–सरूपगंज बास में अगर ये दो सब स्टेशन बन गये तो वहां निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी के काश्तकारों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...

श्री उपाध्यक्ष : मेरे माध्यम से विराजिये आप अब।

श्री श्रीचंद कृपलानी : ...एक बात और निवेदन करना चाह रहा था। आप आदेश देंगे तो मैं विराज भी जाऊंगा लेकिन, माननीय शक्तावत साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां अकाल की बहुत गम्भीर समस्या है और इस वजह से पानी की समस्या भी हो गई है, अकाल राहत में मजदूर बढ़ाने की आज ही घोषणा कर दें। आपके जिला कलेक्टर महोदय ने जो कार्य निरस्त किये हैं उनको आप आज ही स्वीकृत कर देंगे तो मैं बहुत–बहुत आभारी रहूंगा। धन्यवाद मुझे इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन तीन विषयों पर चर्चा हो रही है ये सीधे आम जनता को प्रभावित करने वाले हैं। तीनों के तीनों विषय पेयजल, विद्युत और अकाल, अकाल को मैं अभाव कहूंगा तो ठीक है, जो सीधे जनता को प्रभावित करते हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये विषय इस प्रकार के हैं कि हम दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर राजस्थान के हित में सोचें। राजस्थान के हित में यह सदन और सदन के प्रतिपक्ष में बैठने वाले और इधर बैठने वाले, दोनों ओर के माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें। ये समस्याएं सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं। सरकार किसी की बने, सरकार में कोई भी हो, हमको एक साथ एक जुट होकर इन समस्याओं का निदान करने के लिए केन्द्र के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा और कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हमारे बजट में भी करनी पड़ेगी कि इन चुनौतियों का मुकाबला यह सरकार कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत के मामले में यह निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से चुनावों के पहले जिस प्रकार की विद्युत की स्थिति थी, चुनावों के बाद इसमें सुधार हुआ है। यह बात भी कहूंगा कि काश्तकारों को विद्युत समय पर मिली है। यही कारण रहा कि राजस्थान के अन्दर आज खाद्य का उत्पादन और खेती का उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। इससे ज्यादा विद्युत की व्यवस्था को और किस प्रकार से सराहा जा सकता है ? इस विद्युत व्यवस्था के अन्दर सुधार की आवश्यकता है इसलिए मैं विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपका जो पुराना सारा सिस्टम है, जो आपका आग्मैंटेशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइन का जो सिस्टम है वह 220 के.वी. का है जिसके अंदर ट्रांसमिशन लोसेज सबसे अधिक होता है। ट्रांसमिशन लोसेज अधिक होने की वजह से जो आपके बड़े–बड़े जी.एस.एस. हैं वे शट–डाउन भी हो जाते हैं। वह ट्रिप होने की वजह से जैसा आपकी मैन ट्रांसमिशन हो रहा है उसके हिसाब से वहां के जो प्लांट्स हैं उसको वापस चालू होने में समय लगता है। विद्युत विभाग का पैसा इसमें खर्च जरूर होगा लेकिन आप योजनाबद्ध तरीके से स्टेगरिंग करके 220 के.वी. सिस्टम को चेंज करके 410 का करें तो आपके ट्रांसमिशन लासेज कम होंगे और ट्रांसमिशन लासेज कम होंगे तो विद्युत की सप्लाई भी स्टेबिलाइज होगी।

इसी के साथ–साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपके जी.एस.एस. हैं उन जी.एस.एस. के ऊपर मेंटिनेंस के हिसाब से व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जी.एस.एस. आपका मैन सप्लाई का सेंटर है जहां पर नीचे का आग्मैंटेशन 33 के.वी. लाइन का है और 11 के.वी. लाइन का है। उसका सारा स्ट्रक्चर उस स्टेज पर है, वह अगर आप नियंत्रित करके रखेंगे तो मैं समझता हूं कि बिजली की आपूर्ति जो अनियमित रूप से होती है, उसके ऊपर भी नियंत्रण होगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी ने एक बात कही कि हमारे शासन में 500 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ। 560 मेगावाट कही थी ना आपने ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 540 मेगावाट कही थी।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे खयाल से इसको कोई चुनौती नहीं दे रहा है। बात उसकी थी कि आपने एम.ओ.यू. कितने साइन किये और उसके बाद में कितना उत्पादन हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न के जवाब में मेरे पास उत्तर आया है कि आपने करीब 12 किये हैं और 12 में से दो में शायद बैंक गारंटी या कुछ रह गया, उसकी वजह से रह गया। बाकी एम.ओ.यू. जो साइन हुए आपके, आपने उनको पब्लिक क्यों नहीं किया ? आपके एम.ओ.यू. के अंदर क्या शर्तें थीं ? उन कम्पनियों से आपकी क्या शर्तें थीं ? किस टैरिफ पर तो आप लेना चाहेंगे और किस टैरिफ पर आप उनको देना चाहेंगे और किस टैरिफ पर आप काश्तकारों को देंगे ? यहां आपने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, आपने इसको सीक्रेट रखा। और हुआ यह, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब एग्रीमैंट हुआ, राज्य सरकार के बीच में बात चली तो जो कोई भी यहां पर एम.ओ.यू. साइन हुए, बाहरी कम्पनियों से भी हुए, एन.आर.आई. भी थे, उनमें से भी हुए, उन लोगों ने इस बात को कहा कि टेरिफ का राइट् हम पर भी छोड़ा जाए क्योंकि आप काश्तकारों को 50 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। उनकी जनरेशन कोस्ट है वह जनरेशन कोस्ट ही 50 पैसे से ऊपर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2.20 रुपये से लेकर 3.25 रुपये तक हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए आप नहीं दे सकते थे क्योंकि कहां 50 पैसे और कहां 2.20 रुपये। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपने एम.ओ.यू. साइन किये, उसके बाद में अगर एक मेगावाट भी बिजली का उत्पादन हुआ हो तो बता दें आप। आपने आठ साल के पीरियड का बताया है, वह तो आपने होशियारी कर दी। इन एम.ओ.यू. साइन होने के बाद अगर एक मेगावाट बिजली का भी उत्पादन हो गया हो तो आप बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विद्युत मंत्रीजी का स्टेटमैंट पढ़ा था कि सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है जिसमें तीन मंत्री हैं और मंत्रीगण ने उसकी कुछ रिपोर्ट दी है। अब उसका क्या हुआ और किस प्रकार से आप इम्प्लीमैंट करेंगे, वह तो आप जानें, मेरा इसमें एक सुझाव है। राज्य के अंदर अभी तक 4300 मेगावाट की कमी है, अब आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे। इसे अभी बाहर से ले रहे हैं। बदरपुर से ले रहे हैं रातभाटा से आ रही है और आपके आर.ए.पी.पी. का तो भरोसा ही नहीं रहता है मेरे कहने का मतलब यह है कि

(श्री दिग्विजय सिंह)

आप बाहर से जिस–जिस से भी लेना चाहते हैं या इसकी आप अंण्डरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर प्राइवेट सैक्टर में दे रखा है, गवर्नमैंट प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदती है और फिर उसको पास–आन करती है काश्तकारों को। उसका जो डिफरेंस है जो सरकार उस काश्तकार को देना चाहती है, आप 50 पैसे में दें, 80 पैसे में दें, एक रुपये में दें, जितने में भी दें, उनकी जो जनरेशन कास्ट है, उनकी जो डिफरेंस है, वह सरकार सब्सिडाइज कर दें या इसको री–पे कर दें। मैं समझता हूं बाहर वाले जो यहां पर जनरेशन करना चाहते हैं, वे अधिक जाएंगे और एक ओवर एन्टरप्रिन्योर के हिसाब से इसको अगर आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो विद्युत की कमी है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी क्रम में एक और निवेदन आपको करना चाहूंगा। बिजली की राजस्थान के अंदर हमेशा कमी रही है। इसके उत्पादन के लिए आप और कोई भी विकल्प, कोई और आपकी सोच हो उसको देखें। अभी एक प्रश्न आया रैगुलेटरी बाड़ी का कि रैगुलेटरी बाड़ी कायम अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसका टैरिफ वह जो भी कुछ निर्णय करेगा वह सरकार को लागू करना होगा, उसके पीछे का सोच आप देखें। आज टैरिफ्स का कोई इतना महत्व नहीं है, हम जरूर इसको काश्तकार के नाम से उछाल लेते हैं। अगर काश्तकार को एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिले, अगर काश्तकार को आप दस घंटे एश्योर्ड बिजली दें तो उसको टैरिफ अधिक देने में भी आपत्ति नहीं है। आप चार घंटे बिजली आती है, पांच घंटे बिजली आती है और वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है। अगर उसको बारह घंटे बिजली मिले, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिले और एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद अगर आपके टैरिफ्स इन्क्रीज होते हैं तो उस काश्तकार को एतराज नहीं है क्योंकि उसकी पैदावार भी होती है और अब तो उसने क्राप पैटर्न भी बदल दिया, कैश क्राप करने लग गये। विद्युत मंत्रीजी इसके अंदर और क्या है ? रैगुलेटरी सिस्टम जो आप लागू कर रहे हैं, इसमें सरकार का कितना दखल रहेगा, कितना सरकार इसके अंदर इन्टरवीन कर सकेगी, उनके निर्णयों को कितने आप क्रम में देखेंगे, उसके ऊपर जरूर आप निश्चित रूप से विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मैंने एक जनरल बात विद्युत के संबंध में कही है। मैं थोड़ा–सा अपने क्षेत्र के लिए भी निवेदन कर दूं। आप भी हमारे ज़िले से पधारते हैं और मंत्री हैं। अपने जिले में विद्युत का संकट है। वहां का जो सारा सिस्टम है उसको भी आप सुधारें। आपने 132 के.वी. का सब स्टेशन उनियारा में मंजूर कर दिया पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। शायद आर्थिक दृष्टि से अभी आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वह 132 के.वी. का जो स्टेशन मंजूर किया है

(श्री दिग्विजय सिंह)

उसको आप शीघ्र चालू कराएं। इसी प्रकार से 33 के.वी. का सब स्टेशन जो आज से दस साल पहले घाड के अंदर स्वीकृत हो गया था वह फिर कोल्ड स्टोरेज में चला गया था। उसको भी आप दिखवाएं तथा चालू कराएं। अगर इस प्रकार के सब स्टेशन हो गये उस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से वहां विद्युत की जो आज परिस्थिति बनी हुई है वह ठीक होगी।

अब मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जलदाय मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहूंगा और जो समस्या है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब बात करते हैं पीने के पानी की गम्भीर समस्या के लिए और यह भी कहते हैं कि यहां पानी नहीं, यह रीजनल स्कीम बनाई जाए। आज हम यह नहीं सोच रहे कि हम भूमि में से पानी का दोहन किस मात्रा में कर रहे हैं और उसका रिचार्ज नहीं हो रहा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में राजस्थान के अंदर पानी की इससे भी भयंकर समस्या हो जाएगी चाहे आप कितने ही ट्यूबवैल लगा लें, चाहे आप कितने ही हैण्डपम्प लगा लें। अगर रिचार्ज नहीं हो रहा है और अकाल की परिस्थिति बन रही है तो आपका यह कोई सिस्टम सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम स्कीम तो आपको दे रहे हैं, हैण्ड पम्प्स की भी बात कह रहे हैं, ट्यूबवैल भी आपको कह रहे हैं पर आपने कभी कंजरवेंसी आफ वाटर का प्लान भी बनाया है। कंजरवेंसी आफ वाटर का प्लान भी बनना चाहिए। स्टेट के अंदर कंजरवेंसी आफ वाटर के ऊपर आज किसी ने नहीं सोचा, इस पानी को कैसे हम बचा कर रखें। आज राजस्थान के अंदर पानी सोने से ज्यादा महंगा है इसलिए कंजरवेंसी आफ वाटर का आप प्लान जरूर बनाइये। उसके बाद जो भी हमारी समस्या ग्रामों में है उसको भी आप देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक बात की ओर ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं बीसलपुर परियोजना, जहां से जयपुर को आप पानी ला रहे हैं और इसके साथ साथ उधर अजमेर, ब्यावर और नसीराबाद को भी दे रहे हैं। मैंने प्रश्न किया था और प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि अगर जयपुर को पानी देने का विकल्प ईसरदा बांध को बनाकर आप देखें तो जयपुर के लिए इससे पानी जो आएगा उसकी माइलेज है भी कम और पानी भी उधर बीसलपुर बांध में बचेगा। उधर जब पानी बचेगा तो आप और भी क्षेत्रों को पीने का पानी दे सकते हैं। यह आपके नजदीक पड़ेगा, करीब 90 किलोमीटर की लम्बाई और वह 178 किलोमीटर की लम्बाई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान थोड़ा उस प्रोसीडिंग की ओर भी दिलाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मंत्रियों के जवाब तक बढ़ा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रियों के जवाब तक समय बढ़ाया जा रहा है।

राज्य में विद्युत, अकाल व पेयजल की स्थिति पर विचार

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था, क्या यह सही है कि करीब दो वर्ष पूर्व सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लिफ्ट योजना का सर्वे किया गया था और करीब दस लाख रुपये व्यय हुए हैं ? आपने लिखा कि ईसरदा बांध के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं डिजाइन का कार्य वर्ष 94–95 से किया जा रहा है और मार्च, 99 तक 16.52 लाख रुपये सिंचाई विभाग द्वारा व्यय किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट... (व्यवधान) एक मिनट Feasibility Report of Isharda Project, इसके अंदर पेज सी पर लिखा है। हां, पढ़ लो आपको सुना रहा हूं। मंत्रीजी आपने कहा था...

"After the preliminary invetigation at the site, feasibility reports for constructing a dam at Isharda site were prepared by the Director of S&I Jaipur. The cost was estimated at 23.25 crores in the year 1986. The proposed dam was to be of gross storage capactiy of 7400 mft to irrigate 55500 acress..."

A relevant portion ;

"However, the scheme could not be taken up due to financial constraints during the state level review meeting which was held on 24.10.90."

Following decision was taken which is reproduced as under :-

"Alternative source for drinking water requirement for Jaipur.

There is a possible site of construction of dam at Isharda on Banas river D.S. of Bisalpur site. Apart from the drinking water, requirement of Jaipur can be met with from the storage of Isharda and corresponding quantity of water can be released from Bisalpur dam for irrigation. It was decided that the Chief Engineer and Addl. Chief Engineer PHED

(श्री दिग्विजय सिंह)

Department" ... (interruption) will jointly prepare the feasibility report of this Isharda project and will make available the data."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं वह कह दो, यह तो इनके पास है लिखा हुआ। आप कहना क्या चाहते हो ? यह तो इनके पास है।

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि आप इस साइट को भी एग्जामिन करवा लें। एग्जामिन करवा कर जयपुर को अगर इससे पानी मिल जाए तो आपके लिये विकल्प है 2010 तक के लिये।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो आप दो मिनट के लिये कह देते हैं, इनको पूरा आधा घंटा हो गया। उनियारा का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट, मैं अकाल राहत मंत्री जी से...(व्यवधान)उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी से एक निवेदन करना है।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दो इनको। पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, इनको पांच मिनट जरूर बोलने दिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ऊर्जा मंत्री जी शुरू करो आप।

श्री रामस्वरूप : यह अव्यवस्था है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। हमारा विनम्र निवेदन है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी विराजिए। Please don't agree with this situation.

श्री रामस्वरूप : आपके माध्यम से करबद्ध निवेदन है, हम भी हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखना चाहते हैं। सुबह से हम तैयार करते हैं, इतनी तैयारियां करके आये हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, दो मिनट का समय हमको दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : करबद्ध निवेदन है आपसे, हम आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : आधा—आधा घंटा दे दिया और उनको पांच मिनट भी नहीं दे सकते।

श्री उपाध्यक्ष : ऊर्जा मंत्रीजी एक मिनट। (व्यवधान) आप विराजिए, एक मिनट। पहले आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आधे घंटे से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

(श्री उपाध्यक्ष)

एक मिनट, आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य, सदन की प्रक्रिया चल रही है...

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में क्या दिक्कत होती है ? दो मिनट तो अब खराब हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आप विराजिए, आप बोल लेना बाद में। आसन पैरों पर, प्लीज सिट डाउन। माननीय सुरेन्द्रजी आपको दूंगा मैं मौका, पहले मेरी सुन लीजिए प्लीज। माननीय सदस्य, आप सुनने की चेष्टा कीजिए। (व्यवधान) माननीय रामस्वरूपजी विराजिए।

श्री रामस्वरूप : 132 के.वी. का सब ग्रिड नहीं है हमारे यहां, आप सब ग्रिड खोलिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप विराजिए। यह प्रक्रिया है, आपके मुख्य सचेतक जी ने जो लिस्ट दी है वह लिस्ट मैंने एग्जास्ट कर दी। उसके बाद मेरे पास कोई नाम नहीं बचा हुआ है। आपको बोलना है तो आपके मुख्य सचेतकजी से सम्पर्क कर लिस्ट में नाम देना चाहिये। इसका कोई एंड नहीं है। चलता ही रहेगा काम, जिसका कोई अंत नहीं आता है।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्रियों के जवाब दिलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में विद्युत की स्थिति पर चर्चा में कुल मिलाकर पक्ष और विपक्ष के 29 माननीय सदस्यों ने हिस्सेदारी की। मैं सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने विद्युत जैसे गंभीर मसले पर अपने विचार व्यक्त किये, अपने क्षेत्र की और प्रदेश की विद्युत संबंधी समस्याओं का जिक्र किया और साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिये अपनी ओर से रचनात्मक सुझाव भी दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में विद्युत की कमी है और वह आज की नहीं है, लंबे समय से चली आ रही है। विद्युत आज के वक्त में आम आदमी की जरूरत है और प्रदेश के विकास की मूलभूत आवश्यकता है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति की जो स्थिति है उसके संदर्भ में और समस्याओं के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, जो चिंता प्रकट की है, मैं भी उनसे सहमति व्यक्त करता हूं। लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सैद्धान्तिक सवाल यहां पर रखा। परम्परा की बात कही, और नियामों के अंतर्गत बात कही कि इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में यह प्रावधान है कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का वित्त का आय–व्ययक अनुमान जो है वह यहां डिसकस होना चाहिये। उनका यह कथन सही है।

(डा. चन्द्रभान)

इलैक्ट्रिसिटी एक्ट में यह व्यवस्था है। फरवरी के महीने में तैयार किया जाता है और मार्च में जब विधान सभा का सत्र चले तो उसमें डिस्कस होना चाहिये। लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का 1999—2000 का जो आय—व्ययक अनुमान है वह विधान सभा सचिवालय में समय पर पहुंचा दिया है। लेकिन जैसे कि पिछले कई वर्षों से परम्परा नहीं रही, केवल विद्युत की समस्या, विद्युत की स्थिति पर ही सदन में चर्चा होती रही है, मैं उनके शानदार सुझावों के लिये उनका आभार प्रकट करता हूं। आगे से यही कोशिश होगी कि आर.एस.ई.बी. का जो बजट है वह यहां डिस्कस हो। यह बात ठीक है कि उसके ऊपर वोट नहीं हो सकता, लेकिन उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिये ताकि माननीय सदस्यों को यह जानकारी रहे कि आने वाले वर्ष में विद्युत के क्षेत्र में सुधार के कौनसे कार्यक्रम हैं, उनके क्षेत्र में कितने गांवों का ऊर्जीकरण है, इसके लिए क्या वित्तीय व्यवस्था की गई है, कितने कुओं का ऊर्जीकरण करना है, कितना जनरेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा, कितना पारेजण और वितरण व्यवस्था में और तंत्र के सुधार के लिये धन की व्यवस्था की जाएगी। दूसरे अन्य जो खर्च हैं, जो अनुमान हैं उन पर यहां यदि चर्चा होती है तो माननीय सदस्य अच्छी चर्चा करेंगे, उनसे अच्छे सुझाव आएंगे। उससे आर.एस.ई.बी. को भी लाभ होगा और आम उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जितनी गंभीर चर्चा की है, प्रदेश में विद्युत की समस्या उससे भी ज्यादा गंभीर है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जब कोई चीज हमारे पास उपलब्ध होगी तभी तो हम उसका वितरण करेंगे। प्रदेश में विद्युत की मांग तो हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है लेकिन मांग के मुकाबले विद्युत की उपलब्धता नहीं, उत्पादन नहीं है। सन् 1998—99 में जो हमारी इन्स्टाल कैपेसिटी है, कुल उत्पादन सब सोर्सेज से हैं उसमें हमारा खुद का उत्पादन 1302 मेगावाट है, अन्य राज्यों के साथ, अन्य विद्युत घरों के साथ हमारी जो भागीदारी है वह 949 मेगावाट है और हमें केन्द्र से जो एलोकेशन होता है वह

(21.00 बजे)

1100 मेगावाट है। इसके अलावा जो विशेष एलोकेशन होता है वह 693 मेगावाट इस वर्ष हैं, कुल मिलाकर यह 4 हजार मेगावाट से थोड़ा ज्यादा है। इसका 70 प्रतिशत ही अवेलेबल रहता है, मतलब यह 3 हजार मेगावाट के आसपास ही रहता है। हमारी जो आवश्यकता है जिसे कहना चाहिए आदर्श व्यवस्था, वह 45 सौ मेगावाट होनी चाहिए। आज जितनी भी विद्युत का हम उपयोग करते हैं उसका 60 प्रतिशत हिस्सा हमें बाहर से लेना पड़ता है।

(डा. चन्द्रभान)

वह हम केन्द्रीय विद्युत गृहों से प्राप्त करते हैं या उत्तर क्षेत्र में जो सरप्लस पावर है पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, नार्थर्न ग्रिड में, वहां से हम लेते हैं। जहां तक हमारे राज्य के उत्पादन का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास एस.टी.पी.एस. हैं उसमें अबकी बार करीब 5400 मिलियन यूनिट विद्युत पैदा हुई। बहुत अच्छा पी.एल.एफ. है, 78 परसेंट रहा। हमारा नया एस.टी.पी.एस. सूरतगढ़ है उसमें करीब 660 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई। उसका भी नया है लेकिन अच्छा पी.एल.एफ. है 71 परसेंट। इसके अलावा हमें आर.ए.पी.पी. से मिली तीन सौ मेगावाट, इसके साथ में रामगढ़ और दूसरी जो पन विद्युत परियोजनाएं हैं माही, भाखड़ा वगैरह इन सबमें मिलाकर जो मैंने बताया इतना हुआ। लेकिन यह हमारी वर्तमान में जो आवश्यकता है उसकी ही पूर्ति नहीं करता है और आगे तो यह डिमाण्ड बढ़ती ही जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा क्योंकि माननीय सदस्यों यह बात रखी है कि ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। राजस्थान प्रदेश की हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं और देश की स्वर्ण जयंती हम मना चुके, फिर भी कई गावों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। ज्यादा कुओं का ऊर्जीकरण होना चाहिए, जरूर होना चाहिए उससे कृषि का उत्पादन बढ़ेगा। इण्डस्ट्री वालों की भी मदद होनी चाहिए, घरेलू कनेक्शन भी सबको मिलने चाहिए, समय पर मिलने चाहिए। सब ने यह भी चिन्ता प्रकट की कि गांवों में विद्युत की सप्लाई अच्छी रहनी चाहिए, शहरों में भी अच्छी रहनी चाहिए, कस्बों में भी रहनी चाहिए कच्ची बस्तियों में भी रहनी चाहिए, झुग्गी–झोपडियों में और ढाणियों में भी बिजली पहुंचनी चाहिए। यह जरूर होना चाहिए लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, उपलब्धता के बिना यह सब कुछ सम्भव नहीं है। अच्छी बात है कि सब को विद्युत मिले, समय पर मिले, ज्यादा समय मिले, नियमित मिले, बिना किसी रूकावट के, ट्रिपिंग के मिले, अच्छी क्वालिटी की मिले लेकिन इसके लिए हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारे उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। चूंकि हमारी सरकार एक चुनी हुई सरकार है, जनता से मैनडेट लेकर हम लोग आये हैं, एक लोकप्रिय सरकार है, जनकल्याणकारी सरकार है, इसलिए अभाव की स्थिति में होने के बावजूद भी हमने जनता से कुछ वायदे किये हैं। कितनी ही विपरीत परिस्थितियों हों राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी चूंकि हमने जनता से वायदे किये हैं, वे वायदे पूरे करना हमारी जिम्मेदारी है। यही वजह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार

(डा. चन्द्रभान)

डालकर, विद्युत मंडल को अनुदान दिया पहली मर्तबा। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हैं, पिछले आठ साल से आप लोग शासन में हो, आप लोग घोषणाएं तो बहुत करते रहे हैं लेकिन यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उपाध्याक्ष महोदय, राजस्थान के वे तमाम किसान पौने 6 लाख जिनके एग्रीकल्चर के कनेक्शन हुए, इस बात के गवाह हैं कि पहली बार राजस्थान के किसानों को बिना किसी रुकावट के 8 घंटे प्रतिदिन बिजली मिली। उसकी वजह से राजस्थान के कृषि का उत्पादन बढ़ा है, 18 लाख मैट्रिक टन सरसों पिछले वर्ष पैदा हुई थी जो बढ़कर साढ़े 22 लाख मैट्रिक टन हुई। इसमें किसान की मेहनत भी है और मौसम का भी सहयोग है लेकिन बिजली का भी कंट्रब्यूशन है, इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान सरकार को इसका श्रेय है, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को इसका श्रेय जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमने जनता से वायदा किया। वह जो हमने 8 घंटे बिजली दी है इसके लिए 40 लाख यूनिट बिजली हमें पंजाब से महंगी दरों के ऊपर खरीदनी पड़ी। हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि हम नर्सरी नाम की यह जो बीमारी किसान के लगा दी थी पिछली सरकार ने, इसको खतम करेंगे। हमने उसको खतम कर दिया। (व्यवधान) रेट भी कम कर देंगे। दो साल पूरे होते ही उसकी रेट आटोमैटिक कम हो जाती है, दो साल का वक्त पूरा हो जाए।

श्री श्रवण कुमार : वह बीमारी सुमित्रा सिंह जी की लगायी हुई थी नर्सरी वाली।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, वे कनेक्शन भी हम कर रहे हैं। पुराना कमिटमैंट पूर्व सरकार का था, उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार लोगों को कनेक्शन देने का। पहले तो 20 हजार का ही कोटा रखा था फिर 25 हजार किया। हमने 25 हजार 51 दे दिये हैं। 62 हजार लोगों को ये लाइन में लगाकर चले गये। आपने जिनको लाइन में लगाया हम उनको कनेक्शन देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने कोटा पूरा किया है। अबकी बार हमने कहा कि गांव, गरीब और किसान का ध्यान रखेंगे तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो 25 हजार गांवों में बिजली के कुओं का ऊर्जीकरण करना था उसे बढ़ाकर बजट में यह व्यवस्था की है कि हम 30 हजार गांवों के किसानों के खेत के ऊपर, बिजली के कुएं के ऊपर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। आपने साढ़े पांच सौ गांवों की बात की थी ये आंकड़े मेरे पास हैं कि आप लोग कितने गांवों का ऊर्जीकरण करके गये। मैं, आपको उदाहरण बताना चाहता हूं क्योंकि वह बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 550 गांवों के ऊर्जीकरण की बात की और माह अप्रेल, 98 से नवम्बर, 98 तक इन्होंने केवल 154 गांवों का ऊर्जीकरण किया जबकि माह दिसम्बर, 98 से मार्च, 99 तक हमारी सरकार ने चार महीने में 591 गांवों का विद्युतीकरण किया।

(डा. चन्द्रभान)

इन्होंने माह अप्रेल, 98 से नवम्बर, 98 में 41 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया और हमने माह दिसम्बर, 98 से मार्च,99 तक चार महीने में 233 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया। ये गरीबों की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर ज्योति कनेक्शन जो गरीब को एक बिन्दु प्रकाश दिया जाता है जो गरीब के लिए व्यवस्था है, वह 10 हजार का टारगेट था, इन्होंने माह अप्रेल, 98 से नवम्बर, 98 तक केवल 75 को कुटीर ज्योति कनेक्शन दिये जबकि हमारी सरकार आने के बाद माह दिसम्बर, 98 से मार्च, 99 तक 8,879 घरों को कनेक्शन दिया गया। इन्होंने केवल 75 को दिया था। ये कुछ उदाहरण देने जरूरी थे। अब भी हमने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यह फैसला किया है कि हम सात सौ गांवों के अन्दर विद्युतीकरण करेंगे। इतना ही नहीं करेंगे, जैसा कि हमने घोषणा–पत्र में वायदा किया है, हम आने वाले जो तीन साल हैं उनमें राजस्थान के जितने भी राजस्व गांव हैं उनका विद्युतीकरण करेंगे। यह कांग्रेस के घोषणा–पत्र में बात लिखी है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, आप गौर से पढ़ा करो इस घोषणा–पत्र को। इसकी एक एक लाइन, एक एक अक्षर का मतलब है, एक एक जो वायदा है उसको पूरा किया जाएगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी यह क्या कारण रहा कि इनके टाइम में टारगेट अचीव नहीं हुआ और आपके टाइम में अचीव हो रहा है (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। विद्युत बोर्ड का चेयरमैन वही, इंजीनियर सब वही, क्या कारण रहा कि इन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया और आपने एक्सीड किया ?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचनाएं इकट्ठी करके तो आएं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, उपयोगिता प्रमाण पत्र पूरा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपका सवाल बहुत सटीक है। लेकिन जैसा आपका अनुभव है, जब घोड़े पर सवार बदल जाता है, वह घोड़ा अपनी मर्जी से... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह उनको कहने दीजिए ना। (व्यवधान) आप क्यों कह रहे हैं यह बात ? (व्यवधान) आप क्यों कह रहे हैं, यह उनको कहने दीजिए। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : सवार जिधर ले जाता है, जिधर हांकता है उधर चलता है। ये तो बणियों को ले जा रहे थे, ये घोड़े का रास्ता...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री जगमाल सिंहजी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहिए कि इनकी सोच, इनके दृष्टिकोण, इनकी इच्छा शक्ति की बात तो छोड़िये, उनकी मानसिकता का परिचायक है कि ये लोग गरीब के, गांव के, किसान के,

(डा. चन्द्रभान)

दलित के कितने पक्षधर हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बहुत लम्बी चौड़ी बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो आपका दिया हुआ है ना ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कर लेना आप प्रश्न करना ना। (व्यवधान) आप विराजिए। Let him finish. आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं, यह वार्षिक प्रतिवेदन आपने दिया है ना ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैंने आपको सुना है। (व्यवधान) आप बाद में...(व्यवधान) आप बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्रजी आप बैठिये। (व्यवधान) Let him finish. आप प्रश्न करना ना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) मेरा एक निवेदन है।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, गलत बात कहेंगे तो हम भी कहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उनको समाप्त करने दीजिये, उसके बाद आप प्रश्न कर लेना। (व्यवधान) He will reply to all of your questions.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। अभी ये आंकड़ों का जाल फैलाकर जो बातें इन्होंने प्रतिवेदन में कही हैं, उन बातों को झुठला रहे हैं। (व्यवधान) ये सत्य बात तो कहें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां तो बोल देंगे ना, आप पूछ लेना। (व्यवधान) He will reply. आप उनको समाप्त करने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने गांवों को विद्युतीकृत किया आपने, ये हमारे गांवों को, बोलकर बताऊं मैं ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है कि आपने तो 550 गांवों का ही रखा था, हमने 745 कर दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1993–94 में 753 गांव, 1994–95 में 754 गांव, 1995–96 में 756 गांव...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप कब की बात कर रहे हैं ?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, इनसे ज्यादा असत्य नहीं बोल सकता... (व्यवधान) इनसे ज्यादा असत्य बोलने वाला मंत्री तो अभी तक हुआ नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : बाद में क्वेश्चन पुट अप करना, पहले सुनो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आप देखिये, आप साइडट्रैक हो रहे हैं। उन्होंने केवल अप्रेल, 98 से नवम्बर, 98 और नवम्बर, 98 से मार्च, 99 का हवाला दिया है। आप 96–97 की बात कर रहे हैं, उन्होंने 96–97 की बात कही ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 5 नहीं, हमने तो गांव विद्युतीकृत किये ही नहीं ना।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौन कह रहा है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे नहीं कर सके, इसलिए जोर–जोर से बोलकर दिखाना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं तो 98–99 की बात कर रहा हूं, आप कहां 94–95 पर ले जा रहे हैं। यदि सुनना चाहेंगे तो राजस्थान प्रदेश जब बना था यहां 8 मेगावाट बिजली थी। उसके बाद साढ़े सत्ताइस सौ मेगावाट बिजली कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, आपने नहीं बनाई थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं। जैसे 500 मेगावाट की बात आप कर रहे हैं, ये बैठीं सुमित्रा सिंहजी, उस समय ऊर्जा मंत्री थीं, उसमें भी कोटा का 210 मेगावाट जो आया था, वह कांग्रेस के समय में तैयार हो गया था। आपने तो केवल बटन दबाया था। दूसरी बात सुन लें कि यह सूरतगढ़ में जो हुआ है 250 मेगावाट, इसका भी वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी में हुआ है। यह बात ठीक है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और जो धौलपुर में होगा उसका बटन आप दबा देंगे तो क्या हो जाएगा ? आप क्या बात करते हैं ? 5 साल का जैस्टेशन पीरियड होता है ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह ठीक बात है। आप ठीक कह रहे हैं कि 4 साल और 5 साल का होता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सूरतगढ़ में थर्मल पावर प्लान्ट से 250 मेगावाट की पहेली यूनिट को चालू करने में 9 साल लिये। उस 9 साल के चलते पता है कि फर्स्ट फेज की कोस्ट हो गयी 2300 करोड़ रुपये ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? कभी प्राइवेट पार्टी को देने की बात करने लगे, कितनी बार कम्पीटिटिव बीड की ? कभी आप उसका पब्लिक सैक्टर में लाने की...(व्यवधान) आपने कितनी बार अपना विचार बदला है 9 साल में ? उस कारण से आज राजस्थान की जो बिजली पौने दो रुपये में पैदा होनी चाहिए थी, वह बिजली आज दो रुपये पिचहत्तर पैसे में पैदा हो रही है सूरतगढ़ के अंदर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक तो सेंट्रल नीति थी, पी.वी.नरसिंह राव आपके प्रधानमंत्री थे। उस समय प्राइवेटाइजेशन में ही शुरू हुआ था, इसलिये हुआ। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आप 5 साल तक एम.ओ.यू. ही करते रहे। 5 साल निकाल दिये एम.ओ.यू. करने में और कामयाब एक नहीं हुआ। घूम फिरकर वहीं रहे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, 5 साल में पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर करवा–करवा कर लोगों को बेच दिये। (व्यवधान) 5 साल में पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर करवा–करवा कर आपने पी.पी.ए. बी.जे.पी. वालों को बेचे और 8–8, 10–10 लाख लेकर बेचे, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं। अब क्या पैदा करेंगे ? पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर होते थे और बिक जाते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही समय की कमी है। हमारे दो वरिष्ठ मंत्रियों को भी जवाब देना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी उसका खयाल करें।

डा. चन्द्रभान : मैं बहुत ही कम समय में सब बातें रखना चाहता हूं। हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, ये बातें तो बहुत करते हैं लेकिन...

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप बार–बार प्रतिपक्ष कह रहे हो, हम आपकी बात से सहमत हैं। सबको ही प्रतिपक्ष में...(व्यवधान) हम कहां आपका विरोध कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उसमें आप शामिल नहीं हो, आप विराजें, जगमाल सिंहजी। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उनको, उनको। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, आप बारबार प्रतिपक्ष कह रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं,बी.जे.पी.,बी.जे.पी.।

श्री जगमाल सिंह यादव : फिर आप +++ कहो ना।

डा. चन्द्रभान : मैं बी.जे.पी. वालों को कह रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल को नहीं। आप थर्ड फोर्स हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : तो फिर उनको +++ कहो।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, यह मैं नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ति कैसे करेंगे, यह बताइये आप।

डा. चन्द्रभान : बताऊंगा नां आपने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं आपकी तारीफ करने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि ये लोग बातें तो बहुत करते रहे लेकिन इस समस्या की जड़

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

है उत्पादन। पिछले 8 साल में 5700 मेगावाट बिजली के उत्पादन के एम.ओ.यू. कर लिये और करीब 4000 मेगावाट के पी.पी.ए. कर लिये। आपका उप चुनाव था, मैं भी वहां गया हुआ था और उसमें पूर्व मुख्य मंत्रीजी भी पधारे थे। वहां पर भी सौ मेगावाट के नेफ्था आधारित डीजल बेस के पावर प्लांट की बात कर दी। फिर बांसवाड़ा गये, वहां भी घोषणा कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्राइवेट सैक्टर की बात करते हैं, आप लोगों ने इतनी बड़ी–बड़ी बातें करके पूरे राजस्थान को ही नहीं, पूरे देश को ही भ्रमित करने का काम किया कि राजस्थान में इतनी बिजली पैदा हो जाएगी। जिन प्राइवेट कम्पनियों की बात करते हैं मैं एक–एक पर तो अब क्या कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने 22 लोगों के साथ में समझौते किये और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक के साथ भी ये फाइनेंशल क्लोजर नहीं करा पाये, not even single.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप करा देना।

डा. चन्द्रभान : हम तो कराएंगे ही। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : क्या बात करते हैं। (व्यवधान) आप कहते हैं यह सरकार करती ? फाइनेंशल क्लोजर तो प्राइवेट पार्टी करती है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, यह जो आप कह रहे हैं कि जिन प्राइवेट पार्टियों से आपने पी.पी.ए. किये, एम.ओ.यू. किये, एल.ओ.ए. किये, उन पार्टियों की स्थिति यह रही। आप तो कह रहे हैं उत्पादन होना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि वे कम्पनियां अपना फाइनेंशल क्लोजर नहीं कर पाईं और इसके लिये सीधे रूप से नहीं, गैर सीधे रूप से आप लोग जिम्मेदार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये सब बातें लाना चाहूंगा कि अभी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने चिन्ता व्यक्त की कि यदि प्राइवेट सैक्टर के चक्कर में आप लोग रहेंगे तो राज्य में विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ा पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आपको भी साफ–साफ कहना चाहूंगा और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अदब के साथ कहो।

डा. चन्द्रभान : बहुत अदब के साथ कहूंगा कि नई सरकार की नीति साफ है। यह सरकार पारदर्शी है, संवेदनशील है और जवाबदेह है। विद्युत के क्षेत्र में क्या–क्या किया है, अभी 10 मिनट में आपके सामने रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने घोषणा–पत्र में यह बात कही है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रैगुलेटरी कमीशन की बताइये।

डा. चन्द्रभान : उस पर भी आएंगे। हम निजीकरण और सार्वजनीकरण दोनों को साथ–साथ चलाएंगे। हम पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर दोनों का वैलकम करेंगे। हम

(डा. चन्द्रभान)

केवल प्राइवेट सैक्टर के ऊपर डिपैण्ड नहीं रहने वाले हैं। यही वजह है कि 1999–2000 का जो विद्युत मंडल का बजट तैयार किया है इसमें हमने टोटल 1087 करोड़ रुपये की योजना बनाई है, जिसमें कुल योजना में से 551 करोड़ रुपये हमको जनरेशन पर रखना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते थे कि ट्रांसमिशन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर खर्च करते, जी.एस.एस. की आवश्यकता ज्यादा है। सभी सदस्यों ने भी यह मांग की। हमारी जो नीचे 33 के.वी. की लाइनें और दूसरी लाइनें हैं उनकी भी पहले के मुकाबले ज्यादा है, वह भी मैं बताऊंगा। उनका जाल बिछाएं और विद्युत तंत्र को और ज्यादा मजबूत करें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उत्पादन ही नहीं होगा तो विद्युत तंत्र का क्या होगा ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, 551 करोड़ रुपये हमने रखे हैं उत्पादन के लिए पब्लिक सैक्टर में। माननीय वी.पी. सिंहजी और माननीय सुमित्रा सिंहजी आपको यह जानकर खुशी होगी कि सरकार समझती है, दूरदृष्टि वाली सरकार है। हमने पहले यह समझ लिया और हम केवल निजी कम्पनियों पर निर्भर नहीं रहने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सूरतगढ़ जो एस.टी.पी.एस. है हम उसको दूसरा के.टी.पी.एस. बनाएंगे ओर उसके लिए हमने धन की व्यवस्था भी कर दी है दूसरी यूनिट का काम तेज गति से चल रहा है। अभी एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि आपने विद्युत उपभोक्ता सम्मेलन तो किये लेकिन जनरेशन के लिए कहां–कहां गये ? मैं सब जगह गया, जितने भी विद्युत तीर्थ हैं, मैंने के. टी.पी.एस. का इंस्पैक्शन किया। गोरधन कल्लाजी हैं, मैं रामगढ़ गया, पवन ऊर्जा का न केवल शिलान्यास किया, जुलाई तक प्रोडक्शन आएगा। मैं सूरतगढ़ गया, उपाध्यक्ष महोदय, यह दूसरी यूनिट जो 250 मेगावाट की है, उसको नौ साल तक का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा यह सन् दो हजार अक्टूबर में आएगी। इसी सदी में आएगी, 21वीं सदी से पहले आएगी। यह दो हजार एक में नहीं आएगी, सन् दो हजार में आएगी सैकण्ड यूनिट। उसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ का जो सैकण्ड फेज है हमने उसकी भी व्यवस्था कर दी है। उसके लिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि टैक्नो–इकोनोमिक–क्लियरेंस के लिए एप्लाई कर रखा है सी.ई.ए. में और बहुत जल्दी क्लियरेंस मिलने वाली है। उसके लिए और दूसरे चरण में जो 500 मेगावाट की दो यूनिट लगेगी उसके लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वर्ष के बजट में ही कर दिया है।

मैं जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य की चिन्ता को भी मिटाना चाहता हूं कि गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से बातचीत चल रही है। जिस क्वालिटी की गैस होनी चाहिए, जितनी मात्रा में होनी चाहिए, जितने साल के लिए

(डा. चन्द्रभान)

होनी चाहिए, वह नहीं है लेकिन उसके लिए बातचीत चल रही है, उपलब्ध हो जाएगी, हमारा यह अनुमान है। उसके लिए रामगढ़ की कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे 71 मेगावाट, उसके लिए भी हमने 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कोयले का अभाव है, हाइडल नहीं है। यहां पर गैस भी नहीं है। यहां पर लिग्नाइट है और इस लिग्नाइट को आप उलझा गये। एक तो यहां के वेस्ट पावर वालों को दे गये, जिनका अता—पता ही नहीं है, एक महाराजा जैलसिंहजी और एक मोदी साहब हिन्दुस्तान पावर कारपोरेशन वाले। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कोई भी कमिटमैंट किये हैं, हम तो उनको आनर करना चाहते हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं दें उसका हम क्या करें ? हम तो फिर कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट सैक्टर में जनरेशन बढ़े, इसके लिए गवर्नमैंट बहुत गम्भीर है। सब कमेटी बनायी, सब कमेटी ने दो महीने में आठ मीटिंग्स की, सबको बुलाया। उपाध्यक्ष महोदय, जो दो बड़े पावर प्रोजैक्ट हैं वे हैं एक आर.पी.जी. ग्रुप धौलपुर का नैफ्था बेस्ड 702 मेगावाट का और एक 500 मेगावाट का हिन्दुस्तान पावर कारपोरेशन (एच.पी.सी.एल.) का बीकानेर में बरसिंगसर में। इसमें दिक्कत क्या हुई, उपाध्यक्ष महोदय, कि इलेक्ट्रिसिटी इण्डस्ट्री तो रैगुलेटेड इण्डस्ट्री है और नियम, कानून—कायदे के तहत ही सब फैसले होते हैं, सब निर्णय होते हैं। सैण्ट्रल गवर्नमैंट जो है उसने यह कहा कि जो कैपीटल कास्ट होगी उसके आधार पर हम टी.ई.सी. क्लियर करेंगे लेकिन राजस्थान की गवर्नमैंट ने इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिडिंग की और मैं उसको सपोर्ट करता हूं। उस बिडिंग के द्वारा जो लोएस्ट टैरिफ थी, उसको यह प्रोजैक्ट देना था। वह एच.पी.सी.एल. को दिया गया। लेकिन सी.ई.ए. ने 361 करोड़ रुपया इसकी कैपीटल कोस्ट को घटा दिया जिससे उसकी टैरिफ कम आ गयी और उसमें रुकावट डाल दी। हमारी कमेटी ने इसका व्यू लिया और कैबिनेट में रखा। हमारी कैबिनेट ने इसको पास किया। हमने सैण्ट्रल गवर्नमैंट को लिखा कि आप इस बारे में फैसला कीजिए। जब इंटरनेशनल काम्पीटिटिव बिड पर यह हो गया तो आप उसको मंजूरी दीजिए और मंजूरी नहीं देते तो कोई न कोई फैसला कीजिए। जहां तक आर.पी.जी. का है, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। उन्होंने मशीन बदल दी, उससे बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट हो गया, मतलब बड़ी मशीन ले आये। उससे हीट रेट की सेविंग होती है। हमारा यह कहना था कि हीट रेट की सेविंग जो है वह आर.एस.ई.बी. को पास आन करें। इसके लिए केबिनेट ने व्यू ले लिया है और हमने पार्टी को भी सूचित कर दिया है। इस मामले को हम सी.ई.ए. को रेफर कर देंगे। वे

(डा. चन्द्रभान)

जो भी फैसला करेंगे हम उसको मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा लिक्विड फ्यूल बेस्ड जो स्माल पावर प्लांट्स थे, वे भी 13 या 14 थे। जिनसे आपने पी.पी.ए. किये हैं उनको भी बुलाया। इनमें से उपाध्यक्ष महोदय, चार लोग आये। चार में से एक तो हैं मैसर्स चम्बल पावर प्रोजेक्ट, केशोरायपाटन, दूसरे हैं पिराज इण्टरनेशनल और तीसरा है आपका इण्डोकेल ये सीरियस दिखायी दिये, इन्होंने 75 लाख बैंक गारंटी जमा करवायी है। हमने इनको कह दिया कि आप आगे बढ़िये, सरकार आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है ओर बाकी जो...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : किस रेट में ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, पी.पी.ए. जो ओरिजिनल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक उसमें परिवर्तन है टैरिफ की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। जैसे बड़े पावर प्रोजैक्ट का फ्रंट लोडिंग होता है उस तरह से स्माल पावर प्रौजैक्ट को भी फ्रंट लोडिंग दे दिया है, लेकिन उससे जो लेबल लेवलाइज्ड टैरिफ है वह बढ़ने के बजाय कम होगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : वेरिएबल है या नान वेरिएबल है ?

डा. चन्द्रभान : लेवलाइज्ड टैरिफ उसमें बढ़ेगी। फ्रंट लोडिंग में, उपाध्यक्ष महोदय, यह होता है कि शुरू के जैसे पन्द्रह साल कर लिये तो शुरू में आर.एस.ई.बी. उनको कुछ पैसा ज्यादा देगी, जिससे उनका प्लांट, कर्जा और दूसरे वायवल बन जाएं। बाद में उससे कम ले लेगी, लेकिन कुल मिलाकर टैरिफ में कोई चेंज नहीं होगा, आर.एस.ई.बी. को कोई नुकसान नहीं होगा, बड़े पावर प्रोजेक्ट को पहले दिया हुआ है। आपकी सरकार के द्वारा ही फ्रंट लोडिंग की व्यवस्था की हुई है वे चाहते थे कि फोरेन एक्सचेंज कवर हो, वह हमने नहीं दिया है। हालांकि वे अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि फोरेन एक्सचेंज का कवर भी उन्हें मिले। एस्क्रोव भी ये चाहते थे, एस्क्रोव भी हम लोगों ने नहीं दिया है। जो चम्बल, पिराज, इण्डोकेल को दिया है, वही हमने दूसरी जो छोटी पावर प्लांट्स कम्पनियां थीं उनको पत्र लिख दिये । यदि वे आना चाहें तो उनका वैलकम है और नहीं आएंगी तो फिर, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो रद्द करने ही पडेंगे। यह जो नैपथा बचा हुआ है इसके लिए दूसरे लोगों को अलाट करेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रेट तो बता दीजिए आप।

डा. चन्द्रभान : रेट तो वही है। 15 साल के लिए है। नहीं, रेट तो वही है पुराने ओरिजिनल पी.पी.ए. में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रीशिड्यूल हो गया। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हां, हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले ज्यादा लेंगे और बाद में कम लेंगे तो पहले... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पहले बढ़ जाती है और फिर नीचे होती है, फ्रंट लोडिंग में, लेकिन यह बताइये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह तो एवरेज की बात कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : लेकिन टोटल जो लेवलाइज्ड टैरिफ है, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा, वह कम होगी। (व्यवधान) एवरेज की बात कर रहा हूं। उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, कोई अंतर नहीं है।

अच्छा, फिर दूसरी बात यह कह रहे हैं तो स्माल पावर प्लांट्स को हमने जो फ्रंट लोडिंग दी है वह बिग पावर प्लांट्स को पहले से दी हुई है, तो फिर आप बताइये कि हमने कोई नया काम तो इसमें किया नहीं । कैबिनेट ने इसमें यह व्यू लिया और भी कोई आएगा, तो कैप्टिव पावर प्लांट है उसके लिए अनीता इम्पैक्स है और दूसरी हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं हैं कैपिटल व पावर प्लांट की पालिसी है उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। जहां तक पब्लिक सैक्टर का सवाल है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। साथ में प्राइवेट सैक्टर आता है उसका भी वैलकम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि राजस्थान में जनरेशन बढ़े।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब आप कृपा करें।

डा. चन्द्रभान : माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि कृपा करो। कृपा तो मैं करूं, स्थिति ही ऐसी बनी हुई है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे समय में विद्युत विभाग का मंत्री बना हूं कि मैं कृपा करने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय सदस्य चारों तरह से सब तरफ की सुविधाओं की बात करते हैं, सहूलियत की बात करते हैं लेकिन हम लोग जहां आज खड़े हैं उसमें सहूलियत की कहना चाहिए कि गुंजाइश बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सब लोग ये बातें करते हैं, अच्छी बात है और हमारी गवर्नमेंट जो है, वह भी जन–कल्याणकारी सरकार है। सभी तबकों का विशेष रूप से किसानों का और गांव के लोगों का, गरीबों का विशेष ध्यान रखना चाहती है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारी आर्थिक सीमाएं हैं वे सबके सामने हैं। सब सदस्यों ने चर्चा की कि जी.एस.एस. बनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लाइन का इम्प्रूवमैंट होना चाहिए, अच्छे–अच्छे ट्रांसफार्मर लगने चाहिए, ज्यादा गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिए, ज्यादा कुओं तक बिजली पहुंचनी चाहिए, सुबह–शाम भी बिजली पहुंचनी चाहिए। हमने तो किया है, शाम को सात से ग्यारह और अब सुबह चार से छह और कर दिया, आपने पहले किया था क्या यह, आपसे मैं पूछना चाहता हूं ? दिन में भी हम बिजली दे रहे हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों को यह निवेदन इसलिए

(डा. चन्द्रभान)

करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि अब जो वक्त है, इस पावर सैक्टर में कोई ऐसी भी बीमारी बढ़ गयी है कि दवा से इसका इलाज नहीं होने वाला है, इसके लिये मेजर सर्जरी की जरूरत है। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना मेरा कर्तव्य समझता हूं कि आपने यहां पर यह बात कही। माननीय सदस्यों ने कही, वह बात तो अभी बाकी है, उनका भी एक–एक जवाब मैं जरूर देऊंगा पांच मिनट में, लेकिन पहले एक बात मैं आर.एस.ई.बी. की कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मण्डल की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी हमको थोड़ा विचार तो करना चाहिये। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आज जो विद्युत हम पहुंचाते हैं कंज़्यूमर तक, उसकी लागत 2 रुपये 66 पैसे हैं हमें जो राजस्व मिलता है वह 2 रुपये 12 पैसे है। इतना बड़ा अन्तर है। 1994–95 में 34 पैसे का जो अंतर था वह बढ़कर 54 पैसे का हो गया। 410 करोड़ रुपये का जो घाटा था वह आज 944 करोड़ रुपये का हो गया। यदि यही टैरिफ रही, इसी तरह से डिमाण्ड रही और इसी तरह से इस सिस्टम को हम बढ़ाते गये तो अगले साल 1250 करोड़ रुपये पहुंच जाएगा। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : बढ़ाना चाह रहे हो तो हाउस में घोषणा कर दो।

डा. चन्द्रभान : बढ़ाने की बात नहीं, मैं आपके सामने एक वस्तुस्थिति प्रस्तुत कर रहा हूं। (व्यवधान) जो स्थिति है वह रख तो दूं मैं माननीय सदस्यों के सामने।

आपको पता है, उपाध्यक्ष महोदय, 5,700 करोड़ रुपये का कर्जा है विद्युत मण्डल के ऊपर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि इसमें 1408 करोड़ रुपये तो गवर्नमैंट के हैं लेकिन 4318 करोड़ रुपये फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस के हैं, कैपिटल मार्केट से लिये हुए हैं, कामर्शियल बैंक्स के हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोयले के दाम बढ़ गये, रेल का किराया बढ़ गया, आज हर उस सामग्री के दाम बढ़ गये जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। आज हमारी फाइनेंशल पोजीशन ऐसी है कि एक महीने में 110 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है एवरेज। आप क्या बात करते हैं, साहब, आप तो आठ महीने में 2000 करोड़ रुपये इकट्ठा करके गये थे। यह तो हम लोगों ने मेहनत की है राजस्व, का जो 120 करोड़ रुपये इकट्ठा किया है चार महीने के अंदर और 3701 करोड़ रुपये का राजस्व कैसे भी इकट्ठा किया है यह तो 1200 करोड़ रुपये का घाटा होने वाला था जिसको कैसे भी करके हम 944 करोड़ रुपये पर लेकर आये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन विद्युत मंडल की यह आर्थिक स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज यदि कोयला नहीं पहुंचेगा तो सूरतगढ़ का या कोटा का हमारा थर्मल पांवर प्लांट कैसे चलेगा ? इसलिए व्यवस्था होनी चाहिये। 275 करोड़ का रेवेन्यू है और 385 करोड़ का खर्चा है।

(डा. चन्द्रभान)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही जाती कि विद्युत मण्डल है इसमें फिजूलखर्ची है, इसमें कार्यकुशलता नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं कहता कि विद्युत मण्डल में सब ईमानदार है। केवल विद्युत मण्डल में नहीं, मुझे तो कहीं भी सब ईमानदार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार केवल विद्युत मण्डल में हो, यह कहना भी उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कहना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : स्वीकार तो किया आपने।

श्री श्रवण कुमार : आपके ऊपर तो पुलिस वाले हैं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एस्टैब्लिशमैंट के खर्चे का सवाल है सब माननीय सदस्यों ने आज एक सवाल खड़ा किया है और वह बहुत वाजिब सवाल है। हमारी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यह विद्युत मंडल बना तब इस पर एस्टैब्लिशमैंट का खर्चा था 22 परसेंट, आज हम इसको घटाकर 11 परसेंट पर लेकर आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1980 में जब 1073 मेगावाट बिजली बनती थी, 13000 गांवों में विद्युतीकरण था और 1 लाख 83 हजार कुए इलेक्ट्रिफाइड थे। उस समय जितने कर्मचारी और अधिकारी थे, उतने ही आज हैं 19 साल बाद। हमारे विद्युत तंत्र का विकास तीन–चार गुना हो गया। 13000 गांवों के बजाय आज 36000 गांवों में बिजली है, 1 लाख 83 हजार कुओं के मुकाबले 5 लाख 79 गांवों में कुओं के ऊपर बिजली है और 1073 मेगावाट की जगह हमारी जनरेशन 3300 मेगावाट है। बाकी तो खैर अलाट होता है तो तिगुना और चार गुना हो गया, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी हमने नहीं बढ़ाये। सही कह रहे थे माननीय सदस्य, इसमें बड़े अधिकारियों की तो पैरवी की जरूरत भी नहीं है। आप जानते हैं, हम भी कोई बड़े अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन लाइन मैन, हैल्पर इनकी जरूरत है। इसके लिये जरूरी होगा तो भर्ती हम जरूर करेंगे। वह करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन हम कोई खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हमारे मितव्ययता समिति बनायी और मितव्ययता समिति के माध्यम से 25 करोड़ रुपये हम लोग बचाएंगे विद्युत मंडल में।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप बताइये कि बिजली कहां से आएगी ? मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि विद्युत की यह स्थिति है कि पिछली बार आपने 1524 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी थी। आप कह रहे हो न कि हमने किसानों को बहुत मंहगी बिजली खरीद कर दी। और अब की बार हमने 1899 करोड़ रुपये की बिजली खरीदी है बाहर से। वह ज्यादा महंगी है क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, जो केन्द्रीय विद्युत गृह हैं उन्होंने अपनी दरें बढ़ा

(डा. चन्द्रभान)

दीं। इस कारण करीब 206 करोड़ रुपये का इस बार भार बढ़ गया। दरें आगे भी बढ़ी रहेंगी उनकी तो आर.ए.पी.पी. ने अपनी दरें बढ़ा दीं। इसके चलते 250 करोड़ रुपये का तो भार इसी से पड़ जाएगा। फिर बाहर से बिजली लेनी हैं और रेल, यानि कोई भी चीज ऐसी नहीं है बिजली के अलावा जिसके दाम पिछले सालों में नहीं बढ़े हों, उसके चलते यह स्थिति बन गयी। फिर पांचवां वेतन आयोग आ गया। इस सबके चलते कुल–मिलाकर विद्युत मंडल पर तो आर्थिक भार बढ़ता ही चला गया। अभी तक तो इसकी क्रेडिट है। आज भी राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक साख है। हम लोगों ने समय पर पेमेंट करके कुछ पैसा बचाया है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि यह घाटे की स्थिति कब तक चलती रहेगी ? यह किसी के हित में नहीं है। यह प्रदेश की जनता के हित में नहीं है, उपभोक्ता के हित में भी नहीं है। मंडल की मैं पैरवी नहीं कर रहा हूं। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे टैरिफ की बात। मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि आज के दिन हमारी क्या टैरिफ है इलैक्ट्रिसिटी की, 19 बड़े राज्यों की बात करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, उन 19 राज्यों में मैं कहना चाहूंगा कि 14 राज्य ऐसे हैं जहां हमारे से ज्यादा घरेलू दरें हैं बिजली की, हमारा 15वां स्थान है। अघरेलू में हमारा 14वां स्थान है। एग्रीकल्चर में हमारा नवां स्थान है। स्माल इंडस्ट्रीज में हमारा आठवां स्थान है। मीडियम इंडस्ट्रीज में हमारा नवां स्थान है और बड़ी इंडस्ट्रीज में हमारा बारहवां स्थान है। मिक्स लोड जो होता है और कामर्शियल जो होता है उसमें हमारा नवां स्थान है। यह स्थिति बनी हुई है आज के दिन। फिर दूसरी बात यह है कि गवर्नमैंट से भी मदद कम मिल रही है। सरकार से भी...

श्री खेतसिंह राठौड़ : बैठो न, बढ़ा देना। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अब दो मिनट में खतम कर देता हूं। सरकार से भी मदद कम मिल रहीं है। पहले के बजाय असिस्टैंस कम है। जब आपके कोई रहेगा तो बताइये इन्वेस्टमैंट कहां से आएगा ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो बताओ, हम जानकारी लेना चाहते हैं। आधा घंटा ज्यादा लगेगा।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, मैं कम्प्लीट कर देता हूं। मैं जानता हूं कि बहुत वक्त हो गया है हालांकि...(व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : डाक्टर साहब, आप एक और बात बताइये...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महेश जोशी : आप जैसलमेर भी गये, आप बी.जे.पी. सदस्यों के कमिटमैंट को भी पूरा करने की बात कर रहे हैं, वह एक किलोमीटर ऊंची चिमनी जिसमें से धुंआ

(श्री महेश जोशी)

निकलने वाला था और जिस पर भैरोंसिंह जी शेखावत बैठकर पाकिस्तान पर नजर रखने वाले थे, उसका क्या हुआ ? बेनजीर को देखना चाहते थे, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि वक्त नहीं है। मैं तो मथानिया भी गया था और सब जगह भी गया था। मथानिया का भी शुरू करेंगे। विंड एनर्जी बेस्ट यह जो विद्युत परियोजना लगायी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ले चलूंगा और माननीय सदस्य को भी ले चलूंगा, यह हम 15 अगस्त से पहले–पहले आपको चालू करके बताएंगे जिससे कि लोगों में हमारी साख तो बने।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि संसदीय कार्य मंत्रीजी के आदेश की तो में अवहेलना नहीं कर सकता इसलिए, बहुत संक्षेप में एक बात अन्त में कहना चाहूंगा। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ज्यादा उद्वेलित हैं, क्योंकि सरकार की आर्थिक स्थिति भी आपसे कोई छिपी हुई नहीं है और उपभोक्ताओं की स्थिति भी आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे में इन्वेस्टमैंट कहां से आएगा ? विद्युत मंडल केवल हमारे प्रदेश का इतने घाटे में हो, ऐसी बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इन्वैस्टमैंट कहां से आएगा मुझे आप बताइये ? मेरा सगा भाई जब कर्जदार होगा, डिफाल्टर होगा, मैं बार–बार उसको पैसा दे रहा हूं और वह मुझे नहीं रिटर्न करता है तो एक दिन मैं भी उसको पैसा देने से मना कर दूंगा।

श्री जगत सिंह दायमा : यह जो 600 करोड़ रुपये सब्सिडी है किसानों की, कहीं वो तो खतम नहीं कर रहे आप, इसके बारे में और बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, घोषणा करो।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य किसानों के लिए जितने चिंतित हैं उनसे ज्यादा यह सरकार चिंतित है। कोई रेगुलेटरी कमीशन आये, कोई सुधार के कार्यक्रम हो, कोई रिफोर्म्स आए तो राजस्थान के किसानों को औरों के मुकाबले हमेशा सस्ती और अच्छी बिजली मिलती रहेगी, यह हमारा कमिटमैंट है राजस्थान के किसानों के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, आज यह स्थिति बन गयी है कि विद्युत सुधार के कार्यक्रम नहीं शुरू किये गये तो यह पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। हम इक्कीसवीं सदी में रोशनी के साथ जाना चाहते है, अंधेरे में नहीं जाना चाहते हैं। आज ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रमों के लिए देश भर में आम सहमति बन रही है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई राजस्थान की बात नहीं है, 16 राज्यों में रैगुलेटरी

(डा. चन्द्रभान)

कमीशन बन रहा है और तीन राज्यों में तो रिफोर्म्स का काम तेज गति से चल रहा है—उड़िसा में, आंध्र प्रदेश में और हरियाणा में। मैं भी हरियाणा में होकर आया था, वहां स्थिति में सुधार आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष भाजपा के माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, आज से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस मुह से विरोध कर रहे हैं ऊर्जा क्षेत्र में सुधार कार्यक्रमों का तो रिफोर्म्स पालिसी स्टेटमैंट लेकर आये थे और केवल लेकर नहीं आये थे, उसको जारी किया था। आपने जारी किया था उसको, मैं यह कहना चाहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, उसी मुंह से बात कर रहे हैं जिस मुंह से आपने विरोध किया था। आपकी पार्टी ने विरोध किया था, उसी मुंह से विरोध कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभान : आप मेरी बात सुनिये पहले, आप बाद में सवाल कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसी तरफ खड़े रह कर आपके तमाम् नेताओं ने विरोध किया था।

डा. चन्द्रभान : आप बाद में सवाल कीजिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको देखें, यह तो नहीं चल सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेश जोशी : आपकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए विरोध कर रहे थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी आपने इन पांच महीने में जो इतनी नालेज प्राप्त की उसके लिए बहुत—बहुत धन्यवाद और अब इसको समाप्त कीजिये।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में इसको समाप्त करता हूं। लेकिन इनको जवाब नहीं दूंगा तो मेरा यह रिप्लाई अधूरा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : और अवसर आएगा।

डा. चन्द्रभान : राजस्थान की जनता को सही जानकारी नहीं मिलेगी। इनका असली चेहरा सामने आना चाहिए। इन्होंने तो रिफोर्म्स बिल भी ड्राफ्ट कर लिया था, लेकिन राजनीतिक साहस नहीं जुटा पाये इसलिए इस सदन के अंदर लेकर नहीं आये। आपने रैगुलेटरी कमीशन के लिए एक कमेटी बना दी थी और जस्टिस केजड़ीवाल को आपने उसका अध्यक्ष बनाया था, आप क्या बात करते हो। आज आप इसका विरोध कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, ये रैगुलेटरी कमीशन है, इसको हौवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह इस इलैक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री को रैगुलेट करेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हौवा तो आज के लोगों ने बनाया है।

डा. चन्द्रभान : यह रैगुलेट करेगा। आप सुनिये मेरी बात को एक बार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो जन भावना और जनहित को देखकर ही लेकर आये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपकी पार्टी में अंतर्कलह था, हमारे क्यों माथे लगा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब लेकर आओ नं, हम तो स्वागत करते हैं।

श्री हरिसिंह (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपकी पार्टी का अंतर्कलह था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : गरीब किसान इतना पैसा नहीं दे पाएगा। जब पांच रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलेगी तो कैसे कर पाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी समाप्त होने दो न। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्क्लूड करता हूं। (व्यवधान) दो मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : एनर्जी मिनिस्टर, आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : इतना अच्छा बोल रहे हैं...(व्यवधान) उसके बाद में भी तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको समाप्त करने दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हैं ? +++(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मंत्रीजी में पूरे 440 वोल्टेज आ रहा है।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में यही कहना चाहूंगा कि विद्युत क्षेत्र में सुधार के कार्यक्रम सरकार जो शुरू करने जा रही है उसका मकसद राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं की सेवाओं में सुधार करने का है। मैं आपके माध्यम से इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यह कांग्रेस की सरकार जो भी नीति बनाएगी जो भी कार्यक्रम बनाएगी उसमें गांव का, गरीब का और किसान के हित का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

श्री जगत सिंह दायमा : और दलित वर्ग का भी। (व्यवधान) उसका तो आप बोलते ही नहीं हो कभी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी। विराजिये आप, प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने बहुत भाषण पढ़ा, बहुत अच्छा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तीन क्वेश्चन।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। प्रश्न नम्बर वन, क्या यह सही है कि वर्ल्ड बैंक ऋण दे रहा है उसके कारण आप यह रैगुलेटरी कमीशन ला रहे हैं ?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नम्बर दो, अभी तक जो भी रेट बढ़ायी है विधान सभा के पास लाते हैं, विधान सभा ही बढ़ाती है रेट लेकिन अब रैगुलेटरी कमीशन बढ़ा देगा, हमारे यहां पर आएगा ही नहीं।

डा. चन्द्रभान : विधान सभा कभी रेट नहीं बढ़ाती है, राज्य सरकार बढ़ाती है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विधान सभा में आता है। फिर आप इलैक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं जानते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : राज्य सरकार।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इलैक्ट्रिसिटी एक्ट पर बाद में बहस कर लेना। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इलैक्ट्रिसिटी एक्ट है, विधान सभा में लाना पड़ता है। (व्यवधान) 57 देख लीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप 57 में देख लीजिये। (व्यवधान) विधान सभा में लाना पड़ता है रेट बढ़ाने के लिए। (व्यवधान) इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1948 के अंदर है, आप देखिये न निकाल कर।

डा. चन्द्रभान : देखिये, यह हाउस तो सुप्रीम है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आप को यहां लाना पड़ता है रेट बढ़ाने के लिए।

डा. चन्द्रभान : लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हो...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : लेकिन नहीं, सरकार नहीं बढ़ा सकती इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर, यहां लाना पड़ता है रेट बढाने के लिए।

डा. चन्द्रभान : विद्युत मण्डल बढ़ाता है, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार उसे परमिट करती है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : विधान सभा को अपन डाइल्यूट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अकाल राहत मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, आपने सारी बात स्पष्ट कर दी।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया है मंत्रीजी ने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को तो एक ही बात पूछनी है, आपने आज घोषणा कर दी तो आप किसी तरह का टैरिफ तो नहीं बढ़ा रहे है न ? यह तो बता दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह वक्त आएगा तब बताएंगे, वक्त आने दो।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, टैरिफ बढ़ाने की जो बात करते हैं, यह तो एक

(डा. चन्द्रभान)

निरन्तर प्रक्रिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में भी आप जानते हो, हमारी सरकार को साढ़े चार, पांच महीने हुए हैं, हमने अभी तक टैरिफ बढ़ायी क्या ? (व्यवधान) सुनिये आप। 1994 से लेकर 1997 तक हर साल टैरिफ बढ़ाते रहे हो और यह जो आप कह रहे हो न कि टैरिफ बढ़ाना नहीं बढ़ाना, यह तो एक सतत प्रक्रिया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, अभी कोई फैसला थोड़े ही होता है इसमें।

श्री जगमाल सिंह यादव : भूमिका तो आपने तैयार कर दी, सदन में घोषणा करने में क्या हर्ज है ?

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे पूछना चाहता हूं टैरिफ बढ़ाने का फैसला जो है वह विद्युत मंडल प्रस्ताव भेजता है और सरकार लेती है। इसमें कोई वह नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है क्या ? विद्युत मंडल के प्रस्ताव विचाराधीन हैं क्या ? हमें तो जानकारी चाहिए। मंत्री महोदय, हम तो यह जानना चाहते हैं कि विद्युत मंडल के विद्युत की दरों को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं क्या, नम्बर एक ? नम्बर दो, आप यह जो रैगुलेटरी कमीशन ला रहे हैं, क्या आप इसको वर्ल्ड बैंक के दबाव में ला रहे हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वी.पी. सिंहजी, एक बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। (व्यवधान) आपके ही सदस्य बोल रहे हैं, आप बोलने जा रहे हैं। (व्यवधान) आपके सदस्य बोल रहे हैं, दोनों में से एक ही तो बोलोगे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कितनी बार, आपके समय में कितनी बार विद्युत मंडल ने दरें बढ़ायीं ? कितनी बार आपने यहां विधान सभा में घोषणा की थी उसकी ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आर्डिनरी नहीं बढ़ायी, नर्सरी बढ़ायी। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : परम्पराओं की बात होती है तो बात करनी पड़ती है परम्पराओं की।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इनका सवाल है यह काल्पनिक है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि किसानों के चार महीने से कनेक्शन बिलकुल बंद कर दिये हैं, कब तक नीति बना कर किसानों को कनेक्शन देने की आप व्यवस्था कर देंगे ? (व्यवधान) कोई—सा भी कनेक्शन।

श्री जगमाल सिंह यादव : एनर्जी मंत्री जी ने तो बहुत जवाब दे दिये, अब आप अब्दुल अजीज से...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : कोई—सा भी

(श्री केसाराम चौधरी)

कनेक्शन। नर्सरी के भी केनेक्शन, पैसे दिये हुए हैं जो।

डा. चन्द्रभान : एग्रीकल्चर कनेक्शन पालिसी एक तारीख को डिक्लेयर हो गयी है। 1990 से पहले, जैसे कांग्रेस के जमाने में थी, गरीब के पक्ष की जो नीति थी, सामान्य प्राथमिकता योजना को चालू कर दिया गया है। 30 अप्रेल तक तो उन लोगों को कनेक्शन दिये जाएंगे जो पुरानी सरकार ने बकाया छोड़े थे और एक मई से नये कनेक्शन शुरू कर दिये जाएंगे।

श्री केसाराम चौधरी : एक मई से नये कनेक्शन करेंगे, डिवीजन में या सब–डिवीजन में ? सब–डिवीजनवाइज प्रायोरिटी होगी या ग्रामवाइज ?

डा. चन्द्रभान : पंचायत समिति वाइज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है ?

श्री जगत सिंह दायमा : यह आरक्षण दलित वर्ग के लोगों के लिए भी किया जा रहा है क्या, यह बताइये आप अम्बेडकर योजना के तहत ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. चन्दभान : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर का कनेक्शन लेने आएंगा तो उसको तुरन्त दे दिया जाएंगा (व्यवधान) सुनिये। अनुसूचित जाति का तो पूरा प्रदेश में और जनजाति का जो जनजाति क्षेत्र है वहां लागू होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न ? बहुत हो गया। (व्यवधान) आर्डर प्लीज, माननीय लोढ़ाजी।

श्री हेमाराम चौधरी : राजस्थान राज्य विद्युत मंडल ने बाड़मेर जिले के गांवों का जो विद्युतीकरण बताया है, 1981 के बाद जो नये गांव बने और 1991 के वक्त के जो गांव थे उनको भी विद्युतीकृत बता दिया, जबकि एक भी गांव विद्युतीकृत नहीं हुआ। हजारों गांव हैं। आप 1981 के बाद में नये गांव बने हैं उनको विद्युतीकृत करने की योजना बना रहे हैं या कागजों में ही बता दिया काम ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही सवाल किया है, पहले भी किया था। राजस्थान में 36 हजार गांव विद्युतीकृत हैं। इन 36 हजार गांवों में से 1100 गांव तो ऐसे हैं जिनमें विद्युत तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया है। 800 गांव ऐसे हैं जो गैर आबादी हैं और करीब 2400 गांव ऐसे हैं जो कि 1991 की जनगणना में राजस्व गांव बन गये। पुराने गांव जो विद्युतीकृत थे और नये राजस्व गांव बन गये, उन सबको हमने विद्युतीकरण मान लिया लेकिन उनमें

(डा. चन्द्रभान)

...(व्यवधान) एक मिनट। बहुत जगहों पर तंत्र का विकास हो गया डिमाण्ड के अनुसार और बहुत जगहों पर विद्युत तंत्र का विकास नहीं हुआ है। ज्यों—ज्यों उन गांवों में कोई किसी भी तरह के कनेक्शन लेने के लिए एप्लाई करता है, डिमांड होती है तो हम विद्युत तंत्र का विकास करके वहां कनेक्शन दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज बहुत हो गया अब। इसका कोई एंड थोड़े ही है। (व्यवधान) सब समस्याओं का समाधान अभी नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : मेरे यहां 132 का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए। बहुत विस्तार से इन्होंने अपनी बात कह दी। इसका कोई एंड नहीं है। प्लीज। माननीय अकाल राहत मंत्री। (व्यवधान) आर्डर, माननीय अमरारामजी। आर्डर प्लीज। अब कोई जवाब नहीं देंगे। बहुत हो गया। प्लीज बैठिए। (व्यवधान) आप बोल चुके हो।

श्री संयम लोढ़ा : पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों को जो सुविधा दी है वह अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी दी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए प्लीज। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अकाल राहत पर जब चर्चा हो रही थी... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : अनुसूचित जनजाति के लोगों को...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमरारामजी नहीं, विराजिए। (व्यवधान) अब कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत विस्तार से हो गया, बहुत बात हो गयी। (व्यवधान) एक घंटा हो गया। माननीय अमरा रामजी। अंकित नहीं हो।

श्री अमराराम चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय अमरारामजी विराजिए। और अवसर मिलेगा बोलने का। कृपया जवाब होने दीजिए, आपको और अवसर मिलेगा। कल—परसों बोल लेना, आपकी बात कह देना। अभी बहुत मौका है, विराजें। आप बोल रहे हैं कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। भाटी साहब, विराजिए। I am requesting you, please. It is not being recorded. माननीय भाटी साहब। you listen to the Chair. डेढ़ घंटा हो गया। प्लीज सिट डाउन।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : XXX

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : और कभी उठा लेना आप। When I have not allowed anybody, I cannot allow you also...(interruptions) It is not being recorded. नहीं, अब कोई जवाब नहीं होगा। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

श्री श्रवण कुमार : XXX

श्री उपाध्यक्ष : You may not co-operate. I have called upon the अकाल राहत मंत्रीजी...(interruption) No, No, please cooperate. अंकित नहीं हो रहा है। आप बोले जा रहे हैं। नहीं। No, No. please coperate. आप बोले जाएं कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य समझने की कोशिश कीजिए, समाप्त हो गया। प्लीज विराजिए माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको और अवसर मिलेगा आप उस समय बोल लीजिए। अपनी बात कह दीजिए और उसका जवाब ले लीजिए। I have no objection. बट इसको कहीं एंड तो करना पड़ेगा। Where is the end this ? माननीय सदस्य, प्लीज, भाटी साहब, विराजिए। हां तो बैठे न। दे देंगे, आपको अलग से दे देंगे। माननीय अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के 20 जिलों में लगभग 20069 गांवों में जो अभाव की स्थिति बनी है उसके सम्बन्ध में सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब से इस सरकार का गठन हुआ है तब से निरन्तर इस बात की कोशिश की गयी है कि श्रमिकों की संख्या बढ़ायी जाए और उसके अनुसार लोगों को राहत कार्यों पर लगाया जाए। अभाव की स्थिति को देखते हुए जहां अक्टूबर में केवल 61 हजार श्रमिक काम पर लगे हुए थे वहां नवम्बर माह में यह संख्या बढ़कर एक लाख सैंतीस हो गयी थी और चुनाव के बाद यह संख्या दो लाख अठारह तक पहुंच गयी। जनवरी में राहत कार्यों पर मजदूरों की संख्या तीन लाख पचास हजार तक गयी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री मदन दिलावर : पिछले वर्ष कितने थे ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पिछले वर्ष के आंकड़े भी मैं बताने की स्थिति में हूं। अभी बताता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दिलावरजी प्लीज डिस्टर्ब नहीं। आप जवाब के बाद चाहे जो पूछें, बीच में नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बता रहा हूं। माननीय सदस्य बहुत आतुर है। मैं तो पिछले वर्ष के आंकड़ों में जाने के लिए इन्ट्रैस्टेड नहीं था लेकिन आप सुन लें। 1995–96 में 25

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

हजार गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे। अक्टूबर में काम शुरू नहीं किया आपने, नवम्बर में कोई काम आपने शुरू नहीं किया। दिसम्बर में केवल 17 हजार मजदूर लगाये, जनवरी में 53 हजार मजदूर लगाये, फरवरी में 99 हजार मजदूर लगाये और मार्च में एक लाख पिच्चासी हजार मजदूर लगाये। सुन लीजिए, ये पिछले आंकड़े हैं। आप आंकड़े देखना चाहते हैं, 25 हजार गांव, ये आपके आंकड़े हैं मेरे आंकड़े नहीं हैं। इस किताब में भी लिखा है। इनकी जहां 25 हजार गांवों की मजदूरों की संख्या इतनी है वहां 20 हजार गांवों पर...(व्यवधान) नहीं, नहीं, वे पूछ रहे हैं इसलिए।

(22.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी प्लीज कोआपरेट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बाकी मैं कोई आलोचना करना नहीं चाहता था लेकिन आप खुद ही चाहते हैं कि आपकी सरकार की उपलब्धियां मैं गिनाऊं, यह सही है कि आपकी सरकार की उपलब्धियां...

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस का और अकाल का जोड़ा है।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, जोड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह कहना चाहता हूं कि अप्रेल के महीने में भी पिछली सरकार ने 3 लाख और कुछ मजदूर लगाये थे। मैंने इस वर्ष अप्रेल के महीने में 3 लाख 80 हजार मजदूरों को काम पर लगाने का फैसला किया है और हम चाहते हैं कि आगे निरन्तर इस प्रगति को हम बनाये रखें।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि लेबर कम्पोनैंट के काम ज्यादा स्वीकृत होने चाहिए, मैटीरियल कम्पोनैंट के काम कम स्वीकृत होने चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खड़ीन के काम होने चाहिए, पुराने तालाब हैं, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि हमारे पिछले वर्ष के अधूरे एनीकट जो टूट गये है, बेकार पड़े हुए हैं उनके सुधार का काम होना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने यह भी चिन्ता व्यक्त की ...(व्यवधान) हां, डामर रोड का काम तो सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के जिम्मे है, मेरे जिम्मे तो कच्ची सड़क बनाने का और दूसरा काम है। मैं अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं माननीय सदस्यों को जो विचार इन्होंने यहां वक्त किया हैं उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। चारा डिपो के बारे में भी यहां सवाल खड़े किये गये थे और इस बारे में खास तौर से कई माननीय सदस्यों ने अपनी चिन्ताएं व्यक्त कीं। हमने जिलाधीश महोदय को चारा व्यवस्था के लिए निर्देश दिये थे और मुझे जो सूचना मिली है

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

उसके अनुसार बाड़मेर में 92, बीकानेर में 22, जैसलमेर में 3, जालौर में 5 जोधपुर में 19 और पाली में 104 डिपो स्वीकृत किये गये हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली में एक भी नहीं खुला।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कब कहा खुला ? ये तो कह रहे हैं स्वीकृत हुए हैं। इन्होंने कहा ही नहीं, खुला।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कभी नहीं कहा, खुला।

श्री हीरासिंह चौहान : एक भी चारा डिपो नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये कहां कह रहे हैं, खुला ? (व्यवधान) माननीय सदस्य, समझने की चेष्टा कीजिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने यह कहा कि स्वीकृत किये गये हैं। मैंने यह नहीं कहा। अब उसमें कितने प्रारम्भ हो गये हैं, उसकी भी सुन लीजिए। इसमें से बाड़मेर में 22, बीकानेर में 5, जोधपुर में 18 और पाली में 8 और जैसलमेर में 1 डिपो में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष जिनमें कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, वहां मैं जिलाधीश को हिदायत दे रहा हूं कि वे तत्काल कार्य प्रारम्भ करें और डिपो शुरू करके मुझे सूचित करें। यह भी मैं उनको निर्देश दे रहा हूं कि अब तक क्यों नहीं शुरू हुए हैं।

आपने कई सुझाव दिये। पीने के पानी के बारे में भी कुछ कहा गया कि टैंकर्स से पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। हमने पीने के पानी के संबंध में जिन गांवों में और कोई व्यवस्था नहीं है, केवल टैंकर्स से ही पानी की सप्लाई को हो सकती है, जिलाधीश को आदेश दिये हैं कि टैंकर्स से पानी की सप्लाई की व्यवस्था करें। हमने पी.एच.ई.डी. मंत्री महोदय को भी 5 करोड़ रुपये की राशि दी है जिससे हैण्डपम्प के सुधार के काम को हाथ में लिया गया है। उस सुधार के अन्तर्गत हैण्डपम्प काफी मात्रा में सुधारे गये हैं। मेरे पास संख्या है, करीब 2200 हैण्डपम्पों के सुधार का काम किया है जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। लेकिन आप जानते हैं कि पानी के गिरते हुए स्तर को देखते हुए हैण्डपम्प में दिन ब दिन पानी नीचे चला जा रहा है। राज्य सरकार ने फैसला किया कि जल के पुराने स्रोत बावड़ी कुएं उनके सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया जाए, उनको गहरा करवा कर पीने के पानी की व्यवस्था का पुख्ता इन्तजाम किया जाए। इसके लिए भी जिलाधीश को राशि आवंटित कर दी गयी हैं और कुछ जिलों में और आवंटित कर दी जाएंगी जिससे पानी की तकलीफ नहीं हो...(व्यवधान) आप बड़ी जल्दी में हैं, घर जाने की इच्छा हो रही है क्या ?

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मैमोरैण्डम उन्होंने अपनी सरकार के वक्त में पेश किया था, उसका जिक्र किया और जो

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

मैमोरैण्डम हमने दिया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया। चूरू से आने वाले माननीय संदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि मैमोरैण्डम 18 सौ करोड़ का था जिसमें 3 सौ करोड़ रुपये सरकार को वहन करने की बात थी, लेकिन 15 सौ करोड़ के अगेंस्ट में आप क्या ले जाये सरकार से, आपकी सरकार थी ? हमने तो इतनी कोशिश की, भारत सरकार पर दबाव डाला...(व्यवधान) आप बाद में पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगा।

उसके बाद हमने चूंकि फरवरी में मैमोरैण्डम दिया था इसलिए हमने रिलेक्स बेसिस पर एस्टीमेट किया था। आपने तो सितम्बर में दे दिया था, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी को माइनस करते हुए। हमने 950 करोड़ रुपये का एस्टीमेट किया था और भारत सरकार से मांग की थी कि इस अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए हमको 250 करोड़ रुपये दीजिए। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि भारत सरकार ने केवल 21 करोड़ 98 लाख रुपये हमको दिये जबकि भारत सरकार के पास राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष का गठन किया था उसमें 7 सौ करोड़ रुपये जमा है। इसमें 175 करोड़ रुपये राज्यों का अंशदान है और 525 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का अंशदान है। 7 सौ करोड़ रुपये में से राजस्थान सरकार ने अपना अंशदान दिया। हमें जो रुपये मिला इस विभीषिका से निपटने के लिए...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : हमारे मुख्य मंत्री जो भैरोंसिंहजी थे, उनको तो मना ही नहीं कर सकते थे, वे लेकर आ जाते थे। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप अक्टूबर में चुपचाप क्यों बैठे रहे आपकी सरकार दिल्ली में भी थी, आपकी सरकार यहां भी थी, सितम्बर में मैमोरैण्डम दे दिया था और भारत सरकार भी आपको मना नहीं करने वाली थी तो ? अक्टूबर में आप क्यों नहीं...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सितम्बर में टीम आई थी अकाल की स्थिति देखने के लिए, तो सितम्बर में टीम बुलाते हैं क्या ? इस टाइम बुलानी चाहिए आपको। उस टाइम बुलाकर गलती की थी आप लोगों ने। उन्होंने जो बनाया था आंकड़ा उससे ज्यादा तो अकाल की स्थिति बनती ही नहीं थी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सितम्बर में मैमोरैण्डम आपने सब्मिट किया है। आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने सितम्बर में अपनी मैमोरैण्डम सब्मिट किया। आपकी गवर्नमैंट थी। आप इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो ? मैमोरैण्डम सब्मिट करने में जब आप कह रहे हो उस वक्त अकाल नहीं था तो ? क्योंकि चुनाव होने वाले थे, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपने राजनैतिक लाभ लेने की दृष्टि यह इस तरह किया, अगर पैसा आपको नहीं मिल पाया...

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपकी टीम कब आई थी, यह बता दें ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरी टीम तो आई फरवरी में।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : फरवरी में आई थी ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हां, फरवरी में आई थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : फरवरी में तो अकाल की स्थिति दिखी ही नहीं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमने मैमोरैण्डम दिया था उसके आधार पर फरवरी में आई। हमने कहा टीम को कि हमारी अकाल की विभीषिका को देखते हुए हमको इतना रुपया चाहिए लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है कि भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : फरवरी में तो हराभरा राजस्थान दिखा होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्यों ने 1986–87, 1987–88 के फेमिन की याद दिखाई। आज राजीव गांधी हमारे बीच में नहीं हैं, धन्यवाद करो उनका, उस सरकार का जिन्होंने तीन हजार किलोमीटर राजस्थान का दौरा किया, दक्षिण राजस्थान में गये, आदिवासी क्षेत्रों में गये और हालात की जानकारी प्राप्त करके राजस्थान सरकार को अकाल की विभीषिका से निपटने के लिए 8 सौ करोड़ रुपये की सहायता दी। एक वह सरकार थी और एक यह सरकार है, आप अन्दाजा लगा लीजिए...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पैसे मांगने के लिए जो प्रतिवेदन दिया जाता है, जो तौर तरीके अपनाये जाते हैं वह आपका कमजोर है, सही बात तो यह है कि हर केन्द्र सरकार देती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हमारा कोई कमजोर नहीं है। (व्यवधान) रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, अगर हमारा कमजोर था तो आपका तो मजबूत था, 18 सौ करोड़ रुपये में आप क्या ले आये ? आप तो मजबुर थे ना, आपकी सरकार मजबुर थी, आपने प्रधान मंत्री दिल्ली में बैठे हुए थे, 18 सौ करोड़ रुपये में आप क्या ले आये ?

श्री हीरासिंह चौहान : प्रारम्भिक समय था वह तो।

एक माननीय सदस्य : हमारा प्रतिवेदन मजबूत था तभी 8 सौ करोड़ रुपये मिल गये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे यह कहते हुए सन्तोष है कि राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से भी कोई मदद नहीं ली, फिर भी राजस्थान सरकार ने अपने बजट से 100 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया इस वर्ष के अकाल से निपटने के लिए। मैं मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, न केवल 100 करोड़ के लिए बल्कि भारत सरकार से जो रुपया मिलता था सी.आर.एफ. फण्ड में वह 3 और 1 के अनुपात में मिलता था जबकि इस साल जो रुपये मिलने वाला है वह 260 करोड़ मिलने वाला है और उसमें

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

राज्य का हिस्सा 51–75 करोड़ रुपये है। तो यह रुपया भी राजस्थान सरकार ने किया। सौ करोड़ वे और 75 करोड़ रुपये ये, इस तरह की राशि की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। यह राशि भी पर्याप्त नहीं है मैं आपकी भावना से सहमत हूं कि इस विभीषिका से निपटने के लिये हमें और धन की आवश्यकता हैं। मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता से चिंतित हूं और मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राज्य मंत्रिमंडल की अगली होने वाली बैठक में आपके विचारों को रखूंगा और सरकार से कहूंगा कि और राशि स्वीकृत करें ताकि राहत कार्य प्रारम्भ हो सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने पैसा नहीं दिया तो क्या करोगे, यह बता दो ?(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसमें इस बात की भी कोशिश करूंगा कि पिछले मैमोरैंडम के आधार पर सरकार के पास जाऊं, सरकार ढंग की बनी तो विशेष सहायता लाने का मैं पूरा–पूरा प्रयत्न करूंगा और राजस्थान की जनता की तकलीफ मिटाने की कोशिश करूंगा।

चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अकाल राहत के तहत व्यक्तिगत कृषि कार्य के काम में आने वाले कुएं भी खुदने चाहिये। हमारी नीति के अन्तर्गत है। आदिवासी, शिड्यूल कास्ट, विधवा, ओ.बी.सी. के कुएं ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिये जा सकते हैं। अगले माह में यदि सीमा बढ़ायी जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे कुओं को जो अधूरे हैं, जिनमें पानी आ सकता है, जिसमें खेती हो सकती है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। मैं...(व्यवधान) दो मिनट में खतम कर रहा हूं...

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इधर तो बोल ही नहीं रहे हैं, जगह–जगह कम कर रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : कहीं पांच हजार है, कहीं 4 हजार है, कहीं 35 हजार है, यह अंतर क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष : पेंशंस प्लीज। माननीय सदस्य, शांति रखिये।

श्री हीरासिंह चौहान : झुंझुनूं में माननीय सुमित्राजी ने कहा कि पांच हजार है, हमारे पाली में सात हजार है, इनके वहां पर ये कह रहे हैं 40 हजार है, जैसलमेर, बाड़मेर वाले कहते हैं 35–40 हजार है, उदयपुर में 25 हजार है, यह फर्क क्यों है, यह बताइये आप तो ?

श्री उपाध्यक्ष : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, उनको समाप्त करने दीजिये। फिर आप पूछ लेना, समाप्त तो करने दो उनको।

श्री श्रवण कुमार : झुंझुनूं जिले के अंदर तो कहां अकाल है। सात कांस्टीट्यूएंसी में से डेढ़ कांस्टीट्यूएंसी में अकाल है। कोई सात में थोड़ी ना दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दो उनको। बढ़ाएंगे अभी। वेट, पेशेंस रखो

(श्री उपाध्यक्ष)

थोड़ा बहुत तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं सबका जवाब दे रहा हूं, सुनो तो सही।

झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि हमारे यहा केवल पांच हजार की सीलिंग दे रखी है। यह सही है आपकी बात। लेकिन मुझे तो लगता ही नहीं, अभी तक तो मजदूर ही सौ लगे। क्या बात है ? 40 रुपये में आदमी नहीं आता है क्या वहां पर, 40 रुपये में शायद मजदूर वहां नहीं आते। फेमिन के तहत हम तो मिनिमम वेजेज देते हैं उसी के तहत हम अमैंड कर सकते हैं। अगर वहां मजदूर आना चाहें, पांच हजार की आप संख्या पूरी कर लीजिये और फिर राज्य सरकार को कहियेगा। आवश्यकता अनुसार मजदूर अगर आते हैं तो जरूर श्रमिक संख्या बढ़ायी जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मौखिक निर्देश दिये हैं। लिखित में दिये हैं, पांच हजार।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप बैठ जाइये। आपके वहां तो अकाल है नहीं, बैठो तो सही। दूसरों की तो बात करने दो।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। भारत सरकार ने यही नहीं, हमारे ई.ए.एस. के जो 48.98 करोड़ रुपये थे वह हमको सैकण्ड इंस्टालमैंट के नहीं दिये अभी तक और जे. आर.वाई. के 13.44 करोड़ रुपये भी नहीं दिये। कुल मिलाकर 62.34 करोड़ रुपये भारत सरकार ने हमको नहीं दिये। (व्यवधान) मेरी बात तो करने दीजिये। वह बजट क्या है ? यह पिछले साल की बात कर रहा हूं। इस साल की नहीं, यह पिछले साल की बात कर रहा हूं। भारत सरकार के ये रुपये नहीं देने की वजह से ई.ए.एस. के काम जो राजस्थान के भिन्न–भिन्न ज़िलों में चल रहे थे उन मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि भारत सरकार ने यह रुपया नहीं दिया और मजदूरों का भुगतान नहीं...(व्यवधान) यह यू.सी. का सवाल नहीं है। वह अलग रुपया है यू.सी. का। उसका हिसाब भी बताऊंगा मैं। यह रुपया यू.सी. का देने के बाद में भी भारत सरकार ने नहीं दिया, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कई माननीय सदस्यों ने कहा, ई.ए.एस. का काम बंद हो गया, भुगतान नहीं हो रहा है। नये सी.आर.एफ. के फंड से ई.ए.एस. का जितना भुगतान बाकी है उसके भुगतान के आदेश देकर इसी महीने में भुगतान करवाऊंगा और उन कामों को जो बंद कर दिये गये हैं, अकाल राहत कार्यों के तहत पुनः चालू करूंगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, मजदूरी मिल सके।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि आपका भुगतान फरवरी तक हुआ या मार्च तक हुआ...

श्री जगमाल सिंह यादव : आपको चूरू बहुत याद रहता है सबको ही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अच्छा ठीक है, जगमाल सिंहजी ने कहा। अब मैं जगमाल सिंहजी पर आ जाता हूं, मैं चूरू की बात छोड़ देता हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे यहां तो अकाल नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उन्होंने जो कहा उनकी चिन्ता वाजिब लगी, इसलिये मैं कह रहा हूं। मजदूर अगर काम करता है तो एक पखवाड़ा बंद होने के बाद दूसरे पखवाड़े के अंत तक उसका भुगतान होना चाहिये। इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं दिक्कत है परेशानी है। इस कमी को दूर करने के लिये मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रक्रिया को सरल करने की कोशिश करूंगा जिससे 15 दिन में समाप्त हुए पखवाड़े का भुगतान अगले पखवाड़े में कर दिया जाएं ताकि लोगों को राहत मिल सके।

माननीय जगमाल सिंहजी, आपकी चिन्ता यह थी कि किसान की फसल अगर बरबाद हो जाती है तो उसका मुआवजा मिलना चाहिये। आपने यह कहा कि राजस्थान का जो अभी कानून कायदा है उसमें छोटे और मंझले काश्तकारों के लिये ही प्रावधान है, या राज्य सरकार ने कुछ नियम बदले हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का फेमिन कोड बहुत पुराना कोड़ है, इस कोड को बदलने की आवश्यकता है। मैं एक कमेटी सेट–अप करूंगा जिसमें जन प्रतिनिधि भी शामिल करूंगा, इस फेमिन कोड को आवश्यकतानुसार बदल दिया जाएगा और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे।

निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिन्ता जतायी कि कुछ पंचायतों में काम है और कुछ पंचायतों में काम नहीं है। मैं सभी जिलाधीशों को इस तरह से निर्देश दूंगा कि सभी पंचायतों के काम शुरू किया जाए ताकि वहां के प्रभावित लोगों को भी काम मिल सकें।...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सिरोही और पिंडवाड़ा में कोई काम शुरू नहीं हुआ।

श्री संयम लोढ़ा : 70 परसेंट और 30 परसेंट की बात कही है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वहां प्रभावित जनसंख्या के आधार पर काम स्वीकृत नहीं हुए। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह की बात कही है, जिलाधीश से चर्चा करके जो स्थिति है उनको स्पष्ट करते हुए आवश्यकतानुसार जहां पर श्रमिक नहीं लगे हैं या काम स्वीकृत नहीं किये गये हैं, वहां पर काम खोल करके निश्चित रूप से इनको राहत देने की काम सरकार अपनी ओर से करेगी।

श्री जगत सिंह दायमा : ये स्थायी काम

(श्री जगत सिंह दायमा)

कराएंगे कि अस्थायी कार्य ? यह और निवेदन किया था स्थायी कार्य के लिये।

श्री संयम लोढ़ा : जो काम रोके गये हैं उनको जांच करवाइये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उसकी भी मैं जांच कराने को तैयार हूं, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : मांडल और...

श्री केसाराम चौधरी : जो काम रोके गये हैं उनकी जांच करवायी जाएं। मेरे यहां खारची विधान सभा क्षेत्र में दो महीने हो गये, एक भी कार्य नहीं चल रहा हैं, 70 कार्य चल रहे थे उन पर रोक लगा दी है। माननीय, पाली जिले में...

श्री उपाध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिये, फिर पूछ लेना। इनको समाप्त करने दीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको समाप्त करने दीजिये, फिर पूछ लेना ना आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मांडल और जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी...

श्री हीरासिंह चौहान : जवाब दे रहे हैं ना...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करने दीजिये ना।

श्री केसाराम चौधरी : जवाब दे रहे हैं ना। दूसरों के जवाब दे रहे हैं, मैं इसलिए बीच में पूछ रहा हूं। फिर भूल जाऊंगा, नया सदस्य हूं।

श्री उपाध्यक्ष : उनको पहले बोल लेने दो, फिर पूछ लेना आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी आवश्यकतानुसार मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि श्रमिक ज्यादा लगें। विभिन्न विभागों से मैं चर्चा करके मैटीरियल कम्पोनैंट का पैसा उधर से लेने की कोशिश करूंगा ट्राइबल सब प्लान से लूंगा, एजुकेशन से लूंगा, इर्रिगेशन से लूंगा, पी.डब्ल्यू.डी. से लूंगा मैटीरियल कम्पोनैंट का जो रुपया बचेगा उससे लेवर बढ़ाने का कार्यक्रम मैं 3–4 दिन में बैठकर फैसला करके शुरू कर दूंगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके चाहे पी.डब्ल्यू.डी. से, चाहे टाडा से लें, चाहे माडा से लें, चाहे किसी अन्य तरीक से लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रतनारामजी। (व्यवधान) एक मिनट...

श्री रतनाराम चौधरी : वह हमारे बांध टूटे हुए बांध हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कई माननीय सदस्यों ने एनीकट और दूसरे कई सवाल खड़े किये। जो काम 30 जून तक पूरे हो सकते हैं अगर ऐसे अधूरे काम पड़े हुए हैं तो उनको निश्चित रूप से स्वीकृत करने के आदेश मैं जिलाधीश को दूंगा ताकि लोगों को लाभ मिल सके और पैसा जो पिछली सरकार

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ने खर्च किया, पिछले वर्ष में खर्च किया उसका सदुपयोग हो सके, यह आश्वस्त मैं करना चाहता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : जो पैसा खर्च हो रहा है उस पर निगरानी भी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, यह एक बात जरूर है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : निगरानी के बारे में एक सवाल खड़ा किया गया। माननीय सदस्य, आपको जितनी चिन्ता है, उतनी सरकार को भी चिन्ता है। हमने इस बार व्यवस्था बदली है और वह यह बदली है कि जिला सहायता समीक्षा गठित की है। उसमें सभी माननीय सदस्य मैम्बर हैं, जिले की जिला परिषद् के भी मैम्बर हैं, तीन प्रधान भी मैम्बर हैं। एक मंत्री को उस जिले का इंचार्ज बनाया गया है कि वह समीक्षा समिति की बैठक बुलाएं और बैठक बुलाकर उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करें और सरकार को लिखकर भेजे कि इसमें क्या होना चाहिए। इन कमियों को दूर करने के लिए...

श्री जगमाल सिंह यादव : हमारे अलवर जिले में तो अकाल ही नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं, अलवर में बारिश अच्छी होती है इसलिए...

श्री जगमाल सिंह यादव : हम तो 11 के 11 बेरोजगार हैं, हमें भी खपाओ कहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : सौभाग्यशाली हो आप तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भगवान से प्रार्थना करो कि यह विभीषिका आपके नजर नहीं आए तो ज्यादा अच्छा है। आप काहे को इसकी चिन्ता करने बैठे हो ?

विधान सभा सत्र समाप्त होने जा रहा है। मैं यह भी जिलाधीश को निर्देश दूंगा कि विधान सभा सत्र समाप्त होने के एक सप्ताह के अंदर जिला समीक्षा समिति की बैठक बुलाएं। संबंधित मंत्री जो इंचार्ज हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जाएं, समस्या को समझें और उसके आधार पर तुरन्त कार्यवाही करें और कोई बात हो तो सरकार को अवगत कराएं ताकि लोगों को राहत मिल सके। मोटे रूप से यही सवाल मेरे सामने आये हैं

श्री श्रीचंद कृपलानी : जिन कामों को निरस्त कर दिया गया...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो काम निरस्त कर दिये गये हैं और जिन पंचायतों में काम नहीं हैं, मैं जिलाधीश से चर्चा करके उन कामों को शुरू कराने का प्रबन्ध निश्चित रूप से करूंगा।

यहां राजनीति की बात भी आई। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हमें राजनीति करने का शौक होगा तो जब चुनाव होगा तब कर लेंगे। यह तो मानवता का प्रश्न है। मानवता के साथ खिलवाड़, राजनीति की चर्चा हम नहीं करने देंगे और न होने देंगे। अगर कोई राजनीतिक लाभ उठाना भी चाहेगा तो हम राजनीतिक

(श्री हीरासिंह चौहान)

लाभ उठाने नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मानवता की दृष्टि से जो पीड़ित लोग हैं, जिनका हक है, उनका हक नहीं छीना जाएगा उनको रोजगार में लगाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ...

श्री हीरासिंह चौहान : पाली के क्या भेदभाव नहीं किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे एक बात के लिये पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोल लेने दो, फिर पूछ लेना।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली के साथ क्यों भेदभाव नहीं किया जा रहा है ? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : बिलकुल नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : जोधपुर में मजदूर है, सिरोही में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, लेकिन पाली में दो महीने से बिलकुल मजदूर लगे हुए नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो।

श्री हीरासिंह चौहान : किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य सुनिये, मैंने पाली जिले का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हफीज साहब, मैं पूछ लूंगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक अप्रेल में 7 हजार मजदूर लगे, 2795 और दूसरें...

श्री हीरासिंह चौहान : उन्होंने नहीं कहा ...(व्यवधान) ये बिलकुल गलत बात कह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान) There was not any muster roll.

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, लेबर लगी हुई नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मस्टर रोल नहीं है। (व्यवधान) तीन बार बंद...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां ठीक है, कोई कर... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो काम चल रहा था...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : इसको रोक रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप चैलेन्ज करिये। अगर कलेक्टर ने गलत सूचना दी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं चैलेंज करता हूं...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप चैलेंज करिये...(व्यवधान) कलेक्टर के खिलाफ... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उनको कोई पावर नहीं है मजदूर बढ़ाने का...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : और सात हजार...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : तीन बार मीटिंग में आ गया, एक भी मजदूर नहीं बढ़ाया। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, 156...(व्यवधान) लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आपके है ही नहीं फेमिन, आप काहे को बोल रहे हैं ?

श्री हीरासिंह चौहान : ये गलत बयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके प्रश्न का...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : ये मजदूर काम पर लग जाएंगे तो नये मजदूरों को सैंक्शन करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं... (व्यवधान) फेमिन के कार्यो में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप काहे को...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : मंत्री महोदय, फेमिन में मजदूरी रेट्स क्या होंगी ?

एक माननीय सदस्य : सब एक साथ बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय सदस्य कृपलानीजी विराजें (व्यवधान) प्लीज।

श्री अमराराम (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अप्रैल से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी आपको पूछना है, आपको मौका देंगे। (व्यवधान) आप बैठिये।

एक माननीय सदस्य : पहले मेरा नम्बर है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्या बैठें ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको दूंगा ना मौका मैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो श्रमिक सीमा मैंने दे रखी है, उतने सदस्य काम पर लग जाने के बाद आप आवश्यकता बताएं, मैं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको मौका दूंगा। माननीय हफीज साहब।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : देते हैं, आपको भी देते हैं। आपको भी मौका देते हैं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : आप भुगतान के समय गरीब मजदूरों को राशन देने की भी व्यवस्था करने की कोशिश करें ताकि राशन के लिए उनको मारा–मारा नहीं फिरना पड़े। पहले भी अकाल के चुकारे में राशन दिया जाता था, इस बार भी आप राशन देने की व्यवस्था करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंह। माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं खाद्य मंत्री जी से चर्चा करके मजदूरों के सेन्टर पर कहीं दुकान की व्यवस्था कर सकते हैं तो उसका प्रयत्न करूंगा और उसका हल निकालने की कोशिश करूंगा ताकि भटकना नहीं पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंहजी ...(व्यवधान) देता हूं पेशेंस रखें। पूछने देंगे। एक–एक ही तो बोलेंगे। एक ही तो बोलेंगे, बुलाएंगे, तसल्ली तो रखें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्रीजी, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि प्राकृतिक कोष से जो अंशदान पिछली सरकार को ईयरवाइज चार सालों का जमा करना था, 6 करोड़ एक लाख रुपये, वह इन्होंने जमा करा दिया था क्या ? क्योंकि आपने अभी शिकायत की कि भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो इन्होंने अपना अंशदान जमा करा दिया था, यह आप कृपया बताएं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जमा कराया होता तो यह आफत ही नहीं आयी होती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उससे क्या मतलब है ? आप बताएं कराया कि नहीं कराया ? दोषी ये है कि कौन है ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास जो सूचना है, झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या, 1995–96 में इन्होंने रुपया जमा कराया 3.46, 1996–97 में 1.15, 1997–98 में 1.15 और 1998–99 में 1.15।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है, मंत्री महोदय, इसमें शब्द आपने लिखा है, आपकी ही रिपोर्ट है कि कराये जाएंगे। जरूरी नहीं है कि करा ही दिये हो इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि आप बिलकुल अफरमेटिव बताएं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कि इन्होंने जमा कराये अथवा नहीं कराये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

एक माननीय सदस्य : हां, नहीं कराये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पंचायत समिति बालोतरा में एक भी मजदूर एक अप्रेल से नहीं हैं। एक भी मास्टर रोल नहीं दिया गया है और 13 जो डिपो खुले थे वे 13 डिपो ही काम कर रहे हैं और 7 डिपो अभी तक बंद पड़े हैं। वह लिस्ट है आपकी मार्केटिंग सोसायटी की जिसके अंदर सामरा ...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो चारा डिपो बंद पड़े हैं उनको एक तारीख से प्रारम्भ करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाएंगी।

श्री उपाध्यक्ष : हीरासिंहजी प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार न तो गंभीर है न अभी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : न मजदूर बढ़ा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय सदस्य बड़े आतुर हैं, सरकार पर बड़ा दबाव बना रहे हैं। मैं एक प्रार्थना माननीय सदस्य को कर सकता हूं क्या ? सदन को कर सकता हूं क्या ?...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य। आपके ही मैम्बर बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप मेरी बात सुन तो लें। अभावग्रस्त क्षेत्र के माननीय विधायकों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस साल की विधायक कोष की राशि 25 लाख रुपये अगर अकाल राहत फंड में दे दें तो मैं दुगुने मजदूर आपके लगा दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, केसाराम जी। आर्डर–आर्डर। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं यह भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों के लिए माननीय विधायक मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें तो मैं खुद भी दूंगा और एक महीने की तनख्वाह भी अकाल राहत कार्यों के लिए दूंगा।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पाली जिले के खारची विधान सभा क्षेत्र में 70 कार्य चुनाव के पहले चल रहे थे, उनको दो महीने से बिलकुल रोक दिया गया, एक भी कार्य नहीं चल रहा है। दो महीने से

(श्री केसाराम चौधरी)

किसी भी कार्य का भुगतान भी नहीं किया गया है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : खारची के विधायक महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक गांव में 70 काम क्यों शुरू किये थे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी : यह बिलकुल गलत बयानी है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : तरीके से किये थे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दो महीने से विधान सभा में विराजमान थे, मुझे तो एक दिन भी आपने शिकायत नहीं कि कि मेरे काम बंद करा दिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी : कितनी बार कहने के लिये...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पहले जांच कराइये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपके प्रभारी मंत्री वहां गये...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप जांच करवा लीजिये।

श्री केसाराम चौधरी : आपके प्रभारी मंत्रीजी पाली गये...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : न कोई कार्य खोले जा रहे है...(व्यवधान) सरकार गंभीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य हीरासिंह जी, माननीय हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान : किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गयी (व्यवधान) राज्य सरकार बिलकुल गंभीर नहीं है।

श्री केसाराम चौधरी : अकाल में जो रोक लगायी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंह जी।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार बिलकुल गंभीर नहीं है, न सरकार गतिशील है जबसे यह अकाल का समय शुरू हुआ है (व्यवधान) नहीं किये इसलिए मैं आरोप लगाता हूं कि न किसी प्रकार का काम है, न किसी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको ध्यानाकर्षित नहीं किया...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से जवाब दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सीलिंग पर रोक लगायी गयी। वह सदन की मेज पर रख दी गयी थी। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं सदन से वाकआउट करता हूं...(व्यवधान)

(श्री हीरासिंह चौहान, माननीय सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : जाना ही है तो... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चारे की व्यवस्था नहीं है लाखों गांवों में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ताम्बीजी।

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार ने कैसे जवाब दिया है, सुन कर जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोटा और झालावाड़ अभावग्रस्त घोषित नहीं हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं में जो कुएं होते हैं वे अकाल राहत के अंदर सम्मिलित करके खुदवाने का विचार आप रखते हैं क्या ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यदि उस जिले में श्रमिक सीमा के अंतर्गत होगा और बजट कम्पोनैंट देने वाले मिलेंगे तो मैं स्वीकार कर सकता हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं ? मंत्री महोदय, हमारे भीलवाड़ा जिले में लेबर सीलिंग 60 हजार है, आपने उसको रिड्यूस करके पहले 40 हजार और अब 30 हजार कर दिया, अब कितना कर देंगे, इसका जवाब देंगे आप ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि मैं तीन–चार दिन में मैटीरियल कम्पोनैंट का कैलकुलेशन करके ज्यादा से ज्यादा जितने मजदूरों की संख्या बढ़ा सकता हूं उसका पूरा प्रयास करूंगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैटीरियल कम्पोनैंट को छोड़ दें, लेबर कितनी बढ़ा देंगे, यह बता दें ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आसींद से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपके भीलवाड़ा जब आया था।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : तीन बार आप आए और संख्या कम करके पधार गए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सुनिए। मैंने संख्या कम नहीं की, टैंथ फाइनेंस के जो रुपए पड़े हुए थे, आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद् के सी.ई.ओ. ने एक पैसा खर्च नहीं किया। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं विस्तार में जाने की स्थिति में हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यू. सी. नहीं आई, यह नहीं आया, वह नहीं आया, इसमें लेबर की क्या गलती है ? मेरी गलती हो सकती है, अधिकारियों की गलती हो सकती है, लेबर की क्या गलती हो सकती है ? आप तो क्या करते, निकाल दिए। लेबर की क्या गलती है जो आपने कम कर दिए ? इसका जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब खड़े हैं, जवाब दे रहे हैं, रूको तो सही।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : हम यह चाहते थे कि एस.एस.ओ. में जो पैसा पड़ा

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

हुआ था और टैंथ फाइनेंस कमीशन का जो रुपया पड़ा था, वह भी साइमलटेनियसली खर्च किया जाना चाहिए, उनके काम स्वीकृत होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी।

श्री रामसिंह विश्नोई (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पेयजल, विद्युत और अकाल सहायता के बारे में विचार हुआ और करीब 32 माननीय सदस्यों ने अपने अमूल्य विचार, सुझाव सदन को और विभाग को पेश किए। मैं समस्त मननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव विभाग में चुस्ती लाने के लिए, अच्छे कार्य सम्पन्न करने के लिए और अपने क्षेत्र की योजनाओं में सुधार लाने के लिए दिए हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चुनाव के तुरंत बाद पहले अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारियों में जो भी एस.ई. स्तर के थे, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी स्तर के थे, सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें हिदायत दी कि पूरे प्रदेश के अंदर जो पानी की योजनाएं हैं वे सही ढंग से नहीं चल रही है, कर्मचारी–अधिकारी लोग सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, भारी लीकेज है, पूर प्रदेश की योजनाओं में लोग ज्यादातर काम पर लगे हुए नहीं हैं, काम करते नहीं हैं और अधिकारी लोग भी अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे है। दो–तीन बार मीटिंग बुलाने पर कुछ अच्छा असर हुआ पूरे प्रदेश में, उसके बाद मैंने माननीय विधायकों की सहमति उन्हें बुलाकर और अधिकारियों के साथ बैठकर कोशिश की पूरे प्रदेश में, स्थिति को सुधारने के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे माननीय जन प्रतिनिधियों–विधायकों, मैम्बर आफ पार्लियामेंट, जिला प्रमुख और प्रधानों को भी बुला करके अधिकारियों के रूबरू मैंने चर्चा की, उन्होंने अपने सुझाव और समस्याएं रखीं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसका भी काफी अच्छा असर हुआ है पूरे प्रदेश में।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लम्बे समय से पानी की योजनाएं सरकार और विभाग अपने स्तर पर चला रहे हैं। जो काम गांव की जनता को अपने स्तर पर करना चाहिए, वह बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ले ली जिसका भविष्य में बहुत बड़ा अंजाम होगा। लेकिन जो स्थिति है उसके लिए मेरा यह सुझाव था और मैं चाहता था कि जब तक गांव की जनता का सहयोग, प्रदेश की जनता का सहयोग और भागीदारी नहीं होगी तब तक ये योजनाएं चल नहीं सकतीं। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि प्रदेश में करीब 38 हजार गांव हैं और 222 छोटे–बड़े शहर हैं। 25 लाख की आबादी का जयपुर, 10–12 लाख के आबादी का जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा वगैरह जो शहर हैं, इनके साथ ही 15 से 20 हजार की आबादी के आसपास के और

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इससे बड़े कस्बे और शहर 222 हैं। 38 हजार गांवों में से साढ़े सैंतीस हजार गांव और 222 शहर पानी की योजनाओं से जुड़े हुए हैं। माननीय सदस्यों से काफी कहा कि उनके क्षेत्र योजनाओं से जुड़े हुए हैं। अब 38 हजार गांव और करीब 44 हजार ढाणियां जो प्रदेश में हैं, वे इन योजनाओं से जुड़े हुए हैं। योजनाओं से जुड़े होने का मतलब यह होता है कि जनता को स्वच्छ, मीठा और आवश्यकतानुसार पानी मिले। लेकिन किसी ढाणी में हैण्डपम्प खोद दिया गया, उसको भी हम मानते हैं कि वे गांव और ढाणी योजना से जुड़ गए। योजनाएं जो बनी हुई हैं, हमारे प्रदेश के अंदर करीब पांच–पांच और दस–दस गांवों को योजना में लिया गया है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है और मानना पड़ता है, मानने में कोई एतराज मैं नहीं समझता कि हमारे योजनाओं से टेल के जो गांव हैं वहां पानी नहीं जाता है। जगह–जगह हैण्डपम्प खराब हैं और गांव में लोगों के पास जो अपने स्रोत हैं बावड़ी है कुएं हैं, बेड़े है, नाड़ी हैं, दीवान है, उनको उन्होंने बंद कर दिया, सारा काम सरकार और विभाग पर डाला हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और विभाग चुस्ती से काम नहीं करता है, सावचेती से काम नहीं करता है तो मैं समझता हूं कि गांव की क्या स्थिति बन जाएगी। प्रदेश की क्या स्थिति होगी। जिस समय मुझे मंत्री बनाया गया, जब मैंने चार्ज लिया तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरे प्रदेश में बहुत भयावह स्थिति है और होती जा रही है। इसको समय पर कंट्रोल नहीं किया गया, समय पर अधिकारियों का सहयोग नहीं लिया गया, अगर कर्मचारियों ने इसमें भाग नहीं लिया, तो मैं आज जो कह रहा हूं उससे ज्यादा खराब स्थिति हो गई होती।

हमेशा विभाग अप्रेल के महीने में जागरूक होता है और जो हैण्डपम्प हैं उनकी रिपेयरिंग करवाता है, लाइनों की चैकिंग करवाता है गर्मियों को देखकर। लेकिन जैसे ही सरकार का गठन हुआ 15–16 दिसम्बर के बाद हमने उसी वक्त समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को हिदायत दे दी। करीब एक लाख 70 हजार हैण्डपम्प पूरे प्रदेश के अंदर बने हुए हैं और मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं है कि करीब 60 प्रतिशत हैण्डपम्प पूरे प्रदेश में खराब थे। हमने बहुत प्रयास किए और मेरे खयाल से करीब 45–50 हजार हैण्डपम्पों को ठीक करने का हमारे कागजों के अंदर कम से कम ऐसा है, काम किया। जो प्रयास हमारे अधिकारियों ने किए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पिछले दो–तीन माह में जगह–जगह पंचायत समितिवाइज उन्होंने जीपें किराये पर लीं, मिस्त्रियों को लगाया और हैण्डपम्पों की मरम्मत की, 1 लाख 70 हजार हैण्डपम्प बड़ी संख्या होती है और करीब 12 हजार ट्यूबवैल हमारे यहां बने हुए हैं। मैं कोटा भी गया हूं, सीकर,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

झुंझुनूं भी गया हूं, अजमेर, जयपुर में भी मैंने दौरे किए हैं, जहां 100 इंच बरसात होती है वहां भी पानी की तंगी है और जहां 5 इंच बरसात होती है वहां पर भी वही स्थिति है। सब मिलाकर पूरे प्रदेश के अंदर कोटा, बूंदी, झालावाड़ की स्थिति बाड़मेर से ज्यादा खराब है। मुझे बहुत दुःख होता है। आखिर 30–30, 40–40 साल से जो विभाग इसमें काम कर रहा है, करोड़ों–अरबों रुपये खर्च करने के बाद भी हम पानी के लिए तरसें, पानी के लिए हाय तौबा मचाएं, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। लेकिन कोई चारा नहीं। जब पूरे प्रदेश और देश के अंदर, विश्व के अंदर पानी का ज्यादा दोहन हो रहा है तो यह कल्पना करना कोई अनुचित नहीं होगी कि यह स्थिति तो आनी ही थी। हमारी सरकार ने और वैज्ञानिकों ने कभी भी यह नहीं सोचा कि हमारी यह स्थिति होने वाली है। आज स्थिति यह है कि लाख कोशिश करने के बाद अगर प्रदेश के अंदर 50 इंच, 100 इंच, 10 इंच बरसात हो भी जाती है फिर भी जमीन का पानी का स्तर खतम हो गया है, लेवल खतम हो चुका है। उसकी भरपाई निकट भविष्य में होने की उम्मीद नहीं है। अब जो भी बरसात होगी उससे चाहे कितने ही बांध भर जाएं, चाहे कितने ही नाड़ी, तालाब और नदियां उसमें आ जाएं, हमारे ऊर्जा मंत्री जी यहां विराजे हुए हैं, इनको मालूम है कितने लाख कुए व ट्यूबवैल हमारे प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। एक दिन भी वे चलते हैं तो पानी का कितना भारी दोहन होता है। ऐसी स्थिति में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पानी का स्तर वापस ऊपर आएगा। पानी का स्तर नीचे जाना है। पानी की जो स्थिति है, पानी फ्लोराइड से युक्त है, पानी पीने के काबिल नहीं है। मेरे ख्याल से करीब 60 प्रतिश गांवों में ऐसे ट्यूबवैल और हैण्डपम्प हैं जिनमें पानी दूसरा अवेलेबल हो तो लोग उस पानी को नहीं पी सकते। लेकिन आज जब पानी है ही नहीं तो लोग फ्लोराइड की बात करना भूल गए। एक बच्चा जब रोता है बोबे के लिए, दूध के लिए और उसको ऊपर बैठा देते हैं तो वह दूध तो नहीं मांगता, बल्कि यह कहता है मुझे नीचे उतारो। तो फ्लोराइड की बात तो सारे लोग भूल गए। आज स्थिति यह है कि जैसे कैसे ही हो, हमको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, पीने के लिए। दो महीने जून–जुलाई तक हम कैसे निजात पा सकें, इसमें लोग लगे हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हैं। मैंने इनकी मीटिंग ली, मैं इनके बुलावे पर भी गया और जगह–जगह जो इन्होंने कहा, जिन अधिकारियों का इन्होंने कहा उन अधिकारियों को इनके कहने से लगाया। एक भी मेरे हिसाब से मैंने नहीं लगाकर माननीय सदस्य जो चाहते थे वैसा मैंने किया। मुझे मालूम था कि इस समस्या से माननीय सदस्यों को ही उलझना पड़ेगा। इसलिए सारे माननीय सदस्य जो आज कम बोल रहे हैं उनकी वजह यह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

है कि आज सारे आदमी इनके लगे हुए हैं। ये सब लोग करीब–करीब मैने इनके कहने से लगाये हैं, इनके हिसाब से ही मैंने काम किया। तो आज...

श्री जगमाल सिंह यादव : मंत्रीजी आप कह रहे हैं, हमने तो मांगा नहीं। आपके कांग्रेस ने मांगे तो कांग्रेस वालों को कहिए। इनकी जो मांग है, उन पर विचार मत करो।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने प्रशासनिक दृष्टि से किया है। लेकिन यह भी सही है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं इनका फर्ज बनता है कि अपने एरिया के अंदर पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, अकाल की व्यवस्था सही तरीके की करें। यह जिम्मा इनका होता है, जनता का पूरा समर्थन इनको होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे पास क्या है जो हम व्यवस्था कर सकते हैं ? हमारे पास क्या चीज है जिससे हम व्यवस्था कर सकते हैं ? व्यवस्था तो आपको ही करनी है। आपने अधिकारी पदस्थापित कर दिए, कांग्रेस के माननीय सदस्यों के कहने से कर दिए, पर आप सब सदस्यों का नाम तो मत लो। आपने कर दिया, हमें कोई एतराज नहीं है। जो किया ठीक किया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तकलीफ है तो आप बता दो, आपका भी कर देंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश के अंदर जो पानी की स्थिति है, मेरे खयाल से जब तक पूरा सदन, सभी माननीय सदस्य, पूरी सरकार और भारत सरकार इस पर पूरा चिन्तन नहीं करेंगे, इसमें सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज कितने ही ट्यूबवैल खोद दीजिए, कितने ही हैण्डपम्प खोद दीजिए, 6 महीने, दो महीने तक तो राहत मिल सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि परमानैंट कोई सोल्यूशन हो तो उसके लिए कोई पक्की जिम्मेदारी नहीं है, यह मेरे आपने दिमाग की बात है लेकिन मैंने अधिकारियों से भी बात की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत अहसानमंद हूं। उन्होंने मुझे कहा था और यह अपने घोषणा–पत्र में भी है कि जनता को अच्छा पानी, मीठा पानी, स्वच्छ पानी मिले, यह अपना फर्ज बनता है। इसलिए आप इस तरह का प्रयास करें ताकि अपन जनता को सही, अच्छा पानी दे सकें। वह तो मेरे दिमाग की बात थी, लेकिन आप मानते भी हैं और जानते भी हैं कि प्रदेश के अंदर केवल एक चम्बल नदी है जिसका ही एक मात्र सहारा है, जिससे आप कहीं भी योजना बनाकर पानी ला सकते हैं और कोई ऐसी नदी नहीं है जिसका हम दोहन कर स्कीम बना सकें। इंदिरा गांधी नहर है जिससे जोधपुर के लिए और दूसरे जो बड़ी–बड़ी योजनाएं अभी बनाना चाहते हैं उससे बना सकते हैं। ये जो बातें हैं ये बहुत जरूरी चीजें हैं। प्रदेश के अंदर पानी का स्तर नीचे जा रहा है, यह बहुत खतरे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की घंटी है, भविष्य में इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया, चिन्तन नहीं किया, विचार नहीं किया, इसमें सबकी एक राय नहीं बनी या पार्टी–पोलिटिक्स घुसाने की कोशिश की तो हम तो मरेंगे ही सनम, आप भी इसमें मरोगे। बहुत बुरा हाल आपका होने वाला है। आपने कितनी चिन्ता की, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ? जब पंजाब से पानी बंद होने जा रहा था उस समय आपने कहा था, पानी कैसे होगा। आपको बताऊं हम अधिकारियों को साथ लेकर, माननीय सदस्यों को साथ लेकर गए, व्यवस्था की और आज तक उस नहर के अंदर पानी भरा हुआ पड़ा है। हमारे कामों के अंदर आज कोई कोताही नहीं कह सकते रत्ती भर भी। गांव–गांव के अंदर पानी है। डिग्गी भरने की, नहर के अंदर पानी में कोई गंदीवाड़ा न हो इस बात की सावचेती रखने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जो चिन्ता है, वह चिन्ता है और उसको दूर करने के लिए पूरा सदन ही इसमें सहयोगी हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इस पर आप पूरे 10 दिन तक बहस करो, मैं नहीं समझता इसमें कोई बात हो, लेकिन मैंने कुछ योजनाएं जो हमारी सरकार बनने के बाद स्वीकृत हुई हैं उनके बार में मैं आपको बता दूं। हालांकि माननीय सदस्यों ने अलग–अलग सुझाव दिए हैं, 32 सदस्यों ने सुझाव दिए हैं और मैं 32 सदस्यों को जवाब दूंगा तो समय काफी हो जाएगा।

श्री रामस्वरूप : आपसे सब खुश हैं। आप तो हमारे सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोल देना।

श्री रामसिंह विश्नोई : जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं अभी महीने–दो महीने के अंदर स्वीकृत हुई हैं उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। अपने राजस्थान के अंदर 32 जिले हैं और सबसे पहले अलवर जिले में रूरल और अरबन के अंदर करीब 16 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है। अलग–अलग योजनाएं हैं, अलग क्षेत्रों की हैं, 16 करोड़ की योजनाएं मंजूर हुई हैं। माननीय सदस्यों, जो मैं पढ़ रहा हूं उनकी जानकारी आप मेरे से भी कर सकते हैं और हमारे विभाग में जाकर भी आप जानकारी कर सकते हैं। जो आपने यहां प्रस्ताव दिए हुए हैं, इसके अलावा अजमेर के अंदर 4 करोड़ 52 लाख की है, भरतपुर के अंदर 3 करोड़ की है। भीलवाड़ा के अंदर सवा तीन करोड़ की है, बासंवाड़ा के अंदर ढाई करोड़ की है, बूंदी के अंदर 81 लाख की है, बाड़मेर के अंदर 6 करोड़ की है, बारां के अंदर दो करोड़ 89 लाख की है, बीकानेर के अंदर 1 करोड़ 55 लाख की है, चूरू के अंदर 473 लाख की है, दौसा के अंदर 87.50 लाख की है, हनुमानगढ़ के अंदर 3.82 की है, जयपुर के अंदर 17 करोड़ की है, झुंझुनूं के अंदर करीब 3 करोड़ 59 लाख की है, जोधपुर के अंदर करीब 5 करोड़ की है, करौली के अंदर 1 करोड़ 4 लाख की है, कोटा के अंदर 326 लाख की है, नागौर के अंदर 1408 लाख

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की है, अपने 14 करोड़ की है, राजसमंद के अंदर 262 लाख की है, सीकर के अंदर 204 लाख की है, सवाईमाधोपुर में 1050 लाख की है, गंगानगर की करीब 10 करोड़ की है, टोंक की 80 लाख है, उदयपुर की करीब साढ़े पांच करोड़ है, डूंगरपुर की करीब पौने दो करोड़ है, जैसलमेर की 65 लाख है, जालौर की करीब पौने दो करोड़ की है, झालावाड़ 377 लाख की है, पाली के अंदर 237 लाख और सिरोही के अंदर करीब एक करोड़ की है। ये योजनाएं करीब 180 करोड़ की हैं, अभी–अभी स्वीकृत हुई हैं और करोड़ों रुपये की योजनाएं अभी हमारे पास विचाराधीन हैं, जिनको 15–20 दिन के अंदर हम स्वीकृत कर लेंगे। यह सबसे इम्पोर्टेंट मामला हैं, ये बड़ी–बड़ी पेयजल योजनाएं हैं। हमने मुख्य मंत्री के निर्देश पर बड़ी–बड़ी योजनाओं को हाथ में लेने का यह कार्य किया है। अजमेर जिले की बड़ी– बड़ी योजनाएं हैं। सबसे पहले अजमेर जिले के जो 61 गांव फ्लोराइड से युक्त हैं उनके लिए करीब 67 करोड़ की योजना अभी बनी है। हां, अभी बनी है, अभी तो मंजूर होने में समय लगेगा। अभी इसलिए बनाई है कि आप सब चाहेंगे तो बन जाएगी। इतनी बड़ी योजना है इसके अंदर जनता की भागीदारी भी चाहिए। विजयनगर, गुलाबपुरा, ये कस्बे हैं इनकी पेयजल योजना 20 करोड़ की है विजयनगर में पानी ला रहे हैं, वहां अभी टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। हमेशा पानी इस तरह का खर्च नहीं हो, पैसे खर्च नहीं हो इसलिए पक्का काम बीसलपुर बांध से बनाया है, करीब 20 करोड़ की योजना है मानसी वाकल परियोजना उदयपुर की, यह करीब 60 करोड़ की है। जोधपुर जल प्रदाय योजना द्वितीय चरण 292 करोड़ की है। इंदिरा गांधी नहर से नागौर जिले हेतु पेयजल योजना जो माननीय सदस्यों ने सबने मांगी थी कि नागौर को भी इंदिरा नहर से पानी मिलना चाहिए, यह करीब 1500 करोड़ रुपये की है। यमुना प्रोजैक्ट डीग शहर जो...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कितने साल लगेंगे पूरा करने में ?

श्री रामसिंह विश्नोई : जी साहब ? यमुना प्रोजैक्ट डीग शहर करीब 11.50 करोड़ की है। चंबल एवं आगरी बांध जिला धौलपुर का है, यह 96 करोड़ का है। चंबल प्रोजैक्ट जिला भरतपुर 168 करोड़ का है। बीसलपुर जयपुर परियोजना 1416 करोड़ की है। जयपुर की, हां, बीसलपुर की। बाड़मेर जल उत्थान परियोजना 1000 करोड़ की है, इसको भी इंदिरा गांधी नहर से लाने का है, जल प्रदाय योजना टौंक यह 82 करोड़ की है, बीकानेर जलप्रदाय योजना यह संवर्द्धन योजना है, इसको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो हजार दो सौ करोड़ था, उससे ज्यादा की कर दी। राजस्थान का टोटल बजट था उससे ज्यादा की घोषणा कर दी, अगली बार क्या करोगे ? देखो तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सही, राजस्थान का जितना बजट है उससे ज्यादा की कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। आप यह जानते हैं, आप सरकार में रहे हैं कि बजट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो वेरियस आर्गेनाइज़ेशन और वेरियस इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है (व्यवधान) इससे बजट का क्या ताल्लुक है ?

श्री जुगल काबरा : योजना पूरी नहीं होती, ये योजनाओं की पूरी जानकारी दे रहे हैं आपको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अलग–अलग फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिलता है।

श्री रामसिंह विश्नोई : एशियन विकास बैंक की प्रथम योजना 642 करोड़ की है, जल प्रदाय योजना चित्तौडगढ़ की 44 करोड़ की है, नादौती तहसील की योजना 9 करोड़ की है और अत्यधिक फ्लोराइड से प्रभावित गांवों की योजना 210 करोड़ की है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए हमने एक कमेटी का गठन भी किया है जो इस योजना के अंदर कोई कमी खामी, टैक्नीकली भी, देखकर हमें बताएंगी। 6 महीने के अंदर–अंदर इन सब योजनाओं को स्वीकृत कराने की मैं चेष्ट करूंगा। इसके अलावा मैंने यह भी कहा...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची : अलवर जिले के गांवों के खारे पानी के बारे में कुछ कहना चाहोगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आप पहले मुझे बोलने दें फिर...(व्यवधान)

***श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरें प्रदेश के अंदर अरबों—करोड़ों रुपयों का काम होता है तो काम में कई डिफैक्ट आ जाते हैं, कई चोरियां भी होती हैं, कई काम अच्छे भी नहीं होते और कई तरह की लोगों को शिकायतें बनी रहती हैं हमने चीफ इंजीनियर, एस.ई., एक्स.ईएन, जे.ईएन., ए.ईएन, इन 5–7 आदमियों की एक कमेटी बनाई है, जहां भी कोई शिकायत आएगी हमारे अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे। चाहे कोई पाइप लाइन खरीद घोटाला हो, चाहे कोई टंकी बनाने के अंदर अनियमितता हो, कोई भी शिकायत होगी उसकी इमिजियेट जांच करके उसके खिलाफ एक्शन लेने की कार्यवाही की जाएगी।

इसके अलावा माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है कल प्रश्न के जरिये और आज भीमसेनजी ने भी कहा। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर संभाग के अंदर 1500 डिग्गियां हैं, 10—10,15–15 साल से इसकी मरम्मंत और सफाई नहीं हो रही थी। हम चाहते हैं, हर साल इनकी मरम्मत हो और इस तरह की व्यवस्था के आदेश हमने कर दिये हैं, आइन्दा कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। हर साल इनमें कादा, कीचड़ जो भी होगा,

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उसकी सफाई करने की चेष्टा की जाएगी।

दूसरा, आपके ग्रामीण जल योजना है गांवों के अंदर, आपको मालूम है। उसके अंदर जो 500 रुपये देते थे, उसको 100 रुपये देने की घोषणा आज मैं करता हूं। इसके अलावा (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : मंत्रीजी जोधपुर लिफ्ट योजना के दूसरे चरण के बारे में बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया ना इन्होंने।

श्री रामस्वरूप : माननीय मंत्री जी सहायक अभियन्ता का कार्यालय हमारे नादौती में अभी तक नहीं खुला जबकि वहां तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति हैडक्वार्टर है। आपसे पहले भी निवेदन किया, आपने कहा था जरूर खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि इन्होंने मुझे सुझाव दिये और सुझाव के अलावा अपने क्षेत्र की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी कराई। मैं इसको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे इलाके के अंदर जो भी इनकी समस्याएं हैं–चाहे हैण्डपम्प खराब हैं, कहीं योजनाएं चल नहीं रही हैं, आदमी काम नहीं कर रह हैं, कहीं लीकेज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे बड़ा तो आपका शुक्रगुजार हूं। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर ये जो जिले हैं, ये पानी के मामले में सबसे ज्यादा ग्रसित और तकलीफ के जिले हैं। सबसे पहले यदि आपने मुझे सुझाव नहीं दिया होता, वहां ट्यूबवैल नहीं बनते, मैं अधिकारियों को वहां नहीं भेजता और आप सलाह नहीं देते तो आज स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सुझाव दिया। मैंने उसी वक्त 5–10 दिन के अंदर आपके ट्यूबवैल भी बना दिये, योजना भी बना दी। सारा काम युद्धस्तर पर हमने किया।

श्री उपाध्यक्ष : हम आपके बहुत आभारी हैं।

(23.00 बजे)

श्री रामसिंह विश्नोई : जो भी माननीय सदस्य यह समझते हैं कि हमारे यहां पर मीठा पानी है और यदि ट्यूबवैल खोलने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है, हैण्डपम्प, से गांव का, ढाणी का कोई काम हो सकता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं ही नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं है। हमारे जे.ईएन. और ए.ईएन. को भी आप कह देंगे तो वह आपके कहने से ही आपकी बात की तुरंत पालना करेगा। हमारे अधिकारियों को भी कहने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबको डायरेक्शन दिये हुए है। कोई भी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के अंदर चाहे हैण्डपम्प खुदवाना चाहें, कोई योजना बनाना चाहें, कोई भी काम कराना चाहें तो सबसे पहले माननीय सदस्यों की बात की ताईद होनी चाहिए चाहे वह बी.जे.पी. का हो, चाहे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

जनता दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। पानी के मामले में न तो हम राजनीति करते हैं और न राजनीति करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी की योजना चाहे बहुत बड़ी योजना हो, योजना चाहे चम्बल से बने, चाहे माही से बने, चाहे नर्मदा से बने और चाहे कहीं से भी योजना बनानी पड़े, बनाएंगे।

आप लोगों ने सुना होगा तो आप देखते होंगे कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो हम कहते हैं, जो मैंने कहा है वह 6 महीने के अन्दर होगा। आप पीछे नहीं रह जाओ इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कोई सुझाव नहीं दिये तो वह आपकी बात अच्छी नहीं रहेगी। मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर पूरा पानी, स्वच्छ पानी, अच्छा पानी मिले और कोई भी किसी तरह की शिकायत जनता को नहीं हो, पक्का काम हो। हम चाहते हैं कि पक्का काम हो। एक बार पैसे लग जाएं उसकी कोई बात नहीं। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि सस्ता तो बार–बार रोता है और कोई आदमी महंगी चीज खरीदता है तो एक बार ही उसको तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि करोड़ों रुपये लगें लेकिन सही काम पर लगें।

आज एक नयी बात जो मुझे कहनी है वह यही है, एक योजना है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। भारत सरकार, विश्व बैंक, जर्मनी हो या कोई भी देश हो, जो दानदाता हैं, जो पैसे देते हैं या जो बड़े–बड़े कण्ट्रीज हैं जो इस मामले में पैसे देते हैं, उनकी एक ही शर्त है कि जनता की सहभागीदारी होनी चाहिए। वे ब्याज नहीं चाहते लेकिन एक बार मान लो, 1500 करोड़ रुपये जयपुर की योजना पर खर्च होते हैं तो वे लोग यह जरूर गारंटी चाहते हैं कि इसको चलाने के लिए जनता को कुछ करना पड़ेगा इसलिए इतना माइंड आपको जरुर बनाना पड़ेगा कि अगर 50 रुपये आते हैं, 100 रुपये आते हैं, 150 रुपये आते हैं या 200 रुपये आते हैं तो यह प्रत्येक परिवार को सहन करना पड़ेगा। इसमें आप सहमत हैं तो मैं आपको ठीक कहता हूं कि चाहे अरबों रुपयों की योजना बने, पानी के मामले के अन्दर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

समस्त माननीय सदस्यों को जिन्होंने मुझे सुना, जिन्होंने अच्छे सुझाव दिये, जिन्होंने तीन–चार महीने तक जो किया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 21 अप्रेल, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 23.03 बजे बुधवार, 21 अप्रेल, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-464 का विवरण)

ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के ग्राम असरो (बालासागर) तथा भीमपुर के वन क्षेत्रों में पाये जाने वाले वन्य जीवों का विवरण

1. बघेरा
2. भेड़िया
3. गीदड़
4. लोमड़ी
5. जरख
6. रोज
7. खरगोश
8. सेही
9. नीलगाय
10. मोर

ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा के गांवों के आसपास स्थित के वन खंड नाहर खोहरा मेन तथा नाहर खोहरा 11 "ए" के संबंध में कुल क्षेत्र एवं अवशेष रिक्त क्षेत्र का विवरण

क्र. स.	नाम वन खंड	वैधानिक स्थिति	कुल क्षेत्रफल (है.मी.)	अवशेष रिक्त क्षेत्र जिसमें अभी तक वन विकास /वृक्षारोपण नहीं किया गया है (है.मी.)
1	2	3	4	5
1.	नाहर खोहरा मेन	आरक्षित वन क्षेत्र	1147.928	927.998
2.	नाहर खोहरा 11"ए"	आरक्षित वन क्षेत्र	423.021	53.021

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-465 की अनुसूची)

तृतीय अनुसूची

(धारा 52 देखिए)

जिला परिषदों के कृत्य और शक्तियां

1. साधारण कृत्य :

जिले के आर्थिक विकास और सामजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, और ऐसी योजनाओं का अगली मदों में प्रगणित

विषयों सहित विभिन्न विषयों के संबंध में समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

2. **कृषि :**

(1) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के और समुन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग और विकसित कृषि पद्धतियों के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के, उपायों को प्रोन्नत करना;

(2) कृषि मेलों और प्रदर्शनियों का संचालन करना;

(3) कृषकों का प्रशिक्षण;

(4) भूमि सुधार और भूमि संरक्षरण।

3. **लघु सिंचाई, भू-जल स्रोत और जल-विभाजक विकास :**

(1) "ग" और "घ" वर्ग के 2500 एकड़ तक के लघु सिंचाई संकर्मों और लिफ्ट सिंचाई संकर्मों का सन्निर्माण, नवीकरण और रख रखाव;

(2) जिला परिषद् के नियंत्रणाधीन सिंचाई योजनाओं के अधीन जल के समय पर और साम्यापूर्ण वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपबंध करना;

(3) भू–जल स्रोतों का विकास;

(4) सामुदायिक पम्प सैट लगाना,

(5) जल–विभाजक विकास कार्यक्रम।

4. **बागवानी :**

(1) ग्रामीण पार्क और उद्यान;

(2) फलों और सब्जियों की खेती।

5. **सांख्यिकी :**

(1) पंचायत समितियों और जिला परिषद् के क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकी और अन्य सूचना का प्रकाशन;

(2) पंचायत समितियों और जिला परिषद् के क्रियाकलापों के लिए अपेक्षित आंकड़ों और अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग;

(3) पंचायत समितियों और जिला परिषद् को सौंपी गयी परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सावधिक पर्यवेक्षण और मूल्यांकन।

6. **ग्रामीण विद्युतीकरण :**

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण की पूर्विकता को मोनीटर करना;

(2) कनेक्शन, विशेष रूप से विद्युत कनेक्शन, कुटीर ज्योति और अन्य कनेक्शन।

7. **मृदा संरक्षण :**

(1) मृदा संरक्षण कार्य;

(2) मृदा विकास कार्य।

8. **सामाजिक वानिकी :**

(1) सामाजिक और फार्म वानिकी, बागान और चारा विकास को प्रोन्नत कराना;

(2) बंजर भूमि का विकास;

(3) वृक्षारोपण के लिए आयोजन करना और अभियान चलाना तथा कृषिक पौधशालाओं को प्रोत्साहन;

(4) वन भूमियों को छोड़कर, वृक्षों का रोपण और रखरखाव;

(5) राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों को छोड़कर, सड़क के किनारे—किनारे वृक्षारोपण।

9. पशुपालन और डेयरी :

(1) जिला और रैफरल अस्पतालों को छोड़कर पशु चिकित्सालयों की स्थापना और रख—रखाव;

(2) चारा विकास कार्यक्रम;

(3) डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सूअर पालन को प्रोन्नत करना;

(4) महामारी और सांसर्गिक रोगों को रोकथाम।

10. मत्स्य पालन :

(1) मत्स्य पालन विकास एजेंसी के समस्त कार्यक्रम;

(2) प्राइवेट और सामुदायिक जलाशयों में मत्स्य संवर्धन का विकास;

(3) पारम्परिक मत्स्यापन में सहायता करना;

(4) मत्स्य विपणन सहकारी समितियों का गठन करना;

(5) मछुआरों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण स्कीमें।

11. घरेलू और कुटीर उद्योग :

(1) परिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों की पहचान और घरेलू उद्योगों का विकास करना;

(2) कच्चे माल की आवश्यकताओं का इस प्रकार से निर्धारण करना कि जिससे समय पर उसका प्रदाय सुनिश्चित किया जा सकें;

(3) परिवर्तनशील उपभोक्ता मांग के अनुसार डिजाइन और उत्पादन;

(4) कारीगरों और शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना;

(5) उप—मद(4) के अधीन के कार्यक्रम के लिए बैंक ऋण दिलवाने हेतु सम्पर्क करना;

(6) खादी, हाथकर्घा, हस्तकला और ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना।

12. ग्रामीण सड़कें और भवन :

(1) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न सड़कों का निर्माण और रख—रखाव;

(2) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से भिन्न मार्गों के नीचे आने वाले पुल और पुलियाएं;

(3) जिला परिषद् के कार्यालय भवनों का निर्माण और रख—रखाव;

(4) बाजार, शैक्षणिक संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य संपर्क सड़कों और आन्तरिक क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों की पहचान;

(5) नयी सड़कों के लिए और विद्यमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए भूमियों का स्वैच्छिक अभ्यर्पण कराना।

13. स्वास्थ्य और स्वास्थिकी :

(1) सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, औषद्यालयों, उप–केन्द्रों की स्थापना और रख–रखाव;

(2) आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी औषधालयों की स्थापना और रख–रखाव;

(3) प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन;

(4) स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप;

(5) मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप;

(6) परिवार कल्याण कार्यक्रम;

(7) पंचायत समितियों और पंचायतों की सहायता से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना;

(8) पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय।

14. ग्रामीण आवासन :

(1) बेघर परिवारों की पहचान;

(2) जिले में आवास निर्माण का क्रियान्वयन;

(3) कम लागत आवासन को लोकप्रिय बनाना।

15. शिक्षा :

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और रख–रखाव सहित शैक्षणिक क्रियाकलापों को प्रोन्नत करना;

(2) प्रौढ़ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना;

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार के लिए प्रसार कार्य;

(4) शैक्षणिक क्रियाकलापों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन।

16. समाज कल्याण और कमजोर वर्गो का कल्याण :

(1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को छात्रवृतियां, वृत्तिकाएं, बोर्डिंग अनुदान और पुस्तकें और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार;

(2) निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नर्सरी विद्यालयों, बाल बाड़ियों, रात्रि विद्यालयों और पुस्तकालयों का संगठन करना;

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श कल्याण केन्द्रों और शिल्प केन्द्रों का संचालन;

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सदस्यों द्वारा उत्पादित माल के विपणन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की सहकारी सोसाइटियों का गठन करना;

(6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान और विकास के लिए अन्य कल्याणकारी स्कीमें।

17. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम :

(1) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण, मोनीटर करना और क्रियान्वयन करना।

18. समाज सुधार क्रियाकलाप :

(1) महिला संगठन और कल्याण;

(2) बाल संगठन और कल्याण;

(3) स्थानीय आवारागर्दी का निवारण;

(4) विधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त निराश्रितों के लिए पेंशनों की और बेरोजगारों और अन्तरजातीय विवाह के युगलों जिनमें से एक किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, के लिए भत्तों की मंजूरी और वितरण को मोनीटर करना;

(5) अग्नि नियंत्रण;

(6) अन्धविश्वास, जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक समारोहों, दहेज तथा दिखावटी उपभोग के विरुद्ध अभियान;

(7) सामुदायिक विवाह और अन्तरजातीय विवाहों का प्रोत्साहित करना;

(8) आर्थिक अपराधों, जैसे तस्करी, कर–वंचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता;

(9) भूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गयी भूमि का विकास करने में सहायता;

(10) जनजातियों द्वारा अन्यसंक्रमित भूमियों का पुनर्ग्रहण;

(11) बन्धुआ मजदूरों की पहचान करना, उन्हें मुक्त कराना और उनका पुनर्वास;

(12) सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों का आयोजन करना;

(13) खेल–कूद और खेलों को प्रोत्साहन तथा ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण;

(14) पारम्परिक उत्सवों को नया रूप देना और उन्हें समाज–प्रिय बनाना;

(15) निम्नलिखित के माध्यम से मितव्ययता और बचत की प्रोन्नति करना :–

(क) बचत की आदतों की प्रोन्नति,

(ख) अल्प बचत अभियान,

(ग) कूट साहूकारी प्रथाओं और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध लड़ाई।

19. जिला परिषदों की साधारण शक्तियां:

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपें, समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या अनुषंगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके अधीन विनिर्दिष्ट समस्त शक्तियों का और विनिर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करना–

(1) लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन की किसी संस्था का

प्रबंध और रख–रखाव;

(2) ग्रामीण हाटों और बाजारों का अर्जन और रख–रखाव;

(3) पंचायत समितियों या पंचायतों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके कार्य का समन्वय करना;

(4) कष्ट निवारण के उपायों को अंगीकार करना;

(5) जिले में पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं और स्कीमों को समन्वित और एकीकृत करना;

(6) जिले में पंचायत समितियों के बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना और उन्हें मंजूर करना;

(7) एकाधिक खण्डों में विस्तृत किसी स्कीम को हाथ में लेना और निष्पादित करना;

(8) जिले में पंचों, सरपंचों, प्रधानों और पंचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, सेमीनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना;

(9) किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापों के बारे में सूचना देने की अपेक्षा करना;

(10) किन्हीं विकास स्कीमों को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या अधिक जिलों की जिला परिषदों के बीच में परस्पर तय पायी जाये, संयुक्त रूप से हाथ में लेना और निष्पादित करना।

जे.पी.बंसल

शासन सचिव

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जिला बांसवाड़ा के भवन विहीन छात्रावास

466. **श्री जीतमल**(बागीदोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल कितने छात्रावास बिना भवनों के कहां–कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त छात्रावासों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(3) क्या सरकार ने उक्त छात्रावासों के लिए वर्ष 1997–98 में राशि आवंटित की थी ? यदि हां, तो कितनी एवं किस–किस स्थान के लिए ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल चार छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं, जो निम्नानुसार हैं :–

क्र.स.	छात्रावास का नाम	स्वीकृत छात्र सं.
1	2	3
1.	राज.अनु.जनजाति बालक छात्रावास, गढ़ी	100
2.	राज.अनु.जनजाति छात्रावास, सरेडी बड़ी	25
3.	राज.अनु.जनजाति	25

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3
	कन्या छात्रावास, बागीदोरा	
4.	अनु.जनजाति छात्रावास तलवाड़ा	25

(2) जी, हां। उक्त में से गढ़ी छात्रावास के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 95–96 में जारी की जा चुकी है जो कि निर्माणाधीन है। शेष छात्रावासों के भवन निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

(3) उक्त छात्रावासों हेतु वर्ष 1997–98 में कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई हैं।

छीपाबड़ौद कस्बे की क्षतिग्रस्त सड़क

467. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद कस्बे की सड़क खराब है ? यदि हां, तो उसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

जी, हां। छीपाबड़ोद कस्बे में घरों से निकलने वाला पानी एवं बरसात के पानी की निकासी नहीं होने के कारण राज्य उच्च मार्ग संख्या 19–ए प्रायः क्षतिग्रस्त होती रहती है जिसे रख–रखाव मद में से समय–समय पर मरम्मत किया जाता रहा है। स्थायी समाधान हेतु नालियों का निर्माण एवं सड़क को ऊंचा उठाने के कार्य की आवश्यकता है। नालियों का निर्माण हेतु कुल लागत 15 लाख रुपया होगी, उसमें से जिला विकास अभिकरण, बारां में रुपये 1.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की है जिसका कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। सम्पूर्ण नालियों का कार्य पूरा होने पर सड़क को ऊंचा उठाने का कार्य प्रस्तावित किया जायेगा।

भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर में अनियमितताएं

468. **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर में हुई अनियमितताओं के संबंध में जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो कब एवं किसके आदेश से ? इस संबंध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच में पाये गये दोषी अधिकारियों/चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इकाई में वर्ष 1995 से फरवरी, 1999 तक सोनोग्राफी ए.सी. आटो एनोलाइजर व वाहन क्रय में तथा वाहन मरम्मत कार्यों में भी अनियमितताएं हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच पुनः करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के आदेश द्वारा 1997 में जांच की गई थी। राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई।

(2) इस प्रकरण की जांच राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर द्वारा की जा रही है जांच रिपोर्ट आने के पश्चात् ही कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर प्राथमिक जांच रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट

1. प्राथमिक जांच संख्या एवं दिनांक पी–1/2/77/98 दिनांक 15.7.98

2. घटना स्थल : भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, सांगानेरी गेट, जयपुर।

3. दिनांक व समय घटना स्थल : वर्ष 1995–1998 तक।

4. फरियाद/सूत्र सूचना : सूत्र सूचना।

5. संक्षिप्त आरोप : डा. आर.के विग द्वारा आंखों के कैम्पों में पैसे लेकर लैंस लगाना व विभाग में जेनरेटर व माईक्रोस्कोप आदि की खरीद में भ्रष्टाचार करने बाबत।

6. संदिग्ध अधिकारी का नाम : डा. आर. के.विग व अन्य, भ्रमणसील शल्य चिकित्सा इकाई, सांगानेरी गेट, जयपुर।

7. जांच अधिकारी का नाम : उमेश चन्द्र जैन, निरीक्षक पुलिस, रा.रा.अ.ब्यू. परिवार शाखा, जयपुर।

8. आरोप :

1. राज्य सरकार ने भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई (नेत्र) द्वारा आंखों के आपरेशन किये जाने संबंधी स्पष्ट निर्देश वर्ष 1995 में जारी कर रखे हैं। जिसमें यह निर्देश है कि इस यूनिट द्वारा कैम्पों में आंखों के आपरेशन के दौरान किसी भी मरीज के लैंस नहीं लगाये जाएंगे, क्योंकि कैम्पों में ना तो नेत्र परीक्षण की यह सुविधा उपलब्ध होती है कि किस व्यक्ति के लिए स्पेसिफिकेशन का लैंस लगाया जाना है, द्वितीय कैम्पों के आपरेशन की सामान्य परिस्थितियों आंखों में लैंस फिट किये जाने के अनुकूल नहीं होती है।

किन्तु डा. विग द्वारा राज्य सरकार के नोर्म्स व नियमों का उल्लंघन करते हुए (Noms for service delivery in) आई कैम्पस 1995 के नियम संख्या (4) में 1995 से ही लगातार लैंस फिट इस कारण किये जाते रहे कि कैम्प आयोजित करने वाली संस्थाओं से तो इन लैंसों की कीमत वसूल की जाने के साथ–साथ मरीजों से भी इन लैंसों की 1800–2000 रुपये के लगभग राशि वसूल की गई। यही नहीं बल्कि यह लैंस भी लगभग 250 रुपये की कीमत के स्वयं डा. विग द्वारा अपने स्तर पर खरीदकर ले जाते रहे और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करके आशंकित तरीके से धनराशि मरीजों से व

संस्थाओं से ऐंठी गई। कैम्पों की परिस्थितियां लैंस फिट करने के उपयुक्त न होने के कारण कई मरीजों की आंखें हमेशा के लिए खराब हो गई जिसमें से कुछ एक व्यक्ति पुनः डा. विग से मिले तथा अपनी आंखों की रोशनी जाने की बात बताई, किन्तु डा. विग ने इन लैंसों को पुनः निकालने के एवज में पुनः रिश्वत की मांग की और डांटफटकार कर वापस भगा दिया। इस संबंध में दो व्यक्तियों के शपथ—पत्र भी संलग्न हैं तथा आपरेशन थियेटर में कार्य करने वाले व्यक्तियों (1) श्री राम सहायक (2) श्री प्रभु सिंह (3) सीताराम सोनी के बयान भी संलग्न हैं।

2. डा. विग द्वारा निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर के पद पर रहते हुए इकाई में पूर्व से ही पर्याप्त संख्या में सर्विसेबल जेनरेटर उपलब्ध होते हुए भी राज्य सरकार को मुगालती देकर 6 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एक नया जेनरेटर खरीदने हेतु प्राप्त की जबकि नया जेनरेटर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही नया जेनरेटर खरीदा जाना ही युक्तीयुक्त था, जैसा कि विभाग की आडिट रिपोर्ट से स्पष्ट है। यही नहीं इस जेनरेटर सैट की खरीद में डा. विग द्वारा भारी अनियमितता बरती गई जो निम्नप्रकार है :—

1. जेनरेटर सैट खरीदने के सम्बन्ध में निविदाएं आमंत्रित करने हेतु डी.पी.आर. से साठगांठ कर न्यायोचित व नियमानुसार प्रचार—प्रसार नहीं किया।

2. अटलांटिक पावर नाम कम्पनी से 4,94,000/— रुपये जेनरेटर सैट खरीदकर लम्बी राशि का भुगतान किया जो जेनरेटर सैट 203 घंटे में जल कर राख हो गया।

3. विभाग द्वारा की गई आडिट रिपोर्ट में इस जेनरेटर की खरीद को अनावश्यक माना, तो डा. विग ने पुराने चालू शुदा जेनरेटर को वाहन में से तुरन्त उतरवाकर नया खरीदा गया। अनावश्यक जेनरेटर सैट फिट करवा दिया। जेनरेटर को उतरवाने व नया जेनरेटर सैट के वाहन पर लोड करवाने हेतु कुल रुपये 19,500/— का अनियमित भुगतान किया। इस नये जेनरेटर को जलने के बाद पुनः उसी पुराने चालू शुदा जेनरेटर को पुनः गाड़ी में लोड करवाने हेतु रुपये 9500/— का फिर अनियमित भुगतान किया। इस प्रकार डा. विग द्वारा नये खरीदे गये जेनरेटर सैट को बढ़िया किस्म का जानते हुए खरीदा, इसी कारण इस नये जेनरेटर सैट का गारन्टी पीरियड निकलने के बाद इस्तेमाल इस कारण आरम्भ किया ताकि प्रथम तो जेनरेटर गारन्टी पीरियड (एक साल) में खराब नहीं हो, द्वितीय इनके विभाग द्वारा आडिट में उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति कर अनावश्यक खरीद को जायज साबित करने का प्रयास किया।

3. डा. विग द्वारा निदेशक पद पर रहते हुए Operative Microscope रुपये 81,125/— में खरीदा जो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं खरीदा तथा जयपुर की एक

लोकल कंम्पनी से यह Microscope खरीदा गया हैं जबकि यहां के अन्य विशेषज्ञों ने उसे अनुपयोगी बताया है व इस Microscope से किये जाने वाले टैस्ट मरीजों द्वारा बाहर से ही करवाये जाते हैं क्योंकि यह Microscope टैस्ट करने योग्य नहीं है जिनके लिए इसे खरीदा गया है। इसी कीमत पर इसकी क्षमता से उच्च क्षमता वाला सही Microscope जो कि डी.जी.एस.एण्ड डी. रेट पर भारत इलेक्ट्रोनिक मछली पटनम हैदराबाद देने को तैयार थी। डी.जी.एस.एण्ड डी. रेट पर क्रय करने हेतु ना तो टेण्डर की आवश्यकता होती है ना हीं कोई आडिट ऐतराज होता है किन्तु डा. विग ने पद का दुरुपयोग करते हुए डी.पी.आर. से सांठगांठ कर लोकल इवनिंग न्यूज पेपर में ही इसके टेण्डर मंगवाये जिससे तीन बार Publish करवाने पर भी एक ही टेण्डर प्राप्त हुआ। कम्पनी को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से नाकारा यूजलेस Microscope खरीदा जो बेकार पड़ा है।

4. डा. आर.के. विग द्वारा निदेशक मोबाइल सर्जिकल यूनिट के पद पर रहते हुए दिनांक 3.2.96, 5.2.96 तथा 12.2.96 के दो बार ट्यूर दिखाकर उसी यात्रा का दो बार टी.ए. बिल उठाया। प्रथम बार जरिये बिल नम्बर 101 दिनांक 4.6.96 तथा द्वितीय जरिये बिल नं. 595 दिनांक 15.12.96 से दो बार टी.ए. बिल झूठा प्रमाण–पत्र देकर उठाया कि इस यात्रा का भुगतान पूर्व में उसके द्वारा नहीं उठाया गया। टी.ए. बिलों की फोटो प्रति संलग्न हैं।

5. डा. आर.के. विग द्वारा निदेशक, मोबाइल सर्जिकल यूनिट के पद पर रहते हुए निम्न तीन कर्मचारियों को अनुचित रूप से वर्दी भत्ता दिलवाने की स्वीकृति जारी की गई। नियमानुसार यह वर्दी भत्ता दिलवाने की स्वीकृति जारी नहीं की गई। नियमानुसार यह वर्दी भत्ता नर्सिंग स्टाफ ड्राइवर तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ही देय है।

1. दिनेश चन्द्र जैन, फार्मास्टि 960 रुपये
2. रामजीवन सिंह (हास्पीटल केयर टेकर) 960 रुपये
3. दिनेश चन्द्र शर्मा –यथा– 960 रुपये

इन तीनों व्यक्तियों को 5 साल में कुल 14,400/– रुपये का अनुचित भुगतान किया गया जबकि इस संबंध में ना तो कोई राज्य सरकार के आदेश है और ना ही उक्त पदों पर वर्दी भत्ता ही देय है। इस प्रकार डा. विग द्वारा पद का दुरुपयोग कर अपने चहेते कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाता रहा है तथा यह प्रक्रिया सतत जारी है। अतः डा. आर.के. विग के विरुद्ध प्राथमिक जांच रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट पंजीबद्ध कर क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

एस.डी./–
(उमेश चन्द्र जैन)
निरीक्षक पुलिस
राज.रा.अ.ब्यू.परिवाद, जयपुर

कार्यवाही पुलिस

इस प्रकार डा. आर. के. विग व अन्य भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, सांगानेर गेट, जयपुर द्वारा आंख के कैम्पों में पैसे देकर

आंखों में लैंस लगाना व विभाग में जेनरेटर माइक्रोस्कोप आदि की खरीद में भ्रष्टाचार किया।

अतः महानिदेशक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर के आदेशानुसार प्राथमिक जांच संख्या पी—प/२/७७/९८ दिनांक १५.७.१९९८ दर्ज की जाकर जांच श्री उमेश चन्द्र जैन, निरीक्षक पुलिस राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, परिवाद शाखा, जयपुर को सुपुर्द की जाती है।

पुलिस अधीक्षक,

राज. राज्य अन्वे, ब्यूरो, जयपुर

जिला बीकानेर के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहन

469. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर ने माह फरवरी, 1999 में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध वाहनों की सूची प्रादेशिक परिवहन कार्यालय बीकानेर में दी है ? यदि हां, तो कौन—कौन से रूट पर किस—किस बस के अवैध चालन की ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीकानेर से आर.डी. 682, खाजूवाला, अनूपगढ़, रावला मार्ग एवं अनूपगढ़—छतरगढ़—बीकानेर व सूरतगढ़—बीकानेर मार्ग पर अब भी अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इनकी रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। इन मार्गों पर वाहनों अवैध रूप से संचालन पूर्व में पाया गया था। वाहनों का संचालन अवैध रूप से पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1998—99 में ऐसे वाहनों के विरुद्ध इन मार्गों पर 163 चालान बनाये जाकर रुपये 3.97 लाख प्रशमन राशि वसूल की गयी एवं चैकिंग प्रक्रिया निरन्तर व सामान्य रूप से चलती रहती है।

सादुलपुर (चूरू) की क्षतिग्रस्त सड़कें

470. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर (चूरू) में राजगढ़ से गोठ्या बड़ी, राजगढ़ से भांकरा, राजगढ़ से चूरू राजगढ़ से झुंझुनूं वाया साखूं मलसीसर, राजगढ़ से मंडेला, सिद्धमुख से धानोटी छोटी, राजगढ़ से सिद्धमुख, राजगढ़ से बिरमी, थिरपाली बड़ी से नूहन्द तक की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो उक्त सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

(2) उक्त सड़कों की वर्तमान में क्या

(श्री रामसिंह कस्वां)

स्थिति है ? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु वर्ष 1998–99 में क्या कोई राशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो कितनी एवं कब ? क्या उक्त स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग किया गया ?

(5) क्या उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु आगामी वर्ष में कोई प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कितना ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इन सड़कों पर मानदण्डों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में रख–रखाव हेतु वित्तीय आबंटन न होने के कारण अपेक्षित रख–रखाव का कार्य नहीं किया जा सका, जिसके कारण ये सड़कें कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं। इन सड़कों की साधारण मरम्मत जो एक निरन्तर प्रक्रिया है एक बार जून, 99 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार साधारण मरम्मत का कार्य चालू रखा जायेगा। इस गैर आयोजना मद में संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार राशि रुपये 26.95 लाख का आबंटन वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राजगढ़ से झुंझुनूं वाया साखूं मलसीसर व राजगढ़ से भांकरा सड़कों पर योजना मद में 17 किमी. लम्बाई में राशि रुपये 41.50 लाख के नवीनीकरण/सुधारीकरण के कार्य वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित हैं।

(2) वर्तमान में उक्त सड़कों पर पोट होल्स हैं। प्रत्येक सड़कवार स्थिति संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(3) जी, हां। इन सड़कों की साधारण मरम्मत जो एक निरन्तर प्रक्रिया है, एक बार जून, 99 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार साधारण मरम्मत का कार्य चालू रखा जायेगा। इस हेतु सड़कों पर गैर–आयोजना मद में साधारण मरम्मत हेतु रुपये 26.95 लाख का आवंटन वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित हैं इसके अतिरिक्त राजगढ़ झुंझुनूं वाया साखूं मलसीसर व राजगढ़ से भांकरा सड़कों पर योजना मद में 17 कि.मी. लम्बाई में राशि रुपये 41.50 लाख के नवीनीकरण सुधारीकरण के कार्य वर्ष 1999–2000 में प्रस्तावित हैं।

(4) वित्तीय वर्ष 1998–99 में उक्त सड़कों की साधारण मरम्मत पर रुपये 17.24 लाख की राशि खर्च की गई। जिसका उपयोग सड़कों पर साधारण मरम्मत के कार्य में किया गया।

(5) जी, हां। उपरोक्त सभी सड़कों पर संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार साधारण मरम्मत हेतु वर्ष 1999–2000 में रुपये 26.95 लाख का प्रावधान रखा गया है। सड़कवार

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
विवरण सलंग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है। चूरू से राजगढ़ व राजगढ़ से गोठ्या बड़ी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 (फतेहपुर से अम्बाला वाया चूरू राजगढ़–हिसार) का भाग है जिसके लिये सड़क को 7.0 मीटर चौड़ा करने तथा नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भूतल मंत्रालय भारत सरकार के यहां प्रेषित किये जा चुके हैं तथा भूतल मंत्रालय में विचाराधीन है।

परिशिष्ट "क"

क्र.स.	सड़क का नाम	लम्बाई (किमी.में)	किमी. लम्बाई जिसमें पेच करवाने हैं।	साधारण मारम्मत हेतु वर्ष 1999-2000 में प्रस्तावित राशि रुपये (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	राजगढ़ से गोठया बड़ी	22.200	22.200	4.00	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 का भाग है
2.	राजगढ़ से भांकरा	17.000	17.000	1.37	–
3.	राजगढ़ से चूरू	57.800	57.800	10.40	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 का भाग है
4.	राजगढ़ से झुंझुनूं वाया साखूं–मलसीसर	28.000	28.000	1.87	–
5.	राजगढ़ से मंड्रेला	12.200	12.200	0.67	–
6.	सिद्धमुख से धानोटी छोटी	21.000	21.000	2.80	–
7.	राजगढ़ से सिद्धमुख	35.0	25.0	3.42	–
8.	राजगढ़ से बिरमी	26.0	21.0	2.15	–
9.	थिरपाली से नूहन्द	5.0	5.0	0.27	–
			कुल	26.95	

प्रश्न संख्या-471

(स्थगित)

जिला जैसलमेर के वन कर्मियों के स्थानान्तरण

472. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला जैसलमेर के कितने वन कर्मियों के जैसलमेर से चित्तौड़गढ़ में स्थानान्तरण किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के गड़रा रोड तथा सागरमल गोपा शाखा के नहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य शेष है ?

(3) क्या सरकार उक्त कार्य हेतु उक्त अल्पवेतन भोगी कर्मियों का वापस जैसलमेर स्थानातरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर से 52 कार्य प्रभारित कर्मचारियों का कार्यालय उप वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना, चित्तौड़गढ़ में समायोजन किया गया है।

(2) जैसलमेर के गडरा रोड तथा सागरमल गोपा शाखा के नहर किनारे जहां–जहां वृक्षारोपण के योग्य भूमि एवं पानी उपलब्ध था वहां वृक्षारोपण किया जा चुका है।

(3) जैसलमेर जिले में विद्यमान कार्य के लोड के अनुरूप कार्य प्रभारित कर्मचारी उपलब्ध हैं, अतः भेजे गये सभी कार्य प्रभारित कर्मियों को पुनः जैसलमेर में स्थानान्तरित करने का फिलहाल विचार नहीं है।

पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) के निर्माण कार्यो में अनियमितताएं

473. **श्री गोविन्द सिंह** (नसीराबाद), **डा. के.सी. चौधरी** (ब्यावर) एवं **श्री ललित भाटी** (अजमेर पूर्व) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) के अन्तर्गत गत पांच वर्षो में कुल कितनी लागत के कार्य स्वीकृत हुए और इन कार्यो के पूर्ण होने में कुल कितनी लागत आई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यो के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की अनेकों शिकायतें संबंधित विभागों को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उक्त शिकायतों का निपटारा किन–किन स्तर पर किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति जवाजा क्षेत्र में गत पांच वर्षो में विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं में 958 कार्य 1164.83 लाख रुपये की लागत के स्वीकृत किए गये जिन पर 997.30 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

(2) जी, नहीं।

सहरिया जनजाति के विकास पर व्यय

474. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सहरिया जनजाति के विकास के लिए परियोजना कब बनाई गई ? 31 मार्च, 1998 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि किस–किस कार्य हेतु व्यय की गई ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सहरिया जनजाति विकास परियोजना द्वारा प्राप्त धन का कितना भाग उनकी उन्नति के लिए खर्च किया एवं कितना कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं कार्यालयों पर व्यय किया गया ?

(3) क्या व्यय की गई राशि से सहरिया जाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है ? यदि हां, तो कैसे ?

उत्तर

(1) सहरिया जनजाति के विकास के लिए सहरिया विकास परियोजना का पंजीयन 14.2.1978 को कराया जाकर योजना प्रारम्भ की गई। 31 मार्च, 1998 तक इस योजना के तहत कुल 930.29 लाख रुपये (अक्षरे रुपये नौ सौ तीस लाख उन्तीस हजार) की राशि व्यय की गई। राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(2) कुल व्यय राशि 930.29 लाख रुपये में से 853.35 लाख रुपये सहरिया जनजाति की उन्नति व विकास के लिए एवं 76.94 लाख रुपये अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन एवं कार्यालयों पर व्यय किया गया।

(3) जी, हां। सहरिया विकास परियोजना द्वारा व्यय की गई राशि की बदोलत सहरिया जनजाति खेती करने लगी है तथा उनकी शिक्षा में संख्यात्मक एवं गुणात्मक सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मद में चिकित्सा शिविरों व अन्य सहायता पर किये गये खर्च से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। निर्माण कार्यों की बदोलत रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। पेयजल सुविधा का भी विस्तार हुआ है।

परिशिष्ट-1

क्र.स.	मद का नाम	राशि
1	2	3
1.	कृषि मद	26.012
2.	सिंचाई मद	173.348
3.	शिक्षा मद	300.159
4.	पेयजल मद	137.37
5.	सहरिया बस्ती विद्युतीकरण	28.269
6.	सहरिया परिवारों का पुनर्वास सहायता	2.585
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	34.184
8.	पशुपालन मद	1.80

1	2	3
9.	ग्रामीण गृह निर्माण	11.20
10.	वन विकास	8.774
11.	प्रशिक्षण	1.926
12.	सहकारिता मद	7.82
13.	मुफ्त कानूनी सहायता	0.163
14.	सड़क निर्माण	67.908
15.	आवासीय भवन निर्माण	26.680
16.	प्रशासन	76.94124
17.	पुलिया निर्माण	1.744
18.	राजस्व रेकार्ड	1.196
19.	कोर बजट	0.75
20.	आवास भवन निर्माण (ए.डी.एम. निवास)	3.590
21.	मुद्रण	0.472
22.	अन्य	0.259
23.	सहरिया बस्ती में टी.वी.स्थापना	1.784
24.	चेतना शिविर	0.582
25.	मत्स्य पालन	0.700
26.	मुफ्त पोशाक वितरण	13.998
		930.29424

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य

475. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भू–संरक्षण विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिनाय में कार्य करवाये जा रहे/करवाये गये हैं ? यदि हां, तो कहां–कहां कितनी–कितनी लागत के, क्या–क्या कार्य स्वीकृत हुए ? उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए और कौन–कौन से कार्य चल रहे हैं ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वाटर शेड के कार्यो हेतु गांव की यूजर कमेटी का गठन किया जाता है ? यदि हां, तो कब–कब, कहां–कहां कमेटी गठित की गई ?

(3) क्या इस प्रक्रिया की सूचना ग्राम वासियों को दी गई ? यदि हां, तो कहां–कहां, कब–कब किस माध्यम से ? गठन के समय कहां–कहां, कौन–कौन ग्रामवासी उपस्थित थे ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र भिनाय में जलग्रहण विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में कुल 49 जलग्रहण विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 42 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 7 कार्य प्रगति पर हैं। उक्त कार्यो का ग्रामवार, पंचायत समितिवार स्वीकृत राशि, पूर्ण एवं चल रहे कार्यो का विवरण एनेक्चर–1 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) जी, हां। गठित कमेटियों का विवरण एनेक्चर–2 पर संलग्न है।

(3) जी, हां। यूजर्स कमेटियों का गठन की सूचना ग्रामवासियों को दी गई। ग्राम की यूजर्स कमेटी के गठन की पूर्व सूचना प्रस्तावित ग्राम सभा का बैठक की दिनांक से सात दिवस पूर्व संबंधित ग्राम की ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके ग्रामवासियों को दी गई। कमेटियों का विवरण एनेक्चर–3 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(एनेक्चर विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जर्दा एवं धूम्रपान पर अंकुश

476. **श्रीमती रमा पायलेट** (हिण्डोली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गुटखा, तम्बाकू एवं जर्दा आदि विद्यालयों के बाहर/सामने बेचने पर प्रतिबंध लगाया है ? यदि हां, तो वह कितना प्रभावी रहा।

उत्तर

जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के प्रस्तावित नये बस मार्ग

477. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कुल कितने ग्राम ऐसे हैं जो निगम बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त गांवों को निगम बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र में गत 5 वर्षों में लगभग 129 किलोमीटर की नई सड़कें बनी हैं जिन पर चलने के लिए नये बस मार्ग प्रस्तावित नहीं किये गये है ?

(4) क्या बांदीकुई मण्डावर मार्ग बस सेवा से जोड़ा जा रहा है ?

उत्तर

(1) बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के 28 गांव वर्तमान में निगम बस सेवाओं से जुड़े हुए हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट–1 में उपलब्ध है। शेष सभी ग्राम निगम बस सेवा से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि वे अराष्ट्रीयकृत मार्गो पर स्थित है।

(2) जी, नहीं। इस विधान सभा क्षेत्र के निगम बस सेवा से नहीं जुड़े हुए गांव अराष्ट्रीयकृत मार्गो पर स्थित है, अतः वर्तमान में निगम बस सेवा के संचालन के लिए कोई मांग नहीं होने के कारण संचालन करना विचाराधीन नहीं है।

(3) नये मार्ग खोलने के प्रस्ताव जनता/जनता के प्रतिनिधि व निगम से प्राप्त होने पर मार्गो का सर्वे कराया जाकर मार्ग खोलने की कार्यवाही की जा सकती है।

(4) जी, नहीं।

परिशिष्ट-1

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जो निगम बस सेवा से जुड़े हुए हैं

क्र.स.	पंचायत का नाम	पंचायत क्षेत्र के ग्राम जो निगम बस सेवा से जुड़े हुए है
1	2	3
1.	बडियाल खुर्द	1. बडियाल खुर्द
		2. नागवास
		3. काटरवाडा
2.	आभानेरी	1. आभानेरी
		2. शेखपुरा
		3. जस्सापाडा
3.	गोलाडा	1. गोलाडा
4.	झाझीरामपुरा	1. कालेड
5.	करनावर	1. फूलेला
		2. अगावली
6.	पण्डितपुरा	1. चक आनन्दपुरा
7.	कोलाणा	1. कोलाणा
8.	बांदीकुई जागीर	1. बांदीकुई जागीर
9.	श्यालावास कलां	1. श्यालावास कलां
		2. कुटी
10.	ऊनबडागांव	1. ऊनबडा गांव
		2. पामडी
		3. सुगाडी
11.	पीचुपाड़ा खुर्द	1. पीछुपाडा खुर्द
12.	पीचुपाड़ा कलां	1. पीचुपाड़ा कलां
13.	बडियाल कलां	1. बडियाल कलां
14.	गुढ़ाकटला	1. गुढ़ाकटला
15.	नन्देरा	1. नन्देरा
16.	बिवाई	1. बिवाई
17.	बैजूपाड़ा	1. बैजूपाडा
18.	लोटवाडा	1. लोटवाडा
		2. नांगल
19.	बसवा	1. बसवा
		28 गांव

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा की क्षतिग्रस्त सड़कें

478. **श्री मान सिंह** (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिडावा के जौनपुर चौराहे से सुनेल कडोदिया सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त है ?

(2) क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त मरम्मत कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

जौनपुर चौराहे से कडोदिया डामर सड़क की कुल लम्बाई 12 किमी. है। पिछले कुछ वर्षों में रख–रखाव मद में सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के कारण अपेक्षित नवीनीकरण/ मरम्मत कार्य नहीं किये जा सके। वर्ष 1998–99 में 1.5 किमी. लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य कराया गया है।

(2) जी, हां। वर्ष 1999–200 में योजनामद में उक्त सड़क के किमी. 5,6,7 एवं 8 में 5.00 लाख रुपये की लागत के नवीनीकरण कार्य प्रस्तावित हैं। इसी सड़क के शेष किमी. में साधारण मरम्मत का कार्य भी वर्ष 1999–2000 में कराया जाना प्रस्तावित है।

(3) साधारण मरम्मत का कार्य जो एक निरन्तर प्रक्रिया है प्रारंभ किया जा चुका है, जो एक बार जून, 99 तक पूर्ण कर दिया जावेगा। प्रस्तावित नवीनीकरण कार्य भी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर इस वर्ष करा दिया जावेगा।

उनियारा (टोंक) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का पदस्थापन

479. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि उनियारा (टोंक) में वर्तमान में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित है ? यदि हां, तो कब से ? क्या वर्तमान में उक्त कोर्ट में मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि टोंक से एक हफ्ते में एक बार मजिस्ट्रेट आते हैं ? क्या पूर्णकालिक मजिस्ट्रेट नहीं होने से क्षेत्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय को आग्रह करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पद के रिक्त रहने से उक्त क्षेत्र में मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो गई है ? क्या सरकार मुकदमों की संख्या को देखते मा. उच्च न्यायालय को इसे अतिरिक्त सिविल सैशन कोर्ट कम ए.सी. जे. एम. कोर्ट क्रमोन्नत करने का आग्रह करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इसके अभाव में जनता को टोंक हैडक्वार्टर पर सैशन कोर्ट में जाना पड़ता है ?

उत्तर

(1) उनियारा (टोंक) में वर्तमान में सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ–खण्ड) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा का न्यायालय स्थापित है। यह न्यायालय दिनांक 15.2.80 से स्थापित है एवं इस न्यायालय में पीठासीन अधिकारी (मजिस्ट्रेट) का पद अगस्त, 1998 से रिक्त है।

(2) यह सही है कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ–खण्ड) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक सप्ताह में तीन दिन

(विधि एवं न्याय मंत्री)

तथा एक माह में कुल 7 बैठकें उनियारा में करते हैं। उनियारा मुंसिफ कोर्ड के लम्बित मामले उक्त मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाये जा रहे हैं। पूर्णकालिक मजिस्ट्रेट न होने से क्षेत्र की जनता को परेशानी होना स्वाभाविक है परन्तु वर्तमान में मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के 81 पद रिक्त चले आ रहे हैं। जिनके लिए अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होते ही नियुक्ति दी जाकर उनियारा में रिक्त पद को भर दिया जायेगा।

(3) यह सही है कि पद रिक्त रहने से लम्बित मुकदमों के अनुपात में वृद्धि स्वाभाविक है।

राज्य सरकार की नीति अनुसार मुंसिफ न्यायालय का सृजन 1700 से 2000 प्रकरण लम्बित होने पर ए.सी.जे.एम. न्यायालय का सृजन 1200 से 1500 प्रकरण होने पर उच्च न्यायालय की अभिशंसा अनुसार किया जा सकता है। राज्य सरकार लम्बित मुकदमों के अनुपात में तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के क्रमोन्नत बाबत् उच्च न्यायालय से परामर्श करने का विचार रखती है।

(4) यह सही है कि पक्षकारान को टोंक मुख्यालय पर स्थित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ–खण्ड) एवं सैशन न्यायालय में जाना पड़ता है परन्तु ऐसा कुछ सीमित मामलों के लिए ही है। दीवानी मामलों में 25,000/– के ऊपर की मालियत के दावों हेतु तथा गंभीर फौजदारी प्रकरणों में ही टोंक जाना आवश्यक होता है। शेष मजिस्ट्रेट के श्रवण योग्य मामले उनियारा में ही निपटाये जाते हैं। सैशन प्रकरणों की सुनवाई चूंकि सैशन न्यायाधीश ही कर सकते हैं। अतः ऐसे पक्षकारान को टोंक जाना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर) के विकास हेतु गठित समिति

480. **श्री आर.पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर व उसके आस–पास लगे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए किसी समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) उक्त समिति में गठन के बाद आज तक कितनी आय हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आय में से क्या कोई राशि आस–पास के ग्रामों के विकास हेतु व्यय की गई ? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राष्ट्रीय उद्यान व उसके

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

आस–पास लगे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान विकास समिति नाम की सोसायटी का गठन वर्ष 1996 में किया गया था जिसका पंजीकरण दिनांक 21.9.96 को हो चुका है।

(2) राज्य सरकार के द्वारा समिति के खाते में राशि जमा किये जाने संबंधी आदेश जारी नहीं किये जाने से सोसायटी के गठन के बाद उसे अभी तक कोई आय नहीं हुई है।

(3) जी, नहीं। सोसाइटी के गठन के बाद अब तक उसको कोई आय नहीं होने से, ग्रामों के विकास हेतु धनराशि व्यय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जिला बारां की ग्राम पंचायत के विकास कार्य

481. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां जिले की कुण्डी, कटावर व रटावद ग्राम पंचायतों में फरवरी, 1995 से मार्च, 1999 तक ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कितने–कितने निर्माण कार्य कितनी कितनी राशि के किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यों में से कितने–कितने निर्माण कार्य पूरे हुए तथा कितने अपूर्ण हैं ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण करवा दिये जायेंगे ?

(3) क्या ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा राशि व्यय कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र दे दिया गया ?

उत्तर

(1) बारां जिले की कुण्डी, कटावर (तह. अटरू) व रटावद (तह. बारां) की ग्राम पंचायतों में फरवरी, 95 से मार्च, 99 तक ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 30 कार्य एवं रुपये 16,67,651/– लाख की राशि के किये गये। विवरण योजनावार, कार्यवार परिशिष्ट–"अ" "ब" एवं "स" पर अंकित है।

(2) स्वीकृत निर्माण कार्यों में से 16 निर्माण कार्य पूर्ण हुए तथा 14 कार्य अधूरे हैं। कार्य के पूर्ण कराने की अवधि उक्त परिशिष्ट के कालम संख्या–9 में पृथक–2 अंकित है।

(3) ग्राम पंचायतों कुण्डी, कटावर (तह. अटरू) द्वारा व्यय की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया है। जबकि ग्राम पंचायत रटावद (तह. बारां) द्वारा व्यय की गई राशि के विरुद्ध अधिकांश कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र दे दिया गया है। प्रत्येक पंचायत द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण परिशिष्ट "अ" "ब" एव "स" पर कालम संख्या–7 में अंकित है।

(प्रपत्र''अ'')

ग्राम पंचायत कुण्डी तहसील अटरू द्वारा 2/95 से 3/99 तक सम्पादित कराये गये कार्यों की कार्यवार सूचना (राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वी.विवरण क्रमांक दिनांक/ वर्ष	राशि	कार्य पर व्यय राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की संभा.दिनांक	वि.वि.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	प्रा.शा.,रामपुरिया (संस्कृत) में कमरा निर्माण	सुरोयो	5561–67 /29.10.97	0.562	0.45	जारी नहीं	अपूर्ण	अप्रेल,99	छत डालना शेष
2.	उ.प्रा.शा.भवन, कुण्डी	" "	94–95	1.00	0.90	" "	" "	" "	सीमेन्ट प्लास्टर शेष, मूल्यां. हो चुका है
3.	प्रा.शाला., महुवाखेडी	" "	94–95	1.67	1.31	" "	" "	" "	कार्य प्रगति पर
4.	प्रा.शा.,रामपुरिया (संस्कृत) कमरा निर्माण	जरोयो	95–96	0.50	0.50	" "	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	खरंजा निर्माण, कुण्डी	" "	96—97	0.30	0.30	" "	पूर्ण	" "	मूल्यांकन नहीं हुआ
6.	खरंजा निर्माण, कुण्डी	" "	97—98	0.30	0.30	" "	" "	" "	" "
7.	खरंजा निर्माण, रामपुरिया	" "	98—99	0.15	0.15	" "	" "	" "	" "
			योग	4.482	3.91				

ह०

कार्यपालक निदेशक

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण

बारां

(प्रपत्र''ब'')

ग्राम पंचायत कटावर तहसील अटरू द्वारा 2/95 से 3/99 तक सम्पादित कराये गये कार्यों की कार्यवार सूचना (राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वी.विवरण क्रमांक दिनांक/वर्ष	राशि	कार्य पर व्यय राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की संभा.दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	शाला भवन, भोजूखेडी	सुरोयो	97–98	1.76	1.10	जारी नहीं	अपूर्ण	मई,99	मूल्यांकन हो चुका कार्य प्रगति पर
2.	शाला भवन, मन्यागण	" "	" "	1.76	1.10	" "	" "	" "	" "
3.	प्रा.नवीन शाला भवन, बलदेवपुरा	" "	" "	1.95	0.425	" "	" "	" "	मूल्यांकन नहीं हुआ है
4	प्रा.शाला. विद्यालय, बिछालस	" "	36.98	0.562	0.30	" "	" "	" "	" "
5.	उ.प्रा.शाला.कटावर	" "	97–98	0.562	0.30	" "	" "	" "	" "
6.	खरंजा निर्माण, बलदेवपुरा	जरोयो	" "	0.30	0.29990	" "	पूर्ण	" "	मूल्यांकन हो चुका

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	खरंजा निर्माण, मेहला	" "	" "	0.30	—	—	—	कार्य चालू 3/99 प्रगति पर मूल्यांकन हो चुका	
8.	खरंजा निर्माण, बिछालस	" "	" "	0.30	0.29532	" "	पूर्ण	—	
			योग	3.494	3.82022				

ह०

अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)

बारां

(प्रपत्र "स")

ग्राम पंचायत रटावद तहसील बारां द्वारा 2/95 से 3/99 तक सम्पादित कराये गये कार्यों की कार्यवार सूचना (राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वी.विवरण क्रमांक दिनांक/ वर्ष	राशि	कार्य पर व्यय राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने की संभा.दिनांक	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	तालाब मरम्मत, रटावद	जरोयो	22/ 31.8.95	10,000	3300	जारी हो चुका	पूर्ण	–	–
2.	कायन हाउस निर्माण, रटावद	" "	" "	17,500	15673	" "	"	–	–
3.	प्रा.शा.भ.निर्माण, शंकरपुरा	" "	12300 –14/ 23.2.93	90,500	78667	–	अपूर्ण	मई,99 तक	कार्य प्रगति पर
4.	प्रा.शा.,रटावद में दो कमरा मय बरामदा	सुरोयो	7723 –29/ 28.2.98	1,17,000	116821	जारी हो चुका	पूर्ण	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	रा.मा.वि.,रटावट में भवन निर्माण	सांसद स्था.क्षेत्र	2267 –76/ 23.6.67	200,000	1,97609	" "	"	—	
6.	खरंजा निर्माण, उण्डा	जरोयो	11–12/ 12.6.96	50,000	26,260	" "	"	—	
7.	सार्व.कुण्ड मरम्मत, जगनाथपुरा	" "	" "	12,500	5,160	" "	"	—	
8.	प्रा.शा.,उण्डा में दो कमरे	सुरोयो	9665 –71/ 29.3.97	95,000	56,800	—	अपूर्ण	जून,99 तक	" "
9.	खरंजा निर्माण तालाब मोरी से हीरालाल खाती तक रटावद	जरोयो	17–18/ 26.6.97	40,000	39,370	जारी हो चुका	पूर्ण	—	
10.	खरंजा हेमराज नागर के मकान से रटावद	" "	" "	25,000	24,775	" "	"	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	खरंजा पुष्पदयाल मीणा के मकान से पुरेलिया	" "	" "	25,000	24993	" "	"	—	
12.	श्मशान घाट एवं टीन शैड निर्माण	" "	" "	20,000	19244	—	अपूर्ण	अप्रेल,99 तक	" "
13.	खरंजा मीणा के मन्दिर से हीरालाल खाती के मकान तक रटावद	" " "	8–9/ 17.4.98	40,000	35998	जारी हो चुका	पूर्ण	—	
14.	खंरजा हेमराज नागर के मकान से रटावद	जरोयो	8–9/ 17.4.98	25,000	24959	—	पूर्ण	—	ग्राम पंचायत द्वारा विवरण प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराने के कारण यू.सी.जारी नहीं हुई है
15.	ग्रेवल सड़क तुलसां से जगनाथपुरा	सुरोयो	9617 –20/ 26.12.98	456,000	225000	—	अपूर्ण	जून,99 तक	कार्य प्रगति पर
			योग	12,23,500	8,94,629				

ह०

अतिरिक्त कलक्टर (विकास)

बारां

नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र

482. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या नायक जाति राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति में आती है ? यदि हां, तो गजट की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) श्री गंगानगर जिले में क्या नायक जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है ?

(3) क्या तहसील करणपुर, भादरा (हनुमानगढ़) में नायक जाति के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं परन्तु कई तहसीलों में जारी नहीं किये जा रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) राज्य में कौनसी जातियां अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग में आती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976 के हिन्दी अनुवाद में अनुसूचित जातियों की सूची क्र.सं.–57 पर थोरी, नायक अंकित है तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची में क्र.सं.–10 पर नायकड़ा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक अंकित हैं।

(2) जी, हां। श्रीगंगानगर जिले में नायक जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। पूर्व में तहसील सादुल शहर क्षेत्र के नायक जाति के कुछ लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये थे, जो जिला कलेक्टर के ध्यान में आने पर उनके आदेश दिनांक 5.12.98 के अनुसरण में निरस्त कर दिये गये।

(3) तहसील करणपुर में वर्ष 1995 के पश्चात नायक जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के ही प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों की सूची क्रमशः परिशिष्ट "अ", "ब", "स" पर उपलब्ध है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तहसील करणपुर एवं पदमपुर में उत्पादित गन्ने की खरीद

483. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर की तहसील करणपुर व पदमपुर के किसानों को श्रीगंगानगर शुगर मिल्स ने सिंचाई विभाग से गन्ना उत्पादन बढ़ाने हेतु अतिरिक्त पानी देकर बड़ी मात्रा में गन्ना उत्पादित करवाया था ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में कितनी मात्रा में व किन–किन शर्तो पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गन्ने की फसल तैयार होने के समय सरकार ने किसान पर यह पाबन्दी लगाई थी कि वह तैयार फसल को गंगानगर शुगर मिल को चीनी/अन्य उत्पादन हेतु बेचेगा ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शुगर मिल्स ने जितने गन्ने की किसानों से बुवाई करवाई थी अब उस गन्ने को लेने से इन्कार कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रकरण में किसका दोष है और सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर व पदमपुर तहसीलों में क्रमशः 770 व 320 कृषकों (कुल 1090) द्वारा 875 है. व 325 है. (कुल 1200 है.) क्षेत्र में अतिरिक्त पानी से गन्ने की बुवाई की गई जिससे 5.50 लाख क्वि. गन्ना उत्पादन होने का अनुमान है। अतिरिक्त सिंचाई व शर्ते सिंचाई विभाग व गन्ना मिल से संबंधित है, फिर भी प्राप्त सूचना के आधार पर गन्ना फसल के लिये अतिरिक्त पानी निम्न शर्तो पर दिया जाता है :–

1. यह है कि चक के काश्तकार उन्हें दी जाने वाले पानी की मात्रा के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में केवल गन्ने का ही उत्पादन करेंगे और इस पानी का उपयोग अन्य क्षेत्र या अन्य फसल हेतु नहीं करेंगे।

2. काश्तकार सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित कर (आवयाना) देंगे।

3. काश्तकार फसल की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे तथा इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत गन्ना फेक्ट्री को देने के लिये पाबंद होंगे।

4. काश्तकार उत्पादित गन्ने को बीज के अतिरिक्त गुड़, रस, चारे व अन्य किसी काम में नहीं लेंगे।

(2) जी, हां। आदेश की प्रति संलग्न है। (एनेक्चर–ए)

(3) जी, नहीं।

ANNEXURE-A

Government of Rajasthan Industries (Group-I) Department

No. F.9(2)Ind/Gr.I/87 JAIPUR

Date :12 FEB.,1999

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause 8 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 delegated by Government of India, Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) vide notification No. G.S.R. 1127/Ess.Com/Sugarcane dated 16th July, 1966, the State Government hereby directs that in reserved areas of M/s Ganganagar Sugar Mills Ltd. :

The sugarcane grower or body of Sugarcane growers, after supplying 75% of their sugarcane produce to the Rajasthan Ganganagar Sugar Mills Ltd., shall be free to crush remaining sugarcane for the manufacture of Gur, Shakkar, Gul, Jaggery, Rab or Khandsari Sugar, as the case may be for this purpose no separate permit shall be required.

This order issues with immediate effect and shall remain in force till 31st May, 1999.

By order of the Governor,

Sd/-

(K.C.Gupta)

Dy Secy. ot the Govt.

प्रशिक्षित तकनीकी प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति

484. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लेब टेक्नीशियनों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो ज़िलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लेब टेक्नीशियनों को विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बेरोजगार लेब टेक्नीशियनों को रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा सुलभ करायेगी ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। जिलेवार लेब टेक्नीशियनों के रिक्त पदों की सूचना सदन की मेज पर

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

रख दी गई है।

(2) जी, हां। प्रशिक्षित लेब टैक्नीशियनों को नियुक्ति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी कर दिया है। प्रशिक्षित लेब टेक्नीशियनों के रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

लेब टेक्नीशियनों के रिक्त पदों की जिले वार सूचना

क्र.स.	जिले का नाम	रिक्त पदों की सूचना
1	2	3
01.	जयपुर	06
02.	दौसा	02
03.	सीकर	07
04.	झुंझुनूं	02
05.	धौलपुर	02
06.	बारां	26
07.	झालावाड़	19
08.	जोधपुर	10
09.	जालौर	30
10.	जैसलमेर	08
11.	सिरोही	13
12.	पाली	39
13.	बाड़मेर	11
14.	उदयपुर	38
15.	राजसमन्द	26
16.	बांसवाड़ा	26
17.	डूंगरपुर	19
18.	चित्तौड़गढ़	22
19.	अजमेर	05
20.	टोंक	17
21.	नागौर	41
22.	भीलवाड़ा	19
23.	चूरू	16
24.	गंगानगर	19
25.	हनुमानगढ़	21
	योग	444

निगम बसों का ग्रामों में रात्रि ठहराव

485. **श्री श्रीचन्द कृपलानी(निम्बाहेड़ा) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम की कितनी बसें रात्रि में तहसील, पंचायत समितियों व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ठहराव करती है ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ज्यादा से ज्यादा बसों का रात्रि ठहराव गांवों में रखने का विचार

(श्री श्रीचन्द् कृपलानी)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नही तो क्यों ?

उत्तर

(1) निगम द्वारा संचालित 433 बसें तहसील मुख्यालय, 275 बसें पंचायत समिति मुख्यालय एवं 728 बसें ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर रात्रि विश्राम करती हैं जिसकी सूची परिशिष्ट—1 में उपलब्ध है।

(2) जी, हां। जिन गांवों/ग्राम पंचायत मुख्यालयों/पंचायत समिति मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों से प्रातः वाहनों के जल्दी प्रस्थान करने पर पर्याप्त यात्री भार मिलता हो तथा सायंकालीन बसें सेवाओं को भी उक्त स्थानों के लिए पर्याप्त सीधा यात्रीभार उपलब्ध होता है, उन स्थानों पर रात्रि विश्राम करवाया जाना सम्भव हो पाता है।

परिशिष्ट-1

तहसील मुख्यालयों/पंचायत समिति मुख्यालयों/ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम करने वाली निगम वाहनों की संख्या

क्र.स.	नाम आगार	तहसील	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	12	16	1
2.	डीलक्स	6	—	1
3.	दौसा	21	—	49
4.	झालाना डूंगरी	11	—	58
5.	सांगानेर	2	—	33
6.	वैशाली नगर	24	—	46
7.	विधाधर नगर	11	1	60
8.	कोटपूतली	2	2	15
9.	अजमेर	17	11	19
10.	अंजयमेरू	12	24	20
11.	नागौर	4	24	3
12.	भीलवाड़ा	—	—	21
13.	ब्यावर	26	3	20
14.	सीकर	14	27	35
15.	झुंझुनूं	9	12	3
16.	खेतड़ी	11	—	9
17.	चूरू	8	—	2
18.	अलवर	9	11	21
19.	मत्स्य नगर	—	6	23
20.	तिजारा	13	3	2
21.	लोहागढ़	24	—	12
22.	भरतपुर	5	5	10
23.	हिण्डौन	2	6	6
24.	धौलपुर	8	1	—
25.	उदयपुर	13	2	25

1	2	3	4	5
26.	बांसवाड़ा	2	1	9
27.	डूंगरपुर	–	5	21
28.	चितौड़गढ़	23	15	14
29.	कोटा	3	3	21
30.	टौंक	1	10	17
31.	बारां	9	7	8
32.	झालावाड़	4	7	14
33.	बूंदी	8	2	17
34.	जोधपुर	8	–	14
35.	आबूरोड	24	–	12
36.	बाड़मेर	5	3	14
37.	फालना	10	4	7
38.	जालौर	16	2	5
39.	सिरोही	5	12	8
40.	फलौदी	8	–	6
41.	बीकानेर	5	6	14
42.	अनूपगढ़	5	8	5
43.	गंगानगर	3	8	4
44.	हनुमानगढ़	9	20	12
45.	सरदारशहर	9	8	9
46.	पाली	12	–	3

तहसील बयाना एवं बसेड़ी की क्षतिग्रस्त सड़कें

486. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बयाना–बसेड़ी की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

(2) क्या धोबी की तिबरिया से बडरिया वाली सड़क पर पुलिया के निर्माण का ठेका सरकार द्वारा दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(3) अब तक पुलिया का निर्माण नहीं होने के क्या कारण रहे हैं ? अब कब तक पुलिया का निर्माण करवा दिया जायेगा ?

(4) बसेडी से मासलपुर एवं बसेड़ी से बागघर, धोबी की तिबरिया से बडरिया वाली सड़कों की मरम्मत कब–कब हुई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक मरम्मत करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) बयाना तहसील में कुल 188.5 कि. मी. लम्बाई की सड़कों में से 170 कि.मी. लम्बाई की सड़कें ठीक हैं। शेष 18.5 कि.मी. लम्बाई की सड़कों पर मरम्मत की आवश्यकता है। साधारण मरम्मत का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया है जो एक बार जून, 99 तक सम्पन्न करने के पश्चात वर्षा ऋतु के बाद आवश्यकतानुसार सम्पन्न की जायेगी।

साधारण मरम्मत के अतिरिक्त वर्ष

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1999–2000 में आयोजना व गैर आयोजना मद में 14.5 कि.मी. लम्बाई में नवीनीकरण/सुधारीकरण का कार्य 49.00 लाख रुपये की लागत का प्रस्तावित है। बसेड़ी तहसील में कुल 103 कि.मी. लम्बाई की सड़कों में से लगभग 73 कि.मी. लम्बाई की सड़कें ठीक है, शेष 30 कि.मी. सड़क लम्बाई में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है।

साधारण मरम्मत के अतिरिक्त वर्ष 1999–2000 में आयोजना मद में 51.00 लाख रुपये की लागत का नवीनीकरण/ सुधारीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

(2) जी, हां। धोबी की तिबरिया से बड़रिया वाली सड़क पर पुलिया के निर्माण का ठेका मैसर्स राजस्थान ट्रेडिंग कारपोरेशन चूरू को दिनांक 18.9.95 को दिया गया। लेकिन संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ देने के कारण नियमानुसार उनसे कार्य वापस लेकर दूसरे संवेदक श्री बंगाली सिंह को दिनांक 13.10.98 को आवंटित किया गया। लेकिन उनके द्वारा भी कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही कर कार्य वापस ले लिया गया। तत्पश्चात् कार्य की निविदाएं पुनः आमंत्रित कर तीसरे संवेदक श्री राधेश्याम मीणा के पक्ष में दिनांक 27.3.99 को न्यूनतम दर स्वीकृत कर परफोरमेंस गारंटी जमा कराने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। संवेदक द्वारा पी.जी. जमा कराने के पश्चात् कार्य आवंटित कर दिया जायेगा।

(3)मूल ठेकेदार मैसर्स राजस्थान ट्रेड़िग कारपोरशन चूरू एवं उसके बाद के ठेकेदार श्री बंगाली सिंह के द्वारा कार्य नहीं करना ही पुलिया का निर्माण नहीं होने के कारण रहे हैं। अब उक्त पुलिया निर्माण हेतु श्री राधेश्याम मीणा संवेदक के पक्ष में न्यूनतम दर स्वीकृत की गई है एवं संवेदक को पी.जी. जमा कराने हेतु लिखा गया है। इस कार्य की आमंत्रित निविदानुसार यह कार्य सितम्बर, 99 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

(4) पिछले कुछ वर्षो में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सड़कों की मरम्मत हेतु बजट आवंटन न होने के कारण अपेक्षित मात्रा में नवीनीकरण/सुधारीकरण के कार्य नहीं कराये जा सके।

सड़कवार विवरण निम्नप्रकार है :

1. बसेड़ी से मासलपुर :- इस सड़क की कुल लम्बाई 18 कि.मी. है जिसमें से 12 कि.मी. सड़क लम्बाई में मरम्मत का कार्य माह फरवरी, 99 तक करवा दिया गया है। शेष 6 कि.मी. सड़क लम्बाई में विशेष मरम्मत की आवश्यकता है। वर्ष 1999–2000 के सड़क मरम्मत/सुधार कार्यक्रम के तहत 10.00 लाख रुपये की लागत का कार्य प्रस्तावित है।

2. बसेड़ी से बागघर :- इस सड़क की कुल लम्बाई 5 कि.मी. है एवं इनमें विशेष

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

मरम्मत की आवश्यकता है, इसके लिए 20.00 लाख रुपये की आवश्यकता है। उक्त सड़क की मरम्मत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकताओं पर निर्भर है।

3. धोबी की तिबरिया से बडरिया :- इस सड़क पर साधारण मरम्मत का कार्य माह जून, 99 तक करवाया जाना प्रस्तावित है।

अरावली परियोजना बेरीनाला (चित्तौड़गढ़) का विश्राम भवन

487. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चितौड़गढ़) : क्या वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अरावली परियोजना चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष योजना बनाकर बेरीनाला नामक स्थान पर एनीकट का निर्माण करवाकर तथा गेस्ट हाउस बना कर उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है ? यदि नहीं, तो एनीकट पर कुल कितना अनावश्यक निर्माण करवाया गया है एवं उस पर कितनी राशि व्यय हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थल पर राजकीय राशि का अनावश्यक व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) बेरीनाला क्षेत्र के लिये पृथक से विशेष योजना स्वीकृत नहीं की गई है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत बेरीनाला में दो एनीकट वर्ष 1995–96 व 1996–97 में बनवाये गये तथा एक एनीकट वर्ष 1998–99 में आशवासित रोजगार योजना के अन्तर्गत बनवाया गया है। इस प्रकार कुल तीन एनीकट बनाये गये हैं। जिन पर 8.98 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है।

इसके अतिरिक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण करने के उद्देश्य से दीवार बनाने, झोपे बनाने, वाकिंग ट्रेल बनाने, वाच टावर बनाने, टेरेसिंग निर्माण करने तथा सौन्दर्यीकरण वृक्षारोपण करने पर कुल 1.80 लाख रुपयों की धन राशि व्यय की गई है। एनीकट बनाने से क्षेत्र में जल स्तर बढ़ा है तथा अन्य कार्यों से क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण हुआ है। अतः अनावश्यक व्यय नहीं हुआ है। इस स्थल पर कोई गेस्ट हाउस नहीं बनाया गया है।

(2) एनीकट बनाये जाने से क्षेत्र में जल संरक्षण हुआ है तथा सौन्दर्यीकरण कार्यों से स्थल सुरम्य एवं मनभावन हो गया है। अतः किया गया व्यय सार्थक सिद्ध हुआ है।

पंचायत समिति कोटकासिम व कठूमर का मेवात क्षेत्र में विलय

488. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति कोटकासिम एवं कठूमर (अलवर) में मेव जाति की कितनी जनसंख्या है ?

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(2) क्या सरकार पंचायत समिति कोटकासिम को मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक।

(3) क्या सरकार "मेवात" शब्द का अर्थ मेवात कल्चर अथवा मेव जाति मानती है ?

उत्तर

(1) सेन्सस बुक में धर्म के आधार पर जनसंख्या का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अलवर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंचायत समिति कोटकासिम एवं कठूमर में मेव जाति की जनसंख्या क्रमशः 2600 एवं 3875 है।

(2) जी, नहीं।

(3) सरकार "मेवात" शब्द का अर्थ मेव जाति से मानती है।

पंचायत समिति शिव (बाड़मेर) की बुनकर शालाओं का भुगतान

489. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 –93 में जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव में बुनकर शालाएं बनी थीं ? यदि हां, तो स्वीकृत की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि रूई बुनकर शालाओं के पूर्णता प्रमाण–पत्र भी दिए जा चुके हैं किन्तु उनका भुगतान आज तक नहीं हुआ ?

(3) क्या सरकार उक्त बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1992–93 में बाड़मेर की शिव पंचायत समिति में 116 बुनकर शाला एवं 8 शिल्पी शाला कुल 124 की स्वीकृति जारी हुई थी, स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है।

कुल स्वीकृत 124 कार्यों में से 3 निरस्त हो गये, शेष 121 बुनकर शाला, शिल्पी शाला में से 99 की सीसी जारी हो चुकी है, जिसमें से 77 का पूर्ण भुगतान हो चुका है शेष 22 बुनकर शाला/शिल्पी शाला के पूर्णता की सूचना एवं वर्ष 1996–97 में प्राप्त हुई थे। चूंकि सीसी तीन वर्ष से अधिक की अवधि के व्यतीत होने के बाद प्राप्त हुई है। अतः अंतिम किस्त के भुगतान की कार्यवाही अब की जा रही है। प्रार्थियों की सूची संलग्न है।

(2) बुनकर शालाओं/शिल्पी शालाओं के 22 लाभार्थियों से निर्माण की सूचना आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण इनकी सीसी प्राप्त नहीं होने के कारण अंतिम किश्त की राशि का भुगतान नहीं हो सका, प्रार्थियों की सूची संलग्न है।

(3) निगम से बकाया भुगतान नियम अनुसार करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

तीर्थराज पुष्कर पर निर्मित चेकडेम

490. **श्री रमजान खान (पुष्कर)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में सरकार ने तीर्थराज पुष्कार में आने वाली मिट्टी को रोकने के लिए खरकेड़ी फीडर पर जगह–जगह चेकडेम बनवाये हैं ? यदि हां, तो गत वर्षों में कितने चेकडेम बनाये गये और उस पर कितनी राशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बनाये गये अधिकतर चेकडेम वर्षा के पानी से टूट गये हैं और इन चेकडेमों से मिट्टी के बहाव को रोकने में कोई मदद नहीं मिली ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि वर्ष 91 से 94 के बीच में तीर्थराज पुष्कर में आने वाली मिट्टी को रोकने के लिये खरकेडी फीडर पर जगह–जगह चेकडेम (गेबियन) बनाये गये हैं। खरकेडी मेन फीडर में उक्त अवधि के दौरान आठ चेकडेम (गेबियन) बनाये गये हैं जिन पर कुल 9.70 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। सूची एनेक्चर एक पर उपलब्ध है।

(2) जी, नहीं।

एनेक्चर-1

खरकेड़ी फीडर के अन्तर्गत चेकडेम (गेबियन) के निर्माण पर किये गये व्यय का विवरण

क्र.सं.	गेबियन स्ट्रेक्चर संख्या	लागत (लाखों रुपयों में)
1.	1	0.90
2.	2	1.30
3.	3	1.27
4.	4	1.40
5.	5	1.05
6.	6	1.10
7.	7	1.30
8.	8	1.38
	कुल	9.70

राजकीय चिकित्सालयों/ डिस्पेंसरियों का समय परिवर्तन

491. **श्रीमती यासमीन अबरार(सवाई माधोपुर)** : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार शहरी चिकित्सालयों/ डिस्पेंसरियों को पुनः सुबह व शाम को खुलवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्था से सरकारी कर्मियों/मजदूरों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इसके समाधान

(श्रीमती यासमीन अबरार)
हेतु क्या करने जा रही है ?

(3) क्या सरकार चिकित्सकों की प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसको रोकने के लिए क्या कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के वंचित ग्रामों में निगम बस सेवा

492. **श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्राम संगरिया व रावतसर मार्ग पर कोई निगम की बस सेवाएं नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि रावतसर, टिब्बी, संगरियां एवं मोधूनगर को परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब उक्त ग्रामों को कब तक बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्राम संगरिया व रावतसर के लिए निगम द्वारा विभिन्न मार्गो पर संचालित क्रमशः 26 एवं 194 परिचक्र दैनिक संचालन हेतु निर्धारित है।

(2) जी, नहीं। रावतसर एवं संगरिया ग्रामों तक/होकर तो निगम की पर्याप्त बस सेवायें संचालित है, परन्तु रावतसर टिब्बी–संगरिया अराष्ट्रीयकृत (पंचम अध्याय का) मार्ग होने एवं उक्त मार्ग सेम से ग्रस्त होने के कारण विभिन्न स्थानों पर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से वर्तमान परिस्थितियों में निगम द्वारा बस संचालन किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है। इसी प्रकार रावतसर से मोधूनगर भी अराष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण वर्तमान में निगम बस सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-563 की सूची)

वन मण्डल में वर्ष 1998-99 में चराई शुल्क हेतु वसूल की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम रेंज	वसूल की गई राशि (रुपयों में)
1.	श्रीडूंगरगढ़	8350/–
2.	चूरू	7675/–
3.	राजगढ़	440/–
4.	सरदारशहर	900/–
5.	रतनगढ़	5515/–
	योग	22,880/–

डाबला बीड में स्थित कुंडों/टांकों का विवरण

क्र.सं.	टांकों/कुंडों का लोकेशन	माप		विशेष विवरण
1.	डाबला बीड के अन्दर	(1) कुंड का बाहरी व्यास	3.8मीटर	कुंड झाझड़ा पत्थर एवं चुनू का बना हुआ है अन्दर सीमेन्ट का प्लास्तर है छत टूटी हुई है दरवाजा नहीं हैं । कुंड में पानी है परन्तु पीने योग्य नहीं है।
		(2) कुंड का अंदरूनी व्यास	3.00मीटर	
		(3) पायतन सहित कुंड का व्यास	22 मीटर	
		(4) कुंड की गहराई	4.3 मीटर	
		(5) पायतन से ऊपर कुंड की चिनाई की ऊंचाई	0.45 मीटर	
2.	डाबला चौकी के पास स्थित कुंड	(1) कुंड की लम्बाई	3.45 मीटर	कुंड झाझडा पत्थर एवं चूने की चिनाई से बना हुआ है, अंदर सीमेंट की हुई है। कुंड में पानी है, परन्तु पीने योग्य नहीं है।
		(2) कुड की चौड़ाई	6.70 मीटर	
		(3) कुंड की गहराई	4 मीटर	
		(4) पायतन सहित कुंड की लम्बाई	18.8 मीटर	
		(5) पायतन सहित कुंड की चौड़ाई	15.6 मीटर	
		(6) पायतन की दीवार की ऊंचाई	0.45 मीटर	
		(7) पायतन से कुंड की ऊंचाई	1.05 मीटर	
		(8) पायतन की टूटी हुई दीवार की लम्बाई	55.40 मीटर	

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-595 की सूची)

क्र.सं.	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1.	6 एल. एन. पी.
2.	स्यागांवाली
3.	आक्कावाली
4.	बख्तावाली
5.	नेतेवाली
6.	महियांवाली
7.	नाथावाली
8.	4 एम. एल. (नीमावाली)
9.	3 एम. एल.
10.	जवाहर नगर, गंगानगर
11.	भागसर
12.	कालूवाला
13.	25 एम. एल.
14.	तखरांवाली
15.	पाण्डीतावाली
16.	11 टी. के. डब्ल्यू.
17.	मनफूलसिंहवाला
18.	लठावाली
19.	ढिगांवाली

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-596 की सूची)

वर्ष 1998-99 में पाली जिले में स्वीकृत एवं स्थानान्तरित उप केन्द्रों में पदस्थापित एवं रिक्त स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	उप केन्द्र का नाम	स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बहुउद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष)	पार्ट टाइम स्वीपर
1	2	3	4	5	6
1.	रोहट	बीजा	श्रीमती सरला पुरोहित	पद रिक्त	पद रिक्त
2.	पाली	आइचिया	श्रीमती कलारा कुट्टी	पद रिक्त	पद रिक्त

1	2	3	4	5	6
3.	सोजत	पाचुन्दाकलां	श्रीमती मालती गुप्ता	श्री अब्दुल रहीम शेख	पद रिक्त
4.	यथा	दुण्डालाम्बोड़ी	पद रिक्त	पद रिक्त	पद रिक्त
5.	रानी	प्रपातगढ़	श्रीमती अरूणा	पद रिक्त	पद रिक्त
6.	यथा	बिगरलापद	रिक्त	पद रिक्त	पद रिक्त
7.	यथा	गावाड़ा	श्रीमती ज्योत्साना शर्मा	पद रिक्त	पद रिक्त
8.	जैतारण	ठाकुरवास	श्रीमती मनभरी देवी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निमाज में कार्यरत)	पद रिक्त	पद रिक्त
9.	यथा	प्रतापपुरा	श्रीमती योगिता यादव	पद रिक्त	पद रिक्त
10.	यथा	कांवलियाकलां	श्रीमती कमला जोशी	पद रिक्त	पद रिक्त
11.	दोहरी चिकित्सा संस्थानों से स्थानान्तरित				
1.	जैतारण	बिकरलाई	श्रीमती सीमा सोलंकी	पद स्वीकृत नहीं	पद स्वीकृत नहीं
2.	यथा	खेडामहाराजपुर	श्रीमती कविता पंवार	यथा	यथा

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-601 की सूची)

राज्य में एन्टीरेबीक वैक्सीन ट्रीटमेन्ट सेन्टरों का जिलेवार विवरण

जिले का नाम	एन्टीरेबीक ट्रीटमेन्ट सेन्टरों के नाम
1	2
1.बीकानेर	1. राजकीय अस्पताल, बीकानेर
	2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नोखा
2.चूरू	3. सामान्य अस्पताल, चूरू
	4. राजकीय अस्पताल,सुजानगढ़
	5. राजकीय अस्पताल, राजगढ़
	6. राजकीय अस्पताल, सरदार शहर
	7. राजकीय अस्पताल, राजलदेसर
	8. राजकीय अस्पताल, तारानगर
	9. राजकीय अस्पताल, बीदासर
	10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांखू

1	2
	11. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पड़िहारा
	12. राजकीय अस्पताल, रतनगढ़
3.गंगानगर	13. सामान्य अस्पताल, गंगानगर
	14. राजकीय अस्पताल, सूरतगढ़
	15. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायसिंहनगर
	16. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करणपुर
	17. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सादुलशहर
	18. राजकीय डिस्पेंसरी, पदमपुर
	19. राजकीय डिस्पेंसरी, विजयनगर
4.हनुमानगढ़	20.राजकीय अस्पताल, भादरा
	21. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगरिया
	22. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रावतसर
5.नागौर	23. सामान्य अस्पताल, नागौर
	24. राजकीय अस्पताल, मेड़तासिटी
	25. राजकीय अस्पताल, परबतसर
	26. राजकीय अस्पताल, मकराना

1	2
	27. राजकीय अस्पताल, डीडवाना
	28. राजकीय अस्पताल, बोरावड़
	29. राजकीय अस्पताल, मूण्डवा
	30. राजकीय अस्पताल, कुचेरा
	31. राजकीय अस्पताल, कुचामनसिटी
	32.रैफरल अस्पताल, मोलासर
	33. राजकीय डिस्पेंसरी, नावां
	34. राजकीय डिस्पेंसरी, छोटी खाटू
	35. राजकीय डिस्पेंसरी, लाडनूं
	36. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी
	37. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेगाना
	38. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर
	39. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गच्छीपुरा
	40. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुकनवाली
	41. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डेह
	42. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़
	43. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रियांबड़ी

1	2
6.बाड़मेर	44. सामान्य अस्पताल, बाड़मेर
	45. राजकीय अस्पताल, बालोतरा
7.जैसलमेर	46. सामान्य अस्पताल, जैसलमेर
	47. रैफरल अस्पताल, पोकरण
8.जालौर	48. सामान्य अस्पताल, जालौर
	49. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर
	50. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीनमाल
	51. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांचोर
9.जोधपुर	52. राजकीय अस्पताल, फलौदी
	53. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़शहर
	54. राजकीय अस्पताल, बाप
	55. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेश्वर
	56. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलवा
10.पाली	57. सामान्य अस्पताल, पाली
	58. राजकीय अस्पताल, रानी
	59. राजकीय अस्पताल, रायपुर
11.सिरोही	60. सामान्य अस्पताल, सिरोही

1	2
	61. राजकीय अस्पताल, रोहिडा
	62. राजकीय अस्पताल, जवाल
	63. राजकीय अस्पताल, पिण्डवाड़ा
	64. राजकीय अस्पताल, शिवगंज
	65. राजकीय अस्पताल, माउण्ट आबू
	66. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वरूपगंज
	67. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेवदर
12.अजमेर	68. ए.के.अस्पताल, ब्यावर
	69. वाई.एन.अस्पताल, किशनगढ़
	70. राजकीय अस्पताल, केकड़ी
	71. रैफरल अस्पताल, पीसांगन
	72. राजकीय अस्पताल, नसीराबाद
	73. राजकीय अस्पताल, पुष्कर
	74. राजकीय अस्पताल, विजयनगर
	75. राजकीय अस्पताल, भिनाय
13.अलवर	76. राजकीय अस्पताल, बहरोड
	77. सामान्य अस्पताल, अलवर
14.भरतपुर	78. सामान्य अस्पताल, भरतपुर

1	2
	79. राजकीय अस्पताल, बयाना
	80. राजकीय अस्पताल, डीग
15.धौलपुर	81. सामान्य अस्पताल, धौलपुर
	82. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाड़ी
	83. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,बसेड़ी
	84. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेड़ा
16.जयपुर	85. वी.डी.एम.हास्पिटल, कोटपूतली
	86. राजकीय अस्पताल, सांभर
	87. राजकीय अस्पताल, सामोद
	88. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुरा कलां
	89. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमरसर
	90. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनगढ़ रेनवाल
	91. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फागी
	92. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालाडेरा
	93. राजकीय डिस्पेन्सरी, गांधीनगर
	94. राजकीय डिस्पेन्सरी, पुरानी बस्ती,

1	2
	95. राजकीय डिस्पेन्सरी, बनीपार्क
	96. राजकीय डिस्पेन्सरी, तोपखाना देश
	97. राजकीय डिस्पेन्सरी, फुलेरा
17.दौसा	98. राजकीय अस्पताल, दौसा
	99. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरा
	100. राजकीय अस्पताल, बांदीकुई
18.झुंझुनूं	101. बी.डी.के.होस्पिटल, झुंझुनूं
	102. रैफरल अस्पताल, उदयपुरवाटी
	103. के.सी.सी.अस्पताल, खेतड़ी
	104. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सूरजगढ़
19.सीकर	105. एस.के.हास्पिटल, सीकर
	106. राजकीय अस्पताल, श्रीमाधोपुर
	107. राजकीय अस्पताल, गुहाला
	108. राजकीय अस्पताल, रींगस
	109. राजकीय अस्पताल, कांवट
	110. राजकीय अस्पताल, खण्डेला

1	2
	111. राजकीय अस्पताल, सिरोही
	112. राजकीय अस्पताल, राजगढ़
	113. कपिलदेव होस्पिटल, नीमकाथाना
	114. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मणगढ़
	115. राजकीय अस्पताल, अजीतगढ़
20.सवाई माधोपुर	116. सामान्य अस्पताल, सवाईमाधोपुर
	117. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगापुरसिटी
21.करौली	118. सामान्य अस्पताल, करौली
	119. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डौन सिटी
22.बूंदी	120. सामान्य अस्पताल, बून्दी
	121. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हिण्डोली
23.झालावाड़	122. सामान्य अस्पताल, झालावाड़
	123. रैफरल अस्पताल, पिण्डावा
24.कोटा	124. राजकीय अस्पताल, सांगोद
	125.राजकीय अस्पताल, रामगंजमण्डी

1	2
	126. राजकीय अस्पताल, इटावा
25.बारां	127. राजकीय अस्पताल, बारां
	128. रैफरल अस्पताल, केलवाड़ा
26.टोंक	129. सहादत अस्पताल, टोंक
	130. राजकीय होस्पिटल, देवली
	131. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मालपुरा
	132. राजकीय डिस्पेन्सरी, निवाई
27.बांसवाड़ा	133. एस.जी.हास्पिटल, बांसवाड़ा
	134. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुशलगढ़
28.भीलवाड़ा	135. एम.जी.हास्पिटल, भीलवाड़ा
	136. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हुरडा
	137. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर
	138. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहाजपुर
	139. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शाहपुरा
29.चित्तौड़गढ़	140. सामान्य अस्पताल, प्रतापगढ़

1	2
	141. राजकीय अस्पताल, चित्तौड़गढ़
30.डूंगरपुर	142. सामान्य अस्पताल, डूंगरपुर
	143. रैफरल अस्पताल, सागवाड़ा
	144. रैफरल अस्पताल, सीमलवाड़ा
31.उदयपुर	145. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रिखबदेवजी
32.राजसमन्द	146. राजकीय अस्पताल, नाथद्वारा
	147. राजकीय अस्पताल, राजसमन्द
	148. प्राथमिंक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेट
33.जयपुर मेडिकल कालेज से संबंधित चिकित्सालय	149. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डावर
	150. एस.एम.एस.मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, जयपुर
	151. जे.एल. हास्पिटल, अजमेर
	152. एम.जी. हास्पिटल, जोधपुर
	153. आर.एन.टी. हास्पिटल, उदयपुर
	154. पी.बी.एम.हास्पिटल,बीकानेर
	155. एम.बी.एम.हास्पिटल,कोटा

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-603 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर (राज.)

क्रमांक/सामा/83/20/626 दिनांक 26.12.83

कार्यालय आदेश

श्री नरपत सिंह कछावाह, मेलनर्स ग्रेड—II राजकीय चिकित्सालय, पावंटा, जोधपुर, राजकीय आवास गृह सी 68/3 में निवास कर रहे हैं, जो चिकित्सालय आवास सभी प्रकार की इमरजेन्सी जो भी चिकित्सालय में आती है जिन्हें अटेण्ड करते हैं। आर.एस.आर. द्वितीय खण्ड के परिशिष्ट "ग" के भाग 7 के अनुच्छेद—11 के अनुसरण में श्री नरपत सिंह कछावाह, मेलनर्स ग्रेड—II की आवास गृह नं. सी. 68/3 को 1.12.83 से किराया मुक्त आवास सुविधा का उपभोग करने का आदेश दिया जाता है।

हा.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जोधपुर

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-609 की प्रति)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बड़ी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़

दिनांक 7.8.98

जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के आदेश. क्रमांक ओ.एस./जांच–98/10/079 दिनांक 30.7.98 के अनुसार निकुम्भ ग्राम पंचायत के रेकार्ड की एवम् पंचायत समिति बड़ी सादड़ी के ग्राम पंचायत निकुम्भ की रेकार्ड संबंधी की प्राप्ति की जाकर जांच की गई। इसमें शिकायतकर्ताओं व जिनके विरुद्ध शिकायत हुई है, को दिनांक 6.8.98 को तलब कर बयान लिये गये।

ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर को आद्योपांत निरीक्षण से प्रथम दृष्टया दिनांक 14.5.98 की कार्यवाही में उपस्थित सदस्यों की संख्या में दो अतिरिक्त नाम क्रमशः श्री कालूलाल सोनी, शान्ता बाई बढ़ाये जाने की शिकायत सही प्रतीत होती है। इसमें इन नामों को लिखने की हस्तलिपि एवम् स्याही अन्य प्रथम पांच नाम की हस्तलिपि एवम् स्याही से अलग है।

इस तथ्य को पंचायत समिति का रेकार्ड भी पुष्ट करता है। वहां ग्राम पंचायत द्वारा एक ही बैठक दिनांक 14.5.98 की कार्यवाही की दो अलग–अलग रिपोर्ट भेजी है। जिससे प्रथम रिपोर्ट में उपस्थित सदस्यों की संख्या 5 है एवम् दूसरी रिपोर्ट में 7 सदस्य उपस्थित दर्शाये हैं। दोनों की रिपोर्टस पर ग्राम सचिव के हस्ताक्षर है जो कि श्री गोर्द्धन लाल कुम्हार से हस्ताक्षरित होकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है।

प्रथम दृष्टया यह मामला रेकार्ड में हेराफेरी का लगता है एवम् इसमें ग्राम सरपंच एवम् ग्राम सचिव का कार्य सन्देह की परिधि में आना प्रतीत होता है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि उक्त दोनों सदस्यों के सरपंच पक्ष के होने से इनके विरुद्ध कार्यवाही का सीधा असर सरपंच के हितों पर एवम् उसके सरपंच बने रहने के अस्तित्व पर पड़ता है। अतः संपूर्ण प्रकरण में ग्राम पंचायत सरपंच की हित बद्धता निर्विवाद है।

हा.

उप खण्ड अधिकारी

बड़ी सादड़ी

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-610 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

नाम विद्यालयों की सूची

क्र.स.	नाम विद्यालय
1.	प्रा. वि. मूरलिया
2.	प्रा. वि. लक्ष्मीपुरा
3.	प्रा. वि. रसूलपुरा
4.	प्रा. वि. बांसा
5.	प्रा. वि. पिपलियागदिया
6.	प्रा. वि. चरलियागदिया
7.	प्रा. वि. रावलिया
8	प्रा. वि. अहीरपुरा
9.	प्रा. वि. कानपुरा
10.	प्रा. वि. करथाना
11.	प्रा. वि. पायरी
12.	प्रा. वि. साण्ड
13.	प्रा. वि. सीताराम जी का खेड़ा
14.	प्रा. वि. रामाखेडा
15.	प्रा. वि. मांगरोल
16.	प्रा. वि. अरनियाजोशी
17.	प्रा. वि. अ. पालीवाल
18.	प्रा. वि. कृपाराम जी की खेड़ी
19.	प्रा. वि. सरथल
20.	प्रा. वि. नवाबपुरा
21.	प्रा. वि. मोह. पुरा
22.	प्रा. वि. भुज्याखेड़ी
23.	प्रा. वि. फाचरसोलंकी
24.	प्रा. वि. टीलाखेड़ा
25.	प्रा. वि. शाहबाद
26.	प्रा. वि. मोठा
27.	प्रा. वि. मेवासा
28.	प्रा. वि. अरनोदा
29.	प्रा. वि. चरलियामेवासा
30.	प्रा. वि. पेमदियाखेड़ा
31.	प्रा. वि. खापरियाखेड़ी
32.	प्रा. वि. मेवासाकी ढाणी
33.	प्रा. वि. नरसिंहगढ़
34.	प्रा. वि. सिगवाडिया
35.	प्रा. वि. खेडाजदीद
36.	प्रा. वि. घटेरा
37.	प्रा. वि. कदमाली
38.	प्रा. वि. नरसाखेडी
39.	प्रा. वि. कासोद
40.	प्रा. वि. चांदखेडा
41.	प्रा. वि. मड्डागुलफरोशान
42.	प्रा. वि. किशनपुरा
43.	प्रा. वि. मकनपुरा

क्र.स.	नाम विद्यालय
44.	प्रा. वि. सापलिया
45.	प्रा. वि. भेरूखेडा
46.	प्रा. वि. बामनिया
47.	प्रा. वि. खारा
48.	प्रा. वि. कचरियाखेड़ी
49.	प्रा. वि. धीनवा
50.	प्रा. वि. ऊंचा
51.	प्रा. वि. सांगरिया
52.	प्रा. वि. साकरिया
53.	प्रा. वि. भट्टकोटड़ी
54.	प्रा. वि. लसडावन
55.	प्रा. वि. फलवा
56.	प्रा. वि. चंगेडी
57.	प्रा. वि. झाडसादडी
58.	प्रा. वि. मण्डावली
59.	प्रा. वि. बोराखेडी
60.	प्रा. वि. माल्याखेडी
61.	प्रा. वि. कन्धारिया
62.	प्रा. वि. पालडी
63.	प्रा. वि. भेमली
64.	प्रा. वि. रणछोडपुरा
65.	प्रा. वि. कल्याणपुरा
66.	प्रा. वि. सेगवा
67.	प्रा. वि. माध्याखेडी

क्र.स.	नाम विद्यालय
98.	प्रा. वि. अरनियामाली
69.	प्रा. वि. रठांजना
70.	प्रा. वि. पिपलिया कलां
71.	प्रा. वि. आक्या
72.	प्रा. वि. डलाशोभावली
73.	प्रा. वि. कोटडीखुर्द
74.	प्रा. वि. सरलाई
75.	प्रा. वि. शोभावली
76.	प्रा. वि. केली
77.	प्रा. वि. बरखेडा मोठा
78.	प्रा. वि. बोरखेडी (गजय)
79.	प्रा. वि. बिनोता
80.	प्रा. वि. टाटरमाला
81.	प्रा. वि. बिरियाखेड़ी
82.	प्रा. वि. बरवाडा
83.	प्रा. वि. साजपुर
84.	प्रा. वि. विजयपुरा
85.	प्रा. वि. सोलतपुरा
86.	प्रा. वि. मण्डलाचारण
87.	प्रा. वि. कनेरा
88.	प्रा. वि. लुणखन्दा
89.	प्रा. वि. पीलखेडी
90.	प्रा. वि. श्रीपुरा
91.	प्रा. वि. श्रीनगर

क्र.स.	नाम विद्यालय
92.	प्रा. वि. धारेश्वर
93.	प्रा. वि. निम्बोदा की ढाणी
94.	प्रा. वि. अजोता
95.	प्रा. वि. मनोहरखेडी
96.	प्रा. वि. पानगढ़
97.	प्रा. वि. कोचबा
98.	प्रा. वि. बेनीपुरिया
99.	प्रा. वि. लक्ष्मीपुरा
100.	प्रा. वि. दीपपुरा
101.	प्रा. वि. रावलिया घाटा
102.	प्रा. वि. गढ़वाडा

हा.

विकास अधिकारी

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

कार्यालय पंचायत समिति, छोटी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पंचायत समिति, छोटी सादड़ी क्षेत्र में संचालित प्राथमिक विद्यालय की सूची

क्र.स.	नाम विद्यालय
1.	प्रा. वि. कांकरा
2.	प्रा. वि. करणपुरा कलां
3.	प्रा. वि. नेगडिया
4.	प्रा. वि. हीरसिंहजी का खेड़ा
5.	प्रा. वि. करणपुरा खुर्द
6.	प्रा. वि. सोमपुर कमोलिया
7.	प्रा. वि. रामाखेड़ा
8.	प्रा. वि. उण्डाटेला
9.	प्रा. वि. सांगरीखेड़ा
10.	प्रा. वि. नयाखेड़ा
11.	प्रा. वि. पीपलीखेड़ा
12.	प्रा. वि. मालीखेड़ा
13.	प्रा. वि. रावतपुरा
14.	प्रा. वि. उदपुरा
15.	प्रा. वि. कुलमिया
16.	प्रा. वि. नंनामा की भागल
17.	प्रा. वि. गुडली
18.	प्रा. वि. बम्बोरी
19.	प्रा. वि. गजपुरा
20.	प्रा. वि. प्रतापुरा
21.	प्रा. वि. लालपुरा
22.	प्रा. वि. हिंगोरिया
23.	प्रा. वि. हिरपुरा
24.	प्रा. वि. बमेरा मा.
25.	प्रा. वि. दूधीतलाई
26.	प्रा. वि. जलोदाजा
27.	प्रा. वि. मोतीपुरा

क्र.स.	नाम विद्यालय
28.	प्रा. वि. अखेपुर
29.	प्रा. वि. राजपुरिया
30.	प्रा. वि. भाटखेडी
31.	प्रा. वि. मानपुरा खा.
32.	प्रा. वि. हरमराकीरेल
33.	प्रा. वि. नावनखेडी
34.	प्रा. वि. ईंटों का तालाब
35.	प्रा. वि. कल्याणपुरा
36.	प्रा. वि. सज्जनपुरा
37.	प्रा. वि. छांणकलां
38.	प्रा. वि. जोधपुरिया
39.	प्रा. वि. जाखमिया
40.	प्रा. वि. साण्डीखेडा
41.	प्रा. वि. शिवपुरा
42.	प्रा. वि. जलोदा खुर्द
43.	प्रा. वि. देवखेडा
44.	प्रा. वि. आचारी
45.	प्रा. वि. खैरमालिया
46.	प्रा. वि. चरलिया
47.	प्रा. वि. भाटखेडा
48.	प्रा. वि. खेडा केसून्दा
49.	प्रा. वि. बम्बोरा ना.
50.	प्रा. वि. धामनिया रोड

क्र.स.	नाम विद्यालय
51.	प्रा. वि. केसून्दा
52.	प्रा. वि. मानपुरा भाटिया
53.	प्रा. वि. बागदरी
54.	प्रा. वि. मलावदा
55.	प्रा. वि. बसेडी कुण्डाल
56.	प्रा. वि. चाहखेडी
57.	प्रा. वि. जलपिण्डी
58.	प्रा. वि. गोठडा
59.	प्रा. वि. बरेखन
60.	प्रा. वि. कारूण्डा छात्रा
61.	प्रा. वि. कारूण्डा छात्र
62.	प्रा. वि. खेडी आर्यनगर
63.	प्रा. वि. महीनगर
64.	प्रा. वि. बलियाखेड़ा
65.	प्रा. वि. बरवाडा देवल
66.	प्रा. वि. बरबाडा गुजर
67.	प्रा. वि. जीवनपुरा
68.	प्रा. वि. रेवडा भाटिया
69.	प्रा. वि. साकरिया
70.	प्रा. वि. करकटी
71.	प्रा. वि. धामनिया जागीर
72.	प्रा. वि. स्वरूपगंज
73.	प्रा. वि. मुबई

क्र.स.	नाम विद्यालय
74.	प्रा. वि. सरवानिया
75.	प्रा. वि. राजूखेड़ा
76.	प्रा. वि. ढावटा
77.	प्रा. वि. देवली
78.	प्रा. वि. संतोषपुरिया
79.	प्रा. वि. मांलेडा
80.	प्रा. वि. बिलिया
81.	प्रा. वि. धाकड़ों का संतोषपुरिया

क्र.स.	गांव का नाम जहां प्रा. वि. खोला गया	सत्र
1	2	3
	(पंचायत समिति-छोटी सादड़ी)	
1.	बरकटी	1985
2.	बिलिया	1985
3.	सरवानियां	1985
4.	कांकरा	1985
5.	ननामा की भागल	1985
6.	जीवनपुरा	1985
7.	चरलिया	1986
8.	कैसूंदा	1988
9.	हरसिंहजी का खेड़ा	1989
10.	गुबई	1992
11.	मानपुरा खालसा	1992
12.	जलपिण्डी	1992
13.	बा. स्वरूपगंज	1992
14.	जोधपुरिया	1995
15.	नयाखेड़ा	1995
16.	कुलमिया	1995
17.	करणपुराखुर्द	1995
18.	राजपुरिया	1995
19.	मानपुरा भाटिया	1995
20.	महीनगर	1997
21.	देवखेड़ा	1989
22.	पीपलीखेड़ा	1997
23.	बालियाखेड़ा	1997
24.	सांगरीखेड़ा	1997
25.	धाकड़ाका संतोषपुरिया	1998
	(पंचायत समिति-निम्बाहेड़ा)	
26.	रसूलपुरा	1984–85
27.	सांगरिया	1984–85
28.	ऊंचा	1984–85
29.	सगवाड़िया	1984–85
30.	लक्ष्मीपुरा	1984–85
31.	मरलिया	1984–85

1	2	3	1	2	3
32.	पीपलिया गदिया	1984–85	54.	दीपपुरा	1991–92
33.	माल्याखड़ी	1984–85	55.	सोलतपुरा	1991–92
34.	अहीरपुरा	1984–85	56.	शोभावली	1991–92
35.	शाहबाद	1984–85	57.	कंथरिया	1991–92
36.	मोहम्मदपुरा	1984–85	58.	पेमदियाखेड़ा	1991–92
37.	मादयाखेड़ी	1984–85	59.	भैरूखेड़ा	1991–92
38.	चंगेडी	1984–85	60.	विजयपुरा	1991–92
39.	अजोता	1984–85	61.	अरनोदा	1991–92
40.	निम्बोदा की ढाणी	1984–85	62.	भेमली	1993–94
41.	टीलाखेड़ा	1984–85	63.	बामनियां	1993–94
42.	कचरियाखेड़ा	1984–85	64.	रणछोड़पुरा	1994–95
43.	नवाबपुरा	1984–85	65.	रावलिया घाटा	1994–95
44.	धटेरा	1984–85	66.	खारा	1995–96
45.	बरवाड़ा	1984–85	67.	गढ़वाढ़ा	1995–96
46.	जलिया	1984–85	68.	केली	1995–96
47.	साकरिया	1984–85	69.	खापरिया खेड़ी	1996–97
48.	सेगवा	1984–85	70.	बरखेड़ा मजरा मोठा	1996–97
49.	मोठा	1984–85	71.	बोरखेड़ी मजरा बरड़ा	1997–98
50.	चरालया मेवासा	1984–85	72.	रामाखेड़ा	1998–99
51.	लक्ष्मीपुरा घाटा	1986–87	73.	मेवासा की ढाणी	1998–99
52.	पालड़ी	1991–92	74.	मांगरोल	1998–99
53.	सपल सापलिया	1991–92	75.	मण्डलाचारण	1998–99

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-612 की सूची)

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र भिनाय के ग्राम

मार्ग का नाम	ग्राम
1. किशनगढ़— विजयनगर :	सराना, केसरपुरा, टांटोटी, राममाल्या, भिनाय, एकलसिंग, पीपरोली
2. किशनगढ़— सरवाड़ :	दादिया, छोटालाम्बा, आकोड़िया, गोठियाना, जोरावरपुरा, कासीर,बोराड़ा, घानमा, फतेहगढ़
3. विजयनगर— टांटोटी :	राममाल्या, बूक्या, राण, भिनाय
4. केकड़ी— जामोला :	खिरियां, सूरजपुरा, जावला, जोताया, चांदमा, टांटोटी, कल्याणपुरा, किटाप, बांदनवाड़ा
5. केकड़ी— बामेलाव :	हरपुरा, मनोहरपुरा, सरवर
6. डिग्गी— सरवाड़ :	दौलतपुरा, फतेहगढ़, घानमा, बोराड़ा, कासीर
7. ब्यावर— विजयनगर—	बड़ली, देवलिया, नानसी, गुढा, कुरतल केकड़ी

परिशिष्ट "ख"

समय सारिणी

1. किशनगढ़-विजयनगर

किशनगढ़	**विजयनगर**
1. 11.45 एएम	4.45 पीएम
2. 7.30 एएम	11.00 एएम
3. 9.30 एएम	1.00 दोपहर
4. 12.30 पीएम	4.00 पीएम
5. 3.00 पीएम	6.30 पीएम
विजयनगर	**किशनगढ़**
1. 12.00 दोपहर	5.00 पीएम
2. 7.00 एएम	10.00 एएम
3. 9.00 एएम	12.30 दोपहर
4. 12.30 पीएम	4.00 पीएम
5. 2.30 पीएम	6.00 पीएम

(सात वाहनों से पांच सेवाएं)

2. किशनगढ़-सरवाड़ मार्ग

किशनगढ़	**सरवाड़**
1. 12.00 पीएम	4.00 पीएम
2. 7.45 एएम	11.45 एएम
3. 11.30 एएम	3.00 पीएम
4. 7.45 एएम	11.45 एएम

5. 9.30 एएम 1.30 पीएम

6. 2.30 पीएम 6.30 पीएम

7. 4.00 पीएम 7.30 पीएम

सरवाड़ किशनगढ़

1. 6.30 एएम 10.00 एएम

2. 1.45 पीएम 5.45 पीएम

3. 3.45 पीएम 7.30 पीएम

4. 1.45 पीएम 5.45 पीएम

5. 2.45 पीएम 6.45 पीएम

6. 7.30 एएम 11.30 एएम

7. 8.30 पीएम 12.00 पीएम

3. विजयनगर-टांटोटी

विजयनगर टांटोटी

1. 11.00 एएम 1.00 पीएम

2. 4.00 पीएम 6.00 पीएम

टांटोटी विजयनगर

1. 8.00 एएम 10.00 एएम

2. 1.30 पीएम 3.30 पीएम

4. केकड़ी-जामोला

केकड़ी जामोला

1. 8.30 एएम 12.00 पीएम

2. 4.00 पीएम 8.00 पीएम

3. 10.30 एएम 2.00 पीएम

4. 2.00 पीएम 5.30 पीएम

जामोला केकड़ी

1. 12.30 पीएम 4.00 पीएम

2. 8.30 पीएम 12.00 पीएम

3. 2.30 पीएम 6.00 पीएम

4. 7.00 एएम 10.30 एएम

5. केकड़ी-बामेलाव

केकड़ी बामेलाव

1. 2.40 पीएम 6.15 पीएम

2. 2.15 पीएम 5.45 पीएम

बामेलाव केकड़ी

1. 8.00 एएम 11.30 एएम

2. 7.00 एएम 10.30 एएम

6. डिग्गी-सरवाड़ मार्ग

सरवाड़ डिग्गी

1. 1.00 पीएम 6.00 पीएम

2. 9.30 एएम 2.30 पीएम

3. 7.30 एएम 12.30 पीएम

4. 9.30 एएम 2.30 पीएम

5. 7.30 एएम 12.30 पीएम

डिग्गी सरवाड़

1. 2.45 पीएम 7.45 पीएम

2. 6.30	एएम	11.30	एएम
3. 12.30	पीएम	5.30	पीएम
4. 6.30	एएम	11.30	एएम
5. 12.30	पीएम	5.30	पीएम

(रोटेशन से संचालित सिंगल सेवा)

7. ब्यावर-विजयनगर-केकड़ी

ब्यावर		केकड़ी	
1. 1.15	पीएम	5.45	पीएम
2. 8.45	एएम	1.30	पीएम
3. 11.00	एएम	4.00	पीएम
4. 2.30	पीएम	7.00	पीएम
5. 12.00	पीएम	4.30	पीएम
6. 9.00	एएम	1.30	पीएम
7. 6.45	एएम	11.45	एएम
8. 9.45	एएम	2.45	पीएम
9. 12.30	पीएम	5.30	पीएम
10. 3.30	पीएम	6.00	पीएम

केकड़ी		ब्यावर	
1. 7.00	एएम	11.30	एएम
2. 2.30	एएम	7.15	एएम
3. 6.30	एएम	11.15	एएम
4. 5.00	पीएम	9.30	एएम
5. 8.45	एएम	1.15	पीएम
6. 11.30	एएम	4.00	पीएम
7. 6.00	एएम	11.00	एएम
8. 8.00	एएम	1.45	पीएम
9. 12.30	पीएम	5.30	पीएम
10. 3.00	पीएम	8.00	पीएम

(रोटेशन से संचालित सिंगल सेवा)

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-613 की सूची)

परिशिष्ट-1

जिला धौलपुर में/होकर संचालित निगम बस सेवाओं का मार्गवार विवरण

क्र.स.	मार्ग का नाम	परिचक्रों संख्या	बसों की संख्या	प्रस्थान समय
1	2	3	4	5
1.	देहली—ग्वालियर	2	2	0910
2.	धौलपुर—मथुरा	4	2	0700, 0919
3.	मथुरा—ग्वालियर	2	1	1145
4.	धौलपुर—जयपुर वाया आगरा	11	5	0615, 0930, 1130, 0530, 1500, 1900
5.	जयपुर—धौलपुर वाया राजाखेड़ा	1	1	2300
6.	धौलपुर—जोधपुर	2	2	1500
7.	ग्वालियर—सोरों	2	2	0815
8.	ग्वालियर—जयपुर	2	2	1830
9.	ग्वालियर—अलीगढ़	2	1	1530
10.	ग्वालियर—भरतपुर वाया सेवऊ	2	1	1300
11.	धौलपुर—सोरों	4	2	0500, 1300
12.	धौलपुर—तिजारा	2	2	0730
13.	धौलपुर—हरिद्वार	2	2	0815
14.	धौलपुर—भरतपुर वाया आगरा	8	4	1700, 1400, 1530, 1600
15.	धौलपुर—बाह वाया राजाखेड़ा	4	2	0715,1440
16.	धौलपुर—अलीगढ़	2	1	0800
17.	धौलपुर—देहली	2	1	0730

1	2	3	4	5
18.	धौलपुर–इटावा	2	1	0800
19.	धौलपुर–फर्रुखाबाद	2	1	1415
20.	धौलपुर–कायमगंज	2	1	0500
21.	धौलपुर–सामईखेड़ा	2	1	1345
22.	धौलपुर–बाह वाया सैंया–फतेहपुर सीकरी	4	2	0900, 0830
23.	धौलपुर–खेरागढ़	1	अन्य शिड्यूल से जुड़ा हुआ है	1645
24.	धौलपुर–आगरा	10	यथा	1200, 1345, 1100, 1545, 1515
25.	धौलपुर–राजाखेड़ा वाया सैंया	1	यथा	1615
26.	धौलपुर–हाथरस	2	1	1630
27.	धौलपुर–नवाब बसई	1	अन्य सेवा से जुड़ा परिचक्र	0730
28.	धौलपुर–ऐटा	2	1	0600
29.	मथुरा–मुरैना	2	1	1030
30.	बसेडी–पोरसा	2	1	0830
31.	बाड़ी–फिरोजाबाद	1	1	0730
32.	फिरोजाबाद–धौलपुर	2	2	1200,1030
33.	राजाखेड़ा–आगरा वाया मनिया	1	अन्य सेवा से जुड़ा परिचक्र	0700
34.	राजाखेड़ा–आगरा	12	4	0800, 1400, 0900, 0730, 1130, 1600
35.	राजाखेड़ा–फिरोजाबाद	2	1	0630

1 2	3	4	5
36. राजाखेड़ा--फतेहाबाद	1	अन्य सेवा से जुड़ा परिचक्र	0700
37. फतेहाबाद--धौलपुर	1	1	0830
38. आगरा--नवाब बसई	1	1	1500
39. आगरा--सरमथुरा	4	2	1330, 1600
40. खेरागढ़--फिरोजाबाद	1	अन्य सेवा से जुड़ा परिचक्र	0700
41. धौलपुर--जयपुर वाया सेपऊ	1	1	0745
42. धौलपुर--जयपुर वाया बयाना	1	1	0530
43. धौलपुर--भरतपुर वाया सेपऊ	2	1	0845
44. धौलपुर--कैलादेवी	6	3	0630, 0830, 1330
45. धौलपुर--राजाखेड़ा वाया मनियां	1	1	1430
46. धौलपुर--बयाना	2	1	1515
47. धौलपुर--बाड़ी	1	अन्य सेवा से जुड़ा परिचक्र	1730
48. जयपुर--ग्वालियर वाया आगरा	2	2	2230
49. ग्वालियर--जयपुर वाया गंगापुर--करौली	4	4	0715, 1000
50. जयपुर--ग्वालियर वाया आगरा	2	2	0900
51. महावीरजी से सोनागिरी वाया धौलपुर--ग्वालियर	2	2	0830
52. भरतपुर--ग्वालियर	2	1	0630
53. जयपुर--राजाखेड़ा	2	2	1115
54. भरतपुर--बसेड़ी	4	2	1030, 0830

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-614 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

जनजाति क्षेत्र में जिलेवार वर्ष 1990 तक निर्मित सड़कों की सूची

क्र.स.	जिले का नाम	1990 तक निर्मित सड़कें (किलोमीटर में)		
		डामर	मेटल	ग्रेवल
1.	उदयपुर	904	83	359
2.	चित्तौड़गढ़	212	13	42
3.	बांसवाड़ा	1026	89	194
4.	डूंगरपुर	817	113	190
5.	सिरोही	202	4	19
	योग	3161	302	804

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-616 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यालय एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियंताओं की सूची

क्र.स.	नाम अभियन्ता	कार्यग्रहण की तिथि	पैतृक विभाग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
मुख्यालय पर कार्यरत				
1.	श्री श्रीधर भण्डारी	13.1.97	कृषि विभाग	स्थानान्तरण पर
2.	श्री के. वी. रायसिघांनी	6.7.95	कृषि विभाग	स्थानान्तरण पर
3.	श्री बी. एल. जैन	6.11.95	कृषि विभाग	स्थानान्तरण पर
4.	श्री राजेश कुमार लुहाड़िया	22.7.95	जनस्वा.अभि.(सिविल)	स्थानान्तरण पर
5.	श्री अनिल कुमार मोगरा	14.9.98	कृषि विभाग	स्थानान्तरण पर
6.	श्री पी. सी. तंवर	2.6.98	कृषि विभाग	स्थानान्तरण पर
7.	श्री अशोक कुमार नागौरी	6.4.98	कृषि विभाग(सिविल)	स्थानान्तरण पर
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत				
1.	श्री एम. सी. गौड़	24.10.96	कृषि विभाग(सिविल)	
2.	श्री एस. के. माथुर	2.9.98	कृषि विभाग	
3.	श्री एम. के. वर्मा	13.3.97	कृषि विभाग	
4.	श्री तेजाराम	14.9.96	सिंचाई विभाग (सिविल)	
5.	श्री आर. एम. गुप्ता	6.2.99	सिंचाई विभाग (सिविल)	
6.	श्री बी वी. सोनी	6.1.96	सा. नि. विभाग (सिविल)	
7.	श्री ए. एन छाबड़ा	24.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
8.	श्री ओ. पी. गोयल	3.10.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	

1	2	3	4	5
9.	श्री राजीव के. माथुर	19.1.98	साव. नि. विभाग (सिविल)	
10.	श्री आर. पी. गुप्ता	17.7.96	कृषि विभाग (सिविल)	
11.	श्री एस. के. गोयल	10.8.98	सार्व. नि. विभाग (सिविल)	
12.	श्री डी. एल. पाहवा	22.2.99	सिंचाई विभाग (सिविल)	
13.	श्री श्रीधर व्यास	19.5.97	सार्व. नि. विभाग (सिविल)	
14.	श्री सुधीर अग्रवाल	30.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
15.	श्री ए. एस. शुक्ला	12.6.98	कृषि विभाग	
16.	श्री एस. एन. गागर	3.3.99	सिंचाई विभाग (सिविल)	
17.	श्री अशोक बंगानी	6.11.95	कृषि विभाग	
18.	श्री गोपीलाल मित्तल	17.2.99	सिंचाई विभाग (सिविल)	
19.	श्री बी. एल. वर्मा	20.12.97	कृषि विभाग (सिविल)	
20.	श्री एच. सी. माथुर	10.7.97	सार्व. नि. विभाग (सिविल)	
21.	श्री टी. सी. छाजेड़	28.9.98	सार्व. नि. विभाग (सिविल)	
22.	श्री आर. एस. चौहान	21.1.98	सार्व. नि. विभाग (सिविल)	
23.	श्री एम. एल. मीना	2.9.97	सार्व. नि. विभाग (सिविल)	
24.	श्री ओ. पी. शर्मा	7.10.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
25.	श्री आर. के. मण्डोत	22.9.98	कृषि विभाग	
26.	श्री बी. के. बी. जवेरिया	17.11.97	कृषि विभाग	
27.	श्री के. एल. मीना	1.2.94	कृषि विभाग	
28.	श्री महाराज कृष्ण शर्मा	7.12.98	कृषि विभाग	
29.	श्री एम. एस. टांक	10.3.93	कृषि विभाग	
30.	श्री जी. पी. शर्मा	23.3.99	कृषि विभाग (सिविल)	
31.	श्री जी. के. माथुर	26.8.98	कृषि विभाग	
32.	श्री डी. एल. माथुर	13.5.97	कृषि विभाग (सिविल)	

1	2	3	4	5
33.	श्री अशोक कुमार निर्वाण	19.8.98	कृषि विभाग (सिविल)	
34.	श्री वी. के. सूद	21.9.98	कृषि विभाग (सिविल)	
35.	श्री के. एस. रावत	2.8.97	कृषि विभाग (सिविल)	
36.	श्री एस. के सैनी	15.7.95	कृषि विभाग	
37.	श्री डी. के. वर्मा	7.10.98	कृषि विभाग	
38.	श्री देवकीनन्दन बंसल	30.9.98	कृषि विभाग	
39.	श्री एस. पी. सिंह	12.5.97	कृषि विभाग (सिविल)	
40.	श्री एस. एन. उपाध्याय	15.12.98	कृषि विभाग	
41.	श्री अरूण कुमार आमेटा	28.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
42.	श्री अशोक कुमार सोनी	30.1.99	कृषि विभाग (सिविल)	
43.	श्री राजेन्द्र डंडोतिया	24.9.98	कृषि विभाग	
44.	श्री इन्द्रजीत निमेष	3.6.98	कृषि विभाग	
45.	श्री नरेन्द्र सिंह	5.6.98	कृषि विभाग	
46.	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	3.10.98	कृषि विभाग	
47.	श्री बाबूलाल मीणा	3.6.98	कृषि विभाग	
48.	श्री अशोक कुमार अम्बेश	26.9.98	कृषि विभाग	
49.	श्री एस. के. पूरबगोला	7.12.98	कृषि विभाग	
50.	श्री परमानन्द कलवानी	6.2.99	कृषि विभाग	
51.	श्री कमलेश कुमार सनाढ्य	26.9.98	कृषि विभाग	
52.	श्री भूप सिंह	17.12.98	कृषि विभाग	
53.	श्री अतुल कुमार जैन	28.9.98	कृषि विभाग	
54.	श्री वी. के. महावर	18.5.97	कृषि विभाग	
55.	श्री सुखलाल शर्मा	17.10.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
56.	श्री पी. एस. लोहिया	10.3.97	कृषि विभाग (सिविल)	

1	2	3	4	5
57.	श्री आर. सी. पालीवाल	5.5.97	कृषि विभाग	
58.	श्री वासुदेव भट्ट	17.10.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
59.	श्री वीनेन्द्र चौरे	21.9.98	कृषि विभाग	
60.	श्री रामलाल पाटीदार	26.9.98	कृषि विभाग	
61.	श्री शिव नारायण शर्मा	23.5.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
62.	श्री राणा भूपेन्द्रवीर सिंह	27.4.95	कृषि विभाग	
63.	श्री डी. डी. गुप्ता	6.9.97	कृषि विभाग	
64.	श्री नरेन्द्र सिंह सिंघवी	31.7.98	कृषि विभाग	
65.	श्री रंजन कुमार कंसारा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
66.	श्री लखन लाल गुप्ता	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
67.	श्री फूलसिंह मीना	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
68.	श्री बन्ने सिंह	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
69.	श्री ए. के. यादव	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
70.	श्री हरीश के वरंजानी	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
71.	श्री सौरभ खाँ	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
72.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
73.	श्री नानू राम रोत	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
74.	श्री सुरेन्द्र सिंह डाटला	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
75.	श्री सुरेश कुमार	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
76.	श्री राधा मोहन	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
77.	श्री मानेश्वर कुमार	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
78.	श्री मल्लूराम	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
79.	श्री एस. सी. मीना	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
80.	श्री मनोज कुमार गर्ग	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	

1	2	3	4	5
81.	श्री हेमराज कौली	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
82.	श्री सोजीसिंह प्रतिहार	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
83.	श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
84.	श्री हरीश चेतवानी	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
85.	श्री हेमन्त शर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
86.	श्री मूल सिंह	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
87.	श्री मनोज कुमार जैन	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
88.	श्री विकास शर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
89.	श्री बने सिंह	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
90.	श्री हेमन्त पण्डिया	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
91.	श्री भगवान सहाय गुप्ता	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
92.	श्री जितेन्द्र वर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
93.	श्री राजीव लोचन शर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
94.	श्री नितेश शर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
95.	श्री शिवचरण रैगर	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
96.	श्री विजय कुमार सुदेश	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
97.	श्री देवकी नन्दन शर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
98.	श्री महेन्द्र सिंह कुल्हरी	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
99.	श्री छोटेलाल मीणा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
100.	श्री राजकुमार यादव	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
101.	श्री अशोक कुमार नांगल	11.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
102.	श्री सुरेश कुमार	11.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
103.	श्री रामकिशन	11.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
104.	श्री एस. के. गोयल	11.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	

1	2	3	4	5
105.	श्री डी. एस. सौलंकी	11.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
106.	श्री मनोज कुमार माझूं	25.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
107.	श्री धनराज वाधवानी	25.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
108.	श्री धीरज चांवला	30.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
109.	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
110.	श्री नवीन गुप्ता	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
111.	श्री सुनिल कटारिया	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
112.	श्री राजेन्द्र कुमार माटी	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
113.	श्री विजय कुमार पुरोहित	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
114.	श्री बजरंग लाल जाट	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
115.	श्री प्रकाश चन्द्र अम्बेश	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
116.	श्री रमेश चन्द्र निर्मल	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
117.	श्री विमल कुमार मीणा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
118.	श्री श्रीफाल मीणा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
119.	श्री संजय भाटिया	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
120.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
121.	श्री शंकर लाल राठौड़	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
122.	श्री सुरेश स्वामी	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
123.	श्री श्रवण कुमार	14.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
124.	श्री मानवेन्द्र सिंह	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
125.	श्री बी. पी. जोशी	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
126.	श्री जितेन्द्र मैनारियां	10.9.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
127.	श्री चन्द्र शेखर	10.8.93	सिंचाई विभाग (सिविल)	
128.	श्री डी. एम. त्रिवेदी	6.1.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	

1	2	3	4	5
129.	श्री ओम प्रकाश डागल	9.6.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
130.	श्री कुम्भाराम डिडेल	1.1.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
131.	श्री साबिरूद्दीन काजी	27.11.95	कृषि विभाग	
132.	श्री प्रकाश चन्द्र कोठयारी	17.8.96	कृषि विभाग	
133.	श्री कमल किशोर शर्मा	30.11.95	कृषि विभाग	
134.	श्री आर. के सोलंकी	17.1.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
135.	श्री नन्द लाल शर्मा	9.10.96	कृषि विभाग (आई.टी.आई डिप्लोमा)	
136.	श्री अब्दुल माजिद	25.2.95	सिंचाई विभाग (सिविल)	
137.	श्री रमेश कुमार चौरडिया	23.12.97	सिंचाई विभाग (सिविल)	
138.	श्री एस. आर. गोदारा	16.1.98	सिंचाई विभाग (सिविल)	
139.	श्री राजेश कुमार घाटिया	27.8.96	कृषि विभाग	
140.	श्री एस. डी. चौहान	5.2.97	कृषि विभाग (आई.टी.आई)	
141.	श्री आर. डी. मीणा	24.12.97	सिंचाई विभाग (सिविल)	
142.	श्री ललित राव	5.8.97	कृषि विभाग	
143.	श्री ए. बी. सक्सैना	26.9.93	सिंचाई विभाग (सिविल)	
144.	श्री के. के. विजय	6.5.94	कृषि विभाग	
145.	श्री एस. सी. भट्ट	18.6.93	सिंचाई विभाग (सिविल)	
146.	श्री वी. के. अरोड़ा	16.5.96	कृषि विभाग	
147.	श्री जयपाल सिंह	7.11.94	सिंचाई विभाग (सिविल)	
148.	श्री मूलचन्द सुधार	18.6.97	सिंचाई विभाग (सिविल)	
149.	श्री मोहन सिंह	22.4.93	सिंचाई विभाग (सिविल)	
150.	श्री सी. बी. गुप्ता	20.10.93	सिंचाई विभाग (सिविल)	
151.	श्री श्याम सुन्दर चौबीसा	12.5.95	सिंचाई विभाग (सिविल)	
152.	श्री श्याम लाल इन्टोदिया	29.11.96	सिंचाई विभाग (सिविल)	
153.	श्री प्रकाश चन्द्र जैन	22.2.97	कृषि विभाग	

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-244 की सूचियां)

राजस्थान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत खनन प्रस्तावों का, चिन्हित गैन वन भूमि का जिलेवार विवरण

क्र.स.	नाम जिला	केन्द्र सरकार द्वारा सिद्धान्ततः स्वीकृत प्रकरण	खारिज प्रकरण	केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रकरण	राज्य स्तर पर विचाराधीन प्रकरण	चिन्हित गैर वन भूमि (हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1	0	1	3	105.04
2.	अलवर	9	5	36	10	128.51
3.	बांसवाड़ा	98	0	0	3	114.735
4.	बाड़मेर	10	0	18	20	0
5.	भरतपुर	0	0	0	0	0
6.	बूंदी	11	2	85	14	782 बीघा 4 बिस्वा
7.	भीलवाड़ा	1	0	7	1	0
8.	चूरू	62	0	0	0	100
9.	चित्तौड़गढ़	1	0	0	0	105.128
	प्रतापगढ़	1	0	2	1	
10.	दौसा	4	4	6	3	96 बीघा
11.	धौलपुर	0	0	1	3	524 बीघा 5 बिस्वा
12.	डूंगरपुर	29	0	0	15	0

1	2	3	4	5	6	7
13.	जयपुर	8	242	6	47	100
14.	जालौर	12	0	29	11	434.90
15.	झालावाड़	6	0	4	8	162 बीघा 1 बिस्वा
16.	झुंझुनूं	3	0	22	4	0
17.	करौली	3	0	11	14	0
18.	कोटा	10	24	3	9	102.12
19.	सवाई माधोपुर	0	0	4	2	0
20.	सीकर	173	0	12	3	101.83
21.	उदयपुर	154	7	8	46	100
22.	टोंक	5	0	114	0	400.04बीघा
23.	सिरोही	3	0	1	1	100.9685
24.	पाली	1	0	0	1	100
25.	जोधपुर	10	0	0	0	614
26.	नागौर	0	0	0	0	1739.03बीघा
27.	राजसमन्द	0	0	0	0	1732.12बीघा
28.	श्रीगंगानगर	0	0	0	0	100
29.	जैसलमेर	0	0	0	0	4564.62
	योग	615	284	370	219	7722.373है.

राजस्थान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.12.96 के आदेश में प्रभावित खनन पट्टे/क्वेरी लाइसेंस डायवर्शन हेतु बांटा गया क्षेत्र, संभावित राजस्व हानि तथा प्रभावित मजदूरों का जिलेवार विवरण

क्र.स.	जिला	खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस की संख्या	डायवर्शन हेतु चाहा गया क्षेत्र(है.)	राजस्व हानि (लाखों में)	प्रभावित मजदूरों की संख्या
1.	जयपुर	384	2057.93	327.09	6,588
2.	अजमेर	36	22.25	9.65	150
3.	सीकर/झुंझुनूं	399	676.74	73.80	1,250
4.	टोंक	190	65.21	17.00	4,000
5.	भरतपुर	69	318.89	53.77	1,510
6.	करौली	88	2478.00	13.29	276
7.	धौलपुर	21	203.78	0.28	55
8.	अलवर	101	175.19	30.81	1,136
9.	सवाईमाधोपुर	44	769.03	111.50	432
10.	कोटा/झालावाड़/ बून्दी	237	2003.70	105.79	9,194
11.	बीकानेर	31	116.485	29.40	2,700
12.	नागौर	1	0.50	–	–
13.	जोधपुर	10	0.10	0.48	100
14.	सिरोही	8	250.56	1.00	800
15.	बाड़मेर	7	62.25	2.49	82
16.	जालौर	95	472.113	–	900
17.	उदयपुर	288	3496.27	140.00	16,000
18.	राजसमन्द	2	–	–	–
19.	डूंगरपुर	26	182.43	18.19	1,15,965
20.	बांसवाड़ा	96	196.65	101.78	1,300
21.	भीलवाड़ा	12	799.07	0.60	–
22.	चित्तौड़गढ़	3	36.63	–	–
23.	बिजौलिया	8	7.72	12.00	100
	योग	2196	14391.498	1048.38	1,61,538

राजस्थान में खान विभाग को समर्पित खनन पट्टे एवं खण्डित किये गये खनन पट्टों की कार्यालयवार सूचना

क्र.स.	कार्यालय का नाम	समर्पित हुए खनन पट्टों की संख्या	खण्डित किये गये खनन पट्टों की संख्या
1.	जयपुर	3	1
2.	अजमेर	31	–
3.	सीकर/झुंझुनूं	1	–
4.	भरतपुर	5	9
5.	करौली	15	6
6.	धौलपुर	4	4
7.	अलवर	8	10
8.	सवाईमाधोपुर	1	1
9.	कोटा/रामगंजमण्डी	6	–
10.	बून्दी	2	22
11.	झालावाड़	3	2
12.	जोधपुर	–	2
13.	सोजत	1	–
14.	बाड़मेर	3	–
15.	उदयपुर	9	21
16.	राजसमन्द	1	–
17.	बांसवाड़ा	2	6
18.	भीलवाड़ा	3	2
19.	बिजोलिया	–	3
20.	निम्बाहेड़ा	1	–
	योग	99	89